

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER'S No. | DUE DATE | SIGNATURE |
|-------------------|----------|-----------|
| | | |

माहित्य-सरोज माला सत्या २

प्रतिनिधि शासन ।




प्रकाशक.

उपन्यास बहार आफिस, काशी ।

साहित्य-सरोज-माला

का

द्वितीय पुष्प ।



प्रवर्तक—

स्वर्गीय याचू जयरामदास गुप्त ।

प्रकाशक—

शिवरामदास गुप्त,
उपन्यासबहार आफिस,
राजघाट; बनारस ।



मुद्रक—

गणपति कृष्ण गुर्जर
श्री लक्ष्मीनारायण प्रेस,
जतनयड़, बनारस ।

॥ श्रीः ॥

परिचय ।

एकादशी माहात्म्य की कथा है कि देवताओं को किसी राजा का एकादशी व्रत भङ्ग करने के लिये अपनी ओर से एक स्त्री भेजने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उस स्त्री को अपना तिल तिल भर रूप दिया । इससे वह स्त्री घड़ी ही रूपवती और मनमोहनी बन गयी । परन्तु वह राजा के पास जा कर अत्याचार करने लगी । उसने यहाँ तक किया कि राजा के एकादशी व्रत न छोड़ने पर उसके पुत्र का वध करने को तय्यार हो गयी । अर्घ्य ही देवताओं का अभिप्राय वह नहीं था कि वह स्त्री ऐसा घृणित कर्म करे । इससे जब वह स्त्री राजपुत्र का प्राण लेने पर मुस्तेद हो गयी तो विष्णु भगवान ने आ कर राजपुत्र की रक्षा की और देवताओं ने उस स्त्री से अप्रसन्न हो कर अपना दिया हुआ रूप छीन लिया । रूप छिन जाने से वह स्त्री कौड़ी काम की नहीं रही और अन्त को उसे नरक भोगना पड़ा ।

ऐसी ही दशा अय राजाओं की हो रही है । राजाओं को प्रजा शासन का जो अधिकार मिला था—वह अधिकार चाहे ईश्वरी देन समझा जाय चाहे मनुष्य की ओर मिला हुआ माना जाय - वह जगह जगह छिना जा रहा है । राजा मुकुट धारण करने वाले से सदा यही आशा की गयी है कि वह अपनी प्रजा का पालन पोषण करेगा । इसीसे राजा का अर्थ किया गया है प्रजा रक्षण करने वाला । और यही आशा जी में धारण

करते हुए लोग राजा की अधीनता स्वीकार करते आये हैं इतना ही नहीं बरञ्च राजा को ईश्वर तुल्य मानते आये हैं। परन्तु अग्र लोगों के जी में उलट्टे उलट्टे विचार पैदा हो रहे हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि अगर राजा का अधिकार प्रजा न माने—एक मनुष्य का कहना अनेक मनुष्य न मानें तो राजा का—उस एक का अधिकार उन पर से आप ही आप जाता रहता है। अगर यह कहा जाय कि वह राजा अपने सैन्य बल से अनेक को अपनी यात मनवावेगा तो इस में भी एक को अनेक से (उस सेना से) अपना कहना मनवाने की अपेक्षा रहती है और इसी का अभाव अधिकार से वञ्चित होना है। इस लिये उसका अधिकार मानना ही उस को अपनी ओर से शासन करने का अधिकार देना है। अगर यही मान लें कि राजा का अधिकार ईश्वर प्रदत्त है तो भी ईश्वर ने एक को अनेक पर शासन करने का अधिकार शुभ इच्छा से ही दिया होगा इस यात को कोई अस्वीकार नहीं करेगा। और हमारे हिन्दू धर्म में तो, जहाँ यह भाव प्रचल रूप से है, इसके प्रभावशाली प्रमाण हैं। भगवान रामचन्द्र ने अपने रामराज्य से इस यात का आदर्श खड़ा कर दिया है कि प्रजा रञ्जन ही राजा का कर्त्तव्य है। जब राजा अपने कर्त्तव्य से चूके तो उसका अधिकार छिन जाना कुल्ल आश्चर्य की यात नहीं है—यह चाहे मनुष्यों की ओर से छीना जाय चाहे ईश्वर की ओर से। ऐसे ऐसे विचार प्रगट होने के कारण इतिहास से मिलते हैं।

संसार के इतिहास में विदित होता है कि अथवा जितने राजा हुए हैं उनमें से हर एक ने अपना कर्त्तव्य पालन नहीं किया है—कितनों ने उसका ध्यान रखा है तो कितनों ने उसे बिसार भी दिया है। पौराणिक युग को देखें चाहे ऐतिहासिक युग को देखें, दोनों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के राजा पाये

जाते हैं। यह भी हुआ है कि अच्छे राजा ने बुरे राजा को दण्ड देने के लिये हथियार उठाया है किन्तु इसका बहुत कम असर हुआ है और बुरे राजाओं का अभाव नहीं हुआ, वरंच उनकी पथेच्छाचरिता बढ़ती ही गयी है। अकारण किसी दूसरे देश पर धावा घोल देना, जरा सी बात के लिये खून की नदियां बहा देना और संसार का सम्राट् बनने तथा मनमानो करने के घमण्ड में प्रजा के धन प्राण को कुछ परवा न रखना उनके घायें हाथ का खेल हुआ है। इतिहास उठा कर देखिये तो राजाओं के प्रजा पर किये हुए इससे भी भयंकर, रोंगटे खड़े करने वाले कृत्य पढ़ने में आवेंगे राजा होकर किसी ने दूसरे की स्त्री हर लाने या भरी सभा में परायी स्त्री को विधख करने में ही अपना बहपन समझा है; किसी ने सैंकड़ों हजारों स्त्रियों से व्याह या व्यभिचार करने में ही अपनी विशेषता समझी है; किसी ने राजपद पाकर नगर में आग लगा देने और आप बंशी बजाते हुए तमाशा देखने का शौक पूरा किया है; किसी ने कतले आम के हुफम से अगणित निरीह प्रजा का प्राण संहार कर अपनी शाही दिखायी है; किसी ने प्रजा का लहू से पसीना बना कर पैदा किया हुआ अपार धन जबरदस्ती चूस चूस कर इन्द्रिय चरितार्थ करने या कोरे खुशामदियों को लुटा देने में ही अपना शासन काल पूरा किया है; किसी ने गर्भ में बच्चा कैसे रहता है यह देखने के लिये जीती गर्भवती स्त्री का पेट अपने सामने फड़या डालने में नवाबी समझी है; किसी ने दूसरे धर्म वालों को जीत कर उनका धर्म तलवार के बल से छुड़ाने तथा दुध मुँहे बालकों को जीते जी दीवार में चुनवा देने को ही अपना धर्म समझा है; कोई राजपद पाने के लोभ में अपने पिता को कैद करने और भाइयों को मार डालने से भी नहीं चूका है; कोई अदना सिपाही से सम्राट्

धन कर सारे संसार को पैर तले कुचलने के घमण्ड में ही लोगों को डायंडोल करता रहा है: जिसने अपने मन के विरुद्ध उचित और आवश्यक बात कहने पर भी चाहे जिसको गोली से मारवा डालने या डामत करा देने को शाहंशाही समझी है। इसमें संसार भर के स्वकर्त्तव्य विमुख राजाओं के नमूने आ जाते हैं। यही सब देख चुन कर प्रजा रक्षण करने वाली राजनीति वंश्या-नीति कही जाने लगी। उहाँ पुरे राजाओं के ऐसे पुरे दधान्त हैं यहाँ अच्छे राजाओं के भी बहुत अच्छे अच्छे दधान्त हैं: उन्होंने तन धन से और मन धचन कर्म से प्रजा का पालन पोषण किया, प्रजा की रक्षा के लिये अपने सुख स्वार्थ को तिलाञ्जलि दी, बड़े बड़े कष्ट सहन किये-मारा तक गंवा दिये और अपना कर्त्तव्य नहीं छोड़ा। उनके सुशासन से प्रजा को बहुत कुछ उन्नति और भत्तारि हुई है। किन्तु अच्छे के साथ बुरे का प्रादुर्भाव देख कर इस बात की जमानत नहीं रही कि प्रजारजन जो राजा का एक मात्र कर्त्तव्य और धर्म है उसका एक समान पालन दाता रहेगा। जैसे कुराज में दो कदम आगे बढ़ने की आशा रही वैसे कुराज में चार कदम पीछे हटने का खटका बना रहा। राजाओं की मानमानो चाल और अत्याचार को प्रजा देखती, चुनती, और सहती रही और उसके चित्त पर इसका असर भी पड़ता रहा। हर बात में आवश्यक और अनुकूल परिघर्तन करने को सदा तत्पर रहने वाली पाश्चात्य जातियों में इस का परिणाम प्रगट होने लगा।

परिणाम का आरम्भ इस तरह हुआ कि कहीं कहीं की प्रजा राजा को मनमानो चाल का विरोध करने लगी, उसको कर देने से इनकार करने लगी और उसका हुकम न मानने का कसर बसने लगी। और इस तरह राजा के हाथ से

अपने ऊपर शासन करने का अधिकार छीनने लगी । जहाँ राजा राजा में युद्ध होता था वहाँ राजा प्रजा में युद्ध आरम्भ हुआ । राजसिंहासन लुप्त हुआ और प्रजा ने पंचायती राज्य स्थापित किया । किन्तु साधारण लोगों को इतना समय नहीं है और न इतनी समझ ही है कि पंचायती राज्य में सब किसी की राय लेकर काम किया जाय । इससे विश्वासी और योग्य पुरुषों को चुन कर उनके द्वारा राज्य कार्य चलाने का ठहराव हुआ । यह तय हुआ कि साधारण लोग जिन जिनकी ईमानदारी और बुद्धिमानी पर भरोसा रखते हों उन संख्या बद्ध मनुष्योंको अपनी तरफ से राज्य-कार्य करने का परवाना दें । और जनता की राय से चुने हुए उन मनुष्यों की सभा राज्य कार्य चलावे । परवाने की मुद्दत भी बांध दी गया और ऐसी ऐसी शर्तें रखी गयीं कि जिस से वह सभा भी जनता के विरुद्ध मनमानी न करने पावे । परन्तु जैसे सरपंच बिना पंचायत का काम नहीं चलता; मुनीम बिना कोठी का काम नहीं चलता; कर्णधार बिना नाय का काम नहीं चलता और मुखिया बिना परिवार का काम नहीं चलता वैसे सभापति बिना सभा का काम सुचारु रूप से नहीं चल सकता । इसलिये प्रतिनिधि सभा के साथ निर्दिष्ट समय के लिये एक सभापति चुनने की भी व्यवस्था हुई और वही राष्ट्रपति कहलाता है । मंत्रियों तथा हाकिमों के ओहदे भी रखे गये । इस प्रकार पंचायती राज्य स्थापित हुआ । स्थूलतः यही प्रतिनिधि-शासन है और यही स्वराज्य है । फ्रांस ने इसका नमूना दिखाया । अमेरिका ने उसका और सुघड़ रूप बनाया । फिर तो वह लोगों को ऐसा पसन्द आया कि इसको बहुत देशों ने अपनाया । और अब तो यही शासनपद्धति सब से उत्तम मानी जाती है । यूरोप अमेरिका में हा नहीं-

एशिया के तुर्कस्थान, ईरान और चीन जापान में भी इसी का डंका बज रहा है। यूरोप के महासमर से इस प्रणाली ने रूस, जर्मनी, आस्ट्रिया आदि देशों पर भी विजय पायी है।

हमारे शासक देश इंग्लैण्ड में यह विशेषता है कि यहां राजा भी हैं और पार्लियामेंट रूपी प्रतिनिधि सभा भी है। इस देश ने फनाडा, आस्ट्रेलिया ट्रांसवाल आदि अपने अधीन देशों को अपने समान प्रतिनिधि तंत्र या स्वराज्य दे रखा है और उसने सदा अपनी यह नीति प्रकट की है कि जो देश स्वराज्य के योग्य हो उसको स्वराज्य दिया जाय। ऐसी उदार नीति रखने वाली अंगरेज जाति के अधीन हिन्दुस्थान है मानो भगवान ने इस देश को उस अवस्था के योग्य बनाने के लिये ही उसके हाथ में सौंपा है। अंगरेजों शिक्षा हीक्षा से स्वराज्य का भाव हिन्दुस्थानियों में भी जागृत हुआ है और धीरे धीरे परन्तु दृढ़ता से बढ़ रहा है। हिन्दुस्थान में जोरदार आवाजों से पुकार मच रही है कि हमें ब्रिटिश छत्र छाया में स्वराज्य चाहिये। यह पुकार ब्रिटिश जनता के कानों तक पहुंच रही है और पहुंचायी जा रही है। यूरोप के महासमर में हिन्दुस्थानियों ने घन और जन से जी धोत कर, बूते से बाहर अपने शासक देश की सहायता की है जिसे देख कर ब्रिटिश राज्य के कर्णधार मुग्ध हो गये हैं और उन्होंने हिन्दुस्थान की आकांक्षा पर ध्यान देने के वचन दिये हैं। ब्रिटिश जाति जल्द या देर से, हिन्दुस्थानियों की यह आकांक्षा पूरी करेगी, हिन्दुस्थानी स्वराज्य प्राप्त करेंगे इसके शुभ सक्षर दिग्याई देते हैं।

ऐसी स्थिति में हमारे देशवासियों में स्वराज्य सम्बन्धी ज्ञान जितना बढ़े उतना अच्छा है और इसके लिये इस विषय के ग्रन्थों का प्रचार करना सेवकों और प्रका

शकों का प्रधान कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से सुप्रसिद्ध अंगरेज दार्शनिक और राज्यनीतिविद् जान स्टुअर्ट मिल के Considerations on Representative Government नामक पुस्तक का अनुवाद भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है। मूल ग्रन्थ का विद्वानों में बड़ा आदर है, इसमें प्रतिनिधि शासन सम्बन्धी दोष और गुणों का भली-भाँति विवेचन किया गया है। ग्रंथकार ने हिन्दुस्थान के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें कही हैं।

इस ग्रंथ को प्रकाशित करने का यश काशीस्थ उपन्यासपहार आफिरा के मालिक, थावू जयरामदास जी गुप्त को है। उन्हीं की प्रेरणा से यह हिन्दी में लिखा गया। इसको वह छपवा रहे थे और ६ फर्में अपने सामने छपवा भी चुके थे, उनका इरादा इस को इस साल की दिल्ली वाली कांग्रेस तक प्रकाशित कर देने का था; किन्तु दुर्भाग्यवश उक्त थावू साहय अपनी यह इच्छा पूरी नहीं करने पाये। बड़े शोक का विषय है कि कराल काल ने समरज्वर के रूप में प्रगट हो कर उक्त थावू साहय को तारीख ३० नवम्बर सन् १९१८ ईस्वी, शनिवार को प्रातः काल ३२ वर्ष की जयानी में इस संसार से उठा लिया। थावू जयराम दासजी हिन्दी के एक अच्छे लेखक और बड़े उत्साही ग्रंथ प्रकाशक थे उन्होंने स्वराज्य तथा अन्य विषयों के बहुतेरे ग्रंथ प्रकाशित किये और करना चाहते थे। उनके द्वारा हिन्दी साहित्य की बहुत कुछ भलाई होने की आशा थी। किन्तु उनका असमय स्वर्गवास हो जाने से यह आशालता मुरझा गयी। उनके योग्य कनिष्ठ भ्राता थावू शिवराम दासजी गुप्त ने यह कारोधार अपने हाथ में लिया है और उन्हींने इसको शीघ्र प्रकाशित करके अपने स्वर्गीय भाई की इच्छा पूरी की है। आप को भी हिन्दी पर प्रेम है और कारोधार जमा हुआ है इससे

आशा होती है कि वह अपने स्वर्गीय भाई साहब के लगाये हुए साहित्य-सरोज को सूखने न देंगे धरंच हरा भरा और लहलहा बनाये रखेंगे ।

इस पुस्तक को लिखने में अनुवादक ने गुजरात घरनाक्यू-लर' सोसाइटी (अहमदाबाद) द्वारा प्रकाशित गुजराती अनुवाद का मुख्यतः सहारा लिया है और इसके लिये वह छतछता प्रगट करता है । अनुवाद जल्दी में हुआ है और शीघ्रता में छपा गया है इस से इस में त्रुटि रहना सम्भव है । अनुवादक भूल चूक के लिये पाठकों से क्षमा मांगता है और आशा रखता है कि दूसरी आवृत्ति का अवसर आने पर वह त्रुटियों को यथा साध्य मिटाने की चेष्टा करेगा ।

काशी
१६-१२-१९१८

}

अनुवादक ।

ग्रंथकार की प्रस्तावना ।

जन्मान मेरे पहिले के लेख पढ़ने की मेरे ऊपर कृपा की है उनको प्रस्तुत पुस्तक में कुछ विशेष नवीनता दिखाई देने की सम्भावना नहीं है । क्योंकि मैंने अपने जीवन के अधिकांश में जिन सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने का प्रयत्न जारी रखा है, वे ही इस पुस्तक में सन्निवेशित किये गये हैं और इनमें से अधिकांश की सूचना दूसरे सज्जन अथवा मैं इससे पहिले दे चुका हूँ । फिर भी उनका संग्रह करके उन्हें यथा सम्बन्ध दिखाने में और मैंने अपने विचार के अनुसार उनकी पुष्टि में जो जो प्रमाण उपस्थित किये हैं, उनकी बहुतेरी बातों में नवीनता है । कितने ही विचार यद्यपि नये नहीं हैं तथापि उनको आजकल के जमाने में किसी तरह मानने के विषय में नये के बराबर ही कम सम्भावना है ।

तो भी अनेक चिन्हों से और विशेष कर पार्लियामेंट में सुधार के विषय में चले हुए घाद विवाद से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि संरक्षक (कंसर्वेटिव) और सुधारक (लिबरल) — ये अभी तक अपने को जिस नाम से परिचित करते हैं उस नाम को मैं कायम रखूँ तो — दोनों जिस राजनीतिक मत को सिर्फ ऊपर से नाम के लिये स्वीकार करते हैं, उसके

ऊपर से उनका विश्वास उठ गया है। फिर दोनों में से कोई पक्ष अधिक अच्छा मत सम्पादन करने में कुछ भी अपसर हुआ नहीं जान पड़ता। परन्तु ऐसा अधिक अच्छा मत होना सम्भव है; वह मत दोनों का भेद भाव तोड़ कर समझीता नहीं कर सकता, तथापि प्रत्येक से अधिक विशाल हो सकता है कि जिससे उसकी विशेष व्यापकता के कारण सुधारक या संरक्षक कोई भी अपने मत में जो कुछ अच्छा जंचे उसको छोड़े बिना ही मान सके। जब कि इतने अधिक मनुष्यों को ऐसे किसी मत की आवश्यकता बहुत कम जंचती है और उसके पाने की सुशी मनाने वाले मनुष्य भी इतने थोड़े हैं तब ऐसे समय में कोई मनुष्य अपने विचार और दूसरे के विचारों में उसे जो सब से उत्तम लंगता हो, उनको (जो ऐसे मत का गठन करने में कुछ भेद कर सकते हों) सामने रखने को आगे बढ़े तो यह उद्यत नहीं माना जायगा।

अप्रैल १८६१।

स्वर्गीय बाबू जयरामदास गुप्त ।



ज-म-कार्तिक शुद्ध १४ स. १९४३, मृत्यु-मार्गशीर्ष कृष्ण १२ स. १९७५.

प्रतिनिधि शासन ।



पहिला अध्याय ।

शासन-पद्धति का विषय कहाँ तक मरजी
पर रखने योग्य है ?

शासन-पद्धति सम्बन्धी समूचे विवाद में, राज्यतंत्र के विषय में, दो परस्पर विरोधी तर्कों की अथवा और खुलासा तौर पर कहें तो राज्यतंत्र क्या है इस विषय में दो परस्पर विरोधी भावनाओं की ज्यादा या कम एक तरफ़ी छाप पड़ी होती है ।

कितने मनुष्यों का यह विचार है कि राज्यनीति केवल व्यवहारी शास्त्र है और उस में साधन और साध्य के सिवाय और किसी विषय के प्रश्न का प्रसङ्ग नहीं रहता । वे लोग शासन-पद्धति को मनुष्य-मनोरथ के साधनार्थ जारी किया हुआ आयोजन बताते हैं । वे उसको केवल युक्ति, प्रयुक्ति का विषय मानते हैं । वे यह समझते हैं कि वह मनुष्यकृत है । अतएव उस की योजना करना या न करना और किस तरह तथा किस नमूने पर करना यह मनुष्य की मरजी पर है । इस विचार के अनुसार, राज्यतंत्र दूसरे व्यवहारी विषयों की तरह हल करने योग्य प्रश्न है । राज्यतंत्र से क्या क्या कार्य सिद्ध करना है, इस का निर्णय करना हमारा पहिला कर्तव्य है । दूसरा कर्तव्य यह है कि उन कार्यों की सिद्धि के लिये कौन सी राज्यपद्धति सब से अधिक अनुकूल है, इस को

दूँदें । इन दो विषयों में अपने मन का समाधान कर लेने के बाद और किस शासन-पद्धति में सब से अधिक भलाई के साथ सब से कम धुराई है इस का निर्णय करने के बाद आगे करने को इतना ही बाकी रहता है कि हमारे मन में जो अभिप्राय आया हो उसमें अपने देशियों की अथवा जिनके लिये वह शासन-पद्धति ठहरायी हो उनकी सम्मति लें । सब से श्रेष्ठ शासन-पद्धति दूँद निकालना, वह सब से श्रेष्ठ है, यह दूसरों के चित्त में जमा देना और ऐसा करने के बाद उस का सम्पादन करने के लिये दृढ़ता सहित प्रयत्न करने को उन्हें उत्तेजित करना इत्यादि विचार राज्यनीति शास्त्र का यह मन अंगीकार करने वालों के मन में उठा करते हैं । उन लोगों की समझ में (प्रमाण मात्र का भेद मानते हुए) जैसा भाक का हल और खोदने की कल है वैसा ही राज्यतंत्र है ।

इस के विरुद्ध जो एक दूसरी श्रेणी के राजनीतिक तर्क-वादी हैं, वे राज्यतंत्र को फल समान मानने के इतने बड़े विरोधी हैं कि इस को एक प्रकार की स्वाभाविक सृष्टि मानते हैं और राज्यनीति शास्त्र को (मानों) सृष्टि विज्ञान को एक शाखा मानते हैं । उनके मतानुसार शासन-पद्धति मरजो के आधार पर नहीं है । वह जिस स्थिति में मिल जाय, उसी में हमें उस को प्रधानतः अंगीकार करना चाहिये । शासन-पद्धति की योजना पूर्व संकल्प के अनुसार नहीं हो सकती । उस की उत्पत्ति कृत्रिम नहीं है वरंच स्वाभाविक है । सृष्टि का दूसरी प्राकृतिक घटना की तरह इस के सम्बन्ध में भी हमारा काम इतना ही है कि हम इस के स्वाभाविक गुणों को जान लें और उस के अनुकूल बर्ताव करें । इस मत वाले कितनी भी प्रजा के राज्यतंत्र के मूल आधारभूत-नियमों को उसकी शक्ति और व्यवहार से उबजी हुई एक प्रकार की स्वाभा-

विक. सृष्टि अर्थात् उस की खासियत अन्तर्वृत्ति और अनजान संगी और चाहिषों की पैदाइश मानते हैं, परन्तु उनको उन्म की विवेक पूर्वक की हुई धारणाओं का परिणाम नहीं समझते । इस विषय में उनकी संकल्प शक्ति का काम इतना ही है कि जहाँ कुछ जरूरत मालूम हो, वहाँ उस की कसर तात्कालिक योजनाओं से मिटा लें । वे योजनाएँ जनता की वृत्ति और प्रकृति के यथोचित अनुकूल होने पर ही बहुधा टिकती हैं और उनका उत्तरोत्तर जमाव हो कर उस से उस का सम्पादन करने वाली प्रजा के अनुकूल राज्यतंत्र उत्पन्न होता है । परन्तु जिस प्रजा की प्रकृति और अवस्था से वे योजनाएँ आप से आप उत्पन्न नहीं होतीं, उस प्रजा पर उनका बोझ डालने का प्रयत्न करना व्यर्थ होगा ।

अगर हम सोच लें कि ये दोनों मत स्वतः सम्पूर्ण समझ कर स्वीकार किये जाते हैं, तो इन में से कौन सा मत अधिक विचारशून्य है इसका निर्णय करना कठिन हो जाय । परन्तु किसी विवादप्रस्त विषय के सम्यन्ध में, मनुष्य जो सिद्धान्त अपना बना कर प्रगट करते हैं वह, उनका जो असली अभिप्राय होता है उस का, बहुत कर के अपूर्ण स्वरूप दियाता है । यह कोई भी नहीं मानता कि हर एक प्रजा हर तरह का राज्यतंत्र चलाने को समर्थ है । यान्त्रिक योजनाओं के पट्टर को अपने नगर में चाहे जितना ठीक मानें; परन्तु एक लोह लकड़ के औजार को भी कोई आदमी सिर्फ इसी बुनियाद पर नहीं पसन्द करता कि वह स्वयं श्रेष्ठ है । आदमी पहिले इस बात का विचार करता है कि उस से लाभ उठाने के लिये उस के साथ और जिस जिस सामान की जरूरत है, वह उस के पास है या नहीं । और विशेष करके जिस के हाथ से वह चलेगा, उस

आदमी में उस से काम लेने योग्य ज्ञान और कुशलता है कि नहीं । इस के विरुद्ध जो लोग राज्यतंत्र को सजीव सृष्टि मान कर उस के विषय में बात करते हैं, वे भी अपने को जैसा राजनीतिक दैववादी (अर्थात् जो लोग यह समझते हैं कि स्वभावतः जो राज्यतंत्र निर्मित हुआ है उस में मनुष्य से फेर बदल नहीं हो सकता, वे) दिखाते हैं, असल में वे वैसे नहीं हैं । वे यह भाव नहीं दिखाते कि मनुष्य-जाति जिस राज्यतंत्र की सत्ता के नीचे रहना चाहे, उस के विषय में उस की मरजी के लिये तनिक गुंजाइश नहीं है अथवा भिन्न भिन्न शासन-पद्धतियों से जो परिणाम निकलता है उस का विचार, कोई पास पद्धति पसन्द करने के लिये बिलकुल निरर्थक है । परन्तु यद्यपि प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष से विरोधभाव रखने के कारण अपने मत की बेहद अतिशयोक्ति करता है और अपने प्रगट किये हुए मत को ज्यों का त्यों हृदय से नहीं मानता तथापि ये दो मत दो विचार-पद्धति के बीच में मौजूद रहनेवाले गहरे भेद के अनुकूल हैं और दो में से एक का विचार सम्पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं है । यह स्पष्ट ही है । तथापि किसी का विचार सम्पूर्ण रूप से अवास्तविक नहीं है, यह भी स्पष्ट है । इस से हर एक की जड़ ढूँढ़ निकालने के लिये और हर एक में सत्य का जो अंश है, उसे काम में लाने के लिये हमें सज्ज करना चाहिये ।

अब आरम्भ में हमें याद रखना है कि (इस सिद्धान्त से चाहे कितनी अज्ञानता दिखायी जाय तो भी) राज्यतंत्र मनुष्य की सृष्टि है और उस का मूल तथा सारा अस्तित्व मनुष्य-संकल्प है । कुछ यह बात नहीं है, कि मनुष्य एक दिन गरमी में सवेरे जाग पड़े और उस को उगा हुआ देखे । पेड़ जहाँ एक बार लगा दिया कि फिर मनुष्य ऊँघता हो, तो भी

वह बढ़ता ही जाता है, उस को सी भी यह बात नहीं है । वह अपनी स्थिति की प्रत्येक अवस्था में, जैसा होता है, वैसा संकल्प पूर्वक मनुष्य-प्रयत्न से हुआ रहता है । इस से मनुष्य-कृत सारी वस्तुओं की तरह वह भी सुकृत या दुष्कृत हो सकता है, उस की योजना में विवेक और चतुराई से काम लिया गया होगा या इस के विरुद्ध बात हुई होगी । फिर कोई अनर्थ मालूम पड़ने से अथवा कष्ट पाने वाले में उस को रोकने का बल आ जाने से, उस का उपाय करने का अनुभव सिद्ध क्रम अनुसरण कर अंकुशित राज्यतंत्र सम्पादन करने में किसी प्रजा ने भूल की हो अथवा किसी याहरी घाधा के कारण वैसा करने में समर्थ न हुई हो, तो राजनीतिक उन्नति में पड़ा हुआ विक्षेप उस के लिये भारी हानिकारक हो जाता है । इस में सन्देह नहीं है; परन्तु इस से यह सिद्ध नहीं होता कि जो वस्तु दूसरे को लाभदायक मालूम पड़ी है, वह उस को भी लाभदायक न होती और अब भी अगर वह उस को अह्मीकार करने योग्य समझे, तो वह लाभकारी न हो ।

इस के विरुद्ध, राजनीतिक यन्त्र आप ही आप नहीं चल सकता यह बात भी याद रखने योग्य है । जैसे उस की प्रथम उत्पत्ति मनुष्य से है, वैसे उस का चलाना भी मनुष्य के हाथ में है और वह भी साधारण मनुष्य के हाथ में । उसे केवल उसकी सम्मति की आवश्यकता नहीं है वरंच उसमें उस के उत्साह पूर्वक भाग लेने की भी जरूरत है । और इस लिये जैसे मनुष्य मिलते हैं, वैसे मनुष्यों की शक्ति और गुण के अनुसार उस की रचना करनी चाहिये । इस विषय में तीन दशाओं का समावेश होता है ।

(१) जिस प्रजा के लिये जो शासन-पद्धति ठहरायी गयी हो, उसे स्वीकार करने के लिये वह राजी हो अथवा वह

उस से इस कदर नाराज न हों कि उस की स्थापना के मार्ग में कुछ अटल रुकावट डालें । (२) उस का अस्तित्व बनाये रखने के लिये जो जो काम करने की जरूरत हों, उस के लिये वह राजी और समर्थ हों और (३) शासन-पद्धति के अपना उद्देश्य सम्पादन करने में समर्थ होने योग्य जो जो कार्यों करने की जरूरत हैं, उन सब के करने को भी वह राजी और समर्थ हों । 'कार्य' शब्द में एति के साथ ही 'मीन', का अर्थ भी आया हुआ समझना चाहिये । जहाँ की हुई शासन-पद्धति को बनाये रखने के लिये, या जिम्मे उद्देश्य साधन की ओर उस का रुख होने से वह मान्य होती है उस उद्देश्य का सम्पादन करने को उसे समर्थ बनाने के लिये 'क्रिया' के तथा 'मीन' की जो जो दृशाएँ आवश्यक हैं, उन सब का सम्पादन करने को वह समर्थ हों ।

इनमें से किसी भी दृशा के अभाव से कोई भी शासन-पद्धति और किसी तरह चाहे जितना अनुकूल आशा दिग्गती हो तथापि ऐसे विशेष प्रसङ्ग में अनुकूल नहीं होती ।

पहिली रुकावट अर्थात् किसी शासन-पद्धति के विषय में प्रजा की लापरवाही को समझाने की काम ही जरूरत है; क्योंकि विचार में भी वह बात कभी ध्यान से यादर जाने वाली नहीं है । यह तो सदा होने वाली घटना है । उत्तर अमेरिका के इंडियन (आदि निवासी) किसी तरह, किसी से, मुख्यस्थित और मध्य राजतन्त्र के प्रतिबन्धन के अर्थान नहीं रहना चाहेंगे । * जो अफ़ली रोम साम्राज्य पर टकरा मरे उनके विषय में भी, कुछ कम ही क्यों न हों, ऐसा

* बंदर, गोप आदि रोम का साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट होने के बाद कई सदियों तक और पुरोप में क-यता का सामना हो कर ऐसा अंधेरे सब रहा था कि वह अंधकार का कमाना करवाता है । इत

ही कह सकते हैं। जब वे अपने सरदारों की मातहत में खड़ी हुई लड़ाइयों में नहीं फँसे थे, तब उनको भी नियमित सत्ता में रहना सीखने में सैकड़ों वर्ष का समय बीत गया और राज्यस्थिति केवल बदल गयी। कितनी ही प्रजाएँ ऐसी हैं जिन पर कोई खास वंश अनादि काल से शासन चलाने का हक भोगता आता है, उस के सिवाय वे और किसी को हुकूमत अपनी खुशी से नहीं मानती। कुछ प्रजाएँ ऐसी हैं कि विदेशी उन्हें जीत कर उन पर राज्य चला सकते हैं, उन के सिवाय दूसरे किसी राजा का शासन सहना उन्हें पसन्द नहीं होगा। दूसरी प्रजाएँ इसी हक पर प्रजा सत्ता के राज्य के विरुद्ध होती हैं। बहुधा यह रुकावट तुरन्त के लिये असाध्य हो जाती है।

और कितनी ही बार ऐसा होता है कि कोई प्रजा किसी खास शासन-पद्धति के विरुद्ध नहीं होती—वरंच उसे पाने को आतुर भी होती है—तथापि उस की शर्तें पूरा करने को नाराज या असमर्थ होती है, उस शासन-पद्धति को नाम के अस्तित्व में रखने की आवश्यक शर्त भी पूर्ण करने को अशक्त होती है। इस प्रकार कोई प्रजा स्वतन्त्र राज्यतंत्र पसन्द करती हो परन्तु अगर सुस्ती या बेपरवाही, या नामर्दी या सार्वजनिक उत्साह के अभाव से उस की रक्षा करने में असमर्थ हो अगर अपने ऊपर खुल्लमखुल्ला धावा होने पर लड़ने को राजी न हो, अगर घड़ छल से छीन लेने की साजिश में धोखा खा जाने वाली हो, अगर क्षणिक निराशा या तात्कालिक आस या किसी खास पुरुष के प्रति उत्साह के

अंधकार में से, अन्त को जब आधुनिक यूरोप का राज्य उत्पन्न हुआ, तब से कुछ सुव्यवस्था होने लगी।

आवेश में अपनी स्वतंत्रता चाहे जिस महा-पुरुष के अर्पण करने अथवा राज्य उलट देने वाली सत्ता उसे सौंप देने के लिये समझ ली जा सकने वाली हो, तो इन सब अवस्थाओं में वह स्वतंत्रता पाने के कर्मोपेय अयोग्य है। और अगर कुछ समय भी स्वतंत्रता हाथ में रही हो तो लाभदायक जँचने पर भी उस का अधिक समय तक टिकना सम्भव नहीं है। और कोई प्रजा किसी पास शासन-पद्धति में जरूरी फर्ज अदा करने में नाराज या असमर्थ होना है। कोई जंगली प्रजा यदि सभ्य समाज का लाभ किसी कदर समझती हो, तो भी उस में जिस मानसिक अकुश की जरूरत है उसे रमने में असमर्थ होती है; उस का मनोविकार ऐसा तीव्र होता है अथवा उस का अहंकार इतना निरंकुश होता है कि वह अपना घराऊ विरोध नहीं छोड़ती और उस के अमली या कल्पित कष्ट का धर लेने का काम कानून पर नहीं छोड़ देती; ऐसी दशा में सभ्य शासनतंत्र उन लोगों के लिये वास्तव में लाभकारी होने के निमित्त अधिकांश में निरंकुश होना आवश्यक है—यहाँ तक कि उसके ऊपर प्रजा की निज की सत्ता न हो, परन्तु उसकी कार्रवाई पर बहुत अंशों में प्रयत्न अंकुश रम्य सके; और जो प्रजा अपराधियों को दवा देने में कानून और राज्याधिकारियों को उत्साह से मदद नहीं देती, उसको नियमित और संकुचित से अधिक स्वतंत्रता के लिये अयोग्य मानना चाहिये। जिस प्रजा में अपराधी को पकड़ने की अपेक्षा उसे आश्रय देने की अधिक रुचि होती है; जो प्रजा अपने लूटने वाले के विरुद्ध गवाही देने का परिश्रम उठाने के बदले अथवा ऐसा करके अपने सिर धर बेसाहने के बदले हिन्दुओं की तरह भूटी गवाही देकर उसे बचा लेने में प्रसन्नता दिग्राती है; जो प्रजा अगर कोई आदमी आम सड़क

पर खंजर मारकर खून करे तो,—यह सोच कर कि इस विषय में जाँच-पड़ताल करने का काम पुलिस का है और उस से हमारा कुछ घास्ता नहीं उसमें मगज न लडाना ही अच्छा है—हाल की कुछ युरोपीय प्रजा की तरह, एक तरफ से चली जाती है; जो प्रजा अपराधियों की बढ़ती से घबराती है, परन्तु जिस को गुप्त हत्या से कंपकंपी नहीं छूटती—इन सब प्रजाओं के सम्बन्ध में अधिकारीवर्ग को दूसरे स्थानों की अपेक्षा बहुत अधिक फड़ाई से काम लेने का अधिकार सौंपने की जरूरत है। क्योंकि इस के बिना सभ्य-जीवन के प्रथम आवश्यक गुण को और किसी का आधार नहीं रहता। जंगली अथवा अस्थिर से तुरत बाहर निकली हुई प्रजा में मनोवृत्ति की यह जो शोचनीय स्थिति देखने में आती है, वह बहुत करके पहिले के खराब शासनतन्त्र का परिणाम होता है, इसमें सन्देह नहीं। क्योंकि उस के मन में उस शासन के अनुभव से यह ख्याल घुसा रहता है कि कानून हमारे लाभ के लिये नहीं; किसी दूसरे मतलब से बनाया जाता है और जो उस कानून को खुल्लमखुल्ला तोड़ता है, उस की अपेक्षा उस का जारी करने वाला अधिक बुरा शत्रु है। परन्तु जिन लोगों में ऐसी मानसिक वृत्तियाँ जन्मी होती हैं उनको इस विषय में अपना दोष चाहे जितना कम दिखाई दे और वे वृत्तियाँ अच्छी राज्यनीति से अन्त को भले ही दबा दी जा सकें तथापि जिस प्रजा की वृत्ति कानून की तरफदार होती है और जो उस को काम में लाने में उत्साह से मदद देने को राजी रहती है, उसके ऊपर जितना कम दबाव रखकर शासन किया जा सकता है, उतना कम दबाव रख कर ऐसी वृत्तियाँ वाली प्रजा पर, जब तक वे वृत्तियाँ बनी रहती हैं तब तक, शासन नहीं किया जा सकता। और अगर मत देने का

अधिकार रखने वाली धोखी में अपना मत देने के लिये आने लायक साधारण उत्साह भी न हो अथवा वे लोग मत देने आवें भी, तो अपना मत सार्वजनिक उद्देश्य से न दे कर रुपया लेकर दें अथवा जिस की उनके ऊपर चलती बनती हो या उसको जो अपने पास मतलय से उनको खुश करना चाहता हो, उस की सलाह के अनुसार मत दें, तो प्रतिनिधि शासन से थोड़ा ही लाभ होता है। चरंच उलटते यह डर रहता है कि यह (प्रतिनिधि-शासन) प्रजापीड़न और प्रपंच का हथियार न बन जाय। इस प्रकार का चुनाव अंधेर नगरी के राज्य से रक्षास्वरूप होने के बदले उस की यंत्र सामग्री में सिर्फ एक मददगार पहिया सा बन जाता है। इस सात्विक विग्रह के सियाप याहरी फडिनाइयां भी होती हैं और वे बहुधा अलंघ्य बाधा हो जाती हैं। प्राचीन काल में यद्यपि व्यक्तिगत और स्थानीय स्वतंत्रता रही होगी और बहुधा थी तथापि ऐसा नहीं था कि फुटफर नगर-मण्डली की सीमा के बाहर लोकप्रिय नियमित राज्यतंत्र सा कुछ हो। क्योंकि सार्वजनिक विषयों पर चर्चा चलाने के लिये एकही सभा-मण्डप में जो मनुष्य जमा हो सकते थे, उनकी मण्डली के बाहर लोकमत की उत्पत्ति और प्रसार के लिये प्राकृतिक साधन नहीं था। प्रतिनिधि-शासन-पद्धति जारी होने में यह बाधा दूर हुई है, साधारणतः यह माना जाता है। परन्तु यह बाधा सम्पूर्ण रूप से दूर होने के लिये, विश्विक्ति की और उसमें भी समाचार-पत्र द्वारा विश्विक्ति की जरूरत थी। क्योंकि इस से निकल * और फोरम † का हर तरह से पूरा

* Pnyx=ग्रोक देश के एथेन्स शहर की प्रजा के सभा करने का स्थान ।

† Forum=रोम शहर में कैसला सुनाने और ब्याख्यान देने का स्थान ।

पूरा नहीं तो असली मतलब सधता है। जनता की कुछ कुछ ऐसी अवस्था भी थी कि उस में कुछ भी बड़े प्रदेश का साम्राज्य नहीं टिक सकता था, वह बिना चले टूट कर एक दूसरे से स्वतंत्र माण्डलिक समान शिथिल बन्धन से जुड़े हुए छोटे छोटे राज्यों में बँट गया था। क्योंकि राज्यकर्त्ता में, बहुत दूर के प्रदेशों में हुक्म की तामील कराने की क्षमता जितनी चाहिए उतनी न थी। उस की सेना की वश्यता का मुख्य आधार उस की नमक-हलाली था और विशाल राज्य प्रदेश में पूरे बल से हुक्म मनवाने के लिये जिस 'सेना' की जरूरत थी, उसे खड़ी रखने के लिये उचित रकम लोगों से वसूल का साधन भी नहीं था। ऐसी स्थिति में कमोवेश रुकावट होती ही है। यह रुकावट कभी कभी इतनी बड़ी होती है कि अगर वह किसी खास शासन-पद्धति के लिये पूर्ण रूप से बाधक न भी हो अथवा उस को दूसरी किसी साध्य शासन-पद्धति की अपेक्षा प्रयोग में अधिक पसन्द करने योग्य होने में बाधा न भी डाले, तो भी उस का प्रबन्ध बहुत बुरी तरह से चलने का कारण हो जाती है। इस पिछले प्रश्न के निर्णय का आधार अभी हम जिस विचार पर आये नहीं हैं, उस के ऊपर अर्थात् भिन्न भिन्न शासन-पद्धतियों में सुधार करने के रुख पर है।

हमने अभी, जिस प्रजा पर जिस शासन-प्रणाली से राज्य करना होता है, उस प्रणाली के प्रति उस की अनुकूलता की तीन अंगीभूत दशाओं की जाँच-पड़ताल की है। अब अगर हम जिस राज्यनीति को "प्राकृतिक मत" * कहते हैं, उस के

* Naturalistic Theory—यह मत कि राज्यतंत्र कुद-रते प्राणो-वदार्य की तरह आप से आप उत्पन्न हो कर घटता बढ़ता है और उस के ऊपर मनुष्य का अधिकार नहीं चलता।

प्रवर्तक मात्र इन्हीं तीन शर्तों की आवश्यकता का धारण करना चाहते हैं; अगर वे इतना ही कहना चाहते हैं कि जो शासन-पद्धति पहिली और दूसरी शर्तों को पूर्णरूप से और तीसरी शर्त को बहुत अंश में पूरा नहीं करती, वह स्थावर हो कर नहीं रह सकती, तो उनका इस प्रकार का संकुचित मत निर्विवाद है। इस के अतिरिक्त वे जो कुछ कहना चाहते हैं उस का प्रतिपादन करना अशक्य है। राज्यतंत्र के सम्बन्ध में ऐतिहासिक आचार को, उम्र के साथ लौकिक आचार विचार के एकरूपता को और ऐसे ऐसे दूसरे विषयों की आवश्यकता के बारे में जो कुछ कहा जाना है, उस का मतलब इतना ही है; अन्यथा और किमां से मूल बात का कुछ सम्बन्ध नहीं है। हम में और इस के जैसे चर्चों में जो विवेक पूर्वक अर्थ समाया हुआ है उस के साथ, हम के विचार, केवल मानसिक तरंग भी बहुत कर के मिली हुई होती है। परन्तु व्यवहार दृष्टि से देखने में राज्यतंत्र के फटे जाने वाले वे आवश्यक गुण केवल उनको तीन शर्तें पूरा करने वाले अर्थात् अनुकूल साधन ही हैं। जब लोगों के विचार, शौक और ग्रासियत किसी नियम या नियमतंत्र का मार्ग नाक बिये रहती हैं, तब वे उन्हें मानने को अधिक आसानी से तय्यार होंगे, इतना ही नहीं, बरन् इस के साथ उन नियमों को संरक्षा के लिये तथा उनको इस रीति के अमल में लाने के लिये कि वे मद्य से श्रेष्ठ फल देने में समर्थ होंगे, उनको तरफ से जो जो कार्य होने को जरूरत है, उन कामों को अधिक आसानी से करना मांगेंगे और ऐसा करने को और उनको रुचि भी आरम्भ से ही अधिक रहेंगी। कोई कानून बनाने वाला ऐसे पुराने आचार विचार से जहाँ तक बने साम उठाने योग्य यथाय न करे, तो उम्र की मारी भूल समझना चाहिये।

इसके विरुद्ध इन केवल अनुकूल और मददगार साधनों को अंगीभूत अथवा की पदवी दे देना अतिशयोक्ति मात्र है। लोगों को जो मालूम रहता है, उसे करने के लिये वे लोग अधिक आसानी से समझाये जा सकते हैं। और वे उस को अधिक आसानी से करते भी हैं; परन्तु यह भी है कि जो बात उनके लिये नयी होती है, उस का करना भी सीखते हैं। परिचय भारी सहायक है, इस में सन्देह नहीं; परन्तु जो विचार पहिले नया होता है, उस का खूब मनन करने से परिचय हो जाता है। पहिले से न आजमाये हुए ऐसे विषयों के लिये सारी प्रजा के तत्पर हो जाने के अनेक दृष्टान्त हैं। नया काम करने के लिये और नयी व्यवस्था के अनुसार अपना चाल चलन बनाने के लिये प्रजा में कितनी सामर्थ्य है, यह भी इस प्रश्न का एक अंग है। भिन्न भिन्न प्रजाएँ और सभ्यता की भिन्न भिन्न अवस्थाएँ इस गुण में एक दूसरे से बहुत अलग पड़ जाती हैं। किसी शासन पद्धति की शर्तें पूरी करने के लिये किसी प्रजा की सामर्थ्य का निर्णय किसी साधारण नियम के आधार पर नहीं हो सकता। इस विषय में तो किसी प्रजा के सम्बन्ध में मिला हुआ ज्ञान और साधारण व्यवहार विवेक तथा दूरदर्शिता जो धतावे, उसी मार्ग पर चलना है। और एक विचार है उस को भी ध्यान से बाहर न जाने देना चाहिये। कोई प्रजा अच्छे नियम ग्रहण करने को तैयार न हो, तो भी उस के लिये उस के मन में उत्साह जगाना, उस की तैयारी का एक आवश्यक अंग है। किसी नियम या शासन-पद्धति की सलाह और उपदेश देना और उस का लाभ खूबसूरती के साथ दिखाना, उस को स्वीकार कराने या मांगने के लिये ही नहीं घेरंच उस के चलाने के लिये भी प्रजा के मन को सिखाने का एक साधन है और कितनी ही धार तो केवल

यही एक साधन होता है। पिछले और वर्तमान जमाने में इटली के देश-भक्तों के हाथ में "एकता सहित स्वतंत्रता" माँगने को उत्तेजित करने के सिवाय, इटालियन प्रजा को तय्यार करने का और कौन सा साधन था ? * ऐसा होने पर भी जो लोग ऐसा काम सिर पर लेने हैं उन्हें, जिस नियम या प्रणाली को सलाह देना हो उस के केवल लाभ के विषय में नहीं, बरंच उसके चलाने योग्य सात्विक, मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य के विषय में भी अपने मन में यथार्थ निर्णय करने की जरूरत है। इस लिये कि वे जहाँ तक हो सामर्थ्य के बाहर उत्साह दिखाने से बचें।

ऊपर जो कुछ कह आये उन सब का परिणाम यह है कि नियम और शासन-पद्धति, उपरोक्त बतायी हुई तीन शर्तों की सीमा में, मरजी के आधार पर है, जो एकान्ततः सब से श्रेष्ठ शासन-पद्धति कहलाती है, उसको ढूँढ़ना वैज्ञानिक बुद्धि का काल्पनिक नहीं बरंच अतिशय व्यवहारी उद्यम है और किसी देश की वर्तमान स्थिति में यथा सम्भव कुछ भी शर्त पूरा करने को समर्थ होने योग्य सब से श्रेष्ठ राज्यतंत्र जारी करना व्यवहारी उद्यम हाथ में लेने के समान है। मनुष्य-

* सन् १८६१ ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, उसी समय विक्टर इमानुएल राजा के अर्धान समग्र इटली का राज्य स्थापित हुआ था। इस के पहिले इटली देश की बहुत सा भाग विदेशी राज्य आस्ट्रिया के मातहत था। और जो छोटे छोटे देशी राज्य थे, वे भी उस के अधीन रहते थे। इटली को इस प्रकार विदेशी हुकूमत से छुड़ा कर विक्टर इमानुएल के हाथ में सौंपने बाबू वीर पुङ्ग' गेरी-बाल्डी' नाम का बहा सरदार था। इस "एकता सहित स्वतंत्रता" का पहिला उपदेशक मेज़िनी था।

संकल्प और मनुष्य-धारणा के प्रभाव को हेय गिनने के लिये जो कुछ इस के विरुद्ध राज्यनीति के सम्बन्ध में कहा जा सकता है, वह सब इस विषय में इस के दूसरे सभी उद्यम के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है । सब विषयों में मनुष्य-शक्ति बहुत संकुचित सीमा में है । किसी एक या अधिक दैवी शक्ति के योग से ही वह चल सकती है । इस लिये सोची हुई बात, काम में लाने योग्य शक्तियाँ जाग्रत होनी चाहियें; फिर वे शक्तियाँ अपने नियम के अनुसार ही कार रवाई करेंगी । हम नदी के प्रवाह को पीछे नहीं लौटा सकते; परन्तु इस से हम यह नहीं कहते कि 'जलयंत्र की उत्पत्ति कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है ।' यंत्रशास्त्र की तरह राज्यनीति शास्त्र में भी यंत्र को चलायमान रखने की शक्ति यंत्र-सामग्री के बाहर से प्राप्त करनी होती है । और अगर वह न मिले अथवा जिस रुकावट का होना सम्भव है, उसे दूर करने योग्य उसमें सामर्थ्य न हो, तो वह योजना निष्फल जायगी । यह कुछ राज्यनीति शास्त्र का ही खास गुण नहीं है; कहने का तात्पर्य इतना ही है कि यह भी दूसरे सब शास्त्रों की तरह मर्यादा और व्यवहार के अधीन है ।

यहां पर एक दूसरा उच्च अथवा भिन्न स्वरूप में वही उच्च हमारे सामने पेश किया जाता है । यह वहस की जाती है कि जिन शक्तियों पर बहुत बड़े राजनीतिक प्रसङ्ग निर्भर करते हैं, उनके ऊपर नीतिवेत्ता दार्शनिक की सत्ता नहीं चल सकती । यह कहा जाता है कि किसी देश का राज्यतंत्र, सब आवश्यक विषयों में, सामाजिक सत्ता के मूल अंगों के विभाग से बंधी उस देश की स्थिति द्वारा पहिले से ही नियमित और निश्चित हुआ रहता है । समाज में जो सब से प्रबल सत्ता होगी, वह शासन का अधिकार प्राप्त करेगी और राज्यतंत्र का फोर्ड

परिवर्तन उस से पहिले या उस के साथ समाज की सत्ता के संश्लेष के सम्बन्ध में न हुआ होगा, तो स्थायी नहीं रह सकता । इन से कोई भी राष्ट्र अपनी शासन-पद्धति मरजी के मुताबिक पसन्द नहीं कर सकता: सिर्फ सूझ ब्यवहारों विषय और प्रबन्ध व्यवस्था को वह पसन्द कर सकता है । परन्तु सब का सापेक्ष अर्थात् सर्वोपरि सत्ता का मूल तो उसके लिये सामाजिक व्यवस्था ही निर्दिष्ट करना है ।

यह तो मैं नुरत ही स्वीकार करता हूँ कि इस मन में सत्य का कुछ अंश है । परन्तु उस के कुछ उपयोगों होने के लिये उस की स्पष्ट व्याख्या और योग्य न्याया दायने की जरूरत है । यह जो कहा जाता है कि समाज में जो सब से प्रबल सत्ता होगी, वह राज्यतंत्र में भी सब से प्रबल होगी, इन का अर्थ क्या है ? अंगवत् से तो मंगल है ही नहीं; क्योंकि अंगवत् होने से केवल प्रजा सत्ताक शासन-पद्धति ही ठिक सकती है । अंगवत् के साथ अन्य सन्नति और दुर्जिद्वान के दूसरे दो तन्त्रों को शामिल करें, तो इन सत्य के बहुत फल आने लगे हैं; किन्तु उस तक नहीं पहुँचने । कितनी ही बार छोटा दान बड़े दान को अरने घर में रखता है, इतना ही नहीं; बरन्घ घन सन्नति और पृथक् पृथक् लुप्त दान में बड़े दान के अधिक प्रदान होने पर भी उनकी उससे इन दोनों बातों में हीन छोटा दान घर में रख सकता है । राष्ट्र-नीतिक प्रकरण में सत्ता के इन निम्न निम्न तन्त्रों की प्रदान करने के लिये उनका संगठन करने की जरूरत है; और संगठन करने में जिसके हाथ में राज्यसत्ता होती है, उसका और गिरेर रहना है । सत्ता के दूसरे सब तन्त्रों में बहुत दुर्बल वह भी, अब उसके साथ राज्यसत्ता का बन निगता है, तब बहुत प्रबल हो जाता है और इस एक ही साधन के योग से

अपना प्रभाव बहुत समय तक कायम रख सकता है । इतने पर भी जैसे कोई वस्तु कांटे (तराजू) के समतोलन में अगर एक बार भी विक्षेप में पड़ा तो फिर वह अपनी पहिली अवस्था में आने के बदले उससे और दूर चला जाता है, वैसा ही हाल ऐसी व्यवस्था वाले राज्यतंत्र का है । जिसको यंत्रशास्त्र में अस्थिर समतोलन कहते हैं । इस बात में सन्देह नहीं है ।

परन्तु राज्यनीति का यह मत प्रकाश करने में, जिन शब्दों का साधारण रीति से उपयोग किया जाता है उनमें इसके विरुद्ध इससे भी प्रबल बाधा आ पड़ती है । जो सामाजिक सत्ता राजनीतिक सत्ता हो जाने की ओर ढली रहती है, वह कुछ उदासीन—केवल निश्चेतन सत्ता नहीं, वरंच सचेतन सत्ता होती है । दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि वह दर असल अमल में लायी हुई सत्ता होती है; अर्थात् सारी वर्तमान सत्ता का वह बहुत अल्प अंश होती है । राजनीतिक ढंग से कहें तो सारी सत्ता का बड़ा भाग संकल्प-शक्ति में है । इससे, हम जब तक संकल्प-शक्ति पर सत्ता रखने वाले हर एक विषय को गिनती में न लें, तब तक राजनीतिक सत्ता के तत्त्वों का परिमाण कैसे लगा सकते हैं ? जिन के हाथ में सामाजिक सत्ता है, वे अन्त को राजनीतिक सत्ता धारण करते हैं । इसके लिये लोक-मत पर प्रभाव डाल कर राज्यतंत्र के गठन पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करना व्यर्थ है, ऐसा सोचना यह बात भूल जाने के समान है कि अभिप्रायः स्वयं एक सय से बड़ी सचेतन सामाजिक सत्ता है । श्रद्धा वाले एक मनुष्य की सामाजिक सत्ता केवल स्वार्थ वाले नित्यानवे मनुष्य की सत्ता के बराबर है । अमुक शासन-पद्धति या अमुक सामाजिक विषय पसन्द करने योग्य है, यह साधारण विचार उत्पन्न करने में जो लोग सफलता पाते हैं, वे

सामाजिक सत्ता अपने पक्ष में लाने के लिये यथा सम्भव चेष्टा करते हैं। जिस दिन पहिले धर्म के लिये मरने वाले को *जेरुसलेम में पत्थरों से मार मार कर मार डाला और विधर्मियों का मविष्य में होने वाला धर्मदूत † उसका मरण, स्वीकार करता हुआ गड़ा था, उस दिन किसने यह सोचा होगा कि पत्थरों की मार से मरने वाले उस मनुष्य के पक्ष की सामाजिक सत्ता उसी समय और उसी स्थान में, सय से प्रयत्न थी ? और ऐसा होना क्या परिणाम से सिद्ध नहीं हुआ ? क्योंकि उस समय की विद्यमान धरदा में उसकी धरदा सय से प्रयत्न थी। इसी तत्त्व ने घर्स (१) की राज-सना में सम्राट् (२) पांचवें चार्लस और वहां एकप्रित मय मारडलिक राजाओं की अपेक्षा विटेनबर्ग (३) के एक माधु(४)को अधिक यत्नवान सामाजिक सत्ताक यता दिया था।

* धर्म के लिये प्राण देने वाला सेण्ट एडोल्फ नामक ईसाई धर्म का उपदेशक, इस प्रकार ईसाई धर्म के लिये पहिली बार बलि चढ़ा था।

+ धर्म नहीं मानने वाले ईसाई और यहूदी धर्म से जुड़े धर्म के।

‡ परदेश में जा कर ईसाई धर्म का प्रवर्तन करने वाला। यह धर्मदूत युरोप में ईसाई धर्म का प्रवर्तन करने वाला पाल था।

(१) जर्मनी देश का एक शहर (२) रोम का राजा (१५१६-१५५६) और जर्मनी का सम्राट् (१५१९-१५५६) तथा नवीन आभिर्भूत अमेरिका का माडिक होने से वह युरोप में सब से बलवान् राजा था। परन्तु दूर के सामने उसकी कुछ न चली। उसने जर्मनी में नये पैन्डे हुए प्रोटेस्टैन्ट मत को दबा देने की बहुत चेष्टा की; परन्तु अन्त को विफल हुआ। (३) जर्मनी का एक शहर। (४) प्रोटेस्टैन्ट मत का खटाने वाला मार्टिन लूथर (१४८३-१५४६)

यह कहा जा सकता है कि इस प्रसङ्ग में धर्म का सम्बन्ध था और धार्मिक संकल्प में कुछ विलक्षण बल रहता है। तब हम एक केवल राजनीतिक प्रसङ्ग लेते हैं, जिस में अगर धर्म का कुछ भी सम्बन्ध था, तो वह मुख्य करके हारने वाले पक्ष की तरफ था। मानसिक भावना सामाजिक सत्ता का एक मुख्य तत्व है इस बात का अगर कोई प्रमाण चाहता हो, तो उसे चाहिये कि वह जब उदार और सुधारक राजा, उदार और सुधारक सम्राट् और सब से विचित्र बात यह कि उदार और सुधारक पोप के शासन रहित युरोप का कोई राज्य रहा हो, उस जमाने का अर्थात् महान फ्रेडरिक के, दूसरी केथरीन के, दूसरे जोसेफ के, पीटर लियोपोल्ड के, चौदहवें वेनीडिक्टे के, गैंगेनेली के, पाभ्याल के, आरंडा के, जमाने का जब नेपल्स का बुवॉन्स भी उदार और सुधारक था और फ्रांस के अमीर दल में सब उत्साही मनुष्य उस विचार में मस्त थे, जो थोड़े समय में आप ही भारी हो जाने वाला था, उस जमाने का विचार करे। (५) केवल शरीर-बल और धन-बल सारी सामाजिक सत्ता हो जाने में कितना असमर्थ है, इसका

वर्ष की सभा में जहां सम्राट् पंचम चार्लस केथलिक धर्माध्यक्ष और दूसरे माण्डलिक राजा जमा थे, वहां इसने जा कर अपने धार्मिक विचार निर्भय प्रगट किया था।

(५) फ्रांसीसी राज्य विप्लव के आरम्भ से पहिले का समय-महान फ्रेडरिक (१७७२-१७९६) प्राशिया का राजा और पहिले श्रेणी का राज्य बनाने वाला। इसने प्राशिया में बहुत कुछ सुधार किये थे। दूसरी केथरिन-रूस की महारानी (१७२९-१७९६) स्वयं मनमानी चाल वाली होने पर भी इसने महान पीटर की तरह देश

यह वास्तव में संशय-छेदक दृष्टान्त है । ब्रिटिश साम्राज्य में और दूसरे स्थानों में जिस दृशियों की (१) गुलामी का अन्त हुआ, वह कुछ जड़ सम्पत्ति के बँटवारे में फेर-फार होने के कारण नहीं, बरंच दृढ़ मानसिक संकल्प का प्रसार होने के कारण । रूस के (२) गुलामों का जो छुटकारा हुआ है, वह अगर कर्त्तव्य धर्म का विचार होने से न हुआ हो, तो भी राज्य के सच्चे लाभ के विषय में अधिक सुधरा हुआ मत प्रतिष्ठित होने से ही हुआ । मनुष्य का जो विचार होता है, उस से यह निश्चय होता है कि उसका आचरण कैसा होगा । और यद्यपि साधारण मनुष्य का मत और निश्चय उसकी विचार-शक्ति की अपेक्षा निज की वास्तविक स्थिति के आधार से अधिकांश में बनता है तथापि जिसकी निज की पदवी उससे अलग होती है, उसके मत और निश्चय का और विचारों की

में बहुत से गुहार किये और उसका विस्तार बढ़ाया । दूसरा जो-जेफ और पीटर लियोपोल्ड—जर्मनी के सम्राट और हगरी के राजा दो भाई थे । चौदहवां वेर्नाटिकट (१७४०-५८) और गैंगेनेली अथवा चौदहवां क्लेमेन्ट (१७६९-७५) रोम के दो गुहारक—रोम क्लेमेन्ट जिन्होंने स्वीडर राष्ट्र का मत बन्द किया था । पोम्पाळ (१६९८-१७८९) पुर्तगाल में बहुत से गुहार करने वाला । रोम के बुर्बोन राजकुमार डोन कार्लोस ने मोरिश और सिसली में सन् १७३५ में गद्दी स्थापित की, जो १८६१ तक उस कुल के हाथ में थी । (१) विलियम विलफोर्ड, बर्कार्सेन आदि के प्रयत्न से सन् १८३३ ईस्वी में गुलामी की घाल ब्रिटिश राज्य से एक करोड़ पाउण्ड के खर्च से नष्ट नाबूद हुई । (२) रूस के सम्राट दूसरे अलकजेण्डर ने १८६१ ईस्वी में गुलामी की प्रथा उठा दी । इससे १ करोड़ ३० लाख मनुष्य स्वतंत्र हुए ।

संयुक्त सत्ता का उसके ऊपर कुछ कम प्रभाव नहीं पड़ता । इससे जब विद्वानों के मन में साधारण तौर पर यह बात जमा दी जाय कि कोई सामाजिक व्यवस्था अथवा राजनीतिक या दूसरे नियम अच्छे हैं और अमुक बुरे हैं, एक पसन्द करने योग्य है और दूसरा धिक्कारने योग्य; तो यह समझना कि जिस सामाजिक धल के वजन से टिकने में वह समर्थ होता है, उस वजन ने एक की मदद से लाने में और दूसरी तरफ से खदेड़ने में बहुत अधिक सफलता पायी है । और किसी देश का राज्यतंत्र वैसा ही होता है जैसा होने को उसे सामाजिक सत्ताएं लाचार करती हैं—यह सिद्धान्त इसी अर्थ में सत्य है कि जनता की वर्तमान अवस्था में साध्य होने योग्य सारी शासन-पद्धतियों में से विवेकपूर्वक पसन्द करने के प्रयत्न में रुकावट न डाल कर उसके अनुकूल हो ।



दूसरा अध्याय ।

अच्छी शासन-पद्धति की पहिचान ।

अगर किसी देश के लिये (कुछ खास शर्तों की हद्द में) शासन-पद्धति पसन्द करने की चाल निकाली जा सकती है, तो अब इस बात की जांच करनी चाहिये कि यह पसन्द या चुनाव किस परीक्षा से किया जाय और किसी समाज के लाभ की वृद्धि करने में सब से अनुकूल शासन-पद्धति के विशेष चिन्ह क्या हैं ।

इसकी जांच-पड़ताल करने से पहिले राज्यतंत्र के खास कर्त्तव्य क्या हैं, इसका निश्चय करना आवश्यक जँचेगा । क्योंकि राज्यतंत्र के केवल एक साधन होने से उसकी

योग्यता का आधार उसके सोचे हुए उद्देश्य की अनुकूलता पर रहना चाहिये । परन्तु इस स्वरूप में प्रश्न उठाने से उस का हल करने में अपेक्षाकृत कम सहायता मिल सकेगी और समूचा प्रश्न दृष्टि के सामने आवेगा भी नहीं । क्योंकि पहिले राज्यतंत्रता का खास कर्तव्य कोई निश्चित वस्तु नहीं है, वह समाज की भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न और आगे बढ़े हुए राज्य की अपेक्षा पिछड़े हुए राज्य में बहुत फैला रहता है । दूसरे हम अपना लक्ष्य जब तक राज्य तंत्र के कर्तव्य की खास सीमा में रखेंगे, तब तक राज्यतंत्र अथवा राजनीतिक नियमों का लक्षण ठीक ठीक ध्यान में नहीं आ सकता । क्योंकि राज्यतंत्र का हित की ओर रुख तो अवश्य करके सीमाबद्ध होता है; किन्तु दुर्भाग्य से उसका अहित की ओर का रुख सीमाबद्ध नहीं होता । मनुष्य जिस प्रकार के और जिस कदर अनर्थ का पात्र है, उतना अनर्थ राज्यतंत्र उसके ऊपर करने में समर्थ होता है । परन्तु जो जो सुख सामाजिक जीवन में सम्भव हैं उन में से कोई सुख, राज्यतंत्र का गूठन उसकी प्राप्ति के जितना अनुकूल होता है और जितनी स्वाधीनता देता है उस से कुछ भी अधिक मिलना असम्भव है । सरकारी कर्मचारियों के परोक्ष प्रभाव के विषय में न कहें, तो भी उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की सीमा मनुष्य-जीवन की सीमा से जरा भी कम नहीं है । इसलिये मनुष्य-जाति के समूचे लाभ का सम्यग् ध्यान में रखे बिना समाज के सुख के विषय में राज्यतंत्र की सत्ता का विचार अथवा अन्दाजा ठीक तौर पर नहीं किया जा सकता ।

इस प्रकार अच्छे और धुरे राज्यतंत्र की पहिचान के तौर पर समाज के समूचे लाभ जैसा जटिल विषय दृष्टि के सामने रखने को लाचार होने से हम उस लाभ का कोई धेणी

विभाग करने का प्रसन्नता से प्रयत्न करेंगे कि जिस से उस निर्धारित श्रेणी विभाग के अपने सामने होने से, हम जिन गुणों द्वारा कोई शासन-पद्धति भिन्न भिन्न लाभों को कम से बढ़ाने में समर्थ होती है, उनका स्वरूप जान सकें। हम यह कह सकें कि समाज की भलाई में ऐसे ऐसे तत्व सन्निविष्ट हैं; इन में से एक को ऐसी शर्त की आवश्यकता है; दूसरे को दूसरी शर्त की; तो हमारा काम बहुत सहल हो जाय; जिस राज्यतन्त्र में ये सब अवस्थाएँ सब से अधिक परिमाण में सन्निविष्ट हों उसके सब से बढ़िया होने की बात होती तो समाज की अच्छी स्थिति में सन्निविष्ट तत्व सम्बन्धी सिद्धान्तों से राज्यनीति-शासन का गठन हो सकता।

दुर्भाग्यवश जिन से ऐसे सिद्धान्त निकाले जा सकते हैं, उन सामाजिक हित के तत्वों की गणना करना या श्रेणी बांधना कुछ सहज काम नहीं है। जिन्होंने पिछले जमाने में और हाल के जमाने में राज्यनीति शास्त्र पर कुछ गहरी दृष्टि डाली है, उनको इस श्रेणी-विभाग की आवश्यकता जान पड़ी है; परन्तु अभी तक उस ओर जो प्रयत्न हुआ है वह, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एकही कदम है। समाज की जरूरतों का फ्रांसीसी तत्वज्ञानियों की भाषा में नियम और उन्नति और अंगरेज़ कवि तथा दार्शनिक कोलेरिज (१७७०—१८३४) के शब्दों में स्थिति और उन्नयन—वस इतने विभाग के साथ इस श्रेणी का आरम्भ और अन्त होता है। इसके दो अंगों में स्पष्ट दिखाई देनेवाले विरोध के कारण और जिनकी वृत्तियों को वह उत्तेजित करती है उस में विलक्षण भेद रहने के कारण यह विभाग ठीक और मोहक जँचता है। परन्तु मुझे ऐसा जान पड़ता है कि (लौकिक विवेचन के कारण यह भेद चाहे जिस तरह ग्रहण किया जाय तो भी) नियम या स्थिति

और उद्यति के बीच का भेद राज्यतंत्र के गुणों की व्याख्या करने में लगाया जाय, तो यह अर्थज्ञानिक और अयास्त्यिक है।

नियम और उद्यति के माने क्या ? उद्यति के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई नहीं है। अन्ततः पहिली नजर से दिग्यार देने वाली कोई कठिनाई नहीं है। उद्यति को जनता की एक जरूरत कह सकते हैं अर्थात् उद्यति का अर्थ सुधार है। परन्तु नियम क्या है ? इसका अर्थ कितनी ही बार अधिक और कितनी ही बार कम विशाल होता है, तथापि जनता के सुधार के सिवाय दूसरी जो जो जरूरतें हैं उनको यह मुश्किल से प्रगट करता है।

नियम का स्वयं से सकीर्ण अर्थ अधीनता है। राज्यतंत्र जब जनसमूह को अपने पक्ष में रखने में सफलता पाता है तब यह कहा जाता है कि यह नियम रम्यता है। परन्तु अधीनता के दरजे भिन्न भिन्न होते हैं और हर एक दरजा पमाने योग्य नहीं। प्रत्येक नागरिक अलग अलग हाकिमों के हर एक दुकम को धुन करके मान ले ऐसा तो केवल निरंकुश न्येच्छाकारी राज्य ही चाहता है। यह सच है कि जो दुकम मामूली और साफ कानून की सूत्र में हो उसका समावेश इस परिभाषा में होना चाहिये। इस मतलब का नियम पेशक राज्यतंत्र का एक आवश्यक गुण दरसाता है। यह नहीं कहा जा सकता कि जो लोग अपना दुकम मनवाने को असमर्थ हैं, वे राज्य करते हैं। यद्यपि यह राज्यतंत्र की एक आवश्यक शर्त है तथापि यह उसका उद्देश्य नहीं है। उन्हें अपनी आशा मनवाने को जो जरूरत है, यह इस लिये कि कोई दूसरा उद्देश्य साध सके। यह जो दूसरे सुधार के भाषार्थ से केवल निराला उद्देश्य राज्यतंत्र को साधना है और जो स्थितिपरायण या उप्रतिपरायण प्रत्येक जनता में

साधना है, वह उद्देश्य क्या है अथ हमें यह ढूँढ़ना है ।

कुछ अधिक विशाल अर्थ में लें, तो नियम घराऊ उपद्रव को रोक कर शान्ति रखने का भाव दरसाता है । जिस देश की प्रजा आपस का भगड़ा भीतरही भीतर अपने बल से बन्द कर देती है और अपनी तकरार का फैसला तथा अपनी हानि का समाधान करने का काम सरकारी अधिकारियों को सौंपना सीखे हुई होती है, कहा जाता है कि वहां नियम रहता है । परन्तु पहिले संकीर्ण अर्थ की तरह इस अधिक विशाल अर्थ में भी नियम राज्यतंत्र का हेतु या उसकी उत्कृष्टता का लक्षण नहीं है, वरंच उसकी एक दशा ही दरसाता है । क्योंकि राज्यतंत्र की आज्ञा में रहने का और सब विचारप्रस्त विषय निबटेरे के लिये उसके अधिकार में सौंपने का रिवाज अच्छी तरह मजबूत हुआ हो, तो भी इन विवाद-प्रस्त विषयों का और दूसरे जिन विषयों में राज्यतंत्र सिर लड़ावे उनका फैसला करने की रीति में,—सब से अच्छे और सब से खराब में जितना अंतर है—उतना बड़ा भेद पड़ सकता है ।

जिनका समावेश उन्नति के अर्थ में नहीं हो सकता. उन सब का समावेश नियम के अर्थ में करना चाहें, तो उसकी ऐसी परिभाषा करनी चाहिये कि जितने तरह की और जितनी भलाइयां मौजूद हैं उनकी रक्षा करना नियम है और बढ़ती उन्नति है । इस विभाग के एक या दूसरे अंग में हम राज्यतंत्र से जो जो काम कराने की आशा रख सकते हैं वे सब समा जाते हैं । परन्तु ऐसा विचारने से राज्यनीति तत्वशास्त्र की गिनती में नहीं रहती । राज्यतंत्र को गठन करने में हम यह नहीं कह सकते कि अमुक धारा नियम के लिये बनाना चाहिये और अमुक धारा उन्नति के लिये । क्योंकि इस समय के बताये हुए अर्थ में नियम की शर्त और उन्नति

कां गुण एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, वरंच एकही हैं। विद्यमान सामाजिक हित को बनाये रखने की ओर जिसका रुख होना है वही साधन उसके बढ़ती की ओर भी ढकेलता है और इस से उलटा भी ऐसा ही समझना: भेद इतना ही है कि पहिले उद्देश्य की अपेक्षा दूसरे उद्देश्य के लिये यह साधन अधिक परिमाण में चाहिये ।

उदाहरण के तौर पर कहते हैं—पृथक् पृथक् नागरिकों में क्या क्या गुण होने से वे समाज में विद्यमान सदाचार, सुव्यवस्था, सफलता और सन्नति का परिमाण बनाये रखने में सय से अधिक सहायक होते हैं? प्रत्येक मनुष्य स्वीकार करेगा कि ये गुण उद्योग, ईमानदारी, न्याय और दूरदर्शिता हैं। परन्तु क्या ये ही गुण सुधार के लिये भी अधिक सहायक नहीं हैं? जनता में इन गुणों की वृद्धि ही क्या सय से बड़ा सुधार नहीं है? ऐसा है तो राज्यतंत्र के जो जो गुण उद्योग, ईमानदारी, न्याय और दूरदर्शिता को उत्तेजित करते हैं वे स्थिति और उप्रति के एक समान भद्दगार हैं: भेद इतनाही है कि जनता को सिर्फ स्थायी रखने में जिस कदर इन गुणों की आवश्यकता है, इसमें अधिक परिमाण में वास्तविक उप्रति के लिये आवश्यकता है ।

किर मनुष्य में ऐसे क्या गुण हैं जिनका उप्रति से विशेष सम्बन्ध दिखाई देना है और जो उतना स्पष्ट नियम और संरक्षण का भाव सूचित नहीं करते? ये गुण मुख्य कर के मानसिक चंचलता, उन्साह और साहस हैं। परन्तु क्या ये सय गुण विद्यमान हित की वृद्धि करने में जिस कदर चाहिये उसी कदर उस हित को पूर्ण रूप से बनाये रखने के लिये आवश्यक नहीं हैं? मनुष्य के कार्य व्यवहार में अगर कुछ धान निश्चित है, तो वह यह है कि जिन शक्तियों द्वारा अमूल्य लाभ प्राप्ति

हुआ रहता है, उन शक्तियों के कायम रहने से ही वह लाभ बना रह सकता है । जिस वस्तु का सम्हालना छोड़ दिया जाता है, उसका अवश्य विनाश होता है । जो लोग सफलता पर भूल कर अपनी सावधानता और विचारशीलता की टेव और अनिष्ट का सामना करने की मुस्तैदी टोली कर देते हैं, उनका सौभाग्य बहुत काल तक कदाचित्ही बना रहता है । जो मानसिक गुण केवल उन्नति के ही 'अर्पण हुआ जान पड़ता है और जो उन्नति की अनुकूल वृत्तियों की पराकाष्ठा है, वह अपूर्व कल्पना या आविष्कार शक्ति है । फिर भी, यह गुण स्थिति के लिये कुछ कम आवश्यक नहीं है । क्योंकि मनुष्य के कार्य व्यवहार में, अवश्य होनेवाली उथल-पुथल में नयी अड़चन और नया भय सदा सड़ा होता रहता है और जो पहिले से जारी हो उस व्यवस्था को जारी रखने के लिये नये उपाय और नयी युक्ति द्वारा उस अड़चन और भय से टकर लेनी पड़ती है । इस से राज्यतन्त्र के जिन जिन गुणों में चंचलता, उत्साह, साहस और आविष्कार-शक्ति को उत्तेजन देने की प्रवृत्ति होती है, वे उन्नति की तरह स्थिति के लिये भी आवश्यक हैं । भेद इतना ही है कि पहिले हेतु के लिये जिस कदर चाहिये उस से कुछ कम दूसरे उद्देश्य के लिये ।

अथ हम जनता के आवश्यक मानसिक गुण की ओर से याहरी प्राकृतिक गुण की ओर आते हैं तो ऐसी योजना दिखाना असम्भव है जो राज्यतन्त्र में या सामाजिक कार्य व्यवहार में केवल नियम वा केवल उन्नति को उत्तेजन देती हो । दृष्टांत के तौर पर पुलिस का साधारण महकमा लो । सामाजिक व्यवस्था के इस अंग की योग्यता में जिस उद्देश्य का लाभ सब से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वह नियम है । तथापि

यह नियम बनाये रखने में समर्थ हों अर्थात् अपराध दबाये और हर एक आदमी को अपना शरीर और सम्पत्ति सही सलामत मानने को शक्तिमान करे, तो क्या इससे बढ़कर दूसरी कोई अवस्था उन्नति के अधिक अनुकूल हो सकती है? सम्पत्ति की अधिक रक्षा अधिक आमदनी का एक भारी मौका और कारण है और सब से अधिक परिचित और गौरवविचार के अनुसार यह उन्नति है। अपराध की बहुत अधिक गकावट अपराध करने की ओर भुक्नेवाली गृहियों को दबाती है और यह कुछ अधिक ऊंचे अर्थ में उन्नति है। अधूरी रक्षावाली अवस्था की सारी किम्व और चिन्ता से मनुष्य का लुप्तकारा होने पर अपनी और दूसरे की स्थिति सुधारने के किसी भी नये प्रयत्न में भिड़ने के लिये उम्मीदमन-शक्तियाँ दृष्टता हैं और इसी कारण से, उसे सामाजिक जीवन पर प्रीति होने में, और अपने जाति भाइयों को नुग्न के या भविष्य के शत्रु रूप में देखने की शय झरुक्त न रहने में, दूसरों के प्रति स्नेह और संयु भाव का और जनता के साधारण हित के प्रति उमंग की गृहियों का—जो सामाजिक सुधार के इतने आवश्यक अंग है, पोषण होता है।

फिर कर और आय की अच्छी पद्धति जैसे प्रसिद्ध विषय को लो। यह विषय बहुत करके नियम से सम्बन्ध रखता हुआ जान पड़ेगा। तथापि इससे बढ़ कर उन्नति के लिये मददगार और क्या होगा? आय की जो पद्धति एक उद्देश्य को उत्तेजन देती है, वह अपने उसी उत्तम गुण के कारण दूसरे उद्देश्य को भी मददगार हो जाती है। दृष्टान्त के तौर पर यह सकते हैं कि मितव्ययता राष्ट्र की सम्पत्ति की मौजूद पंजी को जिस तरह बनाये रखती है, उसी तरह उसकी अधिक उत्पत्ति के अनुकूल होती है। कर के बोझ का याजिरी यंत्रणा

प्रत्येक नागरिक के सामने कठिनाई भरी व्यवस्था में दिखायी हुई नीति और शुद्ध बुद्धि का दृष्टान्त और सब से बढ़ कर अधिकारियों की की हुई इन गुणों की कदर का सबूत मान कर, दृढ़ता और विवेक दोनों गुणों के सम्यन्ध में, जनता की सांख्यिक वृत्तियाँ चमकाने में उत्तम दर्जे का साधन हो जाता है। ऐसा कर विधान की पद्धति—जो नागरिकों के उद्योग में बाधा न डाले या न उसकी स्वतंत्रता में बिना कारण रुकावट हो,—राष्ट्र की सम्पत्ति की संरक्षा के ही नहीं वरन् उसकी वृद्धि के भी अनुकूल होती है और प्रत्येक स्वतंत्र मनुष्य की मन शक्तियों को अधिक उत्साह से काम में लगाने को उत्तेजित करती है। इसके विरुद्ध आय और कर की व्यवस्था में होने वाली जो भूलें सम्पत्ति और नीतिके विषय में लोगों की बढ़ती होने से रोकती हैं वे सब अगर बहुतायत से हों, तो उनको निर्धन और अधम बनाने में मददगार हुए बिना भी नहीं रहतीं। सारांश, एक ऐसा सार्वजनिक सिद्धान्त है कि नियम और स्थिति को अगर हम विद्यमान लाभ की स्थिति के सब से विशाल अर्थ में लें, तो उन्नति के आवश्यक साधन बहुत अधिक परिमाण में नियम के आवश्यक साधन हैं और स्थिति के आवश्यक साधन कुछ कम परिमाण में उन्नति के आवश्यक साधन हैं।

नियम उन्नति से वास्तव में भिन्न है और विद्यमान हित—मौजूदा भलाई के कामों की रक्षा और अधिक भलाई के आरम्भिक श्रेणी विभाग का आधार होने के लिये जो चाहिए उससे भिन्न है—इस पक्ष की पुष्टि में शायद हम से यह कहा जायगा कि उन्नति कभी कभी नियम को तोड़ कर भी होती है; हम एक तरह की भलाई पा रहे हैं या पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरह की भलाई के विषय में पीछे

भी पड़ रहे हैं। इस प्रकार सम्पत्ति में उन्नति हो रही हो
 नो भी, उसी वक्त सद्गुण में अधोगति होती है। यह बात
 स्वीकार करें, तो भी इससे यह नहीं सिद्ध होता कि उन्नति
 स्थिति से भिन्न वस्तु है, बल्कि सद्गुण सम्पत्ति से भिन्न वस्तु
 है। उन्नति माने स्थिति और कुछ विशेष। और एक विषय
 में उन्नति सब विषयों में स्थिति नहीं सूचित करती यह कहना
 कुछ उसका जवाब नहीं है। इसी तरह एक विषय में उन्नति
 भी सब विषयों की उन्नति नहीं सूचित करती। जिस तरह की
 उन्नति हो उसमें उसी तरह की स्थिति का समावेश होना है।
 जब एक तरह की उन्नति के लिये स्थिति का त्याग किया
 जाता है, तब दूसरी तरह की उन्नति का इससे भी अधिका-
 न्याय हो जाता है। अगर यह त्याग के योग्य न हो, तो सिर्फ
 स्थिति के लाभ से लापरवाह नहीं की जाती, परंच उन्नति
 के साधारण लाभ के विषय में भी भूल की जाती है।

अच्छे राज्यतंत्र के विचार को वैज्ञानिक सूक्ष्मता के मूल
 आधार पर छोड़ने के प्रयत्न में, अगर इस अयोग्य रीति से
 विरोध में पड़ी हुई भावनाओं का कुछ भी उपयोग करना ही हो,
 तो व्याख्या में से नियम शब्द निकाल कर यह कहना वास्तव में
 अधिक यथार्थ होगा कि उन्नति के लिये अगर कोई सब से
 अधिक अनुकूल है, तो यह सब से बढ़िया राज्यतंत्र है। क्योंकि
 उन्नति में नियम का समावेश होता है, परन्तु नियम में उन्नति
 का नहीं होता। नियम जिस वस्तु का छोटा अंश है उन्नति
 उसका बड़ा अंश है। दूसरे किसी अर्थ में लें तो नियम अच्छे
 राज्यतंत्र की पहिली शर्तों का केवल एक भाग है; कुछ उस
 का भाव और तत्व नहीं है। नियम का अधिक योग्य स्थान तो,
 उन्नति के अयसरों में है। क्योंकि अगर हम अपने हित की
 पूँजी बढ़ाना चाहें, तो अपने पास हाल में जो हो उसकी

उचित सम्हाल करने से बढ़कर और कुछ आवश्यक नहीं है । अगर हम अधिक धन पैदा करने के लिये परिश्रम करते हों, तो अपने वर्तमान धन को व्यर्थ न गँवायें यह हमारा सब से पहिला नियम होना चाहिये। ऐसा सोच लेने पर नियम उन्नति के साथ शान्ति में रखने योग्य विशेष उद्देश्य नहीं है, वरच उन्नति का ही एक भाग और साधन है । एक विषय में मिले हुए लाभ से उसी विषय में अथवा दूसरे किसी विषय में उसकी अपेक्षा अधिक नुकसान हो, तो वह उन्नति नहीं हुई । ऐसे भावार्थ घाली उन्नति की अनुकूलता में राज्यतंत्र की सारी उत्कृष्टता का समावेश होता है ।

यद्यपि अच्छे राज्यतंत्र के लक्षण की यह व्याख्या तात्विक-विचार से प्रतिपादित करना सम्भव है तथापि यह यथार्थ नहीं है; क्योंकि यद्यपि इसमें सत्य पूरा पूरा है तथापि यह स्मरण तो एक ही भाग का कराता है । उन्नति शब्द जो भाव सूचित करता है वह आगे बढ़ने का है, परन्तु यहां तो इसमें अवनति से रोकने का अर्थ भी उसी कदर समाया हुआ है । उन साधनों की—उन्हीं विचार वृत्ति, रिवाज और आचार की—जनता को आगे बढ़ाने के लिये जितनी जरूरत है, उतनी ही उसको अवनति से रोकने के लिये भी है । सुधार की कुछ अपेक्षा न करने पड़े तो भी वर्तमान स्थिति में जिन्दगी को अवनति के कारणों का सामना करने में कम कठिनाई नहीं पड़ती । प्राचीन प्रजाओं के विचारों में सारी राज्यनीति इतने ही में संमायी रहती थी । मनुष्य का और उसकी वृत्ति का स्वाभाविक रुख अधोगति की तरफ होता है; तो भी यह रुख, अच्छी धारा नीति पूर्वक काममें लाने से प्रायः बहुत समय तक रोका जा सकता है । यद्यपि इस समय हम इस अभिप्राय को स्वीकार नहीं करते; यद्यपि वर्तमान समय में मनुष्य इससे

स्थिति को इतना ही अयोग्य हो जाता है। यह शब्द जो मूल विरोध दर्शाता है, यह जिस कदर उसके मुकाबले के मनुष्य-स्वभाव के नमूने में है, उस कदर उन वस्तुओं में नहीं है। हम जानते हैं कि कितने मनुष्यों के मन में सावधानता का गुण होता है और कितनों के मन में साहस का; जहाँ कितनों के मन में पुराना लाभ सुधारने और नया लाभ प्राप्त करने की उत्तेजना देनेवाली वृत्ति की अपेक्षा अपने पास जो मौजूद हो उसको जोगिम में डालने से दूर रहने की इच्छा प्रबल होती है, वहाँ कितनों के मन में इस से उलटी रुचि होती है और वे मौजूदा भलाई को सम्हालने की अपेक्षा भविष्य भलाई के लिये अधिक आतुर होते हैं। दोनों के उद्देश्य के लिये मार्ग तो एक ही है, परन्तु उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में उतरने की सम्भावना है। यह विचार कोई राजनीतिक संस्था बनाने के लिये आवश्यक है। उसमें दोनों तरह के मनुष्य लेने चाहिये कि जिस से एक की वृत्तियाँ जहाँ सीमा से बाहर जाती हों, वहाँ उस पर उचित परिमाण में दूसरे का दबाव पड़े। इस उद्देश्य में बाधा डालने वाला कोई तत्व न घुसाने का ध्यान रखा हो, तो उसको साध्य करने के लिये किसी आम नियम की जरूरत नहीं है। जो लोग बूढ़े और जवान की पदवी और प्रतिष्ठा पा चुके हैं, और जो अभी पाने को हैं, उनका स्वाभाविक और आप से आप हुआ मिलाव, अगर इसके स्वाभाविक समतोलन में कृत्रिम नियम बंधन से विक्षेप न पड़े, तो साधारण तौर पर यह मतलब पूरा करेगा।

सामाजिक-कार्य-प्रसंग के धैर्य-विभाग के लिये साधारण तौर पर स्वीकार किये हुए भेद में, उस कारण से उचित गुण नहीं है, इस से इस प्रयोजन के अधिक अनुकूल आने योग्य दूसरा कोई सामने पड़ने वाला भेद ढूँढ़ने की जरूरत है।

आगे मैं जिस विवेचन पर आता हूँ, यह इस भेद को सूचन करता हुआ मालूम पड़ेगा ।

हम अपने आप से यह प्रश्न करें कि अच्छे राज्यतंत्र के आधारके, उसके सय से गौण से लेकर सय से उच्च तक के सभी अर्थ में, क्या कारण और शक्तें हैं, तो हमें मालूम होगा कि जिस के ऊपर राज्यतंत्र का अमल होता है, उस समाज के मनुष्यों का गुणसय से मुख्य और दूसरों से परम उत्कृष्ट है ।

पहिले दृष्टान्त के तौर पर हम न्याय की व्यवस्था को लेते हैं और ऐसा करना बहुत उचित है । क्योंकि राज-शाज का दूसरा कोई विभाग ऐसा नहीं है, जिस में सिकंयंत्र सामग्री ही अर्थात् सूदम कार्य व्यवहार के लिये बनाये हुए नियम और युक्तियाँ इतने बड़े अन्तर के लिये आवश्यक जँचती हों । फिर भी, उसकी आवश्यकता उस काम में फंसे हुए मनुष्य के गुण की आवश्यकता से घट कर है । यदि प्रजामन की स्थिति ऐसी हो कि गवाह आमतौर पर भूट बालें और न्यायकर्त्ता और उसके मातहत आदमी घूस लें, तो न्याय का उद्देश्य पूरा करने में कार्य-व्यवहार को धारा क्या कर सकेंगी ? फिर शहर के प्रबन्ध के बारे में ऐसी लापरवाही हो कि जो लोग ईमानदारी और हांशियारी में इन्तजाम कर सकते हैं, नौकरी बजाने को न उसकाये जायँ और जो लोग अपना कुल्लु खास मतलब गांठने के लिये आगे बढ़ते हैं, उनके हाथ में काम सोंपा जाय, तो उनका इन्तजाम अच्छी तरह चलाने में दकारण क्या मदद कर सकेंगी ? अगर पार्लामेण्ट के लिये सभासद चुनने वाले सय से अच्छा सभासद चुनने की परवा न करें, वरंच जो आदमी अपने चुनाव के लिये सय से ज्यादा पैसा राचें उसको पसन्द करें, तो सय से विशाल जन-सम्मत प्रतिनिधि-शासन-प्रणाली

किस काम की है ? जिस प्रतिनिधि सभा के सभासद रिश-
 यत लें या अपने क्रोधी प्रकृति को साधारण शिक्षा या आत्म-
 संयम से अंकुश में न रख सकने से शान्त-विचार करने में
 असमर्थ हों और सभा-स्थल में मार-पीट करें या एक दूसरे
 पर घट्टक छोड़ें तो वह सभा क्योंकर अच्छा काम कर
 सकेगी ? फिर जो लोग अपने में से एक मनुष्य को किसी
 विषय में सफलता प्राप्त करते देख कर उसकी सहायता करने के
 बदले उसे निष्फल करने के लिये गुप्त साजिश करें, वे डाही
 मनुष्य राज्यतंत्र या कोई भी संयुक्त कार्य्य अच्छी तरह कैसे
 चला सकेंगे ? जब मनुष्यों की साधारण वृत्ति ऐसी हो कि
 प्रत्येक स्वतंत्र मनुष्य खाली अपने लाभ की परवा करे और
 सब के साधारण लाभ में उसका जो भाग है, उसका विचार
 या परवा न करे, तब ऐसी स्थिति में अच्छा राज्यतंत्र असम्भव
 है । अच्छे राज्यतंत्र के सभी तत्वों को बाधा देनेवाली बुद्धि
 की कच्चाई का जो जोर होता है, उसके लिये दृष्टान्त की
 जरूरत नहीं है । राज्यतंत्र मनुष्यों के किये हुए कृत्य का
 समुदाय है और अगर कार्यकर्त्ता या कार्यकर्त्ताओं को पसन्द
 करने वाले अथवा कार्यकर्त्ता जिनके सामने जवाबदेह होते
 हैं वे अथवा जिन्हें बाजीगरों की तरह इन सब पर प्रभाव
 डाल कर अंकुश में रखना चाहिये वे केवल अज्ञानता, जड़ता
 और हानिकारक चहमों के भंडार ही हों, तो राज्यतंत्र की हर
 एक काररवाई गलत होगी । परन्तु ज्यों ज्यों मनुष्य इस दरजे
 से ऊँचे चढ़ते जायेंगे, त्यों त्यों राज्यतंत्र सुधरता जायगा । यहां
 तक कि अंत को राज्यतंत्र के अधिकारी स्वयं उत्तम सद्गुण और
 बुद्धियाले मनुष्य होकर सद्गुणी और विवेकी सार्वजनिक अभि-
 प्राय के वायु मण्डल में लिपटी रहने वाली साध्य, परन्तु अभी
 तक कहीं न दिखाई देनेवाली उत्कृष्टता के विन्दु पर पहुँचेंगे ।

अथ जय कि अच्छे राज्यतंत्र का प्रथम तत्त्व समाज के मनुष्यों का सद्गुण और वृद्धि है, तब किसी शासन-पद्धति में उत्कृष्टता का जो सब से आवश्यक तत्त्व हो सकता है, वह यह है कि वह अपनी प्रजा के सद्गुण और वृद्धि को चमकाने के लिये कितनी तरह का राजकीय नियमतंत्र हो उसके संबन्ध में पहिला प्रश्न यह है कि वह समाज के मनुष्यों में भिन्न भिन्न सात्विक और मानसिक इष्टगुणों अथवा (वेन्यम के अधिक पूर्ण श्रेणी विभाग का अनुसरण करें तो) सात्विक, मानसिक और उत्साही इष्टगुणों का पोषण करने में कितना अनुकूल है। जो राज्यतंत्र यह कार्य सब से अच्छी रीति पर करता है, उसका और सब विषयों में सब से अच्छा होना सम्भव है। क्योंकि लोगों में ये गुण जिस कदर होते हैं, उसी के आधार पर राज्यतंत्र का व्यवहारी प्रयत्न अच्छा होना सम्भव है।

इस लिये सारी जनता में और पृथक् पृथक् मनुष्यों में अच्छे गुणोंकी वृद्धि को राज्यतंत्र में कितनी रुचि है, इसको हम अच्छे-पन को एक कसौटी मान सकते हैं। क्योंकि उनका हित ही राज्यतंत्र का एक उद्देश्य है और उनके अच्छे गुण यंत्र-सामग्री को चलाने वाली शक्ति एकट्ठा करते हैं। अब राज्यतंत्र की श्रेष्ठता का दूसरा अंगीभूत तत्त्व यंत्र सामग्री का अपना गुण होता है: अर्थात् जिन अच्छे गुणों की पूँजी जिस समय मौजूद हो, उस से उस समय लाभ उठाकर उचित कार्यों में लगाने के लिये वह कहां तक अनुकूल है? दृष्टान्त और स्पष्टीकरण के लिये हम न्यायतंत्र का विषय फिर से लेंगे। कोई न्यायप्रणाली नियत हो, तो फिर न्यायव्यवस्था का अच्छापन उसकी न्याय-समाप्ति में रहने वाले मनुष्यों की योग्यता और उन पर प्रभाव डालने वाले अथवा उनको अंकुश में रखने वाले सार्वजनिक मत की योग्यता के सम्मिलित परिमाण में होता है। परन्तु

अच्छी और बुरी न्यायप्रणाली में जो भेद है, वह जनता में जो कुछ सात्विक और मानसिक योग्यता मौजूद होती है उसका दबाव न्याय-व्यवहार पर डालकर उसके परिणाम पर उचित असर डालने के लिये स्वीकार की हुई युक्तियों में है। न्यायाध्यक्ष पसन्द करने का ऐसा प्रबंध होना चाहिये कि सद्गुण और बुद्धि का सबसे बड़ा औसत मिल जाय। प्रबन्ध की हितकारी रीतियां, जो बातें भूल से भरी हों उनको देखने और उन पर खुल्लमखुल्ला टीका, टिप्पणी करने की छूट-समाचार-पत्र द्वारा आलोचना करने और उलहना देने की स्वतंत्रता; इजहार लेने की प्रणाली की सत्यता ढूँढ निकालने में अनुकूलता या प्रतिकूलता; न्याय सभा में जाने के लिये कम या ज्यादा सुबीता, अपराध ढूँढ निकालने के लिये तथा अपराधियों को पकड़ने के लिये किया हुआ प्रबन्ध इत्यादि विषय शक्ति नहीं है, बरंच शक्ति को रुकावट के साथ सम्बन्ध में लाने वाली यंत्र सामग्री है। और यंत्र सामग्री कुछ अपने आप से नहीं चल सकती, तो भी उसके बिना चाहे जैसी विशाल शक्ति हो व्यर्थ जायगी और कुछ भी असर नहीं कर सकेगी। राज्यतंत्र के प्रबन्ध-विभाग के गठन के सम्बन्ध में भी ऐसा ही भेद है। जब हाकिमों की योग्यता जांचने के लिये उचित परीक्षाएं और उनको ओहदा देने के लिये उचित नियम बनाये हों, जब कर्मचारियों में कार्य का सुविधाजनक विभाग किया हो, काम करने के लिये सुविधाजनक और नियमित क्रम बांधा हो और काम कर लेने के बाद ईमानदारी और समझदारी के साथ उसका खयाल रखा जाता हो, जब प्रत्येक मनुष्य यह जानता हो कि मैं स्वयं किस बात का जिम्मेवार हूँ और वह जिस बात का जिम्मेवार है, उसको दूसरे मनुष्य भी जानते हों; जब महकमों के किता काम में बेपरवाही, पक्षपान

या स्वार्थसाधन रोकने के लिये बहुत अच्छे टंग पर गढ़ा हुआ अंकुश रखा हो, तब उसकी यंत्र सामग्री अच्छी समझी जाती है। परन्तु जैसे सवार बिना लगाम घोड़े को नहीं चला सकता, वैसे राजनीतिक-अंकुश आप से आप काम नहीं कर सकता। अगर अंकुश रगनेवाले अफसर, जिनके ऊपर अंकुश रचना है उन्हीं के ऐसे घूसखोर या बेपरवाहों अथवा अंकुश रगने वाली सारी सामग्री की मुख्य कामानी जो जानता है, वह ऐसा अज्ञान, सुस्त या बेपरवाह हो कि अपना फर्ज अदा न करे, तो व्यवस्था की सच से अच्छी यंत्र सामग्री से थोड़ा ही लाभ होगा। फिर भी, अच्छी सामग्री बुरी सामग्री की अपेक्षा सदा पसन्द करने योग्य है। जो थोड़ी सी चालनशक्ति या अंकुश-शक्ति विद्यमान होती है, उसको यह सच से अधिक लाभदायक शक्ति से अमल करने को समर्थ करती है। और इसके बिना तो चाहे जितनी चालन-शक्ति हो चल ही नहीं सकती। दृष्टान्त के तौर पर कह सकते हैं कि जनता अगर काररवाई पर नज़र न रने तो उसके (काररवाईके) प्रकाशन से जैसे अहित की कुछ रकबायट नहीं होगी, वैसे ही हित को भी उत्तेजन नहीं मिलेगा। अगर उसको देगने की आज्ञा ही न मिली हो, तो पद प्रकाशन बिना किस तरह रोकी या उसकाई जा सकती है? सार्वजनिक अधिकार के जिस गठन में अमलों का स्वार्थ और कर्त्तव्य दोनों पूर्णरूपसे मिला होता है वह तत्पतः सम्पूर्ण है। कोई पद्धति अकेली उसको सम्पूर्ण नहीं कर सकती। परन्तु इस उद्देश्ययश योग्यरीति से गढ़ी हुई पद्धति ही न हो, तो इससे भी काम सम्पूर्ण हो सकेगा।

राज्यतंत्र की मूलम व्यवस्था के लिये किये हुए प्रबंध के बारे में हम ने जो कहा है, वह इसके स्थूल गठन के विषय में तो इस से भी अधिक स्पष्ट और ठीक है। जो राज्य-

व्यवस्था हितकारी होने का उद्देश्य रखती है, यह जनता का साधारण कार्य-व्यवहार चलाने के लिये उसके अलग अलग मनुष्यों में मौजूब 'अच्छे गुणों' के खास भाग का संगठन होती है। प्रतिनिधि राज्यतंत्र, विद्यमान साधारण दरजे की बुद्धि और ईमानदारी का और उन में से सब से विवेकी पुरुषों के पृथक् पृथक् बुद्धिवल और सद्गुण का दवाव और किसी संगठन-पद्धति में ला सकने की अपेक्षा सीधे तौर पर लाकर उसको राज्यतंत्र में अधिक बलवान् करने का एक साधन है। तो भी इतना सत्य है कि चाहे जैसा राज्य-तंत्र हो, उसमें जो कुछ सुख होता है और जो कुछ कष्ट नहीं होता, उसको रोकनेवाली तो जनता के अधिकार में जो वास्तविक सत्ता होती है, वही है। किसी राज्यतंत्र की धारा इन अच्छे गुणों को जितनाही अधिक संगठन करने में सफलता पाती है, और संगठन की पद्धति जितनी अच्छी होती है, वह राज्यतंत्र उतनाही अच्छा होता है।

इस से हम को अब किसी राजनीतिक नियमतंत्र में जो योग्यता आ सकती है, उसके दो भाग करने का अवसर मिलता है। उसका एक भाग यह है कि जनता की साधारण मानसिक उन्नति को वह किस कदर उत्तेजन देता है और इसमें बुद्धि, सद्गुण और कार्य-उत्साह तथा कार्य-सामर्थ्य सम्बन्धी उन्नति का समावेश होता है। दूसरा भाग यह है कि जनता में सम्प्रति विद्यमान सात्विक, मानसिक और उत्साह पूर्ण योग्यता के सार्वजनिक कार्य-व्यवहार पर सब से बड़ा असर होने के लिये वह उसका किस परिमाण में संगठन करता है। राज्यतंत्र मनुष्य पर कैसा असर करता है और स्थिति पर कैसा असर डालता है, वह नागरिकों को कैसा बनाता है और उनके साथ कैसा बर्ताव करता है, उस

का रुग्ण लोगों की उन्नति की तरफ है या अवनति की तरफ, वह लोगों के लिये जो काम करता है और कराता है, वह अच्छा है कि बुरा—ये उसकी (राज्यतंत्र) पहिचान की कसौटियाँ हैं। राज्यतंत्र जैसे मनुष्य के मन पर सत्ता चलानेवाला महान् यत्न है, वैसेही सार्वजनिक कार्य करने के लिये सुगठित व्यवस्था तंत्र है। पहिले विषय में उसकी हितकारी सत्ता मुख्य कर के परोक्ष रहती है, तो भी वह कुछ कम आवश्यक नहीं है। परन्तु उसकी दुष्ट सत्ता तो प्रत्यक्ष भी हो सकती है।

राज्यतंत्र के इन दो कर्तव्यों के बीच का भेद नियम और उन्नति के बीच के भेद जैसा परिमाणु भेद नहीं है, बरंच प्रकार भेद है। इतने पर भी हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि उनका एक दूसरे से कुछ भी निकट सम्बन्ध नहीं है। शिक्षा की वर्तमान स्थिति में राजकाज की यथासाध्य सय से अच्छी व्यवस्था चलाने का भरोसा जो नियम दिलाता है, वह उसी के द्वारा राज्य के अधिक सुधार के अनुकूल हो जाना है। जिस प्रजा के लिये ऐसा यदिया न्यायमंगत कानून होगा, जो उसकी स्वयं प्राप्ति की हुई स्वास्तिक और मानसिक उन्नति की स्थिति के अनुकूल हो, वही सय से शुद्ध और कुशल न्यायतंत्र होगा, सय से सुधरी हुई राज्यव्यवस्था होगी, सय से समान और कम बाँझ स्वरूप कर प्रणाली होगी— उसका शीघ्रता से अधिक ऊँची स्थिति में आना अधिक सम्भव है। और राजकीय तंत्र जैसे अपना अधिक सीधा काम अच्छी तरह करके लोगों को सुधारने में मददगार होता है, उसकी अपेक्षा और किन्नी तरह वास्तविक सहायता नहीं कर सकता। इस के विरुद्ध यदि उस को यंत्र सामग्री ऐसी पराय रीति से सजायी गयी होगी कि उस का ग्रास अपना काम खराब हो, तो लोगों की नीति बिगाड़ने में और

बुद्धि तथा उत्साह मंद करने में उस का जो असर होगा, वह हजारों रास्ते देखने में आवेगा। इतना होने पर भी यह भेद वास्तविक है। क्योंकि मनुष्य का मन सुधारने या बनाने के राजकीय तंत्र के साधनों में यह एक ही साधन है और इस हितकारक या हानिकारक प्रभाव का कारण और रीति एक भिन्न और विशाल अभ्यास का विषय है।

सार्वजनिक शिक्षा के साधनरूप में उस की क्रिया और जनता की शिक्षा की वर्तमान स्थिति में उस का संयुक्त कार्य व्यवहार चलाने के लिये किया हुआ प्रबन्ध—जो इन दो क्रियाओं के रास्ते राज्य-पद्धति अथवा राजकीय नियमतंत्र जनता के हित पर असर करता है, उस के दूसरे मार्ग में देश और सुधार की स्थिति के भेद के कारण पहिले की अपेक्षा कम भेद पड़ता है, यह स्पष्ट है। फिर इसका राज्यतंत्र के मूल गठन से भी बहुत कम सम्बन्ध है। राज्य का व्यवहारी काम चलाने की जो पद्धति स्वतंत्र राज्यतंत्र में सब से अच्छी होती है, वही निरंकुश राजसत्ता में भी बहुत करके सब से अच्छी निकलेगी। भेद इतना ही है कि निरंकुश राजसत्ता के इस से काम लेने की उतनी सम्भावना नहीं है। दृष्टान्त के तौर पर कह सकने हैं कि भिन्न भिन्न राज्यपद्धतियों में मिलकीयत का कानून, सवृत और न्याय-व्यवहार के मूल तत्त्व, कर और आय की व्यवस्था की पद्धति, अवश्य कर के भिन्न भिन्न होने की जरूरत नहीं है। इन में से प्रत्येक विषय का अपना खास मूल तत्त्व और नियम होता है और वह एक निराले अभ्यास का विषय है। सामान्य व्यवहार शास्त्र, दीवानी और फौजदारी कानून, आय और व्यापार की नीति, ये स्वयं शास्त्र हैं अथवा राज्यनीति में विशाल शास्त्र या कला की शाखा हैं।

और यद्यपि इन सब विषयों से सम्यन्ध रखने वाले सब से शुद्ध सिद्धान्त समझने या अमल में लाने, की एक समान सम्भावना नहीं है, तथापि अगर समझ कर अमल में लाये जायं, तो वे सभी पद्धतियों में एक समान लाभकारी निकलें। यह सच है कि ये सिद्धान्त जनता या मनुष्य-मन की सारी अवस्था में बिना किसी भेद के लागू नहीं पड़ सकते। इन में से अधिकांश समझ सकने योग्य राज्यकर्ता जय तक मिलें, तब तक आगे बढ़ी हुई जनता की किसी भी अवस्था के अनुकूल करने के लिये तो सिर्फ सूक्ष्म व्यवहारी विषयों में ही फेर बदल करने की जरूरत पड़ेगी। जिन्म राज्यतंत्र को यह बिलकुल अनुकूल नहीं आता, वह म्ययं पैसा मराय या लोक-विचार से इतना विकृत होगा कि यह प्रामाणिक साधनों द्वारा अपने को अस्तित्व में नहीं रग सकता।

जनता के हित का जो विभाग लोगों की अच्छी, पुरी शिक्षा से सम्यन्ध रखता है, उस की घात उड़ी है। अगर उस के माध्यम के तौर पर नियमतंत्र का विचार करें, तो यह हाल में मिली हुई उन्नति की अवस्थानुसार तत्परतः भिन्न होगा। यद्यपि यह सिद्धान्त जो स्वीकार किया गया है, वह तत्पर विचार से नहीं, परंच व्यवहार दृष्टि से, तो भी पिछले जमाने के राजनीतिक मत से इस जमाने के राजनीतिक मत की धेष्टता का यह मुख्य लक्षण गिना जा सकता है। क्योंकि पिछले जमाने में इंग्लैण्ड और फ्रांस के लिये जन सत्ताक प्रतिनिधि राज्य मांगने में जो दलीलें पेश करने की चाल निकलती थी, उन्हीं दलीलों द्वारा एक समान रीति से यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि घेड्डिल * और मलय लोगों के लिये

* अरबिस्तान, इजिप्ट और अफ्रीका में फैली हुई एक भटकती अरब की भाति। मराका और उस के दक्षिण के हिन्दुस्थानी टापुओं के निवासी।

भी यही एक योग्य राज्य-पद्धति है। शिक्षा और सुधार के विषय में भिन्न भिन्न जनता की स्थिति नीचे उतरते उतरते अन्त को सब से श्रेष्ठ पशु की स्थिति से बहुत बढ़ कर नहीं रहती। चढ़ती श्रेणी भी बहुत ऊंचे तक पहुँचती है और भविष्य उन्नति की सम्भावना इस से भी बहुत बड़ी है। कोई जनता अगर इन में से किसी स्थिति से अधिक ऊंची स्थिति में चढ़ सकती है, तो जुदे जुदे वर्गों का संयोग होने से ही। और उनमें मुख्य उसके ऊपर चलने वाला राज्यतंत्र है। आज तक किसी समय में प्राप्त की हुई मनुष्य उन्नति की सारी स्थिति के विषय में अगर हम धार्मिक-श्रद्धा की सत्ता को बाँट दें, तो मनुष्यों को उसकी वर्तमान स्थिति में लाने वाली और वे जिस स्थिति में आ सकते हैं, उस स्थिति में आने को समर्थ करने वाली सब से प्रबल सत्ता, उनके ऊपर चलने वाली हुकूमत के प्रकार और परिमाण अधिकार-विभाग और आज्ञा और अधीनता की दशाएँ हैं। जब उनकी उन्नति की पास स्थिति के लिये राज्य तंत्र की अपूर्ण अनुकूलता होती है, तब वह उनको अपनी उन्नति में एक दम रोक सकती है। राज्यतंत्र के जिस एक आवश्यक गुण की यातिर उन्नति में आड़े आने वाले उसके प्रायः दूसरे सब दूषणों को क्षमा कर सकते हैं, वह यह है कि उनको अधिक ऊंची स्थिति में आने के लिये जो दूसरा कार्य करने की जरूरत है उसके लिये लोगों पर चलने वाली हुकूमत अनुकूल होनी चाहिए—अन्ततः प्रतिकूल न होनी चाहिये।

इस हिसाब से (पहिला दृष्टान्त फिर से लें तो) जंगली स्वतंत्रता की अवस्था में रहने वाली प्रजा, जिसमें प्रत्येक जन अधीनता की तरङ्ग में हो, सिवाय किसी यादरी अंकुश में रहने के, स्वच्छन्दी जीवन बिताती है, वह जब तक हुकूम में

रहना नहीं सोचती, तब तक सभ्यता में कुछ भी उन्नति करने को वास्तव में असमर्थ है। इस से इस जाति के लोगों पर जो राज्यतंत्र स्थापित हो, उसमें जो गुण अग्र्य करके होना चाहिये, वह यह है कि उससे अपना दुःखम मनवाये। ऐसा करने में समर्थ होने के लिये राज्यतंत्र का गठन प्रायः अध्यात्मपूर्ण रूप से निरंकुश होना चाहिये। समाज के भिन्न भिन्न मनुष्यों को अपनी अपनी कार्य-स्थितप्रता सुशांति से दूसरों को सौंप देने के आधार पर रहने वाला किसी अर्थ में जन सम्मत राज्यतंत्र, उन्नति की इस अवस्था के शिष्यों को जो पहिला पाठ सिगाने की जरूरत है, वह सिगाने में असमर्थ होगा। इस में अगर इस प्रकार का सुधार उस से पहिले की सभ्यता नहीं हुई किसी दूसरी जाति के संसर्ग का फल न हो, तो यह प्रायः सदा धर्म या रण पराक्रम द्वारा प्राप्त सत्ता रखने वालों और बहुत करके विदेशी अस्त्र द्वारा प्राप्त सत्ता रखने वालों किसी निरंकुश राजा का कृत्य होता है।

फिर असभ्य जातियों को और विशेष कर सब से पराक्रमी और उत्साही जातियों को शान्ति के साथ लगातार परिधम करना पसन्द नहीं है। तथापि सारी असभ्य सभ्यता का यही काम लगता है। बिना ऐसे परिधम के जैसे सभ्य-समाज के लिये आवश्यक वृत्तियों में मन नहीं लग सकता, ऐसे जड़-जगत उसे ग्रहण करने को तय्यार नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों में अगर उद्योग, धंधे की टेय परझोरी न डाली गयी हो, तो ऐसा होने के लिये दुर्लभ योगों का ध्यान आने की और इस कारण से बहुधा बहुत अधिक समय बिताने की जरूरत पड़ती है। इस से व्यक्तिगत गुलामी जो उद्योगी जीवन का आरम्भ करती है और जनता के सब से बड़े भाग को इसी एक वृत्ति में लगे रहने को

लाचार करती है, वह भी इस कारण से लड़ाई और लूट मार की अवस्था की अपेक्षा अच्छी स्वतंत्रता की स्थिति को शीघ्रता से पहुंचा सकती है। यह कहने की शायद कोई जरूरत नहीं है कि गुलामी के लिये यह वहाना बहुत आरम्भ से ही सामाजिक अवस्था में ग्रहण करने योग्य है। सभ्य जनता के हाथ में अपने अधिकारस्थ मनुष्यों को सुधारने के लिये दूसरे बहुत से साधन होते हैं। और गुलामी उस कानून की सरकार के लिये, जो समग्र आधुनिक जीवन-व्यवहार की नींव है, सब तरह से विपरीत है और मालिकों को—जो एक बार सभ्यता के प्रभाव में आ गये हैं—ऐसी बिगाडने वाली है कि आधुनिक संसार में किसी अवस्था में उसको स्वीकार करना जंगली अवस्था से भी बदतर हालत में गिरने के बराबर है।

तो भी आज कल की सभ्य बनी हुई प्रायः प्रत्येक जनता अपने इतिहास के किसी समय में अधिकांश में गुलामों से बनी थी। इस अवस्था के मनुष्यों को उससे ऊंचे चढ़ाने के लिये जंगली जाति की अपेक्षा बहुत भिन्न प्रकार की राज्य-नीति की आवश्यकता है। अगर वे स्वभाव के खंचल हों और जनता में ऐसे उद्योगीश्रेणी से उनका संसर्ग हो, जो गुलाम भी न हों और गुलामों के मालिक भी न हों (जैसा कि ग्रीस में हुआ था) तो शायद उनके आवश्यक सुधार के लिये उनको गुलामी से छुड़ा देने के सिवाय और कुछ करने की आवश्यकता न पड़े। जहाँ उन्होंने छुटकारा पाया कि वह रोम के छुटकारा पाये हुए मनुष्यों की तरह प्रायः नागरिक का सम्पूर्ण हक भोगने के लायक हो सकेंगे। जाँ हो, यह गुलामी की साधारण स्थिति नहीं है और उसका प्रचार बन्द होते जाने का यह एक चिन्ह है। जिसको दर-असल गुलाम कहते हैं, वह अपनी मदद आप न करने वाला

एक प्राणी है। वह जंगली से तो अवश्य ही कुछ आगे बढ़ा हुआ है। उसको राजनीतिक समाज का पहला पाठ सीखना अभी तक याकी नहीं है। उस ने आशा मानना सीखा है। परन्तु वह जिस आशा को मानता है, वह सिर्फ प्रत्यक्ष आशा है। जन्म के गुलामों की ऐसी खासियत होती है कि वे अपनी रहन, चाल, नियम या कानून के अनुसार रखने में असमर्थ होते हैं। उनको जो हुक्म दिया जाता है, वही वे करते हैं और वह तभी जब उन को हुक्म दिया हो। जिस मनुष्य से वे डरते हैं, वह जब उन के सिर पर सवार रहता है और उन्हें सजा की धमकी देता है तब वे फहना मानते हैं। जहाँ उसने पीठ फेरी कि यस काम जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाता है। उन के मन को निश्चय कराने वाला उद्देश्य उन के स्वार्थ को उत्तेजन देने वाला नहीं, वरंच उन को प्राकृतिक अन्तर्वृत्ति को उत्तेजन देने वाला—तात्कालिक आशा या तात्कालिक भय—होना चाहिये। जो निरंकुश राज्यतंत्र जंगली को सुशील बना सकता है, वह केवल अपनी निरंकुशता के कारण गुलामों की अयोग्यता को और दृढ़ हा करेगा। परन्तु अपने अधिकारस्थ राज्यतंत्र का चलाना उनके लिये, बिलकुल असम्भव है, वे अपना सुधार अपने हाथ से नहीं कर सकते, इसके लिये बाहर से प्रेरणा होनी चाहिये। उनको जिधर कदम बढ़ाना है और उनके सुधार के लिये जो एक मात्र मार्ग है, वह यह है कि वे अपने आप की अमलदारी से निकाल कर कानून की अमलदारी में लाये जायँ। उनको स्वराज्य सिप्राना है। और आरम्भ की अवस्था में स्वराज्य का अर्थ है साधारण सलाहों को मान कर काम करने की शक्ति। उनको बल-राज्य नहीं चाहिये, वरंच प्रेरणा-राज्य चाहिये। इतना होने पर भी उनकी अवस्था ऐसी अधम है

कि वे जिस को अधिकार घाला मानते होंगे, उसके सिंघाय दूसरे किसी की सलाह नहीं मानेंगे। अतएव उनके लिये सब से अनुकूल राज्यतंत्र यह है, जिसके हाथ बल हो, परन्तु यह उस बल से बहुत कम काम ले अर्थात् जो जनता के सभी कामों पर स्वयं निगाह रखे कि जिस से दरएक आदमी के दिल में यह ख्याल ताजा बना रहे कि उस राज्य तंत्र में—सरकार में—अपना बनाया हुआ कानून हर एक आदमी से मनवाने के लिये पूरा बल मौजूद है; परन्तु जो उद्यम और व्यवहार केवल सूक्ष्म विषयों की व्यवस्था में पड़ना असम्भव होने से बहुत सा काम पृथक् पृथक् मनुष्यों को स्वयं करने के लिये उत्तेजित करे, ऐसा सेन्ट मैमन (१) के सार्धजन कीटुम्ब्य (२) से मिलता जुलता निरंकुशपैतृक (३) राज्यतंत्र या शिष्ट (४) राज्यतंत्र ही है। यह, जिसको हम बालटेकन डोरी (५) कहते हैं; ऐसी

(१) काट डी सेंट मैमन का, जो सन् १८१५ ईस्वी में मरा, यह मत था कि समाज में सारी मिलकीयत पर सब का साधारण मालिकाव मान कर, परिश्रम के फल का उचित विभाग करने का नियम रखने से त्रिभुवन सामाजिक संकट का सचमुच अंत हो जायगा।

(२) सेंट मैमन के मतानुसार समूची जनता की बर्ना हुई एक कुटुम्ब रूपी अवस्था।

(३) मां, बाप का लड़के पर जैसा छेद होता है, वैसा छेद सहित निरंकुश-शुभा का राज्य।

(४) शिष्ट ऊंची पदवी-और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों का राज्य।

(५) हम लोग जैसे बालक को उँगली पकड़ा कर चलना सिखाते हैं, वैसा युरोप में डोरी के सहारे चलना सिखाने का रिवाज है।

प्रजा को सामाजिक उन्नति की दूसरी आवश्यक पैड़ी पर तुब तंजी से चढ़ाने के लिये जरूरी जान पड़ती है। शायद पेरू के हंकाओ (६) के राज्यतंत्र का ऐसा ही उद्देश्य रहा हो और पेरेंगेके जेस्विटों का (७) ऐसा ही उद्देश्य था। मैं यह कहने की जरूरत नहीं समझता कि बालटेकन डोरी सिर्फ लोगों को धीरे धीरे आप से आप चलना सिखाने के साधन के तौर पर स्वीकार करने योग्य है।

इस दृष्टान्त को आगे बढ़ाना अप्रासंगिक होगा। समाज की प्रत्येक प्रसिद्ध अवस्था के लिये किस किस का राज्यतंत्र अनुकूल है, इस प्रश्न की जाँच-पड़ताल करना प्रतिनिधि-शासन के नहीं, घरंच विशाल राज्यनीति शास्त्र के अंतर्गत है। किसी खास जनता के लिये सब से अनुकूल शासन-पद्धति का निर्णय करने में जरूरत यह है कि उस उपाय के अंगीभूत दूषणों और शुद्धियों में से कौन कौन आरंभ में ही बाधा डालती है, उनको पहिचान लेने का अर्थात् जाँ (मार्ग) रास्ता ही बंद कर देती है, उनको दूँढ निकालने का हमें समर्थ होना चाहिये। जिस वस्तु के बिना जनता आगे बढ़ ही नहीं सकती अथवा आगे बढ़ती भी है, तो लंगड़ाती और लुढ़कती हुई उस वस्तु की कमी पूरी करने की ओर जिसका सब से अधिक ध्यान हो, वह राज्यतंत्र उसके लिये सब से अच्छा है। इतना होने पर भी हमें यह न भूलना चाहिये कि जिन जिन वस्तुओं का उद्देश्य सुधार या उन्नति है, उन सब के सम्बन्ध में एक शर्त जरूर है। वह

(६) युरोपियनों के इसल करने से पहिले का, अमेरिका के पेरू देश का देशी राजा ।

(७) रोमन कैथोलिक मत के प्रत्येक नीति-कुशल साधु का दस्त ।

शर्त यह है कि जिस भलाई की कमी है उसको प्राप्त करने में, जो भलाई पहिले से प्राप्त हो चुकी है उसको कुछ हानि न पहुंचे या जहां तक बने कम हानि पहुंचे। जंगली लोगों को आशा मानना सिखाने की जरूरत है, परन्तु इस रीति से नहीं, कबे गुलामों की जाति बन जायँ। और (इसको और विशाल रूप में लें तो) कोई शासन-पद्धति किसी जनता को उन्नति की दूसरी पैड़ी पर चढ़ाने में समर्थ हो तथापि वह इस काम को इस रीति से करे कि उसके आगे की पैड़ी पर चढ़ने का मार्ग बन्द कर दे अथवा उसके लिये बिलकुल निकम्मा बना दे, तो वह राज्यतंत्र बहुत अयोग्य होगा। ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं और इतिहास में इनकी गिनती सय से शोकजनक प्रसंगों में होती है। इजिप्ट का धर्मगुरु राज्य और चीन का निरंकुश पैतृक राज्य वहां की प्रजाओं को अपने प्राप्त किये हुए सुधार के बिन्दु तक चढ़ाने के लिये बहुत योग्य साधन थे, परन्तु वहां पहुंच कर उन्होंने मानसिक स्वतंत्रता और अहंभाव के अभाव से स्थायी पड़ाव बना लिया। क्योंकि ये दो गुण जिस सुधार के आवश्यक साधन हैं, उसे प्राप्त करने के लिये जिन नियमों ने उन्हें इतने ऊंचे चढ़ाया था उन्हीं ने असमर्थ कर दिया था और उन नियमों ने लय होकर दूसरों के लिये रास्ता नहीं दिया, इस से आगे सुधार होना रुक गया। इन जातियों के विरुद्ध पूर्य ओर की एक दूसरी और तुलना में छोटी जाति का—यहूदी जाति का—उल्टे ढंग का दृष्टान्त लिया जाय। उसके ऊपर भी निरंकुश दृष्ट्याचारी राज्य था और वह भी धर्मगुरु राज्य था, उसका नियम विधान भी हिन्दुओं की तरह स्पष्ट रूप से धर्मगुरु ने किया था। पूर्य की दूसरी जातियों के नियमतंत्रों का उन जातियों पर जैसा असर हुआ, वैसा ही इन लोगों के

नियमत्रों का इनके ऊपर हुआ—इनको उद्योगी और आजाधीन बनाया और सामाजिक व्यवहार में लगाया, परन्तु उन दूसरे देशों की तरह इनके राजा या धर्मगुरु इनकी प्रकृति के गठन पर कभी पूरा अधिकार नहीं जमा नके। इनके धर्म ने बुद्धि-विचक्षण और ऊँची धार्मिक वृत्ति वाले पुरुषों को लोगों द्वारा ईश्वरप्रेरित मनवाने और स्वयं अपने को ऐसा समझने की भी स्वतंत्रता देकर एक अकलित मूल्य के अव्ययस्थित नंत्र को (एक तरह से कहिये तो) पैगम्बर धरणी को पैदा कर दिया था। पैगम्बर हमेशा नहीं तो साधारण नौकर पवित्र चरित्र होने से जाति में एक सत्ता रखने थे और यहुदा राजाओं और धर्म-गुरुओं से भी बढ़ कर सत्ता रखने थे। और ये उत्तरोत्तर के एक मात्र अमली साधन को, जो मिश्र मिश्र सत्ताओं में परस्पर स्पर्धा स्वरूप ही है, उमकों पृथ्वी के डल नदों से कोने में जीवित रखते थे। इस से धर्म ने दूसरे सभ स्थानों में जो स्वरूप धारण किया था ऐसा यहाँ नहीं हुआ—अर्थात् जो जो वस्तुएँ एक बार प्रतिष्ठा पा गयीं, वे सब पवित्र हो गयीं, और अधिक सुधार के मार्ग में बाधक नहीं हुईं। म० मेलघेट्टर नाम के प्राणाल यहूदी ने जो यह कहा है कि पैगम्बर लोग धर्म और राज्य के सम्यन्ध में आधुनिक समय के सामयिक पत्रों की स्थापना का मतलब पूरा करते थे; यह यहूदी जीवन को इस महान् तथ्य में सामाजिक और सार्वभौम इतिहास में लिये हुए अंश का सामयिक परन्तु अपूर्ण स्वरूप दर्शाता है। क्योंकि प्रेरणा-शास्त्र कभी सम्पूर्ण न हो सकने से, सब से बुद्धि विचक्षण और सद्बुत्ति वाले पुरुषों को जो कुछ फटकार और धिक्कार योग्य जंचता था, उसको वे इस उपाय से प्राप्त ईश्वर के फरमान से मुक्तमदुला फटकार और धिक्कार बचा कर निकाल

सकते थे, इतना ही नहीं; बरंच सामाजिक धर्म का बहुत प्रच्छा और ऊंचे दर्जे का भावार्थ, प्रकट कर सकते थे और वह भावार्थ उस समय से धर्मशास्त्र में दाखिल हो जाता था। ईसाई और उस धर्म पर विश्वास न करने वाले—दोनों के मन में बाइबिल को बतौर एक पुस्तक के पढ़ने की आदत, जो हाल तक जोरों पर थी, उस से जो कोई अपने को प्रलहदा कर सकता है वह पेन्टाटयूक * की नीति और धर्म ग्रन्थवा ऐतिहासिक पुस्तकों (जो अवश्य ही धर्मगुरु विहीन गृहदी-संरक्षकों की कृति है) की नीति और धर्म भविष्य-वाणियों की नीति और धर्म के बीच का विशाल अंतर, जो भविष्य-वाणियों और गालपेलस x के अंतर ऐसा बड़ा है उसे, देख कर सानन्द आश्चर्य मानता है। उन्नति के लिये इस से बढ़ कर अनुकूल अवसर सहज में नहीं मिल सकता। इस से गृहदी दूसरे एशिया वासियों की तरह अपनी स्थिति में थायर होने के बदले पुरानी दुनिया की ग्रीकजाति के नीचे अब से आगे बढ़ने वाले थे और ग्रीकजाति सहित अर्वाचीन युद्ध के आरम्भ बिन्दु और आगे बढ़नेवाली मुख्य शक्ति हो गये।

इस से जनता को आगे जिन पैड़ियों पर चढ़ना है, उनमें से केवल अगली पैड़ी नहीं, बरंच सब पैड़ियों का, अर्थात् जेन को आगे प्रत्यक्ष देख सकते हैं, और जो इन से भी बहुत विशाल अनिश्चित श्रेण। हमारे परोक्ष में है, उन दोनों का बिना हिसाब किये विविध सामाजिक अवस्था के लिये

* बाइबिल की प्राचीन स्थापना का विभाग ।

+ बाइबिल की नवीन स्थापना में ईशू ख्रिष्ट के जीवन और उपदेश का इत्तान्त ।

विधि शासन-पद्धति की अनुकूलता का प्रथम समझना असम्भव है। इसका परिणाम यह है कि शासन-पद्धति की योग्यता का निर्णय करने के लिये एक स्वयं सय के पसन्द करने योग्य परम उत्कृष्ट शासन-पद्धति का नमूना तय्यार करें अर्थात् यह पेंसी हो कि अगर उसकी भलाई करने की रुचि से काम लेने के लिये जरूरी मौका मौजूद हो, तो यह दूसरों की अपेक्षा कोई एक सुधार नहीं, धरंच सय प्रकार के और सय सूरतों के सुधार बहुत सुगमता से करे। यह निश्चय होने के बाद हमें यह विचार करना है कि इस शासन-पद्धति के अपनी रुचि फलीभूत करने का समर्थ होने के लिये कौन कौन सी मानसिक दशाएं आवश्यक हैं अर्थात् कौन कौन सी श्रुतियां उनसे मिलने योग्य लाभ पाने में असमर्थ बनाती हैं। इस से इस विषय का एक सिद्धान्त निकाला जा सकेगा कि यह शासन-पद्धति किन किन प्रसङ्गों में जारी करना बुद्धिमाना है। और इसका भी निर्णय किया जा सकेगा कि किन किन प्रसङ्गों में जारी करने में लाभ है और उन जनताओं को सय से अच्छी शासन पद्धति के योग्य होने से पहिले धीच की जिन जिन अयस्थाओं से गुजरना है उनमें से उनको कौन कौन सी अपेक्षा-कृत घटिया पद्धति सय से अच्छी तरह पार कर सकेंगी।

इनमें से पहिले प्रश्न से हमारा यहां सम्बन्ध नहीं है, परन्तु पहिला हमारे विषय का एक अंग है। क्योंकि अगर हम एक ऐसा सिद्धान्त पेश करेंगे कि वास्तव में इस परम उत्कृष्ट शासन-पद्धति का नमूना एक या दूसरी तरह के प्रतिनिधि पद्धति में दिखाई देगा, तो हम उद्धत नहीं समझे जायेंगे। इसकी दलील और नजीर आगे के पत्रों में दिखाई देगी।



तीसरा अध्याय ।

वास्तव में सब से श्रेष्ठ शासन-पद्धति
प्रतिनिधि-शासन है ।

एक मुद्दत से (शायद ब्रिटिश स्वतंत्रता की सारी अवधि में) एक आम कहावत चली आती है कि अगर कोई अच्छा निरंकुश-स्वेच्छाचारी, राजा मिले तो निरंकुश राज्य सब से श्रेष्ठ शासन-पद्धति हो जाय । मैं इस विचार को, अच्छा राज्यतंत्र क्या है, इस विषय में मूलतत्त्व सम्बन्धी और बहुत ही हानिकारक भ्रम समझता हूँ । और जब तक यह मन में से निर्मूल नहीं होगा, तब तक राज्यतंत्र सम्बन्धी सारे तर्कों की मिट्टी पलींद किया करेगा ।

इसमें यह ख्याल समाया हुआ है कि किसी उत्कृष्ट पुरुष के हाथ में पड़ी हुई निरंकुश सत्ता राज्यतंत्र के सारे कर्तव्यों का सद्रुण और कुशलता से अवश्य पालन करेगी । अच्छे कानून बनेंगे और अमल में आवेंगे । बुरे कानून सुधरेंगे, जिम्मेवारी की सब जगहों पर सब से अच्छे मनुष्य नियुक्त किये जायेंगे, देश-दशा के अनुसार और उसकी मानसिक और सात्त्विक शिक्षा के परिमाण से जहाँ तक बनेगा न्याय व्यवस्था अच्छी होगी, राज्य का बोझ हलका होगा और वह उचित रीति से डाला जायगा और राज्यतंत्र की प्रत्येक शाखा का प्रबन्ध पवित्रता और चतुरता से किया जायगा । यह सब के लिये मैं यह सब कबूल करने को तय्यार हूँ, परन्तु मैं यह घटाऊँगा कि यह कबूलियत कितनी भारी है । इन परिणामों की आशा के लिये भी “अच्छा निरंकुश

राजा" यह सादा वाक्य जितना भाव सूचित करता है, उस से उसमें कितने अधिक भाव का समावेश होना चाहिये ? परिणामों की सिद्धि के लिये तो येशक अच्छा ही नहीं घरंच सयं दर्शी निरंकुश राजा का भाव होना चाहिये । उसको हर एक देश के प्रत्येक प्रान्त के प्रबन्ध की प्रत्येक शाखा के यथायथ और काररवाई के धारों में गूथ विस्तार के साथ सर्वांग गयर मिलनी चाहिये और हर रोज गरीब मजदूर से लेकर राजा नरक को जो चौबीस घंटे ही मिलते हैं, उतने ही समय में इस सारे प्रबन्ध का सभी शाखाओं पर उचित अंश में प्रभावशाली लक्ष्य और निगरानी करने को शक्तिमान होना चाहिये अथवा निगरानी और अंकुश में रद्द कर राज्यतंत्र की हर एक शाखा का प्रबन्ध करने योग्य ईमानदार तथा दोशियार मनुष्यों का बड़ा दल हो नहीं, घरंच ऐसी निगरानी बिना स्वयं काम चला सके तथा ऐसी निगरानी दूसरों के ऊपर कर सके—ऐसा भरोसा रखने योग्य उक्तम सद्गुण और बुद्धि वाले मनुष्यों का छोटा दल भी अपनी प्रजा के बड़े समूह में से परग कर दंड निकालने को समर्थता होना ही चाहिये । यह भारी काम कुछ भी उचित रीति से चलाने योग्य आवश्यक बुद्धि-बल और कार्यसामर्थ्य ऐसा असाधारण है कि यह अगर अमर संफटों से लूटने के उपाय के तौर पर और भविष्य में होने वाले किसी लाभ की आंतरिक नय्यारी के तौर पर न हो, तो हम जैसा समझते हैं वैसे अच्छा निरंकुश राजा यह काम सिर पर लेने को तय्यार होगा, इस की कल्पना शायद ही हो सकती है । परन्तु इस ये-अन्दाज काम की गिनती न करें, तो भी यह दलील जोरदार अमर रहती है । मान तो कि कठिनाई दूर हो गयी । इससे हमें क्या लाभ होगा ? एक विलकुल मानसिक साथ से

रहित जनता का सारा कार्य-व्यवहार चलाने वाली अलौकिक मानसिक-शक्ति के एक मनुष्य की निःसत्त्वता निरंकुश सत्ता के भाव में ही घुसी हुई है। सारी जनता को और उस में विद्यमान प्रत्येक पृथक् पृथक् मनुष्य को अपने भविष्य के सम्वन्ध में कुछ भी मत प्रकट करने की सम्भावना नहीं रहती। वे अपने साधारण लाभ के विषय में अपनी कुछ भी मरजी काम में नहीं ला सकते। उनके लिये सब विषयों का निर्णय उनको छोड़ कर दूसरे किसी की मरजी करता है और वे लोग उस को न मानें तो कानून से कसूर वार ठहरें। ऐसी अमलदारी में किस किस्म के मनुष्य जीव्य बन सकते हैं ? उस में उनकी विचार-शक्ति या कार्य-शक्ति क्या विकाश पा सकती है ? शायद कोरे तर्क के विषय में, जब तक उनका विवेचन राज्यनाति में न दफ़ल दे अथवा उस के प्रयत्न के साथ सब से दूर का सम्वन्ध भी न रहे, तब तक उनको चर्चा चलाने दी जा सकती है। व्यवहारी विषय में तो उनको अधिक से अधिक सिर्फ सलाह देने की स्वतंत्रता दी जा सकती है; और सब से दयालु निरंकुश राजा की अमलदारी में भी जिनकी उत्कृष्टता प्रसिद्ध हो चुकी या मानी जा चुकी हो, उनके सिवाय दूसरे मनुष्य अपनी सलाह राजकाज के प्रयत्नकर्त्ताओं के कान तक पहुंचाने की आशा नहीं रख सकते, तब उस पर ध्यान दिलाने की बात कौन कहे ? जो मनुष्य अपने विचार का कुछ बाहरी फल न होता जान कर भी विचार करने का कष्ट उठावे और जो कर्त्तव्य उसके सिर पर पड़ने की कुछ भी सम्भावना नहीं है, उसके योग्य हो, उसको मानसिक उद्योग का उसी उद्योग में और उसी की खातिर बहुत असाधारण शौक हो। हर एक जमाने में कुछ को छोड़कर बाकी के किसी मनुष्य को अपने मान-

सिक उद्योग के परिणामों का कुल व्यवहारी उपयोग होने की आशा रहती है, तभी यह उस तरफ उचित उत्साह दिग्गता है। इस से यह मतलब नहीं निकलता कि जनता में मानसिक सत्ता बिलकुल रहेगी ही नहीं। जीवन के साधारण काम में—जो प्रत्येक मनुष्य या कुटुम्ब को अपने लिये अग्र्य करना पड़ेगा—मानसिक भावना के कुल ग्रास संकीर्ण विस्तार की सीमा में कुल बुद्धि और व्यवहार-कुशलता की आवश्यकता पड़ेगी। कदाचित् विशिष्ट विद्यान भी होंगे तो वे उस शास्त्र को उसके भौतिक उपयोग के लिये अथवा ग्रन्थास के शौक से विकसित करते होंगे। अधिकारीवर्ग भी होगा और राज्यतंत्र के तथा सरकारी प्रबन्ध के कुल व्यवहारी नियम सीखकर अधिकारीवर्ग के लिये शिक्षा पाते हुए पुण्य भी होंगे। निरंकुश राजा का दबदबा जमाने के लिये किसी ग्रास (साधारणतः सैनिक) विभाग में देश के सब से ऊँचे मानसिक प्रभाव का मुख्यस्थित गठन किया जायगा और कितनी ही बार किश गया है। परन्तु साधारण जन समूह अधिकतर व्यवहार के बड़े बड़े दिव्यों में मान रहित और उत्साह रहित होता है; अथवा उसको कुल ज्ञान होता है, तो यह यादही होता है, टीक पैसेही जैसे जिस मनुष्य ने किसी दिन औजार नहीं उठाया उसको कारीगरी का ज्ञान हो। और उनको जो हानि होती है यह केवल बुद्धि सम्बन्धी नहीं, उनकी सात्विक शक्तियाँ भी उतनीही कुंठित होती हैं। जहाँ जहाँ मनुष्य प्राणी के उत्साह का क्षेत्र कृत्रिम सीमा से संकुचित होता है, वहाँ वहाँ उनके विचार भी उसी कदर संकुचित और कुंठित होते हैं। उत्साह मनोवृत्ति की गुराक है; कुटुम्ब प्रेम का आधार भी स्वेच्छा-सेवा है। किसी मनुष्य को अपने देश के लिये

कुछ भी करने मत दो, तो वह उसकी परवा नहीं रखेगा । एक पुरानी कहावत है कि निरंकुश राज्य में बहुत करके एक ही देश-भक्त होता है और वह निरंकुश राजा है । यह कहावत नेक और चतुर राजा की भी पूरी अधीनता के परिणामों को खूब समझ वृत्तकर कही गयी है । धर्म वाकी रहता है और ऐसा भरोसा रखा जा सकता है कि यह जो साधन वाकी है, वह मनुष्य की दृष्टि और मन को अधम विचार में से ऊंचे चढ़ायेगा; परन्तु यह सोचें कि धर्म निरंकुश राज्य के स्वार्थ के लिये अव्यवस्थित होने से बचा हुआ है, तो भी इस दशा में उसका भी एक सामाजिक विषय माना जाना धन्द हो जाता है और वह संकीर्ण होकर मनुष्य और उसके कर्त्ता के बीच का एक खानगी (प्राइवेट) विषय ही जाता है और उसमें सिर्फ ग्रास अपने मोक्ष का प्रश्न रहता है । इस रूप में धर्म बिलकुल स्वार्थी और संकीर्ण ममत्व भाव के अनुकूल हो जाता है, इस से उसमें अपने भक्त को उसके जाति भाइयों के साथ समभाव रखवाने की उतनी ही कम सम्भावना है, जितनी कम विषय वृत्ति में है ।

अच्छा निरंकुश राज्य याने वह राज्यतंत्र जिसमें निरंकुश राजा की जहां तक चले वहां तक राज्य के अमले कोई प्रत्यक्ष अत्याचार न करें, तथापि प्रजा के सभी साधारण लाभकी व्यवस्था प्रजा के लिये दूसरे मनुष्य करें, सामाजिक लाभ सम्यन्धी सभी विचार दूसरे मनुष्य करें और प्रजा के मन में अपना उत्साह परित्याग करने की देव पड़े और इसको वह स्वीकार करती जाय । किसी बात को जैसे ईश्वर पर छोड़ते हैं, वैसे राज्यतंत्र पर छोड़ने के माने हैं । उसके विषय में कुछ परवा न करना और उसका परिणाम घुरा हो, तो उसे देवी आफत समझ कर शिरोधार्य कर लेना । इस तरह कुछ विधासक्त

पुरुषों को—जो वादविवाद में वादविवाद की खातिर ही मानसिक उत्साह रखते हैं—थोड़ कर सारी जनता का मन और विचार खानगी (भाइवेट) जिन्दगी के गौण लाभ में और उसके प्राप्त हो जाने पर मौज और आडम्बर में डूबा रहता है। परन्तु अगर इतिहास की सारी सान्नी किसी काम की हो तो इसका अर्थ यही है कि जनता की अधोगति का अर्थात् अगर उसने ऐसी पदवी पाई है जिससे नीचे गिरना अधोगति है, तो उसके नीचे गिरने का समय आया है। अगर वह पूर्वी प्रजा की स्थिति से कभी जंचे न चढ़ी हो, तो वह उस स्थिति में सड़ा करती है। और अगर उसने उत्साह, देश भक्ति और मानसिक उन्नति हासिल—जो सामाजिक गुणरूप में स्वतंत्रता के फल हैं—ग्रीस और रोम की तरह कुछ अधिक उन्नति की हो, तो वह थोड़े समय में फिर पहिली अवस्था में आ पड़ती है। और इस अवस्था का अर्थ बहुत घुरे परिवर्तन से निरापद जड़ शान्ति नहीं है; बहुधा इसका अर्थ है किसी अधिक बलवान् निरंकुश राजा द्वारा अथवा किसी स्व से नजदीक की बिना सुधरी हुई प्रजा द्वारा—जिसने जंगली जड़ता के साथ स्वतंत्रता का उत्साह खा हो उसके द्वारा—छितरा जाना, जीता जाना और उसके घर का गुलाम बन जाना।

निरंकुश राज्य का यह सिर्फ स्वाभाविक रूप नहीं है, वरन् अंगीभूत तत्व है और जिस कदर निरंकुश राज्य निरंकुश राज्य न हो जाना कबूल करे अर्थात् कल्पित निरंकुश राजा अपनी सत्ता चलाने से बाज रहे और उस सत्ता को अपने हाथ में अमानत रखते हुए लोगों को इस तौर पर चलने दे मानों वे अपना राज्य आप ही चलाते हों—उस कदर उस से छूटने का मार्ग मिलने के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है। असम्भव होने पर भी हम अंकुशित राज्यतंत्र के

कितने ही नियम और शर्तें मानने वाले किसी निरंकुश राजा की कल्पना करते हैं। वह सार्वजनिक कार्य के विषय में लोक-मत बनाने और प्रकट करने और आन्दोलन मचाने योग्य स्वतंत्रता सामयिक-पत्र को दे; वह अपना अधिकार बल बीच में अड़ाये बिना स्थानिक कार्य की व्यवस्था लोगों द्वारा हाने दे; कर विठाने की सत्ता और प्रबंध करने तथा कानून बनाने का सब से बड़ा अधिकार अपने हाथ में रख कर सारी प्रजा की या खास श्रेणी की स्वतंत्रता से पसन्द की हुई राज्यसभा या राज्यसभाएं भी अपने आस-पास रखें—अगर वह इस प्रकार का यत्नाव करे और निरंकुश राजा होने का इतना अधिकार छोड़ दे, तो वह निरंकुश राज्य के अंगीभूत अनर्थों का बहुत बड़ा भाग दूर कर देता है। ऐसा होने से जनसमूह में राजनीतिक उत्साह और राज-काज के लिये सामर्थ्य मिल जाने से रुकेगी नहीं और ऐसा लोक-मत बनेगा जो राज्यतंत्र की केवल प्रतिध्वनि न होगा, परन्तु इस सुधार से नयी कठिनाइयां शुरू होंगी। राजाशा से स्वतंत्र यह लोक-मत या तो उसके पक्ष में या विपक्ष में होगा। पहिला नहीं तो दूसरा होगा ही। कोई राज्यतंत्र बहुत से मनुष्यों को नाराज किये बिना नहीं रह सकता। और जब उन्हें नियमित साधन मिल और वे अपने विचार प्रकट करने को शक्तिमान हुए तब राज्यतंत्र के कामों के विरुद्ध राय अक्सर प्रकट होगी ही, जब यह प्रतिकूल राय अधिक संख्या में हो तब राजा को क्या करना होगा? वह अपना रास्ता बदले? प्रजा का मन रखे? ऐसा करता है तो वह अब निरंकुश नहीं, अंकुशित राजा, प्रजा का प्रतिनिधि अथवा मुख्य मंत्री समान हो जाता है। भेद इतना ही है कि वह हटाया नहीं जा सकता। और अगर वैसा न, करे तो

उसे यह विरुद्ध भाव अपनी निरंकुश सत्ता द्वारा दया देना होगा; नहीं तो प्रजा और एक मनुष्य के बीच में स्धार्य विरोध उठेगा और उसका वह एक ही परिणाम सम्भव है। मौन भाव की ताबेदारी और "ईश्वरी हक" के धार्मिक नियम भी ऐसी स्थिति के स्वाभाविक परिणाम को बहुत समय तक रोक नहीं सकेगा। राजा को लाचार होकर अंकुशित राज्य की शर्तों का अनुसरण करना पड़ेगा अन्यथा ऐसा करने को तय्यार किसी दूसरे के लिये अपनी जगह गाली करनी पड़ेगी। इस प्रकार निरंकुश राज्य के मुख्य कर के नाम का होने के कारण खुदमुस्तार सरकार से जो लाभ संचा जाता है, वह कम ही होगा और स्वतंत्र राज्य-तंत्र का लाभ भी बहुत करके अधूरा ही सधेगा। क्योंकि नागरिक जन चाहे जितनी अधिक असली स्वतंत्रता भोगते हों वह मेहरबानी में दापिल है और इस शर्त पर है कि, वर्त्तमान राज्य गठन के अनुसार चाहे जिस घड़ी छीन ली जा सकती है। अगर उनका राजा चतुर और दयालु है, तो भी यह बात न भूलनी चाहिये कि कानून के रू से ये लोग उसके गुलाम हैं।

लोगों के अज्ञान, लापरवाही, अल्हड़पन और अंधे हठ में तथा स्वतंत्रता के नियमों द्वारा प्रयत्न अत्र धारण करने वाले श्वार्थी, मतलबी पुण्यों के गुद्दूट याँधने से न्य में हित-कारक सामाजिक सुधार के मार्ग में आ पड़ी हुई अड़चनों के कारण जो अधीर या निराश बने हुए सुधारक तड़पते होंगे, वे अड़चनों दूर करने के लिये और हठीली प्रजा को और अच्छे राज्य प्रबन्ध में आने को लाचार करने के लिये कभी कभी जबरदस्ती करने को तरसैं, तो इस में बहुत आश्चर्य मानने की बात नहीं है। परन्तु (जहाँ एकाध दूषण सुधारने वाला राजा कभी कभी सौ में एक होता है, वहाँ नये

नये दूपण खड़ा करने वाले निम्नानवे होते हैं इस बात को दरकिनार रखें तो भी) जो लोग अपनी आशा सफल करने के लिये ऐसे किसी साधन की अपेक्षा रखते हैं, वे राज्यतंत्र का जो मुख्य तत्व प्रजा का अपना आप सुधार करना है, उसको तो उसकी भावना में से निकाल ही डालते हैं । स्वतंत्रता का एक लाभ यह है कि उसकी सत्ता में राज्यकर्ता प्रजा के मन को ताक पर नहीं रख सकता और प्रजा के मन को सुधारे बिना उसके लिये उसका कार्य-व्यवहार नहीं सुधार सकता । प्रजा पर उसकी मरजी के बिना अच्छा राज्य चलाना सम्भव हो, तो भी उसके ऊपर का अच्छा राज्य उतने समय से अधिक नहीं टिक सकता, जितने समय बहुधा उस प्रजा की स्वतंत्रता टिकती है, जो प्रजा विदेशी हथियार के बल से बिना स्वयं साथ दिये स्वतंत्र हुई हो । यह सच है कि निरंकुश राजा लोगों को शिक्षा दे सकता है और सच-मुच ऐसा करना उसकी निरंकुशता के लिये सब से अच्छा यद्दाना होगा । परन्तु कोई शिक्षा जो मनुष्य प्राणियों को सिर्फ यंत्ररूप बनाने की अपेक्षा कुछ विशेष उद्देश्य रखती है वह अन्त को उनसे अपने कार्य का अधिकार अपने हाथ में लेने का दावा कराती है । अठारहवीं सदी में फ्रांसीसी दार्शनिकों के नेताओं को जेस्विटो ने शिक्षा दी थी । ऐसा मालूम होता है कि जेस्विट की शिक्षा भी स्वतंत्रता की आकांक्षा उत्तेजित करने पर वास्तव में थी । जो वस्तु बुद्धि को चमकाती है, वह थोड़ी ही क्यों न हो, मगर अपने द्वारा अधिक निरंकुशता के साथ काम लेने के लिये अधिक आकांक्षा जगाती है । और जिस स्थिति की आकांक्षा करने की ओर और बहुत करके जिस की भांग की ओर प्रजा को अवश्य उभाड़ना प्रजा-शिक्षा का उद्देश्य हो उसके सिवाय अगर किसी

दूसरी वस्तु के लिये शिक्षा दे तो वह व्यर्थ गई जानना ।

बहुत नाजुक मौके पर तात्कालिक डिक्टेटर * के तौर पर स्वतंत्र सत्ता धारण करने की बात की मैं निन्दा करना नहीं चाहता: राजनीतिक संस्था को जो व्याधियाँ कम करारे उपायों से नहीं निकलतीं, उनके लिये आवश्यक औपध के तौर पर ऐसी सत्ता प्राचीन काल में स्वतंत्र राष्ट्रों ने अपनी खुशी से दी है। परन्तु अगर वह डिक्टेटर (अथवा निरंकुश सत्ताधिकारी) सोलन † के पिटेक ‡ की तरह अपनी धारण की हुई सारी सत्ता जनता को स्वतंत्रता के उपभाग में रोकने वाली उपाधियों को दूर करने में ही लगावे, तब वह खास नियमित समय के लिये धारण करना सकारण है। अच्छा निरंकुश राज्य केवल भूठी कल्पना है और अनुभव में तो (किसी तात्कालिक उद्देश्य के साधन के तौर पर काम में लाने के सिवाय) यह सब से बड़हवास और भयंकर तुरंग हो जाता है। खराब खराब ही है। सुधार में कुछ भी आगे बढ़े हुए देश में तो एक अच्छा निरंकुश राज्य खराब से भी अधिक हानिकारक है। क्योंकि वह लोगों के विचार, वृत्ति और उत्साह को बहुत ही मन्द और नियंत्रित करने वाला घन

* रोम के प्रजासत्ताक राज्य में असाधारण आफत या भय के समय दिल्कुल निरंकुश सत्ता वाले शाकिम नियुक्त होते थे † ग्रीस के सात ज्ञानियों में से एक—इस ने एथेन्स राज्य के लिये बहुत अच्छे कानून बना कर वहाँ उत्तम प्रजासत्ताक राज्य की नांव डाला था, वह सन् इस्वी से छठो सदी पहिले हुआ था। ‡ ग्रीस के सात ज्ञानियों में से दूसरा यह लेस्बोस नाम के ग्रीस के पास के एक टापू का राजा था और इसका राज्यतंत्र बहुत अच्छी बुनियाद पर था। वह हरवी सन् ४

जाता है । आगस्टस * के निरंकुश राज्य ने रोमनों को टैबी-रियस † के लिये तय्यार किया । उनकी लगभग दो पीढ़ियों की नरमी वाली गुलामी ने उनकी प्रकृति में विद्यमान सारा सत्त पहिले निर्मूल न कर दिया होता तो शायद इस अधिक फटकार-योग गुलामी का सामना करने लायक उत्साह उन में रहना ।

यह बताने में कुछ फटिनाई नहीं है कि वही शासन-पद्धति सब से श्रेष्ठ है, जिस में अन्तिम अधिकार या सर्वोपरि निग्रह सत्ता सारी जनता को साँपी हुई होती है अर्थात् प्रत्येक नागरिक को उस अन्तिम प्रभुता से काम लेने में मत देने की स्वाधीनता हो । इतना ही नहीं, वरंच कोई स्थानिक या साधारण सरकारी काम स्वयं बजाने और सरकारी प्रबन्ध में कार्यतः काम लेने के लिये अधिक नहीं तो समयानुसार भी वह धुलाया जाता हो ।

इस सिद्धान्त की परीक्षा के लिये, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया आये हैं, राज्यतंत्र की श्रेष्ठता का प्रश्न जिन

पूर्व ६५०-६७० के अरबे में हुआ । * रोमन-साम्राज्य का पहिला सम्राट् (ईस्वी सन् से पूर्व ६३ ई० स० १४) यद्यपि इन्होंने रोम का जनसत्ताक राज्य उलट कर अपना निरंकुश राज्य स्थापित किया था तथापि बाहर से सारी काररवाई उन्होंने जनसत्ताक राज्य जैसी रखी थी और स्वयं एक साधारण मनुष्य की तरह ऐसी नरमी, योग्यता और दर्यालुता से बर्ताव करता कि रोमनों को निरंकुश राज्य स्वीकार करना जबर नहीं मालूम हुआ । † रोम का दूसरा सम्राट् (ईस्वी सन् १४ ३७) यह बड़ा शक्तो, अनदेखना और क्रूर था । इन्होंने प्रजा पर बहुत बहुत जुल्म किये तथा बहुतों को मरवा डाला था ।

दो शाखाओं में सहज ही बँट जाता है, उनके विषय में इसको जांचना चाहिये, अर्थात् यह जनता में विद्यमान सात्विक, मानसिक और उत्साही शक्तियों द्वारा अपने कार्य-व्यवहार की अच्छी व्यवस्था किस दरजे तक दिखाती है और उन शक्तियों को सुधारने या बिगाड़ने में कितना असर करती है।

यह कहने की शायद ही जरूरत है कि वास्तव में परम उत्कृष्ट राज्यतंत्र का यह अर्थ नहीं है कि वह सभ्यता की सभी अवस्थाओं में साध्य या मान्य हो घरेलू यह है कि जिस स्थिति में वह साध्य और मान्य हो उस स्थिति में उस से सत्र से अधिक परिमाण में तात्कालिक और भाषी शुभ परिणाम निकले। इस लक्षण का कुछ भी दावा कर सकती है तो एक मात्र पूर्णतया लोक-सम्मत शासन-पद्धति ही। राजनीतिक गठन की उत्कृष्टता जिन दो शाखाओं में बँटी हुई है उन दोनों में यह सर्वोत्तम है। दूसरी कोई भी शासन-पद्धति हो, उस से यह जैसे अच्छे वर्तमान राज्य प्रबंध के अधिक अनुकूल है, वैसे सामाजिक प्रकृति का अधिक अच्छा और उन्नत स्वरूप दिगाती है।

वर्तमान दिन के विषय में जो दो नियम उसकी श्रेष्ठता का आधार हैं वे मनुष्य के कार्य-व्यवहार के विषय में हमारे निकाले हुए किसी साधारण सिद्धान्त के समान ही सर्वतः सत्य और उपयोगी हैं। पहिला नियम यह है कि प्रत्येक या किसी पुरुष का हक और लाभ जब वह पुरुष उसके बचाव के लिये स्वयं खड़ा होने को समर्थ और साधारण तौर पर तत्पर होता है तभी बिगाड़ने के योग्य नहीं है। दूसरा यह है कि सामाजिक समृद्धि उसके बढ़ाने में लगे हुए पृथक् पृथक् मनुष्यों का प्रयत्न और विविधता जितनी अधिक होती है, उतनी ही अधिक उन्नत होती है और अधिक विस्तार में फैलती है।

वर्तमान के उपयोग के लिये इन दो सिद्धान्तों को अधिक निर्दिष्ट स्वरूप में रखें, तो मनुष्यप्राणी जिस कदर आत्मरक्षा करने की शक्ति रखते हैं और ऐसे होते हैं, उसी कदर वे दूसरों द्वारा होने वाले अनिष्ट से निरापद होते हैं और उनके लिये दूसरे जो कुछ करें, उसका भरोसा रखने के बदले वे स्वयं पृथक् पृथक् या संयुक्त हो कर जो कुछ कर सकते हैं उस पर भरोसा रख कर जिस कदर आत्माश्रयी होते हैं, उसी कदर प्रकृति का सामना करने में अधिक सफलता पाते हैं ।

पहिला सिद्धान्त—अर्थात् प्रत्येक जन स्वयं ही अपने हक और लाभ का निर्भय रक्षक है—एक ऐसा बुद्धिमत्ता पूर्ण मूल सिद्धान्त है कि अपना कार्य-व्यवहार स्वयं चलाने में समर्थ प्रत्येक मनुष्य, जहां जहां उसका निज का लाभ होता है वहां वहां, निःशंक भाव से इस नियम के अनुसार बर्ताव करता है । अदृश्य ही बहुतेरों को इसे राजनीतिक सिद्धान्त मानना बहुत नापसन्द है और वे इसको सार्वत्रिक आत्म-स्वार्थ का सिद्धान्त कह कर इसकी दिल्ली उड़ाते हैं । उनको हम यह उत्तर दे सकते हैं कि मनुष्य-जाति जो दूसरों की अपेक्षा अपने को, और अधिक वेगाने की अपेक्षा अधिक नजदीकी को, नियमबद्ध अधिक पसन्द करती है—यह बात किसी समय सत्य मानी जाने से रुक जायगी, तो उसी घड़ी से सार्व-जन कौटुम्ब्य केवल साध्य नहीं होगा वरंच प्रतिपादन होने योग्य सामाजिक स्वरूप यही एक रहेगा । और जब वह समय आवेगा तब वह अवश्य अमल में आवेगा । मुझ से पूछिये तो मुझे सार्वत्रिक आत्मस्वार्थ की बात पर श्रद्धा न होने से यह मानने में कुछ कठिनाई नहीं है कि सार्वजन कौटुम्ब्य मनुष्य-जाति के शिष्ट समाज में इस समय भी साध्य है और शेष में साध्य हो सकता है । परन्तु विद्यमान नियम-तंत्र के

पक्षपाती जो आत्म-स्वार्थ के साधारण प्रभाव के मत को दूषिते हैं उनको तो यह अभिप्राय नहीं रुचेगा । इस से मेरे मन में यह विचार आता है कि वे इतना तो जरूर ही मानते होंगे कि अधिकांश मनुष्य दूसरों की अपेक्षा अपना विचार पहिले करते हैं । इतने पर भी सर्वोपरि सत्ता में भाग लेने का सय का एक प्रतिपादन करने के लिये, इतना भी कहने की जरूरत नहीं है । हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि जब एक भिन्न श्रेणी के हाथ में सत्ता रहती है, तब वह अपने ऊपर दूसरों को जानबूझ कर न्योछावर करती है । इस सम्बन्ध में इतना कहना बस है कि यादर रहे हुआ के लाभ के, अपने स्वाभाविक रक्षकों की अनुपस्थिति में हमेशा, नज़र से यादर चले जानें का डर रहता है । और निगाह में लिया जाता है, तब उस से जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, उसकी अपेक्षा भिन्न दृष्टि से देखा जाता है । दृष्टान्त के तौर पर इस देश में जिन लोगों को मजदूर-दल कहते हैं, वे राज्यतंत्र में प्रत्यक्ष भाग लेने से वंचित किये हुए माने जाते हैं । मैं यह नहीं विश्वास करता कि जो उसमें भाग लेते हैं, वे साधारण तौर पर, अपने लिये मजदूर-दल की बलि देने का कुछ ख्याल रखते होंगे । पहिले वे ऐसी ही धारणा रखते थे; उनकी मजदूरी कानून के ज़ोर से कम रखने के लिये जो आग्रहपूर्वक प्रयत्न इतनी मुद्दत तक चल रहा था उसको देखो । परन्तु वर्तमानकाल में उनका साधारण रूप बिलकुल उलटा है । मजदूर-श्रेणी के लिये वे बहुत बड़ा त्याग, विशेष कर अपने धन सम्बन्धी लाभ का त्याग खुशी से करते हैं । और फजूलखर्ची तथा अधिचारी उदारता का दोष बहुत कम करते हैं । मैं यह भी नहीं मानता कि इतिहास में दूसरा कोई भी राज्यकर्ता अपने देशियों में सय से गरीब दर्जे के प्रति अपना कर्तव्य-पालन को इनसे

अधिक आंतरिक उत्कण्ठा से प्रेरित हुआ होगा । तो भी क्या पार्लिमेण्ट या लगभग उसका कोई सभासद किसी प्रश्न को क्षण भर के लिये भी मजदूर मनुष्य की दृष्टि से देखता है ? जिसमें मजदूरों की मजदूरी सम्बन्धी स्वार्थ रहता, वैसा प्रश्न जब उठता है तब उसको मजदूरी कराने वाले की निगाह से नहीं देखते तो और किस निगाह से देखते हैं ? मैं यह नहीं कहता कि उस प्रश्न के विषय में मजदूर मनुष्यों का अभिप्राय साधारणतः दूसरों की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट होता है, परन्तु कितनी ही बार वह बिलकुल नजदीक ही सा होता है । और, मतलब यह कि जैसे वह नफरत से हटा ही नहीं दिया जाता वरंच अनसुनी कर दिया जाता है, वैसा न करके उसके ऊपर आदर पूर्वक ध्यान देना चाहिये । दृष्टान्त के तौर पर हड़ताल का प्रश्न है । इस बात का संशय है कि पार्लिमेण्ट की दोनों सभाओं में से किसी एक में एक भी अगुआ सभासद शायद ही ऐसा हो, जिसके दिल में यह बात न जम गयी हो कि "इस विषय में न्याय पूरा पूरा मालिकों के पक्ष में है, और मजदूरों का विचार तो बिलकुल बेहदा है ।" जिन्होंने इस प्रश्न का मनन किया है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि यह विचार कहाँ तक खोटा है और हड़ताल करने वाले अपनी बात पार्लिमेण्ट को सुनाने में समर्थ हों, तो इस विषय पर कैसी भिन्न रीति से और कितनी कम दिखाऊ रीति से बहस करने को लांचार होना पड़े ।

दूसरों के लाभ की रक्षा करने का हमारा कैसाहू हार्दिक विचार क्यों न हो, परन्तु उनका हाथ बांध लेना निरापद या लाभदायक नहीं हो सकता । यह मनुष्य के कार्य व्यवहार की अंगीभूत अवस्था है । यह बात उससे भी अधिक स्पष्ट तथा सत्य है कि जीवन में उनकी स्थिति का कुछ भी असली

और स्थायी सुधार उन्हीं के हाथों से कराया जा सकता है। इन दो तत्वों के संयुक्त प्रभाव से सभी स्वतंत्र जनताएं दूसरों की अपेक्षा अथवा अपनी स्वतंत्रता गँवाने के बाद अपनी ही अपेक्षा जैसे सामाजिक अन्याय और अपराध से बहुत बची रही हैं जैसे अधिक तेजस्वी समृद्धि भी प्राप्त कर सकी हैं। जब संसार के स्वतंत्र राज्य स्वतंत्रता भोग रहे थे, उस अरसे में उनकी और एक या अनेक राज्यकर्ता निरंकुश राज्य की उसी समय की प्रजा के बीच का अन्तर देखो। फ्रांस के शहरों और ईरानी सत्रापी (पुराने ईरान के मातहत देशों) के दरमिआन; इटली के जनसत्ताक राज्य और फ्लाएडर्स तथा जर्मनी के स्वतंत्र शहरों में और युरोप के माएडलिक राज्यों के दरमिआन; स्वीजरलैण्ड, हालैण्ड और इंगलैण्ड तथा आष्ट्रिया और राज्य-विभय सं पहिले के फ्रांस के दरमिआन मुकायला करो। पहिलों की बढ़ती साफ तौर पर इतनी अच्छी थी कि उसको इन्कार नहीं कर सकते। फिर उनकी बढ़ती से उनके अच्छे राज्य-प्रबन्ध में और सामाजिक सम्बन्ध में थोष्टता सिद्ध होती है और इतिहास के पन्ने पन्ने में दिखाई भी देती है। हम अगर एक जमाने की दूसरे जमाने से नहीं, वरंच एक ही जमाने में रहे हुए भिन्न भिन्न राज्यों की तुलना करें तो स्वतंत्र राज्यों में सामयिकपत्र होने पर भी चाहे जितना भारी अन्धेर रहा हो और जिसको अतिशयोक्ति स्वयं बताना चाहे तो भी वह, निरंकुश राज्यवाले देशों में जिन्दगी के सभी व्यवहार में जनता पर तिरस्कार पूर्यक लतमर्दन का जो वर्ताव हो रहा था या आय के प्रबन्ध के नाम चलने वाली लूट-पाट की चाल से और भयंकर न्याय सभाओं की लुका-चोरी में पृथक् पृथक् मनुष्यों पर जो त्रासदायक अत्याचार प्रतिदिन बार-बार दोरहा था उसके मुकायले में क्षण भर भी नहीं टिक सकता।

यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अब तक जिस स्वतंत्रता का लाभ भोगने में आया है वह सिर्फ जनता के एक भाग को उसका हक देने से मिला है और ऐसा राज्यतंत्र तो अभी असाधित मनोरथ ही है, जिसमें वह निष्पक्ष भावसे सब को दिया गया हो। यद्यपि इस मनोरथ के निकट जानेवाले हर एक कदम में कुछ और ही गुण है और सामाजिक सुधार की वर्तमान स्थिति में तो कितनीही बार निकट जाने से अधिक नहीं घन पड़ता तथापि स्वतंत्र राज्यतन्त्र का परम सम्पूर्ण भाव यह है कि इस लाभ में सब को भाग मिले। जिस परिमाण में—चाहे वे कोई हों—उस से वंचित रहते हैं, उस परिमाण में वंचित रहे हुआ का लाभ बाकी को मिलने की जमानत से वंचित रहता है और जिस उत्साह-शक्ति के प्रयोग के परिमाण में ही हमेशा साधारणसमृद्धि बढ़ी हुई देखने में आती है, वह शक्ति उनके अपने और जनता के हित में लगाने का अवकाश और उत्तेजन, उनको अपनी अन्य स्थिति में जितना मिलता उसकी अपेक्षा, ऐसी स्थिति में कम मिलता है।

वर्तमान हित सम्यन्धी स्थिति इस प्रकार अर्थात् चलते जमानेके कार्य व्यवहार की अच्छी व्यवस्था है। अब अगर हम शासन-पद्धति की प्रकृति के ऊपरी असर के विषय पर आये तो दूसरे किसी की अपेक्षा जनसम्मत शासन-पद्धति की श्रेष्ठता यथासम्भव हमें इस से भी अधिक प्रभावशाली और निर्विवाद मालूम पड़ेगी।

यह प्रश्न वास्तव में इस से भी बढ़ कर एक तात्त्विक प्रश्न के आधार पर है—अर्थात् मनुष्य-जाति के सामान्य हित के लिये प्रकृति के दो साधारण नमूनों में से किस की प्रधानता चाहने योग्य है, उत्साही की या उदासीन की; जो

अनिष्ट का सामना करता है उसकी, या जो बरदाश्त कर रहा है उसकी, जो प्रसंगों को अपने घश में रखने का प्रयत्न करता है उसकी, या जो आप प्रसङ्गों के वश हो जाता है उसकी ?

नीतिकारों के साधारण वचन और मनुष्य जाति की साधारण सहानुभूति उदासीन प्रकृति के पक्ष में है। उत्साही प्रकृति सानन्द आश्चर्य उपजाती है सही, किन्तु अधिकांश मनुष्य स्वयं नम्र और अधीन प्रकृति को ही पसन्द करते हैं। हमारे पड़ोसियों की अधीनता हमारी निर्भयता का भाव बढ़ाती है और हमारी स्वच्छन्दता के हाथ का पिलौना बन जाती है। जब उदासीन प्रकृति के पुरुषों की चंचलता की हमें जरूरत नहीं होती, तब हमारे मार्ग में उसकी अड़चन कम जंचती है। सन्तोषी प्रकृति भयंकर प्रतिस्पर्धा नहीं है; तो भी इस बात में तो कुछ सन्देह नहीं है कि मनुष्य व्यवहार में सुधार केवल असन्तुष्ट प्रकृति का काम है; और उदासीन मन को उत्साह का सद्गुण धारण जितना सहज है, उससे उत्साही के लिये धीरता का सद्गुण धारण करना अधिक सहज है।

मानसिक, व्यवहारिक और सात्विक इन तीन प्रकार की मन की उत्कृष्टता में पहिली दो के सम्यन्ध में कुछ भी सन्देह नहीं रहता कि किस पक्ष में लाभ है। सारी मानसिक उत्कृष्टता उत्साही प्रयत्न का फल है। हाँसला, गति में रहने की आकांक्षा, अपने या दूसरों के लाभ के लिये नयी वस्तुओं को जांचते और जानते रहना तर्क शक्ति का और उस से बढ़ कर प्रयोग-शक्ति का मूल है। जो मानसिक शिक्षा दूसरे नमूने की प्रकृति के अनुकूल आती है, वह ऐसी मंद अनिश्चित प्रकार की होती है कि विनोद अथवा केवल मनन पर ही बस करने वाले मन में देखने में आती है। यथार्थ और सबल

मनन की अर्थात् केवल स्वप्न देखने के बदले सत्य सिद्धान्तों का निर्णय करने वाले मन की कसौटी उसका उपयोग है। जहां मनन की मर्यादा में असली स्वरूप और स्पष्ट भाव निर्धारित करने का उद्देश्य नहीं होता, उस से पिथागोरियन या वेद की गूढ़ अध्यात्म विद्या से बढ़ कर कोई फल नहीं निकलता। व्यवहारिक सुधार के सम्बन्ध में तो यह बात इस से भी अधिक स्पष्ट है। जो प्रकृति कुदरती शक्तियों और रसों का सामना करती है, वही मनुष्य के जीवन में सुधार करती है। जो प्रकृति उनके वश में रहती है, वह कुछ नहीं करती। सभी स्वलाभ-साधक-गुण चंचल और उत्साही प्रकृति के पक्ष में हैं और जो वृत्ति और वर्त्ताव समाज के पृथक् पृथक् मनुष्यों के लाभ की वृद्धि करता है, वह अन्त को सारे समाज की साधारण उन्नति करने में सब से अधिक सहायता करने वाली वृत्ति और वर्त्ताव का अंश तो होगा ही।

परन्तु सात्त्विक श्रेष्ठता के विषय में पहिली दृष्टि से संशय का कारण जान पड़ता है। निकृत्साही प्रकृति ईश्वरी इच्छा की उचित अधीनता के लिये अधिक अनुकूल होती है, इस से उस के पक्ष में जो इस साधारण रीति से धार्मिक भाव है, उस उद्देश्य से मैं नहीं कहता। क्रिस्तानी और दूसरे धर्मों ने यह विचार पैदा किया है; परन्तु इस और दूसरी कितनी ही विक्रियाओं का परित्याग करने को समर्थ होने का खास अधिकार तो क्रिस्तानी धर्म को ही है। धार्मिक विचार को अलग रखें तो भी रुकावटें दूर करने के बदले उनके अधीन होने वाली जो उदासीन प्रकृति है, वह अपने लिये और दूसरों के लिये बहुत उपयोगी तो बेशक नहीं होगी, परन्तु शायद यह सोचा जाय कि निर्दोष तो होगी। सन्तोष हमेशा एक धार्मिक सद्गुण गिना जाता है परन्तु यह सोचना पूरी भूल है कि

वह अथवा उसके अथवा स्वाभाविक रीतिपर उदासीन प्रकृति का सहचर है। और ऐसा न हो तो उसका सात्विक परिणाम हानिकारक होता है। जहाँ ऐसे लाभ की लालसा होती है, जो प्राप्त नहीं हुआ है, वहाँ उसको जिस मनुष्य में अपने उत्साह द्वारा प्राप्त करने की सम्भावना नहीं है उस में, जिसने वह लाभ प्राप्त कर लिया है उसको धिक्कार और द्वेष की नज़र में देखने की वृत्ति होती है। जिस को अपनी दशा सुधारने के प्रयत्न में सफल होने की आशा होती है, वही मनुष्य उस काम में लगे हुए या सफलता पाये हुए दूसरे मनुष्य के प्रति शुभ इच्छा रखता है। जहाँ अधिकांश इस प्रकार उलभे रहते हैं, वहाँ जो लोग अपनी धारणा में सफलता नहीं पाते उनकी मनोवृत्ति, देश की साधारण वृत्ति द्वारा एक समान हुई रहती है और वे अपनी असफलता को प्रयत्न या प्रसंग के अभाव का अथवा म्वास अपने दुर्भाग्य का परिणाम समझते हैं। परन्तु जो लोग दूसरों के पास जो चीज़ है, उसकी चाह रखते हुए भी, उसके लिये उत्साह पूर्वक प्रयत्न नहीं करते वे या तो हमेशा बड़बड़ाया करते हैं कि जिसके लिये हम अपने निमित्त प्रयत्न नहीं करते वह चीज़ हमें भाग्य नहीं दे देता; या जिस चीज़ को वे चाहते हैं, वह जिनके पास होती है, उन के ऊपर द्वेष और बुरे भाव से किचकिचाया करते हैं।

जिस कदर जीवन की सफलता प्रयत्न का नहीं, बरंच दैव या अकस्मात का फल समझा या माना जाता है, उसी कदर द्वेष सार्वजनिक प्रकृति के एक लक्षण रूप में गिला निकलता है। मनुष्य-जाति में पूर्व के लोग सब से अनदेखने हैं। पूर्व के नीतिकारों में और पूर्व की कहानियों में अनदेखना मनुष्य विलक्षण रूप से दिखाई देता है। प्रत्यक्ष जीवन में जिस के पास कोई वस्तु चाहने योग्य होती है, वह चाहे महल हो,

चाहे खूबसूरत बालक, चाहे अच्छा नीरोग और आनन्दी स्वभाव हो—उस मनुष्य के लिये तो वह भारी दहशत का कारण होता है; उसकी केवल दृष्टि का जो फर्जा असर ख्याल किया जाता है वह दुष्ट-दृष्टि के सर्वव्यापक वहम का फल है। चंचलता और ईर्ष्या के विषय में पूर्व के लोगों के बाढ़ कुछ दक्षिणी युरोपियों का नम्बर है। स्पेनियाडों ने अपने सब महापुरुषों को द्वेष से खदेड़ दिया था, उनका जीवन ज़हरीला कर दिया था और उनकी सफलता को असमय रोकने में सफलता पायी थी। * फ्रांसीसी जो वास्तव में दक्षिणी प्रजा हैं, उनके सम्बन्ध में यह बात है कि उनकी उत्साही प्रकृति होने पर भी निरंकुश राज्य और फेथलिक मत की दोहरी शिखा के कारण अधीनता और सहनशीलता की साधारण प्रकृति बनी है और इन गुणों को चतुराई और उत्कृष्टता का सब से मान्य भाग मिला है। और उन में एक दूसरे की या सारी श्रेष्ठता की जितनी ईर्ष्या विद्यमान है, उम से अधिक नहीं है तो उसे फ्रांसीसी प्रकृति में मौजूद अनेक अमूल्य निवारक तत्वों का और उस में सब से अधिक मनुष्य

* मेरी यह उक्ति भूतकाल के लिये ही है। क्योंकि जो मरान् और अन्त को हाल ही में स्वतंत्र बनी हुई प्रजा खोये हुए लाभ को लौटा लाने की आशा दिखाने वाले उत्साह सहित युरोपियन उन्नति के साधारण प्रयत्न में प्रवेश करती है, उसको हलका करने के लिये मैं कुछ कहना नहीं चाहता। स्पेनियाड की बुद्धि और उत्साह क्या क्या करने को समर्थ है, इस विषय में कुछ सन्देह नहीं किया जा सकता और मुख्य कर के प्रजा की हैसियत से उन में जो दोष है उसका असली उपाय स्वतंत्रता और उद्योग का शौक है।

विशेष में मौजूद उत्साह का परिणाम समझना चाहिये। क्योंकि यद्यपि यह उत्साह आत्माश्रयी और प्रयत्नशील पंग्लो सेफर के उत्साह की अपेक्षा कम आग्रही और अधिक छिन्न है तथापि जिन जिन विषयों में उनके नियम-तंत्रों की अनुकूलता हुई है उन पर फ्रांसीसियों ने प्रकाश डाला है।

घास्तविक सन्तोषी मनुष्य देशक सय देशों में होते हैं उन के पास जो वस्तु नहीं होती उस के लिये प्रयत्न नहीं करते इतना ही नहीं, वरंच उस की अभिलाषा भी नहीं रखते; जिनका भाग्य बहुत अच्छा दिखाई देता है, उनसे वे डाँ नहीं करते। परन्तु जान पड़ने वाले सन्तोष का बड़ा भाग तो असन्तोष ही होता है और उस के साथ आलस या मनमान की मिचड़ी होती है। वे अपनी उप्रति के लिये उचित उप-न कर के उल्टे दूसरों को अपनी श्रेणी में उतार लाने आनन्द मानते हैं। और अगर हम निर्दोष सन्तोष के दोषों की भी घरीकी से जांचते हैं, तो हमें मालूम होता है कि उदासीनता केवल यादरी स्थिति सुधारने के बारे में होती है, परन्तु आध्यात्मिक योग्यता की निरंतर वृद्धि के लिये चेष्टा तो उस के साथ जारी रहती है अथवा कम से कम दूसरों को लाभ पहुँचाने की निःस्वार्थ आतुरता तो होती है, सिर्फ तभी वे हमारी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। जिस सन्तोषी मनुष्य या सन्तोषी कुटुम्ब में दूसरे किसी को अधिक सुगी करने की, अपने देश या अपने पड़ोस की भलाई करने की अथवा अपनी सात्विक उत्कृष्टता बढ़ाने की कुछ भी अभिलाषा नहीं होती, उसके प्रति हमारे जी में प्रशंसा या प्रसन्नता का कुछ भाव नहीं उपजता। इस किस्म के सन्तोष को जो हम निःसत्यता और उत्साह के अभाव का परिणाम समझते हैं, वह उचित है। हम जिस सन्तोष को पसन्द करते हैं, वह यह

—जो न मिल सके उसके बिना खुशी से चला लेने की साम-
 भिन्न भिन्न इष्ट वस्तुओं का परस्पर मूल्य आँकने की तुलना-
 क्ति और अधिक मूल्यवान वस्तु के प्रतिकूल जानेवाली कम
 की वस्तु का प्रसन्नता पूर्वक परित्याग । इतने पर भी
 15 4 जब अपनी या दूसरी कोई स्थिति सुधारने के प्रयत्न में
 उत्साह पूर्वक लगा रहता है, तब उस में ये गुण उसी हिसाब
 अधिक स्वाभाविक होते हैं । जो मनुष्य अपने उत्साह
 को कठिनाइयों से निरन्तर सामना कराता रहता है, उसको
 मालूम होता है कि कौनसी कठिनाई अल्पकाल है और कौन
 ऐसी है जो पार की जा सकती है, तो भी उस में प्रयत्न के
 योग्य फल नहीं मिलता । जिस के सभी विचार और प्रयत्न
 नाभ्य और उपयोगी हौसलों के लिये आवश्यक हैं और उन
 में साधारणतः लगे रहते हैं उनका, दूसरों की अपेक्षा, जो वस्तु
 को अपने योग्य नहीं है या जो अपनी सी नहीं लगती उस
 वस्तु का ध्यान लगा कर, अपने मन को संशंकित असन्तोष
 में रहने देना कम सम्भव है । इस हिसाब से उत्साही और
 प्रात्माश्रयी प्रकृति सब से श्रेष्ठ है, इतना ही नहीं; वरंच
 विरुद्ध प्रकृति में भी जो कुछ वास्तव में उत्कृष्ट या इष्ट है
 उसका सम्पादन करना उसके लिये सब से अधिक सम्भव है ।

इंग्लैंड और संयुक्तराज्य की साहसी और उद्युलती
 प्रकृति अपना बल बहुत हलके उद्देश्यों के पीछे खर्च कर
 डालती है, इतने के लिये ही वह निन्दा योग्य है । यह प्रकृति
 तो स्वयं मनुष्य-जाति के साधारण सुधार की सब से अच्छी
 आशा के आधारका रूप है । यह एक सूक्ष्म अवलोकन करने में
 आया है कि जब कभी कोई बात बिगड़ जाती है तब फ्राँसीसी
 कह उठते हैं 'धीरता रखो।' परन्तु अंगरेज कह उठते हैं,
 क्या श्रम की बात है ।' ये लोग जब कोई गलती हो जाती है

तय शरम समझते हैं। जो लोग एक दम इसी अनुमान में आ सकते हैं कि बिगड़ी हुई बात को बना सकते थे और बनाना ही चाहिये; उन्हींकी ओर से दुनिया का सुधार करने में सब से अधिक सहायता मिलने की आशा है। जब हलकी वस्तुओं की अभिलाषा रखी जाती है, जब यह अभिलाषा शारीरिक सुख और धन का आडम्बर दिखाने की सीमा से कुछ ही आगे बढ़ती है, तब उस तरफ के उत्साह का तात्कालिक परिणाम जड़ पदार्थों पर मनुष्य की सत्ता निरन्तर बढ़ाते जाने की अपेक्षा अधिक अच्छा नहीं होता। परन्तु यह उत्साहभी सब से महान् मानसिक और सामाजिक सफलता के लिए मार्ग खोलता है और यांत्रिक-साधन तय्यार करता है। क्योंकि जब तक उत्साह मौजूद है, तब तक कितने ही मनुष्य उससे काम लेंगे और सिर्फ बाहरी स्थिति नहीं बरंच मनुष्य की अन्तःप्रकृति भी पूर्णतया विकसित करने में उसका अधिक अधिक उपयोग होगा। उत्साह के दुरुपयोग की अपेक्षा मंदता, निस्पृहता और अभिलाष का अभाव सुधार के लिये अधिक हानिकारक बाधा है और ये वृत्तियां ऐसी हैं कि जब जनता में विद्यमान होती हैं, तब इन्हीं के कारण कुछ उत्साही पुरुषों के हाथ से उत्साह का बहुत भयंकर दुरुपयोग होने की सम्भावना रहती है। मनुष्य-जाति के बहुत बड़े भाग को जंगली या अर्ध-जंगली अवस्था में रखने वाली भी यही हैं।

अब इस बात में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है कि एक या कुछ राज्यकर्त्ता का राज्यतंत्र उदासीन प्रकृति का नमूना पसन्द करता है और अधिकांश का राज्यतंत्र उत्साही और आत्माश्रयी नमूना पसन्द करता है। ये जिम्मेवारी के शासन-कर्त्ता प्रजा में चंचलता के बदले सुम्ती चाहते हैं और कुछ चंचलता चाहते भी हैं, तो उसके लाचार करने से। वे सब राज्यतंत्र जिनका

उनमें बिलकुल भाग नहीं होता उनको ऐसा समझते हैं कि उन्हें मानुषी आशाओं को दैवी गति समझ कर उनके अधीन होना चाहिये । ऊपर वालों की इच्छा के और ऊपर वालों की इच्छा स्वरूप कानून के अधीन बिना चूँ किये होना चाहिये । परन्तु जिनके अन्दर अपने बाकी के कार्य व्यवहार के विषय में संकल्प, उत्साह या चंचलता का अंतः प्रवाह जारी रहता है, वे मनुष्य अपने राज्यकर्ता के हाथ के केवल हथियार या साधन बनकर नहीं रहते और उनमें इन गुणों का कुछ भी आविर्भाव होता है, तो उन्हें निरंकुश राजाओं से उत्तेजन मिलने के बदले माफी मांगनी पड़ती है । जब बे-जिम्मेवारी के राज्यकर्ता को प्रजा की मानसिक चंचलता में इतना जोखिम नहीं जँचता कि उसे दबा देने की इच्छा हो, तब यह स्थिति ही स्वयं रुकावट है । प्रयत्न किसी प्रत्यक्ष निराशा की अपेक्षा अपनी असफलता के रयाल से अधिक दबा रहता है । दूसरों की इच्छा की अधीनता और स्वाश्रय तथा स्वराज्य रूपी सद्गुणों में स्वाभाविक विरोध है । गुलामी का बन्धन जितना कड़ा किया रहता है, उसी कदर यह-विरोध कमोवेश सम्पूर्ण होता है । प्रजा की स्वतंत्र क्रिया पर कहां तक अंकुश रखा जाय अथवा उसका काम उसके लिये करके कहां तक दबाया जाय, इस विषय में भिन्न भिन्न राज्यकर्ता एक दूसरे से बहुत अलग हो जाते हैं । परन्तु भेद सिर्फ परिमाण का है; मूलतत्त्व का नहीं । और कितनी ही बार सब से अच्छे निरंकुश राजा अपनी प्रजा की स्वतंत्र क्रियाको बन्धन में बाँध लेने में सब से अधिक आगे बढ़ जाते हैं । खराब निरंकुश राजा तो अपने मौज, शौक का इन्तजाम हो जाने पर बहुधा प्रजा को मन लायक करने देने को राजी भी हो जाता है, परन्तु अच्छा निरंकुश-राजा प्रजा स्वयं

जितना जानती है, उससे अधिक अच्छी रीति पर उसका काम उससे करा कर उसकी भलाई का आग्रह करता है। फ्रांसीसी कारीगरी की सारी मुख्य शाखाओं के लिये नियमित पद्धति-मुकर्रर करने का कानून महान् कोलबर्ट * का काम था।

कुदरती फर्ज और उसके साथ जो सामाजिक बन्धन बाँधने में मनुष्य प्राणी का अपना भाग होता है और जो उसे थुरा लगे उसको गुल्लम-गुल्ला नापसन्द करने और बदलने के लिये उत्साह पूर्वक प्रयत्न करने को वह गुद-मुत्तार है, उसके सिवाय दूसरे किसी बाहर के दयाव से, वह जहाँ अपने को मुक्त समझता है, वहाँ मनुष्य-शक्तियों की स्थिति बहुत भिन्न होती है। अपूर्ण-जन-सम्मत-राज्य में जो लोग नागरिकता का सम्पूर्ण हक नहीं भोगते वे भी इस स्वतंत्रता से अवश्य काम ले सकते हैं। परन्तु जब कोई मनुष्य समान पदवी भोगता है और उसे ऐसा नहीं लगता कि जिस मण्डली में वह स्वयं शामिल नहीं है उसके विचार और वृत्तियों पर वह जो असर करेगा वह उसकी अपनी सफलता का आधार होगा, तब उसके आत्मपरिश्रम और आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा और अधिक उत्तेजन मिलता है। राज्यगठन से वंचित रहना, अपने भविष्य का निर्णय करनेवाले से द्वार बाहर से दाद-कारियाद करने को लाचार होना और सलाह मशविरे में न बुलाया जाना, मनुष्य के लिये बड़ी निराशा की बात है और किसी श्रेणी के लिये तो इस से भी बढ़ कर निराशा की बात है। संयुक्त पुण्य

* कोलबर्ट (१६१९-१६८३) फ्रांस का प्रधान था, इन्होंने देश में घन तथा व्यापार सम्बन्धी बहुत सुधार किये और-साहित्य तथा कला कोशल के लिये अच्छा उत्तेजन दिया था ।

को जब नागरिक की हैसियत से दूसरे किसी के इतनाही हक़ होता है अथवा उतना अधिकार मिलने की आशा होती है, तभी उसकी प्रकृति पर होनेवाली स्वतंत्रता का उत्साहजनक प्रभाव पराकाष्ठा को पहुंचता है। कोई सामाजिक कार्य, कुछ समय और अपनी वारी से, करने के लिये नागरिकों पर समयानुसार होनेवाली बुलाहट से मनुष्य प्रकृति को जो व्यवहारी शिक्षा मिलती है, वह इस अंतर्वृत्ति के विषय से भी अधिक आवश्यक है। अधिकांश मनुष्यों को साधारण जीवन में अपना विचार और भावों का विस्तार बढ़ाने में कितना कम साधन होता है, इस बात पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। उनका काम दस्तूर मुताबिक होता है; हौसले की मेहनत नहीं, वरंच सब से हलके दरजे के आत्म-स्वार्थ की, हर रोज की कमी पूरी करने की मेहनत होती है। किया हुआ काम या उसे करने की रीति—दोनों में से कोई मनुष्य के मन को अपने से बाहर के विचार या वृत्ति में प्रवेश नहीं कराता। यद्यपि शिक्षाप्रद पुस्तकें उस के सामने होती हैं तथापि उन्हें पढ़ने का कोई उत्तेजन नहीं है; और बहुत बातों में तो मनुष्य को अपने से किसी बहुत ऊंची शिक्षा वाले पुष्प का संसर्ग नहीं होता। ऐसी जनता के लिये कोई काम साँपने से किसी अंश में यह सारी वृत्ति पूरी होती है। अगर स्थिति ऐसी अनुकूल हो कि उसे बहुत अधिक परिमाण में सार्वजनिक कर्तव्य साँपा जाय, तो उस से मनुष्य शिक्षित होता है। प्राचीन काल में सामाजिक तंत्र और सात्त्विक विचार में वृद्धियां होने पर भी डैकेस्टरी* और एकलीशिपा† के रिवाज से प्रत्येक साधारण पथीनियन

* एथेन्स में जूरी की सी न्याय पंचायत । † एथेन्स की कानून

नागरिक की औसत बुद्धि इतनी अधिक धिल उठी थी कि दूसरी किसी प्राचीन या अर्धाचीन जनता में अभी तक उसका जोड़ा नहीं मिलता । ग्रीस देश के हमारे महान् इतिहास लेखक (ग्रोट) के इतिहास के प्रत्येक पन्ने में इस बात का सर्व्वत स्पष्ट रूप से मिलता है । परन्तु उन की बुद्धि और संकल्प-शक्ति पर सब से अच्छा असर होगा, यह सोच कर उन के महान् वक्ताओं ने जो भाषण किये हैं, उन के ऊंचे गुण के सिवाय हमें और कुछ देखने की मुश्किल से जकरत रहती है । जूरी में शामिल होने और पेरिश † की ट्यूटी यजाने के फर्ज के कारण निचले मध्यम दर्जे के अंगरेजों को परिमाण में कम होने पर भी लगभग इसी प्रकार का लाभ हुआ है और यद्यपि यह लाभ सब को नसीब नहीं होता या न इस तरह लगानार अथवा उन को इतने बड़े नाना प्रकार के ऊंचे विचारों में प्रवेश नहीं कराता कि उसकी तुलना, एथेन्स के प्रत्येक नागरिक को जन सत्ताक राज्यतंत्र के कारण जो सार्वजनिक शिक्षा मिलती थी उस से, की जाय, तो भी जो मनुष्य अपनी जिन्दगी में शिक्षकता या दुकानदारी के सिवाय और कुछ नहीं करते, उन से तो ये इस कारण से विचार और बुद्धि विकसित करने के विषय में बहुत भिन्न प्रकार के मनुष्य होंगे । यास अपना काम करने वाले नागरिक को कभी कभी सार्वजनिक कर्त्तव्य में भाग लेने से मिलने वाली शिक्षा का सात्विक अंश इस से भी अधिक लाभकारी है । मनुष्य जब ऐसे काम में लगता है, तब उस को जो अपना नहीं है उस लाभ को तौलना, परस्पर विरोधी दावा में पक्षपात से भिन्न नियम पर चलना और जिनके अस्तित्व का

बनाने वाली समा । † इंग्लैण्ड में एक धर्मगुरु के अधीनस्थ प्रदेश ।

कारण साधारण हित है, उन तत्वों और नियमों को गढ़ना लाजिम होता है, और उस को ऐसे विचार और व्यवहार में अपने से जो अधिक जानकार मनुष्य बहुत कर के उसी काम में अपने साथ जुड़े हुए मिल जायेंगे, वे साधारण हित के सम्बन्ध में उस की बुद्धि को दलीलें दिखाने और मनोवृत्ति को उत्तेजित करने का काम अपने ऊपर उठा लेंगे। इस से वह यह समझना सीखेगा कि मैं स्वयं भी जनता में हूँ और जो विषय जनता के लाभ का है, वह मेरे लाभ का है। जहाँ सार्वजनिक उन्साह के लिये ऐसी शाखा नहीं होती, वहाँ कानून मानने और सरकार के ताबे रहने के सिवाय और कोई सामाजिक कर्तव्य उन्हें पालन करना है, ऐसा विचार साधारण सामाजिक स्थिति के गैर-सरकारी मनुष्यों में शायद ही होता है—जनता के साथ अपनी एकता का कुछ निःस्वार्थ विचार नहीं होता। स्वार्थ और कर्तव्य दोनों के सम्बन्ध में प्रत्येक विचार या वृत्ति सास अपनी और अपने कुटुम्ब की सीमा में घुसी रहती है। मनुष्य भी किसी साधारण लाभ का विचार नहीं करता; उसे यह विचार नहीं होता कि कोई भी उद्देश्य दूसरे मनुष्यों के शामिल होकर साधन करना है, वरंच यही विचार रहता है कि सिर्फ उन से चढ़ा ऊपरी कर के और कुछ अंश में उन की हानि कर के (अपना उद्देश्य) साधन करना है। जो पड़ोसी कभी सामाजिक लाभ के लिये किसी साधारण काम में नहीं लगता और इस से जो सहचर या साथी नहीं होता, वह उसी कारण से प्रतिद्वन्दी हो जाता है। इस तरह घराऊ नीति भी बिगड़ती है और सामाजिक नीति तो वास्तव में लुप्त ही हुई रहती है। अगर एक यही अवस्था सार्वत्रिक और सम्भवित हो, तो कानून बनाने वाले या नीतिकार को अधिक से अधिक इतना ही

अभिलाष रखने को रहे कि जनता के बड़े भाग को पास ही रास निर्दोष भाव से चरने वाली भेड़ों का झुण्ड बना दे ।

इन अनेक विचारों से स्पष्ट मालूम होता है कि सामाजिक अवस्था की सभी शक्तें पूर्ण रूप से कायम रखने वाला राज्यतंत्र यही है, जिसमें सब लोगों का भाग होता है । यह नाग चाहे कितनाहू हो, सबसे छोटे सार्वजनिक कर्तव्य में भी उपयोगी है । यह भाग जनता के सुधार की साधारण स्थिति में यथा सम्भव बढ़ा होना चाहिये और अंत को राज्य की सर्वोपरि सत्ता में सब को भाग देने में कोताही करना बुरा है । परन्तु एक नन्हे से शहर की अपेक्षा बड़ी जनता में सामाजिक कार्ययों का कुछ अधिक छोटी शाराओं के सिघाय दूसरे में सब मनुष्य न्ययं भाग नहीं ले सकते । इस से परिणाम यह निकलता है कि वास्तव में परम सम्पूर्ण राज्यतंत्र प्रतिनिधि शासन होगा ।



चौथा अध्याय ।

किन किन सामाजिक दशाओं में प्रतिनिधि-
शासन अयोग्य है ?

हम ने देखा है कि वास्तव में परम सम्पूर्ण शासन पद्धति का आदर्श प्रतिनिधि-शासन है और इससे मनुष्य जाति का कोई भी विभाग, उसके लिये, अपने साधारण सुधार की स्थिति के अनुसार कमोवेश योग्य होता है । वे लोग उन्नति में जिस कदर पिछड़े रहते हैं, साधारण रीति पर कहिये तो वह शासन-पद्धति उनके लिये उसी कदर कम अनुकूल होती है । परन्तु यह बात सर्वथा सत्य नहीं है । क्योंकि प्रतिनिधि-शासन के लिये किसी जनता की योग्यता, जिस कदर उसके

कुछ खास गुणों के परिमाण के आधार पर है उस कदर, मनुष्य-जाति की साधारण श्रेणी में उसकी जो पदवी होती है, उसके आधार पर नहीं है। फिर ये गुण उसकी साधारण उन्नति की पदवी से ऐसा निकट सम्बन्ध रखते हैं कि उन दोनों में जो कुछ विरोध होता है, वह कुछ नियम के तौर पर नहीं; बरंच एक अपवाद के रूप में होता है। अब इस बात को जांचना चाहिये कि अचनत श्रेणी को किस अवस्था में प्रतिनिधि राज्य, या तो खास उसके अनुकूल न होने से अथवा दूसरी किसी पद्धति के अधिक अनुकूल होने से, बिलकुल अग्राह्य होता है।

प्रथम, जहाँ प्रतिनिधि राज्य दूसरे किसी राज्यतंत्र की तरह स्थायी भाव से नहीं टिक सकता अर्थात् जहाँ वह पहिले अध्याय में गिनायी हुई तीन शर्तें पूरी नहीं करता, वहाँ वह अनुकूल नहीं है। वे शर्तें ये हैं—(१) लोग उसे स्वीकार करने को राजी हों। (२) उसे स्थायी रखने के लिये जो जो कार्य आवश्यक हों, उन्हें करने को राजी और समर्थ हों। (३) उसके द्वारा जो जो कर्तव्य और कार्य अपने सिर पर आ पड़ें, उन्हें पालने और करने को वे राजी और समर्थ हों।

कोई सभ्य शासन-कर्त्ता या विदेशी जाति या जातियाँ, जो देशपर अधिकार रखती हैं, वे जब प्रतिनिधि-राज्य का वरदान देना चाहती हैं, तभी उसे स्वीकार करने में लोगों की मरजी का प्रश्न व्यवहारतः उठता है। पृथक् पृथक् सुधारकों के सम्बन्ध में तो यह प्रश्न प्रायः असम्बद्ध है। क्योंकि अगर उनके प्रयत्न के सम्बन्ध में इससे बढ़कर कोई उज्र न किया जा सके कि जनता का मत अभी उसके पक्ष में नहीं है तो उनके पास इसका यह उचित उत्तर तय्यार है कि उनको उस पक्ष में लाने का ही उनका विचार है। जब लोकमत सचमुच

विरुद्ध होता है, तब भी उसका विरोध बहुत करके खास प्रतिनिधि-शासन के विषय में नहीं, वरंच फेर-बदल के विषय में होता है। यह बात नहीं है कि उससे उलटे प्रकार का दृष्टान्त न मिले; कभी कभी किसी खास वंश के राज्यकर्त्ताओं की सत्ता पर कुछ भी अंकुश डालने में धार्मिक विरोध होता है; परन्तु साधारणतः मौन अधीनता के मत का अर्थ इतना ही है कि, चाहे जैसी अमलदारी हो, निरंकुश राजा की या जनसम्मति की, हुकम के अधीन रहना। जिस प्रसङ्ग में प्रतिनिधि-शासन जारी करने के प्रयत्न की कुछ सम्भावना होती है, वहाँ उसके मार्ग में जो बाधा पड़ने की आशा की जा सकती है, वह प्रत्यक्ष विरोध की नहीं, वरंच बे-परवाही की और उसकी क्रिया और कर्त्तव्य समझने की अशक्ति की है। फिर भी वह बाधा प्रत्यक्ष विरोध के बराबर ही हानिकारक है, और कभी कभी उसे दूर करने में उतना ही कठिन हो जाता है। क्योंकि बहुधा, पहिली उदासीनता की अवस्था में नयी चंचलता की वृत्ति उत्पन्न करने की अपेक्षा चंचलता की वृत्ति को अपने दूसरे मार्ग से चलाने का काम अधिक सहज है। जब किसी जनता को प्रतिनिधि राज्यतंत्र के लिये उचित समझ या प्रीति नहीं होनी, तब उसे जारी रखने की सम्भावना नहीं के बराबर है। प्रत्येक देश में राज्यतंत्र के कार्यकारी विभाग के हाथ में सीधी सत्ता होती है और उसके साथ जनता का भी मोधा सम्बन्ध होता है; पृथक् पृथक् मनुष्यों को जो आशा या भय होता है, वह मुख्य करके उसकी तरफ से होता है और राज्यतंत्र का लाभ तथा शास और धाक भी जनता को उसी के द्वारा दृश्यमान होता है। इससे जिन सत्ताओं को कार्यकारी विभाग पर अंकुश रखने का काम होता है, इनके साथ अगर देश में जन-मन और

जनवृत्ति की सबल सहानुभूति नहीं होती, तो उसकी परवा न करने और उल्टे अपने पक्ष रहने को लाचार करने के साधन कार्यकारी विभाग को सदा मिल जाते हैं और ऐसा करने में अच्छी मदद भी अवश्य मिल जायगी । प्रतिनिधि तंत्र की स्थायिता अथवा अस्थिरता यह जय जोखिम में आ पड़ता है, तब लोगों को उसके लिये लड़ने निकलने की तत्परता के आधार पर है । अगर लोगों को उसके लिये वहां तक अग्रसर होने की समझ न हो, तो वे बहुत कम ही पैर बढ़ाते हैं या बढ़ाते भी हैं तो राज्यतंत्र का मुपिया या किसी पक्ष का अगुआ, जो अन-सोचा हमला करने योग्य सैन्य संग्रह कर सकता है, ज्योंही मनमाने अधिकार की खातिर कुछ जोखिम सिर पर लेने को तैयार हो, स्यों ही उनके परास्त हो जाने की प्रायः सम्भावना है ।

ये विचार प्रतिनिधि-राज्य की निष्फलता के पहिले दो कारणों को बताते हैं । प्रतिनिधि राज्यतंत्र में लोगों के भाग का जो काम है, उसे करने को जब उन की मरजी या शक्ति नहीं होती, तब तीसरा कारण उत्पन्न होता है । जब लोक-मत बनाने के लिये राज्य के साधारण कार्य-व्यवहार में जितना मन लगाने की जरूरत है, उतना किसी का मन नहीं लगता या किसी छोटे दल का ही लगता है, तब मतधारी अपने निज के या स्थानिक लाभ, अथवा जिससे उसके पक्षपाती या आधित का सम्बन्ध होता है, उसके लाभ के लिये दूसरा लाभ सम्हालने में अपने मत के हक से बहुत ही कम काम लेते हैं । सामाजिक वृत्ति की ऐसी स्थिति में जो छोटा दल प्रतिनिधि संस्था पर अधिकार रखता है, वह अपने अधिकार का अधिक अंश सिर्फ अपनी धैली भरने के साधन रूप से ही काम में लाता है । जब कार्यकारी विभाग

दुर्बल होता है, तब सिर्फ ओहदा पाने की लड़-भगड़ में देश अव्यवस्थित हुआ रहता है; और जब सबल होता है, तब उन प्रतिनिधियों को अथवा उनमें जो अड़ंगा डालने की सामर्थ्य रखते हैं उनको, लूट में भाग देने के सस्ते मूल्य से खरीद कर वह निरंकुश हो जाता है । सामाजिक प्रतिनिधित्व से फल सिर्फ इतना ही निकलता है कि जनता के ऊपर, असल में राज्य चलाने वालों के सिवाय, एक सभा का बोझ भी आ पड़ता है और जिसमें सभा के किसी दल का स्वार्थ रहता है, उस किस्म का कोई कुप्रबन्ध दूर होना कभी सम्भव नहीं है । इतने पर भी जब हानि यहीं रुक जाती है, तब प्रकाशन और आन्दोलन के लिये जो किसी प्रकार के नाम के भी प्रतिनिधि तत्व का अचल नहीं तो स्वाभाविक सार्थी है, इतना त्याग करना मुनासिब है । दृष्टान्त के लिये ग्रीस के अर्थाचीन राज्य की प्रतिनिधि सत्ता में मुख्य करके ओहदों के जो लालची भरे हैं, वे यद्यपि अच्छा राज्य-प्रबन्ध चलाने में सीधे तौर पर तो थोड़े ही मददगार हैं अथवा बिलकुल नहीं हैं और कार्यकारी विभाग के स्वाधीन अधिकार को बहुत अंकुश में भी नहीं रखते, तथापि वे लोकप्रिय अधिकार का विचार जागृत रखते हैं और उस देश में समाचार-पत्रों को जो असली स्वाधीनता है, उसके बहुत मददगार हैं । इस बात में बहुत ही कम शंका उठायी जा सकती है । इतने पर

● सन् १८६२ के हितकारी राज्य विच्छेद से पहिले का लिखा हुआ । घूस के जरिये राज्य चलाने की पद्धति और राजनीतिक पुरुषों की दुष्टता से भाजिज आने से जो फेर-बदल हुआ है, उसने इस तर्जि से मुझरे वाली जनता के लिये वास्तव में अंकुशित राज्य-पद्धति का नया और भाशाजनक मार्ग खोला है ।

—प्रबंधकर्ता ।

भी यह लाभ लोक-सभा युक्त वंश परम्परा के राजा के अस्तित्व के आधार पर है। अगर इन स्वार्थी और लालची टोली वालों को, मुख्य राज्यकर्ता की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करने के बदले स्वयं मुख्य मुख्य पद लेने की चेष्टा करना हो, तो ये लोग स्पेनिश अमेरिका की तरह देश को निरन्तर उथल पुथल और अन्तर्विग्रह की अवस्था में पहुँचाये बिना न रहें। साहसी राजपुरुष एक एक करके, कानून से नहीं, वरंच कानून के विरुद्ध बलात्कार से राज्य सत्ता हाथ में लेकर निरंकुश हुकम चलावेंगे और प्रतिनिधि तत्व के नाम और रीति का परिणाम इतना ही होगा कि जिस स्थायिता और निर्भयता द्वारा निरंकुश राज्य का दूषण घट सकता है और उसका कुछ लाभ मिल सकता है, वह स्थायिता और निर्भयता सम्पादित नहीं हो सकेगी।

ऊपर जो प्रसङ्ग बताये हैं, उनमें प्रतिनिधि राज्य स्थायी रूप से नहीं टिक सकता। दूसरे कितने ही प्रसङ्ग हैं जिन में उसका रहना सम्भव होगा। परन्तु उसकी अपेक्षा दूसरी कोई राज्य पद्धति अधिक पसन्द करने के योग्य निकल आवेगी। लोगों को जब सुधार में आगे बढ़ने के लिए कुछ पाठ सीखना होता है, कुछ अभी तक न प्राप्त की हुई वृत्ति—जिसके प्राप्त करने में प्रतिनिधि राज्य से बाधा पड़ना सम्भव है उसे—प्राप्त करना होता है, तब मुख्य करके ऐसा प्रसङ्ग उपस्थित होता है।

इन प्रसङ्गों में हम पहिले जो लोगों को सुधार का पहिला पाठ अर्थात् अधीनता का पाठ सिखाने के प्रसङ्ग का विचार कर चुके हैं, वह सब से स्पष्ट है। जो जाति प्रकृति और अपने पड़ोसियों का सामना कर के उत्साह और पराक्रम में शिथिल होती है, परन्तु जिसने अभी किसी साधारण ऊपरी अफसर की पकी ताबेदारी कबूल नहीं की है, उसका अपनी

जनता के सामाजिक राज्यतंत्र के अधीन रहने की आदत डालना ; कम सम्भव है । उसकी अपने में से चुनकर बनायी हुई प्रतिनिधि सभा में सिर्फ उसकी उपद्रवी स्वच्छन्दता प्रतिबंधित होगी । यह सभा उसकी जंगली स्वतंत्रता पर कुछ भी हितकारी अंकुश डालनेवाले सभी कामों में अपनी सस्मति देने से इनकार करेगी । ये जातियाँ अगर सभ्य समाज की मूल शक्तों के साधारण तौर पर यश की जा सकती हैं, तो लड़ाई की जरूरतों के जरिये और लश्करी सरदारों में मौजूद जरूरी निरंकुश सत्ता द्वारा । अगर किसी अफसर के ताबे घे रह सकती हैं, तो सिर्फ फौजी अफसर के, सिवाय इसके कि ईश्वर के भेजे हुए समझे जानेवाले पैगम्बर या चमत्कारी शक्ति रखने में मशहूर जादूगर के कभी कभी घरा हों । यह पैगम्बर (देव-दूत) या जादूगर तात्कालिक सत्ता चला सकते हैं सही, परन्तु यह सत्ता व्यक्तिगत होने में उनकी साधारण धृति में कमही फेर-बेदल करती है, यशत्त कि पैगम्बर महम्मद की तरह फौजी अफसर भी धन कर नया धर्म जारी करने के लिये इधियारबन्द हो आगे बढ़े या फौजी अफसर उनकी सत्ता अपने पक्ष में करके उन्हें अपनी आज्ञा का आधार स्तम्भ न बनावे ।

पीछे कहे हुए दूपण की अपेक्षा विरुद्ध दूपण से—अर्धान्, अन्यन्त उदासीनता और निरंकुश सत्ता की तत्पर अर्धीनता से जनता प्रतिनिधि राज्य के लिये कम अयोग्य नहीं होती । ऐसी प्रकृति और स्थिति से निकम्मी बनी हुई जनता अगर प्रतिनिधि राज्य पायेगी, तो यह अयश्य कर के अपने पीढ़कों को ही प्रतिनिधि चुनेगी और जिस योजना द्वारा हम पहिली नजर से उसका योक्त हलका होने की आशा रखते हैं, उसके विरुद्ध यह और भारी हो जायगा ।

जिस चक्रवर्ती सत्ता ने अपनी स्थिति द्वारा प्रथम स्थानिक निरंकुश राजाओं के प्रतिद्वन्द्वी होकर अन्त में उन सब को अपने वश किया, जिसका सब से विशेष लक्षण यह था कि वह स्वयं निष्कण्टक थी, उस सत्ता की सहायता से कितनीही जातियाँ इस अवस्था से धीरे धीरे छूटी हैं। * हाँ केमेटस्, रिशेल्यू † और चौदहवें लुई ‡ तक का फ्रांसीसी

* अंधकार के जमाने के नाम से परिचित समय के बाद युरोप में जो भिन्न भिन्न राज्य उत्पन्न हुए वे माण्डलिक गठन से जुड़े हुए थे। उसको अंगरेजी में फ्यूडल सिस्टम (Feudal System) कहते हैं और यह हाल की हिन्दुस्थान की व्यवस्था से कुछ भिन्नता था। यहाँ जैसे अंगरेजी सत्ता सर्वोपरि माध्यमिक अथवा चक्रवर्ती सत्ता है और राजवाड़े उसके माण्डलिक हैं, वैसे उस समय युरोप के प्रत्येक देश में एक एक चक्रवर्ती अथवा माध्यमिक राजा की सत्ता के अधीन दूसरे छोटे छोटे अधीर इत्यादि के जुड़े जुड़े नामों से परिचित राज्यकर्ता थे। इन छोटे राजाओं को अपने अपने प्रान्त में हर तरह की निरंकुश राजसत्ता थी। चक्रवर्ती राजा को वे सिर्फ अपना प्रधान मानते थे और लड़ाई के समय उसको अपनी सेना की सहायता देने को बाध्य रहते थे। चक्रवर्ती राजा का अमल सिर्फ अपने हाथ में रहे हुए प्रान्त में चलता था और बहुधा ऐसा भी होता कि चक्रवर्ती के असली राज्य का विस्तार अपने प्रत्येक माण्डलिक के इतना भी न होता। † फ्रान्स का राजा (१८७-१६) ‡ (१५८५-१६४२) फ्रांस का एक महान प्रधान। इसने राजा की सत्ता बहुत बढ़ा दी, साथही विद्या और कला कोशक को भी अच्छा उत्तेजन दिया।—फ्रांस का एक महान राजा (१६४३-

इतिहास इस क्रियाक्रम का एक अग्रगण्य दृष्टान्त है । चक्रवर्ती राजा जय अपने कितने ही मुख्य मुख्य माण्डलिक राजाओं के इतना भी मुश्किल में बलवान था, तब भी उस को सिर्फ एक होने से जो भारी लाभ था, उसे फ्रांसीसी इतिहास-कर्त्ताओं ने स्वीकार किया है । जो लोग माण्डलिक द्वारा पीड़ित होते, उन मय की दृष्टि उस की ओर जाती; वह सारे राज्य में आशा और विश्वास का स्थान था । प्रत्येक स्थानिक राजा कर्मों वेश नियमित सीमा में ही बलवान था । देश के प्रत्येक भाग से प्रत्यक्ष पीड़क के विरुद्ध उस के यहाँ एक एक कर के आश्रय और रक्षा की गुहार मचायी जाती थी । उस के प्रभाव की गति थीमी थी; परन्तु जो प्रसङ्ग उसे अकेले आ मिलता उस का उत्तरोत्तर लाभ लेने का यह परिणाम था । इस से यह प्रभाव स्थायी था; और जिस परिमाण में वह प्राप्त होता गया, उस परिमाण में जनता की पीड़ित श्रेणी में कष्ट सहने का अभ्यास घटता गया । दास * अपने (१७१५) इस ने १६१८ में जन्म लिया था और पांच वर्ष की उमर में गद्दी पर बैठा था । इस ने बिया तथा कबा को अच्छा उत्तेजन दिया था, जिस से इस का दीर्घ राज्य राजा भोज के पेश हो गया था । इस ने फ्रांस का राज्य बाहर बढ़ाने के लिये बहुत चेष्टा की थी, परन्तु वह चेष्टा व्यर्थ गयी । * उन माण्डलिक राज्यों के समय में जो दास श्रेणी कहलाता था, उस की स्थिति बहुत बुरी और गुलाम जैसी थी । भेद इतना ही था गुलाम जैसे एक मालिक के हाथ से दूसरे मालिक के हाथ बेचे जा सकते थे, वैसे वे लोग न थे । वे किसी खास मिल्कियत के शामिल समझे जाते और उसी के साथ दूसरे मालिक को बेचे जा सकते थे । वे जैसे उस मिल्कियत से अलग नहीं किये जा सकते थे, वैसे आप से भी अलग

स्थानिक मालिक की ताबेदारी से छुट कर राजा की बाला बाला ताबेदारी में आकर रहने का जो अलग अलग प्रयत्न करते, उस में उत्तेजन देने में उसका स्वार्थ था। उस के आश्रय के नीचे बहुत सी जातियां बनी और वे अपने ऊपर राजा के सिवाय और किसी को नहीं जानती थीं। पड़ोस के किले के मालिक के अमल की तुलना से दूर के राजा की ताबेदारी स्वतंत्रता रूप ही होती है; और खास राजा की स्थिति ऐसी थी कि उस ने जिन श्रेणियों के छुटकारे में मदद की थी, उन के ऊपर उस को मालिक के तौर पर नहीं, वरंच तरफदार के तौर पर अमल करने को लाचार होना पड़ता था। इस प्रकार राज्य अगर सचमुच प्रतिनिधि राज्य होता, तो सुधार में जो एक जरूरी कदम बढ़ाने में लोगों को रुकावट पड़ने की सम्भावना रहती, वह कदम उन से बढ़वाने में सिद्धान्त में निरंकुश, परन्तु व्यवहार में साधारणतः बहुत अंकुशित बनी हुई माध्यमिक सत्ता मुख्यतः साधनभूत हो गयी। रूसी साम्राज्य के दासों * का जो छुटकारा हुआ है, वह केवल निरंकुश राज्य या कतलेआम के सिवाय और किसी तरह नहीं हो सकता था।

सभ्यता की वृद्धि के मार्ग में रुकावट डालने वाली जिन अड़चनों को और भारी करने की ओर प्रतिनिधि राज्य का रुख है, उन्हें एक दूसरी रीति से जो निरंकुश राज्य पार करते

नहीं हो सकते थे। उन के लिये दासत्व से छूटने का एक ही मार्ग था, वह यह कि अपने मालिक की कुछ असाधारण सेवा कर के या कृपा प्राप्त कर के या मृत्यु देकर अपनी स्वतंत्रता मोल लें।

* रूस के सम्राट् दूसरे अलेक्जेंडर ने रूस के सब दासों को दासत्व से सन् १८६१ ईस्वी में छुड़ाया।

हैं, उन के सबल दृष्टान्त इतिहास के इसी विभाग से मिलने हैं। जो प्रबल बाधा सुधार में कुछ आगे बढ़ी हुई स्थिति तक आड़े आती है, वह अलंघ्य स्थानिक भाव है। मनुष्य-जानि के जो विभाग और कई तरह से स्वतंत्रता के योग्य होते हैं, और उस के लिये तय्यार भी होते हैं, वे एक नन्हें से जन समाज में भी मिलकर रहने के अयोग्य होते हैं। ईर्ष्या और सहज वैर भाव के कारण वे एक दूसरे से अलग रहते हैं और उन के इस खुशी से ऐक्य होने की सारी सम्भावना रुकी रहती है। इतना ही नहीं; बरंच उन में नाम का भी ऐक्य हुआ समझें तो भी उन्होंने शायद उस ऐक्य को यथार्थ करने वाली मनोवृत्ति या आसियत अभी तक नहीं पायी है। यह हो सकता है कि किसी प्राचीन जनता के नागरिकों की तरह अथवा एशिया के किसी ग्राम के ग्रामवासियों की तरह उन को नगर या गांध के लाभ पर अपनी बुद्धि आजमाने का बहुत अभ्यास हुआ हो और उन्होंने उस नियमित विस्तार योग्य सबल जन सत्ताक राज्यतंत्र का भी सम्पादन किया हो, परन्तु ऐसा भी हो सकता है कि किसी सीमा के बाहर के विषय पर उन का धोड़ा ही भाव हो और ऐसी किनारा हो जनताओं के साधारण लाभ की व्यवस्था करने की कुछ टेव या शक्ति भी न हो। मैं नहीं जानता कि इतिहास ऐसा कोई दृष्टान्त देगा जिस में सब के लिये सामान्य किसी मान्यमिक सत्ता के पहिले घश हुए बिना ऐसे राजनीतिक परमाणुओं या रजकण की किसी संख्या ने एक जनता में हिलमिल कर अपने को एक समान गिनना सीमा हो। * विस्तृत भूमि-प्रदेश के साधारण विशाल

* अरवाद रूप में सिर्फ इटली का दृष्टान्त दिया जा सकता है, वह सिर्फ उस के रुगन्तर की अन्तिम अवस्था के सम्बन्ध में है।

लाभ का विचार, जैसा कि हमने सोचा है, ऐसा कोई समाज अपने मन में जमा सकता है, तो ऐसी किसी माध्यमिक सत्ता की आज्ञा मानने, उसकी योजना में शामिल होने और उसके उद्देश्य के अधीन होने का अभ्यास पढ़ने से ही। इसके विरुद्ध ऐसे लाभ का विचार माध्यमिक राज्यकर्ता के मन में अवश्य करके सर्वोपरि होता है और वह जो भिन्न भिन्न प्रदेशों से क्रमोद्देश निकट सम्यन्ध उत्तरोत्तर लगाता जाता है, उस मार्ग से यह लाभ सामाजिक मन के लिये परिचित होता जाता है। सुधार में यह कदम बढ़ाने को शक्तिमान् होने के लिये जो अवसर सब से अधिक अनुकूल है, वह यह है कि प्रतिनिधि राज्य की वास्तविक सत्ता रहित प्रतिनिधि तंत्र खड़ा करें अर्थात् जो माध्यमिक सत्ता के सहायक और साधन रूप से बर्ताव करें, परन्तु उसका विरोध करने या उसे अंकुश में रखने का प्रयत्न बहुत कम करें। इस किस्म की भिन्न भिन्न स्थानों से चुनी हुई एक या अनेक प्रतिनिधि संस्थाएं गठित करें। इस प्रकार लोगों का सर्वोपरि सत्ता में भाग न होने पर भी ऐसा जान पड़ने से कि उनकी सलाह ली जाती है, माध्यमिक सत्ता की तरफ से दी हुई राजनीतिक शिक्षा स्थानिक मुखियों और साधारण जनता के मन में अन्य रीति की अपेक्षा अधिक प्रबलता से जम जाती है और उसके साथ साधारण सम्मति से चलने वाले राज्य-प्रबन्ध का प्रचार भी बना रहता है अथवा कम से कम साधारण सम्मति रहित राज्य-प्रबन्ध के चलन की स्वीकृति नहीं होती। क्योंकि ये-सम्मति का ऐसा प्रबन्ध, चलने से प्रतिष्ठा पाकर, कितनी ही

जागृत्, पीसा या मिलन के शहर समानों के या लम्बाई के प्रान्तिक ऐस्य में जो पहिला कठिन रूपान्तर हुआ वह सदा की रीत्य-नुसार हुआ था ।

यार एक अच्छे आरम्भ का धुग अंत दिखाने वाला और अनक देगों में सुधार का टमकी बहुत पहिली अवस्था में गंक देने वाला गोकजनक दुर्देव का एक सब में साधारण कारण हो गया है । और उसका कारण यह है कि एकाध जमाने का काम हम गीनि में किया गया होता है कि जिम में टमके पीछे के जमानों का आवश्यक काम रुक गया है । अब नो एक ऐसा राजनीतिक मिढान्त निर्धारित किया जा सकता है कि छोटे राजनीतिक परमाणुओं के समूह का एक शामिल करके परस्पर साधारण संसर्ग वृत्ति वाला, विदेशियों की जीत या चढ़ाई में अपनी रक्षा करने योग्य शक्ति रखने वाला और लोगों को सामाजिक और राजनीतिक कुशलता को शुभ काम में लगा कर टमके उचित परिमाण में चमकाने योग्य विविध और विस्तृत कार्य व्यवहार रखने वाला संयुक्त जन समाज अगर बन सकता है, तो प्रतिनिधि राज्य नहीं, बरंच बे-जिम्मेवारी का निरंकुश राज्य ।

इन मिश्र मिश्र कारणों से प्रतिनिधि तंत्र की (पुष्टि में दृढ़ हो तो भी) सत्ता में स्वतंत्र निरंकुश राजसत्ता जनता की सब में आरम्भ की अवस्था के लिये सब से अनुकूल शासन-पद्धति है । और हममें प्राचीन ग्रीस के नगर मण्डली जैसे का भी अपवाद नहीं होता । क्योंकि यहाँ भी इसी प्रकार लोकमत से कुछ धाम्निधिक, अंकुश वाले, परन्तु प्रत्यक्ष या कानून में बिना अंकुश के राजाओं का राज्य सब स्वतंत्र तंत्रों में पहिले अनजान और शायद सभ्यी मुहल में चला जाता था और उनके ध्यान में बहुत मुहल तक कुछ कुटुम्बों के शिष्ट राज्य स्थापित हुए । इसमें वे अन्त को लुप्त हो गये । यह इतिहास में मिढ है ।

जनता में ऐसी संकड़ों किम्म की कमजोरी या कच्चाई

दिखायी जा सकती है, परन्तु यद्यपि इस से जनता प्रतिनिधि राज्य का सब से अच्छा उपयोग करने में उसी कदर नालायक ठहरती है तथापि इस से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि एक या कुछ के राज्य में दोष मिटाने या घटाने का रख होता है । किसी तरह का मजबूत बहम, पुरानी रस्म के बारे में दुराग्रही हठ, सामाजिक प्रकृति में प्रत्यक्ष दोष या केवल अज्ञान और मानसिक शिक्षा की त्रुटि, अगर लोगों में बनी रहेगी तो उनकी प्रतिनिधि संस्था में उसका बहुत कुछ प्रतिबिम्ब पड़े बिना नहीं रहेगा । परन्तु ऐसा हो कि जिन पुरुषों के हाथ में प्रबन्ध-व्यवस्था—राजकाज का प्रत्यक्ष भार—हो, वे अपेक्षाकृत इन त्रुटियों से बचे-हों, तो भी जब उनको अपने पक्ष में ऐसी सभाओं की खुशी मन से अनुमति लेने का बन्धन नहीं होगा, तभी वे प्रायः अधिक भलाई कर सकेंगे । परन्तु हमारे परोक्षा किये हुए दूसरे प्रसङ्गों में जैसा होता है, वैसा इसमें नहीं होता—राज्यकर्त्ता होने से ही उनमें ऐसा गुण नहीं रहता कि जिस से उसको भलाई के मार्ग में झुकाने वाली दिलचस्पी और रुचि हो जाय । एक (राज्यकर्त्ता) और उसके सलाहकार या कुछ राज्यकर्त्ता कुछ अधिक श्रेष्ठ समाज के या आगे बढ़ी हुई स्थिति के विदेशी न होंगे, तो उनका अपनी जनता की या सुधार की अवस्था की साधारण त्रुटियों में से साधारणतः मुक्त होना सम्भव नहीं है । अगर राज्यकर्त्ता विदेशी होंगे तो वे जिन के ऊपर राज्य करते हों, उनसे चाहे जिस कदर श्रेष्ठ हों, कुछ चिन्ता नहीं । इस किस्म की विदेशी अमलदारी की तावेदारी में दोष होने पर भी यह प्रजाजन को बहुधा सब से अधिक लाभदायक हो जाती है । क्योंकि यह उसे उन्नति की कितनी ही अवस्थाएँ तेजी से पार कराती है और सुधार के मार्ग में अड़ने वाली जो बाधाएँ, अधीन

प्रजा को किसी बाहरी मदद के बिना अपने ही रुख और प्रसङ्गों पर भरोसा रखने की सूरत में अनिश्चित काल तक पड़ा करती हैं, उनको वह पार कर देती है। जो देश विदेशी के अमल तले नहीं होता, उसमें ऐसा लाभ उपजाने के लिये जो एक मात्र साधन यथेष्ट है, वह किसी असाधारण विचक्षणता वाले निरंकुश राजा की विरल अकस्मात् उत्पत्ति है। इतिहास में कुछ ऐसे राजा हो गये हैं और मनुष्य-जाति के सौभाग्य से उन्होंने इतनी लम्बी मुदत तक राज्य किया था कि वे कितने ही सुधारों को अपने शासन में पली हुई पीढ़ी को सौंप कर स्थायी बनाने में समर्थ हुए थे। एक दृष्टान्त शार्लमैन * का दिया जा सकता है और दूसरा महान पीटर का। फिर भी ऐसे दृष्टान्त इतने विरल हैं कि जिन शुभ अकस्मातों ने ईरानी चढ़ाई के समय थेमिस्टोकलिस † के

‡ फ्रांक लोगों का राजा (७७४-८१४) और पश्चिम रोम के साम्राज्य का सम्राट् (८००-८१४) इसके राज्य का विस्तार जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन इत्यादि लगभग सारे पश्चिम युरोप में था। इसने खेती, कला, विद्या और धर्म को बढ़ा उत्तेजन दिया; कानून बनाये और बहुत से सुधार किये। † रूस का सम्राट् (१६८२-१७२५) इसने रूस के बबवान् साम्राज्य की नींव डाली। राज्य को चारों तरफ बढ़ा कर उत्तर में श्वेत समुद्र में और पूर्व में सोवियतिया की खाड़ी तथा दक्षिण में कृष्ण समुद्र तक जल-सेना स्थापित की। इसने भिन्न भिन्न देशों में प्रवास कर स्वयं अनुभव प्राप्त कर देश में बहुत से गजनीतिक तथा अन्य सुधार किये। ‡ एन् ईस्वी से पूर्व ५३०-४७०-ईरान का एक बहुत विचक्षण राजनीतिक पुरुष। ईरान के जकसैस राज की चढ़ाई के

श्रीर आरेंज के पहिले या तोसरे विलियम के अन्तिम सरोपे प्रसङ्ग पर मनुष्य-जाति के कुछ नेता-दल द्वारा अनसोचा हमला हो कर आगे बढ़ना चाहिये या पीछे हटना चाहिये, इसका फैसला ऐन मौके पर किया है, उन अकस्मातों में इनकी गणना हो सकती है। ऐसी सम्भावना से लाभ उठाने की धारणा न ही नियम तन्त्र रचना चाहियात है। क्योंकि उपर्युक्त तीन पुरुषों ने जैसा साबित किया है, उसके अनुसार किसी यशस्वी पदवी पर रहने वाले ऐसी प्रकृति के मनुष्यों को प्रबल सत्ता चलाने का समर्थ होने के लिये निरंकुश अमलदारी की जरूरत नहीं पड़ती। जहां वस्ती का एक छोटा सा मुग्निया दल भी भिन्न जाति, अधिक सुधरे मूल से उत्पत्ति या किसी दूसरे लाक्षणिक कारणों से बाकी वस्ती की अपेक्षा सुधार और साधारण प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप से श्रेष्ठ होता है, वहां का प्रसङ्ग सब से अधिक विचारने योग्य है और वह बहुत

समय मुख्य करके इस महापुरुष की सलाह और कुशलता से प्रीक लोगों की सेलमिष जलयुद्ध में सम्पूर्ण विजय हुई थी। इस प्रकार इसने प्रीस को बचाया था। † १५४४-८४ आरेंज के पहिले विलियम ने स्पेन के राजा दूसरे फिलिप के जुल्म से छुड़ाया था। यह लड़ाई सन् १५६८ में शुरू हुई। सन् १६०९ में उसका अन्त हुआ और डच संयुक्त राज्य की स्थापना हुई। इसको फिलिप ने १५८४ में भार डाला था। तीसरा विलियम (१६५०-१७०३) हालेण्ड का स्टेट होरडर (राज्याध्यक्ष) (१६७२-१७०३) और इंग्लैंड का राजा (१६८९-१७०३) मुख्य करके इसके प्रयत्न से चौदहवें डच का सारे युरोप के राज्य फैलाने का प्रयत्न रुक गया। इस ने अपनी सारी जिन्दगी इसी काम में बितायी थी।

असाधारण भी नहीं है। ऐसी दशाओं में जनता के प्रतिनिधियों का राज्य होगा, तो शिष्ट दल को अधिक मन्व्यता में नित्त सकने वाले तान के बहुत कुछ रक्त जाने की सम्भावना रहती है। फिर उम दल के प्रतिनिधियों का राज्य होगा, तो राज्य ऐसा होगा कि जनता की अधिनायकता उड़ पकड़ेगी और नविष्य की वृद्धि का एक सब में मूल्यवान् तन्व दूर किये बिना उसे अपने प्रति सन्ध बर्ताव की भी कुछ आशा नहीं रहेंगी। ऐसे निष्पत्त बर्ताव जनता के सुधार की मय में अच्छी आशा, कानून से निरंकुश और अधिक नहीं तो वस्तुतः सर्वोपरि मत्ता प्रथम, राज्यधर्म के मुख्य मन्व्यकर्तव्य के ह्राय में होने पर है। यह अकेला अर्थात् म्पिति के कारण, अपने साधियों पर ईर्ष्या होने से, उनसे बड़ा ऊर्ग करने के लिये, जनता से ईर्ष्या न होने के कारण उनका उप्रति और सुधार करने में तान सममता है। अगर उनकी बान में शिष्ट मन्व्यदाय के प्रतिनिधियों की सना, अधिष्टान रूप में नहीं, बरन्ध अधीन के तौर पर रमने का शुभ अवसर आवे और अगर यह सना आरति और प्रग्न उठा कर और समय मन्व्य परगोक प्रग्न कर मानादिक नकावट की वृत्ति को जाणुन रमे और धीरे धीरे तथा उचित समय पर विन्तार पाकर शम्भविक मानादिक प्रतिनिधि-सना हो, (अंगरेजी पार्लियामेंट का इतिहास तन्वतः ऐसा है) तो ऐसी म्पिति और मटन बर्ताव जनता को सुधार की मय में अनुहृत आशा रमने का जो मय में अच्छा प्रसङ्ग नित्त सकटा है, यह मय इस जनता को है।

उो म्भ दिर्मा जनता को प्रतिनिधि राज्य के लिये दिन-हुन मानादिक बनाये बिना उसका मन्व्य तान लेने के गहरे परिमाण में अटक करते हैं, उनमें से एक के ऊपर विरोध ध्यान देना उचित है। इन दलों की तन्वतः दो निष्प

अवस्थाएँ हैं । परन्तु उन दोनों में कुछ समानता है; और इस से वे जिस मार्ग से पृथक् पृथक् मनुष्यों के और राष्ट्रों के प्रयत्नों को उभाड़ते हैं, उसमें वे अक्सर एक दूसरे से मिल जाते हैं । दूसरे पर अधिकार चलाने की इच्छा एक है; और अपने ऊपर अधिकार चलाने देने की मरजी दूसरी है । इन दो वृत्तियों के परस्पर प्रभाव के कारण मनुष्य-जाति के भिन्न भिन्न विभागों में जो भेद पड़ता है, वह उसके इतिहास में एक सब से आवश्यक तत्व है । ऐसे राज्य भी हैं जिनमें अपनी निज की स्वतंत्रता की इच्छा से दूसरे पर हुकूमत चलाने का जोश इतना प्रबल होता है कि वे दूसरे पर हुकूमत चलाने के लिये भी अपनी स्वतंत्रता त्यागने को तैयार जान पड़ते हैं । उनके समाज का प्रत्येक जन, सेना के साधारण सैनिक की तरह, अपना कार्य स्वातंत्र्य सेनापति के हाथ में सौंप देने को राजी होता है । वशतें कि वह सेना सफली-भूत और विजयी हो और वह यह गर्व कर सकता हो कि मैं स्वयं इस विजयी सेना का एक सैनिक हूँ; यद्यपि विजित लोगों पर चलने वाली हुकूमत में अपना कुछ हिस्सा होने का विचार तो केवल धोखा ही है । ऐसे लोगों को यह नहीं रुचता कि सरकार अपने अधिकार और गुणधर्म में स्पष्ट रीति से नियमित कर दी जाय और सीमा से बाहर मगज न लड़ाने और स्वयं रक्षक या निर्देशक की पदवी धारण किये बिना बहुत दारें चलने देने का बंधन लगा दिया जाय । उनके विचार के अनुसार, अगर सत्ता के लिये चढ़ा-ऊपरी करने की सब को साधारण छूट हो, तो सत्ताधिकारी जितनी अपने सिर पर न ले उतनी ही कम है । उन में से एक साधारण मनुष्य भी, अपने और दूसरे के ऊपर कुछ निष्कारण सत्ता न चलाने का विश्वास कराने की अपेक्षा अपने नगर-बंधुओं पर कुछ

अंग में सत्ता चलाना—यह चाहे दूरस्थ और असम्भव ही क्यों न हों—अधिक पसन्द करता है। पद लोलुप लोगों में ऐसे तन्त्र होते हैं; उन में राज्यनीति का कम मुख्य कर के छोड़कर देने के ऊपर निर्धारित होता है। उन में स्वतंत्रता नहीं, सिर्फ समानता की परवा की जाती है। उनके राजनीतिक इतों में जो भगड़ा चलता है, वह सिर्फ यह नियंत्रण करने की चेष्टा से कि प्रत्येक विषय में हस्तक्षेप करने की सत्ता सब दल को मिले या दूसरे को। अथवा सिर्फ राजनीतिक पुण्यों को एक टाली को मिले या दूसरी को। उन में जन-सत्ताक राज्य का भाव सिर्फ इतना ही समझा जाता है कि छोड़ें कुछ छोड़े आदतियों के बदले सब को चढ़ा ऊपरी के लिये छोड़ दिये जायें; उन में राज्यतंत्र जितना अधिक जन-सम्मत होता है, उतने ही अधिक छोड़ें कायम किये जाते हैं और प्रत्येक पर सब और सब पर कार्यकारी विभाग बढ़ाही सत्तासी शासन चलाता है * फ्रांसीसी जनता का यह पथार्थ चित्र है अथवा हम से कुछ मिलना जुलना है, यह कहना निष्पूर और अनुचित भी समझा जायगा। इतने पर भी वे जिस बदर इस नमूने की प्रकृति रखते हैं, उस से उन्हें ऊपर स्थापित एक छोटे वर्ग की तरफ का प्रतिनिधि-राज्य चेहरे घूस लेने से हट गया है और सारी पुण्य मंख्या की तरफ के प्रतिनिधि राज्य के लिये किये हुए प्रयत्न के अंत में

* सन् १८४८ के राज्य विप्लव से फ्रांस में जो विर से जनसत्ताक राज्य स्थापित हुआ उस में ऐसी स्थिति थी। एह—नेपोलियन ने जो राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था, अंत की इतनी बड़ी निरंकुश सत्ता प्राप्त कर ली कि सन् १८५२ से फ्रांस का सम्राट् होकर निरंकुश राज्य स्थापित कर सका।

एक मनुष्य के हाथ में चाकी में से चाहे जितने मनुष्यों को बिना जांच किये लांघेसा या केयेन में देश निकाला करने की सत्ता साँप दी गयी है; उसमें शर्त इतनी ही रही है कि वह उन सब को यह मानने दे कि वे उसकी कृपा में भाग पाने की सम्भावना से वंचित नहीं हैं। इस देश के लोगों की प्रकृति में जो तत्व उनको प्रतिनिधि शासन के लिये दूसरे सब तत्वों की अपेक्षा अधिक योग्य बनाता है, वह यह है कि प्रायः उन सब की उलटी रासियत है। यह ऐसी सत्ता को अपने ऊपर चलाने देने में बड़ी फटकार बताते हैं, जिसे लम्बे रिवाज और सत्यासत्य के विषय में उनकी न्यीकृति बिना जारी कराने का कुछ भी प्रयत्न हो। परन्तु वे साधारणतः दूसरों पर शासन करने की बहुत ही थोड़ी परवा रखते हैं। हुकूमत चलाने के दुर्विकार पर तनिक सहानुभूति न होने से और कैसे कैसे स्वार्थ साधने के उद्देश्य से अधिकार चाहा जाता है, यह बात अच्छी तरह जानी हुई होने से, वे यह इच्छा रखते हैं कि जिनको बिना मर्गि अपनी सामाजिक स्थिति के हिसाब से अधिकार मिले, वे उसे चलायें तो अधिक अच्छा है। विदेशियों की समझ में यह बात आवे तो उनको अंगरेजों की राजनीतिक वृत्तियों में जो कुछ प्रत्यक्ष विरोध दिखाई देता है, उसका कारण समझ में आ जाय; जैसे ऊंचे दरजे को अपने ऊपर राज्य चलाने देने की वेधड़क तत्परता और इसके साथ उनके प्रति इतनी कम व्यक्तिगत अधीनता की वृत्ति कि जब सत्ता अपनी खास नियमित सीमा लांघती है, तब कोई जनता उन्हीं कीसी तत्परता से उसे रोकने को आगे नहीं बढ़ती अथवा उन्हीं के इतने दृढ़ निश्चय से अपने राज्य फर्साओं को हमेशा याद नहीं कराती कि हमें स्वयं जो रीति सब से अच्छी लगेगी, उसी रीति से उनको

ऊपर हुकूमत चलाने देंगे। इस से अंगरेजों को अगर एक जाति की हैसियत से विचारें, तो वे पद के लोभ से प्रायः अनजान हैं। जिन थोड़े से कुटुम्बों या सम्बन्धियों के मार्ग में राज्याधिकार आकर प्रत्यक्ष पड़ गया है, उनको छोड़ दें तो संसार में वृद्धि पाने के विषय में अंगरेजों का विचार दूसरे ही मार्गों से—वकालत, वैद्यक और ज्ञान सम्बन्धी ऊंचे रोजगार, व्यापार या शिष्टवृत्ति में सफलता के मार्गों से सम्बन्ध रखता है। राजनीतिक पक्ष या पुरुष केवल अधिकार के लिये कुछ भी युद्ध करें, तो इसके लिये उन्हें बड़ी भारी कवाहत् है। और उनको सरकारी ओहदों की संख्या बढ़ाने के विषय की अपेक्षा दूसरे थोड़े ही विषयों पर अधिक नफरत है। इसके विरुद्ध अधिकारीवर्ग के पैरों तले कुचली जाती हुई युरोप-खंड की प्रजाओं में यह बात सदा लोकप्रिय है। क्योंकि वे अपने को या अपने समूह को कोई ओहदा मिलने का प्रसन्न, घटाने के बदले मारी कर देने को राजी होंगे और उनके पक्ष घटाने की पुकार का मतलब यह कभी नहीं है कि ओहदे तोड़ दिये जायं, परंच जो ओहदे इतने बड़े हों कि उन पर साधारण नागरिकों के नियत होने का कुछ भी मौका न हो उनका वेतन घटा दिया जाय।

पांचवां अध्याय ।

प्रतिनिधि-सभाओं के खास कर्तव्य के विषय में ।

प्रतिनिधि-शासन के विषय में विचार करते हुए (एक ओर) उसके भाव या तन्व और (दूसरी ओर) अचानक ऐतिहासिक योग या किसी खास समय प्रचार पाये हुए विचारों के कारण इस भाव के धारण किये हुए खास स्वरूप

के बीच का भेद ध्यान में रखने की सय से बड़ी आवश्यकता है। प्रतिनिधि-शासन का यह अर्थ है कि प्रत्येक राज्यतंत्र में जो अंत की अंकुश सत्ता किसी स्थान में रहे, उसको सारी जनता या उसका कोई बड़ा भाग स्वयं समय समय पर पसन्द किये हुए प्रतिनिधियों द्वारा काम में लावे। यह अन्तिम अधिकार उसके हाथ में सब तरह से पूर्ण होना चाहिये। यह जब चाहे तब राज्यतंत्र की सारी क्रिया पर सर्वोपरि सत्ता चलाने को समर्थ हो। यह कोई जरूरी नहीं है कि यह सर्वोपरि सत्ता उसको राज्यतंत्र के कानून से ही मिलना चाहिये। ब्रिटिश राज्यतंत्र ऐसी सत्ता नहीं देता, परन्तु जो कुछ देता है, वह प्रयोग में उस दर्जे तक पहुँचता है। अन्त की अंकुश सत्ता केवल राजसत्ताक या जनसत्ताक राज्यतंत्र तथा मिश्र और समतोलित राज्यतंत्र में वस्तुतः अविभक्त होती है। समतोलित राज्यतंत्र असम्भव है—प्राचीन प्रजाओं की इस राय में सत्य का जो अंश है, उसको हमारे समय में बड़े बड़े मातवर पुरुषों ने पीछे से ताज़ा किया है। समतोलन तो लगभग हमेशा होता है, परन्तु तराजू के पलड़े कभी एक समान नहीं रहते। उनमें किसका वजन अधिक है, यह राजनीतिक तंत्रों के बाहरी दृश्य से हमेशा स्पष्ट नहीं दिगई देता। ब्रिटिश राज्यतंत्र में राज्यसत्ता की तीन समान पंक्तियों के अंगों में प्रत्येक को जो अधिकार दिया गया है, वह अगर पूरे तौर पर अमल में लाया जाय, तो राज्यतंत्र के सारे कल-पुरजों को बन्द करने में समर्थ हो। इस से प्रत्येक अंग को दूसरे का एएडन या रुंधन करने के लिये नाम को समान अधिकार मिला है। और अगर इन तीनों में से कोई अंग इस अधिकार को काम में लाने से अपनी स्थिति सुधारने की आशा रख सके, तो मनुष्य-व्यवहार का साधारण क्रम हमें यह

वजन देते रहते हैं, तब तक वे नियम पाले जाते हैं और व्यवहार में जारी रहते हैं। इंग्लैण्ड में यह सत्ता सामाजिक सत्ता है। इससे अगर ब्रिटिश राज्यतंत्र के कायदे, कानून और उनके साथ भिन्न भिन्न राजनीतिक अधिकारियों के वर्तमान को वस्तुतः अंकुश में रखने वाले अलिखित नियम राज्यतंत्र के लोक-प्रिय तत्व को देश में, उसकी वास्तविक सत्ता के अनुसार वास्तविक सर्वोपरि वजन दें, तो राज्यतंत्र में स्थायिता का जो लक्षण है वह न रहे और कानून या अलिखित नियम—दो में से एक को जल्द बदलना पड़े। इस प्रकार ब्रिटिश राज्यतंत्र अपने असली अर्थ में प्रतिनिधि शासन है और जनता के सामने जो प्रत्यक्ष भाव से जवाबदेह नहीं है, उनके हाथ में जो अधिकार रहने देता है, उसको सिर्फ, राज्य करने वाली सत्ता अपनी भूलें रोकने के लिये जो चितौनी रखने का राजी होनी है, वैसी ही चितौनी मान सकते हैं। ऐसी चितौनी सभी जनसत्ताक-राज्यों में विद्यमान होती है। एथिनियन राज्यतंत्र में ऐसी बहुत सी शर्तें थीं और संयुक्त राज्य में भी हैं।

परन्तु जब प्रतिनिधि-शासन राज्य की सर्वोपरि सत्ता का जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में रहना आवश्यक है, तब यह प्रश्न उठता है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर्त्तव्य या राज्यतंत्र की संघ-सामग्री में कौन सा निर्दिष्ट भाग प्रतिनिधि-सभा सीधे तौर पर और स्वयं करे। इस विषय में अगर कर्त्तव्य ऐसे हों कि प्रत्येक विषय में अन्त की अंकुश सत्ता प्रतिनिधि-सभा के हाथ में रहे, तो प्रतिनिधि-राज्य के तत्व के कितने ही भेद अनुकूल आते हैं।

राज्य-कार्य पर अंकुश रखना और स्वयं उसे करना—इन दोनों में मूल तात्त्विक भेद है। एक ही मनुष्य या सभा हर एक काम पर अंकुश रख सकती है, परन्तु हर एक काम स्वयं

करना सम्भव नहीं है। और कितने ही विषयों में तो स्वयं काम करने का जितना ही कम प्रयत्न किया जाता है, उतना ही अधिक दृढ़ अंकुश प्रत्येक विषय पर रखा जा सकता है। किसी सेना का सेनापति अगर स्वयं सैनिकों की श्रेणी में लड़ने को सड़ा रहे या आक्रमण करने जाय, तो वह उसकी प्रभावशाली व्यूह व्यवस्था नहीं कर सकता। यही बात मनुष्यों की सभा के लिये है। कुछ काम सभाएं ही कर सकती हैं, पर दूसरे कामों को वे अच्छी तरह नहीं कर सकतीं। इस लिये पहिला प्रश्न यह है कि लोक-सभा को किस पर अंकुश रगना चाहिये। और दूसरा प्रश्न यह है कि उसे स्वयं क्या करना चाहिये। हम पहिले जान चुके हैं कि उसको राज्य के सभी कामों पर अंकुश रगना चाहिये। परन्तु यह साधारण अंकुश किस साधन द्वारा चलाना सब से अधिक लाभदायक है और राज-काज का कौनसा भाग प्रतिनिधि-सभा को अपने हाथ में रखना चाहिये, इसका निर्णय करने के लिये हमें जिस विषय का विचार करना है, वह यह है कि किस प्रकार का काम एक बड़ी नमा योग्य रीति से कर सकती है। जो कुछ वह भली-भांति कर सकती है, वही उसे अपने हाथ में लेना चाहिये। याकी काम के लिये, तो उसका उचित कर्त्तव्य यह है कि उसे स्वयं न करके दूसरों से अच्छी तरह कराने का उपाय करे।

दृष्टान्त के तौर पर जो कर्त्तव्य दूसरे कर्त्तव्यों की अपेक्षा विशेष तौर पर प्रतिनिधि-सभा का गिना जाता है, वह कर मंजूर करने का है। इतने पर भी किसी देश में प्रतिनिधि-सभा स्वयं या अपने नियत किये हुए अफसरों की मार्फत आय, धन्य का चिट्ठा तय्यार करने का काम अपने सिर पर नहीं लेती। यद्यपि आय तो सभा ही मंजूर कर सकती है और भिन्न भिन्न विषयों में आमदनी खर्च करने के लिये

भी उसी सभा की अनुमति आवश्यक है तथापि राज्यतंत्र का ऐसा नियम और साधारण रिवाज है कि राजा की दरखास्त पर ही धन दिया जा सकता है। इतना अलवत्ता मालूम हुआ है कि धन कार्यकारी विभाग के हाथ से खर्च होने के कारण जिन योजनाओं और हिस्साव के आधार पर खर्च का अन्दाजा लगाया जाता है, उन के लिये कार्यकारी विभाग जवाबदेह रखा जाता है, तभी रकम के धारे में सीमा की ओर उसके उपयोग की विधि में विवेक और समझाल की आशा रखी जा सकती है। इस प्रकार कर लगाने या खर्च करने के विषय में पार्लियामेंट की तरफ से स्वयं कुछ आरम्भ करने की आशा नहीं रखी जाती और उसको इजाजत भी नहीं है। है यही कि उसकी मंजूरी मांगी जाती है और उसको अधिकार है कि इनकार कर दे।

इस राजनीतिक सिद्धान्त में जो मूलतत्त्व सन्निविष्ट और स्वीकृत है, उसका यथासाध्य अनुसरण करें, तो वह प्रतिनिधि सभाओं के साधारण कर्तव्य की सीमा और परिभाषा बनाने का मार्ग दिखाता है। एक तो जिन देशों में प्रतिनिधि पद्धति अनुभव पूर्वक समझ में आयी है, उन सब में यह स्वीकार हुआ है कि बड़ी संख्या की प्रतिनिधि सभाएं प्रबन्ध का काम न करें। यह नियम सिर्फ अच्छे राज्यप्रबन्ध के सब से श्रेणीभूत तत्वों के नहीं, बरंच किसी तरह सफलीभूत हुए प्रबन्ध के मूलतत्वों के आधार पर भी है। मनुष्यों की कोई सभा अगर सुव्यवस्थित और हुकम में रह कर बर्ताव करनेवाली न हो, तो वह यथार्थ काम के लायक नहीं। कुछ और उनमें भी काम के खास जानकार चुने हुए मनुष्यों की बनी व्यवस्थापक सभा भी, उसी में से निकल आनेवाले एकाध पुरुष की अपेक्षा हमेशा घटिया काम करती है और अगर उस एक पुरुष को मुखिया बना कर बाकी सब को

उसकी मातहत में रगें, तो वह सभा योग्यता में उन्नति करेगी। जो काम पृथक् पृथक् मनुष्यों की अपेक्षा सभा अच्छी तरह करती है वह सलाह मशविरे का है। जब बहुत से परस्पर विरोधी विचारों को मुन कर उन पर विचार करना जल्दी या आवश्यक होता है, तब विचार-सभा की आवश्यकता है। इस से यद्यपि ऐसी सभाएं कितनी ही बार प्रबन्ध-कार्य के लिये भी उपयोगी होती हैं तथापि साधारण तौर पर तो सलाह देने के लिये ही। क्योंकि प्रबन्ध का काम तो एक की जिम्मेवारी पर ही नियम पूर्वक बहुत अच्छी तरह चलता है। किसी साभे के व्यवसाय में भी क्यास में नहीं तो काम में भी एक प्रबन्धकर्तृ व्यवस्थापक होता है, उस व्यवसाय की अच्छी या बुरी व्यवस्था चास्त्व में किसी एक ही मनुष्य की योग्यता पर निर्भर करती है और याकी व्यवस्थापक अगर किसी काम के लायक होते हैं, तो उसको अपनी ओर से भलाह देकर या उनको जो उसके ऊपर निगरानी करने और उसकी कार्रवाई अनुचित जँचे उसे रोकने या हटाने का जो अधिकार है, उसके लिये व्यवस्था के काम में तो ये जाहिरा उनके समान हिस्सेदार हैं। मगर हममें कुछ लाम नहीं है, अलवत्ता ये कुछ भी भलाई करने में समर्थ हों, तो उसके विरुद्ध यह एक बहुत बड़ी भुट्टि है। इस से यह होता है कि उसको जो अकेला और स्वयं जिम्मेवार रहना चाहिये, उस विषय की गति उसके अपने और दूसरों के मन में कमजोर हो जाती है।

परन्तु जन-सभा तो प्रबन्ध करने या जिनके हाथ में प्रबन्ध हो, उनको सविस्तार आशा देने के लिये इस से भी कम योग्य है। ऐसा हस्तक्षेप शुद्ध भाव से होने पर भी प्रायः सदा हानिकारक होता है। राज्य-प्रबन्ध की प्रत्येक

शाखा की व्यवस्था प्रवीणता का काम है । और इसके लिये उसके खास अपने नियम और रिवाज की दफायें होती हैं. उनमें से अधिकांश तो, जिसने कभी काम चलाने में हिस्सा लिया हो, उसके सिवाय दूसरे किसी को ठीक तौर पर मालूम भी नहीं होती । जिसने उस विभाग में तजरबा नहीं हासिल किया है, उस मनुष्य के लिये, उनमें से किसी का भी उन्नित मूल्य जानना सम्भव नहीं है । मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि राज काज के प्रबन्ध में गूढ़ भेद है और वह सस्कारी पुरुषों की समझ में ही आता है । अच्छी समझ वाले हर एक आदमी के लिये, जिसने अपने मन में प्रबन्ध की स्थिति और प्रसङ्ग का वास्तविक स्वरूप विचारा होगा, इसके सभी मूलतत्व सुगम होते हैं । परन्तु इसके लिये उसे उस स्थिति और प्रसङ्ग को जानना चाहिये, और यह ज्ञान अन्तःप्रेरणा से नहीं आता । (जैसा कि हर एक निज के रोजगार, धन्धे में होता है) राज-काज की प्रत्येक शाखा में बहुतरे सब से आवश्यक नियम होते हैं और जो मनुष्य उस में नया प्रवेश करता है, वह उनका कारण नहीं जानता और कभी कभी उनका अस्तित्व भी नहीं समझता । क्योंकि जिन जोखिमों का सामना करने या अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से वे नियमादि बने होते हैं, वे उनके ख्याल में भी कभी न आये होंगे । मैं कितने ही राजनीतिक पुरुषों को, साधारण से अधिक स्वाभाविक शक्तिवाले मंत्रियों को जानता हूँ, उन्होंने ने राज-काज के किसी नये विभाग में प्रवेश करते समय कुछ बात—जिसके उस विषय पर नज़र डालने वाले प्रत्येक जन को शायद पहिला विचार आया होगा, परन्तु जिसने दूसरा विचार उठते ही छोड़ दिया होगा, इस ढङ्ग से मानों अभी तक किसी गिनतीमें नहीं थी और खास हमने उस पर

स्वार्थ का उद्देश्य धींच में नहीं आता तब तक ऐसा चलता है, परन्तु जब यह धींच में आता है, तब उसका परिणाम यह निकलता है कि प्रकाश वाले राज्यतंत्र के किसी सरकारी अधिकार में जो सत्यानाशी चाल चलाने की आशा रखी जा सकती है, उसकी अपेक्षा अधिक वेधड़क और वेशरम सौदा चलने लगता है। इस स्वार्थ वृत्ति का सभा के बड़े भाग तक पहुंचना जरूरी नहीं है। किसी खास प्रसङ्ग में उसकी संख्या के दो या तीन में वैसी वृत्ति हो, तो बहुधा यथेष्ट है। बाकी के किसी सभासद में सभा को ठीक रास्ते पर चलाने में जितनी रुचि होना सम्भव है, उसकी अपेक्षा इन दो तीन में उसे उलट्टे रास्ते ले जाने की रुचि अधिक होगी। सभा का बड़ा भाग स्वयं खड़ा रह सकता है, परन्तु जिस विषय में उसको कुछ ज्ञान नहीं है, उसमें अपना मन सावधान या अपनी दृष्टि सूक्ष्म नहीं रख सकता और सुस्त मनुष्य की तरह बड़ा पक्ष भी, जो मनुष्य उसके साथ अधिक धम करता है, उसके वश में आ जाता है। मंत्रियों के खराब काम या खराब नियुक्ति को पार्लिमेण्ट रोक सकती है और अपना वचाव करने में मंत्रियों का और उन पर आक्रमण करने में प्रतिपक्षियों का स्वार्थ होने से किसी कदर समान चर्चा चलने का भरोसा रहता है। परन्तु सावधान को कौन सावधान करे ? पार्लिमेण्ट को कौन रोकेगा ? मंत्री या विभाग का प्रधान अपने को कुछ जिम्मेवार समझता है। ऐसे प्रसङ्ग में कोई सभा अपने को कुछ जिम्मेवार नहीं समझती। क्योंकि पार्लिमेण्ट के किसी सभासद ने सूक्ष्म प्रबन्ध के विषय में दिये हुए मत के लिये कब अपनी जगह खाली रखी है ? मंत्री या विभाग के प्रधान के लिये यह जान रखना अधिक आवश्यक है कि उसके काम के धारे में तत्काल कैसा विचार होता है

और उस से कुछ समय बाद कैसा विचार होगा । परन्तु एक सभा, जब चाहे जैसी उतावली से मचायी हुई या चाहे जैसी कृत्रिम रीति से उसकायी हुई तात्कालिक पुकार उसके पक्ष में हानती है, तो उसका चाहे जैसा सत्यानाशी परिणाम हो, तो भी वह अपने को सम्पूर्ण रीति से दोषमुक्त हुई समझती है और प्रत्येक जन भी ऐसा ही समझता है । फिर सभा अपनी गगन काररवाई की—जब तक वह सामाजिक अर्थ का स्वरूप धारण नहीं करती तब तक उसको—अङ्गुचनों का अनुभव मन्त्रयं नहीं करती । मंत्री और प्रबन्धकर्ता उसको आते देगते हैं और उन्हें उसे दूर करने का प्रयत्न करने के लिये सारी अङ्गुचनों और मिहनत उटानी पड़ती है ।

प्रबन्ध सम्बन्धी विषयों में प्रतिनिधि-सभा का यह राल कर्त्तव्य नहीं है कि वह उसके विषय में अपने मत से निर्णय करे; यद्यपि जिनके हाथ से उसका निर्णय होना है वे योग्य पुरुष हों, इसकी सम्भाल रखना उसका कर्त्तव्य है । यह कर्त्तव्य भी यह मन्त्रयं नियुक्ति द्वारा पालन करने जाय, तो इसमें लाभ नहीं होने का । अमलों को नियुक्त करने से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा काम नहीं है जिसके करने में अधिक स्पष्ट भाव से व्यक्तिगत जिम्मेवारी की प्रयत्न शक्ति की जरूरत हो । राजकाज में प्रवीण प्रत्येक पुरुष को अनुभव से यह बात सावित होती है कि ऐसा कोई दूसरा काम शायद ही होगा कि जिस के सम्बन्ध में साधारण मनुष्यों के मन को इससे कम गटका रहता हो और जिसमें मनुष्यों को भिन्न भिन्न पुरुषों की योग्यता का भेद किसी कदर न जानने से और किसी कदर परवा न होने से उसकी अपेक्षा कम विचारा जाता हो । जहाँ कोई मंत्री ऐसी नियुक्ति करता है, जिसको हम प्रामाणिक मानते हैं अर्थात् जब यह व्यक्तिगत या पक्षगत स्वार्थ के

लिये सौदा नहीं करता, वहां एक अनजान मनुष्य यह सोचेगा कि मैं सब से अधिक योग्य मनुष्य को वह पद देने का प्रयत्न करूंगा। यह कुछ बात नहीं है। एक साधारण मंत्री अगर एक योग्यता वाले पुरुष को या जिसे किसी कारण से जनता पर कुछ हक हो उस पुरुष को वह पद देगा, तो वह अपने को सद्गुणकी मूर्ति समझेगा, चाहे वह हक या योग्यता जैसी चाहते हों, उस से उलटी ही क्यों न हो। "चाहता हो गणित-शास्त्री तब रखा जाय नाटकी" इस कहावत में फिगारो * के समय को अपेक्षा आज भी मुश्किल से ही अधिक अतिशयोक्ति है। और नियत किया हुआ मनुष्य अच्छा न बनिया हो, तो मंत्री वेशक अपने को निर्दोष ही नहीं, वरंच गुणवान् समझता है। इसके सियाय पास काम के लिये पास मनुष्यों को योग्य बनाने वाले गुण तो, जो उन मनुष्यों को जानता है या जो उनके किये हुए काम से या जो लोग उनके विषय में तुलना करने की हैसियत रखते हों, उनकी गवाही से उनकी परीक्षा और तुलना करने का काम ले बैठता है, वही जान सकता है। जो बड़े राज्याधिकारी अपनी की हुई नियुक्ति के लिये जिम्मेवार बनाये जा सकते हैं, वे जब इस सात्विक-धर्म की इतनी कम परवा रखते हैं, तब जिनको जिम्मेवार नहीं बना सकते,

* बोमार्शे नाम के फ्रांसीसी नाटककार के "सेविल का हजाम" और "फिगारो का ब्याह" नाम के दो प्रदृशनों का नाटक। मामूली हैसियत के आदमी ने—पहिले हजाम और पीछे अर्दली होकर-जिससे काम पड़ा उस पर अपने बुद्धि-बल से सफलता पायी थी। कहा जाता है कि उस पात्र के रूप में नाटककार का उद्देश्य यह दिखाने का था कि फ्रांसीसी राज्य-विप्लवसे पहिले के फ्रांसीसी राज्य की आम सभा दूसरी अथवा शिष्ट सभा से भेद्य थी।

उन सभाओं की बात क्या कही जाय ? अब भी जो नियुक्ति प्रतिनिधि-सभा में समर्थन पाने के लिये या विरुद्धता दूर करने के लिये की जाती है, वह सब से खराब होती है । वही नियुक्ति अगर स्वयं सभा करे, तो उसमें कैसी आशा रखी जा सकती है ? बड़ी सभाएं कभी ग्रास योग्यता की कुछ परवा नहीं करतीं । अगर कोई मनुष्य फांसी की तिकटों के योग्य नहीं होगा, तो वह प्रायः जिन जगहों की उम्मेदवारी करने को बाहर निकलेगा, उन सब के लिये करीब करीब दूसरे मनुष्यों के बराबर ही योग्य समझा जायगा । जल ग्राम सभाओं की हुई नियुक्ति का निर्णय, जैसा कि प्रायः सदा होता है, पक्षपात या अपना स्वार्थ साधन के कारण से नहीं होता, तब वह जो निर्णय करता है, उसका कारण या तो यह होता है कि नियुक्त मनुष्य सत्कारण बुद्धि में अनेक बार अनुचित प्रतिष्ठा पाये रहता है या वह स्वयं लोकप्रिय है । इसके सिवाय और कोई अच्छा कारण नहीं होता ।

यह कभी उचित नहीं समझा गया कि मंत्रासभा के सभासदों को भी पार्लिमेण्ट स्वयं नियत करे । उसका इतना ही निर्णय कर देना काफी है कि प्रधानमंत्री कौन हो या वे दो, तीन पुरुष कौन हों, जिन में से प्रधानमंत्री चुना जाय । ऐसा करने में वह सिर्फ इतनी बात स्वीकार करता है कि जिस पक्ष को राज्यनीति हमारा (पार्लिमेण्ट का) समर्थन करना है, उसका उम्मेदवार एक ग्रास पुरुष है । घान्तव में पार्लिमेण्ट जो निर्णय करता है, वह इतना ही कि दो या अधिक से अधिक तीन दलों या मनुष्य संख्याओं में से कौन राज्य-प्रबन्ध चलाये । उनमें से कौन प्रमुख स्थान पर रखने योग्य है, इसका निर्णय तो उस दल की राय ही करता है । ब्रिटिश-राज्यतंत्र को वर्तमान चाल के अनुसार ऐसा जान पड़ता है कि यह

विषय जैसा चाहिये, वैसे ही अच्छे पाये पर है । किसी मंत्री को पार्लिमेण्ट स्वयं नहीं नियुक्त करती, वरंच राजा पार्लिमेण्ट की प्रगट की हुई साधारण इच्छा और वृत्तियों के अनुसार राज्यतंत्र के प्रधान को नियुक्त करता है और प्रधान मंत्री की सलाह से दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है । फिर राज्य-प्रबन्ध के दूसरे अस्थायी ओहदों पर योग्यपुरुष नियुक्त करने का अखण्ड धर्माभार प्रत्येक मंत्री के सिर पर है । जनसत्ताक राज्य में कुछ और इंतजाम की जरूरत होगी; परन्तु वह इंग्लैण्ड में मुद्दत से प्रचलित चाल से जितनाही मिलता जायगा उतनाही उसका अच्छी तरह से चलना सम्भव है । या तो, जैसा कि अमेरिका के जनसत्ताक राज्य में है, प्रतिनिधि-सभा से कोई विलकुल स्वतंत्र सत्ता राज्यप्रबन्ध के मुखिया को चुने अथवा प्रतिनिधि-सभा प्रधान मंत्री को नियुक्त कर सन्तुष्ट रहे और प्रधान मंत्री को उसके साथियों और मातहत मनुष्यों की पसन्दगी के लिये जिम्मेवार घनावे । भविष्य में इन सब विचारों के सामान्य रूप से स्वीकृत होने की मैं पूरी आशा रखता हूं । परन्तु व्यवहार में तो जिसके हाथ में सबसे प्रबल सत्ता होती है, वह उसका घेहद उपयोग करने को अधिक ललचता है । इस साधारण नियम के कारण प्रतिनिधि-सभा को राज्य प्रबन्ध के सूक्ष्म विषयों में अधिक मगज मारने का बहुत चाव होता है और प्रतिनिधि राज्य के भविष्य अस्तित्व के जिस व्यवहारी जोखिम का जो भय रहता है, उस में से एक यह है ।

परन्तु एक बड़ी संख्या की सभा प्रत्यक्ष व्यवहार की तरह प्रत्यक्ष कानून बनाने के लिये भी कम ही योग्य है । यह बात यद्यपि सिर्फ थोड़े समय से और धीरे धीरे स्वीकार की जाने लगी है तथापि यह 'विलकुल' सच है । कानून बनाने

का काम अनुभवी और अभ्यासी ही नहीं, परंच लम्बे और कठिन अध्ययन से शिक्षा पाये हुए मन के मनुष्यों द्वारा होने की जितनी जरूरत है, उतनी और किसी तरह के मानसिक काम के लिये शायद ही जरूरत होगी। बहुत थोड़े मनुष्यों की सभा बिना, अच्छा कानून नहीं बन सकता। इसके लिये दूसरा कोई कारण न हो, तो इतनाही काफी है। कानून को हर एक दफा का दूसरी दफाओं पर जो असर होता है, उसको सूय घारीकी और दूरन्देशी से जांचकर बनाना उचित है। और कानून के बन जाने पर भी उसमें ऐसी शक्ति होनी चाहिये कि वह पहिले के जारी कानूनों के मुआफिक आवे। यह कुछ कम निर्णायक कारण नहीं है। जब किस्म किस्म के मनुष्यों वाली सभा में कानून दफावार मंजूर किया जाय, तब इन शक्तों का किसी अंश में भी पूरा पढ़ना असम्भव है। हमारे कानून, स्वरूप और रचना, दोनों अब तक ऐसी पिचड़ी हो रहे हैं कि उनके ढंग में कुछ परिवर्द्धन होने से उसकी अन्ययस्था और विगदता में बढने वाला हदय असम्भव है। ऐसा अगर न होता तो कानून बनाने की ऐसी परतति की अयोग्यता की तरफ सब का मन खिंचे बिना न रहता। फिर भी, हमारी कानून बनाने वाली यंत्र सामग्री को अपने काम के लिये पूरी नालायकी हर धर अधिक अधिक अनुभव में आने लगी है। कानून के मसविदे को यथा-विधि पार उतारने में लगे हुए एक समय के कारण ही पार्लिमेण्ट लूटे छूटके और सूदम विषयों के सिवाय दूसरी बातों पर कानून बनाने को अधिक अशक्त होती जाती है। जब कोई ऐसा मसविदा तय्यार होता है, जिसमें किसी समूचे विषय से सम्बन्ध लगाने का प्रयत्न हुआ हो (और समूचा विषय दृष्टि के सामने रहे बिना उसके किसी

भाग पर उचित कानून बनाना असम्भव है) तो उसका फैसला करने योग्य समय न मिल सकने से वह बारम्बार मुलतवी हुआ करता है। उस मसविदे को, सब से योग्य गिने जाते हुए प्रतिष्ठित पुरुषों ने सभी साधनों और साहित्य की भी सहायता लेकर और उस विषय में अपनी प्रवीणता के लिये प्रसिद्धि पायी हुई शिष्ट सभाओं ने उस पर चर्चा चलाकर, सुगठित करने में वर्षों बिताया और विचारपूर्वक उसे रचा हो, तो भी कुछ बात नहीं। आम सभा अपने अनाड़ी हाथ से उस में नुक्ताचीनी करने का अपना अनमोल हक छोड़ेगी नहीं, इससे वह मंजूर नहीं हो सकता। कुछ दिनों से कुछ कुछ यह रिवाज जारी हुआ है कि दूसरी पेशी में मसविदे का मूलतत्त्व प्रगट हो जाने पर वह पूर्णरूप से विचारने के लिये एक खास समिति को दिया जाता है; परन्तु इस रिवाज से कुछ, पीछे से समूची सभा की कमेटी (कार्यकारिणी-सभा) में मंजूर कराने में कम समय लगता नहीं जान पड़ा है; जो राय या तरंग ज्ञान के सामने नहीं टिकने पाती, वह अज्ञान की अदालत में फिर जोर लगाने का सदा आग्रह करती है। यह खास समिति का रिवाज भी अवश्यही मुख्य करके अमीर सभा ने स्वीकार किया है। क्योंकि उसके सभासद प्रतिनिधि-सभा के सभासदों की अपेक्षा मगज लड़ाने में कम आग्रही और तत्पर हैं और व्यक्तिगत मत की कम परवा रखते हैं। और जब बहुत दफापं वाला मसविदा सविस्तार आलोचित होने में सफलता पाता है, तब वह किस स्थिति में कमेटी से बाहर निकलता है, इसका यर्णन करना असम्भव है। जो दफापं दूसरी दफाओं के अमल में लाये जाने के लिये आवश्यक हैं, वे ही निकल गयीं, कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ की या मसविदा को सड़ाते रहने की

धमकी देनेवाले किसी तरंगी सभासद का समाधान करने के लिये कुछ बेमेल दफाएं जुड़ गयीं। उस विषय को सिर्फ एक नाक से सूँचे हुए किसी अर्द्धदग्ध की दरखास्त पर दरखास्त करने वाले या उसका समर्थन करने वाले सभासदों को तत्काल न सूझी हुई और उनकी डाली हुई गड़बड़ सुधारने के लिये दूसरी ही बैठक में तरमीम की दफा पेश करनी पड़ी। इस विषय की व्यवस्था करने की हाल की पद्धति का एक दोष यह है कि जिनके मन से यह मसविदा और उसकी भिन्न भिन्न धाराएं निकली होती हैं, उनको सम्भवतः सभा में स्थान न मिलने से वे अपना समर्थन और यत्न करने का काम मुश्किल से ही कर सकते हैं। जिस मंत्री या पार्लो-मेण्ट के सभासद पर उसके समर्थन का भार होता है, उसने उसको बनाया नहीं, उसे साफ दिखाई देने वाली दलीलों के सिवाय दूसरी बातों के लिये जवानदराजी पर भरोसा रखना पड़ता है, वह अपने विषय का सम्पूर्ण घल और उसके समर्थनकारी सब से श्रेष्ठ कारणों को नहीं जानता और अनसोचे उज्रों का जवाब देने में बिलकुल असमर्थ होता है। सरकारी मसविदे के सम्बन्ध में तो इस दोष का उपाय होना सम्भव है और कितने ही प्रतिनिधि राज्यतंत्रों में सरकार के विश्वास के मनुष्यों को दोनों सभाओं में उपस्थित होने की अनुमति और मत देने का नहीं, तो बोलने का हक देकर इसका उपाय किया गया है।

ग्राम सभा (House of commons) का जो अर्थ भी बड़ा भाग कभी तरमीम कराना या व्याख्यान देना नहीं चाहता, वह अगर अर्थ से यह सोचे कि काम की सारी व्यवस्था जो लोग अपने हाथ में रखना चाहते हैं उनके हाथ में न रहने दें; वह अगर अपने मन में यह विचारे कि कानून बनाने के लिये थाचाल जिहा

और मत-समिति से चुनने की शक्ति की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ गुण विद्यमान है और ढूँढ़ने से मिल सकता है; तो शीघ्र ही यह स्वीकार हो कि प्रबन्ध तथा कानून के विषय में भी प्रतिनिधि-सभा को, जो एक ही काम के लिये योग्य हो सकती है, स्वयं काम नहीं करना है, वरंच कराना है; किसको और कैसे मनुष्यों को वह काम-साँपे, यह निश्चय करना है और तैयार होने पर राष्ट्रीय सम्मति देना या मौकूफ रखना है। एक ऊंचे दर्जे की सभ्यता के योग्य राज्य-तंत्र को तो अपने एक मूल अंग के तौर पर कानून बनाने के नियमित अधिकार वाली कानून सभा के रूप में एक छोटी और अधिक से अधिक मंत्री सभा के बराबर सभासदवाली समिति रखनी चाहिये। इस देश के कानूनों का पुनरवलोकन कर के शृङ्खलाबद्ध स्वरूप में रखें और ऐसा अवश्य शीघ्र ही होगा तो यह काम करने वाली कानून सभा उस पर निगाह रखने के लिये, उसमें दोष घुसने से रोकने के लिये, और जब जब जरूरतें मालूम हों तब अधिक सुधार करने के लिये, एक स्थायी विभाग के तौर पर रहनी चाहिये। यह तो कोई चाहेगा नहीं कि इस सभा को अपनी मरजी से कोई कानून बनाने का अधिकार रहे; कानून सभा, सिर्फ उसके गठन में कुशलता के तत्व का समावेश करेगी; संकल्प का तत्व तो पार्लिमेण्ट में ही रहेगा। पार्लिमेण्ट की साफ मंजूरी बिना कोई भी मसविदा कानून नहीं हो सकेगा और पार्लिमेण्ट या प्रत्येक सभा को मसविदा रद्द करने की ही नहीं, वरंच पुनरवलोकन या सुधार के लिये उसे कानून सभा में वापस भेजने की सत्ता रहेगी। फिर प्रत्येक सभा अपनी आरम्भिक सत्ता के रू से कोई विषय कानून सभा के सामने पेश कर उसका कानून बनाने की

सलाह दे सकेगी । अलवत्ता देश जो कानून मांगे, उसमें हाथ लगाने से इनकार करने का अख्तियार कानून सभा को नहीं रहेगा । कोई खास उद्देश्य साधने के लिये मसविदा बनाने के विषय में, दोनों सभाओं के स्वीकार किये हुए परामर्श कानून सभा को मानने पड़ेंगे । नहीं तो वह अपने पद से इस्तेफा दाखिल करे । इतना होने पर भी जब मसविदा एक बार तय्यार हो जाय, तब पार्लिमेण्ट को उसमें फेर-बदल करने की नहीं, वरंच उसे सिर्फ मंजूर या रद्द करने की सत्ता होनी चाहिये । अथवा जो भाग नापसन्द हों उसे फिर से विचारने के लिये कानून सभा के पास वापस लौटाने की सत्ता होनी चाहिये । कानून सभा के सभासदों को राजा नियुक्त करे, परन्तु उनका अधिकार किसी खास मुद्दत तक हो, जैसे पांच वर्ष । फिर भी (जैसा कि न्यायाधीशों के विषय में है) उनकी ओर से अनुचित व्यवहार हो या वे पार्लिमेण्ट की आज्ञा के अधीन होकर मसविदा बनाने से इनकार करें और इस कारण से पार्लिमेण्ट की दोनों सभाओं की ओर से विनती की जाय, तो उनको हटा सकें । जो अपना कर्तव्य पालने के योग्य न साबित हुआ हो, उससे छुटकारा पाने और सभा में नया और जवानी का जोश भरने का सुगम मार्ग पाने के लिये पांच वर्ष पूरा होने पर जो सभासद फिर से न चुना जाय, उसका अधिकार बन्द होना चाहिये ।

एधिनियन जनसत्ताक राज्य में भी कुछ इस से मिलती जुलती धारा की जरूरत जान पड़ी थी । क्योंकि उसके सम्पूर्ण प्रभाव के समय में एकलीशिया या लोक-सभा सेफिज्य (बहुत करके राज्य-नीति के विषय में फुटकर बातों पर प्रस्ताव) मंजूर करती । परन्तु वास्तव में कानून तो प्रतिवर्ष बार बार नियुक्त होने वाली नोमोधीरी नाम की अलग और कम संख्या

की सभा ही बना या बदल सकती थी और समूचे कानून का पुनरवलोकन करने और उसका परस्पर सम्बन्ध बनाये रखने का काम भी उसी का था । स्वरूप और तत्व दोनों में नया, ऐसा कोई प्रबन्ध अंगरेजी राज्य-तंत्र में दाखिल करना बहुत मुश्किल होता है । परन्तु चलते रीति रिवाजों का रूप पलट कर नया उद्देश्य साधने में अपेक्षाकृत कम विरोध होता है । मुझे ऐसा लगता है कि राज्यतंत्र की सम्पत्ति में इस बड़े सुधार के बढ़ाने का उपाय अमीर सभा (House of Lords) की यंत्र सामग्री द्वारा हो सकेगा । मसविदा तैयार करने वाली (कानून) सभा कुछ स्वयं निराश्रित कानून के प्रबन्ध की व्यवस्थापक सभा या बोर्ड (Board) व्यवस्थापक सभा की अपेक्षा राज्यतंत्र में नया प्रचार करने वाली नहीं मालूम होगी । अगर इस काम की भारी आवश्यकता और महत्ता पर ध्यान रख कर ऐसा नियम बनाया जाय कि कानून-सभा में नियुक्त किया हुआ प्रत्येक सभासद जब तक पार्लिमेण्ट की प्रार्थना द्वारा अधिकार से अलग न किया जाय, तब तक वह जिन्दगी भर अमीर (Lord) गिना जाय, तो सम्भव है कि अमीर सभा जिस अच्छी समझ और योग्यता से काम लेकर, अपना न्याय सम्बन्धी कर्तव्य खास करके कानून जानने वाले अमीरों के हवाले कर देती है, उसे वह राजनीतिक मूल तत्व और लाभ सम्बन्धी प्रश्नों के सिवाय कानून बनाने का काम व्यवहार कुशल कानून बनाने वालों के हवाले करने में लगा देगी । ऊपर वाली (अमीर) सभा में छिड़ने वाले सभी मसविदे उनके हाथ से बनेंगे; सरकार अपने सारे मसविदे बनाने का काम उन्हें सौंपेगी और आम सभा (House of Commons) के गैर सरकारी सभासदों को भी धीरे धीरे यह मालूम पड़ेगा कि वे भी अगर अपना मसविदा तैयार कर सीधे सभा

के सामने पेश करने के बदले, कानून सभा के पास राय के लिये भेजने की परवानगी हासिल करेंगे, तो सुचीता होगा और उनकी दरखास्त आसानी से मंजूर होने की सम्भावना रहेगी। क्योंकि सभा को अपनी तरफ से सिर्फ कोई विषय नहीं, बरंच जब कोई सभासद यह सोचे कि वह स्वयं कोई खास दरखास्त या सविस्तर कानून का मसविदा तैयार करने को शक्तिमान है, तब वह दरखास्त या मसविदा भी उस सभा के पास विचारार्थ भेजने की अवश्य ही छूट रहेगी; और जैसे कोई विषय कानून सभा के हाथ से निकलने पर किसी सभासद द्वारा उसके ऊपर लिखावट में पेश की हुई कोई तरमीम या उद्गम होगा, तो वह सभा उसे कानून सभा के पास भेजेगी, जैसे ही वह इस तरह का हर एक मसविदा भी सिर्फ साहित्य की सामग्री के तौर पर और उस में समाये हुए लाभ की खातिर ही होगा, तो भी उसके पास अवश्य भेजेगी। सारी सभा की कार्य-समिति के हाथ से होने वाला मसविदे का फेर-बदल कानून न रद्द होने से नहीं, बरंच निरुपयोग से बंद हो जायगा। और यह हक मारा नहीं जायगा, बरंच राजनिषेध आय रोकने का हक और राजनीतिक युद्ध की ऐसी ऐसी दूसरी सामग्री, जिसका उपयोग होना कोई देखना नहीं चाहता, परन्तु क्या जाने किस मौके पर उसकी जरूरत पड़े, इस ख्याल से उसे कोई भी नहीं देना चाहता; उसके साथ एक ही आयुधशाला में ऊंचे पड़ा रहेगा। इसके ऐसे इन्तजाम से कानून बनाने का काम कुशल उद्योग और खास अभ्यास तथा अनुभव के काम की अपने योग्य बदवी धारण करेगा और जन समाज की सबसे आवश्यक स्वतंत्रता, अर्थात् अपनी पसंद के प्रतिनिधियों के तुर किये हुए कानून के अनुसार ही अपने ऊपर हुकूमत

चलने देने की स्वतंत्रता, पूर्णतया बनी रहेगी और इस समय इसमें जो अज्ञान और बेढङ्गा कानून बनाने की रीति के रूप में गम्भीर, परन्तु निवार्य विघ्न है, उनसे छुटकारा पा जाने पर अधिक कीमती होंगे ।

चूंकि प्रतिनिधि समाज राज्य-प्रबन्ध चलाने के काम के लिये जड़ से ही अयोग्य है, इस लिये उसका कर्त्तव्य यह है कि वह राज्य प्रबन्ध पर निगरानी और अंकुश रखे, उसकी काररवाइयों को प्रकाशित करावे; उनमें से जिस काररवाई पर कोई मनुष्य सन्देह करे, उसके विषय में खुलासा तौर पर कारण दिखाने को लाचार करे । अगर वह निन्दा योग्य ठहरे तो उसके लिये उलहना दे और अगर राज्यतंत्र के अधिकारी अपने अधिकार का अनुचित उपयोग करें या उससे इस तरह काम लें कि वह जनता के हृद् संकल्प के विरुद्ध जाय, तो उनको अधिकार से अलग करे और उनके स्थान में स्वयं प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से नयी नियुक्ति करे । यह बेशक पुष्कल सत्ता है और इससे जनता की स्वतंत्रता की रक्षा यथेष्ट रीति से होती है । इसके सिवाय पार्लियामेंट को जो एक दूसरा अधिकार है, उसकी आवश्यकता इससे भी घट कर नहीं है; और वह है जनता की कष्ट निवारिणी मण्डली और अभिप्राय समाज होना । इसकी रंगभूमि पर जनता का साधारण अभिप्राय ही नहीं, वरंच उसकी प्रत्येक थैली का यथासाध्य अपने में विद्यमान प्रत्येक नामी पुरुष का अभिप्राय भी सम्पूर्ण प्रकाश में आ कर विचार के लिये आह्वान करा सकता है; वहां देश का प्रत्येक मनुष्य अपने मर्न का विचार स्वयं जिस खूबसूरती के साथ प्रगट कर सकता है, उसी खूबसूरती से या उससे भी अच्छी रीति से मित्रों और पक्ष-पातियों के सामने ही नहीं; वरंच विरुद्धवाद की कसौटी

पर कसे जाने के लिये प्रतिपक्षियों के सामने भी प्रगट करने योग्य कोई पुरुष मिल जाने का भरोसा किया जा सकता है; वहाँ जिसकी राय मंजूर नहीं होती, उसको भी यह जान कर संतोष होता है कि वह सुनी गयी है और मनमानी चाल से नहीं, बल्कि जनता के बड़े भाग के प्रतिनिधि द्वारा बहुत श्रेष्ठ माने हुए तथा इससे पसन्द किये हुए कारणों से वह नामंजूर की गयी है; वहाँ देश का प्रत्येक पक्ष या अभिप्राय अपना बल मंग्रह कर सकता है और अपने पक्षपातियों की संख्या या शक्ति के विषय में अपना भ्रम दूर कर सकता है; वहाँ यह प्रगट होता है कि देश में प्रचलित अभिप्राय स्वयं प्रवर्तमान है और सरकार के सामने अपनी सेना व्यूह-बद्ध कर के खड़ा करता है और इस प्रकार अपना बल वास्तव में न बरत कर सिर्फ उसे दिखा कर उसे (सरकार को) पीछे पीछे हटने का मौका देता है और लाचार करता है; वहाँ राजनीतिक पुरुष अन्य किसी चिन्ह की अपेक्षा निश्चय पूर्वक विश्वास कर सकते हैं कि अभिप्राय और सत्ता के कौन कौन तन्व बढ़ते और कौन कौन लय होते जाते हैं और इस से वर्तमान आवश्यकताओं से ही नहीं, वर्च बढ़ते रुग्णों पर भी कुछ ध्यान देकर आगे कदम बढ़ाने को समर्थ होते हैं । प्रतिनिधि-सभा के शत्रु अक्सर यह शिकायत करते हैं कि वह सिर्फ वातचीत करने और शोर गुल मचाने की जगह है । हम से बढ़कर भूल भरी हंसी की यात शायद ही कोई होगी । जय वातचीत का विषय देश के लिये बड़ा भारी राजनीतिक लाभ है और उसका प्रत्येक वाक्य राष्ट्र की किसी जरूरी समा का या ऐसी किसी समा के विश्वास पात्र पुरुष का अभिप्राय प्रगट करता है, तब मैं नहीं जानता कि प्रतिनिधि

सभा वातचीत में लगे रहने से बढ़कर और अच्छा काम क्या कर सकती है। जिस स्थान में देश के प्रत्येक लाभ और अभिप्राय के सम्मुख रहकर जोश के साथ भी विचार कर सकते हैं और उसको सुनने और मंजूर करने या नामंजूर करने का कारण स्पष्ट रीति से बताने को लाचार कर सकते हैं, वह स्थान और कोई उद्देश्य न साधता हो तो भी वह चाहे जहां हो, एक सय से आवश्यक राजनीतिक तंत्र है और स्वतंत्र-राज्यतंत्र का सय से मुख्य लाभ है। अगर 'क्रिया ही न बन्द कर दी जाय तो ऐसी वातचीत कभी घृणा की दृष्टि से नहीं देखी जायगी; और क्रिया कभी बन्द नहीं होगी यशतें कि सभाएं जानें और स्वीकार करें कि उनका खास काम वात-चीत और चर्चा करना है। परन्तु चर्चा का परिणाम जो क्रिया है, वह खिचड़ी बनी हुई सभा का नहीं, बरंच उसमें खास तौर पर शिक्षा पाये हुए पुरुषों का काम है और। सभा का उचित कर्त्तव्य यह है कि वह इस वात का ख्याल रखे कि वे पुरुष ईमानदारी और प्रवीणता से पसन्द किये जायँ और निरंकुश छूट से सलाह देने और टीका-टिप्पणी करने तथा उस पर राष्ट्रीय अनुमति की अन्तिम मुहर लगाने या उसे रोकने के सिवाय उनके काम में अधिक हस्तक्षेप न करें। लोक सभाएं स्वयं जो काम अच्छी तरह नहीं कर सकतीं उसे करने का—शासन करने और कानून बनाने का—जो प्रयत्न करती हैं और वातचीत में चर्चा होने वाला हर एक घंटा असली काम में से खारिज होते रहने पर भी, अपने बहुतेरे कामों के लिये अपने सिवाय और कोई यंत्र सामग्री संग्रह नहीं करतीं, वह इस वास्तविक अंकुश के न रखने से ही। परन्तु जिस कारण से ऐसी सभाएं कानून बनाने वाली सभा के अयोग्य ठहरती हैं, उसी कारण से वे दूसरे

कामों के लिये अधिक योग्य ठहरती हैं। जैसे, वे देश के सब से श्रेष्ठ मन का समूह नहीं हैं कि उनके अभिप्राय से राष्ट्र के अभिप्राय के सम्बन्ध में कुछ निश्चित अनुमान लगाया जा सके; परन्तु जब उनका योग्य रीति से ज्ञान हुआ रहता है, तब वे राज-काज में मत का कुछ भी अधिकार रखने वाली जनता की प्रत्येक श्रेणी की वृद्धि का अच्छा नमूना दिखाती हैं। उनका कर्तव्य यह है कि अभाव प्रगट करे, लोगों की जरूरतों का डंका बजावे और छोटे बड़े सब राजनीतिक विषयों में सब प्रकार के अभिप्रायों के लिये विरुद्ध चर्चा का स्थान बने और उसके साथ नुक्ताचीनी करके और अन्त में अपनी सहानुभूति रोक कर जो बड़े अधिकारी स्वयं प्रबन्ध करते हों या प्रबन्ध करने वाले को नियुक्त करते हों उनको अंकुश में रखें। प्रतिनिधि सभाओं के कर्तव्यों की यह स्वाभाविक सीमा घटाये बिना सामाजिक अंकुश का लाभ (जिस कदर मनुष्य कार्य व्यवहार की पंक्ति में चढ़ता जाता है और उलझन में फँसता जाता है, उसी कदर आवश्यकता में निरंतर बढ़ते हुए) चालाक कानून की रचना और राज्य-प्रबन्ध के इतने ही आवश्यक तत्वों के समागम में नहीं भोगा जा सकेगा। यह लाभ एकत्र पाने का एक ही उपाय है, वह यह है कि जो एक लाभ को जमानत देता है उस कर्तव्य को, जिसमें दूसरे की अत्यंत जरूरत है उससे अलग करे, अर्थात् अंकुश और टीका टिप्पणी का काम प्रत्यक्ष कार्य-व्यवहार से अलग करे और पहिला काम बहुतों के (जनसमूह) के प्रतिनिधियों के सिर रखे तथा दूसरे के लिये खास तौर पर शिक्षा और अनुभव पाये हुए कुछ लोगों का निपुण ज्ञान और व्यवहार कौशल प्राप्त करके उन्हें राष्ट्र की कड़ी जवाब-देही के तले रखे।

जो कर्त्तव्य जनता की सर्वोपरि प्रतिनिधि-सभा के सिर पड़ने चाहिये उनके विषय में उपर्युक्त विवेचन करने के बाद स्थानिक उद्देश्यों के लिये जो छोटी छोटी प्रतिनिधि-सभाएँ होनी चाहिये उनको खास तौर पर सौंपने योग्य कर्त्तव्यों की जांच-पड़ताल करने की ज़रूरत जान पड़ेगी । और यह जांच-पड़ताल इस ग्रन्थ का एक आवश्यक भाग है । परन्तु कई कारणों से, कानून बनाने और जन-समाज के साधारण कार्य-प्रबन्ध के ऊपर सर्वोपरि सत्ता के तौर पर अंकुश रखने को नियुक्त इस महान् प्रतिनिधि सभा के सब से योग्य गठन के विषय में जब तक विचार करते हैं, तब तक के लिये इस जांच-पड़ताल को मुलतबी रचना जरूरी है ।

छठवां अध्याय ।

प्रतिनिधि शासन के सिर का दौप और भय ।

शासन पद्धति की त्रुटियाँ अकारण या सकारण होती हैं । जब वह राज्य प्रबन्ध के आवश्यक कर्त्तव्य पालने के लिये अधिकारियों के हाथ में यथेष्ट सत्ता नहीं देती या पृथक् पृथक् नागरिकों की उरसाही शक्तियों और सामाजिक वृत्तियों को अभ्यास द्वारा खिलने नहीं देती, तब उसमें अकारण त्रुटि है । परन्तु हमारी जांच-पड़ताल की वर्तमान स्थिति में इन दो में से किसी विषय पर बहुत कहने की जरूरत नहीं है ।

जनता में नियम जारी रखने के लिये और उन्नति-मार्ग खुला रखने के लिये यथेष्ट सत्ता सरकार के हाथ में न होने की सम्भावना किसी खास पद्धति के राजनीतिक गठन में नहीं, बरंच साधारणतः जंगली और जड़स्थिति की जनता

में होती है। लोगों को जब जंगली स्वतंत्रता पर इतना अधिक प्रेम होता है कि उनको अपने हित की खातिर जितनी सत्ता के बंध रहने की जरूरत है, उतनी वे बरदाश्त नहीं कर सकते, तब (जैसा कि हम कह चुके हैं) सामाजिक स्थिति अभी तक प्रतिनिधि-शासन के लिये तय्यार नहीं। जब इस राज्य-तंत्र के लिये समय आया होता है, तब सब जरूरी कामों के लिये सर्वोपरि सत्ता के हाथ में यथेष्ट अधिकार आये बिना नहीं रहता; और शासन विभाग को जा काफी सत्ता नहीं सौंपी जाती उस का कारण सिर्फ उस के प्रति सभा की ईर्ष्या-वृत्ति ही हो सकती है। और यह वृत्ति भी, जहां शासन-विभाग को अधिकार से हटाने की सभा की सत्ता अभी प्रतिष्ठित नहीं हुई है, वहां हांती है। इस के सिवाय उस का अस्तित्व कभी सम्भव नहीं है। जहां जहां यह राजनीतिक सत्ता तत्काल स्वीकृत होती है और व्यवहार में सम्पूर्ण प्रभावशाली होती है, वहां इस बात का भय नहीं रहता कि सभा अपने मंत्रियों को वास्तविक अभीष्ट सत्ता चाहे जिस कदर सौंपने में नाराज होगी; भय उलटे यह है कि यह सत्ता यह कभी बेहद खुशी से बेहद सीमा में न दे दे। क्योंकि मंत्री की सत्ता उसे मंत्री बनाने वाली और बहाल रखने वाली सभा की सत्ता है। इतने पर भी बहुधा यह सम्भावना रहती है कि अंकुश रखने वाली सभा पहिले सत्ता देने में उदारता दिखावेगी और पीछे से उस का अमल होते समय हस्तक्षेप करेगी; इकट्ठी सत्ता सौंप देगी और प्रबन्ध के काम में बार-बार टांग अड़ा कर टुकड़े टुकड़े कर के लौटा लेगी। परन्तु यह उस के लिये एक जोखिम है। राज्य-प्रबन्ध चलाने वाले पर टीका-टिप्पणी करने और अंकुश रखने के बदले राज्य-प्रबन्ध का असली काम साधारण करने से होने वाले अनर्थों

के विषय में पिछले अध्याय में पूरी आलोचना की गयी है । इस अनुचित हस्तक्षेप की हानिकारक प्रकृति का, सभा के मन में दृढ़ सामान्य निश्चय होने के सिवाय, इस से बचने का दूसरा कोई उपाय करना स्वाभाविक रीति पर असम्भव है ।

जनता के पृथक् पृथक् मनुष्यों की सात्विक और उत्साही शक्तियों को यथेष्ट अभ्यास न करने देने का जो दूसरा अकारण दोष राज्यतंत्र में हो सकता है, उसे निरंकुश राज्य के लाक्षणिक दोषों का विवेचन करते हुए साधारण रीति पर दिखाया है । चूंकि जन-सम्मत राज्य की भिन्न भिन्न पद्धतियों में भेद होता है, इस लिये जिस में इस विषय में लाभ है वह पद्धति यह है—जो पद्धति एक ओर सब से कम मनुष्यों को मत देने के हक से वंचित कर के और दूसरी ओर गैर-सरकारी नागरिकों की सब श्रेणियों के लिये न्याय और शासन के काम में, जहाँ तक कि दूसरे उतने ही आवश्यक उद्देश्यों में रुकावट न पड़े, सब से विशाल भाग लेने का मार्ग खुला छोड़ कर—जैसे जूरी (पंचायती) न्याय जारी कर, शहर सुधार के आहदों पर नियत कर और सब से बढ़ कर यथाशक्ति समाचार-प्रचार और विचार की स्वतंत्रता देकर राज-काज का प्रबन्ध सब से अधिक विस्तार में फैलाती है कि जिस से क्रम से थोड़े ही मनुष्य नहीं, वरंच किसी अंश में सारी जनता राज्य-शासन में हिस्सेदार हो और उस से मिलने वाली शिक्षा और मानसिक अभ्यास की भोका बने, वह पद्धति इस विषय में लाभकारी है । इन लाभों का और जिस सीमा में रह कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये उस का, अधिक स्पष्टीकरण, हम जब तक शासन की सूक्ष्म बातों पर न आर्वे तब तक, मुलतवी रखना ही अच्छा है ।

प्रतिनिधि-पद्धति और प्रत्येक पद्धति के सकारण दोष और

भय को दो भागों में बांट सकते हैं। पहिला अंकुश रखने वाली संस्था में साधारण अज्ञान और अशक्ति या अधिक नरमी से कहें, तो अपूर्ण मानसिक गुण, दूसरा जनता के साधारण हित के साथ एक रूप न होने वाले लाभों के उस के घश हो जाने का भय ।

इनमें से पहिले, अर्थात् ऊँचे मानसिक गुणों में अपूर्णता के दोष के लिये, साधारण तौर पर यह सोचा जाता है कि प्रतिनिधि राज्य में दूसरे किसी की अपेक्षा उसकी सम्भावना अधिक है। एक योग्य जनसत्ताक राज्य की भी अदृढ़ता और अदूरदर्शिता व तुलना करने में निरंकुश राजा का उत्साह और शिष्टवर्ग की दृढ़ता और दूरदर्शिता बहुत बढ़ चढ़ कर समझी जाती है। फिर भी, वे सिद्धान्त, जैसा कि पहिली दृष्टि से दिग्गर्द देते हैं वैसी अच्छी नींव पर किर्मा तरह से नहीं हैं।

शुद्ध निरंकुश—स्वेच्छाचारी राज्य की तुलना में प्रतिनिधि राज्य इन दो विषयों में कुछ घटिया नहीं है। जंगली जमाने के सिवाय, जब घंश परम्परा की राजसत्ता वास्तव में राजसत्ता ही होती है, कुछ वेपधारी शिष्टसत्ता नहीं होती, तब यह जनसत्ताक राज्य के लक्षणों में गिनी जाने वाली न्य तरह की नालायकी, में जनसत्ताक राज्य से बहुत बड़ जानी है। मैं जो 'जंगली जमाने के सिवाय' कहता हूं इसका कारण यह है कि जनता की असली जंगली अवस्था में, राजा में मानसिक और उत्साही शक्ति होने का बहुत भरोसा रहता है। उस की प्रजा और प्रजा के प्रबल पुरुषों के दृढ ठारा उस के निज के संकल्प में चार बार बाधाएं पड़ती हैं। जनता की स्थिति ऐसी नहीं होनी कि राजा को मौज शौक करने का बहुत अवसर मिले, मानसिक और शारीरिक उत्साह, विशेष कर

राजनीतिक और सैनिक उत्साह उस की मुख्य प्रवृत्ति है; उपद्रवी सरदारों तथा स्वच्छन्दी सहचरों के बीच उस को थोड़ी ही सत्ता होती है और उस में अगर निज का साहस, चंचलता और उत्साह अधिक न हो, तो उस की राजगद्दी भी मुश्किल से ही बहुत समय तक निरापद रहती है । हमारे इतिहास के हेनरियों * एडवर्डों † और दूसरे रिचार्ड ‡ के दुःखान्त परिणाम में और जोन * और उस के निकम्मे उत्तराधिकारी * * के राज्यों की घराऊ लड़ाई और उपद्रव में यह बात दिखाई देगी । धर्म-विषय † † के अव्यवस्थित समय में भी कुछ उत्कृष्ट राज्यकर्त्ता ‡ ‡ एलिजाबेथ, चौथा हेनरी और गस्टेवस

* हेनरी पहिला (११००-११३५) दूसरा (११५४-८९), चौथा (१३९९-१४३३) पांचवा (१४१३-२२), सातवा (१४८५-१५०९) यह बड़ा बहादुर और होशियार राजा था । † एडवर्ड पहिला (१४८५-१५०९) तीसरा (१३२७-७७) चौथा (१४६१-८३) यह भी बड़ा बहादुर और चतुर राजा था ‡ (१३०७-२७) इसको इसके लड़के ने गद्दी से उतार कर कैदखाने में डाल दिया था और वहाँ मार डाला था । * (११९९-१२१६) लोगों ने इसका सामना करके इसके मद्दान लेख (अंगरेजी स्वतंत्रता के आधार रूप राज-लेख) लिखा लिया था । * * उसके बाद गद्दी पर बैठनेवाला हेनरी तीसरा । (१२१६-७२) इसके समय में भी राज्य में बखेड़ा हुआ करता था, जब इसका लड़का एडवर्ड (पहिला) बालिग होकर इसका मददगार हुआ, तब उपद्रव रुका । † † धर्म सम्बन्धी उग्र-पुण्य अर्थात् क्रस्तानी धर्म में से प्रोटेस्टेंट मत का निकलना । ‡ ‡ एलिजाबेथ इंग्लैण्ड की रानी (१५५८-१६०३) इसने इंग्लैण्ड को धर्म की लड़ाई से अछा रखा . और स्पेन के राज्य

एडोल्फस हो गये; परन्तु वे बहुत कर के विपत्ति में पले थे और निकटस्थ उत्तराधिकारियों के अनसोचे अभाव से गद्दी पर बैठे थे, अथवा उन को अपने राज्य के आरम्भ में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था । युरोपियन जीवन ने जब से मुख्यवस्थित दृश्य धारण किया है, तब से वंश परम्परा के राजाओं में मध्यम से अधिक शक्ति अतिशय विरल हो गयी है और बुद्धि और उत्साही प्रकृति के विषय में साधारण औसत मध्यम से भी घट कर है । असल में निरंकुश राजसत्ता तो अब (किसी चंचल प्रकृति के जबर-दस्त राजा के हाथ में कुछ दिन रहने के सिवाय) केवल स्थायी अधिकारीवर्ग के मानसिक गुणों द्वारा ही टिक सकती है । रूसी और आस्ट्रियन राज्यतंत्र और अपनी वास्तविक स्थिति में फ्रांसीसी राज्यतंत्र भी अधिकारियों के शिष्ट-राज्य • हैं और राज्य का प्रधान तो मुखियों को पसन्द करने के सिवाय बहुत थोड़ाही करता है । मैं उनके राज्यप्रबन्ध के नियमित क्रम के विषय में कहता हूँ । क्योंकि उनके कितनेही खास कामों का निर्णय अलवत्ता स्वामी की इच्छा ही करती है ।

इतिहास में जो राज्यतंत्र कार्य-व्यवहार में अचल मान-

की बड़ी समुद्री चढ़ाई से बचाया—चौथा हेनरी फ्रांस का राजा (१५८९-१६१०) यह बड़ा पराक्रमी और मुघारक राजा था । गस्टेवस एडोल्फस, स्वीडन का राजा (१६११-३२) स्वीडन में मुघार किया, प्रोस्टेंट की तरफ से जर्मनी में लड़ने गया था और दो लड़ाइयों में बड़ी बहादुरी दिखा कर विजय पायी थी ।

• अमीर जैसे ऊंचे दर्जे के लोगों का राज्य—रोम का जन-सत्ताक अथवा शिष्टराज्य (ईस्वी सन् से पूर्व ५१०-२७) वेनिश का शिष्ट राज्य (६९७-११०१)

सिक शक्ति और उत्साह के लिये प्रख्यात हुए हैं, वे शिष्टराज्य थे। परन्तु वे बिना किसी अपवाद के सार्वजनिक अधिकारियों के शिष्टराज्य थे। शासन-सभा ऐसी छोटी थी कि उसका प्रत्येक मनुष्य और अधिक नहीं तो प्रत्येक दल वाला मनुष्य राज-काज को एक असली धन्दा और अपनी जिन्दगी का मुख्य धन्दा बना लेने को समर्थ था और ऐसा ही करता था। जिन शिष्ट अभिजात राज्यों ने बहुत समय तक ऊँचे दरजे का राज्य चलाने की शक्ति प्रगट की है और राज्यनीति के अचल नियमों के अनुसार वर्ताव किया है, वे रोम और वेनिस के थे। वेनिस में यद्यपि हकदार दल की संख्या अधिक थी तथापि राज्यकार्य का वास्तविक प्रबन्ध तो शिष्टवर्ग में से छोटे से शिष्ट दल के हाथ में बिलकुल सिकुड़ा हुआ था और वे लोग अपनी सारी जिन्दगी राज्य-कार्य के अभ्यास और प्रबन्ध में अर्पण करते थे। रोम के राज्यतन्त्र में हमारे जैसे खुले * शिष्टराज्य का अधिक गुण था। परन्तु असल में राज्य करनेवाली सभा सिनेट * * (वृद्धसभा) तो उन्हीं मनुष्यों की बनी हुई थी जो अशक्ति और निष्फलता के अन्त में अपने सिर पर भारी जिम्मेवारी उठाने का जोखिम रखकर राज-काज किये रहते और राज्य का ऊँचा अधिकार भोगे रहते या भोगने की आशा रखते थे।

* अर्थात् जिसमें दालिब होने में किसी के लिये भी शर्त न हो, सब अपनी योग्यता से दालिल हो सकें। * * रोम में दो राज्य सभाएं थीं। एक साधारण काम के लिये सब रोमनों की लोक-सभा और दूसरी राज्य का प्रबन्ध चलानेवाली, अनुभवों और कुशल पुरुषों की बनी हुई सभा इसमें मुख्य करके वृद्धे मनुष्य दालिब होते थे, इससे वह सिनेट अर्थात् वृद्ध-सभा कहलाती थी।

जहां एक बार वृद्ध-सभा के सभासद हुए कि उनकी जिन्दगी राज-काज के प्रबन्ध के लिये अर्पण हो चुकी; उन्हें किसी राज-काज के लिये बाहर जाने के सिवाय इटली छोड़ने की भी अनुमति नहीं । और अगर उनकी प्रतिष्ठा में दाग लगाने वाले किसी लक्षण या यर्ताय के लिये मेन्बर उनको वृद्ध-सभामें पहिले ही निकाल न दें, तो उन की सत्ता और जिम्मेवारी जिन्दगी के अन्त तक रहती । ऐमें गठन वाली शिष्टमत्ता का प्रत्येक सभासद, जो जन सत्ताक राज्य का स्वयं प्रबन्ध करता, उस के मान-और प्रतिष्ठा में और उस के मशयिरों में जो भाग लेने को समर्थ होना, उस में अपना व्यक्तिगत महत्व पूर्णरूप में बंधा हुआ समझता । यह मान और प्रतिष्ठा नागरिकों की साधारण सभा की उपनि और मुग सम्पत्ति से बिलकुल भिन्न यस्तु थी और बहुधा उस में विरुद्ध ही होती थी । परन्तु उस में राज्य की बाहरी विजय और विस्तार का निकट सम्बन्ध था; और इस में इतिहास ने रोम और वेनिस के शिष्टराज्यों को बिवेक-संयुक्त राज्यनीति और राज्यप्रबन्ध के लिये व्यक्तिगत महान् शक्ति का जो उचित मान दिया है, यह उन्होंने प्रायः यही उपदेश भिन्न करने में दिमाया था ।

इस प्रकार मान्य होना है कि प्रतिनिधि राज्य के सिवाय राजसत्ता या शिष्टसत्ता के स्वरूप के जिन राज्यतंत्रों में ऊंची राजनीतिक कुशलता और शक्ति अपवाद रूप नहीं बरन्व साधारण थी, वे स्वयं याम्त्र में अधिकारी तंत्र थे । राज्य-प्रबन्ध का काम राज्य प्रबन्ध के रोजगार वालों के हाथ में था और यह अधिकारी तंत्र का मूल तन्त्र और भाग्य है । ये उस काम में गिन्तित हैं, इस में उस काम को करने हैं अथवा यह काम उन को करना है, इस में वे उस की शिक्षा

ग्रहण करते हैं । इस से बहुत विषयों में स्थूल भेद पड़ता है, परन्तु राज्यतंत्र के तात्त्विक लक्षण में कुछ भी नहीं । इस के विरुद्ध, इंग्लैण्ड जैसे शिष्ट राज्य में, जहाँ जिस दल के हाथ में सत्ता आती, वह उसे उस में खास शिक्षा लिये रहने के कारण या उस में अपना सारा समय पूर्णरूप से लगाये रहने के कारण नहीं, वरंच सिर्फ अपनी सामाजिक पदवी के कारण मिलती थी (और इस से जहाँ वे उस सत्ता को स्वयं नहीं वरंच शिष्टसभा के आधार से बने हुए प्रतिनिधि-तंत्र की मार्फत अमल में लाते थे) वे मानसिक गुणों के विषय में जन सत्ताक राज्य के ढंग पर थे; अर्थात् उन्होंने ने जो ये गुण कुछ भी अधिक दिखाये हैं, तो उस समय जब किसी मनुष्य ने शिष्ट-पदवी के साथ महान् और लोकप्रिय बुद्धि-बल द्वारा तात्कालिक सत्ता सम्पादन की थी। थेमिस्टोक्लिस* और पेरिक्लिस,

* थेमिस्टोक्लिस (ईस्वी सन् से पूर्व ५३०-४७) जर्जिस की बड़ी ईरानी चढ़ाई से अपनी असाधारण बुद्धि के बल से ग्रीस को बचाने वाला और एथेन्स का किला बनाने वाला । पेरिक्लिस ग्रीस में एथेन्स को सब से बड़ा बनाने वाला और पीछे से स्पार्टा इत्यादि की चढ़ाई में उस की रक्षा करने वाला । यह एक बड़ा भारी वक्ता और राजनीति-कुशल पुरुष था और एथेन्स में इस के प्रबन्ध काल में विद्या और कला पराकाष्ठा को पहुँची थी । ईस्वी सन् से ४२९ वर्ष पहिले मरा । वाशिंगटन (१७३२-९९) युनाइटेड स्टेट्स को स्वतंत्र कर उस में जनसत्ताक राज्य स्थापन करने वाला मुख्य सेनापति और १७९६ ईस्वी तक राष्ट्र-पति । जेफर्सन (१७४३-१८२५) अमेरिकन स्वतंत्रता की घोषणा रचने वाला । पेरिस में एलची, वाशिंगटन के अधीन राज्यमंत्री और १८११ से १८०८ तक

वाशिंगटन और जेफर्सन अपने अपने जन सत्ताक राज्यों में ब्रेटव्हीटन के शिष्टसत्ताक प्रतिनिधि राज्य चेथम और पील से अथवा फ्रांस की शिष्ट सत्ताक राज-सत्ता के सली और कोल-वर्ट से भी कुछ अधिक उत्कृष्ट अपवाद थे । अर्थात्चीन युरोप के शिष्ट राज्यों में एक महान् मंत्री प्रायः एक महान् राज्य के इतना ही विरल चमत्कार है ।

इस से राज्यतन्त्र के मानसिक गुणों के विषय में जो तुलना करना है, वह जनसत्ताक प्रतिनिधि-राज्य और अधिकारी राज्य के बीच में । दूसरे राज्यतंत्रों का विचार छोड़ सकते हैं । यहां हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि कितने ही आवश्यक विषयों में अधिकारी राज्य बहुत बढ़ा चढ़ा है । यह राज्यतन्त्र अनुभव का संचय करता है, अच्छी तरह परीक्षित और विवेचित रिवाजी नियमों का सम्पादन करना है और जिसके हाथ में वस्तुतः कार्य्य प्रबन्ध है उस में उचित व्यवहारी ज्ञान संग्रह करता है । परन्तु पृथक् पृथक् मनुष्य के मानसिक उत्साह के लिये वह एक समान अनुकूल नहीं है । अधिकारी राज्य को जो रोग सताता है और बहुधा उस का अन्त करता है, वह रिवाज का रोग है । वह अपने

राष्ट्रपति । चेथम (१७०८-७८) इंग्लैण्ड का एक महान् वक्ता और चतुर मंत्री । इस के मंत्रित्व में इंग्लैण्ड की सर्वत्र विजय हुई थी और फ्रांस का अमेरकन टापू नीति लिया गया था । पील (१७८८-१८५०) इंग्लैण्ड संरक्षक पक्ष का नेता होकर भी इसने बहुत मुधार किये थे और अन्न की आमद के ऊपर का भारी कर उठा दिया था । सलॉ (१५५९-१६४१) फ्रांस के लोये हेनरी का कोषाध्यक्ष । इस ने देश में कर आदि के सम्बन्ध में बहुत मुधार किये और राजा और राज्य का बहुत अच्छी तरह सेवा की थी ।

रिवाजी नियमों की निश्चलता से नष्ट होता है और विशेष कर के इस सार्वत्रिक नियम के अनुसार कि जो जो चीजें रिवाजी बन जाती हैं, वे सब अपना जीवन-सत्य एो देती हैं, और अपने अन्दर' आप फड़कता हुआ चैतन्य न होने से यंत्र की तरह घूमती रहती हैं। तथापि उनका उद्देश्य जो काम करना है वह बिना किये पड़ा रहता है। अधिकारी राज्य हमेशा आडम्बरी राज्य हो जाने का रख रखता है। जब वास्तव में राज्य अधिकारी मण्डल का होता है तब (जैसा जेस्विटो में था) मण्डल के प्रभाव से उसके विशिष्ट सभासदों की विचक्षणता दब जाती है। दूसरे धन्दों की तरह राज्यप्रबन्ध के धन्दे में भी अधिक श्रेणी का इतनाही विचार होता है कि जो सीखा हो वह करे; और उस में अपूर्य बुद्धि विचक्षणता वाले मनुष्य के विचारों को शिक्षित मध्यम पुरुषों के रोधक प्रभाव पर विजय पाने का समर्थ करने के लिये जनसम्मत राज्यतंत्र की जरूरत है। (किसी महा विचक्षण निरंकुश राजा के अचानक प्रसङ्ग को न गिनें तो) जन-सम्मत राज्य तंत्र में ही सर रोलेण्ड हिल * डाक विभाग पर विजय पा सके। उनको डाक विभाग में नियुक्त करनेवाला और इस मनुष्य में जिस उत्साह और अपूर्य बुद्धि विचक्षणता के साथ खास ज्ञान था, उस से प्रेरी हुई गति के अधीन होने के लिये सारी संस्था को अपनी मरजी के बाहर लाचार करने वाला प्रतिनिधि राज्य ही था। यह स्पष्ट है कि अधिकारी राज्य

* (१७८८-१८५०) इन्होंने १८४० में डाक विभाग में चिड़ी के लिये एक पेनी का टिकट जारी कराया। इस से पहिले की दर बहुत ज्यादा होने से बहुत कम आमदनी होती थी। आज कल तो इसका भी भाषा लगता है।

की इस लाक्षणिक उपाधि में जो रोमन शिष्ट राज्य बचा सो उसकी जन-सम्मति के तत्व से । सभी पास अधिकार-सुद्ध सभा (सीनेट) में बैठने का हक देनेवाले सभी पास अधिकार और सुद्धसभा के सभासद जिसे पाना चाहते थे, वे अधिकार भी लोकनिर्वाचन से दिये जाते थे । रुसी राज्यतंत्र अधिकारी राज्य के अच्छे और सुरे दोनों पहलुओं का लाक्षणिक दृष्टान्त है । युग युग की अचल दृढ़ता से अनुसम्भ की हुई एकही ढंग की जागृण साधने के रोमन स्वदेश आग्रह से अमल में लाये हुए उसके निर्धारित नियम, उन धारणाओं के पीछे साधारण तौर पर हमें रहने की जानने योग्य कुशलता, सारी सभा की अचल विकसिता एक मनुष्य द्वारा चालित उत्साह पर अन्त की विजय पाने के कारण; किसी संकल्पशील सम्राट् की निरंकुश सत्ता से भी कठिनाई से दबने योग्य या कभी न दबने योग्य भीतर से सड़ा और सुधार के लिये बाहर से ढानेवाले प्रयत्न के प्रतिस्थापी और सुगठित विरोध । चीनी राज्यतंत्र जो मांडरिनों * का अधिकारी राज्य है, यह जहां तक मालूम है, उसके अनुसार इन्हीं गुणों और दोनों का दूसरा प्रत्यक्ष दृष्टान्त है ।

सभी मनुष्य व्यवहार में परस्पर विरोधी सत्ताएं अपने अपने पास उद्देश्यों के लिये भी एक दूसरे को जागृत और कार्य-समर्थ रहने के लिये आवश्यक है, और एक दूसरे के आनुपंगिक दो अच्छे उद्देश्यों में से अगर एक के लिये दूसरे को अलग और स्वतंत्र करे, तो उसका परिणाम ऐसा नहीं निकलता कि एक की चेष्टा शक्ति और दूसरे की हानि हो, परंच जिस की इस प्रकार स्वतंत्र समहाल की जाती है, उसका भी लय

* चीन के कौंगी और सुद्धों का किम ।

और नाश होता है। देश के लिये जो कुछ काम स्वतंत्र राज्य-तंत्र कर सकता है, वह शिक्षित अधिकारियों का राज्यतंत्र नहीं कर सकता। शायद यह सोचा जाय कि जो कई काम स्वतंत्र राज्यतंत्र स्वयं नहीं कर सकता, उन्हें करने को वह समर्थ होगा, तो ऐसा होने पर भी हम देखते हैं कि उन लोगों को अपना काम प्रभावशाली या स्थायी बनाने को शक्तिमान होने के लिये स्वतंत्रता के यादरी तत्व की जरूरत है। फिर स्वतंत्रता के साथ शिक्षित और कुशल प्रबन्ध सम्मिलित करने का उपाय न किया जाय तो स्वतंत्रता अपना राय तो अच्छा परिणाम नहीं दिवा सकती और कितनी ही धार नष्ट हो जाती है। प्रतिनिधि राज्य के लिये किसी कदर तैयार जनता में प्रतिनिधि राज्य और सब तरह से पूर्ण समझने योग्य अधिकारी राज्य के बीच में एक क्षण का भी विचार नहीं किया जा सकता। किन्तु राजनीतिक नियमों का एक सब से आवश्यक उद्देश्य यह है कि पहिले के अनुकूल आने योग्य दूसरे का गुण उनमें प्राप्त किया जाय, अर्थात् सारी जनता के प्रतिनिधियों की सभाओं के हाथ में दी हुई और उनके द्वारा यथार्थ रीति से अमल में आती हुई साधारण अंकुश-सत्ता की सहायता में एक दूसरे के जहां तक अनुकूल आये वहां तक एक, मानसिक, धन्दे के तौर पर शिक्षा पाये निपुण पुरुषों के कार्य-प्रबन्ध से रूप लाभ उठाया जाय। यथार्थ रीति में कहलाने वाला राज्य-प्रबन्ध का काम जो उसमें ग्रास तौर पर शिक्षा पाने से ही अच्छी तरह किया जा सकता है, और राज्य-प्रबन्ध करने वालों को धुनने, निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर अंकुश लगाने का काम, जो योग्य रीति पर इस मामले में तथा दूसरे मामलों में भी काम करते हैं, उनके हाथ में नहीं, बरंच जिनके लाभ के लिये

वह होना चाहिये, उनके हाथ में रहना चाहिये। इन दो कामों के बीच में पिछले अध्याय में आलोचित भेद की रेखा स्वीकार करने से, यह उद्देश्य बहुत अंश में पूरा पड़ेगा। जिस काम में कुशलता दरकार है, वह काम जब तक कुशल पुरुषों द्वारा कराने को जनसत्ताक राज्य राजी नहीं होगा, तब तक कुशल जनसत्ताक राज्य प्राप्त करने की ओर उग नहीं बढ़ाया जा सकता। अपने खास काम के लिये अर्थात् निगरानी और अंकुश रखने के काम के लिये उचित परिमाण में मानसिक योग्यता प्राप्त करना जनसत्ताक राज्य के लिये कुछ थोड़ी यात नहीं है।

इतनी योग्यता किस तरह प्राप्त और स्थायी की जाय, यह प्रतिनिधि सभा के लिये अपने गठन का निर्णय करने में एक विचारणीय प्रश्न है। उसका गठन इतनी योग्यता प्राप्त करने में जिस कदर निष्फल होगा, उसी कदर वह सभा अपने पृथक्-पृथक् शक्तियों द्वारा शासन-विभाग के अधिकार में हाथ डालेगी, वह अच्छे मंत्री दल को दूर करेगी अथवा घुरे मंत्री-दल को अधिकार देकर कायम रखेगी, उसके अधिकार का दुरुप-योग करने की ओर दृष्टि नहीं डालेगी या लापरवाही दिगावेगी, उसके भुलावे में पड़ जायगी अथवा जो लोग शुद्ध बुद्धि से अपने अधिकार का उपयोग करने की चेष्टा करेंगे उनकी ओर से अपनी सहानुभूति हटा लेगी, विदेश या स्वदेश—दोनों के सम्बन्ध में स्वार्थ, स्वच्छन्दी और उद्धत, अदूरदर्शी, अज्ञान तथा पक्षपातपूर्ण राजनीति को उत्तेजन देगी या रखेगी; अच्छे कानून रद्द करेगी या घुरे बनायेगी, नये दोष पैदा करेगी या पुराने दोषों को दुराग्रह से पकड़े रहेगी और जहां साधारण न्याय लोक-वृत्ति के अनुकूल नहीं होगा, वहां-पर शायद अपनी ओर के या अपने चुनने वालों के क्षणिक या स्थायी

जोश में फानून को ताक पर रखने वाले कामों को मंजूर करेगी या उनकी ओर ध्यान नहीं देगी। प्रतिनिधि तत्व के जिस गठन से प्रतिनिधि-सभा में वांछित ज्ञान और बुद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, उस में प्रतिनिधि राज्य पर ऐसे ऐसे जोखिम आ पड़ते हैं।

अब हम (वेन्धम के जारी किये हुए उपयोगी शब्द में कहें तो) कृष्ट स्वार्थ के कारण अर्थात् जनता के साधारण हित के कमी वेश प्रतिकूल स्वार्थ के कारण प्रतिनिधि सभा में प्रेरित क्रिया-पद्धतियों के प्रचार से उत्पन्न दोषों की ओर आते हैं।

यह बात सब लोग स्वीकार कर चुके हैं कि निरंकुश राजा के और शिष्ट वर्ग के राज्यतंत्रों में विद्यमान दोषों का बड़ा भाग इस कारण से पैदा होता है। राज्य का स्वार्थ या शिष्ट वर्ग का संयुक्त या व्यक्तिगत स्वार्थ जनता के साधारण स्वार्थ के लिये जैसा बर्ताव चाहिये, उसके विरुद्ध धर्तने से सधता है; अथवा वे स्वयं ऐसा ही सोचते हैं। दृष्टान्त के तौर पर अधिक कर लगाने में सरकार का स्वार्थ है और अच्छे राज्य प्रबन्ध के लिये जरूरी खर्च चलाने योग्य कम कर लगाने में जनता का स्वार्थ है; लोगों पर निरंकुश सत्ता रखने और चलाने में, उन्हें राज्य-कर्त्ताओं की इच्छा और रुचि के पूर्ण रूप से अधीन होने को लाचार करने में राजा का या राज्य करने वाले शिष्टवर्ग का स्वार्थ है और लोगों का स्वार्थ इसमें है कि राज्यसत्ता उनके ऊपर कम चले जो प्रत्येक विषय में राज्य तंत्र की वास्तविक धारणा सम्पादन करने में प्रतिकूल न हो। राजा या शिष्टवर्ग का स्वार्थ इसमें है या दिखाई देता है या वे मानते हैं कि वे अपने ऊपर ऐसी टीकाटिप्पणी कभी न होने दें जिसको वे अपनी सत्ता के लिये भयदायक या अपनी मनमानी में बाधक समझें, और प्रजा का स्वार्थ इसमें है कि

प्रत्येक राज्याधिकारी पर और हर एक सरकारी काम और योजना पर टीका-टिप्पणी करने की पूरी स्वाधीनता रहे । शिष्ट (शिष्ट पुरुषों की प्रधानता में चलने वाले) राज्य या शिष्टसत्ताक साम्राज्य (ऐसे राजा का राज्य जिस की दृक्मगत शिष्ट पुरुषों द्वारा चलती हो) में कितनी ही बार प्रजा को रुपये से अपनी जेब भरने वाले और कितनी बार अपने को दूसरे से ऊँचे ओहदे पर चढ़ाने की तरफ अथवा यही बात दूसरे शब्दों में कहिये तो दूसरे को अपने ओहदे से नीचे उतारने की तरफ मजबूर करने वाले अनेक प्रकार के गैरवाजिब हफ़्ताने में शासनकाल का स्वार्थ है । जो लोग असन्तुष्ट होते हैं, और ऐसे शासन में असन्तुष्ट होने की बहुत सम्भावना है, उनको—जैसा कि कार्टिनेल रिशोल्यू * ने अपने प्रख्यात लेख " राजनीतिक मरणा " में लिखा है,—सुखि और शिष्टा में नीचे के दरजे पर रखने में, उनमें परस्पर फूट पड़ाने और 'माता हाँकर लाठी न मारे' इसके लिये घेहद सुखी होने से रोकने में भी राजा या शिष्टपुत्र का स्वार्थ है । अगर मजबूर मजबूत के भय से प्रयत्न प्रतिष्कार न उत्पन्न हो, तो सिर्फ मतलब की दृष्टि से देखने में इन सब विषयों में राजा या शिष्टपुत्र का स्वार्थ है । जहाँ राजा और शिष्टपुत्र का इतनी बड़ी रक्षा थी, याकी जनता की राय की परवा न रगी जाती, वहाँ फूट स्वार्थ ने ये सब दोष उत्पन्न किये हैं और अब भी उनमें से कितने ही दोष उत्पन्न किये जाते हैं । ऐसी अवस्था को परिणाम में दूसरे किसी यत्न की आशा रखना विवेक-विरुद्ध है ।

राज-सत्ता या शिष्टराज्य के प्रसङ्ग में तो ये विषय बहुत

* फ्राँस का एक बड़ा ही प्रवीण और राजा की रक्षा बढाने वाला मंत्री ।

प्रत्यक्ष हैं; परन्तु कितनी ही बार बिना विचारे यह मान लिया जाता है कि इसी तरह के हानिकारक परिणाम जनसत्ताक राज्य में नहीं होते। जनसत्ताक राज्यको, जैसा कि साधारण रीति पर समझा जाता है, बहुमत का शासन मानें, तो वेशक ऐसा भी सम्भव है कि राज्य-सत्ता कभी कभी ऐसे पक्ष-स्वार्थ या वर्ग-स्वार्थ के हाथ में आ जाय कि वह सब के लाभ की निष्पक्ष भाव से गृह्य करने का दिखाई देता हुआ मार्ग छोड़कर उसके विरुद्ध चर्चा की ओर भुके। मान लो कि बड़ा भाग गोरों का और छोटा भाग इबशियों का है अथवा इसका उलटा है। इस दशा में क्या यह सम्भव है कि बड़ा भाग छोटे भाग के साथ एक समान न्याय करेगा? मान लो कि बड़ा भाग फ्रेचलियों का और छोटा भाग प्रोटेस्टैंटों का है; क्या यहाँ यही भय नहीं है? अथवा बड़ा भाग अंगरेजों का और छोटा भाग आइरिशों का है या इस का उलटा है; क्या यहाँ ऐसे अनर्थ की भारी सम्भावना नहीं है? सब देशों में अधिक संख्या गरीबों की होती है और छोटी संख्या उनकी होती है जिनको उनका उलटा, अमीर कहते हैं। अनेक प्रश्नों में इन दो पक्षों में स्पष्ट स्वार्थ की प्रत्यक्ष विरुद्धता होती है। हम यह सोचेंगे कि बड़ा दल इतना समझने को युद्धिमान है कि जायदाद की सलामती कमजोर करना उसके लिये लाभदायक नहीं है और पंचायती लूट के काम से वह कमजोर होती है। तो भी क्या इस बात का भारी डर नहीं रहता कि वे लोग जिसको स्थावर-सम्पत्ति कहते हैं, उसके मालिकों पर और बहुत ज्यादा आमदनी वालों पर कर के बोझ का अनुचित भाग डालेंगे या सारा बोझ ही डालने में भी न चूकेंगे और फिर ऐसा करने के बाद बिना हिचके उसे बढ़ावेंगे और उसकी आय इस ढंग से खर्च करेंगे कि उससे मजदूर श्रेणी

को लाभ पहुँचे ? फिर चतुर कारीगरों की छोटी संख्या और अनाड़ी कारीगरों की बड़ी संख्या को लो; कितने ही रोज-गारियों की पंचायतों के—अगर उनकी बहुत भूड़ी निन्दा न की गयी हो तो—अनुभव से देखा भय रखना ठीक जान पड़ता है कि एक समान रोज या माहवारी मुशाहरा लाजिमी कर दिया जायगा और फुटकर काम का, घंटेवार तलब का और श्रेष्ठ शिल्प या बुद्धि का बढ़िया इनाम पाने को समर्थ करने वाली सारी रीतियाँ बन्द कर दी जायँगी । हाथ से मेहनत करने वाले कारीगरों को राज्य चलाने वाली बड़ी संख्या में विद्यमान पक्ष-स्वार्थ की वृत्ति का बहुत स्वाभाविक (मैं यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि सम्भवित) परिणाम यह होगा कि रोज बढ़ाने के, धन्दे में चढ़ा ऊपरी की हद बांधने के, और क्लों पर तथा किसी तरह के विद्यमान धन्दे को बन्द करने के रुख वाले सब तरह के सुधारों पर कर या शर्त लगाने के—शायद विदेशी उद्योग की चढ़ा ऊपरी से देशी कारीगरों की रक्षा करने के भी कानून के रूप से प्रयत्न होंगे ।

यह कहा जायगा कि इनमें से किसी विषय में सबसे बड़े दल का असली स्वार्थ नहीं है; परन्तु इसका उत्तर मैं यह देता हूँ कि मनुष्य-जाति का जिसमें असली स्वार्थ समाया हो उसके सिवाय दूसरे किसी विचार से अगर इसका वर्तान्व नियमित न होना हो तो राजसत्ता, शिष्टराज्य इस समय जैसे खराब होने हैं वैसे खराब राज्य-तंत्र हों ही नहीं; क्योंकि यह दिखाने को बहुत मजबूत सबूत पेश किये जा सकते हैं और कितनी ही बार किये भी गये हैं कि राजा या राज्य करने वाली शिष्ट-समाज चंचला, धनवान, सुधरो हुई और मनस्वी प्रजा पर न्याय और सावधानता पूर्वक शासन करती है, तब उसकी अवस्था बहुत अंश में ज्यादा दिलपसन्द हो जाती है ।

अपने स्वार्थ का ऐसा ऊँचा विचार कभी कभी किसी राजा ने ही किया है। शिष्ट वर्ग के ऐसा करने का कोई दृष्टान्त जानने में नहीं आया है; तब इस मजदूर दल की ओर से अधिक ऊँची विचार पद्धति की क्या आशा रख सकते हैं ? उन लोगों के वर्ताव के सम्बन्ध में जो आवश्यक प्रश्न है वह यह नहीं कि उनका स्वार्थ क्या है परन्तु वे किस को अपना स्वार्थ समझते हैं; और जो काम दूसरा कोई सत्ताधिकारी अपवाद रूप प्रसङ्ग के सिवा नहीं करता और जिसकी उसकी तरफ से कभी आशा नहीं रखी जाती उसे साधारणतः बहुमत करेगा अर्थात् वह तात्कालिक और स्पष्ट स्वार्थ के विरोध में अपने असली स्वार्थ के अनुसार वर्ताव करेगा—ऐसा पक्ष धारण करनेवाले किसी भी राज्यनीतिवाद के विरुद्ध यह दलील निस्सन्देह है। इस विषय में अवश्य ही कोई सन्देह नहीं कर सकता कि ऊपर गिनाये हुए में से बहुत से हानिकारक कृत्य और उनके सिवा दूसरे बहुत से उतने ही खराब कृत्य अनाड़ी कारीगरों के साधारण समूह को तात्कालिक लाभ दायक हो जायेंगे। यह बहुत सम्भव है कि इससे उस श्रेणी की सारी वर्तमान पीढ़ी का अपस्वार्थ सधे। उसका अग्रयम्भावी परिणाम जो उद्योग और उत्साह की शिथिलता और संचय करने के लिये घटा हुआ उत्तेजन है, वह अनाड़ी कारीगर श्रेणी को एक ही जिन्दगी में समझा देना शायद कम ही सम्भव है। मनुष्य व्यवहार में कितने ही सबसे सत्यानाशी परिवर्तनों के अधिक स्पष्ट तात्कालिक परिणाम लाभदायक हुए हैं। सीजर * के निरंकुश

ॐ रोम के जनसत्ताक राज्य के अन्त में जो सामान्य स्थापित हुआ उसका पहला समूह सीजर कहलाता है।

राज्य की स्थापना से उस समय की पीढ़ी को बड़ा लाभ हुआ था । उसने घराऊ भगड़े बन्द किये; प्रांटर और प्रोक्सल्लों का जुल्म और लूट बहुत कुछ बन्द कर दी; जीवन की बहुत कुछ शोभाओं को और राज्यनीति के सिवा दूसरे सब विषयों में बुद्धि विकसाने में सहारा दिया । उसने इतिहास के स्थूलदर्शी पाठकों की कल्पना को चौंकाने वाली अपूर्व साहित्यशक्ति के कीर्त्तिस्तम्भ खड़े किये हैं; क्योंकि वे पाठक यह नहीं विचारते कि जो पुरुष आगस्टस के (तथा लोरेंजो डिमेडिसार्ड और चौदहवें लुई के) निरंकुश राज्य के कृतज्ञ हैं वे सब अगले जमाने में गठित हुए थे । सैकड़ों धर्मों की स्वतंत्रता द्वारा प्राप्त किये हुए धन संचय और मानसिक उत्साह तथा कार्य-परता ने गुलामों की पहली पीढ़ी को लाभ पहुँचाया । फिर यहाँ से जिस शासन का आरम्भ हुआ उसका क्रमशः प्रभाव प्राप्त किए हुए 'सब सुधार परोक्ष रीति से यहाँ तक लय हो गये कि अन्त को जिस साम्राज्य ने दुनिया को जीत कर अपने अधीन किया था उसका सैनिक बल भी पूर्णतः इस प्रकार टूट गया कि जिन आक्रमणकारियों को मार भगाने के लिये पहले तीन चार दस्ते काफी थे वे उसके प्रायः सारे विशाल राज्य पर टूट पड़े और उसे अधीन करने को समर्थ हुए । कृस्नान धर्म द्वारा प्रेरित नयी जागृति ने पेन मीके पर पहुँच कर फला और विद्या को नष्ट होने से और मनुष्य जाति को शायद अनन्त अन्धकार में डूबने से बचाया ।

जब हम मनुष्य कृत्य के निर्णायक तत्व के तौर पर उसके किसी समूह अथवा पृथक् २ मनुष्य के भी स्वार्थ के विषय में कहते हैं तब यह प्रश्न समूचे विषय का एक सब से कम आवश्यक भाग है कि एक निष्पक्ष दर्शक उसके स्वार्थ को क्या कहेगा । जैसा कि फोलेरिज कहता है, उद्देश्य

का मूल मनुष्य है, मनुष्य का मूल उद्देश्य नहीं है (अर्थात् जैसी प्रकृति का मनुष्य होगा वैसे उद्देश्य का अनुसरण करेगा कुछ उद्देश्य से उसकी अच्छी बुरी प्रकृति बदलने की नहीं) क्या करने में या किससे दूर रहने में मनुष्य का स्वार्थ है यह जिस कदर मनुष्य की प्रकृति के आधार पर है उस कदर किसी बाहरी विषय पर नहीं है । अगर तुम किसी मनुष्य का प्रत्यक्ष स्वार्थ क्या है यह जानना चाहते हो तो तुम्हें उसकी सदा की वृत्ति और विचारों का रुख जानना चाहिये । प्रत्येक मनुष्य का स्वार्थ दो तरह का होता है । एक तो वह जिसकी वह परवा रखता है और दूसरा वह जिसकी परवा नहीं रखता । प्रत्येक जनका मतलब का और ब्रेमतलब का स्वार्थ होता है । जो प्रत्यक्ष स्वार्थ की परवा रखता है और दूर के स्वार्थ की परवा नहीं रखता वह अविचारी मनुष्य है । जब उस का मन अपने विचारों और इच्छाओं को सिर्फ पहले की ओर ढकेलता है तब किसी तरह दूसरा लाभ बहुत बड़ा ही हो तो क्या ? जो मनुष्य अपनी स्त्री को मारता है और लड़कों को हैरान करता है उसको यह समझाना व्यर्थ होगा कि तुम उनके साथ प्रीति और माया से बर्ताव करने पर अधिक सुखी होगे । वह इस किस्मका मनुष्य होता कि ऐसा बर्ताव कर सकता तो अधिक सुखी होता, परन्तु वह इस किस्म का मनुष्य नहीं है और सम्भवतः अब उसके ऐसा होने का समय चला गया है । किन्तु वह जो कुछ है उससे अपने ऊपर भरोसा रखने वालों के आनन्द और प्रीति में जितना लाभ पाने को समर्थ होता उसकी अपेक्षा उनके ऊपर अपनी हुकूमत चलाने का शौक पूरा करने और अपने भक्ती स्वभाव को स्वाधीनता देने में अधिक लाभ मानता है । उसको उनके आनन्द में आनन्द नहीं है और वह उनकी प्रीति की परवा नहीं रखता ।

उसका पड़ोसी, जो इसकी परवा रखता है वह शायद इससे अधिक सुखी है: अगर यह बात उसे समझायी जाय तो उससे उलटे उसका केवल द्वेष और क्रोध अधिक बढ़ना सम्भव है। साधारणतः जो दूसरे मनुष्य के लिये, अपने देश के लिये परवा रखता है वह उससे जो परवा नहीं रखता, अधिक सुखी मनुष्य है: परन्तु जो मनुष्य अपने आराम या अपनी कमाई के सिवा दूसरे किसी की परवा नहीं रखता उसको इस सिद्धान्त का उपदेश देने से क्या फायदा है? वह दूसरे मनुष्यों की परवा रखना चाहे तो भी नहीं रख सकता। यह वैसा ही है जैसा घरती पर रँगनेवाले कीड़े को उपदेश दिया जाय कि तू गरुड़ होता तो क्या हा अच्छा होना।

अब यह एक सार्वत्रिक अनुभव की बात है कि दो आलोच्य दुष्ट वृत्तियाँ अर्थात् मनुष्य का दूसरे लोगों के साथ जो साधारण स्वार्थ होता है उसकी अपेक्षा अपना निजका स्वार्थ और परोक्ष तथा दूर के स्वार्थ को अपेक्षा प्रत्यक्ष और तात्कालिक स्वार्थ अधिक पसन्द करने की वृत्तियाँ सत्ता के उपयोग से विशेष कर उकसती और पलती रहने वाली खासियतें हैं। मनुष्य या मनुष्य वर्ग जिस घड़ी अपने हाथ में सत्ता आर्या देवता है उसी घड़ी से उस मनुष्य का व्यक्तिगत स्वार्थ और उस वर्ग का वर्गीय स्वार्थ उसकी दृष्टि में नये ढंग का जरूर बन जाता है। ये लोग अपने को दूसरों द्वारा पूजित होते देख कर स्वयं भी अपने को पूजने लगते हैं और दूसरों की अपेक्षा अपना साँगुना मूल्य रखने का हक बिना हुआ समझते हैं। फिर उनको परिणाम की परवा न रख कर मनमानी करना सहज हो जाता है। इससे मनुष्यों की अपने से सम्बन्ध रखने वाले परिणामों पर भी गहरी दृष्टि रखने की देव परोक्ष रीति से नष्ट होती जाती है। सत्ता से मनुष्य

के विगड़ने की जो सार्वत्रिक लोकोक्ति सार्वजनिक अनुभव से घनी है उसका यह अर्थ है । प्रत्येक जन जानता है कि कोई मनुष्य अपनी स्वतंत्र स्थिति में रहने पर जैसा होता है और जैसा बर्ताव करता है उसको देख कर यह अनुमान करना कि, वह सिंहासन पर निरंकुश राजा बन कर भी बराबर वैसा ही रहेगा और वैसा ही बर्ताव करेगा, कैसी चेहृदगी है । क्योंकि उसके जीवन के प्रत्येक प्रसंग से और आस पास के प्रत्येक मनुष्य से उसकी मानुषी प्रकृति के दुष्ट तत्व अंकुश में और वश में रहने के बदले सभी मनुष्यों द्वारा पूजे जाते हैं और सभी अवसरों पर पलते हैं । जनसमूह या दूसरे किसी मनुष्य दल के सम्यन्ध में भी ऐसी आशा रखना ठीक उतनी ही चेहृदगी समझी जायगी । उसके ऊपर जब बहुत प्रबल सत्ता होती है तब वह चाहे जितने नियम से और विवेक के वश रहता हो परन्तु जब वह स्वयं सब से प्रबल सत्ता रखता है तब इस विषय में उसका सम्पूर्ण परिवर्तन हो जाने की आशा रखनी चाहिये ।

जैसे मनुष्य हों या शीघ्रता से जैसे हो सकते हों उसके अनुसार राज्यतंत्र का गठन होना चाहिये और मनुष्य स्वयं या उसका कोई दल जो सुधार अब तक प्राप्त कर सकता है उसकी किसी अवस्था में जब वह सिर्फ अपस्वार्थ का विचार करता होगा तब उसको जो स्वार्थ भुक्तावेगा वह प्रायः पहली दृष्टि से ही प्रत्यक्ष और उसकी वर्तमान स्थिति पर ही असर करनेवाला होगा । मनुष्यवर्ग या संस्थाओं के मन और उद्देश्यों को जो वस्तु कभी दूर के या परोक्ष स्वार्थ की ओर प्रेरित करती है वह तो सिर्फ दूसरों के लिये और खास कर के उनका अनुसरण करनेवालों के लिये अर्थात् भविष्य पीढ़ी, स्वदेश या मनुष्य जाति में से किसी के भाव के लिये अनु-

कंपा या धर्मवृत्ति के आधार से बंधा हुआ प्रेम ही है । अगर कोई शासनपद्धति एक ऐसी शर्त चाहे कि साधारण मनुष्यों को अपने वर्ताव में, सर्वोपरि प्रेरक उद्देश्य के तौर पर यह उच्च क्रिया का नियम ही स्वीकार करना चाहिये तो उसका विवेक पूर्वक प्रतिपादन करना अशक्य होजाय । प्रतिनिधि-शासन के लिये प्रस्तुत किसी जनता के नागरिकों में किसी कदर शुद्ध बुद्धि और निस्पृह सार्वजनिक उत्साह का भरपूर रखना ठीक है परन्तु इस गुण की और साथ साथ मानसिक विवेक की इतनी बड़ी आशा रखना हंसी कराने योग्य है कि कुछ सत्य का आभास देनेवाली परन्तु असल में भ्रष्टी दलील उनके अपने दल के स्वार्थ के विषय को पलट कर ऐसे स्वरूप में दिखावे मानो वह न्याय और साधारण हित की आज्ञा है तो उसके सामने भी वे गुण टिक सकेंगे । हम सब जानते हैं कि अब जो जो कृत्य जनसमूह के कल्पित लाभ के नाम पर सामने रखे गये हैं परन्तु दर असल अन्याय के कृत्य हैं उन में से प्रत्येक के समर्थन में कैसी कैसी सत्य का आभास कराने-वाली भ्रष्टी दलीलें पेश की जा सकती हैं । हम जानते हैं कि कितने अधिक मनुष्यों ने, जो दूसरे ढङ्ग से मूर्ख या दुष्ट नहीं हैं, राज्य भ्रष्टण रद्द करने की बात को उचित समझा है । हम जानते हैं कि कितने अधिक मनुष्य स्वयं बुद्धि और विशेष प्रभाव न रखने पर भी, यह सोचते हैं कि स्थावर सम्पत्ति के नाम से परिचित संचित धन के ऊपर कर का सारा बोझ पटक देना और जिनके बाप दादों ने तथा जिन्होंने स्वयं जो कुछ कमाया वह सब खर्च कर डाला उनको उनके इस विलक्षण व्यवहार के बदले में कर से बरी रखना वाजिब है । हम जानते हैं कि सब तरह की बसीयतों के विरुद्ध बसीयत करने के इत्तियार के विरुद्ध और एक मनुष्य की दूसरे पर

जो श्रेष्ठता दिखाई देती है उसके विरुद्ध कैसी मजबूत दलीलें और उन में सत्य का अंश होने से बहुत नाजुक दलीलें पेश की जा सकती हैं। हम जानते हैं कि ज्ञान की प्रायः प्रत्येक शाखा की निरूपयोगिता कैसी आसानी से, इस रीति से कि जिस से जिन में ज्ञान नहीं है वे पूरा सन्तोष पावें, सिद्ध की जा सकती है। कितने आदमी, जो केवल जड़ नहीं हैं, यह सोचते हैं कि भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन निरूपयोगी है, प्राचीन साहित्य निरूपयोगी है, सारा पाण्डित्य निरूपयोगी है, कविता और कलाएँ निरर्थक और निर्जीव हैं और अर्थशास्त्र केवल अनर्थकारी है। समर्थ पुरुषों ने इतिहास को भी निरूपयोगी और अनर्थकारी कहा है। जिन्दगी के लिये जरूरी या इन्द्रियों के अनुकूल पदार्थों की उत्पत्ति करने के लिये बाहरी सृष्टि का अनुभव सिद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष रीति से उपयोगी है, उसके सिवा दूसरे किसी विषय की उपयोगिता न मानने को सहज भी उच्चेजन मिले तो लोग उस विषय को स्वीकार न करें। क्या यह सोचना उचित है कि जन-समूह के मन को जिस कदर शिक्षित समझ सकते हैं उस से भी कहीं बढ़ कर शिक्षित मन वाले मनुष्यों में भी ऐसी शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि और अपने प्रत्यक्ष स्वार्थ से विरुद्ध विषय की ऐसी न्यायी गुणज्ञता होगी कि वे अपने हाथ में सत्ता आते ही अगर यह और दूसरी बहुत सी भूठी दलीलें उन पर दूसरी सब श्रेणियों और भविष्य पीढ़ी की हानि कराके, अपनी स्वार्थी वृत्तियों और सद्दीर्घ विचारों को न्याय के विरुद्ध चलने को ललचाने के लिये सब तरफ से दबाव डालेंगी तो इन सब का त्याग करेंगे ?

इसलिये दूसरी सब शासनपद्धतियों का तथा जन-सत्ताक राज्य का एक सबसे बड़ा जोखिम सत्ताधारियों का

कूट स्वार्थ है। यह जोखिम वर्गीय लाभ का कानून बनाने का, प्रयत्न वर्ग के लाभ (असल में अमर करे चाहे नहीं तो भी) के लिये कल्पित और सारी जनता को सारी हानि करने वाले राज्य प्रबन्ध का है। प्रतिनिधि शासन के मथमे श्रेष्ठ गठन के निर्णय में विचारने योग्य एक सबसे जरूरी प्रश्न यह है कि इस दोष से बचने का अनूक उपाय किम तरह किया जाय।

राजनीतिक विचार से, जिनका एक ही कूट स्वार्थ हो अर्थात् जिनका सीधा और स्पष्ट स्वार्थ एक ही प्रकार के वृत्तियों की तरफ ढलना हो उन वृत्तियों की किमी भा संख्या को अगर हम वर्ग या श्रेणी मानें तो किमी भी वर्ग को अथवा जिनमें मेल होना सम्भव है उन वर्गों के किसी एक गुट को राज्यतंत्र में अधिक प्रभाव जमाने को समर्थ न होने देना वांछित उद्देश्य माना जायगा। जिस अर्थात्कीन जनता में जाति, भाषा या राष्ट्र-धर के कारण अपने ही अन्दर विभाग न हुआ हो उसके मुख्य दो विभाग कर सकते हैं और वे अपने अन्दर आंगिक भेद होने पर भी एक प्रकार प्रत्यक्ष स्वार्थ के दो भिन्न कर्मों का अनुसरण करते हैं। हम इनमें (साधारण संक्षिप्त शब्द में) एक पक्ष को मजदूर और दूसरे पक्ष को मजदूरी करानेवाला कहेंगे। मजदूरी करानेवालों को श्रेणी में सिर्फ घंघे से अलग हुए धनाढ्यों और म्यान्दानों मिलकियतों के मालिकों का नहीं बरंच मय तरह की यड़ी आमदनी वाले रोजगारियों का—(जैसे कि शिष्टवृत्ति वाले) जो अपनी शिक्षा और व्यवहार के विषय में धनवान मरीचे हैं और जो उस श्रेणी में चढ़ने की आशा और आकांक्षा रखते हैं उनका—भी समायेय होना है। इसके विरुद्ध जो हलके दर्जे को मजदूरी कराने वाले अपने स्वार्थ और शिक्षा के बन्धन

से स्वभाव शौक और उद्देश्य में, मजदूर दल सरीखे हैं वे और उनके साथ छोटे दुकानदारों का बड़ा भाग मजदूरों की श्रेणी में आ जाते हैं । ऐसे गठनवाली सामाजिक स्थिति में प्रतिनिधि शासन के वास्तव में सम्पूर्ण हो सकने और स्थायी रहने की सम्भावना सिर्फ तभी है जब उसकी रचना ऐसी हो कि ये दोनों पक्ष—एक ओर अपने हाथ से मजदूरी करने वाले तथा उनके साथी और दूसरी ओर मजदूरी कराने वाले तथा उनके साथी—प्रतिनिधि तंत्र की व्यवस्था में बराबर समतुल आर्य और प्रत्येक की अपनी सत्ता में पार्लिमेण्ट के मत का समान संख्या रहे; क्योंकि उनमें कुछ मतभेद पड़ने पर प्रत्येक पक्ष का बहुमत मुत्पन्न करके अपने पक्षस्वार्थ से चलेगा तो भी प्रत्येक में एक छोटा दल होगा जो विवेक, न्याय और सबके हित के विचार से पक्षस्वार्थ के विचार को घटिया समझेगा और प्रत्येक पक्ष का यह छोटा दल विरुद्ध पक्ष के समूह से मिल जाकर अपने पक्ष की जो जो फरमाइशें पूरी होने योग्य नहीं जचेंगी उनको पूरी नहीं होने देगा । कुछ भी अच्छी रीति से व्यवस्थित जनता में सत्य और न्याय तथा साधारण हित की जो जय होती है उसका कारण यह है कि मनुष्य जाति के अलग और व्यक्तिगत स्वार्थ प्रायः हमेशा विभिन्न होते हैं; कितनों का खानगी स्वार्थ अन्यायपूर्ण होता है और कितनों का न्याय मार्ग में होता है । इससे जो बहुत ऊंचे उद्देश्य से चलते हैं वे स्वयं यद्यपि इतने धोड़े और कमजोर होते हैं कि बाकी के अधिक संख्यक के सामने कभी सफल नहीं हो सकते तथापि पूर्ण विवेचन और आन्दोलन करने के बाद जो खानगी स्वार्थ गला दल उनके विचार में सहमत होता है उसके पक्ष का राजू भारी करने को बहुधा अच्छी तरह समर्थ हाते हैं ।

प्रतिनिधि तंत्र की रचना ऐसी होनी चाहिये कि उसमें ऐसी व्यवस्था कायम रहे। भिन्न भिन्न पक्ष स्वार्थों में से एक को ऐसा प्रबल होजाने का मार्ग न रहना चाहिये कि वह सत्य और न्याय तथा विरुद्ध के पक्ष स्वार्थ पर याजी मार ले। ग्वानगी (ग्राइयेट) स्वार्थों में हमेशा ऐसा सामझस्य बना रहना चाहिये कि जिससे उनमें किसी के लिये ऐसी सम्भावना न रहे कि वह, जो लोग अधिक ऊंचे उद्देश्य और अधिक दूरदर्शिता में चलते हों उनके बड़े भाग को बिना अपने पक्ष में लिये सफलता प्राप्त कर ले।



सातवां अध्याय ।

सच्चा और झूठा जनसत्ताक राज्य—सबकी प्रति-
निधि सभा और केवल बहुमत की प्रति-
निधि सभा ।

हम ने देखा लिया है कि जनसत्ताक राज्य में दो तरह के भय हैं—प्रतिनिधि सभा में और उसके ऊपर अंकुश रखने वाले लोकमत में घटिया दर्जे की बुद्धि होने का भय और एक ही वर्ग के मनुष्यों के बने बहुमत की तरफ से वर्ग-लाभ का कानून बनाने का भय। अब हम को यह विचारना है कि ऐसे जनसत्ताक राज्य की रचना करना कहाँ तक सम्भव है कि जिसमें जनसम्मत राज्यतंत्र के लाक्षणिक लाभों को वास्तव में बाधा डाले बिना यथा साध्य पूर्णरूप से ये दो भारी दोष दूर हों अथवा कम तो अवश्य हों।

यह उद्देश्य साधने की साधारण रीति यह है कि मत देने के एक पर कमोवेश अंकुश डालकर प्रतिनिधि सभा के लोकमत सम्यन्धो तत्त्व की सीमा बांध दें। परन्तु जो एक दूसरा विचार

पहले से करना है उसको अगर हमेशा ध्यान में रखें तो जिन अवस्थाओं के लिये ऐसी शर्त लगाना आवश्यक समझा जाता है वे बहुत बदल जायगी। जिस जनता में एक ही वर्ग की बड़ी संख्या होती है उसमें पूर्ण रूप से समान जनसत्ताक राज्य कुछ खास दोषों से नहीं बच सकता। परन्तु इस समय जो जनसत्ताक राज्य विद्यमान हैं वे समान नहीं हैं घरेलू नियम पूर्वक सत्ताधारी वर्ग के पक्ष में रहनेवाले असमान हैं, और इस से दोषों में बहुत वृद्धि होती है + दो भिन्न भिन्न भावनाएं बहुत करके जनसत्ताक राज्य के नाम पर बदनाम होती हैं। जनसत्ताक राज्य की व्याख्या के अनुसार उसका शुद्ध भाव है समस्त जनता पर समस्त जनता द्वारा समानता से चुने हुए प्रतिनिधियों का राज्य। साधारण तौर पर जैसा समझा जाता है और अब तक व्यवहार में आता है उसके अनुसार जनसत्ताक राज्य तो समस्त जनता पर सिर्फ उसकी अधिक संख्या द्वारा अपने में से ही चुने हुए प्रतिनिधियों का राज्य है। इनमें से पहला सब नागरिकों की समानता का अनुकरण करता है परन्तु दूसरा जिस विलक्षण रीति से उसके नाम पर चलता है वह तो जिस अधिक संख्या को राज्य में वस्तुतः मत देने का कुछ भी हक है उसके लाभ का हक सम्बन्धी राज्य है। इस समय जिस रीति से मत लिया जाता है उसका यह अनिवार्य परिणाम है और इससे अनेक वर्गों के मत का हक का पूर्ण रूप से लोप होता है।

इस विषय में विचार की उलझन भारी है, परन्तु वह ऐसी आसानी से सुलझायी जा सकती है कि हर कोई समझलेगा कि यह विषय महज मामूली सूचना के साथ किसी भी साधारण बुद्धि के मनुष्य के सामने असली रूप में रखा जा सकता है। ऐसा हो सकता है परन्तु स्वभाव के प्रभाव से नहीं

होने पाता; क्योंकि इस प्रभाव के कारण जो मामूली से मामूली विचार होगा उसको भी दिल में घिटाने में, बहुत उलझन के विचार के समान ही, कठिनाई पड़ेगी। छोटे पक्ष का बड़े पक्ष के और छोटी संख्या का बड़ी संख्या के अधीन होना परिचित विचार है और इससे मनुष्य यह सोचते हैं कि हमें अपनी बुद्धि से कुछ विशेष काम लेने की जरूरत नहीं है। उनको ऐसा नहीं लगता कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या के इतना प्रयत्न होने देने तथा छोटी संख्या को विलकुल निकाल डालने के बीच में भी कोई, विचला, रास्ता है। असली परामर्श में लगी हुई प्रतिनिधि सभा में तो अल्पसंख्यक छोटे पक्ष की हार होगी और समान जनसंख्याक राज्य में (जब मतधारी आग्रह करते हैं तब उनके अभिप्राय से प्रतिनिधि संस्था का अभिप्राय बनता है इससे) जनता का बड़ा पक्ष अपने प्रतिनिधियों के द्वारा छोटे पक्ष और उसके प्रतिनिधियों से मत में बढ़कर उन पर विजय पावेगा परन्तु इससे क्या यह मतलब निकालना होगा कि छोटे पक्ष को प्रतिनिधि विलकुल चाहिये ही नहीं? बड़े पक्ष को छोटे पक्ष पर विजय पाना है इसलिये क्या बड़े पक्ष को सभी मत मिलना चाहिये और छोटे पक्ष को एक भी नहीं? क्या यह आवश्यक है कि छोटे पक्ष की बात भी न सुनी जाय? इस अकारण अन्याय के विषय में अगर किसी विचारशील मनुष्य के मतका समाधान हो सकता है तो सिर्फ अभ्यास और पूर्व संसर्ग से; और किसी तरह नहीं। असली समान जनसंख्याक राज्य में प्रत्येक या किसी वर्ग के असमान नहीं समान परिमाण में प्रतिनिधि होंगे। मतधारियों के छोटे पक्ष के प्रतिनिधियों की संख्या भी हमेशा छोटी होती है; उनको बड़े पक्ष के बराबर ही यथेष्ट परिमाण में प्रतिनिधि मिलने चाहिये। नहीं तो वह समान

राज्य नहीं, असमान हक का राज्य है। जनता का एक भाग याकी भाग पर हुकूमत चलाता है; सभी न्यायी राज्यनीति के विरुद्ध और सधसे बढ़कर समानता को अपना मूल और आधार मानने वाले जनसत्ताक राज्य के मूलतत्त्व के विरुद्ध, उसमें जो एक धर्म है उसको प्रतिनिधि तत्त्व में उसका उचित और समान भाग नहीं दिया जाता।

इस अन्याय और मूल तत्त्व के विच्छेद से हानि उठाने वाला धर्म छोटा है इससे वह कम दोष का पात्र नहीं है; क्योंकि जहाँ जनता का प्रत्येक मनुष्य दूसरे किसी मनुष्य के बराबर नहीं गिना जाता वहाँ समान मत-हक नहीं है। परन्तु नुकसान अकेले छोटे धर्म का नहीं होता। ऐसे गठन वाला जनसत्ताक राज्य जिन सब विषयों में राज्यसत्ता बहुमत को देने का विचार रखता है वे भी उससे पूरे नहीं होते। वह इससे बहुत कुछ भिन्न ही करता है। वह इस सत्ता को अपने पक्ष में से बहुमत को देता है और यह अन्तिम बहुमत समस्त जनता में छोटी सख्या भी हो सकती है और अक्सर होती है। सब मूल तत्त्वों की अन्तिम प्रसङ्गों में प्रभावशाली परीक्षा की जाती है। तो अब मान लो कि देश में समान और सार्वत्रिक मत से राज्य प्रबन्ध चलता है और प्रत्येक मतसमिति में चढ़ा ऊपरी से चुनाव होता है तथा प्रत्येक चुनाव में कुछ अधिक बहुमत विजय पाता है। इस प्रकार चुनी हुई पार्लिमेंट की प्रतिनिधि सभा मामूला से विशेष अधिक बहुमत द्वारा मनोनीत नहीं है। यह पार्लिमेंट कानून बनाना शुरू करती है और कुछ ही अधिक बहुमत से जरूरी काम करती है। इसका क्या सबूत है, कि यह काम जनता के बहुमत की इच्छानुसार है? प्रायः आधे मतधारी चुनाव के स्थानमें हारे हुए होते हैं इससे निर्णय-

पर उन का कुछ अधिकार नहीं चलता । और जिन प्रतिनिधियों ने इस काम को मंजूर किया है उन के विरुद्ध मत देने से वे सभी इस काम के विरुद्ध हो सकते हैं और उन के बड़े भाग का विरुद्ध होना ही सम्भव है । यात्री मतधारियों में से लगभग आधे ने प्रतिनिधि चुने हैं जिन्होंने कल्पनानुसार इस काम के विरुद्ध मत दिया है । इस से जो राय सफलता पा चुकी है वह यद्यपि देश के नियमों ने जनता के जिस विभाग को शासनकारी दल बनाया है उसके बड़े वर्ग की है तथापि वह समस्त जनता के छोटे वर्ग के ही अनुकूल हो सकती है और यह असम्भव नहीं है । अगर जन सत्ताक राज्य का यह अर्थ हो कि बहुमत का वेधड़क प्राथम्य रखा जाय तो कुल पर प्रत्येक फुटकर अंक एक समान हिसाब में लिये बिना यह अर्थ सिद्ध नहीं होने का । अगर कोई भी छोटा वर्ग जान बूझ कर या यन्त्र के चलाने में छूट जाय तो उस से बड़ा वर्ग नहीं धरं च तराजू के दूसरे किसी भाग में मौजूद छोटा वर्ग प्रथम हो जाता है ।

इस वलील का जो एक मात्र उत्तर किया जा सकता है वह यह है कि भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न अभिप्राय प्रथम होने से जो अभिप्राय कितने ही स्थानों में छोटे वर्ग का होता है वह दूसरे स्थानों में बड़े वर्ग का होता है और मतसमितियों में जो जो अभिप्राय विद्यमान होते हैं उन सब को प्रतिनिधि सभा में मत की उचित संख्या मिलनी है और मतसमितियों की वर्तमान स्थिति में यह बात एक प्रकार सच है । ऐसा न-हो तो देश के साधारण विचार से सभा की विरुद्धता शीघ्र स्पष्ट मालूम हो जाय । अगर हाल की मत समिति के विस्तार में विशेष वृद्धि की जाय तो फिर यह बात सच न रहे । और अगर यहाँ तक वृद्धि की जाय कि उसमें

सारी बस्ती का समावेश हो तो उस से भी बहुत कम सम्भव है; क्योंकि उस दशा में हर जगह अपने हाथ से मजदूरी करने वालों का बड़ा पक्ष हो जायगा और ऐसा कोई प्रश्न छिड़ा हो जिस में इस वर्ग का थाकी जनता से विवाद हो तो दूसरा कोई वर्ग किसी स्थान में प्रतिनिधि पाने में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता । क्या इस समय भी यह शिकायत नहीं है कि हर एक पार्लिमेण्ट में मतधारियों का जो बहुत बड़ा भाग प्रतिनिधि पाने को इच्छुक और आतुर है उसका एक भी ऐसा सभासद सभा में नहीं है जिस के लिये स्वयं उस ने मत दिया हो ? यह क्या उचित है कि मेरिलीबोन् * के प्रत्येक मत धारी को पेरिश के व्यवस्थापकों के मनोनीत किये हुए और फिन्सबरी या लेंबेथ † के प्रत्येक मतधारी को (जैसा कि साधारणतः समझा जाता है) धर्मालयों के दो दो प्रतिनिधि स्वीकार करने को लाचार होना पड़े ? जिन † मतसमियों में देश के बहुत कुछ ऊँची शिक्षा वाले और उत्साही पुरुष आजाते हैं वे अर्थात् बड़े शहरों की मत समितियाँ इस समय भी बिना प्रतिनिधि के या भूटे प्रतिनिधि वाली हैं । जो मतधारी पक्ष राज्यनीति के विषय में स्थानिक बड़े विभाग से भिन्न ओर होते हैं उन के प्रतिनिधि नहीं होते । जो उसी पक्ष में होते हैं उन के बड़े भाग के भूटे प्रतिनिधि होते हैं; क्योंकि किसी मनुष्य का अभिप्राय उन से दूसरे सब विषयों में भिन्न रहता हा तो भी उस अभिप्राय को उस पक्ष की सबसे बड़ी संख्या द्वारा समर्थित

ॐ लंडन के विभाग † सन् १८६७ और १८८४ के सुधार के कानून से पार्लिमेण्ट के गठन में इस का और दूसरे विषयों का सुधार हुआ है ।

होने के कारण, उन लोगों को स्वीकार करने के लिए लाञ्छित होना पड़ता है। कई तरह से छोटे वर्ग को बिलकुल मत देने न दिया जाय तो उसकी अपेक्षा भी बहुत घुसा परिणाम होता है; क्योंकि उस दशा में इतना तो होगा ही कि जो मनुष्य उत्तमतया बड़े वर्ग का विचार रखता होगा उसी को बड़ा वर्ग अपना सभासद बनावेगा। परन्तु इस समय तो, ऐसा न हो कि प्रतिपक्षी घुस जाय इस डर से अपने पक्ष में विभाग न करने की जरूरत होने से, जो मनुष्य उस का पट्टा बांध कर पहले ही सामने आता है अथवा जिस को उस के स्थानिक नेता आगे रखते हैं उसकी ओर मत देने को सभी ललचते हैं। और ये नेता जिस प्रतिष्ठा के शायद ही योग्य होते हैं वह उन को दें अर्थात् यह सोचें कि उनको पसंद उन के निज के स्वार्थ में कुंठित नहीं हुई है तो भी उनको अपना समग्र बल एकत्र करने में सफल होने के लिये, जिस उमेदवार के विषय में पक्ष का कोई भी मनुष्य भारी उज्र न उठावे अर्थात् जिम्मे का अपने पक्ष की संज्ञा के सिवा और कुछ लाक्षणिक गुण या पास अभिप्राय जानने में न आया हो—उस मनुष्य को आगे रखने को लाचार होना पड़ता है। संयुक्त राज्य, अमेरिका में इन बात का विचित्र दृष्टान्त मिलता, है क्योंकि वहां राष्ट्रपति (प्रेसीडेंट) के चुनाव के अवसर पर सब से मजबूत पक्ष कभी अपने में से सब से समर्थ पुरुष को सामने लाने की हिम्मत नहीं करता। इसका कारण यह है कि ऐसा पुरुष मुहत्त से लोगों की नजर पर चढ़ा रहता है इस कारण अपने पक्ष के एक या दूसरे विभाग के उज्र उठाने योग्य बन गया रहता है। इस से जिस पुरुष के विषय में उमेदवार के तौर पर खड़ा होने से पहले, लोगों ने कुछ भी न सुना हो उस के बराबर उस सब से समर्थ पुरुष को सब का मत

अपनी ओर खींचने का भरोसा नहीं रहता । इस प्रकार सब से प्रथम पक्ष का पसन्द किया हुआ पक्ष भी शायद, जिस कुछ ही अधिक बहुमत से वह पक्ष सामने के पक्ष पर विजय पाता है उसी की इच्छाओं का यास्तव में प्रतिनिधि होता है । सफलता के लिये जिस विभाग के समर्थन की आवश्यकता होती है उस के हाथ में उमेदवार का रोकने की सत्ता है । जो विभाग अपनी बात पर दूसरे विभागों की अपेक्षा अधिक दृढ़ से अड़ा रहता है वह दूसरों को अपनी पसन्द का मनुष्य स्वीकार करने को लाचार कर सकता है और दुर्भाग्य से जो लोग जनता के स्वार्थ के बदले अपने स्वार्थ के लिये ही अपने विचार पर अड़े रहते हैं उन में ऐसा दृढ़ अधिक दिग्राई देना सम्भव है । इस से यह पक्ष में जो विभाग, सब में डरपोक, संकीर्ण हृदय और यहमी या केवल पक्ष स्वार्थ को ही सब से अधिक आग्रह से पकड़े रहने वाला होता है उसी के मतानुसार उस पक्ष की पसन्द का निर्णय होना विशेष सम्भव है । ऐसी स्थिति में छोटे पक्ष का चुनाव का हक जिस उद्देश्य से मत दिया जाता है उन के लिये निरूपयोगी होता है, इसके सिवा केवल बड़े पक्ष को अपने स्वयं से निर्बल या पराय विभाग के उमेदवार को स्वीकार करना पड़ता है ।

यहून आदमी इन दोषों की बात स्वीकार करते हुए भी इन्हें स्वतंत्र राज्यतंत्र के लिये अनिवार्य भोग मानें तो कुछ आश्चर्य नहीं है । हाल तक स्वतंत्रता के सब मित्रों की यह राय थी, परन्तु इन दोषों को निरुपाय समझ लेने की चाल ने ऐसी जड़ पकड़ ली है कि बहुत आदमी तो यह खपाल रखकर उसकी ओर दृष्टि करने की शक्ति ही खोये हुए जान पड़ते हैं कि अगर हम से उपाय हो सके तो गुरी से करें ।

उपाय की निराशा उत्पन्न होने पर रोग से ही इनकार करने के लिये अकसर एक ही कदम आगे बढ़ाने को रदता है और इसके बाद जो कोई कुछ भी उपाय बताता है उससे ऐसा जी ऊपना है मानो वह अनर्थ का उपाय बताने के बदले नया अनर्थ ही सुझाता है । लोगों को दारों का ऐसा घटा पड़ा जाता है कि वे समझते हैं कि उनकी शिकायत करना पराध नहीं तो अनुचित है । इनके पर भी यह निवार्य हो चाहे अनिवार्य जिसके मन पर उनका वजन नहीं पड़ता और वे दूर किये जा सकेंगे यह जान कर जो खुश नहीं होता वह स्वतंत्रता का अन्ध भक्त है । अब इस बात में कुछ सन्देह नहीं है कि छोटे पक्ष को वस्तुतः पारिज कर देना स्वतंत्रता का आवश्यक या साधारण परिणाम नहीं है । इस बात से जनसत्ताक राज्य का कुछ भी सम्बन्ध होने के बदले यह जनसत्ताक राज्य के प्रथम मूल तत्त्व से, अर्थात् संख्या के परिमाण में प्रतिनिधि के तत्त्व में विल-कुल विरुद्ध है । जनसत्ताक राज्य का एक अंगीभूत तत्त्व यह है कि छोटे वर्गों को भी यथेष्ट प्रतिनिधि मिलें । इसके बिना असली जनसत्ताक राज्य सम्भव नहीं है, जनसत्ताक राज्य के भूटे दृश्य के सिधा और कुछ सम्भव नहीं है ।

जिन्होंने किसी अंश में इन दलीलों की सफलता देखी है और उसका अनुभव किया है उन्होंने इन दारों को थोड़ा बहुत दूर करने वाली भिन्न भिन्न युक्तियाँ बतायी हैं । लार्ड जान रसल * ने अपने एक सुधार के मन्विदे में ऐसी धारा रखी थी कि कुछ मनसमितियाँ तीन प्रतिनिधि चुनें परन्तु उनका प्रत्येक

* सुधारक दल के एक राजनीतिक नेता और दो बार इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री (१८४६-५२ और १८६५-६६) इन्हीं का कहा हुआ सुधार का कानून १८३१ ईस्वी में बना था ।

मतधारी केवल दो के लिये मत देने पावे। परन्तु कुछ दिन पहले मि० डिस्सरायली* ने एक बहस में यह बात याद कराके उनको इसके लिये उलहना दिया था; उनका अभिप्राय शायद यह था कि संरक्षक (कंसर्वेटिव) राजनीतिज्ञ केवल साधनों का विचार रखें और जिस पुरुष ने एक बार भी साध्य का विचार रखने की भूल की हो उसके साथ कुछ भी यन्धुत्व रखने से गृणा सहित इनकार करना ही उचित है † दूसरों ने यह

संरक्षक दल का अगुआ ओर इंग्लैण्ड का प्रधान मंत्री (१८६७-६८) और (१८७४-८०) पंथि से यह अलं आफ क्रॉक्सफोर्ड के नाम से लार्ड बनाय गये थे। १८५२ में संरक्षक मंत्रीदल में आयैनिवेशिक मंत्री थे।

† मि० डिस्सरायली की यह भूल (जिसे बचने के लिये सर जन प्रेकिंगटन इसके बाद तुरत ही अलग हो गये और यह उनके लिये प्रतिष्ठा जनक था) एक प्रत्यक्ष दृष्टान्त दिखलाती है कि संरक्षक नेता संरक्षक पक्ष के मूल तत्त्वों को भी कितना कम समझते हैं। राजनीतिक पक्षों को अपने प्रतिद्वन्दी के मूलतत्त्वों को समझना और उनसे काम लने का योग्य समय जानना चाहिये अगर इतना सद्गुण और विवेक उनमें चाहने की हिम्मत न करें तो भी इतना तो कह सकते हैं कि प्रत्येक पक्ष अपने ही मूलतत्त्वों को समझे और उन पर चले तो भी बहुत सुधार हो। संरक्षक प्रत्येक संरक्षक-विषय के पक्ष में और सुधारक प्रत्येक सुधारक-विषय के पक्ष में मत दिया करें तो इंग्लैण्ड को वास्तविक लाभ हो। रसा हो तो प्रस्तुत और दूसरे बहुत से बड़े प्रश्नों की तरह जो विषय विमर्शतः एक या दूसरे दोनों पक्षों से सम्बन्ध रखते हैं उनके लिये में मुद्दत तक इन्तजारी न करना पड़े। संरक्षक अपने वर्तमान नियमों के अनुसार ही सब से जड़ पक्ष जान सकते हैं, इन्से इस प्रकार के

सलाह दी है कि प्रत्येक मतधारी सिर्फ एक के लिये मत देने पावे । इन दो में से चाहे जिस योजना से मत-समिति के एक तृतीयांश के वरावर का अथवा उससे अधिक संख्यावाला छोटा पक्ष कुछ विशेष प्रयत्न न करे तो भी तीन में से एक सभासद चुन लेने को शक्तिमान होगा । जैसा कि मि० जेम्स गार्थ मार्शल ने एक प्रभावशाली पुस्तिका में बताया है, अगर मतधारी के तीन मत होने पर भी सब एक ही उमेदवार को देने की हूट हो तो यही परिणाम और अच्छे ढंग से आवे । यद्यपि ये युक्तियां कुछ नहीं से कही अच्छी हैं, तो भी ये सिर्फ काम चलाऊ उपाय हैं और अपने विचार को बहुत अधूरे ढंग से पूरा करती हैं । क्योंकि अगर स्थानिक छोटे वर्ग और भिन्न भिन्न मतसमितियों के छोटे वर्ग एक तिहाई से कम होंगे तो सब मिलकर चाहे जितने पड़े हों तथापि बिना प्रतिनिधि के रहेंगे । इतने पर भी वझे पेट्र की बात है कि इनमें से एक भी योजना काम में नहीं लायी गयी; क्योंकि किसी एक से काम लेने पर सत्य तत्त्व का स्वीकार हुआ होता और उसके पूर्ण प्रयोग के लिये मार्ग खुला होता । परन्तु जब तक एक मतसमिति की साधारण संख्या के वरावर मतधारी देश के चाहे जिस विभाग में बिगरे हुए हों, मगर उनके समूचे दल को जमा होकर अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार न

सब से बड़े दोषों के लिये वे जवाबदेह होते हैं । और यह एक शाक-जनक सत्य बात है । एक जो विषय भाव में और दूरदर्शिता से भी संरक्षक होता है उसके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव उठता है और उसके पक्ष में गुधारक भी मत देने को तय्यार होते हैं तो उस समय एसा होता है कि संरक्षक पक्ष का बड़ा समूह भेदिया घसान की तरह उस प्रस्ताव को स्वीकृत होने से रोक देता है । ग्रन्थकार ।

मिले तब तक प्रतिनिधि तत्त्व की वास्तविक समानता नहीं कही जायगी । जब तक उक्त विशाल और साधारण विचार के लिये तथा सूक्ष्म व्यवहार सम्बन्धी विषयों की योजना के लिये एकसमान योग्य महा बुद्धिमान पुरुष मि० टामस हेयर ने प्रतिनिधि तत्त्व में इस दर्जे तक सम्पूर्णता लाने के लिये पार्लियामेंट के कानून के मसविदे के रूप में एक योजना नहीं रची और इतनी सम्पूर्णता की शक्यता सिद्ध नहीं कर दी तब तक यह बात असाध्य लगती थी । इस योजना में जैसे सोचे हुए उद्देश्य के सम्बन्ध में, राज्यनीति का एक महान तत्त्व, सम्पूर्णता की पराकाष्ठा को पहुंचे इस रीति से साधन को लगभग दो आदर्श रूबियां हे वैसे उसके साथ कुछ ही कम आवश्यक उद्देश्य भी प्रसंग वश पूरे होते हैं ।

इस योजना के अनुसार प्रतिनिधि तत्त्व का अंक, अर्थात् अपनी तरफ का एक सभासद पाने के हकदार मतधारियों की संख्या औसत लगाने की साधारण रीति पर यानी सभ्य मतधारियों की संख्या को सभा की बैठक की संख्या से भाग देकर ठीक करना चाहिये और जब उमेदवार को उतनी संख्या मिले तो वह संख्या चाहे जितनी भिन्नभिन्न मत ममितियों से जमा हुई हो तो भी वह उमेदवार चुना हुआ गिना जायगा । आजकल की तरह मत तो स्थान के हिसाब से दिया जाय परन्तु चुननेवाले को देश के किसी भाग से निकल आने वाले चाहे जिस उमेदवार के लिये मत देने की स्वाधीनता रहे । इसलिये जो मतधारी किसी स्थानिक उमेदवार को प्रतिनिधि चुनने की इच्छा न रखते हों वे जिन्होंने समूचे देश से चुने जाने की इच्छा प्रगट की हो उन में से जो उन्हें अधिक पसन्द आवे उसके चुनाव में अपने मत की मदद देने को समर्थ हो सकेंगे । इस प्रकार जो छोटा वर्ग

चर्चमान पद्धति से वास्तव में मत के एक से यंचित होगया है उसको वास्तविक चुनाव का एक मिलेगा । परन्तु आवश्यक बात यह है कि जो लोग किसी स्थानिक उमेदवार के लिये मत देने से इनकार करते हैं वे ही नहीं वरंच जो उन में से एक के लिये मत देते हैं और वह मत निष्फल जाता है वे भी अपने जिले में प्रतिनिधि चुनने में सफलता न पाने पर दूसरे स्थान में चुनने में समर्थ हों । इसके लिये एक पेंसी धारा रखी है कि कोई मतधारी मतपत्र देते समय उम में अपनी पहली पसंद के पुरुष के साथ दूसरे का नाम भी लिख सके । उसका मत एक ही उमेदवार के लिये गिना जाय । अगर उसकी पहली पसंद का मनुष्य मत की उचित मंरया न मिलने से चुनाव में सफलीभूत न हो तो शायद उसकी दूसरी पसन्द अधिक भाग्यशाली निकले । वह अपनी पसन्द की क्रमवाली सूची में नामों की संख्या अधिक बढ़ा सकता है कि जिस से, सूची के सिर पर रखा हुआ नाम उचित संख्या न पा सके अथवा पाने में उस के मत की जरूरत न रहे और उसका मत दूसरे किसी के चुनाव में मददगार हो सकता हो तो उसके पक्ष में गिने जाने की छूट रहे । बहुत लोकप्रिय उमेदवारों के पक्ष में प्रायः सभी मतों का अभाव होने से रोकने के लिये तथा समा की पूर्ति करने के निमित्त समासदों की पूरी संख्या प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि किसी उम्मेदवार को चाहे जितने मत मिलें उसके चुनाव के लिये यथेष्ट से अधिक मत हिसाब में न लिये जायं । जिन्होंने उम के लिये मत दिये हों उन में से बाकी बचे हुए मत उनकी सूचियों में दिये हुए पीछे के नाम को यांचित हों और उस मद से उसकी उचित संख्या पूरी हो सकती हो तो वे मत उस के पक्ष में गिने जायं । उमेदवार के पक्ष में दिये हुए कितने मत

उसके चुनाव के लिये रये जायं और कितने मत बाकी उमेदवार के लिये छोड़ दिये जायं इसका निर्णय करने के लिये कुछ युक्तियां बतायी गयी है परन्तु हम यहां इन बातों में नहीं पड़ेंगे । जिनको और तरह से प्रतिनिधि न मिलता हो उन सब का मत तो उमेदवार को रहे और बाकी के मत के लिये कोई बड़िया रास्ता न मिलने पर चिट्ठी (लाटरी) डालने का ढंग उचित समझा जाय । सब मतपत्र एक सदर स्थान में ले जाकर गिनें, वहां हर एक उमेदवार के लिये पहला, दूसरा तीसरा आदि मत स्थिर करें और जब तक सभा की संख्या पूरी न हो तब तक जिनकी मत संख्या पूरी हो सकती हो उन की पूरी करें और उन में पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से इत्यादि अनुक्रम से मत पसन्द करें । मत पत्र और सब हिसाब किताब प्रकाश्य भण्डार में रखें और जिनका जिनका सम्बन्ध हो उन सब को वहां जाने दें । अगर कोई उमेदवार यथेष्ट मत पाने पर भी नियम पूर्यक निर्वाचित न माना गया होगा तो यह बात सहज में साबित करना उस के हाथ में रहेगा ।

इस योजना की ये दो मुख्य धाराएं हैं । इसकी बहुत सारी यंत्र-सामग्री के अधिक सूक्ष्म ज्ञान के लिये मुझे मि० हेयर की (सन् १८५६ में प्रकाशित) " प्रतिनिधि निर्वाचन के विषय में निबंध" * और (इस समय केन्द्रित विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अध्यापक) मि० हेनरी फोसेट †

✽ हाल में छपी हुई दूसरी आशुत्त में मि० हेयर ने कुछ उप-धाराओं में आवश्यक सुधार किया है ।

† पार्लियेण्ट का एक प्राबुद्ध सभासद । यह अंश था तो भी १८८० में सुधारक मंत्री दल में डाक विभाग का मंत्री बनाया गया था । इसका मुख्य ग्रन्थ "अर्थशास्त्र का मूलतत्व" है । यह हिन्दुस्थान के पक्ष में अक्षर बोलता था ।

लिखित "मि० हेयर के सुधार सम्यन्धी मसविदे का स्पष्टीकरण और विवेचन" नामक पुस्तकों का हवाला देना चाहिये। दूसरी पुस्तक में इस योजना का बहुत स्पष्ट और संक्षिप्त विवेचन है, और इसमें मि० हेयर की जो कई धाराएं स्वयं लाभदायक होने पर भी इस योजना की व्यवहारी उपयोगिता में वृद्धि करने की अपेक्षा उसकी सुगमता में अधिक रलल पहुँचाने वाली समझी जाती थीं उन्हें वाद देकर इस योजना को अपने सव से सादे स्वरूप में दिखाया है। इस ग्रंथ का जितना ही अधिक मनन होगा उतना ही अधिक इस योजना की सम्पूर्ण सुगमता और परम उत्कृष्ट लाभ का विचार प्रबल होता जायगा; यह भविष्य वाणी कहने की मैं हिम्मत करता हूँ। इसके लाभ ऐसे और इतने बड़े हैं कि मेरा दृढ़ निश्चय है कि, मि० हेयर की योजना राज्यनीति के सिद्धान्त और व्यवहार में अब तक के सुधारों में बहुत बड़ी गिनी जाती है।

पहले तो यह योजना मत समिति के प्रत्येक विभाग को संख्या के परिमाण में प्रतिनिधि दे देती है और सिर्फ बड़े पक्षों को तथा उनके साथ शायद कुछ खास स्थानों के बड़ी संख्या वाले छोटे पक्षों को ही नहीं, बरंच समस्त राष्ट्र में बिखरे हुए जो छोटे वर्ग समान न्याय के नियम से इतनी बड़ी संख्या में हों कि प्रतिनिधि पाने का हक रख सकें उनमें से प्रत्येक को भी। दूसरे, जैसा कि आज कल हांता है, किसी मतधारों को स्वयं पसन्द न किये हुए नाम के प्रतिनिधि से सन्तुष्ट रहना नहीं पड़ेगा। सभा का प्रत्येक सभासद समस्त मत समिति के मत का प्रतिनिधि होगा। वह निर्धारित संख्या के अनुसार एक हजार या दो हजार या पांच हजार या दस हजार मत धारियों का प्रतिनिधि होगा और उनमें से प्रत्येक ने उसको केवल मत नहीं दिया होगा बरंच मतधारियों ने अपने

स्थानिक बाजार में पसन्द के लिये मुंह के सामने रखी हुई सिर्फ दो तीन और शायद सड़ी हुई नागियों में से चुनने के बदले उनको समूचे देश में से पसन्द किया होगा । इस से मतधारी और प्रतिनिधि के बीच में जो सम्बन्ध जुड़ेगा उसके बल और गुण का कुछ भी अनुभव हमें इस समय नहीं है । प्रत्येक मतधारी का अपने प्रतिनिधि से और प्रतिनिधि का अपने चुनने वाले से परस्पर ऐक्य भाव बना रहेगा । प्रत्येक मतधारी ने किसी प्रतिनिधि को जो मत दिया होगा उसका कारण मानो यह होगा कि पार्लिमेण्ट के जिन उमेदवारों के बारे में मतधारियों की कुछ संख्या का अच्छा विचार होगा उन सब में वह प्रतिनिधि मतधारी का विचार सब से अच्छी तरह प्रगट करता होगा अथवा उसकी चतुराई और प्रतिष्ठा के लिये मतधारी के जी में सब से अधिक इज्जत होगी और उसको अपनी तरफ से विचार करने का काम सँपाने को बहुत राजी होगा । इन दो में से कोई एक कारण होगा जो सभासद प्रतिनिधि होगा वह सिर्फ बाहर के ईंट पत्थरों का नहीं, घरंच मनुष्यों का-केवल पेरिश के थोड़े से व्यवस्थापकों या शिष्ट पुरुषों का नहीं घरंच सभी मतधारियों का प्रतिनिधि होगा । इतने पर भी स्थानिक प्रतिनिधि तत्त्व में जो कुछ साबित रखने योग्य होगा वह साबित रहेगा । यद्यपि राष्ट्रीय पार्लिमेण्ट का केवल स्थानिक कार्यों से जहाँ तक हो कम सम्बन्ध रहना चाहिये तथापि जहाँ तक कुछ भी सम्बन्ध रहे वहाँ तक प्रत्येक आवश्यक स्थानिक लाभ पर नज़र रखने के लिये सास सभासद नियुक्त होने चाहिये और होंगे ही । जो स्थान अपनी उचित संख्या अपने में से ही पूरी कर सकेगा, उसका बड़ा पक्ष साधारणतः अपने में से एक को, स्थानिक उमेदवारों में जो स्थानिक ज्ञान वाला और उसी स्थान में रहने वाला मिलः

जायगा और इसके साथ दूसरे तौर पर प्रतिनिधि होने के अधिक योग्य होगा उसको अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनना पसन्द करेगा । मुख्य करके जो छोटा वर्ग होगा वह स्थानिक प्रतिनिधि चुनने में अग्रक होने से जिसको अपने सिवा दूसरा मत मिलना सम्भव होगा उस उमेदवार के लिये दूसरी जगह तजवीज करेगा ।

जिन जिन पद्धतियों में राष्ट्रीय प्रतिनिधि तत्व का गठन करना सम्भव है उन सब में इस एक के अन्दर प्रतिनिधि में वांछित मानसिक गुणों की सबसे अच्छी जमानत मिल जाती है । इस समय, मन-दक में संघ की दागिन करने से, जिसमें केवल बुद्धि और गुण होते हैं वैसे किसी पुरुष का आम मभा में प्रविष्ट होना दिन दिन कठिन होता जाता है । उन्हीं मनुष्यों का चुना जाना सम्भव है जिनकी स्थानिक पहुँच होती है या जो मूल पैसा खर्च कर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं अथवा जिनको दो में से बड़ा राजनीतिक पक्ष, यह समझ कर कि ये हमारे मन को सब अवसरों पर भरोसा रखेंगे, अपनी लन्दन की मण्डली में से तीन बार दुकानदार या थकील के आर्मचर से भेजता है । मि० हेयरकी पद्धति के अनुसार जिनको स्थानिक उमेदवार पसन्द नहीं होंगे या जो स्वयं जिस स्थानिक उमेदवार को पसन्द करने होंगे उसे चुनने में सफलता न पाते होंगे वे उमेदवारों की सूची में जो राष्ट्रीय प्रतिष्ठावाले होंगे और जिनके माधारण राजनीतिक सिद्धान्त अपने अनुकूल होंगे उन सब में से पसन्द करके अपना मतपत्र भरने को समर्थ होंगे । इससे जिन्होंने किसी तरह आदर पूर्वक प्रतिष्ठा पायी होगी वैसे प्रायः सब पुरुष यदि स्थानिक प्रमाय से रहित होंगे और किसी राजनीतिक पक्ष से धक्कादारी की कसम न लिये रहेंगे तो भी उन

को अपनी यथेष्ट संख्या पूरी करना सम्भव होगा । और ऐसा उच्चेजन मिलने से ऐसे पुरुष अब तक स्वप्न में भी न मिली हुई बड़ी संख्या में सामने आ सकेंगे । स्वतंत्र विचार के जो सैकड़ों समर्थ पुरुष अपने लेख से या किसी सार्वजनिक उपयोग के विषय में अपने प्रयत्न से राज्य के प्रायः हर एक जिले में कुछ पुरुषों द्वारा प्रसिद्ध हुए रहते हैं उनके किसी भी मत समिति के बहुमत से चुने जाने की कुछ भी सम्भावना नहीं होगी परन्तु उनके लिये प्रत्येक स्थान में जो मत दिया जाय वह अगर उनके चुनाव के लिये गिना जा सके तो वे चुनाव की सरया पूरी करने में समर्थ होंगे ।

फिर चुनाव की इस पद्धति में ग्राम सभा के बुद्धि बल के नियम में जो वृद्धि होगी वह सिर्फ छोटे पक्ष के मत से नहीं होगी । बड़े पक्ष को भी बहुत ऊंचे दर्जे के सभासद ढूँढ़ने को लाचार होना पड़ेगा । जब बड़े पक्ष में विद्यमान मनुष्यों को स्थानिक अगुआ द्वारा सामने लाये हुए पुरुष के लिये मत देने या बिलकुल मत न देने की होव्सन # की चाल स्वीकार करने का समय नहीं रहेगा, जब अगुओं की तरफ के उमेदवार को सिर्फ छोटे वर्ग के उमेदवार के सामने नहीं बरंच देश सेवा के लिये तैयार देश के सध स्थायी प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के सामने चढ़ाऊपरी में उतरना होगा तब जो पहला पुरुष मुँह में पक्ष का नाम और जेब में तीन चार हजार पाँड लेकर खड़ा होगा उसका अधिक धार सुत

§ इंग्लैण्ड के केम्ब्रिज शहर में होव्सन नाम का एक मनुष्य घोड़ा बेरने वाला था । उसने यह नियम रखा था कि तबले के द्वार में घुसते ही जो पहले घोड़ा बंधा होगा, वही प्राइम को देंगे, दूसरा नहीं ।

धारियों से मेल होना असम्भव हो जायगा। बड़ा पक्ष योग्य उमेदवार को चुनने के लिये आग्रह करेगा, नहीं तो वह अपना मत कहीं अन्यत्र ले जायगा और छोटा वर्ग सफलता पा जायगा। बड़े पक्ष को जो अपने में सबसे कम विस्तार वाले वर्ग की गुलामी में रहना पड़ता है उस का अन्त हो जायगा। स्थानिक शिष्ट वर्ग के सब से अच्छे और चतुर पुरुष पसन्द कर के सामने लाये जायेंगे और यथासम्भव वे पुरुष जो कुछ लाभदायक काम के लिये अपने मण्डल के बाहर भी प्रसिद्ध हुए होंगे कि जिस से उन के स्थानिक वर्ग को दूसरे स्थान से फुटकर मतों की सहानुभूति मिलना सम्भव होगा। मत समितियाँ सब से अच्छे उमेदवार पाने के लिये चढ़ा ऊपरी करेंगी और स्थानिक ज्ञान और सम्बन्ध वाले पुरुषों में से जो दूसरे विषयों में सब से अधिक हिस्सा करते होंगे उन्हें पसन्द करने में एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे।

अर्थात्चोन सभ्यता की तरह प्रतिनिधि राज्य का स्वाभाविक भुकाव सामाजिक मध्यता की तरफ है; और ज्यों ज्यों मत हक नीचे उतरता और विस्तार में बढ़ता जाता है ज्यों ज्यों इस भुकाव में बढ़ती होती जाती है; क्योंकि इस के परिणाम से जनता में सब से ऊंचे दरजे के ज्ञान से अधिक घटिया दरजे के ज्ञान वाले दल के हाथ में मुख्य सत्ता आती जाती है। परन्तु यद्यपि संख्या में उत्कृष्ट बुद्धि और गुण अग्रश्य कर के दयता रहेगा तथापि उस दल की यात चुनने में आती है कि नहीं इस से बड़ा अन्तर पड़ेगा। जिस भूटे जन सत्ताक राज्य में सब को प्रतिनिधि मिलने के बदले सिर्फ स्थानिक बड़े पक्ष को मिलता है उसमें शिक्षित-छांटे पक्ष को शायद प्रतिनिधि समा में अपनी यात जनाने का कुछ भी साधन नहीं होगा। अमेरिका का जनसत्ताक राज्य जो इस मूल

मरी पद्धति पर गठित हुआ है उस में जो अपना स्वतंत्र अभि-
 प्राय और विवेक पद्धति त्याग कर, अपने से ज्ञान में घटिया
 मनुष्यों के गुलाम बने रहने को तय्यार हों उन मनुष्यों को
 छोड़ कर, जनता के ऊँची रीति पर शिक्षित दूसरे पुरुषों के
 चुने जाने की इतनी कम सम्भावना है कि वे कांग्रेस (साम्रा-
 ज्य सभा) या माण्डलिक सभाओं के लिये मुश्किल से खड़े होते
 हैं। इस बात को लोग स्वीकार कर चुके हैं। अमेरिका के जन
 सत्ताक राज्य के संस्कारी और स्वदेशप्रेमी संस्थाओं को
 अगर सौभाग्य से मि० हेयर की सी योजना सूझी होती तो
 संयुक्त या माण्डलिक राज्य सभाओं में ऐसे बहुत से नामा-
 द्धित पुरुष प्रविष्ट हो सकते और जनसत्ताक राज्य सब से
 भारी मेहने और सब से भयङ्कर दोष से बच गया होता।
 मि० हेयर की धतायी हुई मनुष्यगत प्रतिनिधि की पद्धति
 इस दोष का प्रायः पक्का उपाय है। भिन्न भिन्न स्थानिक मत
 समितियों में बिखरे हुए शिक्षित मन के मनुष्यों का छोटा वर्ग
 मिल कर, समूचे देश में विद्यमान सब से समर्थ मनुष्यों में
 से अपनी संख्या के हिसाब से प्रतिनिधि चुन सकेगा। क्योंकि
 वे और किसी तरह अपनी छोटी संख्या के बल को और
 बड़े काम में नहीं ला सकते। इस पद्धति के प्रभाव से बड़े
 वर्ग के प्रतिनिधि स्वयं सुधरेंगे और साधारण क्षेत्र भी
 उन्हीं के अधीन नहीं रहेगा। देश में जिस कदर मतधारियों
 का एक वर्ग दूसरे से संख्या में बड़ा होता है उसी कदर इन
 प्रतिनिधियों की संख्या दूसरे की संख्या से अधिक होगी। उन
 का बहुमत तो हमेशा रहेगा परन्तु उन को दूसरों के सामने
 और उन की टीका टिप्पणी सह कर घोलने और मत देने की
 जरूरत पड़ेगी। जब कुछ मतभेद पड़ेगा तब उन को शिक्षित
 छोटे पक्ष की दलील के विरुद्ध विशेष नहीं तो प्रत्यक्ष में भी

उतने ही सबल कारण दिखाने पड़ेंगे; - और जो लोग अपने साथ एकमत हुए पुरुषों के सामने बोलते हैं वे जिस तरह सिर्फ इतना सोच लेते हैं कि हम स्वयं सच्चे हैं उम तरह कर नहीं सकेंगे । इससे उनको समय पर अपनी भूल समझने का भी मौका मिलता है । (जैसा कि ईमानदारी से चुने हुए राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की तरफ से विवेकपूर्वक आशा रख सकते हैं) उनको धारणा साधारणतः शुद्ध होगी, इससे उनका मन जिनके संसर्ग या विरोध में भी रहेगा उनके पास से सहज ही उन्नति करता जायगा । जनमत से विरुद्ध मत के प्रचारकों की दलों सिर्फ उन्हीं पुम्नकों और सामयिक पत्रों में प्रकाशित नहीं होंगे जिनको उन्हीं के पक्ष वाले पढ़ते होंगे; यरंच प्रतिद्वन्दी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी होकर परस्पर हाथ मिलावेंगी और देश के सामने उनके मानसिक बलका वाजियों मुकाबला होगा । ऐसा होने पर मालूम हो जायगा कि जो अभिप्राय सिर्फ मत की गिनती में सफलता पाता है वह बजन में जांचने पर सफलता पावेगा कि नहीं । जब किसी समर्थ पुरुष को जन समूह के सामने समान भूमि पर अपनी शक्ति दिखाने का साधन मिलता है तब जनसमूह में उसको परग कर दूँद निकालने की अकसर साहजिक शक्ति होती है । ऐसा पुरुष अपने योग्य बजन का कुछ भी अंश पाने में असफल होता है तो उसको दृष्टि की छोट में रखने वाले नियम या रिवाज के कारण होता है । प्राचीन जनसत्ताक राज्यों में किसी समर्थ पुरुष को नजर से बाहर रखने का कुछ भी साधन न था; उसके लिये बीमा * (वक्तासन) गुला हुआ

* Bema (बीमा) एयंग्र में साधारण वक्ता के लिये बनायी हुई रंगभूमि ।

था, उसे लोगों का सलाहकार होने के लिये किसी की मंजूरी की जरूरत न थी। प्रतिनिधि राज्य में ऐसा नहीं है; और जनसत्ताक प्रतिनिधि राज्य के सबसे श्रेष्ठ मित्र भी इस सन्देह से शायद ही बचेंगे कि जिन थेमिस्टोकलिस या डिमास्थेनिस * की सलाह राज्य की रक्षा करने में समर्थ होती थी वे भी शायद अपने जीवन भर में कभी स्थान पाने का शक्तिमान न होते। किन्तु अगर प्रतिनिधि सभा में देश के पहले दर्जे के मन वाले पुरुषों में कुछ की भी उपस्थिति आवश्यक की जा सके तो यद्यपि याकी मन साधारण होंगे और वे अगुआ आत्माएं अनेक विषयों में लोक-विचार और वृत्ति के रूप से विरुद्ध मालूम होंगी तथापि राष्ट्रीय परामर्शों में उनकी कुछ प्रत्यक्ष दृष्टा पड़े बिना नहीं रहेगी। मैं नहीं समझता कि मि० हेयर को बताया हुई पद्धति के समान दूसरी किसी पद्धति में ऐव मतों की उपस्थिति का यों स्पष्ट भरोसा मिल सकेगा।

किर जिस एक महान सामाजिक कर्तव्य के लिये किसी भी विद्यमान जनसत्ताक राज्य में कुछ भी प्रबन्ध नहीं है परन्तु जिस कर्तव्य का किसी भी राज्यतंत्र में स्थायी रूप से पालन न होने पर उसकी अवगति और लय हुए बिना नहीं रहता उस कर्तव्य का योग्य साधन सभा के इस विभाग में मिल जायगा। इसको हम विरुद्धता का कर्तव्य कहेंगे। प्रत्येक राज्यतंत्र में कोई एक सत्ता दूसरी सत्ताओं से प्रबल होती है; और जो सत्ता सबसे प्रबल होती है उसका निष्कण्टक सत्ता

* एथेंस का (ईस्वी सन् से पूर्व ३८०-१२) और शायद सारी दुनिया में, प्रथमवक्ता। मेसिडोनिया के राजा फिलिप के विरुद्ध इसके किये हुए भाषण आज भी बेजोड़ हैं।

बनने का और हमेशा रख रहता है । कुछ कुछ जान बूझकर
 और कुछ कुछ बेजाने वह हमेशा दूसरी सब वस्तुओं को अपने
 दंग में करने का चेष्टा करता है; और अचानक उसके सामने
 निरंतर सिर उठाने वाला, उसकी वृत्ति के अनुकूल न रहने
 वाला कोई भी सत्ता विद्यमान रहता है तब तक वह सन्तुष्ट
 नहीं होता । तो भी अब वह सब प्रतिद्वन्दी सत्ताओं को दवाने
 में और प्रत्येक वस्तु को अपनी वृत्ति के अनुसार बना देने में
 सफलता पा जाती है तब उस दंग में सुधार का अन्न और नाग
 का आरम्भ होता है । मानुषों सुधार अनेक अंगों का फल
 है; और मनुष्य जाति में कमी न न्यायिन कोई भी सत्ता
 उन सबको शामिल नहीं करता, सब में हितकारी सत्ता में भी
 हित के निये यथोचित सिकं घोंडा सा एक ही गुण होता है
 और बाकी गुण दूसरे मार्ग से निये बिना उन्नति जारी नहीं
 रहती । अपने प्रथम सत्ता और दूसरी प्रतिद्वन्दी सत्ता में,
 धर्माधिकारों और राज्याधिकारों में, लड़ाकू या अनोदार
 दल और मजदूर दल में, राजा और प्रजा में, धर्मनिष्ठ और
 धार्मिक सुधारक में चपती हुई चढ़ा ऊपरों जहाँ एक बार
 बंद हुई कि फिर कोई भी जनता मुझ तक उन्नति नहीं कर
 सकती । जहाँ एक पक्ष को इस प्रकार सन्पूर्ण विजय हुई कि
 चपती हुई चढ़ा ऊपरों का अन्न हुआ और अगर उसके स्थान
 में दूसरी तरह की चढ़ा ऊपरों शुरू नहीं हुई तो उसके साथ
 प्रथम प्रयाश् बंद हो जायगा और पोंछे नाग का आरम्भ होगा ।
 दूसरे कई प्रकार के प्रभावों में बहुमत का प्रभाव कुछ कम
 अन्यायी और औसतन कम हानिकारक है तथापि उममें भी
 इसी तरह का जोखिम भरा है और इसका डर भी अधिक है;
 क्योंकि अब राज्यत्र एक (राजा) या कुछ लोगों (गिडबर्ग)

के हाथ में होता है तब अनेक (जनता) की प्रतिध्वन्दी सत्ता हमेशा बनी रहती है और यद्यपि वह ऐसी प्रबल नहीं होती कि अपने प्रतिध्वन्दी को कभी अंकुश में रख सके तथापि जो लोग दृढ़ संकल्प करके या स्वार्थ विरोध से राज्य कारिणी सत्ता की किसी रुचि से विरुद्ध होते हैं उन सबको उस अनेक (जनता) के अभिप्राय और विचार की सात्त्विक तथा सामाजिक सहानुभूति भी मिलती है । परन्तु जब जनसत्ता ही सर्वोपरि होती है तब कोई एक या कुछ इतना प्रबल नहीं होता कि वह विरुद्ध अभिप्रायों को, और जोखिम में पड़े हुए या धमकी पाये हुए स्वार्थ को सहारा दे सके । जनसत्ताक राज्य में आज तक जो बड़ी कठिनाई दीख पड़ी है वह यह है कि जो समाज दूसरों से आगे बढ़ा होता है उसमें जो वस्तु अथ तत्त्व प्रसंगवश प्राप्त हुई है वह अर्थात् राज्य कारिणी सत्ता के दुर्य का सामना करने से पृथक पृथक मनुष्यों को रोकने के लिये शक्तिमान बनाने वाली सामाजिक सहानुभूति या आधार बिन्दु (जिस अभिप्राय और लाभ की ओर सत्ताधारी लोकमत कड़ी दृष्टि से देखता है उसके लिये रक्षा या आश्रय का स्थल) जनसत्ताक सामाजिक व्यवस्था में किस तरह प्राप्त की जाय । ऐसे आधार बिन्दु के अभाव के कारण सामाजिक और मानसिक हित की शक्तों के केवल एक विभाग का निष्कण्टक प्राबल्य होने से प्राचीन समाज और कुछ के सिवा सब अर्वाचीन समाज या तो लय को प्राप्त हो गये हैं या स्तब्ध हो रहे हैं । (और इसका अर्थ यह है कि उनमें धीरे धीरे अवनति शुरू हुई है ।)

अब इस बड़ी आवश्यकता को सामाजिक स्थिति में यथा साध्य मनुष्यगत प्रतिनिधि शासन पूरा करने को समर्थ है । लोकप्रिय बहुमत की सहज वृत्ति में घटते हुए पूरक अरू अथवा उसको शुद्ध करने वाले तत्व के लिये हमें जिस की ओर दृष्टि

करना है वह केवल शिक्षित छोटे वर्ग ही है, परन्तु जनसत्ताक तंत्र के गठन की साधारण पद्धति में इस छोटे वर्ग के लिये कोई द्वार खुला नहीं है। मि० हेपर की योजना उसे खोलती है। छोटे वर्गों का समूह जिन प्रतिनिधियों का पार्लिमेण्ट में भेजेगा वे इस कमी को उसकी सबसे बड़ी सम्पूर्णता में पूरी करेंगे। शिक्षितों का अलग श्रेणी विभाग अगर सम्भव हो तो भी वह द्वेष का कारण होगा और विलकुल सत्ता रहित होने पर ही अपमान से बच सकेगा। परन्तु अगर इन वर्गों के शिष्ट पुरुष पार्लिमेण्ट के दूसरे किसी सभासद के सेहक से (उसी के से नागरिकों की संस्था के, उसी के से सामाजिक मत के संख्यांश के प्रतिनिधि हो कर) पार्लिमेण्ट में प्रवेश करें तो उनकी उपस्थिति किसी को बुरी नहीं मालूम दे सकती। और फिर वे सब आवश्यक विषयों पर अपना अभिप्राय और सलाह देने के लिये तथा राजकाज में स्वयं भाग लेने के लिये सब से अनुकूल स्थिति में आ जायगे। उनके बुद्धियल से (संख्या के हिसाब से जितना अंश उनको मिलता उसकी अपेक्षा) प्रत्यक्ष राज्य प्रबन्ध का अधिक भाग उनके हाथ में आ सकता है; क्योंकि पर्थोनियर्स ने अपना आवश्यक राज्य कार्य क्लियोन या हेपर बोलस* को नहीं साँपा था (पैलोस † और पफीपोली ‡ में, क्लियोन की नियुक्ति केवल अपवाद रूप थी) परन्तु निसियस § और थेरामिनिस † और एल्कीयाय-

* एथेन्स के जनसत्ताक राज्य के दो जायक † ग्रोस के पूर्वी टापू ‡ ग्रीस के उत्तर के शहर । § एथेन्स का एक बहादुर और चतुर सेनापति (मृत्यु ईस्वी सन् ४११ वर्ष पूर्व) † (मृत्यु ४०३) एथेन्स में स्पार्टा के बनाये हुए तीस अत्याचारियों के मण्डल में से एक यह लोकहित की ओर ध्यान देने से मारा गया था ।

डीस * को राष्ट्र और परराष्ट्र दोनों विभागों में नियुक्त किया था। और फिर भी ये तीनों पुरुष जनसत्ताक राज्य की अपेक्षा शिष्ट सत्ताक राज्य की ओर अधिक रुचि रखने वाले मालूम हुए थे। प्रत्यक्ष मत देने के विषय में तो शिक्षित छोटे वर्ग की गणना उसकी संख्या के हिसाब से ही होगी, परन्तु ज्ञान से और उसके द्वारा याकी प्रतिनिधियों पर प्राप्त की हुई सत्ता से उस वर्ग का प्रभाव एक सात्विक सत्ता के रूप में बहुत बढ़ जायगा। लोकप्रिय मत को विवेक और न्याय की सीमा में रखने के लिये और जनसत्ताक राज्य के दुर्बल पक्ष पर चढ़ाई करनेवाली विविध विनाशक सत्ताओं से उसकी रक्षा करने के लिये इससे बढ़ कर सुगठित योजना करना मानुषी बुद्धि के लिए शायद ही सम्भव होगा। इस रीति से जनसत्ताक तंत्र की जनता को जो वस्तु और किसी तरह हाथ लगना प्रायः असम्भव है वह प्राप्त होगी अर्थात् अपने से अधिक ऊंचे दर्जे की बुद्धि और प्रकृति के नेता मिल जायेंगे, अर्थात् जनसत्ताक राज्य को अपने प्रसङ्ग वश पेरिक्लिस और ब्रह्मपुत्र तथा अगुआ पुरुषों का स्वाभाविक दल मिल जायगा।

प्रश्न के स्वीकारपक्ष की ओर जब इन सब के सारभूत कारणों का डेर लगा है तब निषेध पक्ष में क्या है? मनुष्य को अगर एक बार किसी नये विषय में कुछ वास्तविक परीक्षा करने की ओर भुका सके तो फिर ऐसा कोई नहीं है जो परीक्षा में टिक सके। जो लोग समान न्याय के वहाने अमीर की जगह गरीब की धर्म-सत्ता जारी करने का विचार रखने वाले होंगे वे बेशक इन दोनों वर्गों को समान पंक्ति में रखने वाली योजना को नापसन्द करेंगे। परन्तु मैं नहीं समझता

* एक बहादुर सरदार और लोक्रेटिस का शिष्य ।

कि इस समय इस देश की मजदूर धेणी में पेसी कोई अभिलाषा विद्यमान है। फिर भी मैं नहीं कह सकता, कि योंछे इस अभिलाषा को उकसाने में प्रसङ्गवश जननायकों के दल का कितना असर हो सकता है। युनाइटेड स्टेट्स (संयुक्त राज्य) में जहां बहुमत के हाथ में बहुत समय से निर्गुण सामाजिक सत्ता है, वहां शायद लोग उसे छोड़ने में निष्कण्टक राजा या शिष्ट वर्ग के समान ही नाराज होंगे। परन्तु अंगरेज जन समाज तो मैं समझता हूं कि, अभी तक वर्ग लाभ का कानून बनाने की सत्ता की अपनी धारी का दावा किये बिना सिर्फ वैसे कानून से अपनी रक्षा करके सन्तोष मानने वाला है।

मि० हेयर की योजना का तुल्यमन्वुला विरोध करने वालों में से कितने यह कहते हैं कि हम उसका असाध्य समझते हैं; परन्तु वे मनुष्य साधारणतः ऐसे जान पड़ेंगे जिन्होंने या तो इस योजना के विषय में कुछ सुना भर होगा या इस विषय में बहुत थोड़ी और ऊपरी जांच की होगी। दूसरे जिसको वे प्रतिनिधि तत्त्व का स्थानिक तत्त्व कहते हैं उसकी हानि स्वीकार करने को असमर्थ हैं। उनकी दृष्टि में राष्ट्र मनुष्यों का घना नहीं, परंच कृत्रिम अंकों का घना दिग्दर्श देता है, भूगोल विद्या और जनस्थिति शास्त्र की सृष्टि दिग्दर्श देता है। पार्लियामेंट मनुष्यों की नहीं परंच शहरों और जिलों की, प्रतिनिधि होनी चाहिये। परन्तु जब शहरों और जिलों में रहनेवाले मनुष्यों को प्रतिनिधि मिलते हैं तब यह समझा जाता है कि वे शहरों और जिलों को मिले हैं। स्थानिक घृत्ति धारण करने वाले मनुष्यों के बिना स्थानिक घृत्ति नहीं हो सकती और स्थानिक लाभ लेने वाले मनुष्यों के बिना स्थानिक लाभ भी नहीं हो सकता। जिन मनुष्यों को

यह वृत्ति और यह लाभ होता है उनको अगर उचित परिमाण में प्रतिनिधि मिले तो इस वृत्ति और इस लाभ को उन मनुष्यों की दूसरी सब वृत्तियों और लाभों की तरह प्रतिनिधि मिलता है। परन्तु जो वृत्ति और लाभ मनुष्य जातिके स्थानिक प्रबन्ध में लगा रहता है वही केवल प्रतिनिधित्व करने योग्य क्यों समझा जाय ? और जो लोग अपनी दूसरी वृत्तियों और लाभों को स्थानिक वृत्ति और लाभ से अधिक मूल्यवान समझते हैं उनको उनकी राजनीतिक श्रेणी के निष्कण्टक मूल आधार के विषय में इसी वृत्ति और लाभ की सीमा में क्यों बांधना चाहिये, यह मैं नहीं समझता। यार्क-शायर और मिडिलसेक्स जिलों को उनके निवासियों से अलहिदाहक है अथवा लिवरपुल और एकसीटर की वस्ती के विरोध में शहर ही अपना कानून बनाने की सम्हाल रखने के विशेष योग्य पात्र हैं यह शाब्दिक भ्रम का विलक्षण नमूना है।

जो हो उच्च उठानेवाले इस बात को थोड़े में समाप्त कर देने के लिये साधारण तौर पर यह जताते हैं कि इंग्लेण्ड ऐसी पद्धति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। 'वह इस विषय को अवश्य अस्वीकार करेगा' यह कहने से पहले जो लोग इसकी सच्चाई या झुठाई के विषय में विचार करना व्यर्थ समझ कर इंग्लेण्ड के लोगों की समझशक्ति और विचार शक्ति का इतने थोड़े में फैसला कर देते हैं उनके बारे में वहाँ घाले क्या सोच सकते हैं, यह कहने का काम मैं अपने सिर पर नहीं लूँगा। मेरा विचार पूछो तो इंग्लेण्ड के लोग ऐसे अडिगग दुराग्रही हैं कि जो वस्तु उनके या दूसरों के लिये हितकारी साबित की जा सकती है उस में भी वे बाधा डालेंगे ऐसी तुहमत उन पर लगाना मुझे उचित नहीं जंचता। मुझे यह भी जान पड़ता है कि जब वह भी लोग दुराग्रह से अपना

हट नहीं छोड़ते तब जो लोग वह बहम दूर करने के प्रयत्न में कभी शामिल न होने के लिये बहाना दूँ देने के मतलब से उसको अटल बताने हैं उनके बराबर दोष दूसरे किसी का नहीं है । वहम चाहे जैसा हो परन्तु जो लोग स्वयं उसको नहीं मानते वे ही अगर उसके बगु रहें, उसको बन्धानों और प्राकृतिक नियम समझ कर स्वीकार करें तो वह अटल ही रहेगा । इतने पर भी इस विषय में मेरा यह विश्वास है कि अब तक यह योजना जिनके मुनने में आयी है उनके मन में, जिस नये प्रश्न की ऐसी उचित रीति से चर्चा न हुई हो कि दोनों पक्ष की दलीलों साधारणतः स्पष्टता से समझ में आवें उसके विषय में जो स्वाभाविक और हितकारी अविश्वास होना चाहिये उस के सिया कुछ विशेष विरुद्धता नहीं है । जो एक मात्र गहरी बाधा है वह अपरिचय की है—जानकारी का न होना है । यह बाधा बेशक भयंकर है; क्योंकि मनुष्यकल्पना बाहरी नाम और स्वरूप के थोड़े से फेर बदल में भी जितना उलझ करती है उसकी अपेक्षा भीतरी वस्तु में किये हुए बड़े फेर बदल में भी बहुत कम उलझ करती है । परन्तु अपरिचय की बाधा ऐसी है कि जब किसी विचार में कुछ असजी गुण होता है तब उसकी बेजानकारी को दूर करने के लिये समय ही चाहिये । और आज के जमाने में विचार की स्वतंत्रता होने से और सुधार के विषय में साधारणतः भाव जागृत हुआ रहने से, पहले जिस काम में सदियाँ बीत जाती थीं उसके लिये अब अक्सर वर्षों की ही दरकार होती है ।

इस निबंध की पहली आवृत्तिके बाद मि० हेयर की योजना पर कितनी ही विरुद्ध टीकाएँ हुई हैं । इस से इतना तो विदित होता है कि उसकी विशेष सावधानी से परीक्षा हुई है और उसके उद्देश्यों पर पहले की अपेक्षा अधिक विवेक

पूर्वक ध्यान दिया गया है। बड़े सुधारों के विषय में विवेचन का यह स्वाभाविक क्रम है। उसके विरुद्ध पहले अंध दुराग्रह उठता है और वह ऐसी दलीलों पेश करता है जिनको अंध दुराग्रह ही कुछ धजनदार समझ सकता है। ज्यों ज्यों दुराग्रह घटता जाता है त्यों त्यों वह जिन दलीलों को कुछ समय तक काम में लाता है वे धजनदार होती जाती हैं; क्योंकि योजना खूब अच्छी तरह समझ में आ जाने से उसके गुणों के साथ उसकी अनिवार्य अड़चलें और उसमें समाया हुआ सारा लाभ तत्काल प्राप्त करने में रुकावट डालनेवाले प्रसङ्ग भी समझ में आते हैं। परन्तु विवेक के कुछ भी आभासवाले जो जो विघ्न मेरी जानकारी में आये हैं उन सब में एक भी ऐसा नहीं है जो पहले से न दिखाई पड़ा हो और इस योजना के प्रचारकों ने विवेचना कर के उसको या तो भूटा या आसानी से दूर हो सकने योग्य न ठहराया हो।

इन में सब से स्पष्ट और भारी विघ्न जो केन्द्रस्थल के प्रबन्ध में दगावाजी या दगावाजी के सन्देह के विरुद्ध उपाय होने की कल्पित अशक्यता का है उसका उत्तर संक्षेप में दिया जा सकेगा। योजना में प्रकाशित कर देने की और चुनाव होने के बाद मतपत्र जांचने की पूरी स्वतंत्रता की गारंटी की व्यवस्था रखी है; परन्तु यह सोचा जाता है कि यह गारंटी व्यर्थ जायगी; क्योंकि पत्रों की जांच पड़ताल करने के लिये मतधारी को झूकों का किया हुआ सारा काम फिर से करना पड़ेगा। अगर मतपत्रों की सच्चाई प्रत्येक मत दाता को स्वयं जानने की कुछ भी जरूरत हो तो चाहा बहुत धजनदार होजाय। मतपत्रों की सच्चाई जांचने के विषय में मतदाता की तरफ से केवल इतनी आशा रखी जा सकती है कि उसके मत का जो उपयोग हुआ है उसे वह जांचे और इस

कारण से हर एक पत्र जहां से आया हो वहां पीछे लौटवाये। परन्तु जिसको वह स्वयं नहीं कर सकता उसको उसके लिये हारे हुए उमेदवार और उनके एजेंट (अद्वितीया) करेंगे। हारे हुएओं में जो यह सोचते होंगे कि हमारा चुनाव होना चाहिये था वे पृथक पृथक या कुछ शामिल होकर चुनाव की सारी काररवाई की सचाई जांचने को एजेंट नियुक्त करेंगे। अगर उनको कोई भारी भूल मालूम होजायगी तो वे उस मिसल को सभा की निरूपण समिति के सामने पेश करेंगे और वह समिति राष्ट्रीय चुनाव की काररवाई को, वर्तमान पद्धति के अनुसार निर्वाचन निरूपण समिति के सामने सिर्फ एक मतपत्र के जांचने में जितना समय और धन लगता है उसके दसवें भाग में जांच कर उसकी सचाई जान लेगी।

इस योजना को साध्य मानते हुए भी यह कहा गया है कि दो तरह से इसका लाभ व्यर्थ जाना और उसके म्यान में हानिकारक परिणाम निकलना सम्भव है। पहली बात यह कही गयी है कि मण्डलियों या टोलियों के हाथ में और पंच समूह के हाथ में मेन कानून समिति और गुटिकामत मण्डली या स्वतंत्र मण्डली जैसे ग्राम उद्देश्यों से स्थापित

• १८४३ ईस्वी में एक कानून में सुधार करने के लिये सभा स्थापित हुई थी। अमेरिका के मेन प्रान्त में १८५० ईस्वी में शराब खोरी के विरुद्ध एक कानून बना उसके लिये स्थापित सभा भी। गुटिकामत के लिये पहले किये हुए बहुत से प्रयत्न निष्फल जाने के बाद १८७२ के कानून से पार्लियामेंट तथा नगर सभा के चुनाव में यह मत दाखिल हुआ है। धर्म को राज्य सत्ता से छुड़ाने के लिये १८४४ में सभा बनी है।

सभाओं के हाथ में और धर्म स्वार्थ से या धार्मिक मत के पक्ष से बनी हुई समितियों के हाथ में अनुचित अधिकार आ जायगा । दूसरी बाधा यह बतायी गयी है कि यह पद्धति ऐसी है कि पक्ष का उद्देश्य साधने के अनुकूल हो जायगी । प्रत्येक राजनीतिक दल की मध्य सभा अपने ६५८ उमेदवारों * की सूची सारे देश में भेजेगी कि जिससे प्रत्येक मत समिति में उसके जितने समर्थन कारी हों वे सब उन उमेदवारों के लिये मत दें । किसी स्वतंत्र उमेदवार को जितना मत कभी मिल सकता है उसकी अपेक्षा इस मत की संख्या बहुत बढ़ जायगी । यह बहस उठायी गयी है कि अमेरिका की तरह पुर्जा पद्धति (ट्रिफ्ट-सिस्टम) † सिर्फ बड़े सुव्यवस्थित दलों के लिये ही लाभदायक ठहरेगी । क्योंकि उनके पुर्जों को लोग आँख मूँद कर स्वीकार कर लेंगे और एक स्वर से मत दे देंगे और ऊपर बताये हुए पंथ समूह या किसी साधारण विचार के लिये जमे हुए मनुष्यों की टोलियों के सिवा दूसरे किसी का उनसे शायद ही कभी अधिक मत होगा

इसका उत्तर निर्णायक जान पड़ता है । कोई नहीं चाहता कि मि० हेयर की सलाह में या दूसरी किसी योजना में संगठन का हाथ ऊपर न रहे । सुगठित संस्थाओं के मुकाबले बिखरे हुए मत सदा निर्यल रहते हैं । मि० हेयर की योजना कुछ स्वाभाविक क्रम नहीं फेर सकती और इससे जो छोटे या बड़े पक्ष या विभाग सुगठित होंगे वे अपनी सत्ता बढ़ करने के लिये उससे यथा शक्ति पूरा लाभ उठावेंगे ही । परन्तु विध-

* आम सभा के सभासदों की संख्या ६७० कर दी गई है ।

† अमुक अमुक उमेदवार अमुक पक्ष के हैं और चुने जाने योग्य हैं इत्यादि विचारिश की बातें प्रगट करने वाला पुर्जा ।

मान पद्धति में यह सत्ता निष्कण्टक है । बिखरे हुए तन्व विलकुल शून्य समान हैं । जो मतदाता बड़े राजनीतिक विभाग से या किसी छोटे धार्मिक विभाग से सम्बन्ध नहीं रखते उनके लिये अपने मत को काम में लाने का कोई उपाय नहीं है । उनको मि० हेयर की योजना उपाय बताती है । यह उन की मरजी पर है कि उससे काम लेने में अधिक चतुराई दिखायें या कम; वे अपने हिस्से का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त करें या कम । परन्तु वे जो कुछ प्राप्त करेंगे वह खासा लाभ होगा । और जब यह सोचा जाता है कि प्रत्येक निर्जीव लाभ या निर्जीव उद्देश्य के लिये बना हुई टोली अपना संगठन करेगी तब हम यह क्यों सोचें कि राष्ट्रीय शुद्धि और योग्यता का महान लाभ ही केवल बिना संगठन के रहेगा ? जब मध्य निषेध टिकट और चीथड़ा शाला टिकट और इस तरह के दूसरे टिकट निकलेंगे तब क्या किसी मत समिति में से एकाध स्वदेश प्रेमी, पुरुष व्यक्तिगत योग्यता का टिकट निकाल कर सारे जिले में प्रचार करे तो उचित नहीं होगा ? और क्या ऐसे थोड़े से पुरुष सन्दन में जमा होकर साङ्केतिक मत भेदों पर दृष्टि न देकर उमेदवारों की सूची में से सब से नामी पुरुषों के नाम चुन कर थोड़े खर्च में सब मत समितियों में प्रसिद्ध नहीं करेंगे ? इतना याद रखना चाहिये कि चुनाव की वर्तमान पद्धति में दो बड़े पक्षों की सत्ता निष्कण्टक है । मि० हेयर की पद्धति में यह सत्ता बड़ी रहेगी परन्तु सीमाबद्ध हो जायगी । वे पक्ष या दूसरी कोई नयी टोली अपने अपने पक्षपातियों की संख्या के हिसाब से अधिक सभासद चुनने को समर्थ नहीं होगी । टिकट की चाल अमेरिका में इससे भिन्न दशाओं में चलती है । अमेरिका में मतधारी पक्ष-टिकट की तरफ मत देते हैं । इसका कारण यह

है कि चुनाव सिर्फ बहुमत से होता है और जिसके पक्ष में बहुमत न मिलने का विश्वास हो जाता है उसके पक्ष में दिये हुए मत व्यर्थ जाते हैं। परन्तु मि० हेयर की पद्धति के अनुसार योग्यता वाले प्रसिद्ध पुरुष को दिये हुए मत के लिये अपना उद्देश्य पूरा करने में प्रायः पक्ष उमेदवारको दिये हुए मत के बराबर ही सम्भावना है। इससे यह आशा की जा सकती है कि जो सुधारक (लिवरल) या संरक्षक (कंसर्वेटिव) केवल सुधारक या संरक्षक होने के सिवा कुछ विशेष गुण रखते होंगे—जिनमें अपने पक्ष की इच्छा के सिवा कुछ पास अपनी इच्छा होगी—वे सब बहुत अनजान और पक्ष उमेदवार के नाम पर दूरताल फेरेंगे और उनके स्थान पर राष्ट्र के प्रतिष्ठास्वरूप मनुष्यों में से कुछ के नाम सूचित करेंगे और ऐसा होने की सम्भावना का प्रभाव यह होगा कि जो लोग पक्ष सूची तैयार करेंगे वे पक्ष की प्रतिज्ञा लिये हुए पुरुषों से ही सम्बन्ध न रख कर उनके साथ अपने अपने टिकट में उनको भी दाखिल करने को ललचायेंगे जो शिष्ट पुरुष राष्ट्र में विरुद्ध पक्ष की अपेक्षा उनके पक्षकी और अधिक सहा-नुभूति रखते होंगे।

असली कठिनाई यह है और यह छिपाना उचित नहीं है कि यह कठिनाई है कि, जो स्वतंत्र मतधारी बिना सिफारिश वाले योग्य पुरुषों के लिये मत देना चाहते हैं वे इस प्रकार के कुछ पुरुषों के नाम दाखिल करने के बाद शेष सूची में सिर्फ पक्ष उमेदवारों के नाम भरने को ललचायेंगे। और इस प्रकार वे जिनको अपने प्रतिनिधि बनाने की विशेष इच्छा रखते होंगे उनके विरोधियों की संख्या में वृद्धि करने में सहाय होंगे। इसका उपाय करने की जरूरत हो तो एक सहज उपाय है और वह यह कि दूसरे दर्जे या प्रासङ्गिक

मतों की सीमा बांधें । किसी मतधारी के लिये ६५८ उमेदवारों को या १०० को भी अपने शान के भरोसे स्वतंत्र रूपसे पसन्द करना सम्भव नहीं है । जिसका चुनाव करने में उसकी पसन्द से काम लिये जाने की-सिर्फ एक पक्ष सैन्य के साधारण सैनिक के तौर पर नहीं वरंच एक स्वतंत्र मनुष्य के तौर पर मत देने की-कुछ सम्भावना हो तो ऐसे बीस, पचास या चाहे जितनी संख्या की सीमा बांधने में कम ही उज्र मालूम होगा । परन्तु बिना इस प्रकार के किसी अंकुश के भी, जब यह पद्धति एक बार अच्छी तरह समझ में आजायगी तो इस दोष के आप ही आप दूर होने की सम्भावना होगी । जिन टोलियों और मण्डलियों की इतनी बड़ी अवगणना की जाती है उन सब का इस कठिनाई से सामना करना सर्वोपरि उद्देश्य हो जायगा । इनमें से प्रत्येक का पक्ष छोटा होने से उनकी ओर से यह शब्द बाहर निकलेगा कि 'अपने पास उमेदवारों के लिये ही मत देना अथवा कम से कम उनके नाम सब से ऊपर रखना कि जिससे उनको तुम्हारे प्रथम मत द्वारा अथवा कतार में नीचे उतरे बिना अपनी संख्या पूरी करने का तुम्हारे संख्या थल के हिसाब में मिलने योग्य पूरा मौका मिले ।' और जो मतधारी किसी टोली से सम्बन्ध रखते होंगे वे भी इस उपदेश से लाभ उठावेंगे ।

छोटे दल सिर्फ वही सच्चा पावेंगे जो उनके लिये उचित होंगे । वे उतनी ही सच्चा, चला सकेंगे जितने के लिये अपने मतधारियों की संख्या से हकदार होंगे, उससे तनिक भी अधिक नहीं । और वह भी विश्वास पूर्वक पाने के लिये उन्हें अपने पास उद्देश्य के प्रतिनिधि के तौर पर ऐसे उमेदवारों से सामने रखने की वृत्ति रहेगी कि जिससे वे अपने दूसरे गुणों द्वारा टोली या पंथ के बाहर के मत धारियों के मत पाने के

भी शक्तिमान होंगे। वर्तमान पद्धतियों के समर्थन की दलीलों का लोक चक्र अपने ऊपर होने वाले कटाक्ष से रख के अनु-सार किस तरह फिरता रहता है यह देख कर आश्चर्य होता है। कुछ वर्ष पहले उस समय की वर्तमान प्रतिनिधि पद्धति के समर्थन में जो एक मजेदार दलील पेश की गयी थी वह ऐसी थी कि उसमें सभी 'स्वार्थ' अथवा 'वर्ग' को प्रतिनिधि मिलते थे और जो स्वार्थ या वर्ग कुछ भी आवश्यक हो उसको बेशक पार्लियामेंट में प्रतिनिधि मिलना चाहिये अर्थात् उसका हिमायती या वकील होना चाहिये। परन्तु उससे अंत को यह बहस उठायी गयी कि जो पद्धति पक्ष स्वार्थ को केवल वकील ही नहीं वरंच निर्णय सत्ता भी देती थी उसको कायम रखना चाहिये। अब चक्रगति देखिये। मि० हेयर की पद्धति में पक्ष स्वार्थ को निर्णय सत्ता मिलना असम्भव होता है परन्तु उसको वकील मिलने का भरोसा होता है और ऐसा करने के लिये भी इसकी निन्दा होती है। इसमें वर्ग प्रतिनिधित्व और संस्था प्रतिनिधि के अच्छे तत्व जुट जाते हैं, इस कारण इसके ऊपर दोनों ओर से एक साथ हमला होता है।

परन्तु इस पद्धति के स्वीकार करने में जो असली कठिनाई है वह इन आपत्तियों की नहीं हैं; वरंच उसकी जटिल व्यवस्था के विषय में अतिशयोक्ति भरे विचार की और इससे वह काम में आ सकेगी कि नहीं इस विषय के सन्देह की हैं। इस आपत्ति का पूरा उत्तर तो असली परीक्षा से ही मिलेगा। इस योजना के गुण जब सर्वसाधारण को अधिकता से मालूम हो जायँ और पक्षपात रहित शानियों में इसके लिये अधिक सम्मति मिले तब किसी बड़े शहर के नगर निर्वाचन (म्यूनीसिपल चुनाव) जैसी निर्धारित भूमि पर इसकी परीक्षा लेने का प्रयत्न करना चाहिये। जब याक

जिले में वेस्ट राईडिंग को चार सभासद देने के लिये उस का विभाग करने का ठहराव हुआ तब ऐसा करने के बदले उसकी मत समिति को अविभक्त रहने देकर दिये हुए मत की समूची संख्या में से पहली चार के या दूसरी चार के मत से एक चौथाई मत पाने वाले उमेदवार को चुना हुआ समझने के इस नये नियम की परीक्षा करने का जो एक प्रसङ्ग आया था वह टल गया । ऐसी आजमाइश इस योजना की योग्यता की बहुत अधूरी कसौटी गिनी जायगी; तोभी इससे उसकी क्रिया पद्धति का एक दृष्टान्त मिल जायगा । इससे लोग विश्वास कर सकेंगे कि यह असाध्य नहीं है । इसके उपादान से वे परिचित होंगे और जो कठिनाइयां ऐसी भयंकर समझी जाती हैं वे सचमुच ऐसी हैं या केवल कल्पित हैं इस का निर्णय करने का उन्हें कुछ मसाला मिलेगा । जिस दिन पार्लामेण्ट इस आंशिक परीक्षा की मंजूरी देगी उस दिन से मैं समझता हूँ कि पार्लामेण्ट के सुधार में एक नये युग का आरम्भ होगा जो अभी तक दुनिया में सिर्फ योद्धक अवस्था में दीख पड़े हुए प्रतिनिधि राज्य को उस अवस्था से बाहर निकाल कर उसके प्रौढ़ और विजयी समय के योग्य स्वरूप विकसित करने को बना है #

● इस निबंध का पिछली और इस भावृत्ति के बीच के समय में यह मालूम हुआ कि यहां बताया हुए परीक्षा किमी शहर या प्रान्त से बड़े विस्तार में काम में लायी जा चुकी है और कई वर्ष से उसकी आजमाइश हो रही है । डेनिश राज्यतंत्र में (तल डेनमार्क में ही नहीं वरंच सारे डेनिश राज्य के दिये गढ़ी हुए पद्धति में) छोटे वगों को समान प्रतिनिधि देने के लिये किया हुआ प्रबन्ध तो लगभग मि०

आठवां अध्याय ।

मतहक के विस्तार के विषय में ।

अथ जैसा कि हम लिख चुके हैं केवल बहुमत वाला नहीं

हयर का भी पद्धत पर रखा है कि जिस से मनुष्य मन की जन समाज की साधारण स्थिति में सं संरजतो हुई काठनाइयों का समाधान करने वाले विचार भिन्न भिन्न उत्कृष्ट मनवालों को परस्पर सतर्ग हुए विना भी किस तरह एक हो समय सूझ जाते हैं इसके अनेक दृष्टान्तों में इस से एक नया वृद्ध होती है । मि० राबर्ट लिटन ने (जा पीछे से १८७६-८० म हिन्दुस्थान के बड़ लाट हुए थे) अपने प्रभावशाली पत्र में डेनमार्क चुनाव के कानून का यह लक्षण पूर्णता और स्पष्टता से ब्रिटिश प्रजा के सामने रखा है; वह पत्र आम समा के हुक्य से सन् १८६४ ईस्वी में छपे हुए एल्ची विभाग के मंत्रियों के निवेदन पत्रों में से एक है । मि० हयर की योजना, जा आज कल मि० एट्टी का भी कहलाती है, इस प्रकार केवल तर्क की स्थिति से निकल कर एक अनुभवसिद्ध राजनीतिक प्रयोग की स्थिति में आ गयी है ।

यद्यपि डेनमार्क ही एक ऐसा देश है जहा व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व एक नियम के रूप में प्रतिष्ठित होगया है तो भी इस मत का प्रसार विचारशील पुरुषों में बहुत तेजी से हुआ है । इस समय जिन जिन देशों में सार्वत्रिक मत का एक आवश्यक ागना जाता है प्रायः उन सब में यह योजना तेजी से अपना मार्ग बनाती जाती है । इस योजना को जन सत्ताक राज्य के मित्रों के मन में मूल तत्व के एक वास्तविक परिणाम स्वरूप और जो जन सत्ताक राज्य को पसन्द नहीं करते, परन्तु स्वीकार करते हैं उनके मन में उसकी अड़चलों के एक आवश्यक उपाय स्वरूप स्वीजरलैण्ड के राजनीतिक तत्व ज्ञानियों ने

वरञ्च सच के प्रतिनिधि वाला जन सत्ताक राज्य-जिसमें घुडि

पहले पहल मावित किया । फ्रांस के तत्व शानियों ने उनका अनुसरण किया । फ्रान्स में दूसरे किसी के विषय में न कहें तो सच से मान्य और प्रामाणिक राजनीतिक लेखकों में से दो जनों ने इस योजना को आम तौर पर स्वीकार किया है । इन में से एक नरम सुधारक दल का है और दूसरा जनसत्ताक राज्य के नरम दल का है । इसके जर्मन समर्थन कारियों में से एक जर्मनी का सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक दार्शनिक गिना जाता है और वह वेडन के ग्रांड ड्यूक के उदार मंत्री दल का एक नामी समासद है । अमेरिकन जन सत्ताक राज्य में विचार की जो जागृति चल रही है और जो मनुष्य-स्वतंत्रता के लिये चलते हुए युद्ध का एक फल है उस में दूसरे विषय के साथ इसकी भी भाग मिलता है । आस्ट्रेलिया के हमारे दो टापुओं में पि० हंपर की योजना उनकी कानून सभाओं में विचार के लिये पेश की गयी है और यद्यपि वह अभी तक मंजूर नहीं हुई है तथापि उस के पक्ष में एक प्रबल दल बन चुका है । इधर साधारण राजनीतिक संरक्षक और बिलकुल मूल तत्व का अनुसरण करनेवाले पूरे पूरे सुधार के पक्षपाती दोनों मूलपक्षों के वक्ताओं के बड़े भाग ने उसके मूलतत्व का जो जो स्पष्ट और सम्पूर्ण ज्ञान दिखाया है, उस से मात्तम होता है कि यह योजना ऐंसी उलझन दार है कि साधारण तौर पर समझना और काम में लाना अतन्मय हो जायगा—ऐसा जो विचार है वह कैसा निर्मूल है । इस योजना और इसके लाभ के सच के लिये सुगम होने के निमित्त दूसरी किसी बात की जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ उस समय के आने की है जब सब लोग उस पर वास्तविक रूप से ध्यान देना उचित समझें । ग्रन्थकर्ता ।

का लाभ, अभिप्राय और दर्जे की बात संख्या बल में घट कर होने पर भी देखी जाय, और उसको उसकी संख्या के हिसाब से न मिलने योग्य प्रभाव, उसकी प्रतिष्ठा की महत्ता और दलील की सबलता के कारण प्राप्त करने की सम्भावना रहे; जो जन सत्ताक राज्य ही एक मात्र समान और निष्पक्ष है जो सब का सब के ऊपर राज्य और जनसत्ताक राज्य को यथार्थ प्रतिमा है वह जनसत्ताक राज्य—उस राज्य के सब बड़े दोषों से मुक्त रहेगा जो इस समय गलत तौर पर जनसत्ताक राज्य के नाम से परिचित होता है और केवल जिसके ऊपर से जनसत्ताक राज्य का वर्तमान ढांचा बना है। परन्तु इस जनसत्ताक राज्य में भी अगर बहुमत स्वतंत्र सत्ता चलाना चाहे तो वह सत्ता उसके हाथ में रहेगी और यह बहुमत दुराग्रह, पक्षपात और साधारण विचार पद्धति के ऐसा और विशेष नहीं तो सब से ऊंची शिक्षा रहित केवल एक वर्ग का बना हुआ होगा। इससे राज्यतंत्र में पक्षविशेष वाली व्यवस्था के लाक्षणिक दोषों की सम्भावना अब भी रहेगी; इस समय जन सत्ताक राज्य का झूठा नाम धारण करने वाले परन्तु वास्तव में शुद्ध वर्गीय राज्य की व्यवस्था में जो दोष है उसकी अपेक्षा बहुत कम दोष होने पर भी बहुमत की अच्छी समझ, नरमी और सहिष्णुता मिलने के सिवा उस पर दूसरा कोई चांटीला अंकुश नहीं रहेगा। इस प्रकार का अंकुश अगर काफी हो तो अंकुशित (नियंत्रित) राज्य तंत्र का शास्त्र केवल लड़कखेल सा हो जायगा। राज्यतंत्र में सत्ता धारी लोग सत्ता का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे यह नहीं, बरंच कर नहीं सकेंगे यह अगर भरोसा हो सके तो वही सारे विश्वास का आधार है। अगर जनसत्ताक राज्य का यह कमजोर बाजू मजबूत न किया जा सके, अगर उसकी रचना

ऐसी न हो कि कोई वर्ग, यहां तक कि संख्या में सब से बड़ा, वर्ग भी अपने सिवा और सब को राजनीतिक विषय में नहीं के समान बना कर केवल अपने वर्ग स्वार्थ के अनुसार कानून बनाने और इन्तजाम करने का मार्ग पकड़ने को शक्तिमान हो तो वह वास्तव में उत्कृष्ट शासन पद्धति नहीं है । जन सम्मत राज्यतंत्र के लाक्षणिक लाभों का त्याग किये बिना इस अनुचित उपयोग को रोकने का उपाय ढूँढ़ने का प्रश्न है ।

जिसमें नागरिकों के किसी वर्ग को प्रतिनिधि तत्त्व में मत देने से वंचित रहने को लाचार होना पड़े इस प्रकार मतहक की सीमा बांधने की युक्ति से ये दोनों जरूरतें पूरी नहीं होतीं। स्वतंत्र राज्यतंत्र का सब से बड़ा लाभ यह समझा जाता है कि जनता के सबसे निचले वर्गों को स्वदेश के महान लाभों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले काम करने में भाग लेने को आह्वान करने से उन्हें बुद्धि और विचार की शिक्षा मिलती है। इस विषय पर मैं बहुत स्पष्टता से विचार कर चुका हूँ: यहां फिर जो कहता हूँ वह इसी लिये कि जन सम्मत तंत्र के इस असर पर जितना जोर देना चाहिये उतना जोर कम ही मनुष्य देते दिखाई देते हैं। जो कारण ऐसा निर्जीव जान पड़ता है उससे इतनी बड़ी आशा रखना—अर्थात् मजदूरों का किया हुआ राजनीतिक मतहक का उपयोग उनके मानसिक सुधार का एक प्रबल साधन हो जाता है यह स्वीकार करना लोगों को कल्पना मालूम होती है। इतने पर भी अगर जनता की वास्तविक मानसिक शिक्षा केवल स्वप्न रूप रख छोड़ने का विचार न हो तो उसके लिये यही मार्ग है। अगर कोई यह सोचे कि इस मार्ग से नहीं होने का; तो मैं एम० डी टोकिनल के महान ग्रंथ की और खास कर उसको अमेरिका सम्बन्धी राय की गवाही देता हूँ। प्रत्येक अमेरिकन कुछ कुछ देशभक्त

और शिक्षित बुद्धि का मनुष्य है यह देख कर प्रायः सभी पर्यटक चकित हुए हैं और इन गुणों से जन सम्मत राज्य तंत्र का कैसा गहरा सम्बन्ध है यह एम० डी टोकिवल ने दिखाया है । शिक्षित मनके भाव, शौक और विचार का अधिक प्रसार और किसी स्थान में देखने या सम्भवतः समझने में भी नहीं आया है । * फिर भी प्रतिबंधन के विषय में इसी के ऐसे

श्लो "न्यूयार्क प्रदर्शनी में अंगरेज एलची का निवेदन पत्र" में से नीचे का जो वाक्य मैं मि० करी के "सामाजिक शास्त्र में मूलतत्त्व" से उद्धृत करता हू वह मूल बचन के एक भाग की तो विलक्षण साक्षी देता है—

"हमारे यहां योद्धे से बड़े यंत्रशास्त्री (इंजीनियर) और यांत्रिक हैं और चाकी संख्या चतुर कारीगरों की है; परंतु ऐसा जान पड़ता है कि अमेरिका के सभी लोग वैसे ही हो जायेंगे । अभी से उनकी बढ़ी नादिया अगिनबोटों से भरी रहती है, उनकी घाटियां कारखानों से भरी रहती है; उनके शहर जो बेलाजियम, हालेण्ड और इंगलेण्ड के सिवा यूरोप के दूरे राज्यों के शहरों से बड़े चढ़े हैं, वे भाजके जमाने में शहर की बनावट का परिचय देने वाली सारी कुशलता क स्थान हैं; और यूरोप में शायद ही ऐसी कला होगी जो यद्यपि यूरोप में बहुत मुद्दत तक मज कर ठीक हुई होगी तौ भी, अमेरिका में यूरोप के बराबर ही या उससे भी अधिक कुशलता से जारी न हो । भाविष्य में (तत्त्व शानी राजनीतिक पुरुष और लेखक तथा आकाशी और यांत्रिक विनली को एक सिद्ध करने वाले, अमेरिकन स्वतन्त्रता की लड़कई के एक अगुआ.) फ्रांकलिन, (गतिमान याध्य यंत्र का आविष्कार करने वाले और इंगलेण्ड में पहले पहल रेल बनाने

जनसत्ताक, परन्तु दूसरी 'आवश्यक बातों में-अच्छी' तरह सुगठित, राज्यतंत्र में जो आशा रखी जा सकती है उसके सामने यह बात नहीं के बराबर है। क्योंकि यद्यपि अमेरिका का राजनीतिक जीवन वास्तव में एक सच से मूल्यवान पाठ-शाला है तथापि सबसे योग्य शिक्षक उसमें घुसने ही नहीं पाते। इसका कारण यह है कि देश के पहले दर्जे के मन वाले मनुष्य तो मानों नियम पूर्वक अयोग्य ठहराये जाकर राष्ट्रीय प्रतिनिधि समा से और साधारणतः सार्वजनिक कामों से वंचित रखे जाते हैं। अमेरिका में सत्ता का मूल जनता ही है इससे देश के स्वार्थी अभिलाष, जैसे निरंकुश या स्वेच्छाचारी राज्य में राजा की तरफ झुकते हैं वैसे ही, यहां जनता की तरफ झुकते हैं। राजा की तरह जनता का बखान और गुणगान होता है और सत्ता का हानिकारक परिणाम भी उसके सुधार और अच्छे प्रभाव के साथ पूर्णता से जारी रहता है। जब यह दौर लगा रहने पर भी जनसत्ताक राज्यतंत्र अमेरिका के सबसे निचले घाटों में, इंग्लैण्ड और दूसरे देशों के उन घाटों की तुलना से, बुद्धि का उत्तम-विकास ऐसी स्पष्ट रीति से करता है तब इस प्रभाव का दूषित अंश दूर करके सार भाग

वाले) स्टॉफन्स और (याप्य यंत्र का आविष्कार करने वाले) वाट्स को पैदा करने वाले एक समूचे राष्ट्र के विषय में अटकल लगाना दूसरे राष्ट्रों के लिये कुछ आश्चर्यजनक होगा। युरोप के चोक्के में सुशिक्षित और बुद्धिमान पुरुषों की भेद्यता चाहे जैसी हो परन्तु मुकाबल में लोगों के बड़े भाग की मुँस्ती और अज्ञानता के विरुद्ध अमेरिका के समूचे जन समाज का विषय ऐसा है कि उसपर सबसे अधिक ध्यान देना उचित है।

कायम रख सकने पर कैसा फल होगा ? और किसी कदर ऐसा किया जा सकेगा; परन्तु वह जनता के जिस विभाग को दूसरी तरह का सब से थोड़ा ही मानसिक उत्तेजन है उसको राज्यकार्य पर ध्यान देने का मन कराने से विशाल, दूरदर्शी और उलझनदार लाभों में जो अनमोल प्रवेश कराया जा सकता है उसमें से खारिज करने से नहीं । जिन मजदूरों का धंधा भेड़ियाधसान के ऐसा है और जिनके जीवन की वृत्ति उन्हें कभी विविध भाव, प्रसङ्ग या विचार के संसर्ग में नहीं आने देती वे जो सीखते हैं कि दूर वाले कारण और बहुत सी होने वाली घटनाएं उनके निज के स्वार्थ पर भी बहुत प्रत्यक्ष असर डालती हैं सो सिर्फ राजनीतिक चर्चा से; और जिनके नित्य के काम उनके आस पास के एक छोटे मोटे वृत्त में ही उनके स्वार्थों को बटोर रखते हैं वे जो यह समझने लगते हैं कि हम अपने नगर वन्धुओं से सद्भाव रखना और उनसे एक वृत्ति होना सीखते हैं और स्वयं एक महान जनता के सभासद हैं वह सिर्फ राजनीतिक चर्चा और राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था से ही । परन्तु जिनके मत नहीं है और जो इसे पाने का यत्न नहीं करते, उनके ऊपर से राजनीतिक चर्चा अधर को ही उड़ जाती है । मतधारियों के मुकाबले उनकी स्थिति वैसी ही है जैसी अदालत में बारह जूरों के मुकाबले दर्शकों की स्थिति है । जो मत मांगा जाता है वह उनका नहीं है, जिस अभिप्राय का प्रभाव पड़ता है वह उनका नहीं है; जो दरखास्तें पड़ती हैं, दलीलें पेश की जाती हैं वह उनके सामने नहीं घंरंच दूसरों के सामने, वे जो निर्णय करते हैं उसका कुछ घजन नहीं और उन्हें निर्णय करने की जरूरत नहीं है और लालच भी थोड़ा ही है । दूसरी तरह से जनसम्मत, राज्यतंत्र में जिनका कुछ मत नहीं है अथवा उसे पाने

की जिन्हें कुछ आशा नहीं है वे मानो निरन्तर असंतुष्ट रहते हैं या यह समझते हैं कि हमारा जनता के साधारण कार्य से कुछ सम्बन्ध नहीं है, वह कार्य हमारी तरफ से दूसरों को करना है, हम से कानून के पायबंद रहने के सिवा और किसी तरह का वास्ता नहीं है और सार्वजनिक लाभ और कार्य से दर्शक के सिवा और कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी दशा में वे इसके विषय में क्या जानना या परवा रखना चाहेंगे इसका अन्दाज कुछ कुछ इससे लग सकेगा कि मध्यम दर्जे की स्त्री अपने पति या भाइयों के मुकाबले क्या जानती और परवा रखती है।

इन विचारों को एक ओर रखें तो भी जिन कार्यों में एक का दूसरे के इतना ही स्थान है उनके करने में अपना मत गिनाने का साधारण हक किसी को भी न देना, अगर कोई भारी अनर्थ रोकने के लिये न हो तो एक तरह का अन्याय है। अगर उसे धन देना पड़े, कमी लड़ने जाने को लाचार होना पड़े और बिना चूँ किये हुकम मानना पड़े तो क्यों ऐसा होता है यह जानने का, उसकी सम्मति पूछी जाने और उसका अभिप्राय वजन से अधिक नहीं तो उसके अनुसार ही गिनती में लिये जाने का उसे कानून के रू से हक होना चाहिये। एक सम्पूर्ण विले और सुधरे हुए जन समाज में कोई अन्त्यज, कोई मनुष्य बिना ग्रास अपने दोष के नालायक न गिना जाना चाहिये। प्रत्येक जन, जब दूसरे मनुष्य उमसे सलाह लिये बिना उसके भविष्य की व्यवस्था करने की निरंकुश सत्ता अपने हाथ में लेते हैं तब यह समझना हो या नहीं परन्तु हलका गिना जाता है। और मनुष्य मन अभी तक जहाँ पहुँच सका है उससे कहीं बढ़कर सुधरी हुई अवस्था में भी जिन के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था होती है उनको मतधारियों

के इतना ही न्याय मिले यह स्वाभाविक नहीं है । राजाओं को और शासनकारी वर्ग को, जिन्हें मत हक होता है उनके स्वार्थ और अभिलाष पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है । परन्तु जो वंचित रहते हैं उनके विषय में ऐसा करना या न करना उनकी मरजी पर है । और उनकी वृत्ति चाहे जैसी ईमानदार हो परन्तु जिन विषयों पर ध्यान दिये बिना उनका काम नहीं चल सकता उनमें वे साधारणतः इतने उलझे रहते हैं कि जिस विषय में वे देखटके लापरवा रह सकते हैं उस पर विचार करने को उन्हें तनिक अवकाश नहीं मिलता । इससे मत हक की जिस व्यवस्था में कोई वर्ग या मनुष्य परुद्धम निकाल दिया जाता है, जिस में मतधारी का अधिकार चाहने वाले प्रौढ़ अवस्था के पुरुष उसे नहीं पा सकते उस में स्थायी सन्तोष नहीं प्राप्त होने का ।

इतने पर भी प्रत्यक्ष कारणों से कुछ पास प्रतिबंधन आवश्यक हैं क्योंकि ये प्रतिबन्धन मूल तत्त्व के विरुद्ध नहीं हैं और यद्यपि वे स्वयं दूषण हैं तथापि जिस दशा में वे आवश्यक हो जाते हैं उस स्थिति का अभाव होने से ही दूर किये जा सकते हैं । जो मनुष्य पढ़ने लिखने, और विशेष कर में यह कहता हूँ कि, अङ्कगणित की साधारण क्रिया करने में अशक्त हों वे मतहक पावें यह बात मुझे पसन्द नहीं । यही मतहक का आधार न हो तो भी यह मूल गुण पाने का साधन प्रत्येक मनुष्य के सामने होना चाहिये और यह या तो मुफ्त मिले या इतने खर्च से मिले जिसे स्वयं कमा खाने वाले गरीब से गरीब मनुष्य दे सकें । अगर वास्तव में ऐसी स्थिति हो तो लोग न बोल सकने वाले बालकों की तरह न पढ़ सकने वाले मनुष्यों को मतहक देने का कुछ विचार न करें; और इस प्रकार उनको जो वंचित करेगा वह समाज

नहीं होगा वरंच उनकी अपनी सुस्ती होगी । समाज ने जब इतनी शिक्षा देने का अपना कर्त्तव्य न पाला हो तब कुछ कष्ट तो होगा परन्तु यह कष्ट सहन करना ही चाहिये । समाज ने जब दो महान कर्त्तव्य पालन करने में भुट्टि की हो तब दो में से अधिक जरूरी और अधिक आधार भूत कर्त्तव्य पहले पालन करना चाहिये । सार्वजनिक शिक्षा सार्वजनिक मतहक से पहले होना चाहिये । जिन की समझ पर पुराने सिद्धान्त का परदा न पड़ा होगा वे तो कोई ऐसा आप्रह नहीं करेंगे कि जिन्होंने अपनी सम्हाल रखने के लिये अपना लाभ और उसके साथ अपने सब से निकट सम्बन्धी मनुष्यों का लाभ विवेक पूर्वक सम्पादन करने के लिये जरूरत के सब से मामूली और आधार भूत गुण नहीं प्राप्त किये हैं उनके हाथ में दूसरे के ऊपर की, समस्त जनता के ऊपर की सत्ता सीपी जाय । यह दलील येशक आगे बढ़ायी जा सकेगी और अधिक ग्यूस सूरती से साधित की जा सकेगी । पढ़ने लिखने और अद्भुत गणित के सिवा दूसरे विषय भी मतहक के लिये आवश्यक बनाये जा सकते हैं । पृथ्वी की आकृति का और प्राकृतिक तथा राजनीतिक विभाग का ज्ञान, साधारण इतिहास और स्वदेश के इतिहास तथा राज्यतंत्र के मूलतत्त्व का ज्ञान सब मतदाताओं में चाहा जाय तो बहुत उचित समझा जायगा । इस प्रकार का ज्ञान मतहक का विवेक पूर्वक उपयोग करने के लिये चाहे जितना आवश्यक हो परन्तु इस देश में अथवा शायद संयुक्त राज्य के उत्तरी राज्यों के सिवा दूसरे किसी देश में समस्त जनता को सुगम नहीं है और उसके पाने का भरोसा करने का कोई विश्वसनीय उपादान भी विद्यमान नहीं है । इस समय तो ऐसे प्रयत्न से पक्षपात, प्रपंच और हर तरह का कपट ही बढ़ेगा । एक को मतहक दिया जाय और दूसरे को नहीं

इसको सरकारी कर्मचारी की इच्छा पर रखते की अपेक्षा यह अच्छा है कि आम तौर पर दिया जाय या आम तौर पर बंद रखा जाय। फिर भी पढ़ने लिखने और हिसाब किताब के बारे में तो कुछ कठिनाई ही जान पड़ेगी। जो आदमी अपना नाम लिखवाने को हाजिर हो उससे नाम लिखने वाले कर्मचारी के सामने किसी अंगरेजी पुस्तक से एक घाक्य नकल कराना और त्रैराशिक का एक हिसाब लगवाना तथा यह बहुत सार्दा परीक्षा ईमानदारी के साथ होती है इसके विश्वास के लिये निर्धारित नियम और सम्पूर्ण विज्ञप्ति की व्यवस्था करना आसानी से हो सकता है। अतएव सार्वजनिक मतदक की सब दशाओं में यह शर्त होनी चाहिये और कुछ घर्षों में यह होगा कि जो लोग इस हक से इतनी बड़ी लापरवाही दिखाते होंगे कि स्वयं मत देने पर भी साधारणतः कोई वास्तविक राजनीतिक अभिप्राय न देते हों उनके सिवा दूसरा कोई यंचित नहीं रहेगा।

फिर यह भी आवश्यक है कि सार्वजनिक या स्थानिक करों के विषय में मत देने वाली सभा उन्हीं के द्वारा चुनी जाय जो निर्धारित कर का कुछ भाग देते हों। जो लोग कुछ भी कर नहीं देते उनमें अपने मत से दूसरे के रुपये की व्यवस्था करने में खुले खजाने रुपया उड़ाने के बहुत से उद्देश्य होते हैं परन्तु किरायात करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। धन सम्बन्धी विषय में तो उनके हाथ में मत देने की कुछ भी सत्ता रहने से स्वतंत्र राज्यतंत्र का मूल आधार भूत सिद्धान्त भंग होता है और उसकी हितकारिणी व्यवस्था की दृष्टि से अंकुश-सत्ता अलग करने के बराबर है। वे जिसको सार्वजनिक काम कह दें उस काम के लिये चाहे वह कैसा हूँ दो, दूसरे लोगों की जेब में हाथ डालने की आज्ञा देने के बराबर

यह यात है । इस कारण से संयुक्त राज्य के कई बड़े शहरों में स्थानिक करों की दर बेहद बढ़ी हुई है और यह केवल धनवान श्रेणी के माथे पड़ी हुई है । ब्रिटिश राज्यनीति शास्त्र का यह एक नियम है कि प्रतिनिधित्व कर के साथ ही साथ एक समान विस्तार में रहे, उससे पिछड़ न जाय या न आगे ही बढ़े । परन्तु इस नियम का प्रतिनिधित्व से सम्यन्ध रखने वाली शर्त के तौर पर सार्वजनिक मतदाता से सामञ्जस्य रखने के लिये कर का सय से गरीब श्रेणी तक कुछ प्रत्यक्ष आकार में पहुँचना आवश्यक है और दूसरे कई कारणों से अभीष्ट भी है । इस देश में और दूसरे कितने ही देशों में शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जो निद्रा जनक या मादक पदार्थों को न गिने तो भी चाय, कहवा और चीनी गरीब कर परोक्ष कर में वृद्धि न करता हो । परन्तु सार्वजनिक व्यय में भाग लेने की इस पद्धति का प्रभाव लोगों पर मुश्किल से पड़ता होगा । कर देने वाला शिक्षित और विचारशील पुंस्य न हो तो जब उस से सार्वजनिक व्यय नियाहने के लिये सीधे तौर पर कर मांगा जाता है तब यह उसकी हलकी दर में जैसा निकट स्वार्थ समझता है वैसा इस में नहीं समझता; और अगर यह सोचें कि यह समझता है तो यह बेशक इतनी समझाल रखेगा कि अपनी राय देकर सरकार के सिर पर चाहें जैसा उड़ाऊ खर्च रखने में मदद कर दे परन्तु जिन चीजों को वह स्वयं काम में लाता हो उनके ऊपर के करकी दर बढ़ा कर खर्च न किया जाय । अधिक अच्छा मार्ग यह है कि हर एक पोखता उमर के आदमी पर जजिया के ऐसा मामूली दरजे का कर लगाया जाय; या जो आदमी अपने ऊपर लगाये हुए इस कर की दर में इस किस्म की कुछ असाधारण वृद्धि करने दे वह मतदाताओं

में शामिल किया जाय अथवा देश के समूचे खर्च के हिसाब से कमोवेश एक छोटी सी सालाना रकम हर एक रजिष्ट्री शुदा मातदाता से ली जाय कि जिस से हर एक आदमी को यह मालूम हो कि जिस रुपये को खर्च करने में वह अपने मत की मदद देता है उस में कुछ भाग अपने सिर पर है और उसको रकम थोड़ी रखने में अपना स्वार्थ है ।

यह चाहे जो हो परन्तु मैं यह समझता हूँ कि पेरिश # का आश्रय लेने वाले मनुष्य को मतहक के लिये प्रत्यक्ष रूप से अयोग्य गिनना चाहिये । यह प्रथम मूल तत्व के अनुसार है । जो मनुष्य अपनी मिहनत से अपना पोषण नहीं कर सकता उसको दूसरे का पैसा अपने हाथ में लेने के हक पर कुछ दावा नहीं है । अपने प्रत्यक्ष पोषण के लिये जनता के बाकी मनुष्यों का मुँहताज होने से वह दूसरे विषयों में उनके समान हक रखने का दावा छोड़ देता है । जिनसे उसकी गुजर का भरोसा है वे अगर यह चाहें कि यह साधारण मूलधन में इस समय कुछ वृद्धि नहीं करता या उसमें से जितना लेता है उससे कम वृद्धि करता है इस लिये उस मूलधन की व्यवस्था इसको खारिज करके स्वतंत्रता से करना चाहिये तो यह उचित है । मतहक के विषय में एक ऐसी शर्त रखनी चाहिये कि एक नियत की हुई मुद्दत तक—मसलन पांच वर्ष तक—पार्थी का नाम पेरिश के बहीखाते में आश्रित के तौर पर लिखा न होना

ॐ घनोपदेश के लिये इंग्लैण्ड छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ है, उन प्रदेशों को पेरिश कहते हैं । प्रत्येक प्रदेश में एक घर्म गुफ होता है । पेरिश के अन्दर जन्मे हुए अशक्त और निराश्रय का पोषण उसके सिर रखा है और इसके प्रबन्ध के लिये एक प्रबन्धकारिणी समिति रहती है ।

चाहिये । अपना दीवालाने निकालने वाला या दीवालिया कानून से लाभ उठाने वाला मनुष्य जब तक अपना देना न चुका दे अथवा इतना भी साधित न करे कि अथवा कुछ मुद्दत से वह निराश्रित सहायक धन के भरोसे नहीं है तब तक उसको मतहक के योग्य न समझना चाहिये । जो आदमी कर इतनी लम्बी मुद्दत तक न दे कि वह भूल चूक में शामिल न हो उस आदमी को मतहक के योग्य न मानना चाहिये । ये शर्तें प्राकृतिक रीति पर स्थायी नहीं हैं । इनमें दर असल ऐसी शर्तें हैं कि सभी मनुष्य चाहें तो पूरी करने को समर्थ हो सकते हैं या उनको होना चाहिये । जो कठिनाइयाँ प्राकृतिक होती हैं उनके लिये तो मतहक का मार्ग खुला ही रहता है । और जो कोई मनुष्य वंचित होता है वह या तो उसकी इतनी कम परवा रखता है कि उसके लिये जो कुछ करना उसका फर्ज है उसको वह नहीं करता अथवा वह संकट और अधमता की ऐसी साधारण स्थिति में होता है कि उसमें अगर दूसरों की हितवाञ्छा के लिये जरूरी यह जरा सी बढ़ती होगी तो जान नहीं पड़ेगी और वह आदमी उसमें से बाहर निकलेगा तब दूसरे के साथ इस अधमता का चिन्ह भी अदृश्य हो जायगा ।

इससे (अगर यह मान लें कि हमने अभी जिनकी आलोचना की है उनके लिये दूसरी कोई शर्त नहीं है तो) हम आशा रख सकते हैं कि अन्त को उस उत्तरोत्तर घटते हुए चरण के लिये अर्थात् पेरिश के आश्रितों के लिये सब को मतहक मिलेगा, यानी इस स्थल अपवाद के लिये मतहक सार्वत्रिक ही रहेगा । इसका इस तरह विशाल प्रसार होना चाहिये । जैसा कि हमने देखा है, यह अच्छे राज्यतंत्र की विशाल और उच्च भावना में आवश्यक है । इतने पर भी ऐसी स्थिति

में बहुतेरे देशों के और निस्सन्देह इस देश के मतधारियों का बड़ा भाग स्वयं मजदूर होगा और इससे वेहद हलके दर्जे के राजनीतिक ज्ञान का और धर्मलाभ के कानून का दूना भय बना रहेगा । देखने को यह रह जाता है कि इन दोषों को दूर करने का उपाय है या नहीं ।

मनुष्य अगर सच्चे दिल से चाहे तो ये दोष दूर हो सकते हैं । किसी कृत्रिम युक्ति से नहीं, वरंच जिन को कोई स्वार्थ या रिवाज बाधा न डाल सकती हो ऐसे विषयों में प्रत्येक जन को जीवन का जो साधारण क्रम अनुसरण करना पसन्द है उसके अनुसरण से ही । सभी मनुष्य कार्यों में जिनका प्रत्यक्ष स्वार्थ हो और जो दर असल वाल्य अवस्था में न हों उन सब जनों को मत का हक है और जब तक इनका किया हुआ मत का उपयोग सब की रक्षा के प्रतिकूल न जाता हो तब तक उनको न्याय के रू से उससे वंचित नहीं कर सकते । परन्तु यद्यपि प्रत्येक जन का मत होना चाहिये तथापि यह प्रश्न अलग ही है कि क्या प्रत्येक जन का समान मत होना चाहिये ? जिन दो मनुष्यों का किसी कार्य में संयुक्त स्वार्थ होता है वन में जब मत भेद होता है तब क्या न्याय यह चाहता है कि दोनों की राय समान वजन की समझी जाय ? अगर दोनों में सद्गुण समान हो परन्तु ज्ञान और बुद्धि में एक से दूसरा थोड़ा हो अथवा दोनों में बुद्धि समान हो परन्तु सद्गुण में एक से दूसरा बढ़कर हो तो अधिक बुद्धि वाले या अधिक सद्गुण वाले मनुष्य की राय या निर्णय घटिया मनुष्य की राय या निर्णय से अधिक वजनदार है । अगर देश का नियमसंग्रह वस्तुतः यह प्रगट करता हो कि दोनों एक समान वजनदार हैं तो यह गलत बात जाहिर करता है । दो में से एक को अधिक सयाने या सद्गुणी मनुष्य की हैसियत से अधिक वजन का हक है ।

कठिनाई यह निर्णय करने में है कि दोनों में से कौन अधिक धजन के लायक है। मनुष्य मनुष्य में तो यह बात असम्भव है परन्तु मनुष्यों को अगर संस्था के रूप में या जथा के रूप में लें तो सत्यता का कुछ खास सीमा तक निर्णय किया जा सकता है। जिस विषय को प्राइवेट और पृथक मनुष्य का हक गिनने का कारण हो उस में यह सिद्धान्त लागू पड़ने में कुछ बहाना नहीं मिलेगा। जिस काम से दो में से एक ही मनुष्य का सम्बन्ध हो उस में दूसरा उस से चाहे कितना ही चतुर हो परन्तु उस एक को ही अपनी राय के अनुसार चलने का हक है। परन्तु हम तो जिन में दोनों का समान सम्बन्ध होता है, उन विषयों के बारे में कहते हैं; क्योंकि उनमें अगर अधिक अज्ञान मनुष्य अपने हिस्से का काम अधिक चतुर मनुष्य की निगरानी में न सोंपे तो अधिक चतुर मनुष्य को अपने हिस्से का काम अधिक अज्ञान के हाथ में सोंपना पड़ेगा। कठिनाई दूर करने की इन दो में से कौन पद्धति दोनों के लिये सब से लाभकारी और साधारण विवेक का अनुसरण करने वाली है? अगर दो में से एक को अपनी बात छोड़ना अन्याय जंचे, तो दोनों में बड़ा अन्याय कौन है? अधिक अच्छे निर्णय का अधिक छराय के अधीन होना या अधिक छराय का अधिक अच्छे के अधीन होना?

अथ सार्वजनिक कार्य व्यवहार पेंसा ही संयुक्त विषय है परन्तु भेद इतना ही है कि उस में किसी को अपनी राय का समूचा त्याग करने को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। यह हमेशा हिसाब में ली जा सकेगी और म्यास परिमाण तक गिनी जा सकेगी। जिन की राय को अधिक भारी धजन का हक होगा उनके मत का अधिक परिमाण माना जा

सकेगा । इस प्रबन्ध में जिस को घटिया दर्जे की सत्ता दी जायगी उसके प्रति अग्रश्य ही नुकसान करने का विचार नहीं होगा । साधारण विषयों में मत को सम्पूर्ण रूप से रुकावट डालना एक बात है और संयुक्त लाभ की व्यवस्था में अधिक ऊंची शक्ति के कारण दूसरों को अधिक प्रबल मत की स्वाधीनता देना दूसरी बात है । ये दोनों बातें केवल भिन्न हैं इतना ही नहीं वरंच इन दोनों में कुछ भी समानता नहीं है । प्रत्येक जन को शून्यवत् और कुछ भी नहीं गिनने से अपना अपमान समझने का हक है । कितने ही आदमी ऐसे होते हैं जो यह बात स्वीकार करने में अपना अपमान समझते हैं कि दूसरों की राय और इच्छा को भी अपनी अपेक्षा अधिक वजनदार मानना चाहिये । ये लोग केवल मूर्ख और सो भी खास किस्म के मूर्ख हैं । कोई मनुष्य राजी खुशी से यह नहीं मानेगा कि जिस विषय में उसका किसी कदर सम्बन्ध है उस में उसका अपना कुछ मत न हो; परन्तु जब जिस में उसका किसी कदर सम्बन्ध होता है उस में दूसरे का भी कुछ सम्बन्ध हो और उस को ऐसा लगता है कि वह दूसरा इस विषय को अधिक अच्छी तरह समझता है, तब वह ऐसी आशा रखता है कि उस दूसरे की राय को अपने से अधिक वजनदार समझना चाहिये । और जीवन के दूसरे व्यवहार में उसे जिस स्वाभाविक क्रम को मानने का अभ्यास पड़ा होता है उसके अनुसार ही यह है । जरूरत इतनी ही है कि यह श्रेष्ठ सत्ता इस बुनियाद पर देनी चाहिये कि वह उसकी समझ में आवे और उसका औचित्य उसके ध्यान में बैठ सके ।

यह श्रेष्ठ सत्ता सम्पत्ति के विचार से देना अगर तात्कालिक उपाय के तौर पर न हो तो मैं, इसको विलकुल स्वीकार

योग्य नहीं मानता, इसके कहने में मैं तनिक नहीं हिचकता। सम्पत्ति एक तरह की कसौटी है इस बात से मैं इनकार नहीं करता। बहुतेरे देशों में शिक्षा कुछ धन के लिहाज से नहीं होती तथापि यह औसत से जनता के गरीब अर्द्धभाग की अपेक्षा धनवान अर्द्धभाग में अधिक अच्छी होती है। परन्तु यह कसौटी ऐसी अधूरी है, संसार में मनुष्य की समृद्धि बढ़ाने में गुण की अपेक्षा अकस्मात् का इतना अधिक प्रभाव चलता है और किसी को चाहे जितना ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार ऊंची पदवी पाने का भरोसा ऐसा असम्भव है कि मत हक का यह आधार सदा से अतिशय धिक्कार का पात्र है और सदा रहेगा। मतों का सम्बन्ध किसी धन सम्बन्धी योग्यता से जोड़ना स्वयं आपत्ति जनक है। इतना ही नहीं वरंच वह इस नियम को अपयश लगाने और इसका स्थायी निर्याद असाध्य बनाने का यास्ता मार्ग है। जनसत्ता को और पासकर इस देश की जनसत्ता को तां साम्प्रत व्यक्तिगत श्रेष्ठता से कुछ ईर्ष्या नहीं है। परन्तु केवल सम्पत्ति की श्रेष्ठता से ही उसको स्वाभाविक और बहुत उचित ईर्ष्या है। जिस एक बात से एक मनुष्य की राय एक से अधिक के बराबर गिनना उचित हो सकता है वह पृथक् पृथक् मनुष्य की मानसिक श्रेष्ठता है; और जो जरूरी है वह उसे निश्चय करने का साधन है। अगर वास्तविक सामाजिक शिक्षा या साधारण परीक्षा की विश्वासपात्र पद्धति सरीखी कोई वस्तु विद्यमान हो तो शिक्षा की प्रत्यक्ष परीक्षा ली जा सकती है। इसके अभाव में मनुष्य के धंधों की किस्म की कुछ परीक्षा है। मिहनत करने वाले की अपेक्षा मिहनत कराने वाला औसतन अधिक बुद्धिमान होता है; क्योंकि उसको केवल दाय की नहीं वरंच मगज को भी मिहनत करना पड़ती है। साधारण

मजदूर की अपेक्षा मेठ और वे कला वाले धन्धे के कारीगर की अपेक्षा कला वाले धन्धे का कारीगर साधारणतः अधिक बुद्धिमान होता है। दुकानदार की अपेक्षा साहूकार, व्यापारी, या कारखाने वाले का अधिक बुद्धिमान होना सम्भव है; क्योंकि उसको बहुत अधिक और उलझन वाले विषयों की व्यवस्था करनी पड़ती है। इन सब प्रसङ्गों में योग्यता की जो परीक्षा होती है, वह सिर्फ श्रेष्ठ काम सिर पर लेने से नहीं बरंच उसे सफलता पूर्वक करने से। इस कारण से और मनुष्यों को महज मत देने के लिये ही किसी धन्धे में नाम को हाथ लगाने से रोकने के निमित्त एक ऐसी शर्त रखना उचित जंचेगा कि उसका उस धन्धे में कुछ खास मुद्दत तक (जैसे तीन वर्ष तक) लगे रहना लाजिम है। ऐसी किसी शर्त के अन्दर इनमें से कोई श्रेष्ठ धन्धा करने वाले प्रत्येक मनुष्य को दो या अधिक मत दिये जा सकते हैं। नाम की नहीं बरंच सचमुच अंगीकार की हुई शिष्ट वृत्तियां अवश्य ही इस से भी ऊंचे दर्जे का ज्ञान दिखाती हैं और जहां जहां ऐसी किसी शिष्ट वृत्ति में दाखिल होने से पहिले यथेष्ट परीक्षा देने की अथवा शिक्षा की कोई गहरी शर्त पालने की लाचारी रखी होती है वहां उस वृत्ति वाले मनुष्यों को एक दम अनेक मतों के अधिकारी बना सकते हैं। विश्वविद्यालयों के उच्च पदवीधारियों के लिये यही नियम लाजिमी किया जा सकता है; और जिन विद्यालयों में ऊंचे दर्जे का ज्ञान सिखाया जाता है वहां का पाठ्य क्रम समाप्त करने का प्रमाण-पत्र जो लावेँ उनके लिये भी, वह शिक्षा सिर्फ ढोंग नहीं है बरंच असली है इतना विश्वास करने की उचित सावधानी रख कर यही नियम लाजिमी हो सकता है। सहयोग की डिग्री के लिये जो 'स्थानिक' अथवा 'मध्यम वर्ग' की परीक्षा (इंग्लैण्ड के सबसे प्राचीन)

आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज विश्वविद्यालयों ने प्रशंसनीय रीति और सार्वजनिक उत्साह से स्थापित की है और उसको ऐसी जो कोई दूसरी परीक्षा योग्य विद्यालय स्थापित करे, उसको जिसने पास किया हो उसे अनेक मतों का हक देकर बड़ा लाभ प्राप्त करने का आधार मिलना है। इन परामर्शों के विषय में बहुत नुक्ताचीनी होना और उज्र उठना सम्भव है परन्तु इस उज्र के बारे में अभी से भविष्य सोचना व्यर्थ है। ऐसी युक्तियों को किसी व्यवहारी स्वरूप में रखने का समय नहीं आया है और न मैं यह चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ प्रस्ताव किये हैं वे सभी काम में लाये जायँ। परन्तु मुझे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि प्रतिनिधि शासन का सचा आदर्श इस मार्ग में है और जो सब से श्रेष्ठ व्यवहारी युक्तियाँ मिल जायँ उनके द्वारा इसी ओर प्रयत्न करना वास्तविक राजनीतिक सुधार का मार्ग है।

अगर यह प्रश्न हो कि यह नियम कहां तक फैलाने योग्य है अथवा मनुष्य विशेष को श्रेष्ठ योग्यता के आधार पर कितने मत दिये जा सकते हैं तो इसका उत्तर मैं यह देता हूँ कि अगर इसका भेद और क्रम स्वयं न निर्धारित कर सामाजिक अन्तःकरण और बुद्धि समझ कर स्वीकार किया जाय तो यह विषय स्वयं कुछ बहुत बजनदार नहीं है। परन्तु प्रतिनिधि-पद्धति के गठन में उत्कृष्टता की शक्तों के तौर पर पिछले अध्याय में गिनाये हुए मूल नियम में जो सीमा है उसके लांघन जाने की शर्त पूरी पूरी पालनी चाहिये। किसी तरह अनेक मतों का नियम इतना न फैलाना चाहिये कि उस से जिन को उसका हक हो वे अथवा मुग्य कर के उनका कोई धर्म हो तो वह धर्म उस हक के जरिये याकी की सारी जनता पर रोब जमा ले। शिक्षा के पक्ष का यह भेद स्वयं

वास्तविक होने के सिवा ये शिक्षा वालों के वर्गलाभ के कानून से शिक्षितों की रक्षा करता है। इससे उनको विशेष और प्रबल सहानुभूति मिलती है; परन्तु इस नियम को इतने से ही रोकना चाहिये कि ये लोग भी अपने पक्ष में वर्गलाभ का कानून बनाने को समर्थ न हों। विशेष इतना ही कहना है कि मैं जिस को अनेक मतों की योजना का एक परिपूर्ण आवश्यक अंग समझता हूँ वह यह है कि जब जनता में गरीब से गरीब मनुष्य भी सावित कर सके कि वह सारी कठिनाइयों और अड़चलों के होते हुए भी ज्ञान के विषय में अनेक मतों का हकदार है तो उसके लिये अपने हक का दावा करने का मार्ग खुला रहना चाहिये। ऐसी स्वेच्छ परीक्षा होनी चाहिये कि उस में चाहे जो मनुष्य उपस्थित हो और सावित कर दे कि वह ज्ञान और कुशलता में निर्दिष्ट कक्षा तक पहुँचा हुआ है और इस से अनेक मतों के हकदारों में उस को दाखिल करना चाहिये। अगर हक के तर्क और तथ्य में शर्तों पर भरोसा हो तो शर्तें जो पूरी करे वह उस हक से इनकार नहीं किया जायगा तब वह हक अवश्य ही किसी की न्याय धृति के प्रतिकूल नहीं जान पड़ेगा। परन्तु अगर वह हक हमेशा अचूक न होने योग्य साधारण विचार के लिहाज से दिया जाय और प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर भी न दिया जाय तो वह अवश्य ही प्रतिकूल अंचेगा।

यद्यपि पेरिश के व्यवस्थापकों और निराश्रित कानून के रक्षकों (अशक्तों और निराधारों की परवरिश के लिये बने हुए कानून के अनुसार प्रबन्ध करने को नियुक्त मनुष्यों) के चुनाव में अनेक मत देने की चाल है तथापि वह पार्लियामेंट के चुनाव में इतना अपरिचित है कि जल्द या राजी खुशी से उसके स्वीकार किये जाने की सम्भावना नहीं है। परन्तु जब

वह समय निश्चय आवेगा कि चुनाव इस पद्धति और समान सार्वत्रिक मत के बीच में ही रहेगा तब अधिक अच्छी बात यह है कि जिसको दूसरी पद्धति पसन्द न हो वह जहाँ तक बने शीघ्र पहिली पद्धति से अपने मन को मनाना आरम्भ करे । इस बीच में अगर साम्प्रत यह परामर्श काम में लाने योग्य न हो तो भी इस के द्वारा जो वस्तु अपने मूल तत्त्व में सब से श्रेष्ठ है उस ओर ध्यान जायगा और जो जो विद्यमान या भ्वीकार करने योग्य परोक्ष साधन कुछ कम पूर्ण रीति से यही उद्देश्य पूरा करते होंगे उनकी प्राहा-प्राह्यता के विषय में निर्णय करने की बच आवेगी । कोई मनुष्य एक ही मत स्थल पर दो मत देने के मार्ग के सिवा दूसरी राह से भी दुना मत दे सकता है । उस का भिन्न भिन्न दो मत समितियों में प्रत्येक के लिये एक एक मत हो । साम्प्रत यद्यपि यह अपवाद रूप हक क्षान के बदले सम्पत्ति को श्रेष्ठता को मिलता है तथापि जहाँ यह विद्यमान है वहाँ बन्द हो यह मैं नहीं चाहता; क्योंकि जब तक शिक्षा की अधिक सच्ची परीक्षा स्वीकृत नहीं हुई है तब तक सम्पत्ति की हंसियत से मिल सकने वाला यह अपूर्ण हक भी हाथ से जाने देना बुद्धिमानी नहीं है । इस हक का सम्यन्ध श्रेष्ठ शिक्षा में अधिक सीधी रीति पर जुड़े इस ढंग में इस को अधिक फैलाने का उपाय योजना हो तो वह मिल सकता है । किसी भविष्य सुधार के मसविदे में, जिसमें मतहक के विषय में सम्पत्ति सम्यन्धी शर्तें अधिक अंश में कम की जायँ और सब विश्वविद्यालयों के पदवीधारियों को, अधिक ऊँची शिक्षा देनेवाली शालाओं में सम्मान के साथ पास होने वाले सब पुरुषों को, शिष्ट वृत्तिवाले सब मनुष्यों को और कदाचित् कुछ दूसरों को भी वे जहाँ रहते हों उस स्थान के साधारण

नागरिक की हैसियत के मतहक के सिवा अपनी खास योग्यता के लिये, अगर दूसरी मत समिति में घे नाम दर्ज कराना चाहें तो उसमें दर्ज कराने और मत देने का खास हक देने की धारा रखी जाय तो बड़ी बुद्धिमानी की बात हो ।

जितने अंश की श्रेष्ठ सत्ता शिक्षा को देना उचित है और सय से कम शिक्षित वर्ग के संख्यावल का सामञ्जस्य रखने की जरूरत है उतनी श्रेष्ठ सत्ता शिक्षा को शिक्षा की हैसियत से देने वाली कोई अनेक मत की पद्धति जध तक योजित नहीं हुई है और उसे स्वीकार करने को लोकमत राजी नहीं है तब तक मेरी समझ में सार्धधिक मत हक का लाभ प्राप्त करने में उस लाभ के साथ अधिक अनर्थ की सम्भावना है । अवश्य यह भी सम्भव है कि कितनी ही निर्दिष्ट मत समितियों में मतहक की सीमा बांधने वाले बंधन एकदम टूट जायें और इस से वहां के सभासद मुख्य कर के मजदूरों के हाथ चुने जायें; इसके सिवा दूसरे स्थान पर चुनाव की वर्तमान पद्धति कायम रहे अथवा उस में किये हुए फेर बदल के साथ मत समिति का इस रीति पर गठन किया जाय कि पार्लामेण्ट में मजदूर दल प्रबल होने से रुके (और यह शायद अच्छी प्रतिनिधि पद्धति की ओर जाने वाले हमारे मार्ग का एक पड़ाव है) । ऐसे सामञ्जस्य से प्रतिनिधि तत्व के अनियम सिर्फ कायम नहीं रहेंगे घरंच उल्टे उन में वृद्धि होगी । फिर भी यह कुछ अन्तिम अड़चल नहीं है; क्योंकि जिस देश को शुभ उद्देश्य साधने के लिये, उस तरफ सीधे रास्ते जाती हुई नियमित पद्धति ग्रहण करने योग्य न जंचे उसे, जो पद्धति अनियमों से मुक्त हो, परन्तु जो नियम पूर्वक अशुभ उद्देश्यों की तरफ रख रखती हो अथवा जिसमें दूसरे उद्देश्यों के समान कितने ही जरूरी उद्देश्यों ही रह जाते हों उसे स्वीकार करने

की अपेक्षा एक अनियमित चाल चलाऊ पद्धति ही बहुत पसन्द करने योग्य मानकर उस से सन्तुष्ट रहना चाहिये । बहुत बड़ा उज्र यह है कि यह व्यवस्था मि० हेयर की योजना में धाँड़ित स्थानिक मत समितियों की भीतरी एकता के प्रतिकूल है; और इस में प्रत्येक मतधारी, जिस एक या अधिक मत समितियों में उसका नाम दर्ज हुआ होगा, उसी में फंसा रहेगा तथा अगर वहाँ के स्थानिक उमेदवारों में से किसी एक को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहता होगा तो विलकुल प्रतिनिधि नहीं भेज सकेगा ।

जिनको मत एक मिल चुका है परन्तु जिनका मत सामने के पक्ष का हमेशा अधिक मत होने से निरूपयोगी हो जाता है उनके छुटकारे पर मैं इतना अधिक जोर देता हूँ—सत्य और विवेक को अपनी घात सुनाने और जबरदस्त बहस चलाने भर की जमानत मिले तो उसके स्वभाविक असर की तरफ से मैं इतनी बड़ी आशा रखता हूँ—कि अगर समान सार्वत्रिक एक मि० हेयर के नियम से अपने असली अर्थ के अनुसार सब छोटे वर्गों को उनके परिमाण से प्रतिनिधि दे तो उसकी क्रिया की तरफ से भी मैं निराशा का कारण नहीं देखता । परन्तु इस विषय पर जो सब से अच्छी आशा की जा सकती है वह निश्चित ही हो तो भी मैं अनेक मतों के नियम का पक्ष नहीं छोड़ूँगा । मैं अनेक मतों की सलाह देता हूँ यह इसलिये नहीं कि यद्यपि यह वस्तु स्वयं अनिष्ट है तथापि मत एक में से जनता के किसी यास विभाग को बंचित करनेवाले प्रतिबन्धन की तरह, जब तक बहुत बड़ा अनर्थ रोकने के लिये उसकी जरूरत है तब तक उसे तत्काल के लिये सहें । मैं समान मत को कुछ ऐसी वस्तु नहीं गिनता कि अगर उसकी अड़चलें सम्हाल ली जायं तो यह स्वयं

अच्छी है। मैं यह मानता हूँ कि यह सिर्फ तुलना में अच्छा है—असम्यक् या आकस्मिक प्रसङ्गों के आधार पर बने हुए असमान हककी अपेक्षा कम आपत्तिजनक है परन्तु मूलतत्त्व में गलत है; क्योंकि यह झूठा धोरण स्वीकार करता है और मतधारी के मन पर घुरा असर करता है। देश का राज्यतंत्र यह जाहिर करेगा कि अज्ञान को ज्ञान के बराबर ही राजनीतिक सत्ता का अधिकार होना उपयोगी नहीं है, बरंच हानिकारक है। जिन विषयों से राष्ट्रीय तंत्र का सम्बन्ध हो उन सब का जो स्वरूप नागरिक को लाभदायक हो उस स्वरूप में उन विषयों को राष्ट्रीय तंत्र को उसके मन के सामने रखना चाहिये; और जब उसे यह विचारना लाभकारी है कि प्रत्येक जन को कुछ सत्ताका अधिकार है परन्तु अधिक अच्छे और अधिक चतुर मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अधिक अधिकार है तब राज्य का इस निर्णय को स्वीकार करना और उस देश के नियमों में दाखिल करना आवश्यक है। ऐसे विषय देश के नियमों के जीवनाधार हो जाते हैं। परन्तु उसकी सत्ता के इस अंश का साधारण और विशेष कर के अंगरेज दार्शनिक सब से कम विचार करते हैं। तो भी जिस देश पर खुल्लम खुल्ला भारी जुल्म नहीं होता उसके राज्यतंत्र के किसी प्रत्यक्ष नियम की अपेक्षा उसके जीवनाधार का बहुत प्रबल असर होता है और इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय प्रकृति का जो गठन होता है वह इस जीवन सत्य के आधार से। अमेरिकन राज्यतंत्र ने अमेरिकनों के मन में प्रबल भाव से यह विचार जमा दिया है कि (गोरे चमड़े का) हर कोई दूसरे हर किसी के इतना ही अच्छा है और मुझे ऐसा जान पड़ता है कि अमेरिकन प्रकृति में मौजूद अधिक दोषों में से कितनों का इस गलत मत से निकट सम्बन्ध है। यह कम

की हुई नहीं है, और उन्नति के मार्ग में आये हुए सब तात्कालिक या स्थायी विधाम विन्दुओं में सब से श्रेष्ठ और उच्च गुणों का विकास करने वाला विधाम विन्दु वह स्थिति है जो विवेक को प्रवृत्त करने की शक्ति रखती है; परन्तु विवेक पर स्वयं प्रवृत्त हो जाय इतनी शक्ति उसमें नहीं है। धनवान और निर्धन, बहुत शिक्षित और दूसरे जिन जिन वर्गों और पथों में जनता विभक्त होती है उन सब को हमारे प्रतिपादन किये हुए मूलतत्त्व के अनुसार यथासाध्य इस स्थिति में रखना चाहिये। और इस मूल नियम के साथ श्रेष्ठ मानसिक गुणों में श्रेष्ठता देने के दूसरी तरह के न्यायी नियम जुड़ने से राज्यतंत्र एक प्रकार की सर्वश्रेष्ठ सम्पूर्णता प्राप्त करेगा और मनुष्य व्यवहार की उलझन वाली स्थिति में यही सम्पूर्णतया साध्य है।

सार्वत्रिक परन्तु कामवद्ध मतहक के विषय में की हुई आलोचना में मैं ने स्त्री पुरुष का भेद नहीं किया है। राजनीतिक हक के विषय में मैं इस भेद को उंचाई या घाल के रंग के भेद के ऐसा ही सम्पूर्ण असम्बद्ध समझता हूँ। सब मनुष्यों को अर्द्धे राज्यतंत्र में समान लाभ है; सब की भलाई पर उसका समान असर होता है और उसमें उन सब को अपने भाग का लाभ घनाये रखने के लिये मत होने की समान जरूरत है। अगर कुछ भेद हो तो यह कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के मत की अधिक जरूरत है; क्योंकि स्वयं अथला होने से उनको अपनी रक्षा के लिये कानून और दुनिया का अधिक भरोसा रखना है। स्त्रियों का मत न होना चाहिये इस विचार को जो एक ही दलील सहारा दे सकती है उसको मनुष्य जाति ने मुद्दत हुई छोड़ दिया है। किसी का अथ ऐसा विचार नहीं है कि स्त्री जाति गुलामी में रहे और पति, पिता या भाई के घर भजदूरनी बने रहने के सिवा और कोई

विचार, अभिलाषा या उद्योग न करे । क्वारी स्त्रियों को मिल-कियत मोगने और धन तथा धन्ये के विषय में सम्यग्ध रमने की पुस्तकों के बराबर ही स्वतंत्रता है और यह स्वाधीनता व्याही स्त्रियों को देते कर्मा नहीं देगा । यह उचित और योग्य जान पड़ता है कि स्त्रियां विचार करें लेंग लियें और धिक्क हों । जहां यह विषय स्वीकार हुआ कि फिर राजनीतिक श्रमाप्रता को किसी मूल तत्व का आधार नहीं रहता । विशेष विशेष मनुष्य किस लिये लाभदायक हैं और किस लिये नहीं, उनको क्या करने देना चाहिये और क्या नहीं—यह निर्णय करने के जनता के हक के विषय में अर्थांचोन जगत की सारी विचार पद्धति अधिक जांश में विरुद्ध मत प्रगट करनी जानी है । अर्थांचोन राजनीति और अर्थशास्त्र के मूल तत्व अगर किसी काम न हैं तो यह साधित करने में कि इस विषय का यथार्थ निर्णय पृथक् पृथक् मनुष्य स्वयं ही कर सकते हैं; और चुनाव के विषय में सम्पूर्ण स्वतंत्रता होंगी तो जहां जहां न्यायाधिक वृत्ति में वास्तविक भेद होगा वहां वहां भाग जिम में सब से अधिक योग्य मनुष्य होंगे उस विषय का हाथ में लेंगा और जो अपवाद रूप होंगे वे ही मात्र अपवाद रूप मार्ग पकड़ेंगे । अर्थांचोन सामाजिक सुधारों का सारा रज गलत न हों तो मनुष्य प्राणी को किसी प्रामाणिक धन्ये का मार्ग पन्द करने वाले सब प्रकार के प्रतिबन्धन और श्रमाप्रता पूर्ण रूप से रद्द कर के उस रज को काम में लाना चाहिये ।

परन्तु स्त्रियों को मत हक होना चाहिये यह साधित करने के लिये, यह सब प्रतिपादन करने की भी जरूरत नहीं है । स्त्रियों की गणना घर गृहस्थी में फंसे हुए और घर सत्ता के चंग में पड़े हुए अर्थांचोन वर्ग में होनी चाहिये यह जितना गलत है उतना सही ही तो भी इस सत्ता को दुरुपयोग से

यचाने के लिये मत हक के आश्रय की उन्हें कम जरूरत नहीं है । स्त्रियों को और पुरुषों को जो राजनीतिक हक की जरूरत है वह इसलिये नहीं कि वे राज्य चलावें घरंच इसलिये कि उन पर अंधेर न होने पावे । पुरुष-जाति में बड़ा भाग खेतों या कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का ही होता है और वे लोग सारी जिन्दगी ऐसे ही रहेंगे । परन्तु इस से जब तक मत हक का उनके हाथ से घुरा उपयोग होना सम्भव न हो तब तक उनके लिये कुछ कम आवश्यक नहीं है और न उस के ऊपर उनका दावा दिमाग घट जाता है । कोई मनुष्य यह यद्दाना नहीं निकालता कि स्त्रियां मतहक का घुरा उपयोग करेंगी । उनके बारे में जो सबसे खराब बात कही जाती है वह यही कि वे सिर्फ आश्रित की तरह अपने पुरुष सम्बन्धियों के आदेशानुसार मत देंगी । ऐसा हो तो होने दो । वे अगर अपने बारे में स्वतंत्र विचार करेंगी तो बड़ा लाभ होगा और अगर नहीं करेंगी तो कुछ नुकसान नहीं है । मनुष्य प्राणी चलना न चाहता हो तो भी उस की वेड़ी खोल देना लाभदायक है । मनुष्य जाति के सब से आवश्यक व्यवहार के विषय में कानून के रू से राय के लिये नालायक और चुनाव के हक से रहित माना जाना जहां बन्द हुआ कि फिर स्त्रियों की सात्विक स्थिति में भारी सुधार हुआ समझना । अगर सगे सम्बन्धी उनसे मदद लेना चाहें तो भी जबरदस्ती न ले सकें ऐसी कोई घस्तु मिलने से उन को व्यक्तिगत कुछ लाभ हुआ समझा जायगा । फिर पति को अपनी पत्नी से वर्त्तमान विषय पर चर्चा चलाने की जरूरत पड़ना भी कुछ कम लाभ नहीं है । स्त्री बाहरी जगत पर पुरुष से कुछ स्वतंत्र सत्ता चलाने को समर्थ है इस बात से इतर पुरुषों की दृष्टि में उस का पदवी और प्रतिष्ठा किस तरह स्पष्ट रीति से बढ़ जायगी-

और जिस को सारी सामाजिक जिन्दगी पुरुष अपने वश में रख सकता है उसके लिये जो आदर कोई भी व्यक्तिगत गुण कभी नहीं देता उस आदर की पात्री वह होगी इस का उचित विचार लोग नहीं करते । मत भी अपने गुण में सुधरता जायगा । कोई अधिक ईमानदार और निष्पक्ष प्रकृति की स्त्री होगी तो उसके पति को बहुधा ऐसे उचित कारण ढूँढ़ने को लाचार होना पड़ेगा कि जिससे उसकी स्त्री उसी के पक्ष में रहे । बहुधा पत्नी की सत्ता पति को अपनी असली राय पर दृढ़ रखेगी । इस सत्ता का उपयोग वेशक बहुधा सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में नहीं, वरंच कुटुम्ब के खानगी स्वार्थ या संसारी दृष्टान्त के पक्ष में होगा; परन्तु स्त्री की सत्ता का जहाँ जहाँ ऐसा रुख होगा वहाँ इस समय भी वह उसी घुरे मार्ग से पूर्णतया चलती है और वह भी अधिक निःशङ्क भाव से । क्योंकि हाल के कानून और रिवाज के अनुसार राज्यनीति में कुछ भी मूलतत्त्व समाया होने के भाव से वे बहुत करके ऐसी अनजान होती हैं कि इसमें कुछ आत्म सम्मान की बात है यह वे नहीं समझ सकते । और बहुत से मनुष्यों को, जैसे किसीका धर्म अपने से भिन्न होता है तो उसकी धार्मिक वृत्तियों के विषय में थोड़ी ही रुचि रहती है वैसे दूसरे के सम्मान की बात में जब अपने सम्मान का भी उसी बात से सम्बन्ध नहीं होता तब थोड़ी ही रुचि होती है । स्त्री को मतहक दो तो वह राजनीतिक सम्मान के अधीन आजायगी । वह राज्यनीति को ऐसी वस्तु समझना सीखेगी कि उसमें उसको मत कायम करने की स्वतन्त्रता है और इस विषय में कुछ भी राय तजवीज की हो तो उसके अनुसार चलना चाहिये । इस विषय में उसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की वृत्ति उत्पन्न होगी और उसको इस समय जैसा लगता है वैसे पीछे से

नहीं लगेगा कि वह स्वयं चाहे जितनी बुरी सत्ता चलावे तथापि अगर सिर्फ पुरुष को समझा सके तो सब दुरुस्त है और उसकी जिम्मेवारी में सब ढक जाता है। पुनःपुनः की राजनीतिक सात्विक वृत्ति पर दुष्ट सत्ता चलाने से रोक सकने का मार्ग इतना ही है कि उसे अपना स्वतन्त्र अभिप्राय स्थिर करने और व्यक्तिगत या कुटुम्बगत स्वार्थ के लालच के विरुद्ध जिन उद्देश्यों की अन्तःकरण में विजय होनी चाहिये उन्हें विवेक पूर्वक समझने का उत्तेजन दें। स्त्रीकी परोक्ष सत्ता को राजनीतिक विषय में हानिकारक हो जाने से रोक सकने का मार्ग इतना ही है कि उसके स्थान में उसे प्रत्यक्ष सत्ता दें ।

मैं ने समझा है कि मत का आधार जैसे अच्छे प्रसङ्ग में रहे वैसे मनुष्य की व्यक्तिगत दशाओं पर होना चाहिये। इस देश और दूसरे बहुत से देशों में जहाँ मतका अधिकार सम्पत्ति की शर्तों पर है वहाँ यह भेद इससे भी अधिक दूषित है। जब पुरुष मतधारी से माँगी जानेवाली सारी जमानत-स्वतन्त्र स्थिति, घर के मालिक और कुटुम्ब के मुखिया की पदवी, करों का अदा करना अथवा जो जो शर्तें रखी हैं वे सब-खियाँ पूरी कर सकती हैं तब मिलकियत के आधार पर रखे हुए प्रतिनिधि तत्व का नियम और पद्धति ही स्वयं रद्द हो जाती है और सिर्फ उनको खारिज करने के ख्याल से ही एक अपवाद रूप व्यक्तिगत अपात्रता पड़ी जाती है इस बात में साधारण से कुछ विशेष विवेक है। विशेष करके जब यह कहा जाना है कि जहाँ ऐसा किया जाता है उस देश में साम्प्रत एक स्त्री * राज्य करती है और

अब तक जितने राज्यकर्त्ता हो गये हैं उनमें अब से गणतन्त्री राज्यकर्त्ता एक स्त्री ० थी तब अद्वितीय का और मुश्किल से छिपा हुआ अन्धकार का चित्र सम्पूर्ण हो जाता है । हमें आशा है कि जब तक गैर हक और हुकूम के पुगने मकामों का अगहहर गिराने का काम जारी है तब तक उन सब में यह अन्तिम नहीं होगा । जिनका मन अपमार्थ या दुराग्रह से जड़ नहीं बन गया है उनके मन में ये श्रम १ का, मि० संसुखल येती का मि० हेयर का और (दृग्गों के विषय में न कहें तो) इस देश और इस पीढ़ी के दृग्गों के कितने ही दार्शनिकों का अमि-
 प्राय प्रवेश करेगा और दृग्गों की पूरी होने से पहले यणभेद की तरह लिङ्गभेद भी अपने भोगों से नागरिक की हैमियत वाली समान रक्षा और राज्या हक हीन भोगों के लिये यथेष्ट कारण गिना जाना बन्द होगा १ ।

० गनी धर्मशास्त्र ।

† (१७४९-१८३०) एक गणतन्त्रिक लेखक । हमने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं परन्तु वे बहुत विस्तृत होने से (विद्वानों के ही पढ़ने योग्य हैं) । यह यूटीलिटेरियन (utilitarian) अर्थात् अनोपयोगिता के मत का प्रथम प्रचारक था । यह मत ऐसा है कि जिसमें सबसे अधिक मनुष्यों का सबसे अधिक सुख समान हो वही सबसे अधिक सिद्धांत है ।

‡ प्रयत्न की ध्वनिवाणी पूरी हुई । विधियों का मत देने का अधिकार मिल गया है और आशा की जाती है कि यह पुनरुत्पन्न प्रजा-
 गित होने से सब विधियों द्वारा पुनः हुए, मेम्बर क्रिटिक पार्थिविष्ट में प्रयत्नमान दिखाने देंगे ।

नवां अध्याय ।

क्या चुनाव का दो क्रम होना चाहिये ?

कितने ही प्रतिनिधि तंत्रों में प्रतिनिधि सभा के सभा सदस्यों को दो क्रम से चुनने की योजना स्वीकृत होती है। पहले चुनने वाले दूसरे चुनने वालों को पसन्द करते हैं और ये दूसरे पार्लियामेंट के सभासदों को चुनते हैं। इस युक्ति में शायद जनवृत्ति के पूरे जोश को कुछ रोकने का विचार रखा हो, क्योंकि इसमें बहुत (जनता) को मतहक के साथ अन्त की सम्पूर्ण सत्ता तो दी है परन्तु अपने मुकायले थोड़े की मार्फत उसका अमल चलाने की लाचारी डाली है यह सोच कर कि जन समूह की अपेक्षा इन थोड़ों पर जन विचार के पथन का कम असर हुआ होगा। और ये चुनने वाले चूंकि स्वयं चुने हुए होंगे इससे उनकी तरफ से उनके चुनने वालों की साधारण पंक्ति की अपेक्षा थोड़ा बुद्धि और प्रतिष्ठा की आशा रखी जायगी। इससे उनके हाथ से होने वाला चुनाव बहुत सावधानी और दूरदर्शिता से होने की सम्भावना की गयी होगी और चाहे जो हो, यह चुनाव जनता के निज के चुनाव की अपेक्षा विशेष जिम्मेवारी के विचार के साथ किया जायगा। यह ऐसा है कि लोकमत को एक मध्य संस्था में से छान लेने की इस युक्ति का बहुत प्रत्यक्ष समर्थन हो सकता है। क्योंकि पार्लियामेंट के सभासद होने के लिये कौन कौन सय से अधिक योग्य हैं इसका निर्णय करने की अपेक्षा, पार्लियामेंट के सभासदों को चुन निकालने के लिये सय से अधिक किन के ऊपर विश्वास रखा जा सकता है इसका निर्णय करने के लिये कम बुद्धि और ज्ञान दरकार है।

इतने पर भी पहले अगर हम यह सोचें कि इस अप्रत्यक्ष प्रबन्ध से लोक सत्ता में विद्यमान जाँघिम किसी कदर कम होता है तो उसी तरह उसका लाभ भी कम होता है; और यह दूसरा असर पहले में अधिक निश्चित है। उस पद्धति का सोचा हुआ असर डालने के लिये शक्तिमान बनाना हो तो जिस उद्देश्य से उसकी योजना हुई है उसके अनुसार उसे अमल में लाना चाहिये। मतधारियों को याद में सोची हुई रीति से अपने मतका उपयोग करना चाहिये; अर्थात् उनको जो विचार रगना चाहिये वह यह नहीं कि पार्लियामेंट का सभासद कौन हो वरंच इतना ही कि अपनी तरफ से सभासद चुनने वाला किस को पसन्द करे। यह तो स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष की अपेक्षा अप्रत्यक्ष चुनाव में जो लाभ सोचा जाना है उसके लिये ऐसी मनोवृत्ति की आवश्यकता है और उनका काम स्वयं सभासदों को नहीं वरंच सिर्फ उनके चुनने वालों को चुनना है; यह सिद्धान्त उनके सच्चे दिल से स्वीकार करने से ही यह लाभ होगा। सोचना यह होगा कि वे राजनीतिक अभिप्राय और कार्य या राजनीतिक पुरुषों के विषय में अपना मन नहीं लगावेंगे वरंच किसी स्वतंत्र मनुष्य के प्रति अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा से गिंच कर उसे अपनी ओर से काम करने का आम मुत्तार नामा दे देंगे। अब अगर प्राथमिक मतधारी अपनी स्थिति के बारे में यह सोचे तो उसको मतदक देने में जो मुख्य उद्देश्य हैं उनमें से एक रद्द हो जाता है। जो राजनीतिक कर्त्तव्य पालने को वे लोग बुलाये जाते हैं वह उनमें सार्वजनिक उत्साह और राजनीतिक ज्ञान विकसित करने में और राज्य कार्यों में उनकी मनोवृत्तियाँ मुक्ताने में तथा उनकी मानसिक शक्तियों का अभ्यास कराने में निष्फल जाता है। फिर इस उद्देश्य में परस्पर विरोधी

शर्तों का समावेश होता है; क्योंकि अगर अन्तिम परिणाम में मतधारी का कुछ मन न लगता हो तो उसी परिणाम की ओर ले जानेवाली क्रिया में उसका मन किस तरह और क्यों कर लगा सकता है ? बहुत साधारण दर्जे के गुण और बुद्धि वाला मनुष्य किसी खास पुरुष को पार्लियामेंट में अपना प्रतिनिधि बनाना चाहे यह सम्भव है और उस पुरुष को चुनने वाला निर्वाचक पसन्द करने की इच्छा रखना उस का स्वाभाविक परिणाम है । किन्तु कौन चुना जाता है इसकी परवा जो नहीं करता अथवा जो यह समझता है कि वह स्वयं इस विचार को अलग रखने के लिये बाध्य है वह कुछ भी मन लगा कर सब से लायक पुरुष इसलिये पसन्द करे कि उक्त पुरुष अपने स्वतंत्र अभिप्राय के अनुसार एक और को सभासद चुने इस उद्देश्य में निष्फल सत्य के लिये उत्साह का और कर्त्तव्य के लिये ही कर्त्तव्य पालने के दृढ़ नियम का जो भाव विद्यमान है वह तो कुछ ऊँचे दर्जे के शिक्षित पुरुषों में ही होना सम्भव है और ये उस के उपभोग से ही दिखा देते हैं कि उन को राजनीतिक सत्ता बहुत सीधे तौर पर सौंपी जा सकती है और सौंपना उचित भी है । जनता के बहुत गरीब मनुष्यों को जो जो राजनीतिक कर्त्तव्य सौंपना सम्भव है उन सबमें इस कर्त्तव्य की तरफ से उन की मनोयुक्तियों को उत्तेजित करने की घेशक सब से कम आशा रहती है और जो जो कर्त्तव्य पालन करना है वह सब शुद्ध मन से पालने के शुद्ध संकल्प के सिवा उस के लिये परवा करने की दूसरी कोई स्वाभाविक वृत्ति सब से कम ही होती है और जो मतधारी समूह राज्यकार्य के विषय में इतनी अधिक परवा रखता होगा कि उस में मिले हुए इतने अल्प अंश का भी कुछ मूल्य गिने तो उसमें बहुत बड़ा भाग पाये बिना

उसको किसी तरह सन्तोष होने की सम्भावना नहीं रहेगी।

दूसरे, जो मनुष्य अपनी थोड़ी सी ज्ञानसम्पत्ति के कारण पार्लियामेंट के उमेदवार के गुण की अच्छी तरह परीक्षा नहीं कर सकता वह जिस पुरुष को अपना तरफ से पार्लियामेंट का समासद पसंद करने को चुनेगा उसे ही सत्यता और साधारण शक्ति की उचित परीक्षा कर सकेगा यह स्वीकार किया जाय तो भी मैं यह यथा देना चाहता हूँ कि अगर मतधारी अपनी शक्तियों को ऐसी माप स्वीकार करे और जिस के ऊपर विश्वास हो उस पुरुष के हाथ अपनी ओर से चुनाव कराने की वास्तव में इच्छा रखता हो तो उस कारण के लिये किसी कानून के बन्धन को कुछ जरूरत नहीं है; उसे सिर्फ उम विश्वासो पुरुष में एकान्त में इतना ही पूछना है कि उसे किस उमेदवार के लिये मत देना अधिक अच्छा है। इस प्रकार चुनाव को दोनों पद्धतियों का परिणाम एक ही आता है और परीक्षा चुनाव का प्रत्येक लाभ प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। अगर हम यह सोचें कि मतधारी प्रतिनिधि के चुनाव में अपने अभिप्राय का उपयोग करना पसन्द करता है परन्तु बहुत प्रत्यक्ष पद्धति के लिये उम को कानून से म्वाधीनता न होने से ही वह अपनी तरफ से दूसरे को चुनाव करने देता है तो इन दो पद्धतियों की क्रिया में भेद पड़ेगा। किन्तु अगर उम के मन को ऐसी स्थिति होगी, अगर उम का मन कानून में रगे हुए अंकुश के विकल्प जाना होगा और अगर वह प्रत्यक्ष चुनाव करना चाहता होगा तो कानून का बंधन होने पर भी वह ऐसा कर सकेगा। उसे सिर्फ इतना करना है कि वह स्वयं जिस उमेदवारको पसन्द करता हो, उम के प्रसिद्ध पक्षपाती को अपना जो उस उमेदवार के लिये मत देने की शर्त करे उस को निर्वाचक पसन्द करे। और दो सीढ़ी के

चुनाव का यह इतना बड़ा स्वाभाविक क्रिया क्रम है कि पिल-कुल राजनीतिक उदासीनता की अवस्था बिना इस से भिन्न गति की मुश्किल से आशा रखी जा सकती है। संयुक्त राज्य (अमेरिका) के राष्ट्रपति का चुनाव वास्तव में इसी रीति से होता है। चुनाव नाम को परोंक्ष है; जनता राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करती, वह तो चुननेवालों को ही चुनती है; परन्तु ये निर्वाचक हमेशा किसी खास उमेदवार के लिये मत देने की खुल्लम खुल्ला शर्त पर चुने जाते हैं। अमुक नागरिक अमुक चुनने वाले के लिये जो मत देता है वह इस कारण से नहीं कि वह मनुष्य उस को पसन्द है वरंच लिंकन * टिकट या वेकेनरिज + टिकट के पक्ष में मत देता है। इतना याद रखना चाहिये कि निर्वाचक जो पसन्द किये जाते हैं उस का कारण यह नहीं है कि वे देश में खोज कर राष्ट्रपति या पार्लियामेंट के सभासद के लिये सब से योग्य पुरुष ढूँढ़ निकालें। अगर ऐसा हो तो इस रिवाज के पक्ष में कुछ कहा जाय; परन्तु ऐसा नहीं है। और जब तक सैटो † की तरह साधारण मनुष्य जाति का ऐसा मत न हो कि जो पुरुष सत्ता स्वीकार करने में सब से ज्यादा नाखुश होता है वही सत्ता सौंपने के लिये सब से लायक है, तब तक ऐसा कभी होगा भी नहीं। चुनने वालों को—निर्वाचकों को जो उमेदवार खड़े हुए हों उन में से एक को पसन्द करना है; और जो लोग

* (१८०४-६५) संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति (१८६०-६५)
इस ने लड़ हागड कर गुलामी उठवा दी । † लिंकन का प्रतिपक्षी ।

‡ (इ० स० पूर्व ४३०-३४८) सोक्रेटिस का सब से प्रख्यात शिष्य और उस के सिद्धान्त का प्रचारक । मौजू दर्शन में इस की शाखा सब से भेद्य गिनी जाती है ।

निर्वाचक पसन्द करते हैं वे पहले से जानते हैं कि वह कौन उमेदवार है। देश में कुछ भी सार्वजनिक उत्साह विद्यमान होगा तो जो लोग मत देने की कुछ भी परवा रखते होंगे उन सब मन धारियों ने मन में निश्चय कर लिया होगा कि उन उमेदवारों में से वे स्वयं किस को निर्वाचित देखना चाहते हैं और केवल उसी विचार के ऊपर से अपना मत देने को मुकेंगे। हर एक उमेदवार का पक्षपाती उस पुरुष के लिये मत देने को वाध्य सब निर्वाचकों की सूची अपने पास तय्यार रखेगा; और मूल मतधारी से जो असली प्रश्न किया जायगा वह इतना ही कि इन में से किस सूची को वह सहारा देगा।

जिस प्रसङ्ग में दो क्रम का चुनाव प्रयोग में अच्छा उतरता है वह यह है कि निर्वाचक केवल निर्वाचक के तौर पर ही पसन्द किये हुए नहीं होते बरंच उन को दूसरे आवश्यक कर्तव्य भी पालने होते हैं और धूम से सिर्फ किसी ग्राम मत के अङ्कितिया के तौर पर ही चुने जाने की सम्भावना नहीं रहती। ऐसी घटना का दृष्टान्त संयुक्त राज्य की बुडसभा (सिनेट) नाम की दूसरी अमेरिकन संस्था के गठन से मिल जाता है। यह संस्था मानो साम्राज्य-सभा (कांग्रेस) की ऊपरवाली सभा है। वह सीधे तौर पर लोकप्रतिनिधि नहीं गिनी जाती परन्तु पूर्णरूप से माण्डलिक राज्यों * की प्रतिनिधि और जो जो राज्यहक उनके अर्थात्

* संयुक्त राज्य (युनाइटेड स्टेट्स) माण्डलिक राज्यों अर्थात् छोटे छोटे राजनीतिक प्रान्तों का समूह है। माण्डलिक राज्यों का अपना अपना राज्यशास्र है, उनके हाथ में सिर्फ माण्डलिक राज्य का सीधे प्रबन्ध है; परन्तु विदेश के साथ का तथा सब का साधारण-व्यवहार संयुक्त राज्य अथवा साम्राज्य सभा को सीना हुआ है।

किये हुए होते हैं उनकी रक्त गिनती जाती है। समान संयोग के कारण, प्रत्येक माण्डलिक राज्य का आकार या आवश्यकता चाहे जैसी हो तथापि उसकी भीतरी सत्ता एक समान पवित्र गिनी जाती है और वह चाहे छोटे डिलावेर का माण्डलिक राज्य हो या न्यूयार्क की साम्राज्य सभा का स्थल हो, प्रत्येक वृद्ध-सभा के लिये एक समान (दो) सभासद भेजता है। ये सभासद समस्त जनसमाज द्वारा नहीं, बरंच प्रत्येक माण्डलिक राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित माण्डलिक राज्य की कानून बनानेवाली सभा द्वारा चुने जाते हैं; परन्तु इन संस्थाओं के सिर पर कानून बनानेवाली सभा का सब से साधारण अर्थात् स्थानिक कानून बनाने का और शासन विभाग का काम हांता है, इस से उनका जो चुनाव होता है उसमें पहिले की अपेक्षा इस पिछले उद्देश्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है और ये संस्थाएं संयुक्त वृद्ध-सभा में माण्डलिक राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर जो दो नाम चुनती हैं उनको पसन्द करने में बहुत कर के अपनी राय के अनुसार चलती हैं और उस में सिर्फ जन सम्मत राज्यतंत्र के सब काम में लोकमत पर जो साधारण ध्यान रखने की जरूरत है उतना ही ध्यान रखती हैं। इस प्रकार से होनेवाला चुनाव उत्कृष्ट रीति से सफलीभूत प्रमाणित हुआ है और संयुक्त राज्य के सारे चुनाव में स्पष्टतः सब से श्रेष्ठ है; क्योंकि वृद्ध सभा में जो पुरुष अवश्य करके आते हैं वे, जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में यथेष्ट नाम कर लिया है उन्हीं में से सब से प्रसिद्ध पुरुष होते हैं। ऐसे दृष्टान्त के सामने यह नहीं कहा जा सकता कि परोक्ष लोक निर्वाचन कभी लाभकारी नहीं है। कुछ खास शर्तों में यह पद्धति सब से बढ़कर स्वीकार करने योग्य है। परन्तु ये अवस्थाएं युनाइटेड स्टेट्स जैसे संयुक्त राज्यों के सिवा

दूसरी जगह अनुभव सिद्ध अवस्था में मुश्किल से मिलेंगी; क्योंकि युनाइटेड स्टेट्स में स्थानिक संस्थाओं को चुनाव का काम सौंपा जाता है; उनके दूसरे कर्तव्यों में जनता के सब से आवश्यक विषयों का समावेश हो जाता है। इस देश में जो संस्थाएं उनकी सी दशा में हैं और हो सकती हैं वे सिर्फ नगर-सुधारिणी (म्यूनीसिपल) सभाएं अथवा उनकी सी स्थानिक उद्देश्यों के लिये उत्पन्न हुई या होनेवाली संस्थाएं ही हैं। इतने पर भी अगर पुरप्रधान और साधारण समातन्दन शहर के प्रतिनिधि चुने और मेरिलबोन के पेरिश व्यवस्थापक जैसा कि वास्तव में आज कल चुनते हैं वैसे प्रकार्य रूप से वहां के सब प्रतिनिधि चुनें तो कम ही लोग यह समझें कि पार्लीमेण्ट के गठन में कुछ सुधार हुआ। ये संस्थाएं सिर्फ स्थानिक संस्थाओं की स्थिति में देखने पर इस समय की अपेक्षा बहुत कम आपत्तिजनक हों तो भी जो गुण उनकी नगर सुधार या पेरिश की व्यवस्था के नियमित और विशेष कर्तव्य पालन करने के योग्य बनाते हैं वे गुण पार्लीमेण्ट की मैन्यरी के उद्देश्य की, कर्मादेश योग्यता के विषय में निर्णय करने की कुछ खास योग्यता की जमानत नहीं देते। यह कर्तव्य जिस तरह लोग प्रत्यक्ष मत देकर पालन करते हैं उसकी अपेक्षा ये मनुष्य शायद बहुत अच्छी तरह पालन नहीं करेंगे। इसके विरुद्ध अगर पेरिश-व्यवस्थापकों या म्यूनीसिपल सभासदों के ओहदों के लिये मनुष्य पसन्द करने में, पार्लीमेण्ट के सभासद चुनने लायक योग्यता का भी ध्यान रखना ही तो जिनके विचार साधारण राज्यनीति के विषय में अपने पसन्द करनेवाले मतधारियों से मिलते हों उनकी पसन्द करने का जो कर्तव्य हो उता से, जो लोग यह अधिक नियमित कर्तव्य पालने को सब से अधिक योग्य होंगे उनमें से

बहुत से वंचित हुए विना नहीं रहेंगे। म्यूनीसिपल सभाओं की मात्र परोक्ष राजनीतिक सत्ता के कारण उनका चुनाव एक पक्ष राज्यनीति का विषय हो गया है और उसके मूल उद्देश्य में बहुतेरी गड़बड़ें पेश आ चुकी हैं। अगर किसी मनुष्य के गुमाश्ते या रसोइये के फर्जों में उसके लिये वैद्य पसन्द करने का फर्ज भी शामिल समझा जाय तो उसे उनकी पसन्द से अधिक अच्छा वैद्य मिलने की सम्भावना नहीं रहेगी। फिर उसके रसोइया या गुमाश्ते की पसन्द ऐसे मनुष्यों में सिकुड़ी रह जायगी जिनको यह दूसरा काम सौंपने से उसका स्वास्थ्य बेहद जोखिम में पड़ने का खटका है।

इस से मालूम होता है कि जो लाभ परोक्ष निर्वाचन में कुछ भी साध्य है वह प्रत्यक्ष में भी प्राप्त हो सकता है परन्तु जिसकी परोक्ष निर्वाचन में आशा रखते हैं वह भी इसमें प्रत्यक्ष के बराबर ही असाध्य हो जाता है और इसमें एक बड़ा अलाभ भी है। यन्त्र सामग्री में यह एक फालतू और निकम्मा पहिया है जो कम आपत्तिजनक नहीं है। सार्वजनिक उत्साह और राजनीतिक ज्ञान चमकाने के साधन रूप उस में जो साफ कच्चाई है उसकी आलोचना पहिले कर आये हैं; और अगर उसका कुछ भी अच्छा असर हो—अर्थात् मूल मत-धारी पार्लिमेण्ट का अपना प्रतिनिधि चुनने का काम किसी अंश में भी वस्तुतः अपने चुने हुए के हाथ में सौंपे तो उसका अपने प्रतिनिधि से एक भाव होना रुके और प्रतिनिधि को भी अपनी मतसमिति के प्रति कम जिम्मेवारी का ख्याल रखना पड़े। इन सब के सिवा जिन मनुष्यों के हाथ में पार्लिमेण्ट के सभासदों का अन्तिम चुनाव रहे उनके मुकाबले में कम संख्या के कारण, प्रपञ्च के लिये और चुनने वालों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल आने

वाली हर तरह को रिश्त के लिये अधिक मौका मिले बिना नहीं रहेगा । घूसखोरी के मुद्दों के विषय में तो सब मत संस्थाएं छोटे कसबों की दशा में आ पड़ेंगी । चुनाव पका करने के लिये कुछ ही मनुष्यों को मिला लेने को जरूरत रहेगी । अगर यह कहा जाय कि निर्वाचक उनके सामने जवाब देह होंगे जिन्होंने उनको चुना है तो इसका यह साफ जवाब है कि उनका कोई स्थायी पद या सार्वजनिक प्रतिष्ठा न होने से उनको रिश्तों मत से कुछ जोखिम नहीं पहुँचेगा या पहुँचेगा भी तो उसकी, अर्थात् फिर निर्वाचक नहीं नियत होने की, परवा कम ही होगी और इस से शुद्धता का मुख्य भरोसा अभी तक घूसखोरी की सजा के आधार पर है । और छोटी मत समितियों में इस आधार की अपूर्णता अनुभव से सारे संसार में प्रगट होगयी है ।

पसन्द किये हुए निर्वाचकों को जितना ही विचार स्वातन्त्र्य दिया जायगा उतना ही यह दोष पैदा होगा । अगर वे इस शर्त पर निर्वाचक पसन्द किये जायँ कि उनका काम केवल अपनी मत समिति का मत मतस्थल पर ले जाने का है तब सम्भवतः इसी एक अवस्था में वे लोग अपना मत खास अपना मतलब साधने के काम में लगाने से डरेंगे । जहाँ दोहरे क्रम के चुनाव का विचार काम में लाया गया कि उसी चड़ी से उसका घुरा असर शुरू हुआ । युनाइटेड स्टेट्स वाली वृद्धसमा के समासदों (सिनेटर्स) के चुनाव के ऐसा प्रसङ्ग नहीं होगा तो हम परोक्ष निर्वाचन के नियम का चाहे जिस-रीति से उपयोग करें, उसके विषय में यह बात सत्य निकलती दिखाई देगी ।

इस राजनीतिक योजना के पक्ष में जो सब से अच्छी बात कही जा सकती है वह यह कि पार्लियामेंट के अन्दर केवल बहुमत

ही प्रयत्न न हो जाय इस रीति से जनता के प्रत्येक मनुष्य को किसी किसम का मतद्वक देने के लिये यह युक्ति लोकमत की कुछ अवस्था में अनेक मतों की युक्ति से अधिक साध्य हो जायगी । जैसे—इस देश की मत समिति में सब मजदूरों के पसन्द किये हुए, अपने में से ही एक बड़े और निर्वाचित वर्ग की वृद्धि की जा सकती है । ऐसी युक्ति तात्कालिक समाधान करने का प्रसङ्गोपात् सुगम मार्ग हो सकती है परन्तु ऐसा कोई मूलतत्त्व पूर्णतया इससे नहीं सधता कि जिससे दार्शनिकों के किसी वर्ग को इसे स्थायी प्रबन्ध के तौर पर पसन्द करने की सम्भावना हो ।

दसवाँ अध्याय ।

मत देने की पद्धति के विषय में ।

मत देने की पद्धति के सम्बन्ध में सब से आवश्यक प्रश्न गुप्त रूप या प्रकाश्य रूप का है और अब हम इसी विषय को लेते हैं ।

‘ छिप रहना ’ और ‘ नामर्दा जताना ’ आदि ख्यालों की नींव पर इसकी आलोचना करना भारी भूल समझी जायगी । गुप्तता कितने ही अवसरों पर सकारण है और कुछ में आवश्यक है और जिस ओखिम से ईमानदारी के साथ दूर रह सकते हैं उससे बचाव ढूँढ़ना कुछ नामर्दा नहीं है । इसी तरह जिसमें प्रकाश्य मत की अपेक्षा गुप्तमत अधिक पसन्द करने योग्य हो वह प्रसङ्ग विचार में नहीं आ सकता यह भी विवेकपूर्वक प्रतिपादन करना सम्भव नहीं है । परन्तु मुझे कहना चाहिये कि राजनीतिक प्रकार के कार्यों में ऐसे प्रसङ्ग नियम रूप नहीं बरञ्च अपवाद रूप हैं ।

जैसा कि मैं पहिले कई बार बता चुका हूँ, जिन कितने ही प्रसङ्गों में किसी नियम का जीवन सत्य अर्थात् उससे नागरिक के मन में उत्पन्न होने वाला भाव, उस नियम के असर का एक सय से आध्यात्मिक तत्व है उनमें से यह एक हाल का दृष्टान्त है। गुटिका मत ० का जीवनसत्य—मतधारी के मन में उस विषय में उत्पन्न होने वाला सम्भवित भाव—ऐसा है कि उसे जो मत एक दिया गया है वह उसके निज के लिये—अपने पास उपयोग और लाभ के लिये है जनता के लाभ की भाँती के तौर पर नहीं है। अगर वह सचमुच भाँती है, अगर जनता को उसके मत पर एक है तो क्या उसको वह मत जानने का एक नहीं है? इस दूषित और हानिकारक असर का जनसमूह पर होना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो लोग गत कुछ वर्षों से गुटिका मत के प्रसिद्ध पक्षपाती हो गये हैं उन में से बहुतों के ऊपर ऐसा असर हुआ है। इस मत के मूल प्रचारकों का ऐसा विचार था; परन्तु किसी मत का मन के ऊपर होनेवाला असर अगर उत्तम रीति से मालूम होता है तो उस के गढ़नेवाले पर नहीं परन्तु उस से जो गठित होता है उस पर। मि० ब्राइट और उनके विचार के लोकसत्ता के पक्षपाती यह साबित करना अपना भारी कर्तव्य समझते हैं कि उनके कथनानुसार, मत एक एक है, भाँती नहीं। अब यही एक मायना साधारण मन में घर कर के जो सान्त्विक हानि करती है वह, गुटिका मत अधिक से अधिक जितनी भलाई कर सकता है उस से बढ़ जाता है। एक की मायना की हम चाहे जैसी व्याख्या करें या

ॐ इस दंग से (लाठी की तरह) मत देने की रीति जिससे मादूम न हो सके कि किस मतदाता ने किस तरह मत दिया ।

अर्थ लगावें परन्तु किसी मनुष्य को दूसरे पर (शुद्ध कानूनी भाव के सिवा) सत्ता का हक हो ही नहीं सकता । ऐसी जो कुछ सत्ता उस के हाथ में दी जाती है वह सब इस शब्द के सम्पूर्ण भाग के अनुसार सात्विक धाती है । परन्तु मतधारी की हैसियत से या प्रतिनिधि की हैसियत से कोई राजनीतिक कार्य करना दूसरे के ऊपर सत्ता-हुकूमत है । जो लोग यह कहते हैं कि मत धाती नहीं, हक है, वे अपने सिद्धान्त से निकलता हुआ मतलब मुश्किल से स्वीकार करेंगे । अगर वह हक है, अगर वह मतधारी के हाथ में उसके लाभ के लिये है तो उसे बेचने के लिये, अथवा जिसे प्रसन्न करने में उसका स्वार्थ है उसे खुश रखने में उसे लगाने के लिये हम किस धुनियाद पर उसको उलटाना दे सकते हैं ? कोई मनुष्य अपने मकान का, अपने तीन टकिया सूद के कम्पनी कागज का या जिस किसी दूसरी वस्तु पर उसका घास्तविक हक हो उसका उपयोग करे तो उसमें उसकी ओर से सिर्फ सार्वजनिक लाभ का विचार रखने की आशा नहीं की जाती । जिन कई कारणों से उसको बेशक मत मिलना उचित है उन में से एक यह है कि उसे अपनी रक्षा का साधन मिले; परन्तु यह सिर्फ उसी दशा में जब कि वह अपने प्रत्येक नागरिक बन्धु की भी, अपने मत के आधार से जहां तक बन पड़े, रक्षा करने को एक समान धाध्य हो । उसका मत ऐसी वस्तु नहीं है कि उसमें उसकी मनमानी रहे; न्यायपंच (जुरर) के फैसले की अपेक्षा उसके मत से मनमानी का अधिक सम्बन्ध नहीं है । यह एक वास्तविक कर्तव्य की धात है; यह सार्वजनिक हित के विषय में अपने सब से श्रेष्ठ और शुद्ध अभिप्राय के अनुसार, 'मत देने को धाध्य है । जिनका इस विषय में कुछ भी भिन्न विचार हो वे सब मत देने के अयोग्य हैं

उनके ऊपर मत का जो असर होगा वह उनका मन कुंठित करने का होगा उच्च करने का नहीं। वह उनके हृदय में उच्च देशभक्ति और सार्वजनिक कर्तव्य की वृत्ति बनाने के बदले आत्मस्वार्थ, अपनी मरजी या ख्याल (जो कि स्वेच्छाचारी राजा और श्रत्याचारी को उत्तेजित करनेवाले भाव और उद्देश्य हैं परन्तु इसमें किसी कदर कम होंगे) के अनुसार सार्वजनिक कार्य करने की वृत्ति को टकसाता और पोसता है। अब अगर कोई साधारण नागरिक किसी सार्वजनिक शोहदे पर हो अथवा उसके सिर कोई सामाजिक कार्य आपड़े तो उस से सम्बन्ध रखनेवाले कर्तव्यों के विषय में, उसका वह काम देने में, जनता जैसा विचार और वृत्ति दिखावेगी वैसी ही उसकी भी अवश्य होगी। उसकी ओर से जैसी आशा जनता रखती जान पड़ेगी उसके ऊपर से उसकी बनने वाली सीमा से वह नीचे गिर सकता है परन्तु ऊपर शायद बढ़े। और गुप्त मत के विषय में उसकी ओर से जो अर्थ होने का प्रायः भरोसा है वह यही कि वह स्वयं क्यों मत देता है यह जिसको जानने की स्वाधीनता नहीं है उसके साथ अपने मत का कुछ सम्बन्ध हो इस रीति से देने का वह बाध्य नहीं है, परन्तु उसका जैसी रुचि हो वैसा ही दे सकता है।

प्राइवेट क्लबों और सोसाइटियों में गुटिका मत का उपयोग होता है, इस से पार्लियामेंट के चुनाव में भी इसको जायज करने की दलील नहीं टिक सकती, इसका यह निर्णायक कारण है। मतधारी तो दूसरे किसी के अभिलाष या स्वार्थ का ख्याल रखने के फर्ज से अपने को गलत तौर पर बरी समझता है, परन्तु क्लब का मेम्बर दर असल बरी है। वह अपने मत से इतना ही प्रगट करता है कि वह अनुकूल पुण्य

के साथ कमोवेश निकट सम्बन्ध रखने को राजी है या नहीं; इस से कुछ विशेष नहीं। यह विषय ऐसा है कि इसमें, जैसा कि सब लोग स्वीकार करते हैं, उसको अपनी मरजी या वृत्ति के अनुसार निर्णय करने का हक है; और वह भागड़े की भौकी लिये बिना इसका निर्णय करने को शक्तिमान हो यह सब के लिये, अस्वीकृत मनुष्य के लिये भी अच्छा मार्ग है। इन प्रसङ्गों में गुटिका मत को आपत्ति रहित बनानेवाला दूसरा विशेष कारण यह है कि इसके परिणाम में स्वभावतः या लाचारी दरजे भूठ बोलना नहीं पड़ता। सम्बन्धी पुरुष एक ही वर्ग या दरजे के होते हैं और उन में से एक जन दूसरे से आग्रह कर के यह प्रश्न करे कि तुमने कैसा मत दिया तो यह अनुचित माना जायगा। पार्लियामेंट के चुनाव के विषय में बहुत सी दूसरी बातें हैं और जब तक एक पुरुष दूसरे से इतना श्रेष्ठ है कि उससे अपने हुकम के, मुताबिक मत दिलाने के लिये अपने को हकदार समझे तब तक ऐसा रहना सम्भव है। और जब तक ऐसी स्थिति है जब तक चुप्पी या उड़ता जवाब यह साबित करेगा कि जो मत दिया गया है वह वैसा नहीं है जैसा कि चाहा गया था।

किसी प्रकार के राजनीतिक चुनाव में, सार्वत्रिक मत में भी (और नियमित मत के विषय में तो और भी स्पष्टतः) मतधारी अपने निज के स्वार्थ का नहीं, बरञ्च सामाजिक लाभ का विचार रखने को—और स्वयं अकेला मतधारी होने और केवल उसी पर चुनाव का दारमदार होने की दशा में वह जैसा बर्ताव करने को बाध्य होता वैसे ही अपने यथार्थ अभिप्राय के अनुसार मत देने को—सम्पूर्ण सात्विक कर्त्तव्य से बाध्य है। यह सिद्धान्त स्वीकार करने का विशेष नहीं तो प्रत्यक्ष परिणाम यही है कि मत देने का कर्त्तव्य, दूसरे

कर्त्तव्य की तरह लोकमत के सामने और आलोचना के अधीन रह कर पालना चाहिये; क्योंकि उसका पालन करने में जनता के प्रत्येक मनुष्य का स्वार्थ है, इतना ही नहीं, बरञ्च वह कर्त्तव्य अगर ईमानदारी और सावधानी में पालने के बदले दूसरी तरह पाला जाय तो इसमें अपना नुकसान हुआ सम्झने का उसको हक है। राज्यनीति का यह या दूसरा कोई नियम बेशक पूर्णरूप से अभंग्य नहीं है; इसकी शपेक्षा इन सब कारणों से इसको अलग रखा सकते हैं। परन्तु यह नियम इतना घजनदार है कि जिन प्रसङ्गों में यह मङ्ग किया जा सकता है वे असाधारण अपवाद स्वरूप होंगे।

बेशक यह भी हो सकता है कि अगर हम मतधारी को उसके मत के लिये विघ्ननि के सामने जनता के सामने जघाय-देह बनाने का प्रयत्न करें तो मतधारी जब गुप्तता की ढाल की छाया में रह कर जघायदेही में विलकुल घरी हो गया हो नय जिस कदर उसका अपना स्वार्थ जनता के साधारण लाभ के प्रतिकूल जायगा उससे भी जिसका स्वार्थ अधिक प्रतिकूल बागा होगा उस किसी प्रबल पुरुष की वाम्बविक सत्ता में वह आ जायगा। जब मतधारियों के बड़े भाग की ऐसी दशा हो तब गुटिका मत कम हानिकारक होगा। मतधारी जब गुलाम की अवस्था में हों तब जिन जिन बातों से वे अपनी गुलामी से मुक्त होने को समर्थ हों वे सही जा सकती हैं। जब बहुत के ऊपर थोड़े की हानिकारक सत्ता बढ़ती जाती हो उम समय गुटिकामत सब से सफल डार होता है। रोम के जनसत्ताक राज्य की अव्यवधि के समय गुटिकामत के लिये अनिवार्य कारण था। प्रति वर्ष शिष्ट वर्ग अधिक अधिक धनवान तथा अत्याचारी और जनसमूह अधिक अधिक निर्धन तथा परव्य होता जाता था; और

पहुँचवाले दुष्ट पुरुषों के हाथ में केवल हथियार रूप होते जाते हुए मत के दुरुपयोग के विरुद्ध बहुत मजबूत बाँध बाँधने की जरूरत थी। एथीनियन राज्यतन्त्र में जब तक गुटिकामत विद्यमान था तब तक उसका असर लाभकारी था, इस बात में भी इतना ही कम सन्देह किया जा सकेगा। ग्रीक जनसत्ताक राज्यों में जो सब से अस्थिर थे उनमें भी अनुचित रीति से पाये हुए एक लोकमत से ही स्वतन्त्रता का (तत्काल के लिये) नाश होना सम्भव था और यद्यपि एथीनियन मतधारी इतने परवश न थे कि उन पर साधारणतः बलात्कार हो सके तथापि यह सम्भव था कि उन्हें घूस दिया गया हो या कुछ उच्छृंखल पुरुषों के दल के अत्याचार ने उनको बाँका रखा हो; क्योंकि एथेन्स में भी ऊँचे दर्जे के और धनवान युवकों में ऐसे पुरुष असाधारण न थे। ऐसे अवसरों पर गुटिका मत सुष्ठुहला के लिये एक कीमती हथियार था और प्राचीन जनसत्ताक राज्यों में जिस न्याय और समानता के लिये एथेन्स प्रख्यात था उसे प्रचलित करता था।

परन्तु अर्वाचीन युरोप के बहुत आगे बढ़े हुए राज्यों में और खास करके इस देश में, मतधारी पर जबरदस्ती करने की सत्ता घट गयी है और घटती जाती है; और मतधारी के खराब मत के लिये इस समय जितना भय उसके व्यक्तिगत या धर्मगत कूट स्वार्थ और दुष्ट वृत्तियों की तरफ से रहता है उसकी अपेक्षा उसकी दूसरे के हाथ में परवशता के असर से कम भय रहता है। पहले विषय में सारे अंकुश से मुक्त करने के खर्च में दूसरे विषय में उसकी रक्षा करना बहुत छोटे और घटते हुए दोष की जगह बहुत भारी और बढ़ता हुआ दोष प्रहण करने के समान है। इस विषय पर और हाल

के जमाने में यह प्रश्न इंग्लैंड से जितना सम्बन्ध रखता है उतने तक साधारणतया उसके ऊपर मैं ने अपनी " पार्लिमेंट में सुधार " सम्बन्धी एक पुस्तिका में जो विचार प्रगट किये हैं उनमें मैं कुछ फेर बदल करने की आवश्यकता नहीं समझता; इससे यहाँ उसमें से कुछ उद्धृत करना चाहता हूँ—

"तीस वर्ष पहिले भी सच बात यह थी कि पार्लिमेंट के सभासदों के चुनाव में जो मुख्य दोष सम्हालने योग्य था, वह जमींदारों, मालिकों और प्राइकों का घलातकार था और वह गुटिका मत से दूर होता। इस समय मैं समझता हूँ कि अनर्थ का जो बहुत बड़ा कारण है वह मतधारी का अपस्वार्थ या अपस्वार्थी पक्षपात है। मुझे विश्वास हो गया है कि इस समय जो नीच और हानिकारक मत दिया जाता है उसका मूल दूसरे की तरफ के परिणाम के भय की अपेक्षा बहुधा, मतधारी के व्यक्तिगत स्वार्थ या वर्गस्वार्थ या उसके मन की कुछ नीच वृत्ति होती है और गुटिका मत उसको बिना किसी शर्म या जवाबदेही के इन सत्ताओं के घशीभूत बने रहने को शक्तिमान करता है।

"राज्यतंत्र का सम्पूर्ण अधिकार बहुत ऊंचे और धनवान वर्गों के हाथ से निकले बहुत अधिक समय नहीं बीता है। उस समय देश का मुख्य संकट उनकी सत्ता का था। मालिक या जमींदार की आशानुसार मत देने का रिवाज ऐसा जड़ पकड़ गया था कि प्रबल सार्वजनिक जोश के सिवा और किसी से उसका असर दवाना असम्भव था और ऐसा जोश अच्छे काम के सिवा दूसरे समय शायद ही देने में आता है। इससे इन सत्ताओं के विरुद्ध दिया हुआ मत साधारणतः प्रामाणिक और जनहित के तरफ की वृत्ति वाला निकलता और वह चाहे जिस प्रसङ्ग में और चाहे जिस उद्देश्य से

प्रेरित होकर दिया जाता उसके अच्छा मत होने का प्रायः सदा भरोसा था; क्योंकि वह शिष्टवर्ग के अलंघ्य सत्ता रूपी राजसी दोष के विरुद्ध दिया जाता था। अगर उस समय मतधारी, आत्मरक्षा के साथ अपने को अपना एक सत्यता या विवेक-पूर्वक नहीं तो स्वतंत्रता से भी काम में लाने को शक्तिमान कर सका होता तो सुधार को भारी लाभ पहुँचता; क्योंकि इससे देश में उस समय शासन करने वाली सत्ता का—राज्यतंत्र और राज्यप्रबन्ध में जो जो खराब तत्व थे उन सब को उभाड़ने और कायम रखने वाली सत्ता का—जर्मादारों और कसबे का सट्टा करनेवालों का—बंधन टूट गया होता।

“गुटिका मत स्वीकृत नहीं हुआ, परन्तु इस विषय में गुटिका मत का काम घटनावली ने किया है और अधिक अधिक करती जाती है। देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति इस प्रश्न से जितना सम्बन्ध रखती है उतने अंश में बहुत बदल गयी है और हर रोज बदलती जाती है। उच्च वर्ग अब देश का मालिक नहीं रहा। जिस मनुष्य की दृष्टि में वर्तमान काल के सब चिन्ह न आते होंगे वही सोचेगा कि मध्य वर्ग उच्च वर्ग के और मजदूर वर्ग मध्य और उच्च वर्गों के, चौथाई सदी पहिले जितना अधीन था वश था उतना ही इस समय भी है। इस चौथाई सदी की घटनाओं ने प्रत्येक वर्ग को अपना संयुक्त बल जानना सिखलाया है; इतना ही नहीं, वरंच निचले वर्गों के मनुष्यों को ऊँचे वर्गों के मनुष्यों के साथ अधिक हिम्मत से बर्ताव करने की स्थिति में पहुँचा दिया है। मतधारी का मत उस के ऊपर वाले की भरजी के अनुसार हो चाहे विरुद्ध, अब बलात्कार करने के पहिले के साधन न होने से वह बहुत प्रसङ्गों में बलात्कार का परिणाम

नहीं होता, घरंच उसकी अपनी खास या राजनीतिक प्रवृत्ति का धोतक होता है आजकल की निर्वाचन पद्धति के दोष ही स्वयं इस के सबूत हैं। रिश्वतघोरी बढ़ते जाने के विषय में मची हुई चिन्नाहट और जो स्थान पहिले उस से बचे हुए थे वहां भी उस की छून, साधित करती है कि अब स्थानिक सत्ताओं का प्रभाव नहीं रहा और मतधारी दूसरों को नहीं घरंच अपने आप को प्रसन्न करने लिये मत देता है। जिलों में और छोटे कसबों में तो अभी तक गुलामी की परवशता यनी हुई है किन्तु वर्तमान समय उसके प्रतिकूल है और घटनाओं के प्रभाव की गति उसको निरन्तर घटाने की तरफ है। एक अच्छा रय्यत अब यह समझ सकता है कि उस के लिये उसका जमींदार जितना उपयोगी है उतना वह भी अपने जमींदार के लिये उपयोगी है और एक चलता पुर्जा दुकानदार अपनेको अपने किसी भी ग्राहक से स्वतंत्र समझ सकता है। प्रत्येक चुनाव में मतधारियों का मत बहुत स्वतंत्र होता जाता है। अब तो उनकी व्यक्तिगत स्थिति की अपेक्षा उनका मन स्वतंत्र करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब वे दूसरे मनुष्यों की इच्छा के जड़ हथियार—केवल अधिष्ठाता शिष्ट वर्ग के हाथ में सत्ता सौंपनेवाले साधन रूप नहीं रहे। मतधारी स्वयं शिष्ट वर्ग बनने लगे हैं।

“मतधारी जिस कदर अपने स्वामी की मरजी के अनुसार नहीं, घरंच अपनी ही मरजी के अनुसार अपने मत का निर्णय करता है उसी कदर उसकी स्थिति पार्लियामेंट के समासद की स्थिति से मिलती जाती है और उसके प्रकाशन की आवश्यकता है। जब तक जनता का कुछ भी विभाग वे प्रतिनिधि का है तब तक सामाजिक मत से गुटिका मन को मिला देने के

विद्युत् चार्टिस्ट * जो दलील पेश करते हैं यह ला जयाब है । हाल के मतधारी और उनका पड़ा भाग, जिनकी संख्या में अब से पीछे का संभवित सुधार सम्बन्धी कोई मसविदा यदन्ती करेगा, मध्यम वर्ग के हैं । उनका भी जमींदारों और कारखाने वालों के इतना ही और मजदूर वर्ग के स्वार्थ से भिन्न, वर्ग-स्वार्थ है । अगर होशियार कारीगरों को मतहफ दिया जाय तो उनका भी गंवार कारीगरों से अलग वर्गस्वार्थ होगा या होना सम्भव है । मान लो कि सब पुठपों को मत का हक दिया गया—मान लो कि जो पहिले सार्चत्रिक मत के भूटे नाम से परिचित था और अब पुठप मत के मूर्त्त नाम से मशहूर है उस विषय में कानून बना; फिर भी मतधारियों का, स्त्रियों से अलग, वर्ग स्वार्थ तो रहेगा ही । मान लो कि कानून बनाने वाली सभा के सामने खास स्त्रियों के सम्बन्ध का प्रश्न उठा—जैसे, स्त्रियों को विश्वविद्यालय में डिग्री हासिल करने की स्वाधीनता देनी चाहिये कि नहीं † जो यदमाश हर रोज अपनी स्त्री को मौत की मार मारते हैं उनकी इस समय होने वाली हलकी सजा के बदले कुछ ज्यादा कड़ी सजा ठहरानी चाहिये कि नहीं; या मान लो कि व्याही स्त्रियों को अपनी जायदाद पर हक होना चाहिये यह जो रिवाज अमेरिका के मागडलिक राज्य एक एक करके, सिर्फ अलग कानून से नहीं,

* इस नाम की एक सभा १८३९ ईस्वी में खड़ी हुई थी उसकी ६ मांगें इस प्रकार थी (१) सब का मत, (२) गुंटिङ मत (३) वार्षिक पार्लामेण्ट (४) पार्लामेण्ट के सभासद का वेतन देना (५) सब को पार्लामेण्ट के सभासद होने का हक (६) देशका एक समान मतसमितियों में विभाग । † अब स्त्रियां स्वाधीनता से डिग्री हासिल करती हैं ।

घरंच अपने गठन के संशोधित नियमोंमें ही एक धारा रख कर चलाते जाते हैं उसका प्रस्ताव किसी ने ब्रिटिश पार्लिमेंट में पेश किया। अब क्या किसी पुरुष की स्त्री, और लड़कियों को यह जानने का हक नहीं है कि वह पुरुष उस उमेदवार के पक्ष में मत देता है या विपक्ष में जो इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाला है ?

“अलबत्ता यह उच्च उठाया जायगा कि मतहक की हैसियत के अन्यायी रूप धारण करने से ही इन दलीलों को उसका सारा जोर मिलता है; मतधारी निरंकुश होने पर जैसा मत दे उसकी अपेक्षा अगर मत रहित मनुष्यों के अभिप्राय के अंकुश से अधिक ईमानदारी या अधिक लाभदायक रीति से उसका मत देना सम्भव हो तो मतरहित मनुष्य मतधारी होने के लिये मतधारी से अधिक लायक है और उसको मतहक मिलना ही चाहिये। जो मतधारी के मन पर सत्ता चलाने के योग्य हैं वे सब स्वयं मतधारी होने के भी योग्य हैं और ऐसा होने से उनको गुटिकामत के आश्रय में कर देना चाहिये कि जिससे जिन प्रबल मनुष्यों और वर्गों के सामने उन्हें जघायदेह न होना चाहिये उनकी अनुचित सत्ता से वे बच सकें।

“यह दलील देगने में सफल है और एक समय में भी इसको अन्तिम सिद्धान्त समझता था। अब मुझे यह गलत मालूम देती है। जो लोग मतधारी के मन पर असर डालने लायक हैं वे उतने ही कारण से स्वयं मतधारी होने लायक नहीं हैं। पहली सत्ता से यह दूसरी बहुत बड़ी सत्ता है और जिनको अभी अधिक उत्तम राजनीतिक सत्ता निर्भयता से नहीं सौंप सकने से उससे घटिया के लिये तो तैयार हो सकते हैं। मजदूरों के सब से गरीब और जड़ वर्ग का

अभिप्राय और अभिलाष भी कानून बनाने वाली सभा और मतधारियों के मन पर दूसरे अंकुशों के साथ एक बहुत उपयोगी अंकुश हो सकता है; फिर भी उनकी रीति और बुद्धि की वर्तमान दशा में उनको मतहक के सम्पूर्ण उपभोग में दाखिल करके प्रबल सत्ता देना बड़ा हानिकारक होगा। जिनके मत हैं उनके ऊपर जिनके मत नहीं हैं उनका यह परोक्ष अंकुश होगा तो लगातार बढ़ कर मतहक के प्रत्येक नये विस्तार का मार्ग सुगम करनेवाला और समय आने पर इस विस्तार को सुख शान्ति में काम में लाने वाला साधन हुए बिना नहीं रहेगा। जब तक जन समूह सबल अभिप्राय कायम करने योग्य न हुआ हो तब तक प्रकाशित करने और जन समूह के जिम्मेवार होने की रुचि निरूपयोगी है यह विचार ही जेजड़ का है। जब लोकमत अपनी गुलामी का अनुसरण कराने में सफलता पाता है तभी यह हित करता है यह सोचना लोकमत की उपयोगिता का बहुत ऊपरी विचार है। दूसरों की दृष्टि में रहना, दूसरों के सामने अपना वचाव करना यह जो लोग दूसरे के अभिप्राय के विरुद्ध बर्ताव करते हैं उनके लिये जितना आवश्यक है उनकी अपेक्षा दूसरों के लिये कभी अधिक आवश्यक नहीं है; क्योंकि इससे उनको अपनी जड़ मजबूत करने को लाचार होना पड़ता है। दयाव के विरुद्ध काम करने के ऐसा दृढ़ता लाने का गुण दूसरे किसी में नहीं है। कोई मनुष्य क्रोध के तात्कालिक आवेश के वश नहीं हुआ होगा तो वह जिसके लिये भारी निन्दा की आशा रहती होगी वैसा काम पहले से सोचे हुए और निश्चय किये हुए उद्देश्य से ही करेगा और यह सदा विचारशील और स्थिर प्रकृति का सबूत है और जड़ से ही खराब मनुष्यों के सिवा दूसरों में साधारणतः

शुद्ध और दृढ़ व्यक्तिगत निर्णयों से ही यह उन्मत्त हुई रहती है। अगली कार्रवाई का उपाय देना पड़ेगा यही एक बात ऐसी कार्रवाई में लगे रहने के लिये प्रथम हेतु है जिसका कुछ उचित उत्तर दिया जा सकता है। अगर कोई यह माने कि केंद्रम आंचित्य बनाये रखने का कर्त्तव्य ही सत्ता के दुर्नयों पर बहुत बड़ा अंकुश नहीं है तो जो लोग अगले को यह अंकुश मानने के कर्त्तव्य में बंधा नहीं समझते उनकी कार्रवाई को तत्काल उसका ध्यान नहीं भिन्ना है। प्रकाश्य भाव का अमली मूल्य जानना उस दृष्टि में भी असम्भव है जब यह (प्रकाश्य भाव) उस कार्रवाई को (जिसका कुछ अन्वयात्मकान करने को भी सम्भावना नहीं है) रोकने के सिवा, विचार करने को लाचार कर, अगली कार्रवाई का उपाय मांगने पर क्या कहना चाहिये इसका प्रत्येक जन में काम करने के पहले निर्णय कराने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता।

परन्तु (यह कहा जा सकता है कि) अमी नहीं तो पाँचों में जय मय पुरुष और स्त्रियाँ अगली योग्यता से मत के अधिकारी बनाये जायें तो उस बड़ी वर्ग लाभ का कानून होने का कुछ भय नहीं रहने पावेगा; उस समय सारी जनता के मतधारी होने से उनका राष्ट्रीय स्वार्थ से कुछ भिन्न स्वार्थ नहीं हो सकेगा। यद्यपि अमी पृथक् पृथक् मनुष्य व्यक्तिगत या वर्गीय उद्देश्य के अनुसार मत देंगे तथापि अधिक संख्या का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होगा और उस समय ऐसा मत रहित मनुष्य नहीं रहेगा जिसके सामने कैफियत देने की जरूरत पड़े। इसमें गुटिका मत का परिणाम पूर्ण रूप से हितकारी निकलेगा; क्योंकि इससे दुष्ट सत्ता के सिवा और कुछ रद्द नहीं होगा।

“इसमें भी मैं एक मत नहीं होता। मैं नहीं समझ सकता कि जनता ने सार्वत्रिक मत के योग्य होकर उसे पाया हो तो भी गुटिका मत घाञ्छित होगा। पहला कारण यह है कि ऐसी स्थिति में यह जरूरी नहीं समझा जा सकता। इस उद्देश्य में सत्रिविष्ट स्थिति का ही विचार करो—सारी जनता शिक्षित है और हर एक प्रौढ़ावस्था के मनुष्य को मत का अधिकार है। इस समय जब घस्ती का एक छोटा सा भाग ही मतधारी है और बड़ा भाग अशिक्षित है तब भी जब लोकमत, जैसा कि प्रत्येक जन नजर से देखता है, अन्तिम अंकुश सत्ता हो गया है तब जो सारी जनता पढ़ना जानती हो और मतद्वक भोगती हो उसके ऊपर उसकी मरजी के विरुद्ध जमींदार और धनवान लोग ऐसी कोई सत्ता चला सकते हैं जिसके दूर करने में कुछ भी कठिनाई होगी ऐसा सोचना खाम खयाली है। परन्तु यद्यपि गुप्तता की रक्षा उस समय व्यर्थ हो जायगी तो भी प्रकाश्य भाव के अंकुश की तां हमेशा के बराबर ही जरूरत रहेगी। अगर मनुष्य जाति का सार्वत्रिक अवलोकन बहुत भ्रान्तिभुक्त न हुआ हो तो जनता का एक अंग होने और साधारण जनता से प्रत्यक्ष स्वार्थ विरोध की स्थिति में न होने के साथ अपने जाति भाइयों के अभिप्राय की तरफ से मिलनेवाले उत्तेजन या अंकुश बिना सार्वजनिक कर्त्तव्य ठीक ठीक पालने के लिये वह यथेष्ट नहीं है। मनुष्य को विरुद्ध दिशा में खींच ले जानेवाला कोई निजका स्वार्थ न हो तो भी उसके द्वारा उसका सार्वजनिक कर्त्तव्य, दूसरे घाहरी लालच की ओर भुके बिना, पालन कराने के लिये उसके भाग का सामाजिक कार्य साधारण नियम से यथेष्ट नहीं जान पड़ता। फिर यह भी नहीं स्वीकार किया जा सकता कि सब को मत होगा तो वे अपना मत प्रकाश्य भाव से जिस ईमानदारी के साथ देंगे वैसे ही

गुप्त भाव से देंगे । जय मतधारियों में सारी जनता आ जाती है तब उनको जनता के स्वार्थ के विरुद्ध मत देने में कुछ स्वार्थ नहीं हो सकता यह पक्ष जांच करके देखने से उस में अर्थ की अपेक्षा आडम्बर अधिक जान पड़ेगा । यद्यपि (जैसा शब्दार्थ सूचित करता है उस हिसाब से तो) समूची जनता का अपने संयुक्त स्वार्थ से भिन्न स्वार्थ नहीं हो सकता तथापि उसमें से प्रत्येक या किसी किसी का समय समय पर होसकना है । मनुष्य का जिस वस्तु पर मन लगता है वह उसका स्वार्थ है । प्रत्येक मनुष्य के जितनी वृत्तियां होती हैं जितनी अपने मतलब की या वे मतलब की, अधिक अच्छी रुचि या अरुचि होती है—उतने उसके भिन्न भिन्न स्वार्थ हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि उन में से किसी एक को लें तो उस में "उसका स्वार्थ" आ जाता है, वह अपने स्वार्थ का जो एक या दूसरा वर्ग पसन्द करता है उसके अनुसार अच्छा या निकम्मा मनुष्य गिना जाता है । जो मनुष्य घर पर अत्याचार करता होगा वह (जय तक अपने ऊपर न हो तब तक) अत्याचार का अनुमोदन करने को तत्पर रहेगा और यह तो प्रायः निश्चित ही है कि वह अत्याचार रोकने का अनुमोदन नहीं करेगा । ईर्यालु मनुष्य परिस्टेडिस* के विरुद्ध मत देगा; क्योंकि वह न्यायी कहलाता है । मतलबी मनुष्य अच्छे कानून से अपने देश को होनेवाले लाभ में मौजूद अपने भाव की अपेक्षा

* यह मनुष्य ऐसा सद्गुणी, न्यायी और शुद्ध मनका था कि "न्यायी" के नाम से परिचित था । यह हेमिस्टोकलिस का प्रतिद्वन्दी था । यह जहां शिष्टवृत्ता का पक्षगती था वहां हेमिस्टोकलिस जन संघों का पक्षगती था । ई० सन् से ४६७ वर्ष पहले इसकी मृत्यु हुई ।

अपने तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थ को अधिक पसन्द करेगा; क्योंकि उसकी मनोवृत्तियाँ उसे जिधर ध्यान देने को भुकाती हैं और जिसका मूल्य जानने को उसे सब से अधिक शक्तिमान बनाती हैं उसको वह अपना निजका स्वार्थ मानता है। मतधारियों की बड़ी संख्या को दो प्रकार की रुचि होगी। एक निज के उद्देश्यों के अनुसार और दूसरी सार्वजनिक उद्देश्यों के अनुसार। इन दोनों में जो पिछली रुचि है उसी एक को मतधारी प्रकाश करना चाहेंगे। उनकी प्रकृति का वह सब से अच्छा पहलू है जो पहलू अपने से कुछ भी अच्छे न हों उनको भी दिखाने को वे आतुर होते हैं। लोभ, द्वेष रोष या व्यक्तिगत वैर के कारण, वर्ग या पंथ के स्वार्थ या झग के कारण भी लोग बेईमानी का या नीच मत चुपके चुपके प्रगट करने को अधिक तय्यार होंगे। और शठ लोगों के वर्ग पर प्रामाणिक छोटे वर्ग के अभिप्राय के प्रति साहजिक मानवृत्ति का प्रायः एक ही अंकुश रहता है ऐसे उदाहरण मौजूद हैं और आगे भी बहुत से मिल सकते हैं। उत्तर अमेरिका के लोपवादी माण्डलिक राज्यों के से प्रसङ्ग में दुष्ट मतधारी का ईमानदार मनुष्य के मुँह के सामने देखने की शरम क्या कुछ अकुश नहीं है? जब कि सब से अनुकूल स्थिति होने पर भी गुटिका मत के लिये इन सब भलाइयों का त्याग करना पड़ेगा तब उसकी स्वीकृति घाँड़ित होने के लिये, उसकी आवश्यकता के लिये वर्तमान की अपेक्षा अधिक सबल प्रसङ्ग दिखाने की जरूरत है (और यह प्रसङ्ग निरन्तर निर्बल होता जाता है।)" *

* पार्लियामेंट में मुबार पर विचार-दूसरी आशुति पृष्ठ ३२-३६

मत देने की पद्धति सम्बन्धी दूसरे विवादग्रस्त विषयों पर इतना अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मि० हेयर की योजना के अनुसार मनुष्यगत प्रतिनिधि पद्धति में मतपत्रों का उपयोग आवश्यक होता है। परन्तु मुझे इतना जरूरी जंचता है कि मतपत्र पर मतधारी की सही किसी सार्वजनिक मतस्थल पर अथवा ऐसी कोई जगह मुगम न हो तो किसी सब के लिये खुली कचहरी में और जिम्मेवार सरकारी अफसर के सामने लेनी चाहिये। मतधारी मतपत्र की खानापुरी अपने घर पर करे और फिर डाकघर में छोड़ दे या कोई सरकारी कर्मचारी लेने आवे तो उसके हवाले कर दे—इस स्वतंत्रता की जो सलाह दी गयी है वह मुझे जोखिम भरी लगती है। ऐसा हो तो यह काम सारी अच्छी सत्ता की अनुपस्थिति और सारी दुष्ट सत्ता की उपस्थिति में होगा। गुप्तता की दृष्टि में घूस देने वाला अपना सौदा अपनी नजर से मिला और धमकी देने वाला जबरदस्ती की स्वीकृति न टली दे सकता; परन्तु जो लोग मतधारी का असली विचार जानते होंगे उनकी हितकरने वाली प्रतिरोधक सत्ता और जो उनके पक्ष या अभिप्राय के होंगे उनके अनुमोदन का उत्तेजक प्रभाव रद्द हो जायगा। *

● इस युक्ति की विकारिण की गयी है इन दो आधारों पर कि (एक तो) खर्च का बचाव हो और (दूसरे) जो बहुतेरे मतधारी दूसरी तरफ से मत नहीं देंगे और जिनको इस युक्ति के पक्षपाती बांछित मतधारियों की धेणी मानते है उनका मत मिल सके। यह युक्ति निराश्रितों के कानून के व्यवस्थापकों के चुनाव में बरती गयी है और उसमें जो सफ़टता हुई है उससे कानून बनानेवाली सभा के समासदों के लिये मत देने के अधिक आवश्यक विषय में उसे स्वीकार

मतस्थल इतने अधिक होने चाहियें कि सब मतधारी वहां आसानी से जा सकें और किसी वहाने उमेदवार की तरफ से सघारी खर्च मतधारी को लेजाने के लिये स्वीकार नहीं करना चाहिये । अशक को और उसे भी वैद्य के प्रमाण पत्र से ही सरकारी खर्च या स्थानिक खर्च से उचित करने के पक्ष में बहस उठायी जाती है । परन्तु जिस बुनियाद पर इस युक्ति से काम का भरोसा है उसके सम्बन्ध में ये दो विषय मुझे एक दूसरे से अलग होते जान पड़ते हैं । जिस प्रकार के इन्तजामी काम में मुख्य करके एक सार्वजनिक कोष की व्यवस्था है उसके लिये होने वाले स्थानिक निर्वाचन में जो लोग इस्तक्षेप करने को भागे बढ़ते हैं अकेले उन्हीं के हाथ में चुनाव का काम आ पड़ने से रोकने का उद्देश्य होता है; क्योंकि वह चुनाव सम्बन्धी सार्वजनिक उत्साह नियमित प्रकार का और बहुत अवसरों पर साधारण दर्जे का होता है इससे जो लोग अपने इस्तक्षेप से अपना निज का स्वार्थ साधने की आशा रखते होंगे उनमें इस विषय में इस्तक्षेप करने की वृत्ति का बहुत अंश में घुसा रहना सम्भव है । और यह निज का स्वार्थ दबा देने का ही उद्देश्य हो तो भी उस में दूसरे लोगों का इस्तक्षेप, जैसे हो वैसे कम हानिकारक करना बहुत इष्ट हो जायगा । परन्तु जब प्रस्तुत विषय राष्ट्रीय राज्य तंत्र का महान कार्य है और उसमें जो लोग अपने से अतिरिक्त विषय में भी कुछ परवा रखते हों या जो अपने विषय में भी परवा रखते हों उन सब के शामिल होने की आवश्यकता है तब जो लोग उस विषय से बेपरवा हों उन्हें उनके मुस्त मन को जाग्रत करने के उपाय के सिवा दूसरे उपाय से मत देने को ललचाने के बदले मत देने से रोकने का उद्देश्य विशेष होता है । जो मतधारी मतस्थल तक जाने के इतना भी चुनाव की परवा नहीं

सवारी मांगने का हक होना चाहिये । मतस्थल, मत दर्ज करने वाले मुहरिर और चुनाव के सब जरूरी मामान का प्रबन्ध सरकारी स्तर में होना चाहिये । उमेदवार को अपने चुनाव के लिये नियमित और अदना र्च के मिया दूसरा र्च नहीं करना चाहिये; इतना ही नहीं परंच उमे करने न देना चाहिये । मि० हेयर सोचने हैं कि जिनको सफलता की सम्भावना न हो या याम्त्र में प्रयत्न करने का इरादा न हो उन मनुष्यों को मजाक के लिये या महज नगहर होने के शौक के लिये उमेदवार बनकर, दूसरे अधिक इच्छुक मनुष्यों के चुनाव में काम आ सकने योग्य कुछ मत ग्रांचने में रोकने के याम्त्र उमेदवारों की सूची में जो जो अपना नाम लिखायें उनमें से एक एक से ५० पौण्ड की रकम लेना उचित है । जिस एक र्च में उमेदवार या उमके महायकों को, छुटकारा नहीं है वह विभापनों, पटरियों (माइनयोर्टों) और विनय-

करता वह अवश्य देना मनुष्य होगा जो अपना मत पहिले मांगने वाले मनुष्य को अपना सब से दुच्छ और निहामे ग्रांच में अकर दे देगा । जिस मनुष्य को अपना मत देने या न देने की पया नहीं है वह स्वयं छिप राखने मत देता है इसकी परवा करना उसके लिये सम्भव नहीं है; और जिस के मन की ऐसी स्थिति होती है उसे कुछ भी मत देने का कुछ भी सात्तिह अविहार नहीं है; क्योंकि वह ऐसा मत देता है जो किसी हद निर्णय का घोक नहीं है कि; मो वह एक साथी तिन्दगी का विहार और उहेदय प्रगट करने वाले मत के बराबर गिना जाता है और परिमाण का निश्चय करने में उसी के इतना बहनदार हो जाता है । ' वाकीमेंट में सुवार पर विहार ' छुट ३९-मंयकार ।

पत्रों द्वारा उमेदवार की योग्यता मतधारियों को जताने का खर्च है और यह खर्च जो जो उमेदवार मांगें उन सब के लिये सरकार की तरफ से देने की कम ही आशा रखी जा सकती है। मि० हेयर का सूचित किया हुआ ५० पौण्ड अगर इस कारण से वसूल किया जाय तो उतने में ही इस किस्म का सब जरूरी खर्च हो जाना चाहिये (और अगर आवश्यक जंचे तो इसे १०० पौण्ड कर दें) अगर उमेदवार सभाएं बुलाने और मत हासिल करने की यावत खर्च करना चाहें तो उनको रोकने का कोई उपाय नहीं है; परन्तु ऐसे उमेदवार की गांठ का खर्च, अथवा ५० (या १०० , पौण्ड की अमानत के सिवा कोई खर्च बेकानूनी और सजा के फाविल होना चाहिये। अगर घोषे का कुछ खटका हो तो प्रत्येक सभासद से आसन ग्रहण करते समय शपथ या प्रतिज्ञा द्वारा यह स्पष्ट स्वीकार करा लेना चाहिये कि उसने अपने चुनाव में प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से ५० पौण्ड के सिवा रुपया या रुपये के ऐसा कुछ खर्च नहीं किया है और करेगा भी नहीं। अगर यह स्वीकृति झूठी या प्रतिज्ञा टूटी साबित हो तो उसे झूठी शपथ का दण्ड मिलना चाहिये। इन सजाओं से यह प्रगट होगा कि इस विषय में पार्लिमेण्ट का विचार दृढ़ है; और लोकमत की गति भी उसी दिशा में भुकेगी और जन समाज के सामने इस सब से गहरे अपराध का मामूली बुरी खस-लत समझा जाना, जैसा कि अभी तरु समझा गया है, रुकेगा। जहां एक बार यह असर हुआ कि शपथ या प्रतिज्ञा द्वारा की हुई स्वीकृति लाजिमी हो जायगी, इस घात में कुछ सन्देह रखने की जरूरत नहीं है। * “जब लोकमत अस्वीकार की

हुई घस्तु से आंध छिपाता है तभी यह भूटे ला दाघा आदमी से आंध छिपाता है यानी देखकर मटिया जाता है ।" चुनाव के घूस के सम्बन्ध में यह बात जंगलप्रसिद्ध है । राजनीतिक पुरुषों की तरफ से अमीतक कमी घूस रोकने का कुछ वास्तविक और गहरा प्रयत्न नहीं हुआ । और इसका कारण यह है कि यह कमी इच्छा ही नहीं हुई कि चुनाव खर्चीला न हो ।

इंस्वी की आम सभा की कमेटियों के सामने गुजर हुए गवाहों में से (जिनमें कितने ही चुनाव के काम में कार्यरत: बड़े अनुभवी थे) कुछ जन (एक स्तंत्र नियम के तौर पर या अन्तिम उपाय के तौर पर) पार्लियामेंट के समासदों से स्वीकृति लेने के नियम के पक्ष में थे और उनका यह राय थी कि अगर उस में सजा का महारा हो तो उसका बहुत बड़ा असर हो (गवाही पृष्ठ ४६, ५४-७, ६७, १२३, १९८-२०२, २०८) वेकफील्ड की जांच करनेवाली कमेटियों के अध्यक्ष ने (अवश्य ही एक दूसरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में) कहा था— "अगर वे यह देखें कि कानून सभा का विश्वास टूट दे तो संघ-सामग्री अरथा काम करेगी....." मुझे पक्का विश्वास है कि घूस साबित होने से कुछ व्यक्तिगत कलंक लगे तो इससे लोकमत का प्रयाह बदल जायगा ।" (पृ० २६ और ३२) कमेटियों के (और अब मंत्री सभा के) एक समासद ने यह विचार प्रगट किया था कि भावी वाचक प्रतिशा जो भूतवाचक प्रतिशा से भिन्न प्रकार की है उसमें शूटी शपथ की सजा जोड़ना बहुत आवश्यक है; पण्डु उनको स्मरण दिलाया गया था कि न्यायालय में साक्षी जो शपथ करता है वह भावी वाचक अर्थात् भाविष्य के लिये है और उनका दिया हुआ प्रत्युत्तर (कि साक्षी की प्रतिशा तत्काल होनेवाले कार्य के सम्बन्ध में है परन्तु समासद की प्रतिशा सदा भाविष्यकाल के लिये रहेगी) उभी दशा

जो लोग खर्च कर सकते हैं उनको उनका खर्चीलापन बहुत से प्रतिद्वन्दियों का मुंह धन्द करने से लाभकारी है; और चाहे

में उपयोगी है जब यह सोचा जाय कि शपथ लेने वाला स्वयं स्वीकार किया हुआ कर्त्तव्य भूल जायगा अथवा अनजान में उसका भंग करेगा; परन्तु जैसी हाल की अवस्था है उस में यह अवसर प्रश्न के बाहर है ।

बहुत बड़ी आपत्ति यह है कि चुनाव का खर्च सब से अधिक वार जो स्वरूप पकड़ता है उसमें एक स्थानिक धर्मखाते या दूसरे स्थानिक उपदेशों में चन्दे की मदद का है; और यह कानून बनाना दर असल बड़ा उपाय माना जायगा कि कोई सभासद अपनी मत समिति की सीमा में धर्मार्थ पैसा न दे । जब ऐसा चन्दा शुद्ध बुद्धि से दिया जायगा तब उससे उत्पन्न होनेवाली लोकप्रियता के लाभ की श्रेष्ठ सम्पत्ति से इनकार करना असम्भव सा जँचता है । परन्तु इस बात में बड़ा भारी अनर्थ है कि यह दिया हुआ चन्दा सभासद का लाभ बनाये रखने के शुभ नाम से घूम में जाता है । इससे बचने के लिये प्रतिज्ञा-वचन का एक माग ऐसा होना चाहिये कि मत स्थल पर जो खर्च हो अथवा उस स्थल के या वहाँ के किसी निवासी के सम्बन्ध में किसी कारण से जो कुछ खर्च हो (शायद उसके डेरा खर्च के सिवा) यह रकम चुनाव के हिसाब परीक्षक के हाथ से जाय और उसके हाथ से (न कि सभासद या उसके मित्रों के हाथ से) उन कहे हुए कामों में लगे ।

चुनाव का कानून के रू से होनेवाला सब खर्च उमेदवार के सिर पर नहीं बरंच उस स्थान के सिर पर ढालने के नियम का सब से अच्छे ढाँचाओं में से दो ने समर्पण किया था । (पृ० २०, ६५, -७०, २७७) ग्रन्थकार ।

जैसी दुःखदायी वस्तु हो अगर। यह धनदान पुरुषों के सिवा दूसरे किसी के लिये पार्लियामेंट का मार्ग बंद करती होगी तो उसका संरक्षक कम है यह मानकर उसका समर्थन किया जायगा। हमारे दोनों पक्षों के कानून बनानेवालों के मन में यह वृत्ति जम कर बैठ गयी है और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रायः इस एक ही बात में उन की मन्त्रमुख गुरी धारणा है। जय तक उनके मन में यह भरोसा रहता है कि उनके अपने पक्ष के बाहर का कोई पुरुष चुना नहीं जा सकता तब तक कौन मत देता है इसकी उन्हें एक तरह से थोड़ी ही पर्याप्त रहती है। वे जानते हैं कि वे अपने पक्ष के पुरुषों में परस्पर संभु-भाय का भरोसा रख सकते हैं और जो नये धनदान उनके पक्ष का दर्याजा घटग्रटाया करते हैं उनकी अधीनता इस से भी अधिक पक्का भरोसा है और जय तक जन सत्ता के पक्षपाती पार्लियामेंट में निर्वाचित होने से रोके जा सकेंगे तब तक सब से अधिक जनसत्ताक मत की तरफ से धनदानों के वर्गीय स्वार्थ या वृत्तियों को किसी भारी विरोध का उर रखने की जरूरत नहीं है। परन्तु गास उनके पक्ष की ओर से देखने पर भी दिन के साथ दिन जाने के बदले दोष के सामने दोष रख कर सामंजस्य रखने की नीति अधम है। उद्देश्य तो ऐसा होना चाहिये कि बहुतों की वर्गीय वृत्तियों को मन समितियों में सम्पूर्ण सत्ता देकर, यह सत्ता कुछ के वर्गीय वृत्ति वाले पुरुषों के हाथ से काम में लाने का उनके ऊपर प्रतिबन्धन डालने के बदले दोनों पक्षों के सब से श्रेष्ठ मनुष्यों को ऐसे सम्बन्ध में एकत्र कर दें कि उनको उनका वर्गीय अभि-लाय अलग कर के साधारण लाभ से अंकित यह मार्ग एक शामिल होकर चलाये।

राज्यकार्य एक कृपा समान देने योग्य वस्तु है और उसे

पानेवाला मानो अपने लिये पाना चाहता हो तथा मानो उस में उसकी सम्पत्ति बढ़ाने का उद्देश्य हो ऐसी पैसा खर्चने योग्य भी वस्तु है यह दृश्य दिखाने से राजनीतिक नियम जितना नैतिक हानिकारक हो जाता है और उसके जीवन सत्व मार्ग से जितना अनर्थ उपजाता है उसकी अपेक्षा और किसी रीति से शायद ही करता होगा। मनुष्य कोई भारी कर्त्तव्य पालने की परवानगी के लिये बड़ी रकम देने को तत्पर नहीं होता। सेंटो ने जो यह निर्णय किया है कि जिन पुरुषों को राजनीतिक सत्ता से व्यक्तिगत चिढ़ हो उन्हीं को हट्ट कर वह सत्ता सौंपनी चाहिये और सब से योग्य पुरुषों को राज्यतंत्र का भार अपने सिर पर लेने को ललचाने के लिये जिस एक उद्देश्य पर भरोसा रखा जा सकता है वह सिर्फ उनके ऊपर खराब मनुष्यों द्वारा राज्य चलाने का भय ही है यह निर्णय अच्छे राज्यतंत्र की शर्तों का बहुत उचित विचार प्रगट करता है। जिन तीन चार में से कोई गृहस्थ पहले नि स्वार्थ परोपकार के काम में खुले हाथ रुपया खर्चते न देखा गया हो वे अगर अपने नाम के साथ एम० पी० (M P पार्लोमेण्ट के मेम्बर) लिखवाने के लिये रुपया खर्चने में एक दूसरे से चढ़ाऊपरी करते देखे जायें तो मतधारी क्या सोचेगा ? क्या उसका यह सोचना सम्भव है कि वे जो कुछ खर्च करते हैं वह उसके लाभ के लिये ? और वह जब इस काम में उनके भाग के विषय में ऐसी प्रतिकूल राय कायम करता है तो क्या उसे अपने भाग के विषय में सात्विक बन्धन लगाना सम्भव है ? मत समिति कभी शुद्ध होगी इस बात को राजनीतिक पुरुष जोशदारों का स्वप्न समझने के शौकीन हैं; और वास्तव में जब तक वे स्वयं शुद्ध होने को राजी नहीं हैं तब तक वह भी बदलने को नहीं;

क्योंकि मतधारी का नैतिक बल उमेदवारों के नैतिक बल पर ही निर्भर करता है। जब तक निर्वाचित सभासद अपने आसन के 'लिये किसी ढंग से रुपया खर्च करेगा तब तक चुनाव के काम को सब तरफ से स्वार्थी सौदे की अपेक्षा एक भिन्न प्रकार की धस्तु बनाने का सारा प्रयत्न व्यर्थ जायगा। "जब तक उमेदवार स्वयं और दुनिया का रिवाज ऐसा मानता दिखाई देगा कि पार्लिमेण्ट के सभासद का काम, पालने योग्य कर्त्तव्य को बदले दीनता के साथ मांग लेने योग्य रूपा है तब तक पार्लिमेण्ट के सभासद का चुनाव भी एक कर्त्तव्य है और मतधारी व्यक्तिगत योग्यता के सिवा दूसरे किसी विषय के विचार से मत देने को स्वतंत्र नहीं है, ऐसी वृत्ति साधारण मतधारी के मन में जमा देने का कोई प्रयत्न सफल नहीं होगा।"

जो मूलतत्त्व ऐसा लगता है कि निर्वाचित पुरुष से चुनाव की यावत कोई खर्च मांगना या स्वीकार करना नहीं चाहिये उसी से एक दूसरा अनुमान निकलता है और यह अनुमान यद्यपि देखने में उलटे रूप का है तथापि वास्तव में उसी उद्देश्य की ओर ढला हुआ है। सब श्रेणियों और अवस्थाओं के पुरुषों के लिये पार्लिमेण्ट का मार्ग सुगम करने के उपाय के तौर पर पार्लिमेण्ट के सभासदों को वेतन देने का जो कई बार प्रस्ताव हुआ है उसे यह अनुमान रद्द करता है। जैसा कि हमारे कुछ टापुओं में है, जब ऐसे पुरुष मुश्किल से मिल सकते हैं जो बिना वेतन के धंधे पर ध्यान दे सकें तब निश्चित वेतन नहीं खर्च समय या धन के खर्च का बदला दिया जाना चाहिये। यंधी हुई तलब से पगन्द के विस्तार में वृद्धि होने का लाभ एक भ्रम है। पार्लिमेण्ट की मेम्बरों के लिये कोई मेनुष्य चाहे जितनी तलब सोचे, परन्तु उसकी

और उन लोगों का ध्यान नहीं खिंचेगा जो दूसरे लाभदायक रोजगार में सच्चे दिल से लगे होंगे और उसमें सफलता पाने की आशा रखते होंगे । इससे पार्लियामेंट के सभासद का काम एक तरह का अलग रोजगार हो जायगा और यह रोजगार करने में दूसरे रोजगारों की तरह मुख्य करके उसके धन सम्बन्धी लाभ पर विचार रहेगा और उसके साथ तत्त्वतः अनिश्चित रोजगार का हानिकारक असर भी जारी रहेगा छोटे दर्जे के साहसी पुरुषों के लिये यह एक लुभाने वाली वस्तु हो जायगी; और ६५= पाने वाले और इससे दस बीस गुना आशावान पुरुष सब कामों के लिये ईमानदारी या वेईमानी से सम्भव या असम्भव वचन देकर और जन समूह में सब से ओछे दर्जे की सब से नीच वृत्तियों और सब से अज्ञान यहमों का कुटनापन करने में एक दूसरे से चढ़ाऊपरो करके मतधारियों का मत अपनी ओर खींचने या बनाये रखने के लिये लगातार कोशिश करते जायेंगे । जो सिलसिला जारी होगा उसका असली चित्र परीस्टोफ * के क्लियोन और भठियारे के बीच नीलाम की डाक है । यह नियम मनुष्य प्रकृति के सब से दूषित तत्त्वों पर हमेशा के लिये फफोला डालने के समान होगा, । इसका अर्थ है अपने देशवासियों में सब से बढ़ कर खुशामदी, सब से बढ़ कर फुसलाने वाले मनुष्यों के लिये ६५= इनाम जारी करना । दुष्ट दरवारी चाल को खूब चमकाने के लिये किसी स्वेच्छा-

* ईस्वी सन् से पहले पांचवीं सदी का ग्रीस का एक प्रसन्न-लेखक । इसके नाटक स्पष्ट नामों के साथ ही बहू लिखे हैं और उन में से एक में क्लियोन का लक्षण प्रत्यक्ष चित्रित किया गया है । दूसरे में सोफ्रेटिस की बड़ी गहरी हंसी उड़ायी है ।

घाटी राज्य में भी ऐसी व्यवस्थित शिक्षा की पद्धति न थी ।
 † जब स्थावर सम्पत्ति या किसी दूसरे रोजगार धंधे की
 जानकारी वाले स्वतंत्र साधन से रहित किसी पुराने को उसके
 परान उल्लूक गुरों के कारण, जो सेवा उसकी तरह अच्छी
 रीति से करने वाले दूसरे पुराने न मिलते हों यह सेवा करने
 के लिये पार्लियामेंट में लाना अनौचित्य हो (और ऐसा प्रसंग
 चाहे जिस समय जा सकता है) तो साधारण चन्दे का
 उपाय सम्पार है । जब तक यह पार्लियामेंट में रहे तब तक उसके
 चुनने वाले एंड्रुनाबैल की तरह चन्दे से उत्तम पोषण करें ।
 यह रीति येडज की है । यह प्रतिष्ठा कभी देवसत खुरामदी
 की नहीं मिलेगी; क्योंकि एक या दूसरे खुरामदी के दोष में
 मौजूद भेद की उन सम्प्रां इतनी अधिक परघा नहीं परतीं

† जैसा कि मि० से रिकर लिखते करते हैं, हर एक छोटे दरजे
 के मजदूरों को अपने ही राज्यकार्य में अर्पण करने के लिये साक्ष्य
 उत्पन्न करने से उनका में निर्वासित होना आरम्भ होगा, राज्यकार्य की
 उसकी स्वभाविक विधि के मार्ग में टकड़ने में बंचक पुरानों
 की टोपी का निहका स्वार्थ दुकाने देने से बढ़ कर और कुछ निर्दोष
 नहीं है । केवल अपने ही टोपी की प्रेरणा के बराबर हुए उन मजदूर
 या दृष्टक बनने को बिना प्रगट होते हैं वे जो दोष हजारों खुरामदियों
 के बल बहने से जो स्वरूप धारण करेंगे उनका सामाजिक कृत्र बनने
 हैं । अज्ञान ज्ञान के इतना ही अन्त है और ज्ञान से भी अन्त है
 यह उन मजदूर को समझाने से चहे जैसे साधारण को भी निरत तत्त्व
 की १९८ जाहें मिलने बड़ों हों तो वे हर एक उन्मत्त को मानेंगे ।
 और वह पर चढेंगे । " (१८५९ के दशक के प्रेजर्स मोजेडीन में
 कुपर के विद्वान में राजा लेखक रॉबर्ट लेल) प्रबंधकार ।

कि वे किसी खास पुरुष से खुशामद कराने के लिये उसके पोषण का खर्च दें । यह सहारा केवल लाक्षणिक और आकर्षक व्यक्तिगत गुणों के विचार से दिया जायगा और यद्यपि ये गुण राष्ट्रीय प्रतिनिधि होने की योग्यता के सम्पूर्ण प्रमाण नहीं हैं तो भी उसके कुछ द्योतक हैं और अधिक नहीं तो स्वतंत्र अभिप्राय और संकल्प होने की कुछ जमानत हैं ।



ग्यारहवां अध्याय ।

पार्लिमेण्ट की मुद्दत के विषय में ।

पार्लिमेण्ट के सभासदों का, कितनी मुद्दत के बाद फिर से, चुनाव लाजिमी होना चाहिये ? इसमें सन्निविष्ट मूलतत्त्व स्पष्ट है; कठिनाई उस के प्रयोग में है मेम्बर की मेम्बरी की मुद्दत एक ओर इतनी लम्बी न होनी चाहिये कि वह अपनी जिम्मेवारी भूल जाय, अपने कर्त्तव्य को बहुत परवा न रखे उसे पालने में अपने निज के लाभ पर दृष्टि रखे और अपने निर्वाचकों से एक मत हो या न हो, उनसे जी खोल कर मिलने और सभाएँ करने में, जो प्रतिनिधि राज्य का एक लाभ गिना जाता है, लापरवा हो। दूसरी ओर उसको अपने ओहदे की इतनी लम्ब मुद्दत की आशा रहनी चाहिये कि उसकी परीक्षा उसके केवल एक कृत्य से नहीं बरंच कृत्यों से हो सके। जरूरी बात यह है कि उस को अपनी राय और विचार की बाबत इसी कदर स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वह स्वतंत्र राज्यतंत्र सम्बन्धी लोकप्रिय अंकुश के प्रतिकूल न हो जाय । और इस कारण से इतना आवश्यक है कि उसमें जो जो गुण हों उन सब को दिखाने का और अपने निर्वाचकों की दृष्टि में एक इष्ट और मान्य प्रतिनिधि हो सकने के लिये

उन्हीं की राय का केवल एक तावेदार कथक और पैरोकार बने रहने की अपेक्षा एक दूसरा अधिक अच्छा मार्ग है, यह साबित कर देने का उसे काफी बक्त देने के बाद ही निर्वाचकों की शंकुश सत्ता का अमल होना चाहिये और हर हालत में इसके मुताबिक अमल होना सब से अच्छा है ।

इन दो तत्वों के बीच की सीमा किसी सार्वत्रिक नियम से निश्चित करना असम्भव है । जहां राज्यतंत्र में लोक सत्ता निर्यल और बेहद उदासीन होती है और उत्तेजन की अपेक्षा रखती है; जहां प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों को छोड़ते समय, जिस दर्यारी या शिष्ट वातावरण में एक दम प्रवेश करता है उसके संसर्ग का सारा असर ऐसा होता है कि उसकी गति जनमार्ग से भिन्न मार्ग को भुक्तती है, वह अपने साथ जो कुछ लोक घृत्ति लाया रहता है वह मंद पड़ जाती है और वह अपने निर्वाचकों की इच्छाएँ भूल जाता है तथा उनके लाभ की ओर से ढीला पड़ जाता है; यहां उसकी प्रकृति और प्रतिष्ठा असली स्वरूप में बनाये रखने के लिये उसको उनके पास, अपना निर्वाचन ताजा कराने के निमित्त, फिर से आने को लाचार करने की आवश्यकता है । ऐसी अवस्था में तीन वर्ष भी करीब करीब बेहद लम्बी मुद्दत है; और इस से लम्बी मुद्दत तो विलकुल स्वीकार करने योग्य नहीं है । इसके विरुद्ध जहां जनसत्ता का प्रभाव विशेष होता है और उस से भी अधिक हो जाने का रूप रखता है और उस को अधिक उत्तेजन देने के बदले प्रयोग में सीमा बद्ध करने की आवश्यकता होती है; जहां निरंकुश प्रकाशन और विद्यमान समाचार पत्र प्रतिनिधि को विश्वास दिलाया करते हैं कि उसकी हर एक काररवाई उसके निर्वाचकों की जानकारी में नुरंत आ जाती है, वे लोग उस पर चर्चा और विचार

करते हैं और उनकी गणना में वह हमेशा घटता बढ़ता है—और उन्हीं साधनों द्वारा उनके विचारों का असर और दूसरा सब जनसत्ताक असर उसके मन में निरंतर जागृत और सचेतन रहता है—वहाँ कायर दीनता रोकने के लिये पांच वर्ष से कम की मुद्दत शायद ही काफी होगी । अंगरेजी राज्यनीति में इन सब विषयों के सम्बन्ध में जो फेर बदल हो गया है उससे समझ में आता है कि चालीस वर्ष पहिले बहुत आगे बढ़े हुए सुधारकों के लक्ष्य के सामने जो वार्षिक पार्लिमेण्ट नाचती रहती थी उसकी अब इतनी कम परवा क्यों की जाती है और क्यों कम ही सुनी जाती है । मुद्दत लम्बी हो चाहे थोड़ी इतनी बात ध्यान में रखने योग्य है कि मुद्दत के अन्तिम वर्ष में पार्लिमेण्ट की स्थिति वार्षिक पार्लिमेण्ट की सी होती है; इससे अगर मुद्दत बहुत थोड़ी हो तो समूचे समय के बड़े भाग के अरसे में वह दर असल वार्षिक पार्लिमेण्ट हो जाय । हाल की स्थिति में यद्यपि सात वर्ष का समय अकारण लम्बा है तथापि किसी संभवित लाभ के लिये बदलना कम ही लाभदायक है; और खास कर तब जब कि बहुत जल्द पार्लिमेण्ट भंग होने की सम्भावना हमेशा सिर पर झूमते रहने से सभासद की नजर के सामने मतधारियों से अच्छा सम्बन्ध रखने का उद्देश्य नाचता रहता है ।

निर्वाचन की मुद्दत के लिये चाहे जितना समय सब से अधिक योग्य समझा जाय वह बात स्वाभाविक जंचेगी कि कोई मेम्बर अपने चुनाव के दिन से वह मुद्दत पूरी होते ही अपना आसन छोड़ दे और सारी सभा का कोई साधारण नया चुनाव न हो । इस नियम का अनुमोदन करने में कुछ व्यावहारिक उद्देश्य हो तो इसके पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है ।

परन्तु इसके समर्पण के कारणों की अपेक्षा इसको अप्राप्त ठहराने के कारण कहीं अधिक सफल है । एक तो यह कि जो बहुमत राष्ट्र के अरुचिकर मार्ग को पकड़े उसको तत्काल दूर करने का कोई उपाय नहीं रहेगा । अगर सभा के बड़े भाग की मुद्दत के कुछ धर्म हमेशा थाकी रहें—जिन नये मेम्बरों का, जिस समुदाय में वे मिलें उसका गुण बदलने के बदले स्वयं उसे ग्रहण करना अधिक सम्भव है वे अगर धीरे धीरे आते रहें—तो सभा और मत समिति की वृत्तियों के बीच में जो भारी विरोध अनिश्चित काल तक बना रहना सम्भव जान पड़ना है उसके रोकने का साधन यही है कि घास मुद्दत के बाद और बहुधा प्रायः सारी नियत मुद्दत पूरी होने के बाद, साधारण चुनाव आवश्यक हो और फिर जय मन्त्री अपने लाभ के लिये अथवा देश में स्वयं लोकप्रिय होने की आशा से चाहे जय साधारण चुनाव कराना चाहे तब यह करा सके । नामाङ्कित पुरुषों को अपनी मेम्बरों का एक ग्योरे बिना जनमत विरुद्ध विचार स्वतन्त्रता से प्रगट करने को शक्तिमान करने का जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत सभा का साधारण विचार राष्ट्रमत को मिलते रहने की भी है । प्रतिनिधि सभा का धीरे धीरे और टुकड़े टुकड़े चुनाव करने के विरुद्ध एक दूसरा बहुत बजनदार कारण है । सामाजिक मत की पड़ताल करने के लिये और भिन्न भिन्न पक्षों और अभिप्रायों का परस्पर बल निर्दिष्टाद रूप से निश्चय करने के लिये प्रतिहन्दी संघों की समय समय पर साधारण तुलना करना उपयोगी है । किसी फुटकर चुनाव से और कुछ फ्रांसीसी नर्त्यों की तरह जहां एक दम एक तिहाई या पांचवां भाग जैसा बड़ा भाग निकल जाता है वहां यह काम निर्णय पूर्वक नहीं होता ।

शासन-समिति को विसर्जन की सत्ता देने के कारणों के विषय में प्रतिनिधि राज्य में उसके गठन और कर्त्तव्य सम्बन्धी आलोचना आगे के अध्याय में करेंगे ।

चारहवाँ अध्याय ।

पार्लिमेण्ट के सभासदों से प्रतिज्ञा करानी चाहिये या नहीं ?

क्या कानून बनानेवाली सभा के सभासद को अपने निर्वाचकों की आज्ञा का बंधन होना चाहिये ? उसको उनके विचार का प्रकाशक होना चाहिये या अपने विचार का ? उसको उनकी तरफ से राज्य सभा में एलची होना चाहिये या उनकी तरफ से सिर्फ काम करने का नहीं बरंच क्या करना उचित है इसका भी निर्णय करने का अधिकार रखने वाला उनका व्यवहार कुशल मुख्तार होना चाहिये ? प्रतिनिधि राज्य में कानून बनाने वाले के कर्त्तव्य के विषय में इन दो पक्षों में से प्रत्येक के पक्षपाती हैं और प्रत्येक मत को कितने ही प्रतिनिधि राज्यों ने स्वीकार किया है । डच संयुक्त प्रान्तों में साधारण राज्यसभा के सभासद केवल एलची थे; और उनमें यह मत इतनी सीमा तक पहुंचा था कि जब उनकी सूचनाओं में न आया हुआ कोई जरूरी नया प्रश्न उठता तब, जैसे एक एलची को जिस राज्यों की ओर से उसकी नियुक्ति हुई रहती है उसकी सलाह लेनी पड़ती है, वैसे ही उनको अपने निर्वाचकों की सलाह लेनी पड़ती थी । इस देश में और दूसरे बहुतेरे देशों में जहां प्रतिनिधि राज्य-तंत्र है वहां पार्लिमेण्ट के सभासद का अभिप्राय अपने

निर्वाचकों के अभिप्राय से भिन्न हो तो भी उसे अपने सच्चे अभिप्राय के अनुसार मत देने की, कानून और रिवाज से परवानगी है; परन्तु इससे जो एक उल्टे ढंग का विचार भी जारी है उसकी बहुतों के मन पर और पार्लियामेंट के सभासदों के मन पर भी, व्यवहार में बड़ी छाप पड़ी रहती है और इस कारण से अगर हम उनकी लोकप्रियता की उत्कंठा और फिर से चुने जाने की आशा का विचार अलग रख दें तो भी जिन प्रश्नों के सम्बन्ध में उसके निर्वाचक कुछ दृढ़ निर्णय पर आये रहते हैं उनके विषय में वे अपनी राय के बदले निर्वाचकों की राय पर चलने को सचे दिल से अपने को बाध्य समझते हैं। प्रत्यक्ष नियम और किसी खास जनता के ऐतिहासिक रियाजका सम्बन्ध न देखने पर प्रतिनिधि के कर्त्तव्य के विषय में इन दो विचारों में से वास्तवमें कौन सत्य है ?

हमने अब तक जिन प्रश्नों पर विचार किया है उनकी तरह यह प्रश्न नियम व्यवस्था सम्बन्धी नहीं है; परन्तु जिसको अधिक उपयुक्त रीति से राज्यतंत्र की सात्विक नीति कह सकते हैं उसके सम्बन्ध में अर्थात् प्रतिनिधि राज्य के नीति शास्त्र के सम्बन्ध में है। मतधारियों को अपनी कर्त्तव्य पालने में जो मानसिक वृत्ति रखनी चाहिये, उनके सात्विक कर्त्तव्य के विषय में जो मनोभाव प्रबल होना चाहिये उसके साथ इसका जितना सम्बन्ध है उतना नियमतंत्र से नहीं है; क्योंकि प्रतिनिधि तत्व की पद्धति चाहे जैसी हो अगर मत-धारी चाहें तो उसका केवल पलची सभा बना डालेंगे। अब तक उन (मतधारियों) को मत न देने की स्वतंत्रता है और फिर चाहे जिस ढंग से मत देने की स्वतंत्रता है तब तक उनको अपने मत के साथ कुछ शर्त, (जिसे वे उचित समझें) लगाने से रोक नहीं सकते। उनकी सय राय मंजूर करने को अथवा उनकी पेंसी

मरजी हो कि किसी अनसोचे आवश्यक विषय पर मत देने के पहले उनकी सलाह ली जाय तो ऐसा करने को जो उमेदवार पायन्द न हो उसे चुनने से इनकार करने से वे लोग अपने प्रतिनिधि को अपने हाथ का पिलौना सा ही बना सकते हैं और वह जब ऐसी स्थिति में अधिक बार काम करने से नाराजी दिखावे तब उससे इज्जत के लिये अपने आसन से इस्तीफा दिलवा सकते हैं। जब उनको ऐसा करने की सत्ता है तब राज्यतंत्र सम्बन्धी सिद्धान्त में यह कल्पना करनी चाहिये कि वे ऐसा करना चाहेंगे; क्योंकि राज्यतंत्र का मूल आधार तत्त्व ही यह कल्पना कराता है कि राजनीतिक सत्ता का भोक्ता अपने खास उद्देश्य साधन में उस सत्ता का दुरुपयोग करेगा; और उसका कारण यह नहीं है कि हमेशा होता है वरंच घस्तु मात्र का ऐसा स्वभाविक रूप होता है और उससे रक्षा करने में स्वतंत्र नियम तंत्र का खास प्रयोजन है; इससे मतधारियों का अपने प्रतिनिधि को अपना एलची बना डालना चाहे जैसा घुरा या मूर्खतायुक्त समझें तो भी मतधारियों के हक का इतना विस्तार होना स्वाभाविक होने और असंभव न होने से उसको निश्चित मान कर सावधानी का उपाय करना चाहिये। हम यह आशा रख सकते हैं कि मतधारी मत का उपयोग करने में ऐसे विचार के अनुसार नहीं चलेंगे, तथापि प्रतिनिधि राज्य का ऐसा संगठन होना चाहिये कि वे चले तो भी जो वस्तु किसी मनुष्य सभा की सत्ता में न होनी चाहिये उसे करने को अर्थात् अपने निज के लाभ के लिये वर्गीय कानून बनाने को वे समर्थ न हों।

जब यह कहा जाता है कि यह प्रश्न केवल राजनीतिक आचार का है तो इससे उसकी आवश्यकता कुछ घट नहीं जाती। राज्यतंत्र का आचार सम्बन्धी प्रश्न राज्यतंत्र के निज के प्रश्नों

से व्यवहार में कम आवश्यक नहीं है। राजनीतिक आचार के सिद्धान्तों पर अर्थात् संगठित सत्ताधिकारियों के मन में मौजूद जो रुढ़ विचार उनकी सत्ता के मित्र रीति से होने वाले अमल को अंकुश में रखता है उसके ऊपर कितने राज्यतंत्रों के विलकुल अस्तित्व का और दूसरों की स्थायिता बनाये रखने वाले सब तत्वों का आधार है। सामञ्जस्य रहित राजतंत्रों में—शुद्ध राजसत्ता में, शुद्ध शिष्ट-सत्ता में या शुद्ध जनसत्ता में—राज्यतंत्र को उसके तात्कालिक रूप की दिशा में सीमा पार करके जाने से जो रोकता है वह सिर्फ ऐसे नियमों का ही अंकुश है। अपूर्ण सामञ्जस्य वाले राज्यतंत्रों में, जहाँ प्रबल सत्ता के जोश को कानून की मर्यादा में रखने का कुछ प्रयत्न हुआ रहता है, परन्तु जहाँ उस सत्ता का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि वह कुछ समय बिना जोरिम के सीमा पार कर सकता है वहाँ राज्य-तंत्र के अंकुश और सीमा की तरफ कुछ भी मानवृत्ति बनी रहती है तो वह सिर्फ जनमत के स्वीकार और समर्थन किये हुए राजनीतिक आचार के सिद्धान्तों के लिये ही। अच्छे सामञ्जस्य वाले राज्यतंत्रों में, जहाँ सर्वोपरि सत्ता बंटी हुई होती है और जहाँ हर एक हिस्सेदार को दूसरों के हमले से बचने के लिये जो एक मात्र उपाय सम्भव है वह अर्थात् दूसरे हमला करने में जितना जबरदस्त हथियार चला सके उतना ही जबरदस्त हथियार उसे अपने बचाव के लिये देने का उपाय बना रहता है, वहाँ सब पक्षों की तरफ से इन अन्तिम सत्ताओं के दूसरे किसी हिस्सेदार के इतना ही भीतर से उसकाये बिना, अमल में लाने में चुप रहने से राज्य प्रबन्ध चलाया जा सकता है। और इस प्रसङ्ग में हमारा यह कहना गलत नहीं है कि राजनीतिक आचार के नियमों

को ही मान देने से राज्यतंत्र का अस्तित्व रहता है । प्रतिज्ञा का प्रश्न प्रतिनिधि राज्य के अस्तित्व से आवश्यक सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों में नहीं है; तो भी उसके लाभदायक प्रयत्न के लिये यड़ा जरूरी है, मतधारी अपनी पसन्द में किस नियम पर चलें यह उनके लिये कानून तय नहीं कर सकता परन्तु किस नियम पर चलना वे उचित समझते हैं इससे व्यवहार में यड़ा भेद पड़ जाता है और यह पूरा महान प्रश्न इसी जांच में समाप्त हो जाता है कि प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों के निर्धारित किये हुए वास अभिप्राय से जुड़े रहने की शर्त करे कि नहीं ।

इस निबन्ध में जिन सामान्य मूल तत्वों को स्वीकार किया है उनसे इस विषय में क्या अनुमान निकलता है इस बारे में उसके किसी पाठक को सन्देह नहीं रह सकता । हम ने आरम्भ से ही राज्यतंत्र के महान अंगीभूत तत्वों को स्वीकार किया है और अचल मन से ध्यान में रखा है । ये तत्व ये हैं—राजनीतिक सत्ता को जिनके लाभ में लगाना चाहिये और लगाने का दावा किया जाता है उनके सामने जवाबदेही और उसके साथ राज्यकार्य के लिये, इस विषय में लम्बे मनन और अनुभव वाली शिक्षा से मंजी हुई बुद्धि का लाभ यथा साध्य अधिक परिमाण में प्राप्त करना । यह दूसरा उद्देश्य अगर साधने योग्य हो तो वह यथोचित मूल्यका पात्र है । श्रेष्ठ मानसिक शक्ति और गहन अध्ययन अगर मनुष्य को कितनी ही बार अनपढ़ साधारण मानसिक शक्ति के लगाये हुए अनुमान से भिन्न अनुमान पर नहीं चलावे तो वह निरर्थक है; और अगर बुद्धि के विषय में साधारण मतधारी की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ प्रतिनिधि पाने की कल्पना हो तो यह आशा रखनी चाहिये कि प्रतिनिधि कितनी ही बार

अपने निर्वाचकों के बड़े भाग से राय में मिश्र होगा और जब ऐसा होगा तब दोनों में से उसका अभिप्राय बहुधा ठीक होना सम्भव है। इसका नतीजा यह निकलता है कि मत-धारी अगर उसकी पदवी घनाये रखने की शर्त के तौर पर उसको अपने अभिप्राय के अनुसार पूर्ण रूप से चलने का आग्रह करें तो इसमें उनकी बुद्धिमान्ता नहीं होगी।

यह नियम यहाँ तक स्पष्ट है; परन्तु असली कठिनाइयाँ इसके प्रयोग में हैं। हम इन कठिनाइयों को पूरे जोर के साथ बताना शुरू करेंगे। यद्यपि मतधारियों को अपने में अधिक ऊँची शिक्षा पाया हुआ प्रतिनिधि पसन्द करना आवश्यक है तथापि उस विशेष स्थाने पुरुष को उनके सामने जवाबदेह रहने की कुछ कम आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में कहिये तो वे इस बात के विचारक हैं कि उनके विश्वास को वह किस तरह पूरा करता है। वे अपने अभिप्राय के सिवा और किस विधि से परीक्षा करेंगे? पहली ही बार अगर उसको पसन्द करेंगे तो इस विधि से नहीं तो और किस विधि से? केवल तेजस्विता में—आडम्बरी बुद्धि की धोष्टता में पसन्द करने में कुछ लाभ नहीं है। एक साधारण मनुष्य को, पहले प्रसङ्ग में केवल बुद्धि की परीक्षा कर सकने के साधन बहुत अपूर्ण हैं, जो हैं उनका प्रायः केवल विवेचन की कलाओं से सम्बन्ध है। परन्तु विवेचित वस्तु की सारासारीता से कम ही सम्बन्ध है या विलकुल नहीं है। पहले विषय में दूसरे का अनुमान नहीं हो सकता; अगर मतधारी अपने ही अभिप्राय का उपयोग न करें तो उनके हाथ में, अच्छी तरह राज्य चलाने की शक्ति देखने की क्या कसौटी रहती है? फिर वे अगर बिना कुछ भूल किये भी निश्चय कर सकें कि मय से समर्थ पुरुष कौन है तो भी क्या वे अपनी राय

का कुछ भी ख्याल किये बिना ही उसको अपनी तरफ से निर्णय करने की पूरी स्वतंत्रता दे दें ? सम्भव है कि सब से समर्थ उमेदवार संरक्षक (कंसर्वेटिव) हो और वे मतधारी स्वयं सुधारक (लिबरल) हों अथवा वह सुधारक ही और वे स्वयं संरक्षक हों; वर्तमान राजनीतिक प्रश्न धर्म सम्बन्धी हो और वह (प्रतिनिधि) अधिकार वादी (यह मानने वाला कि धर्म के ऊपर राजा की सर्वोपरि सत्ता है) या हेतुवादी (यह माननेवाला कि विवेक को जो सत्य लगे वह धर्म है) हो और वे (मतधारी) स्वयं विसंवादी (इंग्लैण्ड के राज्यधर्म से अलग हुए पंथ के) या नवीन स्थापनावादी (बाइबल को याहूवाला विभाग नहीं वरंच ईशू ख्रिष्ट का विभाग ही मानने वाले) हों अथवा इसका उलटा हो । इन प्रसङ्गों में प्रतिनिधि की बुद्धि—जिसको मतधारी अपने अन्तःकरण में गलत रास्ता मानते होंगे उसके सम्बन्ध में उसको सिर्फ अधिक हृद पार जाने और अधिक सफलता से वर्ताव करने को समर्थ कर सकती है । और वे शायद अपने मत के शुद्ध संकल्प के आधार पर यह, विचारने को वाध्य हो सकते हैं कि उन्हें साधारण से अधिक बुद्धिवाले पुरुष को अपना प्रतिनिधि बनाने की अपेक्षा अपने प्रतिनिधि को, उन विषयों में जिसको वे फर्ज का फरमान मानते हैं, उसकी हृद में रखने की ज्यादा जरूरत है । फिर वह सब से समर्थ प्रतिनिधि किस रीति से मिल सकता है, इतना ही नहीं वरंच उनकी खास सात्त्विक स्थिति और मानसिक विचार पद्धति भी किस रीति से दरसायी जा सकती है इसका भी शायद विचार करना हो । जन समूह में चलनेवाली प्रत्येक विचार पद्धति का असर कानून बनानेवाली सभा में जताना चाहिये और यह कल्पना की गयी है कि राज्यतंत्र ने दूसरी विचार-

पद्धतियों के लिये प्रतिनिधि का योग्य प्रयत्न किया होगा इस से उन्हें भी अपनी पद्धति के लिये योग्य प्रतिनिधि प्राप्त करना खास मौके पर मतधारियों के लक्ष्य में रखने योग्य सध से आवश्यक विषय हो सकता है। फिर कितने ही प्रसङ्गों में प्रतिनिधि उनके लाभ का या जिसको वे सामाजिक लाभ गिनते हैं उसका सधा समर्थक रहे इसके लिये उसमें शर्त करा लेने की भी जरूरत जान पड़ती है। जिस राजनीतिक पद्धति में उन्हें बहुत से ईमानदार और निष्पक्ष उमेदवारों में चुनाव करने का भरोसा हो उस में ऐसे बंधन की जरूरत नहीं है; परन्तु विद्यमान पद्धति में, जहां चुनाव के मर्च और जनता की साधारण स्थिति के कारण मतधारियों को अपने से भिन्न सामाजिक स्थिति के और भिन्न वर्गवाले पुरुषों में से अपना प्रतिनिधि पसन्द करने का प्रायः सदा चाध्य होना पड़ता है वहां कौन कह सकेगा कि उन्हें सध कुछ तस्वी के न्याय पर छोड़ देना चाहिये? बहुत गरीब वर्ग के मतधारियों को सिर्फ दो या तीन धनवान मनुष्यों में से ही पसन्द करना होता है इस से वे जिन कामों को धनवानों के वर्ग-लाभ से छुटकारे का साधन समझते हैं उनका समर्थन करने के लिये, अगर जिस को मत दें उस से बचन मांगें तो क्या हम उनको दाय दे सकते हैं? फिर हमेशा ऐसा होता है कि मत समिति के कुछ मनुष्यों को अपने पक्ष के बहुमत से पसंद किये हुए प्रतिनिधि की न्योकार करना पड़ता है। परन्तु उनके अपनी पसन्द के उमेदवार के सफल मनोरथ होने की सम्भावना नहीं रहती तथापि उनके लिये पसंद किये हुए उमेदवार की सफलता के निमित्त उनके मत की जरूरत पड़ सकती है और उसके भविष्य के धर्ताय पर अपने दिस्ते की सत्ता चलाने का उपाय तो इतना ही है कि वह कुछ दास शर्तें

मानने का यत्न दे तो उसी के आधार पर उसको अपने मत का सहारा दें ।

ये विचार और इनके प्रतिद्वन्दी विचार एक दूसरे से इस तरह उलझे हुए हैं। यह आवश्यक है कि मतधारी अपने से अधिक बुद्धिमान पुरुषों को प्रतिनिधि चुनें और उनकी श्रेष्ठ बुद्धिमानी के अनुसार राज्य चलने दें फिर इसके साथ किसमें अधिक बुद्धिमानी है और उस सोचे हुए बुद्धिमान पुरुष ने अपने यर्ताव से यह कल्पना कहां तक पूरी की है इसका निर्णय करने में मतधारियों का जो कुछ निज का अभिप्राय होगा उसके साथ उमेदवार के अभिप्राय की एकरूपता का कुछ बहुत असर न होना ऐसा असम्भव है कि उससे मतधारी के कर्त्तव्य के विषय में कुछ प्रत्यक्ष नियम बनाना विलकुल असाध्य जान पड़ता है, और मानसिक श्रेष्ठता के प्रति सम्मान-वृत्ति के आवश्यक गुण के सम्यन्ध में उस परिणाम का जितना आधार मतधारी समिति के मन की साधारण वृत्ति पर रहेगा उतना राजनीतिक आचार के किसी खास नियम या प्रत्यक्ष सिद्धान्त पर नहीं रहेगा । जिन पुरुषों और जनता को श्रेष्ठ बुद्धिमानी की धारिक बूझ होती है उनके लिये तो यह जहां विद्यमान होगी वहां से अपने ही जैसे विचार के चिन्ह से नहीं बरंच दूसरे चिन्ह से भारी मतभेद होते हुए भी परस्पर निकालना सम्भव है; और अगर उन्होंने उसकी परीक्षा की होगी तो वे किसी उचित मूल्य पर उसे प्राप्त करने को यहां तक तत्पर होंगे कि जिसको अपने से अधिक चतुर समझ कर मान देते होंगे उस पुरुष पर अपनी राय के मुताबिक, चलने का बंधन लगाने की रुचि नहीं रखेंगे । इसके विरुद्ध एक ऐसी प्रकृति का मन होता है जो किसी की तरफ मान-वृत्ति नहीं रखता और दूसरे, किसी पुरुष के अभिप्राय को

अपने अभिप्राय से बहुत अच्छा ; अथवा अपने जैसे सौ या हजार मनुष्यों के अभिप्राय के अनुसार भी अच्छा नहीं समझना। मतधारियों के मन का जहां ऐसा रुख होता है वहां जो उनके विचारों की ही प्रतिमा नहीं है अथवा प्रतिमा होने का ढंग भी नहीं दिखाता उस किस्म के किसी पुरुष को वे पसन्द नहीं करेंगे और जब तक वह उन्हीं के विचार दरसाया करेगा तब तक उसे रखेंगे, नहीं तो रखेंगे भी नहीं। और जैसा कि शेटो अपनी पुस्तक गोर्जियस में कहता है, राजनीतिक प्रतिष्ठा के सभी अभिलाषी अपना वर्ताव जन समूह के नमूने पर चलाने और यथा साध्य उसके ऐसा बने रहने का ही प्रयत्न करेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सम्पूर्ण जन-सत्ताक राज्य में मतधारियों के विचार इस पद्धति पर चलने का दर रखते हैं। जन-सत्ताक राज्य मानवृत्ति के अनुकूल नहीं है। केवल सामाजिक पदवी की तरफ की मानवृत्ति का जो यह नाश करता है उसको उसका अच्छा असर समझना न कि बुरा। परन्तु ऐसा करके वह संसार में जो (केवल मनुष्य सम्बन्धी विषयों में) मानवृत्ति की मुख्य शाला विद्यमान है उसको बन्द करता है। फिर जन-सत्ताक राज्य के मूलतन्त्र में ही, जिन विषयों में एक पुरुष दूसरे से अधिक बजनदार गिना जाता है उनकी अपेक्षा, जिस में सभी समान बजनदार गिने जाते हैं उसका इतना बड़ा आग्रह हुआ हुआ है कि व्यक्तिगत श्रेष्ठता के प्रति मानवृत्ति भी घट जाना सम्भव रहता है। देश के नियम कम शिक्षित की राय की अपेक्षा अधिक शिक्षित वर्ग की राय को अधिक बजनदार ठहरावें इस पर जो मैं इतना अधिक जोर देता हूँ उसके दूसरे कारणों में एक यह भी है। और किसी प्रत्यक्ष राजनीतिक परिणाम को ध्यान में न लेने पर भी

अगर केवल सामाजिक वृत्ति की शुद्धि करने के लिये ही हो तो भी मैं ज्ञान धोष्टता को अनेक मत देने का पक्ष करूंगा ।

जब मत समिति में भिन्न भिन्न पुरुषों के बीच के असाधारण गुणभेद की काफी समझ रहती है तब जिन पुरुषों में उसके उद्देश्य सम्बन्धी सत्य से अधिक योग्यता होगी उनको परखने के चिन्ह की कच्चाई नहीं पड़ती । स्वयं राज्यकार्य किये हुए होना स्वभावतः एक सत्य से बढ़ कर चिन्ह है । जैसे—ऊंचे ओहदे पर काम किये रहना और उसमें भी ऐसे जरूरी काम जिनके परिणाम में बुद्धिमानी प्रत्यक्ष दीख पड़ी हो; ऐसे उपायों का करने वाला होना जो अपने परिणाम से बुद्धिमत्ता पूर्ण जान पड़ते हों; ऐसे भविष्य कहे हुए होना जो परिणाम में अधिक बार सत्य ठहरे हों और शायद ही कभी असत्य हुए हों; ऐसी सलाह दिये रहना जिसको मानने से अच्छा और न मानने से घुरा परिणाम निकला हो । बुद्धिमानी के ये चिन्ह बेशक बहुत अंश में संशय भरे हैं परन्तु हम ऐसे चिन्ह ढूँढ़ते हैं जिनका उपयोग साधारण समझवाले मनुष्य कर सकें । उनमें से किसी एक चिन्ह को धाकी का सहारा न हो तो उसी एक पर भरोसा न रखना और किसी व्यवहारी प्रयत्न की सफलता या योग्यता की गणना करते समय प्रस्तुत विषय पर प्रबोध और निःस्वार्थ पुरुष के साधारण अभिप्राय पर अधिक जोर देना बहुत अच्छा है । मैंने जिन परीक्षाओं के विषय में कहा है वे सिर्फ कार्य किये हुए मनुष्यों के लिये हैं; परन्तु जो लोग कार्य में परीक्षित नहीं हुए हैं वरंच सिद्धान्त में हुए हैं अर्थात् जिन्होंने सार्वजनिक भाषण या लेख में राज्य कार्य की आलोचना करके सिद्ध किया है कि उन्होंने उसका सूब मनन किया है उनको भी उसमें गिनना चाहिये । ऐसे पुरुष अपने शुद्ध राजनीतिक

तत्वज्ञानों की पदवी में, शायद अनुभवी राजनीतिक पुरुषों की पदवी में भी कार्य किये हुए पुरुषों के समान विश्वास प्राप्त जंच सकते हैं । जब विलकुल नया मनुष्य पसन्द करने की जरूरत हो, तब जो लोग उसको स्वयं जानते हों, उनमें उसकी बुद्धिमानी के विषय में घनी हुई प्रतिष्ठा और जो पुरुष प्रतिष्ठित माना जा चुका हो उस पर उनका क्रिया हुआ विश्वास और उनकी की हुई उमके लिये सिफारिश सब से अच्छी कसौटी है । जो मत समितियाँ मानसिक बुद्धि बल की पूरी कदर जानती होंगी और उसे पाने को आतुर होंगी वे ऐसी परीक्षाओं से साधारण की अपेक्षा ऊंचे दर्जे की बुद्धि वाले मनुष्यों को पाने में समर्थ होंगी; और बहुधा ऐसे मनुष्यों को जिनके ऊपर अपने निरंकुश अभिप्राय के अनुसार राज्यकार्य चलाने का विश्वास रखा जा सकता है और जिनसे यह कहना अपमानजनक होगा कि वे अपना अभिप्राय अपने से ज्ञान में घटिया मनुष्यों की आज्ञा से छोड़ दें । ईमानदारी से ढूँढ़ने पर भी ऐसे पुरुष न मिलें तो मतधारियों को दूसरी सावधानी से काम लेना उचित है; क्योंकि अपने से श्रेष्ठ ज्ञान वाले पुरुष के हाथ से अपना कार्य कराने का कारण न हो तो उनसे अपना विश्वास अभिप्राय मुलतयों करने की आज्ञा नहीं की जा सकती । ऐसे मौके पर उन्हें यह याद रखना बेशक अच्छा है कि प्रतिनिधि एक बार चुने जाने के बाद अगर अपने काम में लगा रहें तो कोई मूल भूटा विचार सुधारने के लिये जैसे प्रसङ्ग, उसके बहुतेरे निर्वाचकों के मार्ग में आ पड़ते हैं उनकी अपेक्षा कहीं अधिक उसको आ पड़ते हैं; और यह विचार ध्यान में रखने से वे (जब तक ऐसे पुरुषों को चुनने को बाध्य न होना पड़े जिसके निष्पक्ष पात का उन्हें पूरा भरोसा न हो तब तक) प्रतिनिधि से उसका

अभिप्राय न बदलने का या अभिप्राय बदले तो इस्तीफा का पचन मांगने से रुकेंगे। परन्तु जय कोई ऐसा अनजान मनुष्य पढ़िले पहल चुना जाय जिसके बारे में किसी बड़े मातबर आदमी ने खुल्लम खुल्ला विश्वास न दिलाया हो तो मतधारी की तरफ से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने विचारों के अनुसार चलना कर्त्तव्य नहीं मानेगा। अब अगर इन विचारों में पीछे से फेर बदल हो और वह फेर बदल उसके स्पष्ट रीति से जताये हुए कारणों सहित ईमानदारी से प्रगट किया जाय तो उतनी ही बात को अपना विश्वास उठा लेने का अलंघ्य कारण न मान लेना यथेष्ट है।

यह मान लिया जाय कि प्रतिनिधि में सब से परीक्षित बुद्धि और स्वीकार की हुई उत्कृष्ट प्रकृति है तो भी मतधारियों के पास अभिप्राय को बिलकुल ताक पर ही न रख देना चाहिये। मानसिक श्रेष्ठता के प्रति मानवृत्ति (प्रतिष्ठा का ख्याल) एक दम उस सीमा तक न पहुँचना चाहिये कि जिससे आत्मवध हो जाय, व्यक्तिगत अभिप्राय के नाम पर शून्य हो जाय। परन्तु जय राज्यनीति के मूलतत्त्व के विषय में भेद न पड़ता हो तब मतधारी का अपना विचार चाहे जैसा दृढ़ बना हो तथापि उसे विचारना चाहिये कि जय एक चतुर मनुष्य उससे भिन्न राय हो रहा है तब बहुत फरके अपनी ही भूल होना सम्भव है। और इसका उलटा हो तो भी जिन कितने ही विषयों में वह स्वयं राय कायम करने के लायक नहीं है उनमें अपनी ओर से काम करने देने के लिये एक चतुर मनुष्य पाने के लाभ के निमित्त जो विषय बिलकुल जरूरी न हों उनमें अपनी राय को छोड़ देना उचित है। ऐसे मौकों पर वह अपनी दोनों इच्छाओं का सामझस्य करने के लिये उस चतुर मनुष्य को भेद के विषय

मैं अपनी राय छोड़ देने के लिये समझाता हूँ; परन्तु चतुर मनुष्य का ऐसे सान्द्रस्य में सदायभूत होना अपने पास कर्तव्य से द्रोह करना है—नानसिद्ध धैर्यता के साथ कर्तव्यों का परित्याग करना है। क्योंकि जिस पक्ष के विरुद्ध पुकार मच रही हो उसको न छोड़ना और अपने जिन अभिप्रायों के लिये उसको सेवा की सय से अधिक जरूरत है उनसे संघित न होना एक सब से पवित्र कर्तव्य है। शुद्ध अन्तःकरण और प्रसिद्ध योग्यता वाले मनुष्य को, जो कुछ अपनी राय में सब से अच्छा जंचे उसके अनुसार चलने की संपूर्ण स्वतंत्रता या आग्रह करना चाहिये और दूसरी किसी शक्ति पर काम करने को तय्यार न होना चाहिये। परन्तु यह किस रीति पर दतांश करना चाहता है—अपने सापेक्षनिक कर्तव्य सम्बन्धी सब विषयों में यह किन किन राज्यों पर अपनी धारणाएँ चलाने का इरादा रखता है, यह जानने का मत-धारियों को एक है। अगर उनमें से कुछ राय उसे अस्वीकार हो तो उन्हे धारणा दिला देना चाहिये कि इनके पर भी यह उनका प्रतिनिधि होने के योग्य है। अगर ये लोग चतुर होंगे तो उसकी साधारण योग्यता के लिये उसके और अपने बीच के बहुत बड़े भेद का भी कुछ ख्याल नहीं करेंगे। फिर भी कुछ भेद ऐसा है कि उनको और से उसका ख्याल न करने की आशा नहीं की जा सकती। जिनका अपने देश के राज्यत्रय में, जैसा कि स्वतंत्र मनुष्य को चाहिये ऐसा, मन लगता है उन सब को राष्ट्रीय कार्यों के विषय में कुछ पड़ी राय बंधी होती है और ये उसको अपने प्रायः समान समझते हैं तथा उसकी सत्यता के विषय में उनको भ्रम इतनी प्रबल होती है और उसके साथ ये उसकी भावश्यकता इतनी बढ़ी समझते हैं कि वे उसको सान्द्रस्य करने योग्य या अपने से कितने ही

श्रेष्ठ पुरुष की राय के सामने भी अलग रखने योग्य विषय नहीं मानते। जब ऐसा दृढ़ निर्णय किसी जनता या उसके किसी वजनदार विभाग में विद्यमान होता है तब वह केवल सत्य के आधार पर होने के ख्याल से नहीं घंटा केवल विद्यमान होने से वजन का पात्र है। किसी जनता के सत्य सम्बन्धी ठहराये हुए मूल विचार कई अंश में भ्रमयुक्त हों तो भी उनके विरुद्ध जाकर उस पर अच्छी तरह राज्य नहीं चलाया जा सकता। राज्यकर्ता और प्रजा के बीच में जो सम्बन्ध रहना चाहिये उसका यह मतलब नहीं निकलता कि मतधारी उसको अपना प्रतिनिधि मानें जो उनके ऊपर उन के मूल निर्णय के विरुद्ध शासन होने देना चाहे। जिन विषयों में उसका उन लोगों के साथ मूल तत्त्व में ही विरोध है उनके बारे में यहस करना सम्भव न होने की दशा में वे लोग उसकी दूसरे विषयों में उपयोगी सेवा करने की शक्ति से अगर लाभ उठावें तो भी जब ऐसा प्रश्न उठे जिसमें वे विरोधी विषय आ जायं और उसमें जिसको वे सत्य समझते हों उसके पक्ष में बहुमत का इतना भरोसा न हो कि उस खास पुरुष का विरुद्ध मत अनावश्यक ठहरे तब उसको तत्काल विदा कर देना ही उन्हें उचित है। इस प्रकार (मैं जो नाम देता हूँ वह किसी खास मनुष्य के उद्देश्य से नहीं; घंटा अपने भावार्थ का स्पष्टीकरण करने के लिये) विदेशी प्रभाव की वृद्धि रोकने के सम्बन्ध में मि० ब्राइट * और मि० कोवडेन †

ॐ (१८११-८९) अबाघ वाणिज्य के प्रचारक मि० कोवडेन और इनके प्रयत्न से १८४६ में अन्न की आमंदनी के ऊपर का कर उठ गया। ये दोनों 'पुरुष' स्वतंत्रता के पक्षपाती थे परन्तु व्यापार के नाम पर भी युद्ध चलाने के विरोधी थे। + (१८०४—१८६५) इन्होंने

जो विचार सोचें हुए थे वह प्रीमिया की लड़ाई के समय (१८५४—५६) मानने योग्य नहीं हो सकता था; क्योंकि विरुद्ध में राष्ट्रीय वृत्ति का बल वेहद था, परन्तु इतने पर भी चीन की लड़ाई के समय (१८५६ में—यद्यपि यह प्रश्न स्वयं विशेष सन्देहजनक था तो भी) उसको मतधारियों का नामंजूर करने की शौर मुकना बहुत उचित था; कारण कि बहुत समय तक इस बात में सन्देह था कि इस विषय में उनका विचार सफलता प्राप्त करेगा।

ऊपर जो कुछ कह आये उसके साधारण परिणाम के तौर पर हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि अगर प्रतिकूल राष्ट्रीय स्थिति या भूल भरे विषयों के कारण मतधारियों की पसन्द इतनी अधिक संकीर्ण न हो जाय कि उन्हें अपने लाभ से विरुद्ध रुख की स्पष्ट सत्ता के वश में पड़े हुए पुरुष को पसन्द करने को लाचार होना पड़े तो प्रत्यक्ष प्रतिष्ठा की इच्छा न करनी चाहिये; उनको उमेदवार के राजनीतिक अभिप्राय और विचार जानने का हक है और उनके राजनीतिक मत के थोड़े से आधारभूत तत्त्वों के विषय में जो उन से भिन्न हो उसे नापसन्द करने का हक ही नहीं वरंच अनेक बार कर्तव्य है। उमेदवार की मानसिक श्रेष्ठता के विषय में उनका जैसा अभिप्राय हो उसके अनुसार उनके मत के आधारभूत तत्त्वों में आने वाले चाहे जितने विषय हों उनमें उसको अपने अभिप्राय से भिन्न अभिप्राय प्रगट करने और उसके अनुसार चलने देना चाहिये। जिसको

अपने प्रयत्न से १८५६ में अबाध वाणिज्य के पक्ष में विजय पाने के बाद १८५९—६० में फ्रांस से व्यापार सम्बन्धी सन्धि

अपने चित्रेक की प्रेरणाओं के अनुसार चलने की सम्पूर्ण सत्ता सौंप सकें ऐसी प्रकृति के प्रतिनिधि की खोज में उन्हें निरंतर लगे रहना चाहिये; उन्हें यह मानना चाहिये कि कानून बनाने वाली सभा में ऐसे गुण वाले पुरुष शामिल करने की तरफ यथा शक्ति प्रयत्न करना अपने देश वाग्धवों के प्रति एक कर्त्तव्य पालन करना है; और जो उनके अभिप्राय से बहुत बातों में एकमत हो उनकी अपेक्षा ऐसे पुरुष को अपना प्रतिनिधि बनाना उनके लिये बहुत आवश्यक है; क्योंकि उसकी बुद्धि से होने वाले लाभ का भरोसा है; परन्तु भेद के विषय में उसके गलत होने और आप सही होने के विचार में बहुत सन्देह है ।

इस प्रश्न का विवेचन करते हुए मैंने यह कल्पना की है कि जिनका आधार प्रत्यक्ष गठन पर है उन सब के विषय में मत पद्धति पिछले अध्यायों में स्वीकार किये हुए मूल तत्त्वों का अनुसरण करती है । इस धारणा के अनुसार भी मुझे प्रतिनिधित्व में पलची सम्बन्धी सिद्धान्त गलत जान पड़ता है और इस प्रसङ्ग में यद्यपि जो हानि होगी वह खास सीमा में दबी रहेगी तथापि उसका व्यावहारिक परिणाम हानिकारक निकलेगा । परन्तु जिन बन्धनों द्वारा मैंने प्रतिनिधित्व की रक्षा करने का प्रयत्न किया है उनको अगर राज्यतंत्र ने स्वीकार न किया होगा; अगर छोटे पक्षों को प्रतिनिधि देने का प्रबन्ध न हुआ होगा तथा मतधारियों की पापी, हुई शिक्षा की स्थिति की किसी तरह की कसौटी से मत के संख्या-बल में कुछ भेद न स्वीकार किया गया होगा तो ऐसे प्रसङ्ग में प्रतिनिधि को निरंकुश विचार स्वातंत्र्य देने की तात्विक आवश्यकता के विषय में जो कुछ कहा जाय वह थोड़ा है; क्योंकि ऐसे समय और सार्वत्रिक मत के उपयोग में

बहुमत के अभिप्राय से किसी भिन्न अभिप्राय का ही पार्लियामेंट में सुना जाना सम्भव है। जो भूटमूठ जनसत्ताक राज्य कहलाता है परन्तु वास्तव में केवल मजदूर वर्ग का राज्य है उसमें दूसरों के प्रतिनिधि न होने से और उनकी बात न सुनी जाने से, सब से संकीर्ण विचार के वर्गीय कानून से और सब से भयंकर स्वरूप के राजनीतिक अज्ञान से मुक्त रहने का मार्ग सिर्फ अशिक्षित लोगों के प्रतिनिधि के प्रति और उनके अभिप्राय का आदर करने के प्रति जो रखा हो उसी में खुसा रह सकता है। ऐसा करने की कुछ मरजी की वास्तविक रीति से आशा रखी जा सकती है और इस मरजी को पूर्ण रूप से खिलने देने पर सारी बात निर्भर कर सकती है। परन्तु एक बार सर्वोपरि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के बाद अगर मजदूर दल इस या दूसरे किसी अपने अहंभाव और स्वच्छन्दता के ऊपर कुछ भारी अंकुश डालना अपनी खुशी से कबूल करे तो कोई भी निरंकुश सत्तावाला वर्ग ऐसे हानिकारक प्रभाव से जितनी बुद्धिमानी दिगा चुका है अथवा हम कहने की हिम्मत करेंगे कि कमी दिगा सकता है उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमानी दियावेगा।

तेरहवां अध्याय ।

दूसरी सभा के विषय में ।

प्रतिनिधि-शासन सम्बन्धी सिद्धान्त के सब विषयों में तो प्रश्न दो सभा के नाम से परिचित हुआ है उसकी अपेक्षा दूसरे किसी प्रश्न पर, विशेष कर के यूरोपियन में, अधिक चर्चा नहीं चलती है। इसने अपने से दस गुने आवश्यक कितने ही प्रश्नों की अपेक्षा तत्वज्ञानियों का ध्यान अपनी

थोर अधिक खींचा है और निरंकुश जनसत्ताक राज्य के पक्षपातियों से अंकुशित (नियंत्रित) जनसत्ताक राज्य के पक्षपातियों को पहचानने की यह एक किस्म की कसौटी माना गया है। मुझसे पूछा जाय तो जो जनसत्ताक राज्य दूसरी तरह से निरंकुश होगा उसके ऊपर दूसरी सभा जो कुछ अंकुश डाल सकती है उसको मैं कम ही आवश्यक समझता हूँ; और मेरे विचार में ऐसा आता है कि अगर राज्यतन्त्र के दूसरे सभ प्रश्नों का निर्णय योग्य रीति से होता होगा तो पार्लिमेण्ट एक सभा की बनी है या दो सभाओं की यह बात गौणरूप से आवश्यक है।

अगर दो सभाएं होंगी तो उनमें समान तत्व मिले हुए होंगे या असमान तत्व। अगर ये समान तत्वों की बनी होंगी तो दोनों एक ही सत्ता के बश होंगी और जिसका एक सभा में बहुमत होगा उसी का दूसरे में भी होना सम्भव है। यह बात सच है कि किसी काम की मंजूरी के लिये दोनों की सम्मति दरकार होगी, इस से कितनी ही वार सुधार के मार्ग में भारी विघ्न पड़ेगा; क्योंकि अगर सोचें कि दोनों सभाएं प्रतिनिधियों की बनी हैं और संख्या में एक समान हैं तो सभ प्रतिनिधियों की एक चौथाई से कुछ ही अधिक संख्या मसविदे को मंजूर होने से रोक सकेगी; परन्तु अगर फकत एक ही सभा होगी तो बहुमत सिर्फ नाम का होने पर भी मसविदे के मंजूर होने का भरोसा रहेगा। किन्तु यद्यपि सोचा हुआ प्रसङ्ग सिद्धान्त में सम्भव है तथापि अनुभव में आना सम्भव नहीं है। ऐसा बहुधा नहीं होगा कि समान तत्ववाली दो सभाओं में से एक लगभग एकमत हो और दूसरी लगभग बराबर में बंट जाय। अगर किसी काम को एक सभा का बहुमत रद्द करे तो दूसरी में उस काम के विरुद्ध का छोटा

पक्ष भी बहुत फर के पड़ा होगा; इस से जो कुछ सुधार यों रुक जायगा वह प्रायः सब प्रसङ्गों में ऐसा होगा कि उसको सारी जनता में कुछ से बहुत पेशी बहुमत नहीं होगा और सब से दुरा परिणाम यही हो सकेगा कि यह काम कुछ समय तक मंजूर होने से अटककेगा अथवा पार्लिमेण्ट का छोटा बहु-मत देश के असली बहुमत का अनुसरण करता है कि नहीं इसका निश्चय करने के लिये मतधारियों को फिर से अर्ज करने को लाचार होना पड़ेगा।

दो सभाएं रखने के विषय में, जो अंधी उतावली रोकने और दूसरी सभा का विचार करने को लाचार करने की दलील सब से अधिक धार पेश की जाती है उस पर मैं कम ही जोर देता हूँ; क्योंकि जिस प्रतिनिधि सभा में कार्य-व्यवहार सम्बन्धी स्थापित नियमों से दो से अधिक विवेचन की जरूरत न पड़े उसकी व्यवस्था अवश्य ही बहुत सराय होगी। मेरे विचार के अनुसार तो जो कारण दो सभाओं के पक्ष में अधिक बजनदार हो जाता है (और जिसको मैं कुछ आवश्यक समझता हूँ) वह यह है कि किसी सत्ताधारी पृथक् पुरुष या सभा के मत पर दूसरे किसी की सलाह लेने की लाचारी न होने के विचार से दुरा असर होता है। जरूरी, बात यह है कि मनुष्यों का कोई दल दूसरे किसी की सम्मति लिये बिना बड़े विषयों में अपनी मनमानी न करने पावे। किसी एक ही सभा का बहुमत जब कुछ स्थायी स्वरूप धारण कर चुकता है—जब वह साधारण तौर पर एक ही, और साथ रहकर, काम करनेवाले पुरुषों का बना हुआ होता है और उसको अपनी सभा में हमेशा विजय का भरोसा होता है तब अगर उसका काम दूसरी कोई नियम पक्ष सत्ता स्वीकार करेगी कि नहीं यह विचारने की जरूरत से छुट्टी पाये रहेगा

तो वह आसानी से निरंकुश और अहंमानी हो जायगा । जिस कारण ने रोमनों को दो कंसल (रोम के जनसत्तक राज्य के मुख्य अधिकारी) रखने का लालच दिया उसी से दो सभाएं रखना अभीष्ट हो जाता है कि जिससे केवल एक वर्ष की मुहत्त तक भी दो में से एक भी अविभक्त सत्ता के असली असर का शिकार न हो । राज्यनीति की व्यवहार व्यवस्था में और विशेष कर स्वतंत्र राज्यतंत्र की व्यवस्था में जो एक गुण सब से अधिक आवश्यक है वह सामञ्जस्य करने की तत्परता अर्थात् प्रतिपक्षियों को कुछ स्वतंत्रता देने और विरुद्ध विचार के पुरुषों का मन यथासाध्य कम दुर्ये इस रीति से शुभ कार्य की रचना करने की इच्छा है; और दो सभाओं के बीच में परस्पर दी हुई यह हितकारिणी वृत्ति की पाठशाला है । ऐसी पाठशाला की दैसियत से यह शय भी उपयोगी है और कानून बनानेवाली सभा के अधिक जन-सत्ताक गठन में इसकी उपयोगिता इससे भी अधिक जान पड़ना सम्भव है ।

परन्तु दोनों सभाओं के एक ही तत्व की—एक ही मेल की होने की जरूरत नहीं है । वे एक दूसरे पर अंकुश के तौर पर बनायी जा सकती हैं । यह मान लिया जाय कि एक सभा में लोकतन्त्र की प्रधानता है तो दूसरी का गठन स्वभावतः उस लोकतन्त्र पर कुछ अंकुश डालने के विचार से किया गया होगा । परन्तु इस विषय में उसकी सबलता का सारा भरोसा, वह सभा, बाहर का जो सामाजिक अनुमोदन पा सकती है उसके ऊपर रहता है । जिस सभा को देश की किसी बलवान सत्ता का आधार नहीं होता वह जिसको आधार होता है, उसके सामने अशक्त है । शिष्टप्रधान (जिसमें शिष्ट जन या अमीर वर्ग का प्रभाव होता है) सभा शिष्टप्रधान स्थिति में ही

प्रचल होती है। अमीर सभा एक बार राज्यतंत्र में सब से जबरदस्त थी और आम सभा केवल अंकुश रखने वाली सत्ता थी। मैं यह नहीं मान सकता कि जनसत्ताक सामाजिक स्थिति में अमीर सभा जनसत्ता पर अंकुश रखने में कुछ असली बजन रखेगी। जब एक पक्ष की सेना दूसरे पक्ष की सेना के मुकाबले में थोड़ी हो तब छोटी सेना को बलवान बनाने का यह मार्ग नहीं है कि दोनों को आमने सामने करके मैदान में भिड़ा दें। ऐसी व्यूहरचना से कम बलवाली की अवश्य पराजय होगी। वह अगर कुछ भी लाभदायक काम कर सकती है तो स्वयं अलग रह कर और प्रत्येक जन को अपने पक्ष में या विपक्ष में होने की घोषणा करने को लाचार करने से नहीं, वरंच अपना स्थान जनसमूह की विरुद्धता के बदले उसके मध्य में ले जाकर किसी खास विषय पर अपने साथ सब से अधिक मिलजुल जाने वाले तत्वों को अपनी ओर खींचने से; प्रतिपक्षी संस्था का चेहरा धारण करके अपने विरुद्ध साधारण एकता खड़ी करने से नहीं, वरंच मिश्रित समूह के एक अंग के तौर पर काम करने से, उसमें अपना सिद्धा जमाने से और जो बहुत दुर्बल हो जाय उस अंग को अपने बल की सहायता द्वारा बहुधा प्रचल करने से। जन सत्ताक राज्यतंत्र में असली अंकुश रखने वाली सभा को तो लोकसभा के अन्दर रहकर उसी की मार्फत काम करना चाहिये।

यह मैं साबित कर चुका हूँ कि प्रत्येक शासन-पद्धति में जो प्रचल सत्ता हो उस पर अंकुश रखने के लिये एक मध्य बिन्दु और जनसत्ताक राज्य में जनसत्ता पर अंकुश रखने के लिये मध्य स्थल होना चाहिये। और इसको मैं राज्यतंत्र का आधारभूत नियम मानता हूँ। अगर कोई जनता, जिसका प्रति-

निधि तत्व जनसत्ताक हो यह अपने पिछले ऐतिहासिक चरित्र के कारण, ऐसा अंकुश स्थान अन्य की : अपेक्षा दूसरी सभा या अमीर सभा के स्वरूप में रखने को राजी हो तो उसके उस स्वरूप में रखने का सबल कारण है, परन्तु मुझे तो यह स्वरूप स्वयं सब से अच्छा-या अपने उद्देश्य के लिये किसी रीति से सब से प्रभावशाली नहीं दिखाई देता। अगर दो सभाएँ हों और उनमें एक प्रतिनिधि वाली और दूसरी सिर्फ वर्ग प्रतिनिधि वाली या केवल वे प्रतिनिधि की हो तो मैं नहीं समझता कि जहाँ समाज में प्रबल सत्ता जन-धल की होगी वहाँ दूसरी सभा पहिली की भूलें रोकने में भी कुछ वस्तुतः समर्थ होगी। वह अगर रखी जायगी तो उस का परिचय और अभ्यास हो जाने से, न कि एक सबल अंकुश के तौर पर। वह अगर अपनी स्वतंत्र इच्छा से लेना चाहेगी तो उसका दूसरी सभा की तरह सामान्य वृत्ति से ही वैसा करने को, उसी की तरह जनसत्ता प्रधान रहने को, और कानून बनाने वाली सभा की अधिक लोकप्रिय शाखा की अचानक भूलें सुधारने या लोकप्रिय कार्यों में उसके साथ चढ़ा ऊपरी करने में ही सन्तोष मान लेने को लाचार होना पड़ेगा।

यहुमत के प्रभाव पर जिस असली अंकुश का आधार अब से रहेगा वह शासन करने वाली संस्था की सब से लोकप्रिय शाखा के बल के विभाग पर; और मेरे सब से दृढ़ विचार के अनुसार जिस पद्धति के ऊपर उसके बल का सब से लाभकारी साम्रज्य किया जा सकता है उसको मैं पहिले सूचित कर चुका हूँ। मैं ने यह भी दिखाया है कि यहुमत अपने मुकाबले की पार्लिमेण्ट के यहुमत के बल द्वारा सम्पूर्ण सत्ता चलावे तो भी अगर छोटे वर्गों को भी उनकी

संख्या के हिसाब से शुद्ध जन सत्ताक राज्य के नियम पर मिलने योग्य प्रतिनिधि पाने का समान हक भोगने दिया जाय तो ऐसे प्रबन्ध से दूसरे सभासदों की तरह लोक-प्रिय हक के जरिये सभा के अन्दर देश के इतने बड़े उत्कृष्ट वृद्धि के पुरुषों की स्थायी उपस्थिति का मरोसा रहेगा कि जन प्रतिनिधि का यह विभाग किसी तरह अलग दल बाँधे बिना या कुछ भी द्वेषजनक हक पाये बिना अपने संख्या बल की अपेक्षा परिमाण में बहुत अधिक वजन हासिल करेगा और आवश्यक अंकुश का सफल मध्यस्थल हो पड़ेगा । इस से इस उद्देश्य के लिये दूसरी सभा की जरूरत नहीं है और हो भी तो इस उद्देश्य को सहायक नहीं होगी वरंच कभी उसके साधन के मार्ग में किसी सम्भवित रीति से बाधक भी हो जायगी । इतने पर भी, अगर ऊपर बताये हुए दूसरे कारणों से यह टहराव किया जाय कि ऐसी सभा चाहिये तो इतनी बात स्पष्ट है कि वह ऐसे तत्त्वों की बनायी जाय कि स्वयं बहुमत के प्रतिकूल आने योग्य वर्ग स्वार्थ साधने के दोष का पात्र न होकर बहुमत के वर्ग स्वार्थ का सामना करने और उसकी भूलों तथा गुटियों के विकृष्ट अपनी जोरदार आवाज उठाने को उमड़े । हमारी अमीर सभा (हाउस ऑफ लार्ड्स) के ढंग पर बनी हुई संस्था में ये शर्तें खुले तौर पर देखने में नहीं आती । प्रचारित पदवी और व्यक्तिगत धन का जनसत्ता पर दबाव पड़ना बंद होता है इस से अमीर सभा निर्जाय हो जाती है ।

जनसत्ता के प्रभाव को सीमा और नियम में रखने को निर्धारित किसी प्रवीण संरक्षक वृत्ति वाली संस्था का जिन मूल तत्त्वों पर गठन करना सम्भव है उन सब में सर्व श्रेष्ठ मूलतत्त्व रोम की वृद्धि-सभा में उदाहृत हुआ जान पड़ता

है, क्योंकि अब तक जो संस्थाएँ राज्यकार्य का प्रबन्ध कर चुकी हैं उनमें यह सब से नियमबद्ध, बुद्धिमती और दूरदर्शी संस्था थी । लोक-सभा जिस साधारण जनता का प्रतिनिधि है उसकी गुटियाँ उस लोक-सभा की अपनी गुटियाँ होती हैं—जैसे विशेष शिक्षा और ज्ञान का अभाव । इसका उचित उपाय यह है कि विशेष शिक्षा और ज्ञान का गुण जिस संस्था में हो उस को उस के शामिल कर दें । अगर एक सभा लोगों का भाव प्रगट करती हो तो दूसरी को स्वयं की हुई राज्यसेवा में परीक्षित और स्वीकृत और व्यवहार सिद्ध अनुभव में पली हुई अपनी योग्यता दिखाना चाहिये । अगर एक लोक सभा हो तो दूसरी राजनीतिक पुरुषों की सभा—जो जरूरी सरकारी ओहदों या नौकरियों पर रहे हों उन सभी जीवित सरकारी पुरुषों की धनी सभा—होनी चाहिये । ऐसी सभा केवल अंकुश रखने वाली सभा नहीं होगी वरंच दूसरे बहुत से कामों के लायक भी हो जायगी । यह केवल अंकुश-बल ही नहीं वरंच प्रेरक बल वाली भी हो जायगी । लोगों को अंकुश में रखने की उस के हाथ में साँपी हुई सत्ता जो उन्हें किसी सन्मार्ग में आगे बढ़ाने को मज से समर्थ और बहुत कर के सब से तत्पर होते हैं उन्हीं के हाथ में आवेगी । जिस सभा को लोगों की भूलें सुधारने का काम साँपा जायगा वह उन के लाभ के विरुद्ध जाने वाले धर्म का प्रतिनिधि नहीं गिनी जायगी, वरंच उन्नति के मार्ग में उस के स्वाभाविक नेताओं की धनी हुई मानी जायगी । अंकुश के काम को घजनदार और प्रभावशाली करने में और किसी रीति का गठन इस के बराबर नहीं उतरेगा । जो संस्था हमेशा सुधार कराने में अग्र भाग लेगी वह चाहे जिस कदर अनर्थ के मार्ग में बाधक हो

तथापि उस के विरुद्ध केवल रोषक-सस्या के नाम से चिल्लाहट मचा कर उसे बन्द देना असम्भव हो जायगा ।

इंग्लैण्ड में अगर ऐसी वृद्धसभा बनाने की नीयत आवे (मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह सिर्फ कल्पना है) तो यह नीचे लिखे तत्वा द्वारा बनेगी—पिछले एक अध्याय में वर्णित कानून सभा (लेजिसलेटिव कमीशन) के (जिसको मैं सुगठित जनसत्ताक राज्यतंत्र का एक आवश्यक अंग गिनता हूँ) जो सभासद हों या रह चुके हों वे सभ्य । जो प्रधान विचारपति अथवा कानून या न्याय के किसी अदालत के अध्यक्ष हों या रह चुके हों वे सभ्य । जिन्होंने पांच वर्ष विचारपति का काम किया हो वे सभ्य । जो दो वर्ष किसी गुप्त मंत्री के पद पर रह हों वे सभ्य; परन्तु उनको आम सभा में चुने जाने की भी स्वतंत्रता रहनी चाहिये और अगर वे उसके सभासद चुने जायें तो तब तक के लिये उनकी श्रमोत्तरी की पदवी या वृद्ध सभासद का पद मुलतयी रहना चाहिये; किसी पुरुष को सिर्फ वृद्ध सभा में स्थान देने के लिये गुप्त मंत्री चुने जाने से रोकने के निमित्त मुद्दत की शर्त की जरूरत है और दो वर्ष की मुद्दत बताने का कारण यह है कि जो मुद्दत उनको पर्याप्त (पेंशन) के योग्य बनाती है वही उनको वृद्ध सभासद के पात्र बनाये । जो प्रधान सेनापति के आह्वान पर रहे हों वे सभ्य—जिन्होंने स्थल या जल सेनापति होकर, स्थल या जल में विजय पाने के निमित्त पार्लियामेंट से शायशी पायी हो

* Courts of Law and Courts of Equity—

जो बनाये हुए कानून के रूप में इस्तेमाल करे वह कानून की अदालत है और जो न्याय के सामाजिक नियम के अनुसार इस्तेमाल करे वह न्याय की अदालत है ।

ये सब । जो हिन्दुस्थान या ब्रिटिश अमेरिका के बड़े लाट रहे हों ये सब और जो दस वर्ष तक किसी टापू के लाट रहे हों ये सब । स्थायी मुल्की (सिविल) विभाग के प्रतिनिधि भी होने चाहिये । जो राज्य कोष के उपमंत्री, राज्य के स्थायी उपमंत्री के जफरी ओहदे या ऐसे ही दूसरे ऊंचे और जिम्मेवारी के ओहदे पर दस वर्ष तक रहे हों उन सब को वृद्ध सभासद होना चाहिये । इस प्रकार जिन्होंने राज्यकार्य के प्रयत्न में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया हो उनके साथ अगर तत्त्वज्ञानी वर्गका कोई प्रतिनिधि लेना हो—और ऐसा करना वस्तुतः इष्ट है—तो यह विचारने योग्य बात है कि खास राष्ट्रीय विद्यालय में खास अध्यापकों के ओहदों पर कुछ वर्ष रहने से मनुष्य वृद्धसभा में स्थान पाने के पात्र हो सकते हैं कि नहीं । केवल शास्त्र या साहित्य के विषय में उरुहृष्टता तो वेहद अनिश्चित और विवादग्रस्त योग्यता है, वह निर्वाचन की शक्ति सूचित करती है परन्तु दूसरे गुण तो स्वयं प्रकाश हैं; जिन लेखों के द्वारा उन्होंने प्रतिष्ठा पायी है, उनका अगर राज्यनीति से सम्बन्ध नहीं होगा तो ये वांछित खास गुणों के सबूत नहीं हैं; और अगर ये राजनीतिक होंगे तो उत्तरोत्तर मंत्रीमण्डल को पार्लियामेंट में पक्षशस्त्र धरसाने की शक्तिमान करेंगे ।

इंग्लेण्ड के पुराने ऐतिहासिक चरित्र से प्रायः निश्चय होता है कि विद्यमान राज्यतंत्र का बलात्कार उच्छेद होने का असम्भव प्रयत्न न सोचें तो अगर कोई दूसरी सभा अस्तित्व में आवेगी तो उसका गठन अमीर (लार्ड) सभा के ढांचे पर करना पड़ेगा । अमीर सभा के स्थान में, जैसा कि मैंने ऊपर चित्रित किया है, वैसी वृद्धसभा या दूसरी कोई सभा बनाने के लिये उस सभा को घस्तुतः तोड़ डालने का

विचार करना प्रश्न के बाहर की बात है; परन्तु ऊपर कहे हुए वर्गों या महावर्गों को विद्यमान मण्डल में जीवन भर अमीर के नाम से शामिल करने में शायद उतनी ही अलंघ्य कठिनाई नहीं पड़ेगी। एक अन्तिम और इस कल्पना के अनुसार एक आवश्यक काम शायद यह करना होगा कि वंश परम्परा के अमीरों का सभा में स्वयं उपस्थित रहने के बदले प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा; यह रिवाज स्काच और आइरिश अमीरों के विषय में जारी हो चुका है और इस वर्ग की सिर्फ वृद्धि के कारण कदाचित किसी समय यह आवश्यक हो जायगा। मि० हेयर की पद्धति का कुछ अनुकरण करने से, अमीरों में जिस पक्ष का बहुमत होगा केवल उसी का प्रतिनिधि चुना जाना रुकेगा जैसे—प्रति दस अमीर पीछे एक प्रतिनिधि दिया जाय तो चाहे जिस दम को एक प्रतिनिधि चुनने दिया जा सकता है और इस कारण से अमीरों को अपनी इच्छानुसार जगयांघ होने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। चुनाव इस प्रकार किया जा सकता है—जो अमीर अपने वर्ग की तरफ से प्रतिनिधि चुने जाने के लिये उमेदवार हों उनसे इसकी घोषणा करायी जाय और एक सूची में नाम दर्ज करवाया जाय। एक दिन और एक स्थान नियत किया जाय और मत देने की इच्छा रखने वाले अमीर उस दिन उस स्थान पर स्वयं अथवा पार्लियामेंट की साधारण रीति के अनुसार अपने मुल्तार की मार्फत हाजिर हों। मत लिया जाय और उसमें हर एक अमीर सिर्फ एक के लिये मत दे। जिस उमेदवार को पूरे दस मत मिलें वह नियोजित हुआ प्रगट किया जाय। अगर किसी को अधिक मत मिलें तो दस के लिये और सब मतधारियों को अपना मत घोषित करने को कहा जाय अथवा उस संध्या में से चिट्ठी

डाल कर दस आदमी पसंद किये जायें । वे दस अपनी मत समिति बनावें और बाकी मतदाता अपना मत फिर से दूसरे किसी को देने की छुट्टी पावें । (यथा सम्भव) जब तक स्वयं या मुरतार की मार्फत उपस्थित हर एक अमीर को प्रतिनिधि मिले तब तक, इसी तरह बार बार किया जाय । जब दस से कम संख्या बाकी रहे तब अगर वह पांच तक हो तो उन मतधारियों को अथ भी एक प्रतिनिधि के लिये एक राय होने दें और अगर वे पांच से कम हों तो उनका मत रद्द समझा जाय या किसी निर्वाचित उमेदवार के पक्ष में देने दिया जाय । इस अल्प अपवाद के सिवा प्रत्येक अमीर प्रतिनिधि अमीर वर्ग में से दस जनों का प्रतिनिधि होगा और उसके लिये उन सब ने मत दिया होगा, इतना ही नहीं, वरंच यह समझ कर उसे पसन्द किया होगा कि पसंद के लिये सामने खड़े हुए सब उमेदवारों में से उसको वे अपना प्रतिनिधि बनाने की सव से अधिक इच्छा रखते हैं । जो अमीर अपने वर्ग की तरफ से प्रतिनिधि न चुना जाय उसको इसके बदले आम सभा की छूट दी जाय । यह न्याय इस समय स्काच और आइरिश अमीरों के साथ उनके अपने राज्य विभाग में नहीं किया जाता । फिर अमीर-वर्ग के सब से बड़ी संख्यावाले पक्ष के सिवा दूसरे किसी को अमीर सभा का प्रतिनिधि न मिल सकने का बन्धन दोनों के लिये एक समान है ।

यहां जिस वृद्ध सभा की सलाह दी गयी है उसके गठन की पद्धति ही स्वयं सब से अच्छी जान पड़ती है, इतना ही नहीं वरंच इसके समर्थन में ऐतिहासिक दृष्टान्त और वास्तविक फकड़ीली सफलता की दलील भी सब से बढ़कर लागू पड़ सकती है । दूसरी सभा के गठन के लिये एक दूसरी साध्य पद्धति यह है कि उसको पहली सभा के हाथ से धुनवायें ।

प्रतिबन्धन सिर्फ इतना रखें कि वह अपने समासदों में से किसी को न चुने। ऐसी सभा, अमेरिकन वृद्ध सभा को तरह सिर्फ पदान्तर से भिन्न लोगों की पसन्द से उत्पन्न होने के कारण, जनसत्ताक नियमों में बाधा डालने वाली नहीं गिनी जायगी और सम्भवतः पुष्कल लोक सत्ता प्राप्त करेगी। अपनी निर्वाचन पद्धति से उसको लोक सभा की ईर्ष्या भड़काने या उसमें भिड़ जाने की सम्भावना साम करके नहीं रहेगी। फिर (छोटे वर्गों को प्रतिनिधि देने की उचित व्यवस्था होने से) उसका गठन अवश्य अच्छा होगा और जो अकस्मात् या दिव्याजु गुणों के अभाव से मत समिति का मत मांगने से अनिच्छुक या पाने में अशक्त होंगे उन जंचा शक्ति वाले पुरुषों के वर्ग में से दबुतरे उसमें प्रवेश कर जायेंगे।

दूसरी सभा के जिस गठन में ऐसे तत्त्व विद्यमान होंगे जो बहुमत के वर्ग स्वार्थ और वहन से मुक्त तथा लोकवृत्ति के अनुचित अंग से विलक्षण रहित रहेंगे वह सब से श्रेष्ठ है। मैं फिर कहता हूँ कि बहुमत के प्रभाव को नियम में रखने का मुख्य आधार किसी किसम की दूसरी सभा को नहीं बना सकते। लोक सभा के गठन से प्रतिनिधि राज्य की प्रकृति का निर्णय होना है। इसके सामने शासन पद्धति सन्दर्भों दूसरे सभी प्रश्न निर्जीव हैं।

चौदहवां अध्याय ।

प्रतिनिधि शासन में कार्य कारिणी सभा ।

इस निबन्ध में इस प्रश्न को छेड़ना अप्रासंगिक होगा कि राज्य तंत्र के शासन सन्दर्भों कान को किस विभाग या शाखा में बांटना सब से सुगम पड़ेगा। इस विषय में भिन्न

भिन्न राज्यतंत्रों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं; और जब मनुष्य आरम्भ से आरम्भ करना चाहते हैं तथा जब हमारे यहां के जैसे पुराने राज्यतंत्र में जिन लगातार घटनाओं ने राज्य कार्य की वर्तमान व्यवस्था उत्पन्न की है उन से अपने को बाध्य न समझें तब तो कार्य का विभाग करने में कुछ भारी भूल होना कम ही सम्भव है। सिर्फ इतना कहना यथेष्ट है कि अधिकारियों का विभाग विषयों के विभाग के अनुसार होना चाहिये और जैसा कि हमारे यहां के सेना विभाग में बहुत हाल तक था और अब भी किसी कदर है, स्वभावतः एक ही, अभिन्न विषय के भिन्न भिन्न विभागों पर निगरानी रखने के लिये भिन्न भिन्न और एक दूसरे से स्वतंत्र विभाग न होने चाहियें। जहां साध्य उद्देश्य एक है (जैसे कि सबल सैन्य रखने का) वहां उसके ऊपर निगरानी रखने को नियुक्त सत्ता भी एक होनी चाहिये। एक ही उद्देश्य के लिये योजित साधनों का सारा समूह एक ही सत्ता और जिम्मेवारी के अधीन रहना चाहिये। जब उनका स्वतंत्र सत्ताओं के बीच विभाग होता है तब प्रत्येक सत्ता के हाथ में जो साधन आते हैं वे उसके मन का उद्देश्य बन जाते हैं और वास्तव में उद्देश्य की सम्हाल रखने का काम राज्यतंत्र के प्रधान के सिवा और किसी के सिर पर नहीं रहता, और उस प्रधान को कभी कभी विभाग का यथोचित अनुभव भी नहीं होता। भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों को किसी एक मुख्य भावना की प्रेरणा के अनुसार एक दूसरे से मिलाकर उनकी सुगठित व्यवस्था नहीं की जाती। जब प्रत्येक विभाग अपनी जरूरतों को आगे ढकेलता है तब केवल काम की खातिर काम के उद्देश्य का निरंतर त्याग होता है।

साधारण नियम से प्रत्येक उच्चम या मध्यम शासन कार्य

किसी काम पुरुष का निरधारित कर्तव्य होना चाहिये । हर एक काम कौन करता है और अगर वह कुछ ये किये रह गया तो किस के कसूर से, यह सारी दुनिया को मालूम होना चाहिये । जब कोई नहीं जानता कि कौन जिम्मेदार है तब जिम्मेवारी रहती ही नहीं । फिर जब दर अमल जिम्मेवारी होती है तब भी उसका विभाग करने से वह कमजोर पड़े बिना नहीं रहती । उसको उसके पूर्ण रूप में बनाये रखने के लिये एक ऐमा पुरुष चाहिये जो अच्छा काम होने पर उसके सारे यश का और सराये होने पर उसके सारे अपयश का पात्र गिना जाय । इतने पर भी जिम्मेवारी बांटने की रीतियाँ हैं । उन में से एक में तो वह (जिम्मेवारी) निर्यल होती है परन्तु दूसरी में नष्ट हो जाती है । जब एक ही काम के लिये एक से अधिक पदाधिकारियों की मंजूरी की जरूरत हो तब वह निर्यल होती है । तो भी उन में से प्रत्येक को कुछ अमली जिम्मेवारी है; जब कुछ बुराई होती है तब उन पदाधिकारियों में से कोई यह नहीं कह सकता कि 'मैंने नहीं किया।' जितना अपराधी का साथी अपराध में हिस्सेदार है उतना ही वे पदाधिकारी उस बुरे काम में हिस्सेदार हैं, अगर उन में कानून विरुद्ध अपराध हो तो कानून के रु से उन सब की सजा की सकती है । अगर उन में एक ही पुरुष का सम्बन्ध होता तो उसको जैसी सख्त सजा होती उससे उनकी कम सजा होना उचित नहीं है, परन्तु लोकमत की शायाशी और सजा के विषय में ऐसा कोई धोरण नहीं है इससे यह सजा बटवारेके साथ घट जाती है । जहां कुछ घूम या कपट के ऐमा कानून विरुद्ध निश्चित अपराध नहीं होता, मिर्क भूल या अविचार या इसी श्रेणी का कुछ होता है यहाँ प्रत्येक हिस्सेदार को अपने और दुनिया के सामने इस बात का

यहाना मिलता है कि हमारे साथ दूसरे मनुष्य भी लिपटे हुए हैं। रुपये ऐसे की बेईमानी तक का कोई विषय शायद ही ऐसा होगा कि उसमें जिसको अंकुश रखने या उलहना देने का कर्त्तव्य है उसने अगर वैसा करने में भूल की होगी और विशेष कर अगर उसकी मंजूरी दी होगी तो सम्बद्ध पुरुष अपने को प्रायः दोष मुक्त न समझेगा।

इतने पर भी यद्यपि इस मामले में जिम्मेवारी दुर्बल हो गयी है तो भी है। उसमें शामिल हर एक आदमी ने अपनी तरफ से उस काम में मंजूरी दी है और भाग लिया है। परन्तु जब वह कृत्य ही स्वयं बन्द कोठरी में परामर्श करने वाली शासन समिति के बहुमत का होता है और कोई नहीं जानता या किसी अन्तिम प्रसङ्ग बिना जानना सम्भव नहीं है कि किसी खास सभासद ने उस काररवाई के पक्ष में मत दिया है या विरुद्ध, तब इस से भी बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। ऐसे प्रसङ्ग में जिम्मेवारी सिर्फ नाम की है। वेन्थम का कथन यथार्थ है कि "व्यवस्था समिति परदा है"। 'व्यवस्था समिति' का किया हुआ काम किसी एक आदमी की कारगुजारी नहीं है और उस के लिये किसी को भी जिम्मेवार नहीं बना सकते। व्यवस्था समिति की प्रतिष्ठा में भी जो कुछ बढ़ा लगता है वह उसकी समष्टि की पदवी में। और किसी स्वतंत्र सभासद की दृष्टि में वह अपनी प्रतिष्ठा समिति की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई समझने का जितना ख्याल रखता है उससे वह विशेष नहीं जानती। यह ख्याल तो जब समिति स्थायी होती है और उसके साथ अच्छे या बुरे दोनों में सभासद का सम्बन्ध जुड़ा रहता है तभी बहुधा जबरदस्त होता है; परन्तु आधुनिक अधिकार पद की उथल पुथल में ऐसा पंक्ति भाग यताने का कुछ भी समय नहीं मिलता; और अगर यह

कुछ भी विद्यमान है तो अधीनस्थ स्थायी नौकरों की अन-
जान पंक्तियों में ही है; इससे व्यवस्था समिति शासन कार्य
का योग्य साधन नहीं है और जब दूसरे कारणों से एक ही
मंत्री को सम्पूर्ण सत्ता की स्वतंत्रता देना बहुत खराब होता
हो तभी इसका उपयोग करना उचित है ।

दूसरी ओर यह भी एक अनुभव सिद्ध नियम है कि
अनेक के परामर्श में बुद्धिमानी है; और मनुष्य जब अपने या
किसी एकाध सलाहकार के सिवा दूसरे किसी के ज्ञान का
साधारण उपयोग नहीं करता तब वह अपने विषय में भी
और विशेष कर सार्वजनिक विषयों में शायद ही सच्चा
निर्णय करता है । इस नियम और उस दूसरे के बीच में
कुछ भी आवश्यक विरोध नहीं है । एक ही मनुष्य को सारी
विधायक सत्ता सौंपकर उस के सिर सारी जवाबदेही
डाल देना और उसके साथ जरूरत होनेपर सलाहकार
सौंपना, परन्तु उनमें से प्रत्येक को अपने ही दिये हुए अभि-
प्राय के लिये जवाबदेह बनाना, सहज है ।

साधारण तौर पर शासन प्रबन्ध के किसी विभाग का
प्रधान केवल नीतिवेत्ता होता है । वह अच्छा नीतिवेत्ता
और योग्यता वाला मनुष्य भी हो सकता है । अगर साधारण
स्थिति इस प्रकार की न हो तो राज्यतंत्र को खराब समझना ।
परन्तु उसकी साधारण बुद्धिमानी और देश के सामान्य
लाभ के विषय में उसका वाञ्छित ज्ञान के साथ उसकी
प्रधानता में सौंपे हुए विभाग का यथेष्ट और व्यवहार कुशल
कहलाने वाला ज्ञान होने की सम्भावना सिर्फ प्रासंगिक
अकस्मात् पर है, इससे, इसके लिये व्यवहार कुशल परामर्श
दाताओं के प्रबन्ध की जरूरत है । जहां जहां केवल अनुभव
और ज्ञान सम्पत्ति यथेष्ट होती है—जहां जहां व्यवहार कुशल

परामर्शदाता में वांछित गुण अच्छी रीति से चुनकर निकाले हुए (न्यायाधिकारी जैसे) पुरुष में एकत्र मिलना सम्भव हो वहां साधारण उद्देश्यों के लिये ऐसा एक पुरुष और विस्तृत प्रचलित विषयों का ज्ञान कराने के लिये क्लर्कों का स्टाफ प्रस्तुत प्रसंग के लिये काफी है। परन्तु बहुधा यह सम्भव है कि मंत्री किसी एक ही बुद्धिमान पुरुष की सलाह ले। अगर वह स्वयं उस विषय में प्रवीण न हो तो उस एक ही पुरुष की सलाह पर पूरा भरोसा रख कर उसके अनुसार चलना यथेष्ट नहीं है। बहुधा, मौके मौके पर नहीं, वरंच साधारण तौर पर, उसे विविध अभिप्राय सुनने और परामर्श सभा में चली हुई चर्चा से अपना मत ठहराने की जरूरत पड़ती है। दृष्टान्त के तौर पर, यह स्पष्ट है कि स्थल और जल सेना सम्बन्धी विषयों में अवश्य कर के ऐसा होना चाहिये। इस से स्थल और जल सेना सम्बन्धी मंत्रियों के लिये और सम्भवतः दूसरे कितनों के लिये परामर्श सभा की व्यवस्था होनी चाहिये और उन सभाओं में और प्रथमोक्त दो विभागों की सभाओं में तो अवश्य कर के बुद्धिमान और अनुभवी व्यवहार कुशल मनुष्य होने चाहियें। शासन (कार्यकारिणी) सभा के प्रत्येक परिवर्तन में भी इसलिये कि सब से श्रेष्ठ मनुष्य प्राप्त करने का उपाय रहे; उनकी नियुक्ति स्थायी होनी चाहिये। और ऐसा कहने से मेरा मतलब यह है कि जिम मंत्री दल ने उनको नियुक्त किया हो उस के साथ जलसेना विभाग के लाइवों की तरह उनकी तरफ से इस्तीफा देने की आशा न रखनी चाहिये; वरंच जो नियम इस समय ब्रिटिश सेना के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्तिके सम्बन्ध में चलता है वह अच्छा है। अर्थात् जो लोग दरजे व दरजे पदोन्नति के साधारण क्रम से नहीं, वरंच मनोनीत होकर

ऊंचे श्रोहदों पर आये हों वे सब फिर से नियुक्त न हों तो उनकी नियुक्ति सिर्फ़ चास मुद्दत तक हो। इस नियम से नियुक्ति मँकसी न होने से उसका सट्टा होने की कुछ कम सम्भावना रहती है और इस के साथ ही जो लोग म्थायी रखने के सब से कम लायक मालूम हों उनको दूर-भरने से किसी को थुरा लगने का भय नहीं रहता और जिन थोड़ी मुद्दत के मगर ऊंची लियाकत के नौकरों को मृत्यु से म्थाली होनेवाली जगहों की या खुशी से इस्तीफा देने का घाट देखने में कभी मौका न मिल सके उनको नियुक्त करने का साधन मिलता है

परामर्श सभा जो केवल सलाहकार ही रहे तो इस रीति से कि अन्तिम निर्णय मन्त्री की अपनी निरकुंश सत्ता में रहना चाहिये—उसकी खुशी पर रहना चाहिये। परन्तु उसको ऐसा न समझना चाहिये कि वह सभा दूसरे के मन से या अपने मन से सचमुच शून्यवत् हो जाय अथवा मन्त्री की इच्छानुसार शून्यवत् की जा सके। एक प्रबल और शायद स्वच्छन्दी मनुष्य के साथ जुड़े हुए सलाहकारों को ऐसी शक्तें देनी चाहियें कि वे अपनी प्रतिष्ठा में घट्टा लगाये बिना राय देने से इनकार न कर सकें और उनकी भिफारिश मन्त्री स्वीकार करे चाहे न करे परन्तु उसको बिना सुने और बिना विचारे न चले। जो सम्बन्ध प्रधान और उसके इस किस्म के सलाहकारों में होना चाहिये उसका विचार हिन्दुस्थान के गवर्नर जनरल की और भिन्न भिन्न सूयों की मन्त्री (कार्यकारिणी) सभाएं बहुत ठीक तौर पर देती हैं। जो व्यवहारी ज्ञान गवर्नर जनरल और गवर्नरों को बहुधा नहीं होता और जो उन में चाहना भी अभीष्ट नहीं गिना जाता वह जिन में हो उन पुरुषों की ये मन्त्री सभाएं बनी होती हैं। साधारण नियमा-

नुसार मन्त्री सभा के प्रत्येक सभासद से राय देने की आशा की जाती है और बहुधा वह केवल सम्मति ही होती है, परन्तु जब मत भेद पड़ता है तब प्रत्येक सभासद को अपनी राय के लिए कारण दिखाने की छूट है। यह हमेशे का रिवाज भी है और गवर्नर जेनरल या गवर्नर भी ऐसा ही करते हैं। साधारण प्रसङ्गों में बहुमत से निर्णय होता है और इस से मन्त्री सभा को शासन प्रबन्ध में कुछ वास्तविक भाग मिलता है, परन्तु अगर गवर्नर जेनरल या गवर्नर उचित समझें तो उनको अपना कारण बताकर उनका संयुक्त मत भी न मानने की स्वाधीनता है। परिणाम यह होता है कि राज्य प्रबन्ध के प्रत्येक कृत्य के लिये प्रधान स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहता है। मन्त्री सभा के सभासदों की सिर्फ सलाहकार की जिम्मेवारी रहती है; परन्तु उनमें से प्रत्येक ने क्या सलाह दी है और अपनी सलाह के लिये क्या कारण दिखाया है वह जो लेख रूप में प्रकाशित करने योग्य होता है और पार्लियामेंट या लोक मत के अनुरोध से हमेशा प्रकाशित किया जाता है उस से सदा मालूम होता है। फिर उनका ऊंचा दर्जा और राज्यप्रबन्ध के सब कामों में प्रत्यक्ष भाग होने से राजकाज में मन लगाने के लिये और उस के प्रत्येक विभाग पर अच्छी तरह विचारी हुई राय कायम करने तथा जानने के लिये उनको प्रायः ऐसा प्रबल हेतु है मानो सारी जिम्मेवारी उन्हीं के सिर पर है।

सबसे ऊंचे दर्जे के शासनप्रबन्ध का काम करने की यह पद्धति साध्य वस्तुओं के लिये अनुकूल साधनों का योग प्राप्त करने का एक सब से सफलतापूर्ण दृष्टान्त है; परन्तु राजनीतिक इतिहास अभी तक कुशलता और युक्ति की कार-रवाइयों में बहुत फलदायक नहीं हुआ है इससे उसको ऐसे

दूसरे दृष्टान्त दिखाता थाकी है । ईस्ट इण्डिया कम्पनी की अमलदारी के अनुभव से राज्यनीति की कला में जो वृद्धि हुई है उसमें से यह एक है और जिन और बहुत सी बुद्धिमत्ता पूर्ण योजनाओं से हिन्दुस्थान इस देश के हाथ में रक्षित है और स्थिति तथा साधनों के लिहाज से सचमुच उसका विस्मय उपजाने वाला अच्छा राज्य प्रबन्ध चल रहा है उन योजनाओं की तरह, यह भी सम्भवतः जिस साधारण होम में हिन्दुस्थानी राज्यतंत्र के रीति रिवाज हमने को जान पड़ते हैं उसमें नष्ट होने को वनी है; क्योंकि वह सार्वजनिक अज्ञान और राजनीतिक पुरुषों के उद्धत और मिथ्या अभिमान के आश्रित है । मंत्री सभाओं को राज्यप्रबन्ध के पहियों में एक निरुम्मी और खर्चीली कील मानकर निकाल डालने की पहले से चिन्ताहट मची हुई है; फिर जो मुलकी (सिविल) नौकरी इस मंत्री सभा में बैठने वाले सभासदों को शिक्षित करती है और जिसके रहने से उस सभा के कुछ भी यजन-दाह होने की जमानत है उसको भी तोड़ डालने की कुछ-समय से जबरदस्त पुकार मच रही है और प्रति दिन सबसे ऊंचे स्थानों में अधिक कृपा पाती जाती है ।

जनसम्मत राज्यतंत्र में अच्छे राज्यप्रबन्ध का एक सबसे आवश्यक नियम यह है कि शासन विभाग का कोई हाकिम लोक निर्वाचन से—लोगों के खास मत से या उनके प्रतिनिधि के मत से—नियुक्त न होना चाहिये । राज्यप्रबन्ध का सारा व्यवहार कुशलता का काम है उसे करने के लिये आवश्यक गुण ऐसे खास और व्यवहारी पंक्ति के हैं कि जिसमें उन गुणों का कुछ अंश होगा या कोई प्रबन्ध का अनुभव रखता-होगा उसी से उन गुणों की उचित परीक्षा हो सकती है, दूसरे से नहीं । सरकारी ओहदे सौंपने के लिये सबसे योग्य पुरुष ढूँढ़ निकाल-

रखने का काम—जो अपने सामने आवें उन्हीं में से सबसे अच्छे को चुनने का नहीं, परंच सबसे अच्छे को दूढ़ने का और जय चाहे तब मिल सके इसके लिये जिन जिन योग्य पुरुषों का समागम हो उन सबकी याददाश्त धनाने का काम बड़ी मिहनत का है और इसमें सूक्ष्म तथा अति प्रामाणिक दृष्टि दरकार है । और ऐसा कोई दूसरा कर्त्तव्य नहीं है जिसका इसकी अपेक्षा साधारणतः बहुत धुरी तरह पालन होता हो और इसकी अपेक्षा जिसमें भिन्न भिन्न विभागों के मुखियों के लिये यथासाध्य पूरी जिम्मेवारी रखने और उनसे एक खास फर्ज के तौर पर अदा करने की बहुत जरूरत हो । जो किसी साधारण चढ़ाऊपरी की परीक्षा द्वारा नियुक्त नहीं होते उन सब नीचे के ओहदे वालों को जिसकी मातहतों में वे काम करते हों उस मंत्री की प्रत्यक्ष जिम्मेवारी पर नियुक्त करना चाहिये । प्रधान मंत्री के सिवा और सब मंत्रियों को स्वाभाविक तौर पर उनका प्रधान मंत्री चुनता है और प्रधान मंत्री स्वयं भी यद्यपि धस्तुतः पार्लिमेण्ट से चुना जाता है तथापि राजसत्ता में उसकी नियमपूर्वक नियुक्ति तो राजा के हाथ से ही होनी चाहिये । अगर कोई मातहत कर्मचारी हटाने योग्य हो तो जो हाकिम उसे नियत करता हो उसी के हाथ में उसे हटाने की सत्ता होनी चाहिये; परन्तु ऐसे कर्मचारियों की अधिक संख्या खास अपने अनुचित व्यवहार के बिना हटाने योग्य न होनी चाहिये; क्योंकि जिनके हाथ से राज्यकार्य का सारा विस्तृत प्रबन्ध होता है और जिनके गुण मंत्री के निज गुण की अपेक्षा जनता के लिये साधारणतः बहुत अधिक जरूरी हैं उन मनुष्यों का समूह, इस गरज से कि मंत्री अपनी इच्छानुसार चल सके या दूसरे किसी को नियुक्त कर अपने राजनीतिक लाभ की वृद्धि कर सके, बिना किसी फसूर के

हटा देने योग्य हो तो भी ऐसी आशा रखना व्यर्थ है कि वह अपने काम में मन लगावेगा और जिस ज्ञान और कुशलता पर मंत्री को बहुत पूरा भरोसा रखना पड़ता है उसे प्राप्त करेगा ।

जो नियम लोकमत द्वारा शासन विभाग के हाकिमों की नियुक्ति को निन्दनीय ठहराता है उसमें जनसत्ताक राज्य के शासन विभाग का मुख्य अधिकारी अपवाद रूप होना चाहिये या नहीं ? अमेरिकन राज्यतंत्र में सारी जनता के द्युय से राष्ट्रपति के चुनाव के लिये हर चौथे वर्ष का जो कायदा रमा है वह अच्छा है या नहीं ? यह प्रश्न कठिनार्थ से गाली नहीं है । अमेरिका जैसे देश में तो बेशक कुछ सुयीता है; क्योंकि वहाँ एकाध अनसोची युक्ति द्वारा प्रधान मंत्री को कानून बनाने वाली सभा से कानून के रूप में स्वतंत्र हो जाने का और राज्य तंत्र की दोनों बड़ी शाखाएँ जब तक अपनी उत्पत्ति और निम्मेवारी में एक समान लोकप्रिय हैं, तब तक उनमें एक दूसरी की अमरदार निगरां बने रहने का भय करने की जरूरत नहीं है । महान सत्ताओं को एक ही हाथ में संचय न होने देने का जो आग्रही संकल्प अमेरिकन राज्यसंयोग का एक लक्षणिक चिन्ह है उसके लिये यह योजना अनुकूल है; परन्तु इस दृष्टान्त में यह लाभ लेने के लिये जो मूल्य देना पड़ता है वह उसके सब वास्तविक हिसाब से बाहर का है । जैसे नियंत्रित राजसत्ता में प्रधान मंत्री को नियुक्त करनेवाली वास्तव में प्रतिनिधि सभा है वैसे यह बहुत अच्छा जान पड़ता है कि जनसत्ताक राज्य में भी मुख्य अधिकारी (चीफ मजिस्ट्रेट) को स्पष्ट रूप से वही नियत करे । पहले तो अगर वह इस तरह नियुक्त होगा तो अवश्य करके बहुत उत्तम मनुष्य होगा । जिस पक्ष का पार्लिमेण्ट में बहुमत होगा वह नियम पूर्वक अपने नेता को नियुक्त

करेगा और वह नेता राजनीतिक जगत में हमेशा एक अगुआ और बहुधा सब में अगुआ होगा; परन्तु अमेरिकन संयुक्त राज्य के संस्थापकों में से सब से पिछला मनुष्य जब से अन्तर्द्धान हुआ तब से उसका अध्यक्ष तो प्रायः सदा एक अपरिचित पुरुष होता है अथवा अगर वह कुछ भी प्रतिष्ठा पाये रहता है तो राज्यनीति से किसी भिन्न ही विषय में । और जैसा कि मैं ने कहा है, यह कुछ अकस्मात् नहीं है वरंच वर्त्तमान स्थिति का स्वाभाविक परिणाम है । चुनाव का जो दंग सारे देश में फैल रहा है उसमें पक्ष के सब से उत्कृष्ट पुरुषों की उमेदवारी कभी सब से लाभकारी नहीं निकलती । सब उत्कृष्ट पुरुष अपने सिर पर शत्रु खड़े किये रहते हैं अथवा उन्होंने ने ऐसा कोई काम किया होगा जिससे जनता के एक या दूसरे बड़े स्थानिक विभाग का मन दुखी हुआ होगा और मत संख्या पर हानिकारक असर पड़ना संभव होगा, अथवा और कुछ नहीं तो ऐसी कोई राय ही जाहिर की होगी । परन्तु जो मनुष्य अपना पहिले का कुछ प्रसिद्ध चरित्र नहीं रखता, जिस के विषय में कुछ जानकारी नहीं है सिवा इसके कि वह अपने पक्ष का मत रखता है, उसके लिये पक्ष की सारी सेना तत्परता से मत देती है । जब राज्य का सब से उच्च पद प्रति कुछ वर्षों पर लोक निर्वाचन से देने को होता है तब सारा वचा हुआ समय मत की याचना में जाता है । राष्ट्रपति मंत्री, पक्ष के मुखिया और उनके अनुयायी सभी मत-याचक हैं; राज्य नीति के सम्बन्ध में सारी जनता का ध्यान केवल पुरुष-सङ्घ पर लगा रहता है और प्रत्येक सार्वजनिक प्रश्न के विषय में चर्चा चलाने और निर्णय करने में उसके अध्यक्ष के चुनाव पर होने वाले कल्पित प्रभाव का जितना विचार रखा जाता है उसकी अपेक्षा उसके गुण दोष

का विचार कम रखा जाता है। अगर सब राज्यकार्यों में पक्षापक्ष भाव को एकही प्रधान क्रिया-प्रणाली बना डालने के लिये और हर एक प्रश्न को सिर्फ पक्ष प्रश्न बनाने के नहीं बरंच नया पक्ष कायम करने के मतलब से नया प्रश्न सड़ा करने का भी लालच उत्पन्न करने के लिये एक नयी पद्धति चलायी गयी होती तो उस उद्देश्य के अनुकूल आने की अपेक्षा कुछ भी अधिक अच्छा उपाय करना मुश्किल हो जाता।

मैं निश्चय पूर्वक यह नहीं कहूंगा कि जैसे इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री का सारा दायरमदार प्रतिनिधि सभा के मत पर है और इसमें कुछ अड़चल नहीं पड़ती वैसे ही सब स्थानों में और सब समय शासन विभाग के प्रधान का दायरमदार मानना उचित होगा अगर इससे बचने का मार्ग सब से अच्छा लगता हो तो ऐसा रगें कि उसकी नियुक्ति तो पार्लीमेण्ट करे परन्तु वह अपने पद पर निर्धारित और पार्लीमेण्ट के मत से स्वतंत्र मुद्दत तक रह सके और यह रीति लोक-निर्याचन और उसके दोषों से मुक्त अमेरिकन पद्धति हो जायगी। शासन विभाग के प्रधान को कानून बनानेवाली सभा से स्वतंत्र, राज्यतंत्र के अंगीभूत तत्त्वों के अनुकूल आने योग्य स्वतंत्रता देने की एक दुमरी रीति है। जैसे ब्रिटिश प्रधान मंत्री को पार्लीमेण्ट भंग करने और जनता से प्रार्थना करने की धाम्नि-विक सत्ता है वैसे सत्ता अगर उसकी हो और अगर सभा के विरुद्ध मत से पद से अलग हो जाने के बदले उसकी इस्तीफा देने या सभा विमर्जित करने के दो में से एक रास्ता पकड़ने की ही झूट रहे तो उनके ऊपर पार्लीमेण्ट की अनुचित सत्ता कभी नहीं रह सकेगी। यह मैं उचित समझता हूँ कि जिस पद्धति में उसका अपने पद का उपभोग ग्रास मुद्दत तक निर्भय रहता हो उसमें भी उसके हाथ में पार्लीमेण्ट भंग

करने की सत्ता होनी चाहिये । सभापति और सभा दोनों में से एक को कभी वर्षों की लम्बी मुहत्त तक एक दूसरे से अलग होने का कोई कानून के रू से उपाय न हो तो उन दोनों में भगड़ा उठने पर ऐसी कोई सम्भावना न रहनी चाहिये कि राज्यकार्य में भारी अड़चल पड़ जाय । इतनी लम्बी मुहत्त तक दो में से एक या दोनों तरफ से कुछ कूट युक्ति आजमाये बिना यों ही सुगमता से काम चलाते रहने के लिये तो स्वतंत्रता के जिस प्रेम का और मनोनिग्रह के जिस अभ्यास का योग मिलने की जरूरत है उसके पात्र अथ तक थोड़े ही समाज मालूम हुए हैं । और यह अन्तिम परिणाम न निकले तो भी दोनों सत्ताओं की तरफ से एक दूसरे के काम को तोड़ न डालने की आशा रखना यह मान लेने के बराबर है कि उनमें परस्पर मौन और सावधानता की ऐसी वृत्ति व्याप्त रहेगी कि राजनीतिक व्यवहार में तीव्र पक्ष विरोध का विकार और उत्तेजना उन्हें कभी वेध नहीं सकेगी । ऐसी वृत्ति कभी हो भी तो जहाँ हो वहाँ भी उसको सीमा से बाहर आजमाने में मूर्खता है ।

दूसरे कारणों से भी यह इष्ट जान पड़ता है कि राज्य में किसी सत्ता को (और वह सिर्फ शासन सभा हो सकती है) चाहे जिस समय जैसा उचित जंचे उसके अनुसार नयी पार्लामेण्ट बुलाने की छूट होनी चाहिये । दो विरोधी पक्षों में से किसको प्रबल सहारा है इसमें जब सचमुच सन्देह हो तब इस विषय का, तुरत परीक्षा कर, निर्णय करने का कानून के रू से उपाय होना जरूरी है । जब तक यह विषय अनिश्चित रहता है तब तक दूसरे किसी राजनीतिक विषय पर उचित ध्यान देना सम्भव नहीं है; और यह देर कानून सम्बन्धी या शासन सम्बन्धी सुधार के विषय में राज्य-

व्याघात (ग्रहण) समान है; क्योंकि प्रस्तुत विषय में जिसका कुछ भी प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध होता है उस जगह जिसमें विरोध उपजने की सम्भावना रहती है उस विषय को हाथ में लेने लायक विश्वास किन्हीं पक्ष को अपने धल पर नहीं होता ।

जहाँ मुख्य अधिकारों के हाथ में अधिक सत्ता का अभाव होने में और ग्यतंत्र राज्यतंत्र पर जनता की अपूर्ण प्रति होने में उसे राज्यतंत्र उलट कर मर्यादा सत्ता दिये जाने में प्रयत्न में सफलता पाने की सम्भावना होती है उस प्रसङ्ग को मने दृष्टाव में नहीं लिया है । जहाँ ऐसा जोखिम मौजूद हो वहाँ ऐसा मुख्य अधिकारों—दाकिम काम का नहीं है जिसको पार्लियामेंट अपने पहिले ही उद्देश्य से सर्रास न कर सके । जहाँ सब प्रकार के विश्वासघात में इन सब में उच्छ्रूल और निर्लज्ज विश्वासघात को कुछ भी उन्नेजन की आशा रहनी हो उस स्थिति में मुख्य अधिकारों को ऐसी पूर्ण नियमित पराधीनता की रक्षा भी व्यर्थ ही है ।

राज्यतंत्र के सब दाकिमों में से न्याय के अधिकारों की नियुक्ति में तो जनमत के कुछ भी भाग लेने में सब से भारी उज्र है । जहाँ ऐसा और कोई अधिकारी नहीं है जिसके ग्राम और व्यवहारी शुण को समझने के लिये जनमत कम लायक हो वहाँ ऐसा भी नहीं है कि जिसमें उन्नी के इतना सम्पूर्ण निष्पक्षपान और राजनीतिक पुरुष या राजनीतिक पक्ष के साथ सम्बन्ध का अभाव हो । किन्तु ही तन्वगनियों का और उनमें मि० बन्धन का यह अतिमात्र है कि यद्यपि न्यायाधीश का लोकनिर्वाचन में नियुक्त न होना अधिक अच्छा है तथापि यद्यपि अनुभव के बाद उन्नीके अधिकार से अलग करने की सत्ता उन्नीके जिले के लोगों को होना चाहिये । यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि जिस सरकारी

अफसर के हाथ में भारी लाभ सँपा गया हो उसको दूर करने की अशक्ति स्वयं ही एक दोष है । यह वाञ्छनीय नहीं है कि किसी सराव या अयोग्य न्यायाधीश को— ऐसे अनुचित बर्ताव के सिवा, जिसके लिये फौजदारी सपुर्द कर सकते हैं; और किसी कारण से दूर करने का कोई उपाय न हो और जिसके ऊपर इतना अधिक दारमदार रहता है वह अफसर जनमत या अपने ही अन्तःकरण के सिवा दूसरे किसी जवाबदेही से अपने को बरी समझे । फिर भी प्रश्न यह है कि न्यायाधीश की खास पदवी में, और ईमानदारी की नियुक्ति के लिये यथाशक्ति सब उपाय किये गये मान लें तो सरकार या लोकमत के सामने जवाबदेही की अपेक्षा अपने और सामाजिक अन्तःकरण के सिवा दूसरी किसी वेजिम्मेवारी की स्थिति में उसका बर्ताव बिगड़ने का क्या एक तरह से कम रुख रहता है ? शासनविभाग की जिम्मेवारी के सम्बन्ध में तो अनुभव से निश्चय हुआ है कि ऐसा है । और उसके ऊपर जो जवाबदेही डालना चाहते हैं वह चुनने वाले के मत की हो तो भी दलील उतनी ही मजबूत रहती है । न्यायाधीश में खास करके आवश्यक शान्तता और निष्पक्षपात के गुण लोकमत समितियों के गुणों में नहीं गिने जाते । सौभाग्य से स्वतन्त्रता पर भी जिस लोकमत के अंकुश की आवश्यकता है उसमें इन गुणों की जरूरत नहीं है । न्याय का गुण भी यद्यपि सब मनुष्यों के लिये और इससे सब मतधारियों के लिये जरूरी है तथापि यह किसी चुनाव में निर्वाचित करने वाली वृत्ति नहीं है । न्याय और निष्पक्षपात पार्लिमेण्ट के सभासद में उतना ही कम आवश्यक है जितना मनुष्य के किसी साधारण कार्य-व्यवहार में । मतधारियों का क्राम हकदार उमेदवार को हक देने या प्रतिद्वन्दियों के सामान्य

गुणों के विषय में निर्णय करने का नहीं है वरंच इतना ही प्रगट करने का है कि उनमें से किस उमेदवार पर उनको सब से अधिक विश्वास है और कौन उनके राजनीतिक अभिप्रायों का सब से अच्छा प्रतिनिधि है। न्यायाधीश तो दूसरे मनुष्यों के साथ जैसा यर्ताव करता है वैसा ही यर्ताव अपने राजनीतिक मित्र या अपने निकटस्थ परिचित पुरुष के साथ करने को बाध्य है; परन्तु अगर मतधारी ऐसा करें तो मूर्खता और कर्त्तव्य भङ्ग भी समझा जाय। लोकमत के सात्विक अंकुश से जैसे दूसरे हाकिमों पर हितकारी असर होता है वैसे न्यायाधीशों पर होगा इस धुनियाद पर कोई दलील नहीं कायम की जा सकती, क्योंकि इस विषय में जो न्यायाधीश अपने न्याय के काम के लिये लायक होता है उसके काम पर भी जिसका सचमुच उपयोगी अंकुश रहता है वह (कितनी ही बार राजनीतिक मुकद्दमों में जैसा होता है उसके सिवा) साधारण जनता का अभिप्राय नहीं है, वरंच जो एक मात्र सार्वजनिक संस्था उस न्यायाधीश के यर्ताव और गुणों की योग्य परीक्षा कर सकती है उसका अर्थात् उसकी अपनी ही अदालत की वकील सभा का अभिप्राय है। मेरे कहने का मतलब - यह न समझना चाहिये कि साधारण जनता का न्याय प्रबन्ध में भाग लेना कुछ जरूरी नहीं है; यह तो सब से अधिक जरूरी है। परन्तु किस तरह? न्याय-पंच (जुरी) की हिसियत से न्याय के काम का कुछ भाग स्वयं करके। जिन थोड़े से प्रसङ्गों में लोगों को अपने प्रतिनिधि की भाँति काम करने की अपेक्षा स्वयं करना बहुत अच्छा है उनमें से एक यह है; और यही एक प्रसङ्ग ऐसा है कि जिस में हुक्मत चलाने वाले पुरुष की की हुई मूलों के लिये उसे जवाबदेह बनाने से जो परिणाम निकलता

है उसकी अपेक्षा उन भूलों को स्वयं सहन करना अधिक अच्छा है। अगर न्यायाधीश को अपने ओहदे से लोकमत द्वारा दूर कर सकते हैं तो जो लोग उसे मौकूफ कराना चाहते होंगे उनमें से प्रत्येक जन इस मतलब से उसके इन्साफ के फैसले से उपाय ढूँढ़ निकालेगा। मुकद्दमे न सुने हुए होने से अथवा न्यायश्रवण में बाधित सावधानी या निष्पक्ष वृत्ति बिना सुने हुए होने से कुछ भी राय कायम करने को विलकुल असमर्थ जनता के सामने अनियमित प्रार्थना के रूप में वे लोग यथासाध्य उन सब उपायों को पेश करेंगे; जहाँ क्रोध और विरुद्ध भाव होगा वहाँ उसको भड़कावेंगे और जहाँ नहीं होगा वहाँ नये रूप से जगाने की कोशिश करेंगे। अगर प्रसङ्ग रोचक होगा और वे मनुष्य पूरी मिहनत करेंगे और उनके विरुद्ध न्यायाधीश या उसके मित्र रंगभूमि में उतर कर विरुद्ध पक्ष में वैसा ही मजबूत कारण नहीं दिखायेंगे तो वे अपने उद्देश्य में अवश्य विजय पावेंगे। परिणाम यह होगा कि न्यायाधीश सोचेगा कि सामाजिक स्वार्थ सम्बन्धी हर एक मुकद्दमे में उसका किया हुआ फैसला उसके ओहदे को जोखिम में डालेगा और उसे जिस बात का विचार करना अधिक आवश्यक है वह यह नहीं कि कौन सा फैसला न्याय पूर्वक है वरंच कौन सा फैसला लोगों में सब से अधिक बखाना जायगा अथवा दुष्ट छल कपट चलाने में सब से कम साधनभूत होगा। अमेरिका में कुछ माण्डलिक राज्यों के नये या सुधरे हुए राज्यतंत्रों ने न्यायाधिकारियों को नियत मुद्दत पर नये लोक निर्वाचन के लिये पेश करने का जो रिवाज जारी किया है, मैं तो समझता हूँ कि वह एक इतनी बड़ी भूल साबित होगी कि जितनी बड़ी भूल जनसत्ताक राज्य ने अभी तक नहीं की होगी। और

व्यवहार सम्बन्धी जो अच्छी समझ संयुक्त राज्य (अमेरिका) के लोगों को कभी पूर्ण रूप से नहीं छोड़ती यह इनके विरुद्ध आन्दोलन करने लगी है और इससे अन्त में यह भूल सुधरना सम्भव है यह जो कहा जाता है यह न होता तो यह समझा जाता कि आधुनिक जनसत्ताक राज्य की अधोगति की ओर सचमुच बहुत बढ़ा पहला कदम बढ़ाया गया है । *

जिस बड़े और आपश्पक मण्डल में सरकारी नौकरी का स्थायी बल है अर्थात् जो लोग राज्यनीति के परियत्तन से नहीं बदलते वरंच जो प्रत्येक मंत्रियों को अपने अनुभव और प्रबन्ध सम्बन्धी ज्ञान की मदद दें, उसे कार्य व्यवहार की जानकारी में जानकार बनाने और उसकी माधारण निग-

ॐ फिर भी मुझे खबर मिली है कि जिन माण्डलिक राज्यों में न्यायाधीश लोक निर्वाचन में नियुक्त हुए हैं वहाँ उनका निर्वाचन वास्तव में जन समूह नहीं करता वरंच पक्षों के नेता करते हैं; कोई मतधारी पक्ष उमेदवार के सिवा दूसरे किसी को मत देने का स्वागत करता ही नहीं; इस कारण से राष्ट्रिय या माण्डलिक राज्य के गवर्नर के हाथ से जो पुरुष नियुक्त होता वही बहुत करके असह में चुना जाता है । इस प्रकार एक बुग रिवाज दूसरे बुरे रिवाज को संकुच में रखता है या गुप्तारता है । और पक्ष के झंटे तले तथा बांध कर मत देने का जो रिवाज (जहाँ चुनाव का काम दर असह मन समूह को भीया हुआ रहता है उन सब प्रसंगों में ऐसे दोष से भरा है, वही रिवाज) जहाँ चुने जाने वाले ओरदेदार लोगों के हाथ से नहीं वरंच उनकी तरफ से दूसरों के द्वारा पसन्द किये जाने चाहिये उस प्रसंग में तमसे भी पारी दोष का बह दशाने का बल रखता है । प्रसकार ।

रानी में महकमे का फुटकर काम करने के लिये कायम रहते हैं—सारांश यह कि जिन से व्यवहार कुशल सरकारी नौकरों का समूह बना है और जो दूसरे लोगों की तरह, ज्यों ज्यों उमर में बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों ऊंचे ओहदे पर पहुँचन की आशा रखकर अपना काम छोटी उमर से, आरम्भ करते हैं—उनके सम्बन्ध में तो स्पष्ट है कि उनको प्रत्यक्ष सायित और गहरे अनुचित वर्ताव बिना हटाने और अपनी पुरानी नौकरी के सारे लाभ से हाथ धोने का पात्र ठहराना अनुचित है। अल-यत्ता यह भूल घड़ी नहीं है जिसके लिये उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है वरंच कर्त्तव्य पालन में जान बूझ कर की हुई लापरवाही, या जिन उद्देश्यों से उनको काम सौंपा जाता है उनके सम्बन्ध में वे एतवारी सूचित करनेवाला वर्ताव भी उसमें शामिल है। इस से अगर उनके ऊपर व्यक्तिगत अपराध लगाने का मौका न हो तो उन से घबरेने का मार्ग इतना ही है कि उनको पेंशनियां के तौर पर जनता के मत्थे ठोक दें अर्थात् पेंशन देकर काम से अलग कर दें। अतएव सब से आवश्यक वान यह है कि आरम्भ में ही नियुक्ति अच्छे ढङ्ग से की जाय; और इस से विचारने को यह रहता है कि किस प्रकार की नियुक्ति से यह उद्देश्य भली भाँति सधेगा।

पहले पहल नियुक्त करने में, पसन्द करने में खास होशियारी और ध्यान के अभाव का भय थोड़ा ही है परन्तु पक्षपात और निज के या राजनीतिक स्वार्थ का भय अधिक है। वे लोग साधारण तौर पर अपना काम सीपे हुए होने के कारण नहीं, वरंच सिद्धाने के उद्देश्य से जवानी के आरम्भ में नियुक्त किये जाते हैं इस से अच्छा उमेदवार परख निकालने का जो एक ही साधन है वह उच्च शिक्षा की साधारण शाखाओं में प्रवीणता है, और इसकी परीक्षा करने के लिये

जो लोग नियुक्त किये जायं वे अगर उचित ध्यान और निष्पक्ष भाव रखेंगे तो बिना कठिनाई के निश्चय कर सकेंगे । इन दो में से किसी एक गुण की वास्तविक आशा मन्त्री में नहीं रखी जा सकती; क्योंकि उसको सारा भरोसा सिफारिश पर रखना पड़ेगा और वह अपने मन से चाहे जैसा निःस्पृह हो तो भी जिस मनुष्य को उसके चुनाव पर प्रभाव डालने की सत्ता होगी अथवा जिस का राजनीतिक सम्बन्ध वह जिस मन्त्री दल में है उसके लिये आवश्यक होगा उसकी प्रार्थना के विरुद्ध वह कभी नहीं टहर सकेगा । इन कारणों से राजनीतिक मामले में न पड़ने वाले और विश्वविद्यालयों की सम्मानित पदवियों (आनर की डिग्रियों) के लिये नियुक्त होनेवाले परीक्षकों के समान वर्ग और गुणवाले पुरुषों द्वारा ली जानेवाली सार्वजनिक परीक्षा में सभी पहली नियुक्ति के उमेदवारों को शामिल करने का रिवाज जारी हुआ है । चाहे जो पद्धति हो उसमें यह युक्ति सम्भवतः सब से अच्छी जंचेगी और हमारे पार्लियामेण्टरी राज्यतंत्र (गवर्नमेण्ट) की,—में सिर्फ प्रामाणिक नियुक्ति की सम्भावना की बात नहीं कहता वरंच स्पष्टरूप से और खुलमखुला उच्छेदकाल नियुक्तियों को रोकने की सम्भावना भी इसी युक्ति में दिखाई देती है ।

फिर सब से जरूरी बात यह है कि ये परीक्षाएं चढ़ा ऊपरी की होनी चाहियें और इनमें जो बहुत सफलता के साथ उत्तीर्ण हों उन्हीं को जगह मिलनी चाहियें । केवल मामूली परीक्षा अन्न में मूछों को छानने के सिवा और कुछ नहीं करती । जब परीक्षक के मन में यह प्रश्न उठता है कि किसी मनुष्य के भविष्य पर पानी फेरें या सार्वजनिक कर्त्तव्य को जो उसके किसी घास दृष्टान्त में तो मुश्किल से पहले

दरजे का जरूरी जंचता है छोड़ दें, जब पहली काररवाई के लिये उसे उलहना मिलने का भरोसा रहता है और दूसरा कर्त्तव्य इसने पाला है कि नहीं यह साधारणतः कोई जानता भी नहीं या इसकी परवा भी नहीं करता तब अगर वह परीक्षक कुछ असाधारण प्रकृति का नहीं होगा तो उसका मन भलाई की तरफ भुकेगा । एक दृष्टान्त में कृपा करने से दूसरों के विषय में वह कृपा हक मांगती है और प्रत्येक नयी नयी कृपा से इस वृत्ति को रोकना दिन दिन कठिन होता जाता है, बार बार जितनी ही कृपा की जाती है उतनी अधिक कृपा के लिये दृष्टान्त घनते जाते हैं और अन्त को योग्यता का दरजा गिरते गिरते इतना नीचे आ जाता है कि तिरस्कार का पात्र हो जाता है । हमारे दो बड़े विश्व-विद्यालयों में सम्मानित उपाधि की परीक्षाएं आवश्यक विषयों में जितनी भारी और करारी हैं उतनी ही साधारण उपाधि की परीक्षाएं सहज हैं । जहां कम से कम जरूरी नम्बर से बढ़ने का कुछ लोभ नहीं होता वहां वह कम से कम नम्बर अधिक से अधिक हो जाता है, उससे अधिक की आशा न रखने का साधारण रिवाज पड़ जाता है और प्रत्येक विषय में कितने ऐसे होते हैं कि जो सोचे हुए होते हैं उन सब का सम्पादन नहीं करते । इस से धोरण चाहे जितना हलका रखा जाय तो भी कितने ऐसे होंगे जो कभी उस हद तक पहुचने के नहीं । इसके विरुद्ध जब उमेदवारों की बड़ी संख्या में से जो सब से अच्छे निकलते हैं उन्हीं की नियुक्ति की जाती है और सफलता प्राप्त प्रतिद्वन्दियों की योग्यता के अनुक्रम से श्रेणी बनायी जाती है तब प्रत्येक जनयथाशक्ति सब से अधिक प्रयत्न करने को उत्साहित होता है; इतना ही नहीं, घरंच सारे देश की उच्च शिक्षा के प्रत्येक स्थान में उसका असर होता है ।

इन प्रतिद्वन्द्वियों में ऊंचा श्रोत्रदा पाने वाले शिष्य तय्यार किये रहने से प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक को अधिक उत्साह मिलता है और सफलता का मार्ग खुलता है । राज्यतंत्र (सरकार) के लिये सारे देश की शिक्षा के स्थानों की योग्यता में इतनी बड़ी वृद्धि करने का दूसरा मार्ग शायद ही होगा । सरकारी नौकरी के लिये चढ़ा ऊपरी की परीक्षा का नियम इस देश में यद्यपि इतना ताजा है और अभी तक इतनी अपूर्णता से अमल में आया है—और अगर अपने पूर्णरूप में है तो प्रायः केवल हिन्दुस्थान की मुलकी नौकरी (इंडियन सिविल सर्विस) के विषय में है (इसके प्रत्येक विषय में निर्दिष्ट नम्बर के सिध जोड़ में सब से अधिक नम्बर लाने वालों में से कुछ चुने जाते हैं) और इन परीक्षाओं ने देश की शिक्षा की जिस वर्तमान लज्जापूर्ण शोर्छी स्थिति पर प्रकाश डाला है उसकी तरफ से इस नियम को रुकावट पहुंची है; तथापि माध्यमिक शिक्षा के स्थानों पर उसका अर्थ से कुछ जानने योग्य असर हुआ है । मंत्री के पसंद करने योग्य जवानों में उमेदवारों का हकदार मानने के लिये, जो ज्ञान सम्पत्ति मांगी जाती है उसका धोरण उनमें ऐसा हीन मालूम हुआ है कि ऐसे उमेदवारों की चढ़ा ऊपरी का परिणाम मामूली परीक्षा के परिणाम से भी प्रायः घटिया निकलता है; क्योंकि जो धोरण ऐसे एक युवक को अपने साथी उमेदवारों की अपेक्षा अधिक अच्छा निकलने में प्रत्यक्ष रीति पर यथेष्ट देखने में आया है वैसा हलका धोरण तो मामूली परीक्षा के लिये मुकर्रर करने का विचार भी नहीं किया जाता । इस से यह कहा जाता है कि औसत से ज्ञान सम्पत्ति में प्रति वर्ष घाटा पड़ता दिखाई देता है; क्योंकि पहले किये हुए प्रयत्न उद्देश्य साधने के लिये उचित से अधिक भारी ये यह बात पहली परीक्षाओं के परि-

साम से साबित हुई है इस से कम प्रयत्न किया जाता है। किसी कदर इस प्रयत्न के घटने से और किसी कदर जिस परीक्षा में ऐसी पहली पसन्द की जरूरत नहीं है उसमें भी अपनी अज्ञानता की जानकारी से, प्रतिद्वन्दियों की सख्या सिर्फ मुट्टी भर हो जाने से ऐसा हुआ है कि यद्यपि अच्छी प्रवीणता के थोड़े से दृष्टान्त हमेशा मिल गये हैं तथापि सफलता प्राप्त उमेदवारों की सूची के निचले भाग ने सिर्फ बहुत मामूली ज्ञान दिखाया है। और हम परीक्षकों के कहने से जानते हैं कि छात्रों के फेल होने का कारण ज्ञान की सय से ऊंची शाखाओं का नहीं, बरञ्च सय से हलके मूल तत्वों (अच्युरीटी और अंकगणित) का अज्ञान था ।

लोक मत के कुछ मुख पत्रों की तरफ से इन परीक्षाओं के विरुद्ध जो चिल्लाहट मचायी जाती है उसके विषय में मैं पेद के साथ कहता हूँ कि वह धुंधला चिल्लाहट मचाने वालों की अच्छी समझ के लिये तथा उनकी शुद्ध बुद्धि के लिये कम ही प्रतिष्ठा जनक है । जिस किस्म का अज्ञान परीक्षाओं में निफल होने का अवश्य कर के प्रत्यक्ष कारण है उसको पहले वे किसी कदर भूटे रूप में दरसाना आरम्भ करते हैं । जो सय गूढ़ पश्न कभी पूछे जाते हैं और इस के दृष्टान्त दिये जा सकते हैं, उन सयको उद्धृत करके उन पर जोर दिया जाता है और यह दिखाया जाता है मानो उन सय का घेघड़क

ॐ फिर भी हमेशा बहुत गूढ़ नहीं होते; क्योंकि चढ़ाऊपरी की परीक्षा के विषय में आम सभा में एक ताजा उज्र उठाने वाला ऐसा भलेमानस था कि परीक्षक जो बेहद उंचे दरजे का वैज्ञानिक ज्ञान मांगने की मूर्खता करते हैं उस के सभूत में उसने बीजगणित, इतिहास और भूगोल के प्रायः मूल तत्व सम्बन्धी प्रश्नों का पुढिन्दा पेश किया था ।

उत्तर देना ही सफलता की आवश्यक अवस्था रहती है। फिर भी इसके उत्तर में बार बार यह कहने में उठा नहीं गया कि ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे इस आशा से नहीं कि प्रत्येक जन की ओर से उसका उत्तर मिलेगा वरंच जो कोई उत्तर देने को समर्थ हो उसको अपने ध्यान के उस विभाग का सूत्र देने और उसका लाभ लेने का मौका देने के लिये। यह जो मौका दिया जाता है वह निष्फल करने के उद्देश्य से नहीं, वरंच सफलता की वृद्धि के साधन के तौर पर। इसके बाद हम में यह पूछा जाता है कि इस या उस या और किसी प्रश्न में जिस किस्म का ज्ञान चाहा गया है वह उमेदवार के एक बार अपना मतलब सिद्ध करने के बाद उसके किसी काम आ सकता है या नहीं? कौन सा ज्ञान काम का है इस विषय में भिन्न भिन्न मनुष्यों के अभिप्राय भिन्न भिन्न होते हैं। कितने विद्यमान पुरुष, जिन में परराष्ट्र विभाग के एक भूतपूर्व मंत्री भी हैं, यह समझते हैं कि एलची के मुसाहिय या सरकारी दफ्तर के क्लर्क को अंगरेजी अब्ज्यूरीटी (स्पेलिंग) का ज्ञान व्यर्थ है। जिस एक विषय पर सब उच्च उठाने वाले एकमत जान पड़ते हैं वह यह है कि इन नौकरियों में और कुछ भले ही उपयोगी हो परन्तु मानसिक शिक्षा उपयोगी नहीं है। फिर भी अगर (जैसा कि मैं सोचने की हिम्मत करता हूँ) यह उपयोगी है अथवा किसी तरह की शिक्षा कुछ भी उपयोगी है तो ऐसी परीक्षा लेनी चाहिये जिस से अच्छी तरह मालूम हो सके कि वह उमेदवार में है कि नहीं। वह अगर अच्छी तरह से शिक्षित हो तो जिन विषयों का वह जानता हो उन से उस काम का जिस पर वह नियुक्त होने को है, प्रत्यक्ष सम्बन्धन होने पर भी उसने अच्छी तरह सीखा है कि नहीं इसका निश्चय करने के लिये उसकी उन विषयों

में परीक्षा लेने की जरूरत है । जिस देश में केवल संस्कारी (क्लासिक) भाषा और गणित के विषय ही नियम से सिखाये जाते हों वहाँ उन से संस्कारी भाषा और गणित में प्रश्न पूछने के विषय में जो लोग उच्च करते हैं वे क्या हम को बतायेंगे कि वे उन से किस विषय में प्रश्न करना चाहते हैं ? परन्तु जान पड़ता है कि इन विषयों में या इनके सिवा दूसरे किसी विषय में पूछने देने में उनको एक समान आपत्ति है । जिन्होंने व्याकरण शाला का पाठ्यक्रम पूरा न किया हो अथवा जो लोग वहाँ जो कुछ सिखाया जाता है उसमें अपने अल्प ज्ञान की कमी दूसरे किसी विषय के अधिक ज्ञान से पूरा कर सकते हैं उनके प्रवेश के लिये मार्ग खोलने की आवश्यकता में अगर परीक्षक दूसरे किसी वास्तविक उपयोग के विषय में प्रवीणता प्राप्त करने के लिये नम्बर हासिल करने दें तो उस के लिये भी उन को उलहना मिलता है । उच्च उठाने वाले तो सम्पूर्ण अज्ञान के लिये प्रवेश का मार्ग खुलवाये बिना और किसी तरह सन्तुष्ट होने के नहीं ।

हम से गर्व के साथ कहा जाता है कि सैनिक यंत्रविद्या के अभ्यासक की पदवी (इंजीनियरी) के उमेदवार के लिये जो परीक्षा नियत की गयी है उस में क्लाइव * या वेलिंगटन † उत्तीर्ण न हो सकते । मानो क्लाइव और वेलिंगटन से जो वादा नहीं गया वह उन्होंने नहीं किया, इससे अगर उनसे चाहा गया जाता तो वे न कर सकते । अगर कहने का मतलब इतना ही हो कि इन वस्तुओं के बिना महान सेनापति होगा

* (१७२५-७४) १७५७ ईस्वी के प्लासी के युद्ध से हिन्दुस्थान में ब्रिटिश राज्य की नींव डालने वाला और पॉण्डिचेरी का गवर्नर ।
† (१७६९-१८५२) इंग्लैण्ड का एक महान सेनापति । इन्होंने

सम्भव है तो जो दूसरी बहुत सी यन्त्रुपं महान सेनापतियों के लिये उपयोगी हैं उनके बिना भी सम्भव है। महान् सिकन्दर * ने चापन † के नियम कभी नहीं सुने थे और जूलियस सीज़र ‡ फ्रांसीसी मापा नहीं बोल सकता था। इसके बाद हम से यह कहा जाता है कि पुम्पक के कीड़े शारीरिक अभ्यास में अच्छे नहीं होते अथवा उनमें भद्र पुरुष के लक्षण नहीं होते। ऐसा जान पड़ता है कि जिन को पुम्पक ज्ञान का कुछ भी घसका लगा होता है उन सब के लिये यही नाम रखा जात है। ऐसी नुक्ताचीनी की रीति ग्राम नगर पर बड़े कुल के वेशऊरों में होती है। वेशऊर चाहे जो समझे परन्तु भद्रता के लक्षणों का या शारीरिक चपलता का उन्हें कुल पट्टा नहीं मिल गया है। जहां हम गुण की जरूरत है वहां उमकी गोज करना या अलग प्रबन्ध करना चाहिये परन्तु मानसिक गुणों को उसमें अलग करके नहीं चरंच उनके शामिल ही। इस बीच में मुझे विश्वास जनक समाचार मिला है कि वूलिच की मैनिफ शाला में

हिन्दुस्थान में मराठों पर विजय पाकर अंगरेजी राज्य बढ़ किया और युरोप में पहले स्पेन में जीत कर और अंत को वाटर्न की लड़ाई पतल कर नेपोलियन की सत्ता तोड़ी।

* (३५६-३२३ ईस्वी सन् से पूर्व) मेसिडोनिया का राजा। इसने इरानी राज्य पर चढ़ाई कर उस साम्राज्य को तोड़ा। † फ्रांस का एक प्रख्यात सेनापति और मैनिफ यांत्रिक (इंजीनियर)। इसने बहुत से पौसी इंजीनियरी के काम किये थे। ‡ (१००-४४ ईस्वी सन् से पूर्व) यह रोम का पहला सम्राट् भी कहलाता है। यह जैसा सेनापति या वैसा ही बक्ता, प्रबंधकार और कानून बनाने वाला भी था।

पुरानी प्रणाली से भरती किये गये सैनिक छात्रों की अपेक्षा चढ़ाऊपरी वाले छात्र जितने थोड़े और विषयों में हैं उतने इन विषयों में भी । वे अपनी कवायद बड़ी तेजी से सीखते हैं और सचमुच ऐसी आशा भी रखी जाती है; क्योंकि जड़ की अपेक्षा बुद्धिमान पुरुष सब विषय बड़ी फुर्ती से सीखता है । और साधारण बर्ताव में भी वे लोग पुरानों के मुकाबले ऐसे बड़े चढ़े मालूम होते हैं कि उस शाला के अधिकारी वहाँ से पुरानी प्रणाली का अन्तिम चिन्ह गायब करने वाले दिन की वाट देखते हैं । अगर ऐसा है—और ऐसा है कि नहीं यह निश्चय करना सहज है—तो आशा रखी जायगी कि सैनिक कार्य के विषय में तथा अधिक सबल कारण से दूसरे प्रत्येक धंधे में यह जो बार बार सुनने में आता है कि "ज्ञान से अज्ञान अच्छी योग्यता है" अथवा "उच्च शिक्षा के साथ चाहे जैसा प्रत्यक्ष में कम सम्बन्ध रखनेवाला अच्छा गुण ज्ञान के संसर्ग से अलग रहने से बढ़ने की सम्भावना है" उसका अन्त आवेगा ।

यद्यपि सरकारी नौकरी में प्रथम प्रवेश का निर्णय चढ़ा ऊपरी की परीक्षा से होगा तथापि उसके बाद पदोन्नति का निर्णय भी उसी प्रकार करना बहुत बातों में असम्भव हो जायगा । यह तो, जैसा कि इस समय बहुत कर के होता है, नौकरी की मुहत्त और पसन्द की संयुक्त पद्धति से होना चाहिये । यही उचित जंचता है । जिनका काम दस्तूर के मुताबिक हो उनको उस किस्म के काम में जहाँ तक तरकी दे सकें वहाँ तक उनकी नौकरी की मुहत्त के क्रम से उस किस्म के सब से ऊँचे ओहदे तक चढ़ाया करें । परन्तु जिनको खास विश्वास और कुशलता की आवश्यकता वाला काम सौंपा गया हो उन्हें तो विभाग के अध्यक्ष को चाहिये कि अपने स्वतंत्र

विचार के अनुसार नौकर समूह से चुन निकाले । अगर मूल चुनाव खुल्लम खुल्ला चढ़ाऊपरी से हुआ होगा तो यह चुनाव बहुत करके ईमानदारी से होगा; क्योंकि इस पद्धति में उसका नौकर समूह साधारण तौर पर ऐसे पुरुषों का होगा कि अगर उसका उनके साथ विभाग का सम्बन्ध न होता तो वे उस से अपरिचित रह जाते । उन में अगर कोई उसके या उसके राजनीतिक मित्रों या मददगारों के वर्ग का मनुष्य होगा तो वह सिर्फ कमी कमी होगा और फिर इस सम्बन्ध के साथ प्रवेशिका परीक्षा देने योग्य एक समान योग्यता तो उसने पायी ही होगी । और इन नियुक्तियों का जहां तक सौदा करने के लिये बहुत जबरदस्त उद्देश्य न हो वहां तक सब से योग्य पुरुष को—अर्थात् जो मनुष्य अपने अफसर को सब से उपयोगी सहायता दे, उसकी सब से ज्यादा मिहनत बचावे और जो राज्यकार्य की अच्छी व्यवस्था की कीर्ति (जो प्रत्यक्ष में उसके अधीनस्थ नौकरों के गुण के कारण हो तो भी, अवश्य कर के और वास्तविक रीति पर मन्त्री की प्रतिष्ठा बढ़ाती है उस कीर्ति) की नींव डालने में उसका सब से अधिक सहायक हो उस पुरुष को—नियुक्त करने का हमेशा प्रयत्न हेतु रहेगा ।

पन्द्रहवाँ अध्याय ।

स्थानिक प्रतिनिधि संस्थाओं के विषय में ।

माध्यमिक सत्तारं देश के राज्यकार्य- का सिर्फ छोटा सा भाग अच्छी तरह कर सकती हैं अथवा उसे करने के लिये उनका प्रयत्न निरापद है; और हमारा अपना राज्यतंत्र जो यूरोप में सब से कम अधिकार संग्राहक है उसमें भी

शासन संस्था का दूसरा नहीं तो कानून बनाने वाला विभाग स्थानिक कार्यों में हृद से ज्यादा मगज लड़ाता है और जिस धारीक उलझन को सुलझाने के लिये दूसरे बहुत से अच्छे साधनों की जरूरत है उसकी चाल की खाल निकालने में राज्य की सर्वोपरि सत्ता का समय लगाता है। राष्ट्रसी परिमाण का जो खानगी काम पार्लियामेंट का समय और उसके पृथक पृथक सभासदों का विचार खर्च करता है और इस जनता की महान सभा के पास कर्तव्यों से उनका मन हटा देता है वह सब विचारशील और अवलोकन शील पुरुषों को एक गहरा दोष मालूम देता है और सब से बुरी बात यह है कि यह दोष बढ़ता जाता है।

राज्यतंत्र की सत्ता की उचित सीमा के प्रश्न के (जिसका प्रतिनिधि राज्य से कुछ सम्बन्ध नहीं है उसके) विषय में चर्चा करना इस नियंत्रण की नियमित योजना के विचार से अनुचित हो जाता है। जिन नियमों से इस सत्ता की सीमा निर्धारित होनी चाहिये उनके विषय में मुझे जो कुछ सब से आवश्यक जँचा है वह मैंने अन्यत्र * कहा है। परन्तु जो जो कार्य थोड़ा बहुत युरोपियन राज्यतंत्र स्वयं करते हैं उन में से जिन कामों में राज्याधिकारियों को बिलकुल हाथ नहीं लगाना चाहिये उनको धाद देने के धाद भी इतना बढ़ा और विविध प्रकार का कार्य समूह बाकी रहता है कि सिर्फ काम के बटवारे के नियम की खातिर भी माध्यमिक और स्थानिक सत्ताओं के बीच में उसका बटवारा होने की आवश्यकता है। केवल स्थानिक कर्तव्य के लिये अलग ही इन्तजाम करने वाले

३३ 'स्वतंत्रता के विषय में' के अन्तिम अध्याय और अर्थशास्त्र के मूल तत्व" के पिछले अध्याय में बहुत विस्तार से। मंत्रकार ।

हाकिम चाहिये इतना ही नहीं (और पेसा विभाग सब राज्य तंत्रों में होता है) वरंच उन हाकिमों पर जनता का अंकुश भी दूसरी ही सत्ता की माफत चलाने से लाभ हो सकता है। उनकी मूल नियुक्ति, उन पर निगरानी और अंकुश रखने का काम, उनके काम के लिये आवश्यक धन जुटाने का कर्तव्य या उस काम को अस्वीकार करने की स्वाधीनता—यह पार्लियामेंट जैसे राष्ट्रीय शासन विभाग के हाथ में नहीं वरंच उस स्थान के लोगों के हाथ में रहना चाहिये। कितने ही नवीन इंग्लैण्ड (संयुक्त राज्य) के माण्डलिक राज्यों में यह कर्तव्य सम्मिलित जनता द्वारा पालन किया जाता है और यह कहा जाता है कि उमका परिणाम आशा में अधिक अच्छा होता है और यह ऊंचों रीति से चिन्तित जनता इस स्थानिक प्रबन्ध की असली पद्धति से इतना मन्तुष्ट हुई है कि इस के बदले, जिस एक ही प्रतिनिधि पद्धति में यह परिचिन है और जिस से सब छोटे वर्ग वाम्नाव में मत हक से वंचित हुए रहते हैं उसे स्वीकार करने की कुछ इच्छा नहीं रखती। फिर भी इस योजना का अच्छी तरह अनुभव करने के लिये ऐसी विलक्षण शर्तों की जरूरत है कि प्रतिनिधि छोटी पार्लियामेंट (Sub Parliament) की योजना का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसी उपममाण्ड इंग्लैण्ड में विद्यमान हैं; परन्तु बहुत अधूरी, बहुत अनियमित और अव्यवस्थित अवस्था में। दूसरे कितने ही बहुत कम जनसम्पन्न राज्यों में उनका गठन बहुत बुद्धिमता पूर्ण है। जहाँ इंग्लैण्ड में हमें स्वतंत्रता अधिक है परन्तु व्यवस्था सर्राय है वहाँ दूसरे देशों में व्यवस्था बहुत अच्छी है परन्तु स्वतंत्रता कम है। इस कारण राष्ट्रीय प्रतिनिधि स्था के साथ नगर की और प्रान्त की प्रतिनिधि समाप्त होनी चाहिये। अब जिन दो प्रश्नों का निर्णय करना रह जाता है वे ये हैं कि स्थानिक

प्रतिनिधि संस्थाओं का गठन कैसा किया जाय और उनका फर्त्तव्य कहाँ तक हो ।

इन प्रश्नों की आलोचना करने में दो विषयों पर हमारा ध्यान एक समान जाता है । स्थानिक कार्य ही स्वयं किस तरह सब से अच्छा होगा और उसका किस तरह प्रबन्ध करने से यह सार्वजनिक उत्साह का पोषण और ज्ञान वृद्धि करने में सब से अधिक साधक हो सकेगा । प्रस्तुत विवेचन के एक पिछले भाग में, स्वतंत्र राज्य तंत्र की जिस क्रिया को हम "नागरिक की सार्वजनिक शिक्षा" कहते हैं उसके विषय में मैंने कड़ी भाषा में चर्चा की है और अपने निर्णय की सबलता दिखाने के लिये जितनी कड़ी भाषा शायद ही चाहिये उतनी कड़ी है । अब इस क्रिया का मुख्य साधन स्थानिक प्रबन्ध व्यवस्था है । न्याय के प्रबन्ध में लोग न्याय पंच (जुरी) के तौर पर जो भाग लेते हैं उस के सिवा लोगों को साधारण सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने का बहुत कम ही मौका है । पार्लियामेंट के एक से दूसरे चुनाव के अरसे में स्वतंत्र नागरिकों के सामान्य राज्यनीति में भाग लेने की सीमा समाचार-पत्र पढ़ने और शायद उस में लिखने तथा सार्वजनिक सभाओं और राजनीतिक अधिकारियों से की जानेवाली भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं में आ जाती है । यद्यपि स्वतंत्रता की रक्षा तथा साधारण शिक्षा के साधन के तौर पर इस विविध प्रकार की स्वाधीनता की आवश्यकता के अतिशयोक्ति करना असम्भव है तथापि इस से जो अनुभव मिलता है वह काम में नहीं, विचार में; और वह भी काम के बेजबाबदेही के विचार में ही; और बहुतेरे लोगों के लिये तो इस का परिणाम लगभग ऐसा ही है कि एकाध किसी दूसरे मनुष्य का विचार बिना चूँ किये स्वीकार कर लें। परन्तु स्थानिक संस्थाओं के प्रसङ्ग में

तो बहुतरे नागरिकों का, चुनाव के काम के सिधा घारी घारी से, स्वयं चुना जाना सम्भव है और कितनों ही को निर्वाचन से या क्रम धार स्थानिक श्रोहदों में से एक या दूसरा श्रोहदा साँपा जाता है । इन पदों पर उन को जिस तरह सामाजिक लाभ के विषय में धोलना तथा विचार करना पड़ता है उसी तरह काम भी करना पड़ता है; और फिर विचारने का सारा काम मुएनार की मार्फत नहीं हो सकता । इन् के सिधा यह कहा जा सकता है कि ऊँचे वर्गों को साधारण तौर पर यह स्थानिक काम अपने हाथ में लेने की इच्छा नहीं होगी; इस से वे इसको जो एक आवश्यक राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का साधन है, निचले वर्गों के हाथ में छोड़ देंगे । इस प्रकार राज्य के राष्ट्रीय प्रबन्ध की अपेक्षा स्थानिक प्रबन्ध में मानसिक शिक्षा के अधिक आवश्यक तन्व होने मगर प्रबन्ध संस्था की योग्यता पर उस के घेमे गहरें लाभ का आधार न होने से, पहले उद्देश्य पर अधिक जोर दिया जा सकेगा और उसके लिये दूसरा उद्देश्य साधारण कानून बनाने और राज्य कार्य के प्रबन्ध के सिवा, ध्या साध्य से अधिकवार मुलतवी रखा जा सकेगा ।

स्थानिक प्रतिनिधि संस्था के योग्य गठन में बहुत कठिनाई नहीं जान पड़ती । इसमें लगनेवाले नियमों से राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा में लगनेवाले नियमों में कुछ अन्तर नहीं पड़ता । बहुत आवश्यक कर्त्तव्यों की तरह इस विषय में भी संस्थाओं को निर्वाचित प्रतिनिधियों की बनाने की जरूरत है; और उनको अधिक जन सम्मति के आधार पर छोड़ने के लिये कारण भी उतने ही घरंच उससे भी अधिक सवल हैं, क्योंकि जोखिम कम है और उसके साथ लोक शिक्षा और विकास सम्यघी लाभ तो कई अंश में उससे भी बहुत पड़ा है ।

स्थानिक संस्थाओं का मुख्य काम कर लगाने और खर्च करने का है। इससे जो करन देते हों उन सब को खारिज करके जो देते हों उन सब को चुनाव में मतहक दिया जाय। मैं यह समझता हूँ कि कोई परोक्ष कर—कोई चुंगी नहीं है और अगर है तो सिर्फ परथन के तौर पर; अर्थात् जिनके सिर पर, उसका बोझ पड़ता है उनके ऊपर सीधे कर का हिस्सा भी पड़ता है। छोटे वर्गों के प्रतिनिधि के लिये राष्ट्रीय प्रतिनिधि के ढंग पर प्रबन्ध होने की जरूरत है और अनेक मतों के लिये वैसा ही सबल कारण है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन निचली संस्थाओं में (जैसा कि हमारे देश के कितने ही स्थानिक चुनावों में है) केवल धन की योग्यता पर अनेक मतों का आधार रखने से, ऊंची संस्था के ऐसी दृढ़ आपत्ति नहीं है; क्योंकि राष्ट्रीय संस्था की अपेक्षा स्थानिक संस्था के काम का इतना बड़ा भाग ईमानदारी और किराया के साथ धन का प्रबन्ध करने से सम्बन्ध रखता है कि जिसका बहुत बड़ा धन सम्बन्धी स्वार्थ जोरिम में हो उसको उसके हिसाब से अधिक सत्ता देना जितनी ही नोति है उतना ही न्याय भी है।

रक्तक समिति (अर्थात् निराश्रित सम्बन्धी कानून की व्यवस्था करने वाली सभा) जो हमारे स्थानिक प्रतिनिधितंत्रों में सबसे नयी स्थापित हुई है उसमें निर्वाचित सभासदों के साथ जिले के शान्ति रक्तक अफसर अपने ओहदे की हैसियत से बैठते हैं और उनकी संख्या कानून से सारी सभा की एक तिहाई रखी है। अंगरेज समाज के विलक्षण गठन में इस शर्त का लाभदायक असर होने में मुझे कुछ सन्देह नहीं है। इस व्यवस्था में और किसी तरह के आकर्षण की अपेक्षा अधिक शिद्धियों की उपस्थिति का भरोसा होता है और जहाँ ओहदे की हैसियत से बैठनेवाले सभासद एक ओर अपनी

नियमित संख्या के कारण केवल संख्या में प्रयत्न होने से सकते हैं वहां दूसरी ओर उनका वास्तव में एक अलग ही वर्ग के प्रतिनिधि की हैसियत से याकी सभासदों से मिश्र स्वार्थ होने के कारण निर्वाचित रक्षकों के बड़े भाग में जो किसान या छोटे दुकानदार होते हैं उनके वर्ग स्वार्थ पर वे अंकुश बन जाते हैं। हमारी प्रान्तीय संस्थाओं में जो केवल शान्ति रक्षक अफसरों की बनी प्रैमासिक न्याय सभाएं हैं और जिनको न्याय के कर्त्तव्य के सिवा जिले के प्रबन्ध कार्य का कुछ सब से आवश्यक भाग सौंपा गया है उनकी ऐसी प्रशंसा नहीं की जा सकती। इन संस्थाओं के गठन की रीति बहुत ही बिलक्षण है; क्योंकि वे जैसे निर्वाचित नहीं हैं वैसे किसी उचित अर्थ में मनोनीत भी नहीं हैं वरंच जागीरदारों (Feudal Lords) के स्थान पर हैं—उनकी तरह वे असली जमींदारों के बल से ही अपना आवश्यक पद भोगती हैं; क्योंकि राजा के (अथवा वास्तविक कहें तो राज प्रतिनिधि अर्थात् अपने वर्ग में से एक जन के) हाथ में मौजूद नियुक्ति का जो उपयोग किया जाता है वह अपनी संस्था के ऊपर जो दाय लगावे और समय समय पर राज्यनीति में जो विरुद्ध पक्ष पर हो उसे दूर करने में। इंग्लैण्ड में इस समय जो सब से अधिक अमीरी बलवाला तंत्र विद्यमान है वह यह है और अमीरों की सभा से भी इसमें यह बल अधिक है, क्योंकि यह संस्था जो सरकारी धन और आवश्यक लाभ की व्यवस्था करती है वह लोक सभा के साथ रह कर नहीं, वरंच स्वयं स्वतंत्रता में साथ। हमारे अमीर वर्ग भी इससे एक समान आग्रह से लगे हुए हैं; परन्तु प्रतिनिधि राज्य के सब आधारभूत नियमों से तो ये गुलमगुल्ला विरुद्ध हैं। जिला पांडों में चुने हुए सभासदों के साथ आहूदे की हैसियत के सभासदों की

मिलावट के लिये भी रक्षक संस्था के ऐसा वास्तविक कारण नहीं है; क्योंकि जिले का काम इतना विस्तृत होता है कि उसमें ग्राम्य गृहस्थों का मन खिचे बिना नहीं रहेगा और उनको जैसे राष्ट्रसभा के जिला सभासद चुनने में कठिनाई नहीं पड़ती वैसे जिला बोर्ड के सभासद चुनने में नहीं पड़ेगी।

अब स्थानिक प्रतिनिधि संस्था को चुनने वाली मत-समितियों के उचित विस्तार के विषय में कहें तो जो नियम एक स्वतः सम्पूर्ण और अचल नियम के तौर पर पार्लिमेण्ट के प्रतिनिधि तत्त्व में लगाना अनुचित जान पड़ता है वह, अर्थात् स्थानिक लाभों की समता का नियम ही, यहां उचित और उपयोगी है। स्थानिक प्रतिनिधि सभा रखने का मूल उद्देश्य ही ऐसा है कि जिन लोगों का कुछ सामान्य स्वार्थ हो, और वह स्वार्थ समस्त जनता के स्वार्थ से न मिलता हो वे अपने आप उस संयुक्त स्वार्थ की व्यवस्था कर सकें; और अगर स्थानिक प्रतिनिधि तत्त्वका विभाग उस संयुक्त स्वार्थ की ध्रेणी के हिसाब से न होकर दूसरे किसी नियम से हो तो वह मतलब रद्द हो जाता है। प्रत्येक बड़े या छोटे नगर का खास अपना, स्थानिक स्वार्थ होता है और उसके सब निवासियों के लिये साधारण होता है। इससे प्रत्येक नगर के लिये, आकार के भेद बिना, नगर सभा होनी चाहिये। फिर यह बात भी उतनी ही स्पष्ट है कि प्रत्येक नगर की सिर्फ एक सभा होनी चाहिये। एक ही नगर के भिन्न भिन्न महल्लों के स्थानिक स्वार्थ में कुछ जरूरी भेद नहीं होता और होता भी है तो मुश्किल से; उन सब को एक ही काम और एक ही खर्च करना होता है और उनके धर्मालय (जिनकी व्यवस्था शायद पेरिश व्यवस्थापकों के हाथ में ही रहने देना इष्ट है) सम्बन्धी कामों के सिवा

श्रीर सबके लिये एक ही प्रबन्ध चल सकेगा । रास्ता बनाना, रोगनी करना, पानी देना, मल दूर करना, यदरंगाह और बाजार के नियम इत्यादि कामों का, एक ही नगर के जुदे जुदे महलों के लिये, जुदा जुदा प्रबन्ध होने से भारी नुकसान और असुखीता हुए बिना नहीं रहता । लन्दन को ६ या ७ महलों में बांटने से और हर एक के स्थानिक काम के लिये भिन्न भिन्न प्रबन्ध होने से (और उनमें कुछ की अपनी सीमा में भी संयुक्त व्यवस्था न होने से) साधारण उद्देश्य के लिये कुछ भी नियमित या सुगठित व्यवस्था होने में बाधा पड़ती है; स्थानिक कार्य करने में कुछ भी एक समान नियम ग्रहण नहीं हो सकता । ऐसी कोई स्थानिक सत्ता होती जिसका इत्तियार सारी राजधानी पर चलता तो जिन विषयों का उस के हाथ में रहने देना सब से सुगम होता उन विषयों को राष्ट्रीय राज्यतंत्र को अपने हाथ में लेना पड़ता है; और उस से सार इतना ही निकलता है कि अर्थाचीन स्वार्थ साधन और प्राचीन आडम्बर का विचित्र घेप धारण करने वाली लन्दन की नगर सभा कायम रहती है ।

दूसरा इतना ही आवश्यक नियम यह है कि प्रत्येक स्थानिक सीमा में सब स्थानिक कामों के लिये एक निर्वाचित नमा होनी चाहिये न कि उनके भिन्न भिन्न विभागों के लिये भिन्न भिन्न । काम के बटवारे का अर्थ यह नहीं होता कि हर एक काम को काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर डालें, वरंच एक ही मनुष्य के करने योग्य कामों का संयोग और और भिन्न भिन्न मनुष्यों से अच्छी तरह हो सकने योग्य उनका विभाग जिन कारणों से राज्य के प्रबन्ध सम्यन्धी कामों के लिये आवश्यक है उन्हीं कारणों से स्थानिक

प्रबन्ध के कामों का भी विभागों में बेशक बटवारा होना चाहिये, क्योंकि ये काम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं; प्रत्येक में खास उसके सम्बन्ध का ज्ञान दरकार है और उसे उचित रीति से होने के लिये एक खास तौर पर योग्य बने हुए ओहदेदार के उस पर एकाग्र चित्त से ध्यान देने की जरूरत है। परन्तु बटवारे के विषय में जो कारण प्रबन्ध में लागू पड़ते हैं वे अंकुश में - निगरानी में लागू नहीं पड़ते। निर्वाचित सभा का कर्तव्य काम करने का नहीं है, वरंच यह देखने का है कि काम उचित रीति से किया जाता है कि नहीं और कोई आवश्यक काम बिना किये तो नहीं रह जाता। यह कर्तव्य सब विभागों के लिये एक ही अंकुश समिति पालन कर सकती है और सूक्ष्म दृष्टि की अपेक्षा साधारण विशाल दृष्टि रखने से और श्रद्धा तरह। हर एक काम करने वाले पर निगरानी के लिये एक गिरदावर रखना जैसे निज के काम में बेहदापन है वैसे ही सार्वजनिक काम में भी। राज्यप्रबन्ध में बहुत से विभाग होते हैं और उन को चलाने के लिये बहुत से मंत्री होते हैं; परन्तु प्रत्येक मंत्री को अपने फर्ज में मुस्तैद रखने के लिये अलग अलग पार्लिमेण्ट नहीं होती। राष्ट्रीय पार्लिमेण्ट की तरह स्थानिक पार्लिमेण्ट का खास काम यह है कि स्थानिक लाभ के विषय में एक साथ विचार करे और उसमें जो भिन्न भिन्न अंग होते हैं उनका एक दूसरे के साथ सम्बन्ध जोड़ कर आवश्यकता के क्रम और परिमाण से उन पर ध्यान दे। सब स्थानिक कार्यों पर अंकुश रखने का काम एक ही समिति के हाथ में एकत्रित करने के लिये दूसरा बड़ा वजनदार कारण है। स्थानिक लोक तंत्रों की सब से बड़ी छुट्टि और वे जो इतना अधिक धार निष्फल होते हैं उसका मुख्य कारण उन्हें चलाने वाले

है । परगनों या तहसीलों की स्थानिक प्रतिनिधि सभाओं का निश्चय स्वभावतः भौगोलिक विभाग के अनुसार हो सकेगा; और उसके साथ ही जो हार्दिक सहानुभूति मनुष्यों को एक दूसरे से मिलकर काम कराने में बहुत मददगार होती है और जो कुछ अंश में परगने या प्रान्त जैसी ऐतिहासिक सीमा के अनुसार रहती है तथा कुछ अंश में (जैसा कि रोती, कारीगरी, खान या किनारे वाले प्रदेश में होता है) एक समान लाभ और धंधे के अनुसार रहती है उसके ऊपर उचित ध्यान देना चाहिये । भिन्न भिन्न प्रकार के स्थानिक कामों के लिये प्रतिनिधि सभा बनाने के निमित्त शायद भिन्न भिन्न विस्तार के प्रदेश लेने पड़ेंगे । जिस नियम पर पेरिश संस्था नियुक्त हुई है वह नियम निराश्रित के आश्रय पर निगरानी रखने वाली प्रतिनिधि सभा के लिये सब से अनुकूल आधार है; परन्तु सदर सड़क, जेलखाने और पुलिस की व्यवस्था के लिये कुछ मामूली जिलोंके ऐसे बहुत विस्तीर्ण प्रदेश हद से बहुत बड़े नहीं हैं । इस से प्रत्येक स्थान में स्थापित प्रतिनिधि सभा को उस स्थान सम्यन्धी सभी स्थानिक विषयों पर अधिकार होना चाहिये, यह जो नियम है उसको दूसरे एक मूल तथ्य के आधार से तथा स्थानिक कर्तव्य पालने के लिये सब से ऊंचे दरजे का गुण पाने की आवश्यकता के विरुद्ध विचार से बदलने की जरूरत है । दृष्टान्त के तौर पर, निराश्रितों के कानून की उचित व्यवस्था के लिये अगर कर लगाने के प्रदेश का विस्तार वर्तमान पेरिश संस्थाओं से बहुत बड़ा होना जरूरी न हो (और मेरी समझ में है) और इस नियम से हर एक पेरिश सभा के लिये एक एक रक्षक समिति चाहिये; तो भी एक साधारण रक्षक समिति की अपेक्षा एक जिला सभा के लिये बहुत

ऊंची योग्यता वाले पुरुषों का वर्ग मिल जाना सम्भव है; इस कारण से कुछ बहुत ऊंचे दर्जे के काम जो जिला सभा के अभाव से अलग अलग पेरिश सभाएं अपनी अपनी सीमा में आसानी से करतीं उनको जिला सभाओं के लिये रख छोड़ना उचित होगा ।

स्थानिक काम के लिये अंकुश सभा अथवा स्थानिक उप पार्लामेण्ट के सिवा उसका कार्यकारी विभाग होता है । इसके सम्यन्ध में राज्य की कार्यकारिणी सभा के समान ही प्रश्न उठता है; और इसका उत्तर भी सब से बड़े अंश में उसी तरह मिल जायगा । सारी सामाजिक धाती पर जो नियम घटता है वह वस्तुतः एक है । पहले मुंसजिम अफसर को अखण्ड सत्ता होनी चाहिये और उसको जो कुछ कर्तव्य सौंपा गया हो उसके लिये केवल उसी को जिम्मेदार बनाना चाहिये । दूसरे यह चुना न जाय मनोनीत किया जाय । पैमाइश करने वाला, स्वास्थ्याधिकारी या तहसीलदार भी लोकमत से चुना जाय यह हंसी की बात है । लोक निर्वाचन का आधार या तो बहुत बरके कुछ स्थानिक नेताओं के स्वार्थ पर है और यह नियुक्ति उनकी पसंद की हुई नहीं गिनी जाती इससे वे इसके लिए जिम्मेवार नहीं है या नहीं तो बारह लड़के होने और पेरिश में तीस वर्ष तक कर देने वाला होने की बुनियाद पर हंगा के लिये की हुई प्रार्थना पर है । इस प्रकार के प्रसङ्गों में जैसे लोक निर्वाचन प्रहसन ऐसा हो जाता है उसी तरह स्थानिक प्रतिनिधि सभा की नियुक्ति भी उससे कुछ ही कम आपनि जनक होती है । ऐसी सभाओं के उनके भिन्न भिन्न सभासदों के निजका स्वार्थ साधने वाली समझ की सभा हो जाने का निरन्तर रूख होता है । ये नियुक्तियां सभा के अध्यक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेवारी पर होनी चाहियें, चाहे

वह पुरुषति (मेयर) या त्रैमासिक न्याय सभा का अध्यक्ष कहलाता हो या दूसरे किसी नाम से परिचित हो । जो पदवी राज्य में प्रधान मंत्री की है उसको वह खास स्थान में भोगता है और एक सुगठित पद्धति में स्थानिक अफसरों की नियुक्ति और निगरानी उस के कर्त्तव्य का सय से आवश्यक भाग हो जायगा, क्योंकि सभा ने उसके ऊपर प्रति वर्ष नयी नियुक्ति या सभा के मत से दूर कर सकने का बन्धन रखकर उसे पसन्द किया होगा ।

स्थानिक सभाओं के गठन से अथ में उनके खास धर्म सम्बन्धी उतने ही आवश्यक और विशेष कठिन विषय पर आता हूँ । यह प्रश्न दो भागों में बट जाता है; उनका क्या कर्त्तव्य होना चाहिये और उन कर्त्तव्यों की सीमा में उनको संपूर्ण सत्ता होनी चाहिये या माध्यमिक सत्ता को उनके बीच में पड़ने को कुछ अधिकार और वह कितना, होना चाहिये ।

आरम्भ में तो स्पष्ट है कि शुद्ध स्थानिक—सिर्फ एक स्थान के सम्बन्ध का सारा काम स्थानिक सत्ताओं के सिरे रहना चाहिये । रास्ता बनाना रोशनी करना, नगर के महल्ले साफ रखना और साधारण तौर पर घरों का मैला पानी निकालना वहां के अधिवासियों के सिवा दूसरे किसी के लिये कम ही जरूरी है । समूचे राष्ट्र को वहां के सय पृथक पृथक नागरिकों की शुभचिन्तकता के सिवा इस विषय में दूसरा कोई स्वार्थ नहीं होता । परन्तु स्थानिक वर्ग में गिने जाने वाले और स्थानिक अधिकारियों के हाथ से होने वाले कर्त्तव्यों में बहुत से ऐसे हैं कि उनको राष्ट्रीय कहने में भी उतनी ही औचित्य है, क्योंकि वह राज्य प्रबन्ध को किसी शाखा का उस स्थान से सम्बन्ध रखने वाला भाग होता है

और उसके अच्छी तरह पालने में समूचे राष्ट्र का एक समान हित रहता है। जैसे—जेलखाने जिन में से बहुतेरे इस देश में जिले के प्रबन्ध के अधीन रहते हैं; स्थानिक पुलिस और स्थानिक न्याय व्यवस्था जिन का बहुत कुछ प्रबन्ध खास कर सभावद्ध नगरों में स्थानिक चुनाव से नियुक्त अधिकारियों के हाथ में है और जिनका खर्च स्थानिक कोष से दिया जाता है। यह नहीं कहा जायगा कि इन में कोई कर्तव्य राष्ट्रीय से भिन्न स्थानिक आवश्यकता का विषय है। देश का कोई भी विभाग पुलिस की कुव्यवस्था से लुटेरों का अड्डा या दुष्टता का केन्द्र हो जाय अथवा वहाँ के जेलखाने के पराध नियम से उसमें रखे हुए (वहिक दूसरे प्रदेशों से भेजे हुए या अपराध करके आये हुए) अपराधियों को न्याय सभा की सोची हुई सजा दूनी सप्ती से भोगनी पड़े अथवा प्रयोग में नहीं के समान बन जाय तो यह विषय देश के बाकी विभागों से भीतरी सम्बन्ध रहित न समझा जायगा। फिर इन विषयों की अच्छी व्यवस्था उपजाने वाली अवस्था सर्वत्र समान है; पुलिस, जेल या न्याय का प्रबन्ध राज्य के भिन्न भिन्न विभागों में भिन्न भिन्न रीति से क्यों हो इसके लिये सबल कारण नहीं है; इसके विरुद्ध भारी भय यह रहता है कि जो विषय इतने अधिक आवश्यक हैं और जिन के लिये राज्य में मिल सकने योग्य सब से शिस्तित मन वाले मनुष्यों की आवश्यकता है उनके लिये स्थानिक नौकरी में तो जिस घटिया दरजे की बुद्धि मिलने की आशा की जा सकती है वह कभी ऐसी गहरी भूल कर सकती है कि देश के साधारण प्रबन्ध पर भारी कलङ्क लगे। धन प्राण की रक्षा और मनुष्य मनुष्य में समान न्याय जनता की पहली जरूरत है और राज्य प्रबन्ध का मूल उद्देश्य है। अगर ये विषय सब से श्रेष्ठ की अपेक्षा किसी

घटिया सत्ता को साँपे जायं तो राष्ट्रीय राज्यतंत्र के लिये लड़ाई और सन्धि के सिधा और कुछ नहीं रह जाता। यह मूल उद्देश्य बनाये रखने के लिये जो सब से अच्छा प्रबन्ध हो उसे सब स्थानों में आवश्यक रूप से जारी कर देना चाहिये और उसको अमल में लाने के लिये माध्यमिक सत्ता की देय रेख में रखना चाहिये। माध्यमिक सत्ता का छोड़ा हुआ कर्तव्य पालने का काम पृथक् पृथक् स्थानों में स्थानिक कार्यों के लिये नियुक्त अफसरों को साँपना बहुधा उपयोगी है और हमारे देश के तन्त्र के सम्यन्ध में तो राष्ट्रीय राज्यतन्त्र की तरफ के अफसरों का भिन्न भिन्न स्थानों में अभिवाच होने से आवश्यक भी है। परन्तु प्रति दिन के अनुभव से जनता के मन पर ऐसा निर्णय जमता जाता है कि विशेष नहीं तो स्थानिक अफसर अपना कर्तव्य पालते हैं कि नहीं इसकी जांच पड़ताल के लिये राष्ट्रीय राज्यतंत्र की तरफ से निरीक्षक (इंसपेक्टर) भी नियुक्त करना चाहिये। जैसे कारगाने सम्यन्धी पार्लामेण्ट के बनाये हुए नियम माने जाते हैं कि नहीं इसकी जांच करने को कारगाना निरीक्षक और जिन बातों पर राज्य की तरफ से पाठशालाओं को सहायता दी जाती है उनकी जांच के लिये शाला निरीक्षक रखे जाते हैं वैसे जय जेलघाने स्थानिक व्यवस्था के अधीन होने हैं तब वहाँ पार्लामेण्ट के बनाये हुए नियम पाले जाते हैं कि नहीं इसकी जांच करने के लिये और अगर जेलघाने की स्थिति से मानूम हो तो दूसरे नियम सूचित करने के लिये माध्यमिक राज्यतंत्र की तरफ से जेल निरीक्षक नियुक्त होते हैं।

परन्तु जहाँ न्याय और उसके साथ पुलिस तथा जेलघाने का प्रबन्ध ऐसा सार्वजनिक विषय है और फिर ऐसे स्थानिक लक्षणों से स्वतंत्र सामान्य विज्ञान का विषय है कि सारे

देश में एक समान नियम से चलाया जा सकता है और चलाना भी चाहिये तथा उसकी व्यवस्था का काम शुद्ध स्थानिक अधिकारियों की अपेक्षा शिक्षित और कुशल हाथ से होना उचित है; वहाँ निराश्रित कानून के प्रबन्ध, स्वास्थ्य रक्षा और इस तरह के दूसरे कामों में यद्यपि सारे देश का सम्यन्ध है तथापि स्थानिक प्रबन्ध के वास्तविक उद्देश्यों पर लक्ष्य रखें तो उसकी व्यवस्था स्थानिक के सिवा दूसरी सत्ता को सौंपी नहीं जा सकती। ऐसे कर्तव्यों के सम्यन्ध में प्रश्न यह उठता है कि स्थानिक अधिकारियों को राज्य की निगरानी या अंकुश से रहित विचार स्वातंत्र्य कितना दिया जाय।

इस प्रश्न का निर्णय करने के लिये वास्तविक रीति पर देखना यह है कि कार्य सामर्थ्य के विषय में और लापरवाही या अनुचित बर्ताव से बचने के विषय में माध्यमिक और स्थानिक सत्ताओं की स्थिति एक दूसरे के मुकाबले में कैसी है। पहले तो पार्लियामेंट और राष्ट्रीय प्रबन्ध विभाग की अपेक्षा स्थानिक प्रतिनिधि सभा और उनके अधिकारियों में घटिया दर्जे की वृद्धि और ज्ञान होने का प्रायः भरोसा है। दूसरे उनके स्वयं अपेक्षा कृत कम योग्यता वाले होने के सिवा उनके ऊपर निगरानी करने वाला और उनसे कैफियत तलब करने वाला लोकमत भी घटिया दर्जे का है। जिसकी देख रेख में वे काम करते हैं वह जन समूह राजधानी में सबसे ऊंची सत्ताओं से घिरे हुए और उनपर टीका टिप्पणी करने वाले जन समूह की अपेक्षा जैसे विस्तार में छोटा होता है वैसे साधारणतः विकास भी कम पाये हुए रहता है और उसके साथ स्वार्थ भी अपेक्षा कृत कम समायोजित हुआ होने से उस घटिया दर्जे के जन समूह का भी विचार, उसके ऊपर कम लक्ष्य और कम आग्रह से काम करता है। समाचार पत्र

और सार्वजनिक आलोचना भी उसके बीच में बहुत कम पड़ती है और पड़े भी तो राष्ट्रीय सत्ताओं की अपेक्षा स्थानिक सत्ताओं के प्रबन्ध में बड़ी निर्भयता से उससे लापरवाही की जा सकती है। यहां तक माध्यमिक सत्ता के द्वारा प्रबन्ध होने में ग्याली लाभ दिखाई देना है। परन्तु हम जब बहुत धार्मिकी से दंगते हैं तब इस लाभ के कारणों के चिरुद्ध दूसरे इतने ही सबल कारण आकर डट जाते हैं। जहां माध्यमिक की अपेक्षा स्थानिक जनता और अधिकारी प्रबन्ध के मूलतत्त्व के ज्ञान के विषय में घटकर होते हैं वहां उनको इसके बदले परिणाम में बहुत प्रत्यक्ष स्वार्थ होने का लाभ रहता है। किसी मनुष्य की अपेक्षा उसका पड़ोसी या जमींदार बहुत ज्यादा हॉशियार हो और उसकी उन्नति में उक्त पड़ोसी या जमींदार का कुछ पराक्ष स्वार्थ भी हो तो भी, इसके होते हुए भी, उसके लाभ की रक्षा पड़ोसी या जमींदार की अपेक्षा उसी के द्वारा अच्छी तरह हो सकेगी। विशेष करके यह स्मरण रखना चाहिये कि अगर यह सोचें कि माध्यमिक राज्यतंत्र अपने अफसरों की मार्फत प्रबन्ध करेगा तो भी वे अफसर मध्यस्थल में रह कर नहीं बरंच उम्मी स्थान में रह कर काम करेंगे; और माध्यमिक जनता की अपेक्षा स्थानिक जनता चाहे जितनी घटिया हो तो भी उनपर नजर रखने का मौका तो स्थानिक सभा को ही मिलेगा। और उनके बर्ताव पर जो प्रत्यक्ष सत्ता काररवाई कर सकेगी अथवा उनके उलहना मिलने योग्य विषयों पर राज्य तंत्र का ध्यान बीच सकेगी यह स्थानिक लोकमत ही है। देश का राष्ट्रीय लोकमत तो खास खास मौकों पर स्थानिक प्रबन्ध के सूक्ष्म विषयों में हाथ डालता है और उनका असली मतलब समझ कर फैसला करने का साधन तो इससे भी

पिरल होता है । अथ स्थानिक अभिप्राय शुद्ध स्थानिक प्रबन्ध कर्त्ताओं पर अवश्य करके बहुत जबरदस्त असर करता है । वे लोग स्वाभाविक नियम से वहाँ के स्थायी अधिवासी होते हैं और अधिकार की अवधि पूरी होने पर उनको घट स्थान छोड़ कर कहीं जाने की आशा नहीं रहती, और उनके अधिकार का आधार भी, कल्पनानुसार, स्थानिक जनता की मरजी पर ही होता है । माध्यमिक सत्ता में स्थानिक पुरुषों और विषयों के बारे में सूक्ष्म ज्ञानकी जो त्रुटि होती है और उसका समय और विचार दूसरे विषयों में इतना अधिक उलझा रहता है कि उसको शिकायतों का फैसला करने के लिये और स्थानिक कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या से उनके काम का हिसाब लेने के लिये भी जितने और जैसे ज्ञान की जरूरत है उतना और वैसा ज्ञान मिल सकना सम्भव नहीं है, इस विषय में विवेचन करने की जरूरत नहीं है । इससे सूक्ष्म प्रबन्ध के विषय में साधारणतः स्थानिक संस्थाएँ बढ़चढ़ कर होंगी, परन्तु मूलतत्त्व—शुद्ध स्थानिक प्रबन्ध के मूलतत्त्व भी—समझने के विषय में, माध्यमिक राज्यतंत्र की श्रेष्ठता अगर वह सुगठित होगी तो अद्भुत ही होगी; और उसका कारण इतना ही नहीं है कि उसके मनुष्यों के स्वयं बहुत श्रेष्ठ होने की सम्भावना है और हमेशा बहुत से ज्ञानी और लेखक उनके ध्या. में उपयोगी विचार जमाने में लगे रहते हैं, परंच जब कि जो ज्ञान और अनुभव किसी स्थानिक सत्ता को होता है वह सिर्फ अपने प्रदेश की और क्रियापद्धतियों की सीमा में समाया हुआ स्थानिक ज्ञान और स्थानिक अनुभव ही होता है । तब माध्यमिक राज्यतंत्र को तो सारे राज्य के समुक्त अनुभव से जो सय सीखना होता है उसके साथ परदेश के ज्ञान का मार्ग भी संगम करने वाले साधन होते हैं ।

इन आधारों से वास्तविक अनुमान निकालना कठिन नहीं है। जो सत्ता तत्वों में सब से अधिक प्रवीण हो उसको मूल तत्वों पर श्रेष्ठ अधिकार देना चाहिये परन्तु जो सूक्ष्म विषयों में सबसे अधिक कुशल हो उसको सूक्ष्म विषय सौंपना चाहिये। माध्यमिक सत्ता का मुख्य काम सलाह देने का होना चाहिये और स्थानिक सत्ता का यह काम है कि उसे काम में लावे। अधिकार का तो स्थान के हिसाब से विभाग किया जा सकता है परन्तु शान एक ही केन्द्र स्थल पर एकत्र करने से सबसे अधिक उपयोगी हो जाता है, उसके लिये तो किसी स्थान पर एक ऐसा केन्द्र रखना चाहिये कि वहाँ उसकी सब विखरी हुई किरणें आ मिलें और दूसरे स्थान पर जो टूटा और रंगवरंगी प्रकाश हो उसको सम्पूर्ण होकर शुद्ध होने के लिये आवश्यक साधन मिल जाय। स्थानिक प्रबन्ध की जिस शाखा से राष्ट्रीय लाभ का सम्बन्ध हो उसके लिये माध्यमिक साधन—मंत्री या उसके मातहत कोई खास नियुक्त किया हुआ अधिकारी—होना चाहिये; यह अधिकारी और कुछ न करके सिर्फ चारों ओर के समाचार संग्रह कर एक स्थान में मिला हुआ अनुभव दूसरे स्थान में आवश्यक जंचने पर जता सके तो भी बहुत है। परन्तु माध्यमिक सत्ता को इससे कुछ विशेष करना है; उसे स्थानिक सत्ताओं के साथ निरंतर व्यवहार जारी रखना चाहिये और उसमें स्वयं उनके अनुभव से परिचित होना चाहिये तथा उनको अपने अनुभव से परिचित करना चाहिये। सलाह मांगने पर स्वतंत्रता से दी जाय और जरूरत जंचने पर बिना मांगे आप से आप दी जाय; कार्य प्रबन्ध प्रकाशित कराया जाय और काररवाई दर्ज करायी जाय तथा कानून सभा ने स्थानिक प्रबन्ध के विषय में जो जो साधारण कानून

बनाये हों उनमें से हर एक का पालन कराया जाय । इस बात को कम ही आदमी अस्वीकार करेंगे कि इस प्रकार के कुछ नियम बनवाने चाहिये । स्थानिक सत्ताओं को अपने ही लोभ का प्रबन्ध करने दिया जाय, परन्तु दूसरों के लाभ का नुकसान न करने दिया जाय अथवा पृथक पृथक मनुष्यों से न्याय के जिन नियमों का सख्ती से पालन कराना राज्य का कर्त्तव्य है उनका भी भंग न करने दिया जाय । अगर स्थानिक बहुमत छोटे मत पर या एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अत्याचार करना चाहे तो राज्यतंत्र हस्तक्षेप करने को बाध्य है । जैसे—सब स्थानिक कर फेवल स्थानिक प्रतिनिधि सभा के मत से मुकर्रर होना चाहिये परन्तु वह सभा यद्यपि करदाताओं द्वारा चुनी गयी होगी तथापि कभी कभी वह इस प्रकार के करों से अपनी आय बढ़ा सकती है अथवा उन करों को इस ढंग से लगा सकती है कि जिससे उनका योग्य गरीब, अमीर या यस्ती के दूसरे किसी रास वर्ग पर अनुचित परिमाण में जा पड़े; इससे कानून सभा का कर्त्तव्य है कि स्थानिक कर की कुल रकम तो सिर्फ स्थानिक सभा के स्वतंत्र विचार पर रहे; परन्तु कर लगाने की पद्धति और आंकने के नियम स्पष्ट रीति से बांध दे और स्थानिक सत्ताओं को उसका उल्लंघन करने की स्वतंत्रता न दे । फिर सार्वजनिक धर्म-स्वाते के प्रबन्ध के विषय में मजदूर संख्या के उद्योग और आचार का आधार बहुत गहरे दरजे की मदद देने की बायत कितने ही निर्दिष्ट नियमों से लगे रहने पर है । उन नियमों के अनुसार मदद पाने का किसको हक है यह निश्चय करने का काम असल में स्थानिक अधिकारियों का है परन्तु उन नियमों को स्थिर करने वाली याग्य सत्ता तो राष्ट्रीय पार्ली-मेण्ट ही है । वह अगर ऐसे गम्भीर राष्ट्रीय विषय के द्वारे

में स्पष्ट नियम न स्वीकार करे और ऐसा पुरस्सर बन्दोबस्त न करे कि उन नियमों का भंग न हो तो यह अपने कर्तव्य का एक बड़ा आवश्यक भाग पालने में चूकती है । इन कानूनों का उचित उपयोग कराने के लिये स्थानिक प्रबन्ध कर्ताओं के काम में स्वयं हस्तक्षेप करने की कितनी मत्ता रखने की जरूरत है यह एक सूक्ष्म प्रश्न है और उसमें पड़ना निरूपयोगी होगा । अपराध की व्याख्या और उसे अमल में लाने की रीति तो स्वभावतः कानून में ही की जायगी, अन्त को मौके पर काम आने के लिये माध्यमिक सत्ता को स्थानिक प्रतिनिधि सभा तोड़ देने या स्थानिक प्रबन्ध समिति को पर तरफ करने तक का अधिकार रखना उचित लंचेगा; परन्तु नयी नियुक्ति करने या स्थानिक तंत्र को तुरंत बंद कर देने तक का अधिकार नहीं होना चाहिये । जहां पार्लियामेंट ने हस्तक्षेप न किया हो वहां शासन विभाग की किसी शाखा को भी अधिकार में हस्तक्षेप न करना चाहिये; परन्तु परामर्श दाता और समालोचक का हैसियत में, कानून का अमल करानेवाले की हैसियत से और जिम्मे को स्वयं निन्दनीय गिने उस बर्ताव को पार्लियामेंट या स्थानिक मत सभा के आगे गुल्लमगुल्ला फटकार बनाने वाले की हैसियत में शासन विभाग का जो कर्तव्य है वह मथसे बढ़ कर आवश्यक है ।

कितने ही यह सोच सकते हैं कि माध्यमिक सत्ता स्थानिक की अपेक्षा प्रबन्ध के नियमों के ज्ञान में चाहे जितनी बड़ी चढ़ी हो तथापि नागरिकों की राजनीतिक और सामाजिक शिक्षा के जिस महान उद्देश्य का इतना बड़ा आग्रह किया गया है उसके लिये इन विषयों की व्यवस्था भी उन लोगों को अपने विचार के अनुसार (यह विचार चाहे कितना ह अपूर्ण हो) अपने ही हाथ से करने देने की जरूर-

रत है। इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि विचार में लेने का विषय केवल नागरिकों की शिक्षा नहीं है; उसकी आवश्यकता चाहे जितनी बड़ी हो तथापि राज्यतन्त्र और उसके प्रबन्ध का अस्तित्व केवल उसी के लिये लिये नहीं है। किन्तु यह उच्च राजनीतिक शिक्षा के साधन रूप जिस लोक तंत्र का कर्त्तव्य है उसकी बहुत अधूरी समझ दर्शाता है। जो शिक्षा अज्ञान से अज्ञान का संसर्ग करा के उनको ज्ञान दरकार हो तो उस तरफ अपना मार्ग बिना बिना मदद ढूँढ़ निकालने और न हो तो उसके बिना चला लेने को छोड़ देती है वह निर्जीव ही है। जो चाहा जाता है वह अज्ञान को अपनी स्थिति से परिचित करानेवाला और ज्ञान का लाभ लेने को समर्थ करनेवाला, जिनको केवल व्यवहार में जानकारी है उनको मूलतत्त्वों के अनुसार चलने और उनका मूल्य जानने का अभ्यास करानेवाला और उनको भिन्न भिन्न क्रिया पद्धतियों में तुलना करने और अपने विवेक से काम लेकर सब से अच्छी पद्धति पहचान लेना सिखाने वाला साधन है। हम जब अच्छी शाला की अपेक्षा करने हैं तब उस में से शिक्षक को खारिज नहीं करते। "जैसा गुरु वैसा चेला" यह कहावत पाठशाला और उसके नौजवानों की शिक्षा के विषय में जिस कदर सच है उसी कदर सार्वजनिक कर्त्तव्य द्वारा प्रौढ़ावस्था के मनुष्यों की परोक्ष शिक्षा के विषय में भी सच है। सब काम करने का प्रयत्न करने वाले राज्यतन्त्र को म० चार्ल्स डी रेमुशेट * ने जो शिष्यों की तरफ से उनका सारा काम करनेवाले शिक्षक की उपमा दी है वह यथार्थ है;

1. * फ्रांस के नवीन बनसत्ताक राज्य की राज्यसभा का एक प्रसिद्ध प्रतिनिधि ।

यह शिक्षक अपने शिष्यों में बहुत प्रिय तो हो जायगा परन्तु इस के साथ ही सिखावेगा भी थोड़ा ही । इसके विरुद्ध जो काम दूसरे किसी से होना सम्भव है उसे जो न तो करता है या न दूसरे किसी को यह बताता है कि कैसे करना चाहिये वह राज्यतन्त्र उस पाठशाला के ऐसा है जिस में शिक्षक नहीं है वरंच ऐसे शिष्य गुरु (Pupil Teachers) हैं जिन्होंने स्वयं कभी नहीं सीखा ।

सोलहवां अध्याय ।

प्रतिनिधि राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रीयता ।

जो सहानुभूति मनुष्य जातिके एक विभाग में परम्पर साधारण रूप से होती है परन्तु जो उसके दूसरे किसी विभाग के साथ साधारण रूप से नहीं होती—जो उस विभाग के लोगों को दूसरों की अपेक्षा आपस में मिल मिल कर काम करने की, एक ही राज्यतंत्र की सत्ता तले रहने की इच्छा रखने की और राज्यतंत्र भी अपना या अपने में से एक भाग का ही चाहने की वृत्ति उत्पन्न कराती है—उस सहानुभूति से परस्पर जुड़े हुए उस मनुष्य विभाग का एकराष्ट्र बना कह सकते हैं । राष्ट्रीयता या जातीयता का यह भाव विविध कारणों से उत्पन्न हुआ रहता है किन्तु ही चार जाति और कुल की एकता के परिणाम से होता है । धर्म की एकता और भाषा की एकता से इसकी बहुत वृद्धि होती है । भौगोलिक सीमा इसका एक कारण होती है । परन्तु सब से जो प्रबल कारण है वह पहले के राजनीतिक चरित्रों का ऐश्वर्य, साधारण सामाजिक इतिहास का अधिकार और उनके सम्बन्धी स्मरणों की सामान्यता, विगत प्रसङ्गों के सम्बन्ध में साधारण गर्व और मानमङ्गल

हर्ष और शोक है । इतने पर भी यह बात नहीं है कि प्रत्येक प्रसंग आवश्यक हो और न वह अवश्य करके स्वतः पूर्ण-तया है । स्वीजरलैण्ड के प्रान्तों में भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न भाषाएँ और भिन्न भिन्न धर्म होने पर भी राष्ट्रीयता का भाव प्रबल है । धर्म की एकता, प्रायः भाषा की एकता और बहुत अंश में पूर्व काल के ऐतिहासिक चरित्र की सामान्यता होने पर भी सभी इतिहासों में सिसिली अपनी राष्ट्रीयता के विषय में नेपल्स से बिलकुल भिन्न गिना गया है । वेल्जियम के फ्लेमिश और वालून प्रान्तों की जाति और भाषा में भिन्नता होने पर भी पहले का हालेण्ड से या दूसरे का फ्रांस से जैसा साधारण राष्ट्रीय भाव है उसकी अपेक्षा उनमें परस्पर अधिक है । तथापि साधारण तौर पर किसी सहायक कारण के अभाव से राष्ट्रीय भाव उसी कदर कमजोर पड़ जाता है । यद्यपि जर्मन नाम धारण करने वाले भिन्न भिन्न विभाग कभी एक ही राज्य तंत्र की सत्ता तले घास्तव में नहीं जुड़े तथापि भाषा, साहित्य और किसी कदर जाति तथा स्मरण की एकता ने उनमें बहुत प्रबल राष्ट्रीय भाव बनाये रखा है । परन्तु वह भाव उस दरजे तक नहीं पहुँचा है कि उन भिन्न भिन्न राज्यों को अपने स्वराज्य का हक छोड़ देने की रुचि पैदा करावे । इटालियनों में भाषा और साहित्य का ऐक्य बहुत अपूर्ण है तथापि वह और उसके साथ उनको दूसरे देशों से स्पष्ट सीमा से अलग करने वाली भौगोलिक स्थिति और शायद सब से घढ़ कर कला, युद्ध, राज्यनीति, धर्माध्यक्षत्व (रोम के पोप की सब रोमन वैधालिकों पर धर्म सम्बन्धी प्रधानता) शास्त्र और साहित्य के विषय में उनके नाम वाले किसी की प्राप्त की हुई सफलता में उन सब को गर्व कराने वाला एक साधारण नाम का अधिकार—इन सब ने मिल कर लोगों में इतना घड़ा

राष्ट्रीय भाव उत्पन्न किया है कि यद्यपि यह अभी अपूर्ण है तथापि और भिन्न भिन्न जातियों का बड़ा मिश्रण होने पर भी तथा जब रोमन राज्य प्रसिद्ध जगत के बड़े भाग पर विजरा था और विखरता था उस समय के सिवा प्राचीन या अर्धाचीन इतिहास में वे कभी एक राज्यतंत्र के तले नहीं रहे तो भी यह भाव हमारे सामने वर्तमान दृश्य दिग्गाने का (समग्र इटली को एक संयुक्त राज्य में जोड़ने को) समर्थ हुआ है ।

जहां राष्ट्रीय भाव कुछ भी प्रबल होता है वहां उनके मय अंगों को एक ही राज्यतंत्र में और वह भी उनको मय जान पड़ने वाले अलग राज्यतंत्र में जोड़ देने के लिये प्रत्यक्ष अवसर है । यह कहने का अर्थ इतना ही है कि राज्यतंत्र के प्रश्न का निर्णय प्रजा के हाथ से होना चाहिये । मनुष्य जाति का कोई विभाग मनुष्यों की भिन्न भिन्न संयुक्त संस्थाओं में से किस के साथ अपने की जोड़ना पसन्द करता है इस बात का निर्णय करने को अगर स्वतंत्र न हो तो यह जानना कठिन है कि वह क्या करने का स्वतंत्र होगा । परन्तु जब जनता स्वतंत्र राज्यतंत्र के लिये तय्यार होती है तब हम में भी बड़ कर एक आवश्यक विचार करने को रहता है । भिन्न भिन्न राष्ट्रीयता वालों से बने देश में स्वतंत्र राज्यतंत्र अममभव सा है । समभाव रहित जनता में और विशेष कर जब उसमें भिन्न भिन्न भाषाएँ लिखी और बोली जाती हों तब प्रतिनिधि राज्य चलाने के लिये जो संयुक्त लोकमत आवश्यक है वह विद्यमान नहीं मिलेगा गय कायम करने वाली और राजनीतिक कार्यों का निर्णय करने वाली मत्ताएँ देश के भिन्न भिन्न विभागों में भिन्न भिन्न हैं । नेताओं की विलकुल भिन्न भिन्न टोलियां देश के भिन्न भिन्न भागों का विश्वास धारण करती हैं । उन सब को एक ही पुस्तकें, समाचा

पत्र, निबन्ध और भाषण नहीं पहुँचते । देश के एक विभाग में कैसी रायें और कैसी सलाहें फैल रही हैं इसको दूसरा विभाग नहीं जानता । एक ही घटनाएँ, एक ही काम और एक ही राज्य पद्धति उन पर भिन्न भिन्न रीति में असर करती है और हर एक जाति विद्यमान राज्यतंत्र रूपी सत्य में साधारण मध्यस्थ की अपेक्षा दूसरी जाति से अपना अधिक नुकसान होने का अन्देशा रखती है । राज्यतंत्र (सरकार) से ईर्ष्या रखने की अपेक्षा उनका परस्पर द्वेषभाव बहुधा बढ़ा जबरदस्त होता है । अगर उनमें से एक जाति अपने को साधारण राज्यकर्ता की राज्यनीति से पीड़ित समझती है तो दूसरी जाति को और से उस राज्यनीति के समर्थन का प्रस्ताव स्वीकृत करने के लिये यथेष्ट कारण होता है । सब जातियाँ पीड़ित हों तो भी किसी जाति को ऐसा नहीं लगता कि मेल के साथ सामना करने में दूसरी जातियों पर भरोसा करे; किसी को अकेले सामना करने योग्य बल नहीं है और प्रत्येक का यह सोचना सकारण हो सकता है कि याकी जातियों का सामना करके राज्यतंत्र की छुपा पाने का प्रयत्न करने से उसका अपना स्वार्थ अच्छी तरह सधेगा । सब से बढ़ कर राज्यतंत्र के शत्याचार से बचने के लिये लोगों के प्रति सेना का बन्धुभाव रूपी जो एकमात्र बड़ा और प्रभावशाली साधन है उसका इसमें अभाव है । प्रत्येक जनता में जो सैनिक मनुष्यों का वर्ग होता है उसमें देशी भाइयों और विदेशियों के बीच का भेद स्वभावतः सब से गहरा और प्रबल रहता है । दूसरे लोगों के लिये विदेशी सिर्फ अनजान मनुष्य हैं परन्तु सैनिकों की दृष्टि में वे ऐसे मनुष्य हैं कि जिनके साथ जीवन मरण का युद्ध करने के लिये उन्हें एक सत्ता के अन्दर तय्यार होने का हुकम मिल सकता है । उनकी दृष्टि में यह

भेद मित्र शत्रु का है या यों कहना भी ठीक हो सकता है कि उनमें मनुष्य और पशु का सा अन्तर है; क्योंकि शत्रु सम्यन्धी जो कानून हैं वे सिर्फ यल के कानून हैं और उनमें कुछ नरमी है तो सिर्फ दूसरे जीवों के प्रसङ्ग में जो है वही-दया भाव की है। जिस सैनिक की दृष्टि में समूचे राज्य की आधी या तीन चौथाई प्रजा विदेशी है उसे प्रगट शत्रु को कतल करने में जितना संकल्प विकल्प होगा या इसका कारण जानने की जितनी उत्कण्ठा होगी उसकी अपेक्षा ऐसी प्रजा को कतल करने में कुछ अधिक नहीं होगी। भिन्न भिन्न जातियों की बनी सेना को जो एक ध्वजाभक्ति होती है उसके सिवा दूसरी कोई देश भक्ति नहीं होती। ऐसी सेना सारे आधुनिक इतिहास के समय में स्वतंत्रता की संहारकारिणी हुई है। उसे एकत्र रखने वाला जो बंधन है वह सिर्फ उसके अफसरों का है और जिस की वह चाकरी करती है उस राज्यतंत्र का ही है। उसको अगर कुछ सार्वजनिक कर्त्तव्य का विचार हो सकता है तो सिर्फ आशा के अधीन होने का। ऐसा बल वाला राज्यतंत्र अपनी हंगेरियन सेना इटली में और इटालियन सेना हंगरी में रख कर दोनों में विदेशी विजेताओं का अत्याचारी शासन लम्बे समय तक चला सकता है।

अगर यह कहा जाय कि स्वदेशी भाई के प्रति कर्त्तव्य और साधारण मनुष्य मात्र, के प्रति कर्त्तव्य में ऐसा विशाल लाक्षणिक भेद तो सभ्य की अपेक्षा जंगली मनुष्यों में अधिक सम्भव है और पूरे बल से इसका विरोध होना चाहिये तो यह विचार किसी के मन में मेरी अपेक्षा अधिक बढ़ नहीं होगा; परन्तु मनुष्य-प्रयत्न से आजमाने लायक यह सब से योग्य उद्देश्य सभ्यता की वर्त्तमान स्थिति में लगभग समान बलवाली भिन्न भिन्न जातियों को एक ही शासन में रखने से

भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । जनता की जंगली अवस्था में कितनी ही चार अन्तर पड़ता है । ऐसे समय देश में शान्ति बनाये रखने और आसानी से राज्यतन्त्र को भिन्न जातियों का वैर भाव शान्त रखने से शायद लाभ हो । परन्तु जब कृत्रिम बन्धन से बंधे हुए जनसमूह में किसी और का स्वतंत्र तन्त्र होता है अथवा उसे पाने का अभिलाष होता है तब राज्यकर्ता का स्वार्थ विलकुल विरुद्ध दिशा में ही रहता है । ऐसे समय परस्पर मेल होने से रोकने और उन में से कुछ को हाथ का पिलौना बना कर बाकी को गुलामी में लाने को स्वयं समर्थ्य होने के लिये राज्यकर्ता की वृत्ति उनका वैर बनाये रखने और उन में अधिक विप योने की तरफ होती है । आस्ट्रियन सरकार ने हाल के सारे जमाने में इन युक्तियों से राज्यशासन के मुख्य साधन के तौर पर काम लिया है, और (१८४८ में) वियना के हुल्लड़ और हंगेरियन लड़ाई (जो १८४६ में लुईकोसथ नाम के देशभक्त ने हंगरी को स्वतन्त्र करने के लिये उठायी थी) के समय इसकी कैसी घातकारिणी सफलता हुई थी यह सारा संसार अच्छी तरह जानता है । सौभाग्य से अब उन्नति इतने आगे बढ़ने के चिन्ह दिखाती है कि इस नीति का अधिक धार सफल होना सम्भव नहीं होगा ।

ऊपर लिख कारणों से राज्यतन्त्र का विस्तार मुख्यतः जातियों के विस्तार के अनुसार रहना चाहिये यह साधारणतः स्वतंत्र तंत्रों की एक आवश्यक शर्त है । परन्तु कितने ही कारणों का इस नियम के अनुभव में आड़े आना सम्भव है । प्रथम तो इस के प्रयोग में कितनी ही चार भूमि सम्बन्धी बाधा पड़ती है । युरोप के भी जो कितने विभाग हैं उन में एक ही स्थान में भिन्न भिन्न जातियाँ आकर इस तरह गड़मड़ घस गयी हैं कि उनको भिन्न भिन्न राज्यतंत्रों के अधीन करना

असम्भव है। हंगरी में मोजरों, स्लोवकों, क्रोटों, सर्बों और रोमनों की वस्ती है और कितने प्रांतों में जर्मन भी हैं और वे इस तरह मिले हुए हैं कि उनका स्थान के हिसाब से विभाग करना असम्भव है। उनको दैवयोग के अधीन होकर एक समान हक और कानून के अन्दर एकत्र रहने पर सन्तोष करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हंगरी की स्वतंत्रता के घिनाश के साथ ही १८४६ में शुरू होनेवाली अपनी साधारण गुलामी से वे ऐसे संयोग के लिये तय्यार होते और रुचि रखते दिखाई देते हैं। पूर्व प्रशिया का जर्मन संस्थान (ट्राप् । प्राचीन पोलैण्ड का एक भाग बीच में आ जाने से जर्मनों से विछुड़ गया है और वह अपनी स्वतंत्रता अलग नहीं बनाये रख सकता। इस से निर्वल होने के कारण अंग्ल भूमि विस्तार बनाये रखना हो तो या तो उसे जर्मन से मित्र राज्यतन्त्र में रहना चाहिये या बीच का पोलिश प्रदेश जर्मन अधिकार में होना चाहिये। दूसरा बड़ा प्रदेश जिस्ट में वस्ती का प्रधान तत्व जर्मन है (कार्लेण्ड, एसथोनिया और लियोनिया के प्रान्त) अपनी स्थानिक स्थिति के कारण स्लेवोनियन (रूस) राज्य का भाग होने को बना है। पूर्व जर्मनों में वस्ती का बड़ा भाग स्लेवोनियनों का है; (आस्ट्रिया के पश्चिमी प्रान्त) बोहीमिया की मुख्य वस्ती स्लेवोनियनों की है और किसी कदर सैलीशिया (प्रशिया के अधीनस्थ प्रान्त) और दूसरे प्रान्तों में वे हैं। फ्रांस जो यूरोप का सब से सुगठित देश है वह भी पूरा पूरा अमिध—निच्छका नहीं है; इसके सब से दूर के सीमावाले विभागों में जिन विदेशी जातियों का अंश है उनको गिनती में न लें तो भी भाषा और इतिहास से साबित होता है कि उसके दो विभाग हैं, एक भाग में लगभग सारी वस्ती गेल्ले रोमनों की

है और दूसरे में फ्रांक बर्गंडियन और दूसरी द्यूनिक जातियों की बड़ी वस्ती है ।

भौगोलिक प्रसङ्गों के विषय में काफी छूट रखने के बाद हमारी नजर के सामने जो विचार आता है वह इसकी अपेक्षा अधिक पूर्णता से सात्विक और सामाजिक है। अनुभव से प्रमाणित होता है कि एक जाति का दूसरी में मिलकर गड़मड़ हो जाना सम्भव है और वह जाति अगर मूल मनुष्य जाति की बहुत घटिया दरजे और पिछड़े हुए विभाग की होगी तो यह मिलावट उसे लाभकारी होगी। यह कोई नहीं सोच सकता कि ब्रिटन या फ्रेंच नवार के वास्के (फ्रांसीसियों से एक जुदी ही जाति के) लोगों को प्राचीन काल के अर्द्ध जंगली खंडहरों की तरह अपने टीलों पर भटकने और संसार के साधारण प्रवाह में भाग या स्वाद लिये बिना अपने ही संकीर्ण मंडल में घूमा करने की अपेक्षा ऊँचे सुधार और शिक्षित फ्रेंच जन समाज के विचार तथा वृत्तियों के प्रवाह में मिलना—फ्रेंच जाति के अंग के तौर पर फ्रेंच नागरिक के सारे हक का एक समान उपभोग करना और फ्रेंच संरक्षण का लाभ और फ्रेंच सत्ता का मान और गौरव अनुभव करना अधिक हितकारी नहीं है। ब्रिटिश जनसमाज के अंग स्वरूप वेल्स के निवासियों (जो अंगरेज और स्काच से भिन्न केल्टिक जाति के हैं) और स्काटलेण्ड के हाइ-लेण्डरों (पर्वतवासियों) पर, भी यही विचार घटित होता है ।

भिन्न भिन्न जातियों का संमिश्रण करने में और उनके गुणों और विलक्षणताओं को एक शामिल करके उनका सामान्य संयोग कराने में जो जो विषय सहायक होते हैं वे सब मनुष्य जाति को लाभकारी होते हैं। और वे भिन्न भिन्न

नमूनों को पूरा पूरा नष्ट कर के नहीं धरंच उनके वेहद विलक्षण स्वरूपों को सामान्य घाट में लाकर और उनके बीच का अंतर भर कर। क्योंकि इन प्रसङ्गों में उनके यथेष्ट इष्टान्त तो अवश्य रहते हैं। संयुक्त जन समाज, पशुओं की मिश्रित सन्तति की तरह (परन्तु जो असर जारी रहता है वह जैसे शारीरिक होता है वैसे सात्विक भी होता है इस से उस से भी बहुत बढ़ कर) अपने सब पूर्वजों की लाक्षणिक प्रकृति और गुण प्राप्त करता है और इस संमिश्रण से यह प्रकृति और गुण बढ़ कर उसके मुकाबले के होने से रुकते हैं। परन्तु विलक्षण अवस्थाओं का अवसर आये बिना यह संमिश्रण होना असम्भव है। जब विविध प्रकार की स्थितियों का संयोग हो जाता है तभी वह परिणाम पर असर करता है।

एक ही राज्यतंत्र के अधीन मिली हुई जानियां संख्या और बल में कभी प्रायः समान हो सकती हैं और कभी बहुत असमान। असमान होने पर उन दो में जो संख्या में छोटी होगी वह सभ्यता में बढ़ कर होगी या घट कर होगी। मान लो कि बढ़ कर है तो या तो वह अपनी श्रेष्ठता द्वारा दूसरी जाति पर अधिकार प्राप्त करेगी अथवा जड़ बल से द्वार कर उसके अधीन हो रहेगी। यह पिछली अवस्था मनुष्य जाति के लिये पूर्ण रूप से हानिकारक है और सभ्य जगत को उसे रोकने के लिये एक शामिल होकर दृष्टियार सजना चाहिये। ग्रीस पर मेसिडोनिया की विजय ० जैसी आफत दुनिया पर कभी न आयी होगी। फिर

ॐ मेसिडोनिया के राजा किलिप ने ईस्वी सन् से ३३८ वर्ष पहले पेरिसिया के युद्ध में ग्रीस को जीता था।

युरोप के किसी मुख्य देश पर रूस की विजय हो, तो वैसी एक दूसरी आफत आ पड़े * ।

जिस बहुत छोटी जाति को हमने सुधार में अग्रसर माना है वह, जैसे ग्रीक का बल अपने में मिलने से मेसिडोनिया ने एशिया को जीता अथवा अंगरेजों ने हिन्दुस्थान को जीता जैसे, बहुत बड़ी जाति को बश करने में समर्थ हो तो सभ्यता को बहुधा लाभ होता है, परन्तु इस दशा में विजेता और विजित एक ही स्वतंत्र नियमतंत्र के अधीन नहीं रह सकेंगे । कम सुधरे हुए लोगों में मिलने से विजेता का लय हो जाय तो अनर्थ हो । ऐसों पर प्रजा के तौर पर राज्य चलाना चाहिये; और उन को स्वतंत्र राज्य तंत्र तले न रखने से नुकसान होगा ऐसी अवस्था में वे आये हैं कि नहीं और जो पद्धति उनको सुधार की बहुत ऊँची अवस्था के लिये लायक बनाने वाली गिनी जाती है उस पद्धति से विजेता अपनी श्रेष्ठता को काम में लाते हैं कि नहीं इसके अनुसार यह स्थिति लाभदायक या भयानक निकलेगी । आगे के एक अध्याय में इस विषय की विशेष आलोचना की जायगी ।

जो जाति दूसरी जाति को बश करने में सफलता पाती है वह जब सूर्या में सब से बड़ी और सब से अधिक उन्नत होती है और खास कर के जब विजित जाति छोटी और स्वतंत्रता फिर से पाने की आशा से रहित होती है तब अगर उसके ऊपर कुछ अच्छी रीति से न्याय पूर्वक राज्य

* रूस को जिस अवस्था में देखकर यह आर्षका की गयी थी उस अवस्था में वह अब नहीं है । यूरोप के महासमर ने रूस को ऐसी दुर्गति कर दी है कि अब वह दूसरे देश तो क्या जीतेगा उसको अपने तर्ह सम्हालना कठिन हो रहा है ।

किया जाता होगा और बहुत बलवान जाति के मनुष्य असाधारण हक हथिया कर छेप भाजन न हुए होंगे तो वह छोटी जाति अपनी स्थिति में सन्तोष करके घड़ी में मिलजुल जायगी। इस समय किसी वास ब्रिटन या आलसेशियन को फ्रांस से अलग होने को तनिक इच्छा नहीं है। सब आइरिश जो अभी तक इंग्लैण्ड की ओर पैसा भ्रम नहीं करते हैं उसका कारण यह है कि उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि वे स्वयं एक प्रतिष्ठित जाति हो कर रहने का समर्थ हैं और मुख्य कारण यह है कि कुछ वर्षों तक उनके ऊपर ऐसी क्रूरता से शासन किया जाता था कि सेफसन शासन के विरुद्ध उनका तीव्र कोप जगाने में उनकी दुष्ट वृत्तियों के साथ सारी शुभ वृत्तियाँ भी शामिल रहती थीं। इंग्लैण्ड को लज्जित करने वाली और सारे साम्राज्य को आफत रूप हो पड़ने वाली रीति सच पूछो तो एक पीढ़ी से पूर्ण रूप से बन्द हुई कही जाती है। इस समय कोई आइरिश ब्रिटिश राज्य के दूसरे किसी भाग में जन्म लेने पर जितना स्वतंत्र होता और अपने देश या व्यक्तिगत सम्पत्ति के विषय में जितना लाभ पाना उसकी अपेक्षा कम स्वतंत्र नहीं है या कम लाभ नहीं अनुभव करता है। राज्य धर्म का जो एक मात्र असली कष्ट आयलैंड पर बाकी है वह जैसे उसको है वैसे इस घड़े टापू के आधे या प्रायः आधे लोगों का भी है। ये जो दो जातियाँ एक दूसरे का पूरक अंग होने के लिये संसार में सब से अधिक योग्य हैं उनको विलग रखने के लिये भूतकाल का स्मरण और प्रधान धर्म (राज्य के स्वीकार किये हुए मुख्य धर्म) में भेद के बिना दूसरा कोई कारण नहीं है। हमारे साथ समान न्याय से ही नहीं बरंच समान विवेक पूर्वक भी बर्ताव किया जाता है यह समझ आइरिश जाति में ऐसी तेजी से फैलती जाती है कि जो उन

के सव से निकटस्थ पड़ोसी ही नहीं परंच पृथ्वी की सव से सुधरी और बलवान तथा सव से धनवान और स्वतंत्र जाति के हैं उनसे अलग रहने की अपेक्षा उनके नागरिक बन्धु हो कर रहने में संख्या और सम्पत्ति में घटिया जाति को जो लाभ अवश्य करके होता है उसके विषय में लापरवाही रखने वाली सारी वृत्तियां घटने लगी हैं * ।

जहां जुड़ी हुई जातियां संख्या तथा प्रभाव के दूसरे तत्वों में लगभग समान होती हैं वहां उनके संमिश्रण के मार्ग में वास्तव में सव से भारी रुकावटें पड़ती हैं । ऐसी दशा में प्रत्येक जाति अपने बल पर विश्वास रख कर तथा वेह स्वयं किसी दूसरी जाति से समान युद्ध करने को समर्थ है यह समझ कर उसमें मिलने से नाखुश होता है; इस भेद को बढ़ाने के लिये उठे हुए रिवाज और नए होती हुई भाषाएं भी ताजा की जाती हैं; जय प्रतिद्वन्दी जाति के हाकिम उनकी सीमा में हुकूमत चलाते हैं तो हर एक जाति अपने पर जुल्म हुआ समझती है; और जो कुछ वस्तु प्रतिद्वन्दी जातियों में से एकाध को दी जाती है वह शेष जातियों के हाथ से छीनी हुई कही जाती है । जब इस प्रकार बंटी हुई जातियां किसी निरंकुश राज्यतंत्र के अधीन होती हैं और वह राज्यतंत्र उन सव जातियों से भिन्न प्रकार का होता है अथवा उनमें से एकाध से उत्पन्न होने पर भी कुछ भी राष्ट्रीय भाव न रख कर अपनी हुकूमत का अधिक विचार रखता है और किसी एक जाति को कुछ विशेष हक नहीं देता, परंच सव जातियों मेंसे समान भाव से अपना साधन पसन्द करता है तब कुछ जमाने में और

* फिर भी अब आयरलैण्ड स्वराज्य मांग रहा है और ब्रिटिश, गवर्नमेंट उसे देने को तय्यार हो रही है ।

घास करके जय वे जातियाँ एक ही प्रदेश में पसरी हुई होती हैं तब उनकी समान स्थिति होने से उनमें बहुधा समभाव उत्पन्न होता है और भिन्न भिन्न जातियाँ एक दूसरी को स्वदेशी बन्धु समझने लगती हैं। परन्तु जहाँ ऐसी एकरूपता होने के पहले स्वतंत्र राज्यतंत्र का अभिलाष करने का समय आया कि इस संमिश्रण का प्रसङ्ग गया समझना। उस समय से अगर ये अमिश्रित जातियाँ भौगोलिक व्यवस्था में एक दूसरे से अलग हों और घास करके जय उनकी स्थानिक स्थिति ऐसी हो कि उनको (फ्रेंच या जर्मनी की सत्ता तले इटालियन प्रान्त की तरह) एक ही राज्यतंत्र तले रहने में कुछ स्वाभाविक योग्यता या अनुकूलता न हो तो सम्पूर्ण सम्यन्ध तोड़ने में खुली नीति है इतना ही नहीं बरंच अगर स्वतंत्रता या सुलह शान्ति दो में से एक दरकार हो तो वैसा करने के लिये आवश्यकता भी है। ऐसा प्रसङ्ग भी होता है कि प्रान्त अलग होने के बाद शायद माण्डलिक बन्धन से संयुक्त रहने में लाभ हों परन्तु साधारणतः ऐसा होता है कि यद्यपि वे प्रान्त अपनी सम्पूर्ण स्वतंत्रता का एक छोड़ कर माण्डलिक संयोग का अंग होने को राजी होते हैं तो भी उनमें से प्रत्येक को अपने किसी दूसरे पड़ोसी के साथ साधारण सहानुभूति और कभी कभी एक स्वार्थ होने के कारण सम्यन्ध जाँड़ने की अधिक रुचि होती है।

सत्रहवाँ अध्याय ।

संयुक्त प्रतिनिधि शासन के विषय में ।

मनुष्य जाति के जिन विभागों में संयुक्त राज्यतंत्र के अधीन रहने की योग्यता या वृत्ति न हो उनको बहुधा विदेशियों से व्यवहार करने के विषय में राज्य-संयोग में शामिल होने से

लाभ हो सकता है; क्योंकि पेसा करने से जिस तरह आपस की लड़ाइयां रुकती हैं उसी तरह बलवान राज्यों के आक्रमण से बचने का अधिक प्रभावशाली साधन मिलता है ।

राज्य संयोग अभीष्ट हो तो उसके लिये कई शर्तों की जरूरत है। एक यह कि भिन्न भिन्न वस्तियों में यथेष्ट रूप से परस्पर सहानुभूति होनी चाहिये। राज्य संयोग से वे लोग हमेशा एक पक्ष पर लड़ने को बाध्य होते हैं और अगर उनमें ऐसी वृत्तियां हों अथवा ऐसा वृत्ति विरोध हो कि वे बहुत करके एक दूसरे के विरुद्ध पक्ष में लड़ना पसन्द करें तो इस संयोग (मिलाप) बन्धन का लम्बी मुद्दत रहना तक अथवा जब तक टिके तब तक अच्छी तरह माना जाना सम्भव नहीं है। इस उद्देश्य के उपयुक्त सहानुभूति जाति, भाषा और धर्म सम्बन्धी और खास करके राजनीतिक सम्बन्धी है; क्योंकि इससे राजनीतिक स्वार्थ की एकता की वृत्ति सब से अधिक दूरजे तक उत्पन्न होती है। जहां कुछ स्वतंत्र राज्य, जो अपना अलग अलग बचाव स्वयं करने को असमर्थ होते हैं वे सब ओर से लड़ाकू या चक्रवर्ती राजाओं से घिरे होते हैं, वहां उनको अपनी स्वतंत्रता और उसमें मौजूद सुख की रक्षा करने के लिये राज्य-संयोग के सिवा और कोई उपाय सम्भव नहीं है। जब सारे यूरोप में अचल राजनीतिक वैर का प्रबल कारण धर्म था तब भी, अपने में धर्मभेद ही नहीं, बरंच संयोग के गठन में भी भारी श्रुति होने पर भी स्वीजरलैण्ड में इस कारण से उत्पन्न हुआ सामान्य स्वार्थ कुछ सदी तक राज्य संयोग का बन्धन प्रभावशाली बनाये रखने के लिये यथेष्ट मालूम हुआ है। अमेरिका में जहां केवल गुलामी के सब से आवश्यक विषय में ही नियमभेद की एक मात्र रुकावट के सिवा राज्य-संयोग बनाये रखने के लिये सारी शर्तें मौजूद थीं वहां इस एक

भेद ने राज्य संयोग के दो विभागों की पारस्परिक सहानुभूति को एक दूसरे से यहां तक अलग कर दिया है कि जो बन्धन उन दोनों के लिये इतना मूल्यवान है वह सावित रहेगा कि टूटेगा इसका निर्णय एक हठीले अंतर्विग्रह के परिणाम से होगा * ।

संयुक्त राज्यतंत्र की स्थायिता की दूसरी शर्त यह है कि पृथक् पृथक् राज्य विदेशी आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिये अपने ही बल पर भरोसा रख सकें इतने बलवान न होने चाहिये । अगर वे होंगे तो यह मोचने लगेंगे कि दूसरों से मेल करने में उनको अपने क्रियास्वातंत्र्य के विषय में जो त्याग करना पड़ता है उसका बदला नहीं मिलता; और इससे जब राज्य-संयोग की सत्ता तले छोड़े हुए विषयों में संयोग की नीति किसी पृथक् राज्य की इच्छा से भिन्न होगी तो संयोग स्थायी रखने की यथेष्ट उत्कंठा के अभाव से घर्माघ अंत-भेद द्वारा उसके टूट जाने तक की नौपत आने का भय रहेगा ।

तीसरी शर्त, जो पहली दो से कम आवश्यक नहीं है, ऐसी है कि मेल करने वाले भिन्न राज्यों में बल की बहुत प्रत्यक्ष असमानता नहीं चाहिये । वे साधन में तो घेशक एक समान नहीं हो सकते; सब राज्य-संयोगों के अंगों में बल कमो-वेश होगा; कितने ही दूसरों की अपेक्षा अधिक बस्ती वाले धनवान और सम्य होंगे । न्यूयार्क और रोड टापू के बीच में तथा बर्न और ज़ुग या ग्लेरिस के बीच में धन और जन का विशाल भेद है । आवश्यकता इतनी ही है कि उनमें से एकाध राज्य दूसरे से इतना अधिक बलवान न होना चाहिये कि वह बहुतों के साथ अपने बल की परीक्षा करने को समर्थ

* १८६१-१८६५ का अमेरिकन यह युद्ध निरुद्ध अंत उत्तर के राज्यों की विनय और गुलामी बन्द होने से हुआ ।

हो। ऐसा कोई और यह भी एक ही होगा तो यह सब सम्मिलित परामर्शों में अपना प्रायत्प रखने का आग्रह करेगा; दो होंगे तो वे जब एकमत होंगे तब शरोभ्य हो जायँगे और फुट मत होंगे तब उन दोनों में प्रबल युद्ध चल जायगा और उसके परिणाम से प्रत्येक विषय का नियंटेरा हांगा। जर्मन बंड (जर्मन राज्यों के संयोग) का तुच्छ भीतरी बंधन न गिनें तो भी उसका प्रायः शून्य समान बना डालने के लिये एक यही कारण बस है। इससे राज्य-संयोग का कुछ भी वास्तविक उद्देश्य नहीं सधता। इससे जर्मनी का साधारण चुंगी की पद्धति नहीं मिली है इतना ही नहीं बरंच सामान्य सिद्धा भी एक समान कभी नहीं मिला; इतना ही हुआ है कि आस्ट्रिया और प्रशिया स्थानिक राज्यकर्त्ताओं का अपनी प्रजा का निरंकुश राज्य के बश में रखने में मदद कर सकें इसके लिये उन्हें अपनी सेना भेजने का कानून के रू से एक मिला है। बाहरी विषयों के सम्बन्ध में तो इस बंधन के परिणाम से सारा जर्मनी अगर आस्ट्रिया न हो तो प्रशिया के और प्रशिया न हो तो आस्ट्रिया के बश हो रहे; और इस बीच में प्रत्येक छुंटे राजा का एक या दूसरे का पक्षकार हो रहने अथवा विदेशी राज्यों के साथ दोनों के विकृत गुट रचने के लिये दूसरा रास्ता थोड़े ही है।

राज्यसंयोग का गठन-करने की दो भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं। राज्यसंयोग के अधिकारी अकसर या तो सिर्फ राज्यों के प्रतिनिधि हैं और इससे उनके कृत्य एक प्रकार राज्यों के ही बंधनकारी हो सकते हैं; अथवा उनको ऐसी सत्ता हो कि वे पृथक् पृथक् नागरिकों के बंधन रूप होनेवाले कानून बना सकें और इस किस्म के हुफम निकाल सकें। जर्मनी के उक्त राज्यसंयोग की और १८४७ से पहले के स्वीजरलैण्ड के

राज्यतन्त्र की व्यवस्था पहली पद्धति के अनुसार है। अमेरिका में भी स्वतन्त्रता के विग्रह के बाद कुछ वर्षों तक यह पद्धति आजमायी गयी थी। संयुक्त राज्य (युनाइटेड स्टेट्स) का वर्तमान गठन दूसरी पद्धति पर है और स्वीजरलैण्ड के राज्यसंयोग ने गत बारह वर्षों से यह पद्धति स्वीकार की है। अमेरिकन राज्यसंयोग की संयुक्त राज्यसभा प्रत्येक पृथक् राज्य के राज्यतंत्र का सार भाग है। वह अपने कर्तव्यों की सीमा में रहकर जो जो कानून बनाती है उसे प्रत्येक नागरिक को मानना पड़ता है; वह अपने हाकिमों की मार्फत उसे चलाती है और अपनी अदालतों को मार्फत अमल में लाती है। सचमुच सबल राज्यसंयोग स्थापन कर सकते हैं ऐसा नियमतो यही मालूम हुआ है या कभी मालूम हो सकता है। केवल राज्यतंत्रों का संयोग तो मित्रता मात्र है और वह मित्रता में चलल डाल सकनेवाले सब मित्रों की सत्ता के बश रहती है। राष्ट्रपति और राज्यसभा के कानून सिर्फ न्यूयार्क, वर जिनिया या पेन्सिलवेनिया के राज्यतंत्र पर ही बंधनकारी होते और वे राज्यतंत्र अपने नियुक्त किये हुए हाकिमों पर निकाले हुए हुक्म की मार्फत ही और अपनी ही न्याय सभाओं के सामने जवाबदेही की भौकी से अमल में ला सकते तो संयुक्त राज्यतंत्रों का जो हुक्म स्थानिक बहुमत को नापसन्द होता वह कभी अमल में न लाया जाता। राज्यतंत्रों पर की हुई फरमाइशें मंजूर कराने के लिये लड़ाई के सिवा दूसरी जिम्मेवारी या उपाय नहीं है; प्रत्येक अड़े हुए राज्य से राज्यसंयोग को अपने हुक्म की तामील कराने के लिये अपनी सेना हमेशा तय्यार रखनी पड़ती; और इसके साथ यह भी सम्भव रहता कि जो दूसरे राज्य इस दुराग्रही राज्य से सहानुभूति रखते और कभी कभी विघादग्रस्त विषय में उसी के

ऐसा विचार रखते थे शायद उक्त सामना करनेवाले राज्य की सेना की सहायता को अपनी सेना भेजने की सीमा तक न जाते तो भी उसे रोक तो रखते ही । ऐसे राज्यसंयोग का अन्तर्विग्रह रोकने के बदले उसका कारण हो जाना अधिक सम्भव है; और १८४७ ईस्वी के निकट के वर्षों की घटनाओं तक स्वीजरलैण्ड में उसका ऐसा कुछ परिणाम न होने का कारण यह है कि संयुक्त राज्यतंत्र को अपनी इस कमजोरी का इतना दृढ़ विश्वास था कि वह घास्तव में हुकम चलाने का प्रयत्न मुश्किल से करता । अमेरिका में इस नियम पर की हुई राज्यसंयोग की आजमाइश उसके अस्तित्व के प्रथम कुछ वर्षों में ही निष्फल हुई; परन्तु सौभाग्य से जिन महान ज्ञान और प्रतिष्ठित सत्ता वाले महापुरुषों ने यह स्वतन्त्र जन सत्ताक राज्य स्थापित किया था वे उसको इस कठिन अवस्था से सही सलामत पार उतारने को उस समय तक विद्यमान थे । नये राज्य-संयोग को अभी राष्ट्रीय सम्मति लेनी थी, इस बीच में उसके समर्थन और स्पष्टीकरण के लिये उनमें से तीन महापुरुषों के लिखे हुए "राज्यसंयोगी" नामक पत्रों का संग्रह * अब भी राज्यसंयोग के विषय में हमारे पास के सब निबन्धों में सब से बढ़कर शिक्षाप्रद है । जर्मनी के बहुत अपूर्ण राज्य-संयोग ने मेल बनाये रखने का उद्देश्य भी सिद्ध नहीं किया, यह सब को मालूम है । इससे

ॐ मि० फ्रीमैन कृत "संयुक्त राज्यतंत्रों का इतिहास" जिसका अभी सिर्फ प्रथम भाग प्रकाशित हुआ है, उससे इस विषय के साहित्य में वास्तविक वृद्धि हुई है और वह जितना अपने शुद्ध मूल-त्व के लिये मूल्यवान है उतना ही अपने ऐतिहासिक वृत्तान्त की सत्यता के लिये । ग्रन्थकार

किसी युरोपियन विग्रह में संयोग के अलग अलग राज्य विदेशी सत्ताओं से मिल कर बाकी राज्यों का सामना करने से कभी नहीं रुके। परन्तु राजसत्ताक राज्यों में तो यह एक ही तरह का संयोग सम्भव दिखलाई देता है। राजा जो सत्ता रखता है वह सीपी हुई नहीं वरंच उत्तराधिकार में मिली हुई होती है और वह जैसे उसके पास से नहीं ली जा सकती वैसे उसे काम में लाने के लिये राजा को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बना सकते। इससे यह बात असम्भव है कि वह अपनी अलग सेना रखने का हक छोड़ दे या दूसरी सत्ता उसकी प्रजा पर उसकी मार्फत नहीं वरंच वाला वाला सर्वोपरि अधिकार चलावे तो वह सहे। राज सत्ता के अधीनस्थ दो तीन देशों को सबल राज्य संयोग में जुड़ने के लिये यह आवश्यक बात है कि वे एक ही राजा के हाथ में हों। इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड के राजपद और पार्लिमेण्ट के सम्मिलन के बीच की कोई एक सदी तक (१६०३—१७०७) उनमें इस प्रकार का संयोग था। यह संयोग भी जो सबल था वह संयोग सम्बन्धी नियमों से नहीं क्योंकि ऐसे नियम थे ही नहीं, वरंच उम समय के बड़े भाग की अवधि में दोनों राज्य-तंत्रों के अन्दर राजा की सत्ता प्रायः ऐसी सम्पूर्ण थी कि दोनों की परराष्ट्र सम्बन्धी राज्यनीति एक पुरुष के स्वतंत्र विचार के अनुसार चलती थी।

राज्य-संयोग की जिस अधिक पूर्ण पद्धति में प्रत्येक पृथक् राज्य के प्रत्येक नागरिक को दो राज्य तंत्रों की—एक अपने राज्य तंत्र की और दूसरे राज्य संयोग की—आज्ञा-माननी होती है उसमें स्पष्टतया आवश्यक है कि प्रत्येक के राज्यनीतिक अधिकार की सीमा पास और स्पष्ट रूप से नियत हो, इतना ही नहीं वरंच किसी विवादप्रस्त विषय में

दो राज्यों में निर्णय करने की सत्ता दो में से एक के हाथ या उसके किसी अधीनस्थ हाकिम के हाथ में न रहकर दोनों से स्वतंत्र किसी मध्यस्थ के हाथ में रहनी चाहिये । राज्यसंयोग के प्रत्येक राज्य में सदर अदालत और उसके अधीन छोटी अदालत होनी चाहिये कि जिससे ऐसे प्रश्न उनके सामने पेश किये जायँ तथा इन प्रश्नों के अन्तिम पुनरवलोकन के समय वे जो फैसला करें वह अन्तिम माना जाय । राज्य संयोग के प्रत्येक राज्य के ऊपर—स्वयं संयुक्त राज्यतंत्र के ऊपर भी तथा प्रत्येक के हर एक अफसर पर अपने अधिकार का उल्लंघन करने के लिये अथवा राज्य-संयोग के प्रति अपना कर्त्तव्य पालने में धुटि करने के लिये मुकद्दमा चलाने का अधिकार इन अदालतों को होना चाहिये और उनको अपना राज्य संयोग सम्बन्धी एक अमल में लाने के लिये भी साधारण तौर पर इन्हीं अदालतों का साधन व्यवहार करने का कर्त्तव्य रखना चाहिये । इस स्थिति में जो विलक्षण परिणाम घुसा हुआ है और जो युनाइटेड स्टेट्स (संयुक्त राज्य) में प्रत्यक्ष रीति पर अनुभव-सिद्ध हुआ है वह यह है कि संयुक्त राज्य-तंत्र का सर्वोपरि धर्मासन जो न्यायसभा है वह राज्यसंयोग या माण्डलिक राज्य—प्रत्येक के राज्यतंत्र पर सर्वोपरि घनी रहती है; क्योंकि राज्यतंत्रों के बनाये हुए कानून या किये हुए काम राज्यसंयोग के गठन से मिली हुई सत्ता का उल्लंघन करने हैं और इसके लिये उनका कुछ नियमबद्ध अधिकार नहीं है वह निर्णय जताने का उस सभा को एक है । आजमाइश होने से पहले स्वाभाविक तौर पर यह दृढ़ सन्देह उठता है कि यह प्रयन्ध कैसे चलेगा, अदालत अपनी कानूनी सत्ता का अमल करने की हिम्मत रयेगी कि नहीं, अगर रयेगी तो चतुराई से तमको अमल में लावेगी कि नहीं और राज्यतंत्र उसके

फैसले के सामने शान्त भाव से सिर झुकाना स्वीकार करेगा कि नहीं। अमेरिकन राज्य-तंत्र का अन्तिम स्वीकार होने से पहले उसके ऊपर चली हुई चर्चा से साबित होता है कि ऐसा स्वाभाविक सन्देह बहुत जोरों से उठा था परन्तु अब यह विलकुल शान्त हो गया है, क्योंकि इसके बाद जो दो पीढ़ियों से अधिक समय बीत गया है उसकी अवधि में यद्यपि संयुक्त और पृथक् राज्यतंत्रों की सत्ता की सीमा के सम्बन्ध में बहुत कड़वी तकरार चली है और पक्षापक्ष के लिये हथियार रूप हो गयी थी तो भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इस सन्देह को सच साबित करे। जैसा कि म० टॉकिवल टीका करने हैं, ऐसी विलक्षण व्यवस्था के ऐसे परम लाभदायक प्रबन्ध का मूल बहुत अंश में न्यायसभा में अपनी स्थिति द्वारा मौजूद एक वासियत में है; अर्थात् वह जिस कानून का खुलासा करती है वह सिर्फ कानून के रू से और केवल तत्व विचार से नहीं करती; परन्तु जब तक भगड़े का मुकद्दमा मनुष्य मनुष्य में नहीं उटता है और इन्साफ के लिये उसके सामने पेश नहीं होता है तब तक वह राह देखा करती है; और उसका हितकारी परिणाम यह निकलता है कि फैसला विवाद की बहुत आरम्भिक अवस्था में नहीं किया जाता; फैसला निकलने से पहले साधारण तौर पर बहुत लोक चर्चा हुई रहती है; न्यायसभा दोनों ओर के प्रतिष्ठित वकीलों द्वारा, विवादग्रस्त विषय पर, की हुई यहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाती है; विवादग्रस्त विषय का जिस समय, जितना भाग अपने सामने के मुकद्दमे से सम्बन्ध रखता है उतने ही भाग पर—उस समय फैसला करती है। और यह किसी राजनीतिक उद्देश्य से आप से आप प्रगट नहीं किया

जाता, वरंच घादी प्रतिवादी में निस्पक्ष न्याय करने का उसका जो कर्तव्य है और जिसके पालने से वह इनकार नहीं कर सकती वह कर्तव्य उससे कराता है । इतने पर भी इस ऊंची अदालत में बैठने वाले न्यायाधीशों की सिर्फ मानसिक योग्यता पर नहीं, वरंच व्यक्तिगत या वर्गीय प्रत्येक प्रकार के पक्षपात के विषय में उनकी सम्पूर्ण निस्पृहता पर भी जो पूरा पूरा विश्वास है वह अगर न होता तो राज्यतंत्र के गठन के भावार्थ के विषय में सदर अदालत के फैसले के सामने सब सत्ताश्रों ने जो प्रतिष्ठा पूर्वक अधीनता दिखायी है वैसी वृत्ति उत्पन्न करने के लिये विश्वास के ये कारण भी यथेष्ट न हुए होते। यह विश्वास मुख्य करके सकारण साबित हुआ है; परन्तु इस महान सार्वजनिक तंत्र की योग्यता में विगाड़ पैदा करने का जिसमें सब से दूर का भी रख हो उस प्रत्येक विषय में सब से अधिक सावधानी रखकर चेतते रहने की अपेक्षा अमेरिकन जनसमाज के लिये दूसरी कोई भीतरी आवश्यक बात नहीं है । जिस विश्वास पर संयुक्त राज्यतंत्र की स्थायिता का भरोसा है उसको सब से पहला धक्का एक फैसले ने दिया था और उसमें यह सिद्ध किया गया था कि गुलामी एक साधारण दूक का विषय है और इससे जो प्रदेश जय तक राज्यरूप से व्यवस्थित न हुआ हो उसमें तब तक उसके निवासियों के बड़े भाग की इच्छा के विरुद्ध भी यह कानून के रू से है । और सब की अपेक्षा शायद यह प्रख्यात फैसला पक्षपात भेद को बिलकुल—अंतर्विग्रह का परिणाम उपजाने वाली अनी पर ला रखने में अधिक साधन-भूत हो पड़ा है। अमेरिकन राज्यतंत्र का आधार-स्तम्भ शायद इतना मजबूत नहीं है कि ऐसे दूसरे बहुत से धक्के सह सके ।

जो अदालतें संयुक्त और पृथक् राज्यतंत्रों के बीच में

होने का भरोसा होता है। फिर जब डाक की चिट्ठियां को भिन्न भिन्न धरिष्ठ सत्ताओं के अधीनस्थ सरकारी अफसरों के पांच छः दलों के हाथ में होकर जाती हैं तब पत्र-व्यवहार की सलामती और फुरती में बाधा पड़ती है और खर्च भी बढ़ जाता है। इस से सब डाकघरों का संयुक्त राज्य-तंत्र की सत्ता के अधीन होना सुविधाजनक है। परन्तु इन प्रश्नों के विषय में भिन्न भिन्न जातियों का भिन्न भिन्न भाव होना सम्भव है। "राज्यसंयोगी" के कर्त्ताओं के बाद अमेरिकन राज्यनीति के विषय में जो राजनीतिक सिद्धान्त वादी प्रसिद्ध हुए हैं उनमें जिसने सब से श्रेष्ठ शक्ति दिखायी है उस एक पुरुष (मि० काल्हून जो सन् १८१८ में युनाइटेड स्टेट्स में राज्यमंत्री थे) के नेतृत्व में अमेरिका के एक माएडलिक राज्य ने संयुक्त राज्यसभा के चुंगी सम्बन्धी कानून के बारे में प्रत्येक माएडलिक राज्य को नामंजूर करने का हक मिलने का दावा किया है और इस राजनीतिक पुरुष का जो एक महा प्रभावशाली ग्रन्थ उसके मरने पर दक्षिण केरोलीना की माएडलिक सभा ने प्रकाशित करके खूब प्रचारित किया है उसमें उसने इस दावेका वास्तविक कारण बहुमत के जुल्म की हद्द बांधने और छोटे पक्षों को राज्यनीतिक सत्ता में असली भाग देकर उसकी रक्षा करने का सामान्य मूल तत्व बताया है। इस शताब्दी के प्रथम भाग में अमेरिकन राज्यनीति सम्बन्धी एक सय से विवादग्रस्त विषय यह था कि संयुक्त राज्यतंत्र को राज्य संयोग के षर्च से रास्ते और नहरें बनाने का अधिकार होना चाहिये या नहीं और यह राज्यतंत्र के गठन के अनुसार है या नहीं। संयुक्त राज्यतंत्र की सत्ता जो अवश्य करके सम्पूर्णा है यह सिर्फ विदेशी सत्ताओं के साथ व्यवहार करने

के सम्बन्ध में ही । दूसरे विषयों में तो इस प्रश्न पर नियंतेरा रह जाता है कि साधारण जनसमाज संयुक्त जनसमाज का लाभ अधिक पूर्णता से भोगने के लिये राज्य संयोग का बन्धन कितना कड़ा करना चाहता है और अपने स्थानिक क्रिया स्वातंत्र्य का कितना भाग उसे साँप देने को राजी है ।

संयुक्त राज्यतंत्र की योग्य अन्तर्व्यवस्था के विषय में बहुत कहने की जरूरत नहीं है । इसमें अवश्य ही एक कानून बनाने वाली और एक कार्य कारिणी शाखा होनी चाहिये और उनमें से प्रत्येक के गठन पर साधारण प्रतिनिधि सभा के ऐसा ही नियम लागू पड़ता है । इस नियम को संयुक्त राज्यतंत्र के अनुकूल बनाने में अमेरिकन राज्यतंत्रों की व्यवस्था पद्धति बहुत ही न्याय पूर्वक की गयी है और वह ऐसी है कि साम्राज्य सभा (कांग्रेस) में दो मण्डल हैं । और जहाँ उनमें से एक में प्रत्येक माण्डलिक राज्य को अपने अधिवासियों के परिमाण से प्रतिनिधि चुन भेजने का हक देकर उसका गठन वस्ती के अनुकूल रखा है, वहाँ दूसरे में नागरिकों की तरफ से नहीं, वरंच राज्यतंत्रों की तरफ से प्रतिनिधि भेजने के लिये प्रबन्ध रखा है और उसमें बड़ा या छोटा हर एक माण्डलिक राज्य एक समान प्रतिनिधि भेजता है । यह प्रबन्ध बहुत बलवान माण्डलिक राज्यों को दूसरों पर अनुचित अधिकार चलाने से रोकता है और कोई कानून केवल नागरिकों के नहीं वरंच माण्डलिक राज्यों के भी बहुमत से पसन्द किये बिना, प्रतिनिधि पद्धति से जहाँ तक बन पड़े, साम्राज्य सभा में मंजूर होने से रोक कर माण्डलिक राज्यों के नामंजूरी के हक की जमानत देता है । दो में से एक सभा की योग्यता का दर्जा बढ़कर होने से जो दूसरा प्रांसगिक लाभ होता है उसकी तरफ में ने पहले

ध्यान दिया है। संयुक्त राज्य (युनाइटेड स्टेट्स) की वृद्ध सभा (सीनेट) को भिन्न भिन्न माएडलिक राज्यों की कानून सभाएँ रूपी निर्वाचित माएडल नियत करते हैं और पहले यताये हुए कारणों से कानून सभाओं की पसन्द किसी तरह के लोक निर्वाचन की अपेक्षा उत्कृष्ट मनुष्यों पर पड़ना अधिक सम्भव है—सार्वजनिक परामर्श में उनके माएडलिक राज्यों के प्रभाव का मुख्य आधार अपने प्रतिनिधि की प्रतिष्ठा और बुद्धि पर होने के कारण उसको ऐसे पुरुष पसन्द करने की शक्ति ही नहीं, सबल हेतु भी होता है। इससे संयुक्त राज्यों की इस प्रकार चुनी हुई वृद्ध सभा में हमेशा उनके प्रायः सब प्रतिष्ठित और ऊँची ख्याति वाले राजनीतिक पुरुष आ जाते हैं; फिर भी समर्थ अवलोकनकर्त्ताओं के अभिप्राय के अनुसार ऐसा है कि साम्राज्य सभा की ऊपरवाली सभा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत योग्यता की विद्यमानता के लिये जितनी प्रख्यात है उतनी ही नीचे वाली सभा वैसी योग्यता के अभाव के लिये है।

जब सबल और स्थायी राज्य संयोग करने के लिये उचित शर्तें मौजूद होती हैं, तब उनकी संख्या बढ़ने से संसार को सदा लाभ होता है। संयुक्त व्यवहार-प्रणाली के दूसरे किसी विस्तार की तरह इस का भी वैसा ही शुभ असर होता है; क्योंकि इस से जो निर्बल होता है वह संयुक्त हो कर बलवान के साथ धरावरी कर सकता है। इस लिये छोटे छोटे और इस कारण से अपना बचाव करने को असमर्थ राज्यों की संख्या घट जाने से प्रत्यक्ष हथियार द्वारा अथवा अधिक प्रभाव की धाक द्वारा राज्य बढ़ाने की राज्यनीति का लालच द्यता है। इससे अवश्य ही लड़ाई और साम प्रपंचों का और बहुत करके संयोग में जुड़े हुए राज्यों के बीच व्यापार सम्बन्धी प्रतिबन्धनों का भी अन्त हुआ है; और पड़ोस के राष्ट्रों के

सम्बन्ध में कहें तो इससे जो अधिक सैन्यबल प्राप्त होता है वह इस किस्म का है कि प्रायः अपना पचाव करने के काम में ही उपयोगी होता है, दूसरे पर चढ़ाई करने में तो शायद ही मददगार होता है। संयुक्त राज्यतंत्र की सत्ता इस कदर एकदृष्ट्या नहीं हुई रहती कि वह आत्मरक्षा के सिवा दूसरी कोई लड़ाई रूख जोर शोर से चला सके या उसमें प्रत्येक नागरिक की तरफ से अपनी इच्छा से मदद मिलने की आशा रख सके। फिर लड़ाई में विजय होने से केवल राज्य संयोग में प्रजा या नागरिक बन्धु भी नहीं, घरंच नया और कदाचित् कष्टदायक स्वतंत्र अंग ही जुड़ने से उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि वह सार्वजनिक अभिमान या महत्ताभिलाष को लुभावे। अमेरिकनों की मेक्सिको में चलायी हुई लड़ाई को केवल अपवाद रूप समझना चाहिये, क्योंकि अमेरिकनों की जो प्रवासी प्रकृति उनको उजाड़ प्रदेश कब्जा करने को उकसाने हैं उसके प्रभाव से कुछ स्वेच्छ्य सैनिकों ने ही मुख्य करके यह लड़ाई छेड़ी थी; और उनको उकसाने वाला जो कुछ सार्वजनिक उद्देश्य था वह उस राज्य के विस्तार का नहीं घरंच गुलामी फैलाने का केवल वर्गीय उद्देश्य था। केवल राज्य बढ़ाने की खातिर राज्य बढ़ाने के अभिलाष का अमेरिकनों पर कुछ बहुत प्रभाव हो ऐसा चिन्ह तो उनके राष्ट्रीय या व्यक्तिगत व्यवहार में कम ही दिखाई देता है। उनकी क्यूबा के लिये उत्कण्ठा भी ऐसी ही वर्गीय है और उत्तर के जाँ माण्डलिक राज्य गुलामी के विरुद्ध हैं उन्होंने कभी उस तरफ की वृत्ति किसी तरह नहीं दिखायी है।

किसी समय ऐसा प्रश्न उठ सकता है (जैसा कि इटली के वर्तमान उत्थान में है) कि जिस देश ने संयुक्त होने को निश्चय किया हो उसको सम्पूर्ण रूप से शामिल करें या केवल

राज्यसंयोग में ही—राज्यकार्य के सम्यन्ध में ही शामिल करें । इस प्रश्न का निर्णय कितनी ही बार अथवा करके सारे संयुक्त देश के भूमि विस्तार के ऊपर से होता है; निर्दिष्ट सीमा के अतिरिक्त भूमि विस्तार पर राज्य नहीं चलाया जा सकता अथवा एक ही केन्द्रस्थल से राज्य प्रबन्ध पर सुवीते से निगरानी भी नहीं रखी जा सकती । ऐसे एक प्रबन्ध वाले बहुतरे विशाल देश हैं; परन्तु साधारण तौर पर उनका प्रबन्ध अथवा शास करके उनके दूर के प्रान्तों का प्रबन्ध ऐसा सराव चलता है कि रोद होता है, और वहां के निवासी अगर लगभग जंगली जैसे हों तभी वे अपना प्रबन्ध इससे उत्तम रीति पर अलग नहीं चला सकते । इटली के विषय में यह रुकावट मौजूद नहीं है; क्योंकि भूत और वर्तमान काल में बहुत अच्छी तरह से चले हुए कितने ही राज्यों के इतना उसका आकार नहीं है । तब प्रश्न यह है कि राष्ट्र के भिन्न भिन्न विभाग जिस जिस रीति का राज्यप्रबन्ध चाहते हैं वह क्या तत्त्वतः ऐसा भिन्न है कि एक ही कानून सभा और एक ही मंत्री दल या शासन मण्डल का सबको सन्तुष्ट करना असम्भव हो जायगा ? अगर ऐसा न हो (और यह प्रत्यक्ष प्रमाण की बात है) तो उनको सम्पूर्ण संयुक्त करना बहुत अच्छा है । इंग्लैण्ड और स्काट्लैण्ड के दृष्टान्त से साबित हुआ है कि एक ही देश के दो विभागों में बिलकुल भिन्न कानून की प्रणाली और बहुत भिन्न प्रबन्ध विभाग होने पर भी एक कानून सभा रखने में बाधा नहीं पड़ती । फिर भी जहां कानून बनाने वालों पर समानता की सनक अधिक सवार हो (और एण्ड में ऐसा होना सम्भव है) उस देशमें एक ही संयुक्त कानून सभा की सत्ता तले 'कानून की दो जुदी जुदी प्रणालियां विना जोखिम के सम्मिलित भाव से ऐसी उत्तम

रीति पर यनी रहें अथवा उनके घने रहने का उतना ही मरोसा रहे और यह समा भी देश के दो विभागों के लिये मूल भेद के अनुकूल आने योग्य अलग अलग कानून बनाती रहे यह कमी सम्भव नहीं है। जिस जिस प्रकार की अनियमितता जिसके जिसके स्वार्थ में सम्बन्ध रखती हो उसको जय तक यह दुःखदायी न लगे तब तक इस प्रकार की प्रत्येक अनियमितता के प्रति घेहद निस्पृहता रखना जो इस देश के जनसमाज का लक्षण है उसके कारण यह इस मुश्किल आजमाइश को आजमाने के लिये एक असाधारण रीति पर अनुकूल स्थान हो गया था। बहुत से देशों में अगर कानून की भिन्न भिन्न पद्धतियां बनाये रखने का ही उद्देश्य हो तो शायद उनकी संरक्षा के लिये भिन्न भिन्न कानून समाप्त रखने की जरूरत पड़ेगी; और यह व्यवस्था जनमण्डल के सब विभागों के बाहरी सम्बन्ध पर सर्वोपरि सत्ता रखने वाली राजा सहित पार्लियामेंट या राजा रहित पार्लियामेंट के अस्तित्व के किसी प्रकार प्रतिकूल नहीं है।

जब भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न मूल तत्वों के आधार पर रची हुई भिन्न भिन्न न्यायप्रणालियाँ और साधारणतः तंत्र कायम रखने की जरूरत न जंचे तब राज्यतंत्र का एक्य बनाये रखने के साथ छोटे छोटे भेदों का समाधान हमेशा किया जा सकता है। सिर्फ इतनी जरूरत है कि स्थानिक सत्ताओं के अधिकार की सीमा का उचित रीति से मू्य विस्तार किया जाय। एक ही माध्यमिक राज्यतंत्र की सत्ता तले स्थानिक कार्यों के लिये स्थानिक लाट और प्रान्त सभाएं हो सकती हैं। उदात्त के तौर पर, कभी कभी ऐसा होता है कि भिन्न भिन्न प्रान्तों के लोगों को भिन्न भिन्न कर पद्धति पसन्द होती है। अगर सार्वजनिक राज्यतंत्र कर की सामान्य पद्धति में प्रत्येक प्रान्त

के अनुकूल फेर बदल उस प्रान्त के सभासदों के बताने के अनुसार न कर सके तो राज्य गठन में ऐसा प्रबन्ध किया जा सकता है कि राज्य के जो जो खर्च किसी सम्भव रीति से स्थानिक गिने जा सकें वे सब प्रान्त सभाओं के लगाये हुए स्थानिक कर से हों, परन्तु स्थल और जल सेना के निर्वाह के खर्च सरीखे जिस खर्च को साधारण गिनने की आवश्यकता है उसको भिन्न भिन्न प्रान्तों के साधन के कुछ साधारण आंकड़े के हिसाब से उनमें बांट देना चाहिये कि जिससे प्रत्येक प्रान्त के लिये मुकर्रर की हुई रकम वहाँ की स्थानिक सभाएं उस स्थान के सब से अनुकूल आने योग्य नियम से उगाहें और राष्ट्रीय कोष में एक शामिल जमा कर दें। कुछ कुछ ऐसा ही रिवाज फ्रांस की पुरानी राज-सत्ता में भी—अवश्य ही क्षेत्र प्रदेशों के सम्बन्ध में था। उनमें से हर एक को खास रकम पूरी करने की कबूलियत या इच्छा पर अधियासियों से अपनी ही मार्फत वसूल करने की और इस प्रकार शाही तहसीलदारों और छोटे लार्डों के भयानक अत्याचार से बच जाने की स्वाधीनता थी और फ्रांस के जो थोड़े से प्रान्त सब से उन्नत थे उनमें मुख्य कारण हो पड़ने वाले लाभों में यह हक भी एक हमेशा गिना जाता है।

बहुत भिन्न भिन्न दरजे के अधिकार संचय में केवल प्रबन्ध सम्बन्ध में नहीं वरंच कानून बनाने के सम्बन्ध में भी माध्यमिक राज्यतंत्र का ऐक्य अनुकूल है। किसी जन-समाज को राज्यसंयोग की अपेक्षा अधिक निकट संयोग करने की इच्छा तथा शक्ति हो तो भी उसकी स्थानिक विलक्षणताओं और पुराने रिवाजों के कारण राज्य के सूक्ष्म प्रबन्ध में बहुत भेद रखना मुनासिब होता है। परन्तु अगर इस परीक्षा को सफल बनाने के लिये सब तरफ से असली इच्छा

होगी तो इन विलक्षणताओं के सिर्फ साधित रखने में शायद कमी कठिनाई पड़ेगी, इतना ही नहीं, धरंच सुगमता पूर्णक कानून के रूप से ऐसी जमानत दी जा सकेगी कि जो फेर बदल करने से जिनके ऊपर असर होने वाला होगा उसको जब तक वे स्वयं करने को न छोड़े हों तब तक एकरूपता करने का कुञ्ज भी प्रयत्न नहीं किया जायगा ।

अठारहवाँ अध्याय ।

स्वतंत्र राज्य द्वारा अधीनस्थ राज्य का शासन होने के विषय में ।

दूसरे सब राज्यों की तरह स्वतंत्र राज्यों के भी विजय या घसाने से मिले हुए अधीनस्थ राज्य होते हैं और अर्वाचीन इतिहास में घास हमारा राज्य इस प्रकार का सब से बड़ा दृष्टान्त है । ऐसे अधीनस्थ देशों का शासन कैसे होना चाहिये यह एक बड़ा आवश्यक प्रश्न है ।

जिब्राल्टर, अदन या ऐलिंगोलेण्ड सरीस्रे जो छोटे छोटे घाने सिर्फ जल या स्थल सेना की छावनी के तौर पर कब्जे में रखे जाते हैं उनके विषय में धर्चा करने की जरूरत नहीं है । उस दशा में सैनिक—स्थल या जल सैन्य—सम्बन्धी उद्देश्य सब से प्रबल होता है और उन स्थानों के अधिवासियों को राज्य प्रबन्ध में दायिल करना उस उद्देश्य के अनुकूल नहीं है; तो भी उनको इस निषेध के अनुकूल सब प्रकार की स्वतंत्रता और एक मध्य नगर कार्यों के स्वतंत्र प्रबन्ध के, सीपना चाहिये; और उन पर शासन करने वाले राज्य के सुधीते के लिये अपने स्थान में उनको जो अलाम सहना

पड़ता है उसके बदले में उनको साम्राज्य के दूसरे सब भागों में वहाँ के निवासियों के समान हक में शामिल करना चाहिये ।

जो कुछ विस्तृत आकार और वस्ती वाले बाहर के प्रदेश अधीन राज्य के तौर पर कब्जे में होते हैं; अर्थात् जो शासन करने वाले देश की ऊपरी सत्ता की आशाओं के घरा होते हैं और जिनका उसकी कानून सभा में प्रतिनिधि का हक (अगर कुछ हो तो) समान भाव से नहीं होता उनके दो विभाग किये जा सकते हैं । उनमें से कुछ शासक देश के ऐसे सभ्य और प्रतिनिधि शासन के लिये तय्यार और समर्थ हुए रहते हैं; जैसे अमेरिका और आस्ट्रेलिया के ब्रिटिश राज्य । दूसरे, हिन्दुस्थान की तरह अभी उस स्थिति से बहुत दूर होते हैं ।

प्रथम श्रेणी के अधीनस्थ राज्यों के विषय में इस देश ने अंत को राज्यतंत्र का असली मूल तत्व असाधारण सम्पूर्णता में प्रतिपादन किया है । इंग्लैण्ड के जिन बाहरी लोगों में उसका लहू और भाषा जारी है उनको और जिन में नहीं है, उनको भी, अपने प्रतिनिधि तंत्र के अनुसार प्रतिनिधि तंत्र का दान करने में उसने हमेशा किसी अंश में अपना कर्त्तव्य समझा है; तथापि उसने जिन दूसरे देशों को प्रतिनिधि तंत्र दिया है उन को किस कदर स्वराज्य चलाने देना चाहिये इस विषय में तो बिलकुल हाल तक वह उनके साथ एक समान लड़ता भगता रहा है । उनके शुद्ध भीतरी व्यवहार में भी वह स्वयं सर्वोपरि निर्णायक बनना चाहता था और वह भी उसकी सब से अच्छी व्यवस्था किस प्रकार हो सकेगी इस विषय में उनके विचार के अनुसार नहीं, बरंच अपने ही विचार के अनुसार । औपनिवेशिक राज्यनीति सम्बन्धी जो सदांप सिद्धान्त एक बार सारे युरोप में साधारण था और अभी तक दूसरे किसी जन समाज ने जिस को पूरा

पूरा छोड़ नहीं दिया है उसका यह रिवाज स्वाभाविक परिणाम था; यह सिद्धान्त ऐसा था कि उपनिवेश हमारा निजका माल खपाने और हमारे अधीन रहने योग्य बाजार की हैसियत से कीमती हैं; और इस हक की हम लोग इतनी बड़ी कीमत समझते थे कि जो कुल अख्तियार हम अपने माल के लिये टापुओं के बाजार में मांगते थे वही अख्तियार उनको अपने माल के लिये हमारे बाजार में आने पर भी देना उचित समझते थे। इस प्रकार एक दूसरे को राक्षसी रकम दे दिला कर उनको और अपने को धनवान करने की, बरंच उसका सब से बड़ा भाग रास्ते में ही गिरा देने की विलक्षण युक्ति कुछ समय से छोड़ दी गयी है। परन्तु टापुओं की भीतरी व्यवस्था में हस्तक्षेप कर उन से लाभ उठाने का विचार छोड़ दिया, कुछ उनके साथ ऐसा करने की बुरी लत नहीं छोड़ी। हम लोग खास अपने लाभ के लिये नहीं तो टापुओं के एक वर्ग या पक्ष के लाभ के लिये ही उनको सताते रहे; और हमारे शासन करने के इस दुराग्रह ने जब तक कनाडियन विद्रोह का चर्च हमारे मर्चे नहीं ठोका तब तक हमको उसे छोड़ने का शुभ विचार नहीं सूझा। जैसे कुशिजा प्राप्त एक बड़ा भाई सिर्फ खसलत पड़ी रहने के कारण अपने छोटे भाइयों पर दुराग्रह से जुलम किया करता है और जब तक उनमें से एकाध शक्ति में असमान होने पर भी प्रोध से सिर उठा कर उसे समझलने की चिन्ता नहीं दे देता तब तक वह नहीं रुकता; वैसे ही बर्ताव इंगलैण्ड करता था। हम लोग इतने बुद्धिमान तो थे कि दूसरी चिन्ता की ज़रूरत नहीं समझी। लार्ड डर्हम * के निवेदन पर

*-(१८१२-१८४०) पर सन् १८३०-१८३४ तक राज्य-

से राष्ट्रों को औपनिवेशिक राज्य नीति में नये युगका आरम्भ हुआ । वह निवेदन पत्र उक्त अमीर की हिम्मत, देशभक्ति और उदार संस्कारी विचार की और उनके संयुक्त ग्रंथकार मि० वेकफील्ड † और परलोक गत चार्ल्स वुलर की बुद्धि और व्यावहारिक दृष्टि की अमर यादगार है । ‡

अब तो राज्यनीति का जो निश्चित नियम ग्रेट ब्रिटेन ने सिद्धान्त में स्वीकार किया है और सच्चे दिल से प्रयोग में जिसका अनुकरण किया है वह यह है कि उसकी युरोपियन उत्पत्ति (जाति) के उपनिवेश भी अपने मूल देश की तरह पूर्ण रूप से एक समान भीतरी स्वराज्य भोंगें । हमने उनको जो बहुत अधिक जनसत्ताक राज्यतंत्र दिया था उसमें उनको जैसा उचित जंचे वैसा फेर बदल करने देकर अपने लिये नवीन स्वतंत्र प्रतिनिधि तंत्र बनाने दिया है । प्रत्येक का राज्य प्रबन्ध अतिशय जनसत्ता प्रधान नियमों के आधार पर स्थापित कानून सभा और शासन सभा द्वारा चलता है । राजा और पार्लियामेंट का निषेध (नामंजूर करने) का हक यद्यपि नाम को कायम रखा गया है तथापि उससे खास खास टापू सम्बन्धी नहीं वरंच सिर्फ समूचे साम्राज्य सम्बन्धी प्रश्नों में ही काम लिया जाता है और सो भी बहुत ही कम । शाही

मुद्रामंत्रो ये । † इन्होंने १८३६ में दक्षिण आस्ट्रेलिया के टापू की बस्ती की योजना रची थी ।

‡ मैं जो कहता हूँ वह अवश्य ही इस सुधारी हुई नीति की मूल सलाह के विषय में नहीं वरंच उसके स्वीकार के विषय में । इसका सब से प्रथम योद्धा होने का यश तो निस्सन्देह मि० रोबक (पार्लियामेंट के मन्बर और १८५४-५५ वाले सेबास्तोगोल के घेरे के सम्बन्ध में जांच करने वाली कमेटी के अध्यक्ष) को है । ग्रन्थकार।

और औपनिवेशिक प्रश्नों के भेद के विषय में कैसी उदारता से विचार किया जाता है यह इस बात से पता लगता है कि हमारे अमेरिकन और आस्ट्रेलियन टापुओं के पिछवाड़े के प्रदेशों की सारी वेमालिक की जमीन औपनिवेशिक जनता के निबंकुश अधिकार में दे दी गयी है; यद्यपि साम्राज्य के भविष्य के प्रवासियों को सय से अधिक लाभकारी होने के लिये उसका प्रबन्ध शाही राज्यतंत्र अपने हाथ में रखता तो अनुचित न होता । इस प्रकार प्रत्येक उपनिवेश के सय से शिथिल राज्यसंयोग का एक अंग होने से उसकी अपने कार्य व्यवहार में जितनी सत्ता हो सकती है उतनी सत्ता पूर्ण रूप से वह भोगता है; और उसे अपने मूल देश से आने वाले माल पर भी अपनी भरजी मुताबिक कर लेने की छूट होने से, युनाइटेड स्टेटस् के राज्य गठन में जो मिल सकती है उसकी अपेक्षा उसको अधिक परिपूर्ण सत्ता है । ग्रेटब्रिटन के साथ उनका संयोग सय से शिथिल प्रकार का राज्यसंयोग है; तो भी वह असल में समान राज्यसंयोग नहीं है; क्योंकि संयुक्त राज्यतंत्र के ढंग की ऊपरी सत्ता तो मूल देश ने अपने हाथ में रखी है और यद्यपि वह प्रयोग में यथासाध्य कम कर दी गयी है तो भी विद्यमान है । जिन अधीनस्थ राज्यों को विदेशी राज्यनीति के विषय में कुछ मत देने का हक नहीं है, परन्तु जो शासक देश के टहराय पर चलने को बाध्य माने जाते हैं उनको येशक यह अममानता जितनी है उसी कदर अलाभ है । उनकी सलाह किसी तरह पहले से न लेने पर भी उनको इंग्लैण्ड के साथ लड़ाई में शामिल होना पड़ता है ।

जो यह सोचते हैं कि न्याय का बन्धन जितना व्यक्ति विशेष के ऊपर घटता है उतना ही जाति विशेष पर, और

मनुष्यों को अपने लाभ के लिये जो कुछ दूसरे मनुष्यों के साथ करना उचित नहीं है वह उनको अपने देश के सोचे हुए लाभ के लिये दूसरे देशों के साथ करने का अधिकार नहीं है; वे (और सौभाग्य से वे अब थोड़े नहीं हैं) उपनिवेशों की इतनी नियमित राजनीतिक परतंत्रता को भी मूलतत्त्व तोड़ने के बराबर समझते हैं और इतनी परतंत्रता को भी दूर करने का उपाय ढूँढने में बहुत वार लगे रहे हैं । इस खयाल से कितनों ने यह प्रस्ताव किया है कि उपनिवेश ब्रिटिश पार्लिमेण्ट में प्रतिनिधि भेजने पावें । और दूसरों ने यह प्रस्ताव किया है कि उनकी और अपने पार्लिमेण्ट की सत्ता देश की भीतरी राज्यनीति की सीमा में सन्निविष्ट रखी जाय और विदेशी तथा शाही विषयों के लिये दूसरी प्रतिनिधिसभा स्थापित कर उसमें ग्रेट ब्रिटेन के अधीनस्थ राज्यों को ग्रेट ब्रिटेन की तरह और उसी की सी सम्पूर्णता में प्रतिनिधि भेजने की स्वतन्त्रता दी जाय । इस पद्धति से उपनिवेशों के अधीन राज्यों की स्थिति में न रहने से उनके और मूल देश के बीच में सम्पूर्णरूप से समान राज्य संयोग होगा ।

जिन न्यायवृत्तियों और सामाजिक नीति की भावनाओं से ये सलाहें पैदा होती हैं वे सब प्रशंसनीय हैं; परन्तु ये सलाहें स्वयं राज्यतन्त्र के वास्तविक मूलतत्त्वों से ऐसी विरुद्ध हैं कि इस बात में सन्देह है कि किसी भी विचारशील क्षानी ने उनको सम्भव मानकर गंभीरता से स्वीकार किया होगा । एक दूसरे से गोलाद्ध के अन्तर पर पड़े हुए देश, एक ही राज्य सत्ता तले रहने के लिये, अथवा एक ही राज्य-संयोग के ग्रंग होने के लिये भी आवश्यक शर्तें नहीं दिखाते । उनका यथेष्ट रीति पर एक ही स्वार्थ हो तो भी उनको एकत्र लगभग करने का उचित अभ्यास नहीं होता और न कभी

हो सकता है। वे एक ही जन समाज के विभाग नहीं हैं; वे एक ही रंगभूमि पर चर्चा या विचार नहीं करते और एक दूसरे के मन में क्या विचार है इसका उन्हें बहुत अधूरा ध्यान होता है। वे जैसे एक दूसरे का उद्देश्य नहीं जानते वैसे उनको एक दूसरे के व्यावहारिक नियम पर विश्वास नहीं होता। चाहे कोई अंगरेज अपने आपको पूछे देखे कि जिस समाज का एक तृतीयांश ब्रिटिश अमेरिकन, और दूसरा तृतीयांश दक्षिण अफ्रीकन और आस्ट्रेलियन हो उसके ऊपर अपने भविष्य का भरोसा रखना उसे कहां तक पसन्द होगा। फिर भी अगर कुछ न्यायपूर्ण या समान प्रतिनिधि तत्व होगा तो अवश्य वह परिणाम निकलेगा; और प्रत्येक जन को क्या पेंसा नहीं लगेगा कि शाही विषयों में भी कनाडा या आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि अंगरेज, आइरिश या स्काच का लाभ, अभिप्राय या अभिलाष नहीं समझ सकेंगे? शुद्ध राज्य संयोग के लिये मैं हमें जो शर्तें आवश्यक जान पड़ी हैं वे मौजूद नहीं हैं। उपनिवेशों के बिना भी इंग्लैंड अपना यत्नाय करने को यत्नेष्ट है और अगर वह उन से अलग हो जाय तो अमेरिकन, अफ्रीकन और आस्ट्रेलियन राज्यसंयोग के केवल एक अंग की स्थिति में आने से जो हो सकता है उसकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रबल और प्रतिष्ठित हो सकता है। अलग होने पर भी जो व्यापार वह एक समान करता है उसके मिया इस समय इंग्लैंड को अपने अधीनस्थ राज्यों की तरफ से हक के लाभ के सिवा दूसरा लाभ थोड़ा ही मिलना है; और जो थोड़ा बहुत मिलता है वह, उसको उनके लिये जो कुछ खर्च करना पड़ता है और अपनी स्थल और जल सेना को द्धित-रायें रखने की आवश्यकता तथा लड़ाई या उसकी असली आशंका के अवनत पर केवल इसी देश के यत्नाय के लिये

जितना चाहिये उस से दुगुनी तिगुनी सेना रखने की जो जरूरत है उस के सामने, किसी गिनती में नहीं है ।

परन्तु यद्यपि ग्रेट ब्रिटेन अपना काम अपने उपनिवेशों के बिना धाबूची चला सकता है और यद्यपि सब से श्रेष्ठ प्रकार के संयोग की पूरी आजमाइश करने के बाद ऐसा समय आवे कि ये गम्भीरता से अलग होने की इच्छा जतावें तो इङ्ग्लैण्ड को उनसे अलग होने की बात को नीति और न्याय के प्रत्येक नियम से स्वीकार करना चाहिये; तथापि हाल के सम्बन्ध का अल्प बंधन भी जब तक किसी पक्ष को अहचिकर न हो तब तक बनाये रखने के लिये दृढ़ कारण हैं। जैसा है उस दशा में भी यह राष्ट्रों में सार्वभ्रिक शांति और परस्पर साधारण मित्रभाव बनाये रखने के मार्ग में एक कदम है। इस से और कई तरह से स्वतंत्र राष्ट्रों में युद्ध असम्भव होता है; और फिर इन में से हर कोई विदेशी राज्य में लीन होकर किसी अधिक स्वच्छाचारी या पास की प्रतिद्वन्दी सत्ता जो हमेशा ग्रेट ब्रिटेन जैसा निस्पृह या शांत नहीं होती, उसके चढ़ाई करने के बल में वृद्धि करने का साधन बनने से रुकता है। इतना ठीक है कि इस से भिन्न भिन्न देशों के बाजार एक दूसरे के लिये खुले रहते हैं और जिन प्रतिकूल वाणिज्य करों का प्रचार अभी तक इङ्ग्लैण्ड के सिवा दूसरे किसी बड़े मनुष्य मण्डल ने पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा है उनके द्वारा परस्पर व्यवहार का प्रतिबन्धन होना सकता है। और इस से ब्रिटिश मुल्कों के विषय में तो खास कर के हाल के समय में यह लाभ है कि जो सत्ता सब विद्यमान सत्ताओं में स्वतंत्रता की सब से अच्छी पहचान करती है और जिसने भूतकाल में चाहे जैसी भूल की हो तथापि विदेशियों के प्रति अपने कार्य व्यवहार में जितना दूसरे किसी बड़े राष्ट्र का समझना कभी सम्भव या इष्ट समझ कर स्वीकार

करना नहीं जाना जाता उतना सद्भाव और सात्विक वृत्ति प्राप्त की है—उस सत्ता को संसार की सभाओं में अपना अधिक सात्विक प्रभाव और वजन जमाने का मौका मिलता है। अब जब तक यह संयोग कायम रहता है तब तक यह सिर्फ असमान संयोग के भरोसे ही चल सकता है, इस से इस अल्प परिमाण की असमानता को अपेक्षाकृत नीचे की पदवी धारण करनेवाली जातियों को असह्य या अपमानकारी बनने से बचानेवाला उपाय क्या है इसका विचार करना जरूरी है।

इस विषय में अवश्य करके जो एक ही होगता है वह यह है कि मूल देश अपनी और उपनिवेशों—दोनों की ओर से संधिविग्रह के प्रश्नों का निर्णय स्वयं करता है। इसके बदले में उपनिवेशों को यह लाभ होता है कि मूल देश उन पर आक्रमण होने से रोकने को बाध्य होता है; परन्तु जब छोटी जनता इतनी निर्बल हो कि उसे बहुत जबरदस्त सत्ता का आश्रय ढूँढ़ना पड़े तभी; इसके सिवा कर्तव्य की ऐसी अदला बदली, परामर्श में मत देने का हक न होने का पूरा बदला नहीं है, इससे काफ़र या न्यूजी लेण्ड की लड़ाइयों की तरह ऐसी लड़ाइयों में, जो किसी खास उपनिवेश के लाभ के लिये सिर पर न लेनी पड़ी हों, उपनिवेशों से उनके निजके बंदर, तट और सीमा को शत्रु की चढ़ाई से बचाने के लिये जितना पर्थ चाहिये उसके सिवा (वे अगर अपनी खुशी से न देना चाहें तो) पर्थ में कोई भाग देने के लिये न कहना चाहिये। फिर जब मूल देश अपने अकेले विचार स्वातंत्र्य से अपने ऊपर हमला होने के भय से ऐसी कार्रवाई करने या ऐसी राजनीति चलाने का दावा करता है, तब उसे शान्ति के समय भी उनके फौजी बचाव के पर्थ का

यह भाग और स्थायी सेना के सम्बन्ध में तो सारा खर्च अपने सिर पर रखना उचित है ।

परन्तु इसकी अपेक्षा जो एक अधिक प्रभावशाली उपाय है उसके द्वारा और साधारणतः सिर्फ उसी के द्वारा एक छोटा सा समाज जो संसार के समाजों में अपनी असली सत्ता को—अपने पृथक्त्व को एक विशाल और बलवान साम्राज्य के बहुत बड़े पृथक्त्व में शामिल कर देता है उसको पूरा बदला दिया जा सकता है। वह उपाय (जो जितना आवश्यक है उतना परिपूर्ण भी है और जिसमें जितनी न्याय की फरमाइशों का, उतनी ही राज्यनीति की बढ़ती जाती हुई शर्तों का भी समावेश होता है) यह है कि सरकारी नौकरियों के सब विभाग और साम्राज्य का प्रत्येक भाग उपनिवेशों के अधिवासियों के लिये समान भाव से खुला रखें । ब्रिटिश चेनल (खाड़ी) के टापुओं में से कभी किसी की अराजभक्ति का एक शब्द भी क्यों नहीं सुना जाता? जाति, धर्म और भौगोलिक स्थिति में उनका फ्रांस की अपेक्षा इंग्लैण्ड से कम सम्बन्ध है । परन्तु जैसे वे कनाडा और न्यू-साउथ वेल्स की तरह अपने भीतरी व्यवहार और कर व्यवस्था पर पूरा अधिकार रखते हैं वैसे राजा की बख्शिश का हर एक ओहदा या दरजा उनके लिये गरनसी या जरसी के अधिवासियों के लिये पूरा पूरा खुला है । उन टापुओं से स्थल सेनापति और जल सेनापति तथा लार्ड नियुक्त हुए हैं और प्रधान मंत्री नियुक्त करने में भी किसी तरह की अड़चल नहीं है । जब अकाल मृत्यु के वश हुए संस्कारी औपनिवेशिक मंत्री सर विलियम मौलसवर्थ ने (१८५२ में) कनाडा के एक मुखिया राजनीतिक पुरुष मि० हिंक्स को एक वेस्ट इंडियन राज्यतंत्र का गवर्नर नियुक्त किया तब उन्होंने इसी पद्धति का उप-

निवेशों के सम्बन्ध में भी साधारण आरम्भ किया- था । इस दरजे के मनुष्यों की संख्या बहुत बड़ी नहीं जो इस छूट से असली लाभ उठा सके । इस कारण जो लोग ऐसे विषयों को तुच्छ मानते हैं वे जन समाज में वहने वाले राजनीतिक उत्साह के प्रवाह का बहुत ऊपरी विचार लेंते हैं । इस नियमित संख्या में ऐसे पुरुष आये होंगे जिनकी याकी पर सबसे बड़ी सात्विक सत्ता रहती है; और सामाजिक अधमता के विषय में लोग इतने नासमझ नहीं है कि एक पुरुष का भी किसी लाभ का प्रतिबन्धन होगा तो उनको नहीं लगेगा; क्योंकि यह विषय उसके साथ उन सब के लिये सामान्य है और सब के लिये एक समान अपमान है । अगर हम किसी जाति के नेता पुरुषों को मनुष्य जाति के साधारण परामर्शी में, उस जाति के मुगिया और प्रतिनिधि की हैसियत में संसार के सामने रखे रहने से रोकें तो उनके धार्मिक अभिलाष और जाति के यथार्थ गर्व दोनों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उनको उसके बदले में अधिक शक्तिमान और अधिक वजन-दार जन समाज में वही नेतृत्व पद धारण करने का एक समान अवसर दें ।

जिन अधीनस्थ राज्यों के देश प्रतिनिधिशासन के लिये लायक होने योग्य उन्नत स्थिति में होते हैं उनके लिये इतना बस है । परन्तु दूसरे कितने ही देश ऐसे होते हैं जिन्होंने वह स्थिति प्राप्त नहीं की है और उनको अगर अपने अधीन रखें तो उनके ऊपर राज्यकर्ता देश को स्वयं अथवा उसके लिये नियुक्ति किये हुए मनुष्यों को राज्यप्रबन्ध करना चाहिये । यह शासनपद्धति अगर ऐसी हो कि अधीनस्थ प्रजा को उसकी सभ्यता की वर्तमान स्थिति में अधिक उन्नति की पद्धति पर सब से अधिक आसानी से चढ़ाये तो यह दूसरी

पद्धति की सी ही योग्य है । पहले देख चुके हैं कि जनता की कुछ अवस्था ऐसी है कि उसमें लोगों को अधिक ऊंची सभ्यता के लिये लायक बनाने में जिस धस्तु का ख़ास अभाव होता है उसमें उनको जो शासनपद्धति सब से अच्छी रीति पर शिक्षा दे सकती है वह मात्र दृढ़ निरंकुश राज्य ही है । कुछ दूसरी अवस्था है उसमें केवल निरंकुश राज्य होने से कुछ वास्तविक लाभकारी परिणाम नहीं निकलता, क्योंकि वह जो पाठ सिखाता है उसको वह प्रजा असीम सम्पूर्णता में उससे पहले ही सीख चुकी होती है; परन्तु उस अवस्था में लोगों में सुधार का कुछ साहजिक अंतः प्रवाह न होने से उनको कुछ भी आगे बढ़ने की आशा का प्रायः जो एक ही आधार है वह कुछ अच्छे निरंकुश राजा की उत्पत्ति पर निर्भर है । देशी निरंकुश राज्यों में तो अच्छा निरंकुश राजा कचित और अकस्मात् से मिलता है; परन्तु उनके ऊपर हुकूमत करने वाले लोग अगर अधिक सुधरे हुए हों तो उन लोगों को वैसा निरन्तर अन्तःप्रवाह जारी रखने के लिये शक्तिमान होना चाहिये । जो अपने अरोध्य बल के कारण, जंगली निरंकुश राज्यों के अंग में लिपटे हुए आनन्द की अनिश्चिन्तता से मुक्त हों और जो अपनी बुद्धि विचक्षणता द्वारा बहुत आगे बढ़े हुए जन समाज को जिन जिन बातों का अनुभव हुआ हो उन सब का पहले से सिलसिला बांधने को लायक हुए हों उन उत्तरोत्तर निरंकुश राजाओं की श्रेणी अपनी प्रजा के लिये जो जो करने को शक्तिमान हो वह सब करने के लिये इस शासन कर्ता देश को समर्थ होना चाहिये । जंगली या अर्द्ध जंगली प्रजा पर स्वतंत्र जनता का तत्त्वतः परम उत्कृष्ट शासन इस प्रकार का है । इस तत्त्वतः परम उत्कृष्ट भावना को हमें अनुभव सिद्ध देखने की आशा न रखनी चाहिये;

परन्तु अगर राज्यकर्तागण कुछ कुछ इससे मिलती जुलती व्यवस्था अमल में न लायें तो उस जनता के सिर पर जो सब से बड़ा सात्विक कर्तव्य है उसके त्यागने के वे लोग अपराधी ठहरते हैं; और अगर वे इस तरह का उद्देश्य भी मन में न रखें तो वे सिर्फ राज्य लुटेरों हैं और उनके ऐसे अपराधी हैं जिनके लोभ और अत्याचार ने पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य जाति के बड़े समूहों के भविष्य में उथल पुथल कर डाली है ।

यह उन पिछड़े हुए देशों की अवस्था इस समय साधारण रीति पर ऐसी हो गयी है और सर्वत्र होती जाती है । वे या तो बहुत आगे बड़े हुए देश की सीधी ताबेदारी में हैं अथवा उनके सम्पूर्ण राजनीतिक अंकुश तले हैं, इससे इस नियम की किस प्रकार रचना की गयी हो कि यह अधीनस्थ प्रजा को अहितकारी के बदले हितकारी हो और उनको वर्तमान स्थिति में मिल सकने योग्य समय से श्रेष्ठ राज्यतंत्र प्राप्त हो तथा भविष्य में निरन्तर सुधार हाते रहने के लिये समय में अगुक्ल मौके मिलें इसकी अपेक्षा बहुत आवश्यक प्रश्न संसार की वर्तमान अवस्था में बहुत कम ही हैं । परन्तु जो लोग अपना राज्य स्वयं चलाने योग्य ह उनमें अच्छे राज्य प्रबन्ध के लिये चाही हुई शक्तें जिन मूर्खों से समझ में आयी हैं उन मूर्खों में इस उद्देश्यके अनुकूल आने योग्य राज्यतंत्र की योजना करने की पद्धति किसी तरह समझ में नहीं आयी है ।

ऊपर से देखने वालों को यह बात पूरी पूरी सहज लगती है । (दृष्टान्त के तौर पर) अगर हिन्दुस्थान अपना राज्य चलाने को योग्य नहीं है तो उसको जो जरूरत जान पड़ती है वह सिर्फ इतनी कि उसके ऊपर राज्य चलाने को एक मंत्री होना चाहिये, इस मंत्री को दूसरे सब मंत्रियों की तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होना चाहिये । दुर्भाग्य

यश यह पद्धति यद्यपि अधीनस्थ देश का प्रबन्ध करने की योजना में सब से सार्थक है, तथापि सब से खराब है; और अपने प्रशंसकों में अच्छे राज्यतंत्र की समझ का विलकुल अभाव दिखाती है। एक देश के लोगों की जवाबदेही तले उस पर राज्य करना और एक देश पर दूसरे लोगों की जवाबदेही तले राज्य करना ये दोनों बहुत भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। पहली व्यवस्था में जो उत्कृष्टता है वह यह है कि निरंकुश राज्य की अपेक्षा स्वतंत्रता अधिक पसन्द करने योग्य है। परन्तु दूसरी व्यवस्था तो खासा निरंकुश राज्य ही है। इस विषय में कुछ भी पसन्द का अवकाश है तो वह निरंकुश राज्यों के बीच में ही पसन्द का है; और यह कुछ निश्चय नहीं है कि दो करोड़ का निरंकुश राज्य कुछ या एक के निरंकुश राज्य की अपेक्षा अवश्य करके अधिक अच्छा होगा। परन्तु यह तो निश्चय ही है कि जो लोग अपनी प्रजा के सम्बन्ध में कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं देखते या कुछ नहीं जानते उनका निरंकुश राज्य, जो लोग सुनते हैं, देखते हैं और जानते हैं उनके निरंकुश राज्य की अपेक्षा खराब होने की अधिक सम्भावना है। साधारण तौर पर यह नहीं सोचा जाता कि राज्य के प्रत्यक्ष अधिकारी स्वयं दूसरे हजार तात्कालिक ध्यान देने योग्य जंजाल वाले अनुपस्थित मालिक के नाम पर राज्य करते हैं इससे वे अधिक अच्छा प्रबन्ध करेंगे। मालिक शायद उन पर सख्त जवाबदेही का बन्धन रखे और भारी सजाओं का दवाव डाले परन्तु इसमें बहुत सन्देह है कि वे सजाएँ बहुधा ठीक स्थान पर दी जायंगी।

राज्यकर्त्ता और प्रजा के बीच में जब आचार विचार में कुछ अतिशय भेद नहीं होता, तब भी एक देश पर दूसरे देश

के राज्य चलाने में हमेशा भारी कठिनाइयाँ पड़ती हैं और राज्य भी बहुत अपूर्णता से चलता है। विदेशियों से देशियों का एक दिल नहीं होता। कोई विषय हो जिस स्वरूप में उनके मन को दिखाई देता है और जिस तरह उनकी वृत्ति पर असर करता है उससे वे कुछ भी निर्णय नहीं कर सकेंगे कि वह तावेदार प्रजा की वृत्ति पर कैसा असर करेगा अथवा उनके मन को कैसा दिखाई देगा। देश का साधारण व्यवहार-कुशल मनुष्य जो बात प्राकृतिक ज्ञान से जानता है उसे विदेशियों को धीरे धीरे अभ्यास और अनुभव से और सब कुछ होने पर भी अपूर्णता से, सोमना पड़ता है। जिन नियमों, दम्नूरों और सामाजिक सम्बन्धों के विषय में विदेशियों को कानून बनाना पड़ता है उनसे वे बचपन से जानकार होने के बदले अनजान होते हैं। बहुत से सूक्ष्म विषय जानने के लिये उनको देशियों के कहने पर भरोसा रखना पड़ता है और उनको किस का विश्वास करना चाहिये यह जानना कठिन है। लॉग उनसे डरते हैं, उन पर सन्देह करते हैं और शायद नाराज होते हैं; मतलब बिना फौंडे उनके पास शायद ही आना है और उन लोगों को गुलाम की सी तावेदारी करने वाले को विश्वास-पात्र मानने की वृत्ति होती है। देशियों के धिझारने का भय उनकी तरफ से रहता है, और विदेशी जो कुछ करेंगे उसमें देशी के हित का उद्देश्य हो सकता है यह ध्यान मानने का भय देशियों की तरफ से होता है। किसी देश पर अच्छी रीति से शासन करने का ईमानदारी के साथ प्रयत्न करने वाले किसी विदेशी राज्यकर्ता को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनका यह सिर्फ एक भाग है। किसी कदर ही सही इनकी कठिनाइयों को दूर करने का काम हमेशा बड़ी मिहनत का होगा और उसमें प्रधान

प्रधान हाकिमों में बहुत ऊंचे दर्जे की बुद्धि की और अधीनस्थ हाकिमों में औसतन ऊंची बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे राज्यतंत्र की जिस व्यवस्था में उसके उद्योग का सब से अच्छा भरोसा मिले, उसके कार्य सामर्थ्य का सब से अच्छा विकास हो और उसकी सब से ऊंची बुद्धि का नमूना सब से अधिक विश्वास के स्थान पर डाला जाय वह सब से अच्छी व्यवस्था है। जिस सत्ता ने इनमें से कुछ भी मिहनत नहीं उठायी है, कुछ भी कार्य्य सामर्थ्य नहीं प्राप्त की है और अधिकांश में जानती भी नहीं कि दो में से एक की कुछ खास दर्जे तक जरूरत है उसके सामने जवाबदेही इन उद्देश्यों के साधने का बहुत प्रभावशाली उपाय नहीं गिनी जा सकती।

कोई जनता अपना राज्य प्रबन्ध चलावे इस में कुछ अर्थ और सच्चाई है; परन्तु एक जनता दूसरी का राज्य प्रबन्ध चलावे यह कोई चीज ही नहीं है और हो भी नहीं सकती। एक जनता दूसरी जनता को अपने लाभ के लिये एक मृगया-यन या शिकारगाह के तौर पर, एक धन बटोरने के स्थल के तौर पर अथवा अपने देशवासियों के लाभ के लिये काम करने योग्य मनुष्य पशु के क्षेत्र के तौर पर रख सकती है। परन्तु अगर राज्यतंत्र का ग्रास काम प्रजा का हित ही हो तो उस जनता का स्वयं उसकी सम्हाल रचना बिलकुल असम्भव है। यह ज्यादा से ज्यादा कर सकती है तो इतना ही कि उसकी सम्हाल रखने के लिये अपने कुछ सब से श्रेष्ठ मनुष्यों को नियुक्त कर दे; परन्तु उनका अपने देश का जनमत, जैसे उनका अपना कर्त्तव्य पालने में बहुत पथ प्रदर्शक नहीं हो सकेगा जैसे जिस तरह कर्त्तव्य पाला गया है उसके विषय में यथार्थ विचार भी नहीं कर सकेगा। अंगरेज जितना हिन्दुओं के कार्य-व्यवहार के, विषय में जानते

हैं और परवा करते हैं उसकी अपेक्षा वे अपने कार्य व्यवहारके विषय में कुछ भी अधिक जानते या परवा करते न हों तो उनके ऊपर कैसा शासन होगा इसका विचार हर कोई कर सकता है। इस तुलना में भी प्रश्न की स्थिति का पूरा पूरा विचार नहीं होता; क्योंकि जो जनता इस प्रकार राज्यनीति के विषय में बिल्कुल निस्पृहता रखेगी वह शायद जो हांगा उसे मौनभाव से स्वीकार करेगी और राज्यतंत्र को अपनी तरफ से अपना काम करने देगी। परन्तु हिन्दुस्थान के विषय में अंगरेजों के समान राजनीतिक उत्साह वाले लोग साधारण बेपरवाही के समय बीच बीच में हस्तक्षेप करते रहते हैं जिस पर भी लगभग हमेशा अयोग्य स्थान में ही। हिन्दुओं की समृद्धि या दरिद्रता, सुधार या बिगाड़ पैदा करने वाले वास्तविक कारण तो इतने दूर हैं कि उनपर उनकी नजर भी नहीं पहुँच सकती। उनको उन कारणों के होने का सन्देह होने पर भी ज्ञान नहीं है तब उनके असर के बारे में विचारने के लिये ज्ञान तो क्या हो सकता है? उनकी सम्मति बिना भी उस देश सम्बन्धी लाभों की अच्छी व्यवस्था हो सकती है और उनका कुछ भी ध्यान र्चाये बिना चाहे जितना प्रयत्न भी किया जा सकता है। मुख्य करके जो उद्देश्य उनको बीच में पड़ने और अपने अहत्तिया (एजेण्ट) के प्रयत्न पर अंकुश डालने को ललचाना है वह दो प्रकार का है। एक देशियों के गले में जहरदस्ती भी अंगरेजी विचार ढकेलना; जैसे धर्म बदलने का उपाय करके अथवा जाने या बेजाने लोगों की धार्मिक वृत्ति पर चोट पहुँचाने वाले कृत्य करके छात्रों या उनके मातापिता की खुशी से सरकारी विद्यालयों में बाइबिल सिखाने की जो चाल इस समय राज्य कर्त्ता देश में साधारण तौर पर चल रही है वह

इस प्रकार के बुविचार का शिदाप्रद दृष्टान्त है (और उसमें विशेषता यह है कि यह चाल चलाने वाले के मन में न्याय और समानता तथा असली श्रद्धा योग्य पुरुषों की तरफ से जितने की आशा की जा सकती है उतने निष्पक्षपात के सिवा दूसरा कोई भाव नहीं है) । युरोपियन विचार से देखने पर इसकी अपेक्षा दूसरी कोई बात अधिक उचित नहीं दिखाई दे सकती अथवा धर्म स्वातंत्र्य के सम्बन्ध में कम आपत्ति जनक नहीं मालूम हो सकती । एशियाई विचार से यह बात बिलकुल भिन्न है । कोई भी एशियाई जनता कभी यह नहीं मानती कि कोई भी राज्यतंत्र अपने तनखाहदार अधिकारियों को रखती और उनके सम्बन्ध की यंत्र सामग्री को चलाती है तो बिना किसी उद्देश्य के; और कोई एशियाई यह भी नहीं मानता कि कोई भी राज्यतंत्र जब कोई उद्देश्य रखता है तब वह निर्वल और निर्जीव न होने पर भी बीच से रुक सकता है । सरकारी विद्यालयों में शिक्षक क्रिस्तानी धर्म सिखावे तो फिर चाहे जितनी प्रतिशा की जाय कि वह सिर्फ उन्हीं को सिखाया जायगा जो अपनी खुशी से सीपना चाहेंगे और इसके चाहे जितने प्रत्यक्ष प्रमाण हों तो भी लड़कों के मा बाप यह कभी नहीं समझेंगे कि उनके लड़कों को क्रिस्तान बनाने के लिये अथवा अधिक नहीं तो, हिन्दू धर्म से भ्रष्ट करने के लिये अनुचित उपाय नहीं किये जाते । उनको अन्त में अपनी भूल समझने का मार्ग इतना ही रहेगा कि इस तरह चलने वाले विद्यालय किसी को पर धर्म ग्रहण कराने में सफली-भूत न हों । अगर शिदा ने अपना उद्देश्य साधने में तनिक भी सफलता पायी तो फिर सिर्फ सरकारी शिक्षा की उपयोगिता और उसके अस्तित्व में नहीं, धरंच राज्यतंत्र की दैरियत में भी खलल आ पड़े । धर्म भ्रष्ट होने से इनकार

करने वाले किसी प्रोटेस्टेंट अंगरेज को अपना लड़का रोमन कैथलिक विद्यालय में भेजने को सहज ही उकसा नहीं सकते; आइरिश अपने लड़कों को उस विद्यालय में नहीं भेजेंगे जहाँ प्रोटेस्टेंट बना सकते हैं; और तिस पर भी हम आशा रखते हैं कि हिन्दू जो यह मानते हैं कि सिर्फ शारीरिक दोष भी हिन्दू धर्म के हक से पतिन कर सकता है, वे अपने लड़कों को क्रिस्तान हां जान के जोपिम में भेजेंगे !

राज्यकर्ता देशका जनमत उसके नियुक्त किये हुए लाट (गवर्नर) के'वर्ताव पर हितकारक के बदले अधिक हानिकारक असर डालने की तरफ झुकता है, उसकी एक रीति ऐसी है। दूसरे विषयों में, जहां उस से मय में अधिक दृढ़ता पूर्वक हस्तक्षेप करने को कहा जायगा वहां उसके ऐसा करने की सय से अधिक धार सम्भावना है, और ऐसी फरमाइशों में अंगरेज प्रवासियों के कुञ्च लाभ की बात होगी तो उसी लाभ के पक्ष में होने के लिये अंगरेज प्रवासियों के स्वदेश में मित्र होते हैं, उन्हें अपने विचार जताने के साधन होते हैं और उसके सामने आने का मार्ग उनके लिये खुला होता है; उनका स्वदेशी के साथ एक भाषा और एक भाव होता है। यदि प्रत्येक अंगरेज की फरयाद की तरफ कुञ्च जान यूक्त कर अनुचित पक्षपात न भी किया जाय तो भी उसकी तरफ अधिक सहानुभूति से ध्यान दिया जाता है। अथ अगर कोई बात सय प्रकार के अनुभव से ग्राहित हुई है तो यह यह है कि जब एक देश दूसरे देश के तावे होता है तब राज्यकर्ता देश के जां मनुष्य उस अधीन देश में धन कमाने जाते हैं उन को और सय की अपेक्षा कड़े अंकुश में रखने की विशेष आवश्यकता है। राज्यतंत्र को जो जो कठिनाइयां पड़ती हैं उनमें उनके सम्बन्ध की हमेशा एक मुख्य होती है। वे विजेता

जाति की धाक से बलवान और तिरस्कारी अभिमान में चूर रहते हैं इस से उनकी वृत्तियां निरंकुश अधिकार से उत्तेजित रहती हैं, और उनको उसकी जवाबदेही का कुछ विचार नहीं रहता । हिन्दुस्थान की सी जनता में बलवान से निर्वल की रक्षा करने के लिये राज्याधिकारियों का सारा-परिश्रम भी यथेष्ट नहीं है; और सब बलवानों में प्रवासी युरोपियन सब से बलवान हैं । जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति के बुरे असर की रुकावट व्यक्ति विरोध की प्रकृति से बहुत विलक्षण रीति पर, नहीं हांती, वहाँ वे उस देश वालों को पैर तले की धूल बराबर समझते हैं । देशियों का चाहे जैसा हक उनकी सब से हलकी फरमाइश को भी रोके तो उनके लिये बस प्रलय हो जाती है; किसी व्यापारिक कारण से उनकी तरफ से कुछ अधिकार का प्रयोग उपयोगी जंचे और उसके विरुद्ध देशियों की सिर्फ रक्षा का उपाय किया जाय तो उसके विरुद्ध भी वे ऐसी चिल्लाहट मचावेंगे मानो अत्याचार हो रहा है और उसको ऐसा ही समझेंगे भ॥ उनकी सी स्थिति में ऐसी मनोवृत्ति ऐसी स्वाभाविक है कि अब तक राज्यकर्ता अधिकारियों की तरफ से उसको उत्तेजन नहीं मिला तिस पर भी यह असम्भव है कि यह जोश हमेशा कमोवेश फूट न निकले । इस जोश से सरकार स्वयं रूढ़ित हो तो भी यह अपने जिन मुल्की और फौजी अफसरों पर स्वतंत्र प्रवासियों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव रखती है उनमें से जवान और अनुभव शून्य मनुष्यों के इस जोश को भी वह पूरे तौर पर दवाने को कभी समर्थ नहीं होती । हिन्दुस्थान में जैसा अंगरेजों के विषय में है वैसा ही विश्वासदायक साक्षी के अनुसार अलजिरियस में फ्रांसिसियों के विषय में है; वैसा ही मेक्सिको के जीते हुए प्रदेशों में अमेरिकनों के विषय में है और

ऐसा जान पड़ता है कि चीन में युरोपियनों के विषय में ऐसा ही होगा और जापान में भी ऐसा ही आरम्भ हो चुका होगा।^१ दक्षिण अमेरिका में स्पेनियाडों के विषय में कैसा था यह याद करने की जरूरत नहीं है। ये स्वतंत्र अनुसंधानकारी, जिस राज्यतंत्र के अधीन होते हैं वह इन माहसियों से अधिक अच्छा होता है और उनमें यथा साध्य देशियों की अधिक रक्षा करता है। मि. हेल्फर्स के शिक्षाप्रद इतिहास के प्रत्येक पाठक को विदित है कि स्पेनिश सरकार भी यद्यपि निष्फल हुई थी तथापि मद्य और उन्कगटा से ऐसा करती थी। स्पेनिश सरकार अगर स्पेनिश लोकमत के सामने जवाबदेह होती तो ऐसा प्रयत्न कर सकती कि नहीं यह सन्देह की बात है। स्पेनियाडों ने अवश्य ही मूर्तिपूजकों को नहीं, बरन्व अपने किम्बान मित्र और भाइयों का ही साथ दिया था। शासक देश की जनता शासित देश के अधिकारियों की बात पर नहीं, बरन्व अपने प्रवासियों की बात पर ध्यान देती है; निःस्पृह और बेपरवा जनमत पर दृढ़ता पूर्वक दबाव डालने का साधन है परन्तु वह साधन अकेले प्रवासियों को होने से उन्हीं की बात का माना जाना सम्भव है। विदेशियों के प्रति अपने देश के यत्न के विषय में दूसरे किसी देश के लोगों की अपेक्षा अंगरेजों को जो अधिक संदिग्ध खूबमता से जांच करने की टेव है उन्को वे बहुधा सरकारी हाकिमों की तरफ सरते हैं। राज्यतंत्र और स्वतंत्र पुन्य के बीच के सब प्रश्नों में हर एक अंगरेज अपने मनमें यह सोच लेना है कि भूल राज्यतंत्र की है। और जब प्रवासी अंगरेज अपने हमले के विरुद्ध देशियों की रक्षा के

१. जापान अब सब प्रकार से स्वतंत्र देश है यहां किसी युरोपियन की दाव नहीं करने की।

लिये बंधे हुए किसी बुर्ज पर राजनीतिक युद्ध के बंधों की मार शुरू करते हैं तब यद्यपि कार्य कारिणा सभा को कुछ अधिक अच्छे परिणाम की मंद परन्तु असली इच्छा होती है तथापि उसको विवादग्रस्त विषय का बचाव करने की अपेक्षा उसे छोड़ देना अपने पार्लिमेण्ट सम्बन्धी स्वार्थ के लिये साधारण तौर पर अधिक निरापेक्ष जान पड़ता है और विशेष नहीं तो कम कष्ट दायक लगता ही है ।

अधिक पराधी यह है कि जब अधीन जनता या जाति की तरफ से न्याय और परोपकार के नाम पर सार्वजनिक मन की सेवा में प्रार्थना की जाती है (और अंगरेज मन के लिये प्रशंसा की बात है कि वह प्रार्थना सुनने को बहुत तत्पर रहता है) तब भी उसके असली निशाना चूकने की उतनी ही सम्भावना है । क्योंकि अधीन जनता में भी पीड़क और पीड़ित होते हैं— प्रबल पुरुष या वर्ग और उनके पैलतले पड़े हुए गुलाम । इनमें से जिनको अंगरेज जनता के सामने हाजिर होने का साधन है वे दूसरे नहीं बरंच पहले हैं । एक अत्याचारी या लंपट को जिसकी सत्ता उसके दुरुपयोग करने से छीन ली गयी है और जो सजा होने के बदले पदले कभी न नसीब हुए बहुत धन और दबदबे में पलता है; और असाधारण हक भोगने वाले जमींदारों के दल को, जो या तो सरकार उन की जमीन पर लगान का जा हक रखती है उसे छोड़ा देना चाहता है अथवा उसके जुल्म से जने ससूह की रक्षा के लिये किये हुए किसी प्रयत्न पर उसे अन्याय्य समझ कर क्रोध भी करता है—इन लोगों को ब्रिटिश पार्लिमेण्ट और समाचार पत्रों में स्वार्थी या लहरी पक्षपाती प्राप्त करने में कुछ कठिनाई नहीं पड़ती । करोड़ों गूने मनुष्यों को कोई पक्षपाती नहीं मिलता ।

ऊपर की आलोचना जिस एक नियम का, स्पष्टीकरण

करती है (जिम्मेको मुश्किल से कोई जानता होगा परन्तु अगर जानता होता तो एक प्रत्यक्ष नियम कहलाना) यह यह है कि जहाँ प्रजा के सामने की जिम्मेवारी अच्छे राज्य प्रबन्ध की सब से बड़ी जमानत है वहाँ दूसरे किसी के सामने की जिम्मेवारी में ऐसा कोई कम्ब नहीं रहता इतना ही नहीं, वरञ्च उमका जितना हित उतना ही अहित होने की सम्भावना है । हिन्दुस्थान के ब्रिटिश राज्यकर्ता की ब्रिटिश जनता के सामने की जिम्मेवारी जो उपयोगी है वह मुख्य करके इतने के लिये कि जब राज्य तन्त्र के किसी कृत्य के विषय में प्रश्न उठता है तब उसके कारण उमको प्रसिद्धि और चर्चा होने का भगना रहता है; इस प्रसिद्धि और चर्चा के उपयोगी होने के लिये यह कुछ जरूरी नहीं है कि सारी जनता उम विवादग्रस्त विषय का समझे, परन्तु उसमें से सिर्फ कुछ मनुष्य समझे यह काफी है क्योंकि यह जो सिर्फ एक मानविक जिम्मेवारी है वह सारी जनता के साथ ही नहीं वरंच उममें जो निर्णय करने का समर्थ होते हैं उन - कि विशेष के सामने की जिम्मेवारी होने से अभिप्राय की जैसे गिनती हो सकती है जैसे वजन भी हो सकता है और आलोच्य विषय में अच्छे प्रयोग एक पुरुष को पसन्द या नापसन्द, उम विषय में कुछ न जानने वाले हजारों को पसन्द या नापसन्द को अपेक्षा अधिक बटनदार गिनी जा सकती है । प्रत्यक्ष राज्य कर्ताओं पर बेशक यह एक उपयोगी अद्भुत है कि उनको अपनी सफाई देने का वाध्य कर सकते हैं और यद्यपि न्याय पश्चात् का बड़ा भाग शायद किसी कदर ऐसी घराय राय देगा कि उसकी अपेक्षा न देना अच्छा है; तो भी उसमें से दो एक अभियुक्तों के विषय में स्वीकार करने योग्य ही राय कायम करेंगे । हिन्दुस्थानी राज्यतन्त्र पर ब्रिटिश पार्लोमेंट

और जनता जो अद्भुत चलाती है उससे हिन्दुस्थान को, जैसा कि है, इतना लाभ होता है ।

अङ्गरेज जनता हिन्दुस्थान जैसे देश के प्रति अगर अपना कर्त्तव्य पालन कर सकेगी तो उस पर सीधे तौर पर राज्य करने का प्रयत्न करने से नहीं, बरञ्च उसको अच्छे शासन कर्त्ता देने से । और वह उसको अंगरेज मन्त्री दल के मन्त्री की अपेक्षा अधिक धराय मनुष्य शायद ही दे सकती है । क्योंकि वह मन्त्री जो बात सोचता है वह हिन्दुस्थानी राज्य-नीति की नहीं बरञ्च अङ्गरेजी राज्यनीति की, वह अपने पद पर इतनी लम्बी मुद्दत तक शायद ही रहता है कि ऐसे जटिल विषय में समझ बूझ कर मन लगावे और उस पर पार्लामेंट में दू-तीन या चार वक्ताओं का कृत्रिम सङ्घ किया हुआ जनमत, असली की तरह जबरदस्त प्रसर करता है; परन्तु वह ऐसी शिक्षा या स्थितिपर कभी अधिका नहीं रखता कि अपना स्वतन्त्र प्रामाणिक अभिप्राय बांधने की रुचि या शक्ति रखे । एक स्वतन्त्र देश अपने ही शासन मण्डल की एक शाखा द्वारा, एक भिन्न प्रकृति की जनता से बसे हुए दूरके अधीन राज्य पर शासन करने का प्रयत्न करे तो वह प्रायः निष्फल होगा । जिस पद्धति को कुछ भी ठीक सफलता मिलना सम्भव है वह यह है कि उसी मुकाबले के स्थायी व्यवस्था मण्डल को राज्य चलाने का काम सौंपा जाय और राज्य के परिवर्तनीय शासनमण्डल के हाथ में सिर्फ़ देख रेख और रोकने का अधिकार रखा जाय । हिन्दुस्थान के सम्बन्ध में ऐसा मण्डल * विद्यमान था और मुझे भय रहता है कि जिस संकीर्ण दृष्टि की राज्यनीति ने इस राज्यतन्त्र का बचा हुआ

* पिट के १७८४ के हिन्दुस्थानी बिल से स्थापित और १८५८ के

पहिया दूर किया है उसके कारण हिन्दुस्थान और इङ्ग्लैण्ड दोनों को सख्त सजा भोगनी पड़ेगी ।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे व्यवस्था मण्डल में अच्छे राज्य शासन के लिये वाञ्छित सब गुण नहीं हो सकेंगे और सब से बढ़ कर यह कि प्रजा के स्वार्थ के साथ सम्पूर्ण और सदा गुणकारी पैक्य—जो वहाँ भी मिलना मुश्किल है, जहाँ की प्रजा किसी अंश में अपने प्रबन्ध को सम्हाल रखने के लायक हुई रहती है—विद्यमान नहीं होगा । पसन्द सिर्फ अपूर्णताओं के बीच से करना है । करना यह है कि राजकर्त्ता मण्डल का ऐसा गठन हो कि इस स्थिति की सारी कठिनाइयों में उसका अच्छे राज्य प्रबन्ध में यथा साध्य अधिक और घुरे में यथा साध्य कम स्वार्थ रहे । अब ये अवस्थाएँ मध्यमण्डल में सब से अच्छी विद्यमान मालूम होती हैं । सीधे शासन की अपेक्षा खास नियुक्त व्यवस्थामण्डल के शासन में हमेशा यह लाभ है कि उसको अपनी अमलदारी की प्रजा के सिवा दूसरे किसी के प्रति कर्त्तव्य पालने को बिल्कुल कुछ नहीं रहता—उस को इस के सिवा दूसरे किसी के लाभ का विचार करना नहीं रहता । कुशासन से लाभ लेने का उस की सत्ता असाधारण रीति से घटाया जा सकती है; ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सब से अन्तिम गठन में इसी तरह घटाया गया था । फिर वह दूसरे किसी के व्यक्तिगत या श्रेणीगत स्वार्थ के बन्धन से पूर्णतया मुक्त रखा जा सकता है । जहाँ हमारा शासन मण्डल और पार्लिमेण्ट अपने हाथ में मौजूद अन्तिम सत्ता का अमल करने में

कानून से बन्द हुआ बोर्ड आफ कण्ट्रोल (अकुशमण्डल) जो पार्लिमेण्ट की जिम्मेवारी तबे शासन करता था ।

ऐसे पक्ष हेतुओं से खिंचती है तब मध्यमएडल शाही न्याया-सन के सामने अधीनस्थ राज्य का घकील और बांधधर बना रहता है । फिर मुख्य कर के जिन पुरुषों से यह मध्य मएडल स्वाभाविक तौर पर बना होता है उनको अपने देश कार्यके इस विभाग का व्यवहारी ज्ञान मिला होता है और वह उसी स्थल में मंजा हुआ होता है तथा वे अपने जीवन के मुख्य धंधे के तौर पर उसका प्रबन्ध चलाये रहते हैं । उनमें यह गुण होनेसे और उनको स्वदेश की राजनीति के बल से अपना ओहदा छोड़ने को लाचार होने की सम्भावना न रहने से, वे अपने ऊपर अर्पित खास अधिकार में ही अपनी टेक और प्रतिष्ठा समायी हुई समझते हैं, और अपने प्रबन्ध की सफलता में तथा जिस देश पर वे शासन करते हैं उसकी उन्नति में उनका जितना दृढ़ भाव रहता है उतना मंत्री सभाके सभासद को वह स्वयं जिस देश की नौकरी बजाता है उस (स्वदेश) के सिवा दूसरे किसी देश के अच्छे राज्य प्रबन्ध में होना सम्भव नहीं । प्रत्यक्ष प्रबन्ध करनेवालों की पसंद जिस कदर इस मएडल के हाथ में रहती है उसी कदर नियुक्ति पक्ष और पार्लिमेण्ट के सट्टे के भंवर से बची रहती है और पक्षकर्त्ताओं को बदला देने के लिये तथा जो दूसरी तरह प्रतिपत्ती हो जायं उनको गरीब लेने के लिये राज्यानुग्रह का दुरुपयोग कराने वाली वृत्तियां जिन साधारण ईमानदारी वाले राजनीतिक पुरुषों के मन में सब से योग्य पुरुषों को नियुक्त करने के कर्त्तव्य के प्रामाणिक हौसले की अपेक्षा, हमेशा प्रबल रहती हैं, उनकी सत्ता से मुक्त रहती है । इस वर्ग की को हुई नियुक्ति को यथा साध्य बाधा न पहुंचने देना स्वदेश में दूसरे सब विभागों को पहुंचने वाली सब से बराब हानि रोकने की अपेक्षा अधिक आवश्यक है; क्योंकि दूसरे किसी विभाग में अगर हाकिम

नालायक होता है तो उसको जनता का साधारण मत किसी कदर बताता है कि कैसा बर्ताव करना चाहिये; परन्तु जिस अर्थात् देश के निवासी अंकुशसत्ता अपने हाथ में रखने के लायक नहीं हैं उसको राज्य प्रबन्ध के स्वरूप का सम्पूर्ण भरोसा पृथक पृथक प्रबन्धकर्त्ताओं के सांख्यिक और मानसिक गुणों पर ही रहता है ।

हिन्दुस्थान सरीखे देश में प्रत्येक विषय का भरोसा राज्य-तंत्र के अद्वितीयों (एजेण्टों) के व्यक्तिगत गुरु और शक्ति पर रहता है यह बात जितनी बार कहें कम है । यह सत्य हिन्दुस्थानों राज्यतंत्र का प्रधान तन्त्र है । जिस दिन यह बोझ जायगा कि जो अभिमतवाले ओहदों पर सुबोते के ख्याल ने मनुष्य नियुक्त करने का विधान—जो इंग्लैण्ड में बड़ा भारी दोष हो गया है—हिन्दुस्थान में निर्भयता से जागी किया जा सकता है उस दिन से वहाँ हमारे साम्राज्य के अंत का आगमन होगा । सब से श्रेष्ठ उमेदवार पसंद करने का विचार हो तो भी योग्य पुण्य प्राप्त करने के लिये अकस्मात्पण भरोसा रखना ठीक नहीं होता । उनको तय्यार करने का उद्देश्य शान्त-पद्धति में ही मौजूद होना चाहिये । अब तक नैसा ही हुआ है । इसी से हिन्दुस्थान में हमारा राज्य टिकता है और अच्छे प्रबन्ध के विषय में बहुत फुर्तीला न होने पर भी निरन्तर सुधार की जड़ हुआ है । अब इस पद्धति के विरुद्ध इतनी बड़ी चिन्ताहट मचायी जाती है और इनको उलट देने के लिये इतनी बड़ी आतुरता दिग्यायी जाती है कि नानों राज्यतंत्र के हाकिमों को अपने काम में गिज्ञा और अभ्यास करना बिलकुल विवेक विरुद्ध है, वे सुनियाद की बात है और अज्ञान तथा वे-अनुभव के हक के मार्ग में अनुचित रुकावट है । जो लोग अपने यहाँ के सम्यन्धियों के लिये अत्यन्त दर्जे का सौदा

करने की इच्छा रखते हैं और जो अब हिन्दुस्थान में ही रह कर नौल की कोठी से या घकील के अफिस से न्याय प्रबन्ध करने वालों या करोड़ों मनुष्यों की तरफ से सरकारी लहने की रकम मुर्कर कर देने के ओहदों पर चढ़ बैठने का दावा करते हैं उन दोनों के बीच में चुपके चुपके गुट है । जिस मुल्की नौकरी (सिविल सर्विस) के 'इजारा' की इतनी बड़ी निन्दा हो रही है वह न्याय शास्त्रियों के हाथ में न्यायासनके इजारे जैसा है, और यह इजारा रद्द करना उस प्रथम आगन्तुक के लिये वेस्टमिनिस्टर हाल का न्यायासन खुला रखने के समान है जिसके विषय में उसके मित्र भरोसा दिलायें कि वह समय समय पर (इंग्लैण्ड के प्रख्यात न्यायाधीश) ब्लैकस्टोन की और तक भाँक लगाता रहा है । अगर नीचे के दफतरों में रहकर अपना काम सीपे बिना ऊँचे दफतरों में दाखिल हो जाने के लिये इस देश से मनुष्य भेजने या उनको जाने के निमित्त उत्साहित करने का मार्ग कभी स्वीकार किया गया तो फिर बिना देश या काम सम्बन्धी भाव के, बिना किसी व्यवहारी अनुभव के, और बिना किसी अगले शान के बन्धन के सिर्फ तेजी से धन बटोर कर स्वदेश लौटने की आतुर स्काच भाइयों और प्रवासी जवानों के हाथ में सबसे जरूरी ओहदे जा पड़ेंगे । जिनके हाथ से शासन हो वे सिर्फ उमेदवार के तौर पर जवानी में भेजे जायँ, सीढ़ी के पहले डण्डे से चढ़ना आरम्भ करें और उचित मुहत्त के बाद अपनी योग्यता साधित कर के उस के अनुसार बहुत ऊँचे चढ़ें या न चढ़ें; इस में देश की कुशल है । ईस्ट इण्डिया कम्पनी की पद्धति में यह श्रुति थी कि यद्यपि सब से जरूरी जगहों के लिये साधधानी के साथ सब से अच्छे मनुष्य ढूँढ़ लिये जाते थे तथापि अगर कोई हाकिम

नौकरों पर म्पार्थी रहता तो मझले चतुर की तरह सब में कम चतुर भाँ आगे पीछे किसी न किसी रीति में उन्नति पाना जाता था । ऐसे अधिकारों नष्ट होने में कम योग्यता वाले भी अपने काम में शिक्षित और ऊपर वाले की देख रेख और सत्ता तले विरोध नहीं तो ये आदरक हुए दिना अपना कर्त्तव्य पालने आने वाले मनुष्य थे । परन्तु इस में हानि बढने पर भाँ बहुत था । जो मनुष्य सहकारी के काम में बढ़ कर काम करने योग्य नहीं होता उसे अपनी सारी जिन्दगी सहकारी रहना चाहिये और उसमें नये मनुष्यों को उसके ऊपर चढ़ाना चाहिये । हिन्दुस्थान मन्वन्त्रों नियुक्ति का पुरानी पद्धति में इस अर्थवाद के सिवा उसकी कोई अमली ब्रिटि में जानने में नहीं है । मूल उमेदवारों को अढ़ा ऊपरी की परीक्षा में पसन्द करने का जो सबसे बड़ा सुधार होने लायक था वह हो चुका और इसमें अधिक ऊँचे दर्जे का उद्योग और शक्ति प्राप्त करने का जो लाभ है उसके सिवा यह गुण मौजूद है कि ओहदों के उमेदवारों और उरु ओहदे देने में जितका योग्यता का हक है उनके बीच में अन्वयक हो सकने के सिवा दूसरा कोई निजका मन्वन्त्र नहीं होता ।

जिन ओहदों में साम हिन्दुस्थान संस्थाँ ज्ञान और अनुभव चाहिये उनपर जो हाकिम इस प्रकार चुने गये हो और शिक्षित हो वेदान उन्हीं का स्वतंत्र हक रचना किसी तरह अनुचित नहीं है । नीचे की नौकरियों पर रहे दिना ऊँची नौकरियों पाने का एक भाँ द्वार, सामयिक कार्य के लिये भी, उहाँ म्पाना गया कि फिर वर्मानेवाने मनुष्य उसकी इस तरह प्रवृत्ताना शुरू करेंगे कि उसे कभी बंद म्पना अमन्वय हो जायगा । सिर्फ सपने ऊँची नियुक्ति ही एक अर्थवाद रूप रहनी चाहिये । ब्रिटिश हिन्दुस्थान का यह प्रतिनिधि

(वाइसराय) राज्य प्रबन्ध में अपनी महान साधारण शक्ति रखने वाला होने के लिये सब अंगरेजों में से चुना हुआ पुरुष होना चाहिये । यह शक्ति अगर उसमें होगी तो उसको जो स्थानिक व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान पाने का और राय कायम करने का व्यक्तिगत प्रसङ्ग नहीं मिला होगा उसकी विद्यमानता की दूसरों में परीक्षा कर वह अपने उपयोग में लाने को समर्थ होगा । राज प्रतिनिधि (अपवाद रूपी प्रसङ्गों के सिवा) किस लिये नियमित नौकर श्रेणी का मनुष्य न होना चाहिये, इसके लिये अच्छे कारण हैं । सब नौकर श्रेणियों में न्यूनाधिक वर्गीय विकार घुसा रहता है और सर्वोपरि राज्यकर्त्ता को उससे मुक्त होना चाहिये । फिर जो मनुष्य अपनी जिन्दगी पशिया में बिताये रहते हैं वे चाहे जैसे समर्थ और अनुभवी हों तो भी उनमें साधारण राज्यनीति सम्बन्धी सब से आगे बढ़े हुए युरोपियन विचार होने की इतनी बड़ी सम्भावना नहीं रहती । और मुख्य शासन कर्त्ता को यह विचार अपने साथ ले जाकर हिन्दुस्थानी अनुभव के परिणाम में मिला देना चाहिये । फिर उसके भिन्न वर्ग का होने से और खास करके अगर भिन्न सत्ता ने उसको पसन्द किया होगा तो उस को हाकिमों की नियुक्ति में गड़बड़ करने योग्य शायद ही किसी तरह की पक्षपात वृत्ति होगी । राजा और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सम्मिलित प्रबन्ध में ईमानदारी से राज्याश्रय देने की यह भारी जमानत, असाधारण सम्पूर्णता में, मौजूद थी । अधिकारके सर्वोपरि विभाजक, गवर्नर जनरल और गवर्नरों को प्रत्यक्ष रीति से न हो तो भी असल में राजा अर्थात् सामान्य राज्यतंत्र नियुक्त करता था, मध्यमएडल नहीं । और इससे राजा के एक महान अधिकारी को स्थानिक नौकर वर्ग से व्यक्तिगत

या राजनीतिक रीति से कुछ सम्यन्ध होने की सम्भावना नहीं रहती थी। परन्तु मध्य व्यवस्था मण्डल का जिसमें प्रभुत करके उस देश में स्वयं नौकरी कर आये हुए मनुष्य रहते थे, ऐसा सम्यन्ध था और रहने की सम्भावना थी। यद्यपि सरकार के मुल्की नौकर सिर्फ नौकरी के उमेदवार के तौर पर बचपन से ही भेजे जाते हैं तो भी अगर जो सामाजिक वर्ग राज प्रतिनिधि और गवर्नर संग्रह कर देता है उस वर्ग की तरफ से उनकी कुछ बड़ी संख्या संग्रह कर देने का समय आवे तो निष्पक्षपात की यह जमानत बहुत कमजोर पड़ जाने के समय चढ़ा ऊपरी की प्राथमिक परीक्षा भी अधूरी जमानत हो जायगी। सिर्फ अज्ञान और अशक्ति ही बातिल रहेंगी; कुलवान तरुणों को भी दूसरों की तरह शिक्षा और बुद्धिमानी के साथ आरम्भ करने को लाचार होना पड़ेगा और सब से जड़ पुत्र जैसे धर्मोपदेशक मण्डल में दाखिल किया जा सकता है वैसे हिन्दुस्थानी नौकरी में नहीं दाखिल किया जा सकेगा। परन्तु पीछे का अयोग्य पक्षपात रोकने वाला तो कुछ नहीं रहता। उस समय से सब नौकर अपने भाग्योदय के निर्णायक से एक समान अनजान या अपरिचित नहीं रहेंगे वरंच उनका खास विभाग निर्णायक से निकट वाला निज का सम्यन्ध रक्षता होगा और इसकी अपेक्षा बड़ी संख्या राजनीतिक सम्यन्ध वालों की होंगी। खास कुटुम्ब के मनुष्य और साधारण तौर पर उच्च श्रेणी के और बसालेवाले मनुष्य अपने प्रतिद्वन्द्वियों की अपेक्षा अधिक फुर्ती से बढ़ेंगे और बहुधा वे जिन जगहों के लायक न होंगे उन जगहों पर डंटे रहेंगे अथवा जिसके लिये दूसरे अधिक लायक होंगे उस जगह पर नियुक्त होंगे। जो सही सिफारिश सेना में ऊंचा ओहदा दिलाने में चलती है उसका यहाँ भी आरम्भ होगा और जो लोग इस सैनिक

नियुक्ति को भी पक्षपात रहित मानेंगे वे भोले मन के चमत्कारी नमूने होंगे । और वे ही हिन्दुस्थान की ऐसी नियुक्तियों में निष्पक्षपात की आशा रखेंगे । मुझे भय है कि हाल की पद्धति में चाहे जैसा साधारण उपाय लगा दें उस से यह दोष दूर होना सम्भव नहीं है । दुगुने राज्यतंत्र के नाम से परिचित राज्य प्रबन्ध में जो जमानत पहले आप ही आप आ मिलती थी उस से तुलना करने योग्य दरजे की जमानत ऐसे किसी उपाय से नहीं मिल सकेगी ।

अंगरेजी शासन पद्धति के बारे में हमारे देश में जो विषय इतना बड़ा लाभ गिना जाता है वह हिन्दुस्थान में एक दुर्भाग्य रूप होगया है । और वह बात यह है कि राज्यपद्धति पहले से निर्धारित उद्देश्य से नहीं बरंच समयोचित उत्तरोत्तर उपाय करने से, और मूल भिन्न हेतु के लिये कल्पित यन्त्र सामग्रो को उसके साथ जोड़ देने से, आप ही आप उत्पन्न हुई है । जिस देश का प्रबन्ध करना था उसकी जरूरतों में से उत्पन्न हुआ न रहने से उसका व्यावहारिक लाभ उस देश के ठीक ठीक अनुकूल नहीं आया । और इस से अगर उसमें कुछ मूलतत्त्व सम्बन्धी गुण रहा होता तो वह स्वीकार करने योग्य हो जाता । दुर्भाग्य वश उसमें असली श्रुति इन गुणों की ही थी; क्योंकि राज्य नीति सम्बन्धी साधारण सिद्धान्तों के अपने-सब आवश्यक तत्त्वों में प्रस्तुत प्रसंग से भिन्न भिन्न स्थितियों के लिये बंधे होने से उन में ऐसे गुण नहीं मिल सके । परन्तु मनुष्य क्रिया की दूसरी शाखाओं की तरह राज्यतंत्र के विषय में प्रायः समस्त स्थायी मूलतत्त्वों की पहली सूचना साधारण प्राकृतिक नियमों के किसी खास खास प्रसङ्ग में कुछ नवीन या पहले से ध्यान में न चढ़ी हुई स्थिति संयोग में बर्तते हुए

देख पाने से हुई है । जो राज्यतंत्र सम्बन्धी सिद्धान्त, हालमें कुछ पीढ़ियों से, अच्छे और बुरे रास्ते से, यूरोप के राष्ट्रों में राजनीतिक उत्साह का पुनरुद्धार करते रहते हैं उनमें अधिकांश सूचित करने का यश ग्रेट ब्रिटेन और युनाइटेड स्टेट्स के राज्यतंत्रों को है । अधीनस्थ अर्द्ध जंगली देश पर सभ्य-देश के शासन के असली सिद्धान्त सूचित करने को और सूचित करने का याद मिट जाने को ईस्ट इण्डिया कम्पनी का राज्यतंत्र बना था । अगर और दो या तीन पीढ़ी याद हिन्दु-स्थान में हमारी सत्ता के फल स्वरूप सिर्फ यह तार्किक परिणाम ही रहे; अगर भविष्य की सन्तति हमारे लिये यह कहे कि हमारी बुद्धिमानी जो किसी तरह नहीं कर सकती उससे अधिक अच्छी व्यवस्था अफसमान हाथ लग जाने के बाद, हमने अपनी जागृत विवेक शक्ति का प्रथम उपयोग किया तो उसका नाश करने में; और जो हित सम्पादन होने के मार्ग पर पड़ा था उसको अपने आधारभूत मूलतत्त्वों के अज्ञान से लय होकर अदृष्ट होने देने में; तब देवगति विलक्षण समझना । ईश्वर सहा करे परन्तु अगर इंग्लैण्ड और सभ्यता दोनों को लज्जित करनेवाला परिणाम रोंवा जा सकता है तो यह काम सिर्फ अंगरेजी या यूरोपियन अभ्यास से मिल सकने की अपेक्षा अधिक विशाल भावनाओं के योग से और हिन्दुस्थानी अनुभव का तथा हिन्दुस्थानी राज्यतंत्र की अवस्थाओं का जो अभ्यास अंगरेज राजनीतिक पुरुषों ने अथवा जो अंगरेज जनता को मत संग्रह करते हैं उन्होंने अथवा सिर पर लेने की इच्छा प्रगट की है उसकी अपेक्षा कहीं अधिक गहरे अभ्यास द्वारा किया जा सकेगा ।

समाप्त ।

राजनैतिक पुस्तकें ।

स्वराज्य (Home Rule) क्या वस्तु है, इसके बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसकी चारों तरफ धूम मची हुई है, इसके अंग प्रत्यंगों की विशेष जानकारी के लिए ये पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। पत्येक भारतवासी को इन्हें देखना चाहिये।

| | |
|---|--|
| स्वराज्य क्यों चाहते हैं ७॥ | राष्ट्रनिर्माण ७॥ |
| हिंदुस्तान का माँग ७ | धर्म और राजनीति ७॥ |
| लोक० तिलक के स्वराज्य पर तीन व्याख्यान ३) | कर्मवीर गांधी का स्वराज्य पर भाषण ७॥ |
| स्वराज्य विचार ३) | देवी घसत का संदेश ७ |
| स्थानिक स्वराज्य ७॥ | राष्ट्रीय स्वराज्य ७॥ |
| राज्य की योग्यता १॥ | शिक्षा में स्वराज्य ७ |
| Towards Home Rule का अनुवाद) | ३२ शं० कांप्रेस की अध्यक्षता श्रीमती पनीवीसंन्ट का भाषण ७) |
| संदेशाभिमान ७) | कर्मवीर गांधी के लेख और व्याख्यान १॥ |
| Case for Indian Home Rule का हिन्दी अनुवाद १) | हमारे जेल के अनुभव ७) |
| हम स्वराज्य क्यों चाहते हैं १) | स्वराज्य की कसौटी ३) |
| स्वराज्य की व्याख्या ३) | स्वराज्य ७॥ |
| स्वराज्य की आवश्यकता ३) | स्वराज्य का संदेश ७ |
| स्वराज्य संगीत ३) | हमारा भीषण हास ३) |
| स्वराज्य नाद ७) | देवी जोन ७) |
| शृंगार तिलक ७॥ | |

पता—मैनेजर साहित्य-सरोज-माला कार्यालय,
Po. काशी R. S बनारस ।

| | | | |
|-------------------------|------|------------------------------|------|
| आरोग्य दिग्दर्शक | ॥३) | मुद्रा | १) |
| चरित्र साधन | ॥२) | गुरु शिष्य सम्वाद | १) |
| आर्थिक सफलता | ॥२) | भारत गीतांजली | १) |
| कर्मशेख | १) | लॉट किचनर | १) |
| एकाग्रता और दिव्य शक्ति | १) | जनरल जार्ज वाशिंगटन | १) |
| अमरकाव्यवसाय | ॥२) | शेखसादी | ॥२) |
| आदर्श चरितावली | ॥१) | यिवेकानन्द नाटक | १) |
| गृहणी भूषण | ॥१) | लीयनमुक्त नाटक | १॥१) |
| गृहणी वस्तु | १॥१) | रणधीर प्रेममोहनी नाटक | ॥१) |
| रोहिणी | १) | पेतिहासिक । | |
| विमाता | १॥१) | गीतागम सचित्र | १॥१) |
| माता का उपदेश | १) | वीर दुर्गादाम-सचित्र | २) |
| जननी जीवन | ॥१) | पैशाचिक काण्ड-सचित्र | १॥१) |
| जीवन विजय | ॥१) | सोने की रत्न-सचित्र | ॥१) |
| बच्चों का चरित्रगठन | ॥१) | नयाबो महल-सचित्र | ॥१) |
| सफल गृहस्थ | ॥३) | मंगालिनी-संक्षिप्त यात्रू का | ॥१) |
| ज्योतिषशास्त्र | ॥१) | रानी-संक्षिप्त यात्रू का | ॥२) |
| मुल्य तथा सफलता | ॥१) | सामाजिक । | |
| कामिनी के पिताजी-दृश्य | ॥१) | लहर का प्याला सचित्र | ॥१) |
| स्वदेशामिमान | १) | राजदुलारी सचित्र | ॥१) |
| रत्नों की सङ्क | १॥१) | उमा-सचित्र | १॥१) |
| रत्नों की मुन्दरियों | २) | गृहलक्ष्मी-सचित्र | १॥१) |
| गती सुचरित्र | १) | दिल का कांटा-सचित्र | ॥१) |
| किशोर अवस्था | ॥१) | त्रैलोक्य मुन्दरी | ॥२) |
| भारत के आदर्श बालक | १) | मानकुमारी ऐतिहासिक | २) |
| उत्तम का मूल मन्त्र | १) | | |

पता—उपन्यास-पहार आफिस,

P. O. काशी (बनारस)